राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चौंतीसवां दिवस [संख्या : 18

मंगलवार

25 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी मीणा।

आयु सीमा पार होने वाले उम्मीदवारों को अध्यापकों के पद पर नियुक्ति में प्राथमिकता

60. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सरकार अध्यापकों की नियुक्ति में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का विचार रखती है, जो आयु सीमा पार होने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अध्यापकों की आयु सीमा 33 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार राजस्थान से बी.एड. किये हुए छात्रों को नौकरी में प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार 10वीं परीक्षा तक वाणिज्य विषय को अनिवार्य करने एवं वाणिज्य विषय के प्रशिक्षित स्नातकों को रोजगार देने का विचार रखती है? क्या उनको द्वितीय वेतन श्रृंखला में नियुक्ति के समय आयु सीमा में छूट देने का विचार रखती है?

(5) वाणिज्य विषय को 10+2+3 में कब तक सम्मिलित करने का सरकार का विचार है?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) जी नहीं। आयु सीमा में छूट देने का सम्बन्धित नियमों में प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। शिक्षा विभाग में अध्यापकों की नियुक्ति नियमानुसार मैरिट के आधार पर ही होती है।

(4) व (5) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के आधार पर 1996-97 के सत्र से नवीं कक्षा के सामाजिक ज्ञान के पाठ्यक्रम में वाणिज्य विषय को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। वाणिज्य विषय के प्रशिक्षित स्नातकों को आयु सीमा में छूट देने का कोई विचार नहीं है। 10+2+3 स्तर पर पहले ही वाणिज्य संकाय की पृथक् व्यवस्था है।

श्री रामस्वरूप मीणा :माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जी नहीं, जी हाँ, जी नहीं और जी हाँ, जी नहीं, इसके अलावा और कोई जवाब ही नहीं दिया है इसके अन्दर किसी प्रकार का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि जो अब बेरोजगार बैठें हुए हैं बी.एड. करके छात्र, ऐसे बेरोजगार छात्रों को कब तक रोजगार देंगे जिनकी आयु-सीमा पार होने जा रही है, जो लोग 35 वर्ष के लगभग हो चुके

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हैं? उनके बारे में तो आपने कोई उत्तर दिया नहीं और आपने उसमें कह दिया कि जी नहीं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस प्रकार का कोई नियमों में दुबारा प्रावधान कर रही है जिसके तहत जो लोग ओवर एज होने जा रहे हैं, जिन्होंने बी.एड. की ट्रेनिंग ली है, लाखों रुपया खर्च किया है और सरकार की गलती के कारण कि सरकार कोई जगह नहीं निकाल रही है, इस गलती के कारण वे ओवर एज होने जा रहे हैं क्या सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था कर रही है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि.... (व्यवधान) मंत्री महोदय ने कहा है कि...

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : पहले का जवाब तो आने दो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया :माननीय अध्यक्ष महोदय, आयु सीमा में छूट के बारे में कहना चाहूँगा कि पहले से ही आयु सीमा में जितनी छूट दी जा सकती है, 33 वर्ष सामान्य बालक के लिए है लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और महिलाओं के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट है, जो विधवाएँ और परित्यक्ताएँ हैं, उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है वे कभी भी जब भी विधवा या परित्यक्ता होती हैं, वे सर्विस के लिए एप्लाई कर सकती हैं और उनको हम लेते हैं। इसलिए नियमों में जितनी गुंजाइश निकाली जा सकती है, मैं सोचता हूँ कि 38 वर्ष तक की छूट कोई सामान्य छूट नहीं है, पर्याप्त है और अगर नियमों में बदल...।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): श्री रामस्वरूप जी, आपका तो इन्तजाम पूरा हो गया।

श्री रामस्वरूप : नहीं, मेरा तो यही निवेदन है कि एस.सी. और एस.टी. के लिए आपने छूट दे रखी है, क्या उसी प्रकार की छूट अन्य जातियों के लिए भी करने का विचार रखती है और क्या इस प्रकार का मामला सरकार के पास पहले से विचाराधीन है या सरकार के पास शिकायतें आयी हैं जिनके माध्यम से आपसे मांग की गयी है बार-बार, उसके बारे में आपने विचार किया क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया :माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आयु सीमा में छूट सम्पूर्ण राजस्थान के सेवा नियमों के तहत होती है, शिक्षा विभाग की कोई अलग से आयु सीमा की छूट नहीं है। उसके तहत अगर सारे राजस्थान में आयु सीमा में परिवर्तन होता है तो शिक्षा विभाग में हो सकता है। केवल अकेले शिक्षा विभाग में आयु सीमा में छूट नहीं दे सकते हैं। लेकिन राजस्थान के अपने यहाँ के विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करने की वजह से और जैसी कि आपकी मंशा है वन पाइंट पर सलेक्शन इस बार किया है अन्यथा होता क्या है कि एप्लाई करते हैं लगभग 2 लाख लोग लेकिन जब हम उन्हें इन्टरव्यू के लिए बुलाते हैं तो मुश्किल से 10 हजार लोग पहुँचते हैं। यानि 14-15 जगह फार्म भरते हैं और शिक्षा विभाग में 10 जून के दिन सारी ही जगह 11 बजे इन्टरव्यू होते हैं। एक साथ सब जिला हैडक्वार्टर्स पर सैकण्ड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड के सारे इन्टरव्यू 13 जून को हुए हैं तो उसके कारण से उसकी तुलना में 10वाँ हिस्सा भी इन्टरव्यू के लिए हमने बुलाया उसके भी आधे लोग इन्टरव्यू के लिए पहुँचे, तो मैं सोचता हूँ कि जितनी हमको आवश्यकता थी और जितने पद हमारे पास थे इन नियमों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के तहत हमको उनको लिये हैं। मैं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से फिर हमारे में और पंचायत समिति में थोड़ा और अन्तर है। जो ओवर ऐज होते हैं या जिन्होंने पहले बी.एड. किया है शिक्षा विभाग में तो बी.एड. के हर साल के अंक नहीं मिलते हैं लेकिन पंचायत समिति में हर साल का उसका जितना पुराना होता है उसका हर साल का एक बोनस अंक भी मिलता है, शिक्षा विभाग में केवल हम 25 प्रतिशत वेकेंसीज ही भरते हैं और जितनी वेकेंसीज होती है, उनमें से 75 प्रतिशत जिला परिषद् से लेते हैं तो जिला परिषद् में उनको यह जो राहत मिलनी चाहिए वह उनके नियमों के तहत मिलती है और उसी में हम 75 प्रतिशत हमारी वेकेन्सीज के अगेन्स्ट लेते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, 1989 में सवाई माधोपुर जिले के अन्दर इन्टरव्यू हुए थे और उसके बाद में आज तक इन्टरव्यू नहीं हुए हैं। 1989 के अन्दर जिनकी उम्र करीब 1 या 2 साल कम थी और आज तक इन्टरव्यू नहीं हुए, 6 साल हो गये वे क्या करेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूँ पिछले साल जो हमारे इन्टरव्यू हुए हैं मेरे पास सारी सूची है। अब करौली में हमारे यहाँ विज्ञापित रिक्त स्थान थे, तृतीय श्रेणी के 107, उसके लिए हमको एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं 3580, साक्षात्कार के लिए हमने बुलाया था 379; उपस्थित हुए 232 और नियुक्ति दी है 117।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल :वह सही है। मैंने जिला परिषद् के लिए निवेदन किया था। शिक्षा विभाग के अन्दर तो आपने बता दिया लेकिन शिक्षक तो शिक्षक ही हैं, वे चाहें शिक्षा विभाग के हों या जिला परिषद् के हों या पंचायत समिति के हों और आयु सीमा तो उनकी वही है जो बी.एड. करे तो यह जरूरी नहीं है कि शिक्षा विभाग में ही लगें या यह जरूरी नहीं है कि वह पंचायत समिति के अन्दर लगें या जिला परिषद् के अन्दर लगें। प्रश्न तो यह उत्पन्न होता है कि जिला परिषद् में हो या शिक्षा विभाग में हो, शिक्षक तो शिक्षक ही हैं, तो 1989 के बाद में आज तक जिला परिषद् में इन्टरव्यू नहीं हुए हैं तो ऐसे शिक्षक जो बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है वे शिक्षक क्या करेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस प्रश्न का तो उत्तर क्योंकि मेरे पास जिला परिषद् और पंचायती राज की डिटेल नहीं है, इसलिए मैं उसका आपको उत्तर देने में असमर्थ हूँ पर साधारणतया सोचता हूँ कि जितनी वेकेंसीज होती है उनके अनुसार निश्चित रूप से उनके यहाँ भर्ती होती है। वहाँ की क्या स्थिति है वह मैं देने में असमर्थ हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, पुरानों को अधिक बोनस अंक देकर क्या इन प्रशिक्षित युवकों को नौकरी दिलवाने में आप मदद करने की चेष्टा करेंगे? जितने पुराने साल के होंगे उनको उस हिसाब से अधिक बोनस अंक देकर प्राथमिकता मिल जाएंगी और जो नये लड़के आ रहे हैं उनके मुकाबले इनकी मेरिट ऊंची चली जायेगी तो उनको पहले नौकरी मिलने में सुविधा होगी। क्या सरकार अधिक बोनस अंक देकर उनको नौकरी दिलाने में प्राथमिकता देने का विचार रखती है?

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, सालवार जिस तरह से पास होकर आते हैं, उनकी पहले सूची समाप्त करके,

(9)

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

उनको अपांइटमेंट देकर हर साल का इस तरह से कर लिया जाए तो वे बच्चे ओवर ऐज नहीं होंगे और उनकी आयु सीमा में नियुक्ति मिल जाएगी और बोनस देने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जो सीनियरिटी से पास होते आयें उनको अपांइटमेंट दीजिए। पहले वाले बैठे हैं, नये बच्चे आते हैं उनकी पर्सेण्टेज हाई होती है और पहले वाले पिछड़ जाते हैं और फिर 5-5, 10-10 साल तक इन्टरव्यू देते रहते हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ तीन सवालों के बारे में माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जानकारी करना चाहती हूँ। जैसा आपने बताया महिलाओं के बारे में, जैसे अनुसूचित जाति और इनके लिए तो आरक्षण से रिजर्वेशन है लेकिन महिलाओं की कोई अलग सूची है, उनके लिए कोई अलग से आरक्षण करते हैं क्योंकि उनकी लम्बी सूची आपने जो बनायी है उसमें महिलाओं का बड़ी मुश्किल से नम्बर आता है या आता नहीं है, उनके सम्बन्ध में क्या विचार है? एक तो मेरा सवाल यह है।

दूसरा, परित्यक्ता और विधवा बहनों के लिए आपने कहा कि उम्र सीमा नहीं है तो उनके सम्बन्ध में भी यह जानना चाहती हूँ कि वह भी इसी सूची में सम्मिलित है या उनके लिए भी आपने अलग से कोई सूची बनायी है, उनको अलग से प्रिफरेंस देने का, आरक्षण देने का ताकि उनको जल्दी से नौकरी में लिया जा सके क्योंकि उनकी समस्या सबसे विकट समस्या होती है, उनको छोड़ देते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको इस सूची में शामिल करने से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

तीसरा, मेरा एक और सवाल है, यह जो आप कह रहे हैं कि सूची लम्बी है और चूंकि मेरिट में वह नहीं आ पाते जैसा अभी माननीय सदस्य बता रहे थे और उसकी वजह से बहुत से बेरोजगार बैठे हैं और बी.एड. और एस.टी.सी. करते हैं, उनके सामने मास्टरी के अलावा और आगे रास्ता भी नहीं है, उनके लिए भी मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि जिन शिक्षण संस्थाओं को आप मान्यता देते हैं, क्या आप उनमें यह नहीं कर सकते कि वे सस्ते में 300 रुपये 200 रुपये देने के लिए वहाँ पर कोई भी मास्टर या मास्टरनियां रख लेते हैं। आप क्यों नहीं यह निर्णय कर देते कि जो एस.टी.सी. पास है या जो बी.एड. पास है, सिर्फ उन्हीं को पहले लिया जायेगा। बाद में नये लोगों को लिया जाएगा क्योंकि आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, इसलिए वे कम पैसा देकर रख लेते हैं। जब आप उनको मान्यता देते हैं, उस वक्त यह पाबन्दी उन पर लगा सकते हैं कि उनको इस तरह के जो ट्रेन्ड मास्टर हैं, उन्हीं को लेना होगा। यदि ऐसा कोई प्रावधान है क्या या करने का विचार है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, वरीयता सूची बनाते समय जिनका बी.एड. पहले हुआ उनको कुछ वरीयता मिलनी चाहिए थी, यह प्रक्रिया भी थी और माननीय श्री भंवरसिंह जी ने एक बात कही थी। पहले यही था कि साल में एक बार एक मेरिट बन जाती थी, दूसरे साल उसके नीचे दूसरी मेरिट लगती थी लेकिन इसको लेकर नये जितने बालक हैं जो मेरिट में बहुत ऊंचे रहते हैं, उनकी यह शिकायत थी कि यह मेरिट तो 10 साल तक भी समाप्त नहीं होगी और हम फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हैं, हम टोपर हैं, इसके कारण से हम पिछड़ते जायेंगे और हमारी स्थिति भी थोड़े दिन बाद वही बनेगी जो उनकी बन रही है और इसके कारण से, उनके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इस एजीटेशन को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में मेरिट का लाभ उनको जरूर मिलना चाहिए, जब उनके अच्छे अंक हैं इसलिए निर्णय को फिर से वापस बदला गया। पहले यही निर्णय था जो आप कह रहे हैं। इसको इसी आधार से बदलना पड़ा कि जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हैं, वह 5-5 साल तक, 4-4 साल तक, 6-6 साल तक इन्तजार करता रहता था तो उनकी इस बात को ध्यान में रखकर लेकिन वरीयता में जिला परिषद में निश्चित रूप से प्रतिवर्ष का पहले दो अंक देते थे, बाद में एक अंक दिया तो यह उनको सुविधा उपलब्ध है और वहीं पर....

श्री रामनारायण चौधरी : उस एक अंक को दो अंक में बढ़वा दीजिए ताकि उनका नम्बर आ जाए और यह आप शिक्षा विभाग में क्यों नहीं लागू करते हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : न शिक्षा विभाग में अगर आप इन सारी सूचियों को देखेंगे तो 8 साल पुराना हो जाने के बाद, अगर वह टीचर भी बनेगा 8 साल बाद, हम उसकी मदद तो कर देंगे, क्योंकि उसने बी.एड. पहले किया है मानवीय आधार पर लेकिन शिक्षा का स्तर जो 8 साल पहले जिसने बी.एड. किया है अगर उनको मिलेगा भी सही तो वह स्तर जो हमको प्राप्त होना चाहिए, अच्छे लड़कों और अच्छी शिक्षण का जो स्तर हम सुधारना चाह रहे हैं, उसमें कमी जरूर आयेगी। मानवीय आधार पर आपकी बात को स्वीकार करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन वास्तव में हमको कहीं न कहीं किसी न किसी बच्चे को तो, जितने पद हैं उन्हीं पर ले सकते हैं और मैं सोचता हूँ कि शिक्षा विभाग में कम से कम भर्ती को लेकर, हम उनकी मेरिट बनाते हैं, वही मेरिट का नम्बर बाई रजिस्टर्ड लैटर भेजते हैं कि आप 354 नम्बर पर हैं। अगर 354वाँ सलेक्ट होगा तो वही बालक सलेक्ट होगा तो इस दृष्टि से इतनी भर्ती होने के बाद भी सामान्यतः शिकायत नहीं के बराबर मैं मानता हूँ कि दशमलव 001 प्रतिशत कहीं शिकायत रही है तो कह नहीं सकता हूँ, बाकी सब उसके कारण से व्यवस्थित है।

श्री अध्यक्ष :बिराजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि आप शिक्षा विभाग में तो मेरिट के आधार पर लेते हैं और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में...(व्यवधान) पूरे बोनस अंक दिलवाइये आप उनको....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तानी क्षेत्र में, बाड़मेर जैसे बैकवर्ड एरिया में शिक्षा की पूरी सुविधा नहीं है। 10वीं क्लास तक लड़के पढ़ते हैं। पूरा स्टाफ नहीं होता है। इसमें आप बोनस बढ़ाइये। दूसरे जिले के लोग यहाँ लगते हैं। खाली रहती है सारी स्कूलें, वहाँ टीचर्स पूरे रहते नहीं है और अपने घर में, शादी में, ब्याह में घर आते हैं, वहाँ पर स्कूल छोड़कर आते हैं। बाड़मेर जिले जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में जहाँ शिक्षा की सुविधा बच्चों को मिलती नहीं, जहाँ 20-20 किलोमीटर से पैदल चलकर लड़के पढ़ते हैं। शहरों में दो फर्लांग स्कूल जाते हैं, वे भी टेम्पों में जाते हैं, उनको सुविधा है इसलिए उनके अंक ज्यादा आयेंगे। बाड़मेर के लड़कों के कम आयेंगे, अकाल के अकाल पड़ते हैं, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में, बाड़मेर-जैसलमेर में आप बोनस अंक बढ़ाइये ताकि जो बहुत से बेरोजगार आदमी हैं, जो ओवर-एज हो रहे हैं। 33 साल के हो गये, 34 साल की अब उम्र हो रही है, उन लोगों को लगाने के लिए मैं माननीय मंत्रीजी से

(श्री अमराराम चौधरी)

कहूँगा कि एक मानवीय दृष्टिकोण से आप विचार करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी :स्पीकर महोदय, मंत्रीजी ने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया है लेकिन मैं आपकी मार्फत उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में जो भर्ती कर रहे हैं, उसमें स्टैन्डर्ड मैन्टेन करने के लिए वे बोनस अंक नहीं देना चाहते। वे कहते हैं जितने प्रशिक्षित अध्यापक पुराने हो जाते हैं 7-7 साल पुराने, 8-8 साल पुराने अगर हम नये लड़कों के मुकाबले उनको भर्ती करेंगे तो उनका शिक्षा स्तर गिरेगा और गाँवों में, देहातों में जो स्कूलें हैं, वहाँ पर शिक्षा का स्तर गिरे, इसकी चिन्ता शिक्षा विभाग को नहीं है। वहाँ तो बोनस अंक अलाऊ कर दिये और शहरों के अन्दर जो स्कूलें हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे मिडल हो चाहे सैकण्डरी हो, उस भर्ती के अन्दर वे बोनस अंक नहीं देना चाहते हैं क्योंकि पुराने प्रशिक्षित अध्यापक हैं। वे आगे आयेंगे तो उनकी शिक्षा का स्तर गिर जायेगा, यह माननीय मंत्रीजी ने कहा है। मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ, जितना अध्यापक पुराना होगा वह उतना ही अनुभवी होगा। कल का जो बी.एड. करके आया हुआ है उससे 100 प्रतिशत नहीं, 500 प्रतिशत पुराना प्रशिक्षित अध्यापक बैटर होगा। गुरु जितना पुराना होगा, चावल जितना पुराना होगा, शहद जितना पुराना होगा, वह ज्यादा अनुभवी और समाज के लिए ज्यादा लाभकारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं जो गाँवों में बैठे हुए हैं या वे घरों में बैठे हुए हैं। कोई खेती का काम या कोई कुट्टी का काम नहीं कर रहे हैं। वे भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या अपनी कोचिंग खुद चला रहे हैं। शहरों में बैठे हैं या गाँवों में बैठे हैं, कहीं न कहीं वे बैठे हैं। वे कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं इसलिए उनको आउट आफ डेट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनकी योग्यता और मेरिट तो नये से हज़ार दर्जा अच्छी है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें कि शहरों में भी शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसमें भी जो पुराने प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनको बोनस अंक दिलवाइये और बोनस अंक पहले आप दो देते थे, उसको एक कर दिया। आप उनका बोनस अंक बढ़ाइये तभी उनका पहले का बैकलॉग पूरा होगा वरना तो यह लिस्ट बढ़ती चली जायेगी, लोग आउट ऑफ डेट हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने.. (व्यवधान) एक बार जितना है उतना तो उत्तर दे दूँ।

श्री रमाकांत (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, वे अभ्यर्थी जो प्रशिक्षित हैं, जो पुरुष या महिला हैं, रोजगार की उपलब्धता हासिल नहीं होने के कारण पूरी आयु सीमा पार कर जाते हैं, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है, इस बारे में सरकार जवाब दे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रमाकांत : मेरा छोटा सा प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, जो मैंने बात उठायी है, वह सारा भूल जायेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा।

श्री रमाकांत : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो

(श्री रमाकांत)

छोटा सा प्रश्न है कि आयु सीमा का सैद्धान्तिक आधार क्या है? 33 क्यों है और 43 क्यों नहीं है या 53 क्यों नहीं है? यह 33 कहाँ से ले आये, इसलिए प्रश्न यह है कि शिक्षा के अन्दर तो कम से कम कोई आयु सीमा नहीं हो जैसा दुनिया में किसी देश में नहीं है। जितने भी प्रगतिशील और प्रगति कर चुके देश हैं वहाँ इस तरह की बात नहीं है। जब हम शिक्षक लेते हैं और अच्छी तरह से मेरिट और उसका अनुभव देखकर लेते हैं, इसलिए उसकी योग्यता है तो किसी भी उम्र का हो, ले लीजिये उसे आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री हरिसिंह (महुआ)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्नकर्ता हैं उनकी भावना सवाईमाधोपुर जिले से सम्बन्धित थी और सवाईमाधोपुर जिले में यह स्थिति पैदा हुई कि 1990 के बाद वहाँ कोई सलेक्शन नहीं हुआ और इस दरमियान पांच साल के बाद सारे अभ्यर्थी ओवर-एज हो गये और उनकी संख्या करीब 43-44 है, या तो सरकार हाईकोर्ट स्टे के तहत या किसी दूसरी परिस्थिति के तहत रिक्रूटमेंट नहीं कर सकी और जो अभ्यर्थी उस दिन एज सीमा में आ रहे थे क्या उन अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र को उसी दिन का मानकर, उनकी एज को कंडम करते हुए उनको रिक्रूटमेंट करने की स्थिति में है? यह है प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग में पहले ग्रामीण का और जिले का बोनस अंक नहीं था। हमने पिछली साल बालक जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है उसको 5 बोनस अंक दिये और अगर उसी जिले का रहने वाला है तो उसको 5 अंक और दिये। इस साल हमने यह किया कि उस जिले का रहने वाला है तो 10 अंक बोनस के दे रहे हैं, 5 अंक ग्रामीण के दे रहे हैं, उसके कारण से 15 अंक की बढ़ोतरी हो गयी। उसी जिले में पिछली साल हमारे जो कुछ भी फिगर्स आये हैं, उसमें 70 प्रतिशत उसी जिले के बालक उसी जिले में सलेक्ट हुए हैं। इस साल हमने एक और किया है कि उसी जिले का एम्पलाइमेंट-कार्ड होना भी उसके लिए अनिवार्य है तो अब जिले के बाहर आने-जाने का सवाल तो रहेगा नहीं, वह उसी जिले में एडजस्ट हो जायेगा। आपने कहा कि उनका स्तर, मैंने आपको कहा कि तृतीय श्रेणी की वेतन श्रृंखला में हम केवल हमारी वेकेन्सीज का 25 प्रतिशत भर्ती कर रहे हैं, 75 प्रतिशत हम जिला परिषद् से जो 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल के लोग हैं और जो शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं, उनको हम ले रहे हैं। अब यह जो बोनस अंक की सुविधा है वह जिला परिषद में आलरेडी है तो वहाँ टीचिंग एक्सपीरियंस के कारण ही अपने आप ही वह अपने ज्ञान को अर्जित करके आता है, उसी को हम लेते हैं तो मैं सोचता हूँ, महिला शिक्षा में आपने कहा कि मेरिट पहले अलग-अलग बनती थी पंचायत समितियों में लेकिन हाई कोर्ट का एक फैसला दो महीने पहले, जनवरी में हुआ था और उसमें कहा था कि दोनों की मेरिट अलग-अलग नहीं बन सकती आपको एक ही मेरिट बनानी पड़ेगी। इसके कारण से अब इसकी एक ही मेरिट रहती है। विधवाओं की मेरिट का कोई सवाल ही नहीं है, विधवाओं का न इस वेकेन्सीज में मेरिट के आधार पर लेते हैं, उनका अपना अलग से ही है और उनमें से हम सेन्ट-पर्सेन्ट

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विधवा और परित्यक्ता को, हमारे पास जो पद होते हैं उनके अनुसार हम लेते हैं। यह जरूर ध्यान में रखा कि अब की बार, क्योंकि इस साल हमने लगभग ग्यारह सौ विधवाओं और परित्यक्ताओं को इस सेवा में लिया है तो एकदम इतना अधिक वर्क-लोड न बन जाय कि बाकी जो अभ्यर्थी हैं आने वाले, तो इसको बैलेंस करते हुए लेकर हमने साल में जितनी सूची हमारे पास थी वह हमने पूरी की पूरी उन्हें दे दी। पहले हम विधवाओं को, कभी भी वह एप्लाई करती थीं, उसको ले लेते थे, अब वैसा नहीं है। अप्रेल में उनके भी हम फार्म मंगाते हैं और उनकी भी एक मेरिट बना लेते हैं। साल भर में उनके जैसे-जैसे पद हमारे पास हैं, वैसे-वैसे हम देते जाते हैं, बीच में कोई सितम्बर में विधवा हो गयी और अक्टूबर में एप्लीकेशन लगायी तो उसको अप्रेल तक के लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा लेकिन उनके लिए कोई अलग से पाबंदी नहीं है कि उनकी कोई इस तरह से मेरिट बनती हो।

श्री रामस्वरूप मीणा :मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री, अध्यक्ष महोदय, यह है...

श्री अध्यक्ष :माननीय, बिराजिये अब। अब दूसरा प्रश्न लेने दें। पूरा आ गया है...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी :हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार जो महिलाओं की मेरिट बना दी थी आपने पहले, अब उन महिलाओं को तो आप नौकरी में रखेंगे...

श्री अध्यक्ष :बिराजिये। काफी आ गया माननीय। सारी बात डेलेबरेटली माननीय मंत्रीजी ने कह दी है...

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अमराराम चौधरी :और कोई साल भर के अन्दर नौकरी करे उनको निकाल देंगे...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मूल प्रश्न सवाईमाधोपुर के उन लड़कों के सम्बन्ध में किया था जो आलरेडी ओवरएज हो चुके हैं...

श्री अध्यक्ष :बिराजिये अब। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा मूल प्रश्न यह था कि जो लोग ओवरएज हो चुके हैं, अब वह ओवरएज क्या करें, कहाँ जाय, कहाँ नौकरी प्राप्त करें, वे बी.एड. करके जो बैठे हैं। मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ओवरएज हो गये तो सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, कोई विकल्प सोचा है क्या उनके लिए? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अमराराम चौधरी : जो हमारी महिलाएं नौकरी में लगी हुई हैं, हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार उनको हटा देंगे या उनकी नौकरी यथावत रहेगी?

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो ओवरएज हो चुके हैं उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? यह मेरा प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता की भावना यह थी कि शिक्षा विभाग में वैकेंसीज होते हुए भी राज्य सरकार ने वैकेंसीज नहीं निकाली और इस दरम्यान...

श्री हरिसिंह (महुआ) : सवाईमाधोपुर में जो रिक्रूटमेंट सात साल से नहीं हुआ और जो लड़के पहले आ गये, जो ओवरएज हो गये, उनका कसूर क्या है। उनको सरकार उसी डेट से क्यों नहीं मानती...

श्री रामस्वरूप : कोई कसूर नहीं है उनका। उनकी क्या गलती है इसमें? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। इसमें सवाईमाधोपुर का नाम नहीं आया, बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप : जिन्होंने बी.एड. किया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप : बिराजें कैसे? माननीय मंत्री महोदय, आपने सवाईमाधोपुर में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : जो बेरोजगार लड़के थे उनको नौकरी नहीं दी, उनके बारे में क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सवाईमाधोपुर जिले के बच्चों के ऊपर कुठाराघात है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें।

श्री रामस्वरूप : सवाईमाधोपुर में जो बेरोजगार लोग हैं वह ओवरएज होने जा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी ने पूरी इलेबोरेटली सारी बात बता दी है। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरे सवाईमाधोपुर जिले में जो बेरोजगार लड़के ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए सरकार पहले विचार करें...

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सवाईमाधोपुर जिले में जो ओवरएज हो चुके हैं वह शिक्षक क्या करें अब, जिन्होंने बी.एड. की हुई है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री भीखा भाई।

श्री रामस्वरूप : उनका क्या होगा? सरकार इसके बारे में क्या विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष : अब काफी प्रश्न हो गये हैं, 25 मिनट पूरे हो गये हैं। श्री भीखा भाई।

श्री रामस्वरूप : नहीं, उसका उत्तर तो आना चाहिए। सवाईमाधोपुर में इतने लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनका क्या ठिकाना है? लाखों रुपये खर्च किये हैं, ओवर एज होने जा रहे हैं, सरकार की गलती से ओवर एज होने जा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जो ओवर एज हुए हैं उनको कैसे एडजस्ट करेंगे?

श्री रामस्वरूप : सरकार की गलती से हुए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। सरकार की गलती से ओवर एज होने जा रहे हैं।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : एस.सी., एस.टी. का लड़का अगर मेरिट में आता है, टॉप मेरिट में आता है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री रामपालजी उपाध्याय।

श्री दलीचन्द : उस लड़के को आरक्षण में नियुक्ति दी जायेगी या उसको जनरल में दी जायेगी?

श्री रामस्वरूप : इसके बारे में जवाब दें, माननीय मंत्री महोदय...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री दलीचन्द : बांसवाड़ा का मैं एक उदाहरण बताऊं जहाँ एस.सी. का लड़का, उसके 78 पर्सेन्ट मार्क्स थे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त प्रकाश डाल दिया माननीय मंत्रीजी ने, बिराजें आप। बिराजिये।...(व्यवधान)

श्री दलीचन्द : आपने आरक्षण की नीति तय की है। जो टॉप करने वाला होता है (व्यवधान) उसको कोई तो करे। पंचायत विभाग करे, कोई न कोई करे। उसकी व्यवस्था करेंगे, यह बता दीजिये आप तो।

(10)

श्री रामस्वरूप : सरकार की गलती से वह ओवर एज होने जा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ओवर एज के लिये क्या कहना है? उनको कभी रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने पूरी बात बता दी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो ओवर एज हो गये हैं उनकी क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है? ओवर एज को कभी रोजगार की उपलब्धता होगी या नहीं होगी? जिनकी आयु सीमा पार हो गयी है उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा या नहीं, यह बताया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामपाल उपाध्याय।

श्री रामस्वरूप : उनकी कोई गलती नहीं हुई, ट्रेनिंग की है उन्होंने...(व्यवधान) बताओ खड़े होकर, जवाब दो उसका। आप कुछ करोगे या नहीं करोगे उसके बारे में? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यध महोदय, सरकार रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को डाइल्यूट किया जा रहा है, आप ना ही करवा दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने पूरी बात बतायी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : 43 लड़कों का सवाल है जो ओवरएज हो चुके हैं...

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करायेगी...

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी, मना कर दें। नहीं करना है तो मना कर दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अब अंकित नहीं होगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये अब।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : XXX

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जितने भी विद्यार्थियों को बी.एड. कराया जाता है या इंजीनियरिंग का कोर्स कराया जाता है इसके साथ हम यह कभी भी अन्डरटेकिंग नहीं देते हैं कि आपको नौकरी देने के लिए हम बाध्य हैं। यह कहीं भी अण्डरटेकिंग नहीं है, एक, लेकिन फिर भी हम मानवीय आधार से उनकी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पहली बार होगा कि प्राइमरी शिक्षा के लिए जो मान्यता का एक पचड़ा था जिसके कारण लोग अपनी निजी शिक्षण संस्थाएँ प्रारम्भ नहीं कर सकते थे, हमने प्राइमरी तक की मान्यताओं को समाप्त कर दिया। ऐसे अगर टीचर हैं, अपने स्वयं के आधार पर भी विद्यालय चलाना चाहें तो हमने उनको पूरी छूट दी है, वह चलायें और इसमें अपना काम करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : मैं इसमें एक निवेदन करना चाहता हूँ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट सुनें।

प्रश्न संख्या 61

श्री अध्यक्ष : श्री भीखा भाई।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)
श्री रामपालजी उपाध्याय।

तिलम संघ के विस्तार की विचाराधीन योजनाएँ

62. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में तिलम संघ कब स्थापित किया गया एवं इसके संचालन की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तिलम संघ हानि में चल रहा है? यदि हाँ, तो वर्ष 1990 से 1994-95 तक का लाभ-हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तिलम संघ अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहा है? यदि हाँ, तो वर्ष 1990 से 1994-95 तक के सम्पादित कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि तिलम संघ अपने विस्तार की योजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री सुजानसिंह यादव) : (1) राज्य में राजस्थान राज्य सहकारी तिलम उत्पादक संघ लिमिटेड, जयपुर (तिलम संघ) का पंजीयन दिनांक 3.7.90 को किया गया है। संस्था ने 1.1.91 से कार्य निष्पादन आरम्भ किया...

श्री परसादीलाल मीणा : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा शांति बनाये रखें तब सुनायी देगा।

श्री परसादीलाल मीणा : दुबारा पढ़ें, मंत्रीजी, तब सुनाई देगा।

श्री सुजानसिंह यादव : दुबारा? मेरी आवाज तो बहुत दूर तक जा रही है, आपको नहीं सुन रही है?...

श्री जगदीप धनखड़ : माइक पर बोलें।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं तो बगैर माइक के भी बोल सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, सुनें। इन बातों में समय जाया नहीं करें। सुनें पूरा।

श्री सुजानसिंह यादव : (1) राज्य में राजस्थान राज्य सहकारी तिलम उत्पादक संघ लिमिटेड, जयपुर (तिलम संघ) का पंजीयन दिनांक 3.7.90 को किया गया। संस्था ने 1.1.91 से कार्य निष्पादन आरम्भ किया। तिलम संघ के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालक मंडल का मनोनयन किया गया है। दिनांक 14.6.93 से मनोनीत संचालक मंडल इस प्रकार है—

(i) शासन सचिव, सहकारिता —अध्यक्ष

श्री हरिसिंह (महुआ) : नाम बोलें, स्पेसिफिक नाम।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, आप। आप बिराजिये तो सही।

श्री सुजानसिंह यादव : शासन सचिव तो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। नाम क्या बताऊं?

श्री परसादीलाल मीणा : हाँ, बदलते रहते हैं, बोलें आप तो।

श्री सुजानसिंह यादव : (ii) शासन सचिव (वित्त), वित्त विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो उप सचिव के स्तर से नीचे के स्तर के न हों —सदस्य

(iii) निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान —सदस्य

(12)

(श्री सुजानसिंह यादव)

(iv) पंजीयक, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर —सदस्य

(v) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के प्रतिनिधि —सदस्य

(vi) दो प्रबन्ध/तेल विशेषज्ञ (1) प्रोफेसर सीतारमन, मद्रास —सदस्य

(2) श्री एस.एस. परनामी, विशेषज्ञ —सदस्य

(viii) प्रबन्ध संचालक, तिलम संघ, राजस्थान —सदस्य सचिव

(2) जी हाँ। वर्ष 90-91 से वर्ष 94-95 (जनवरी, 1995 तक) हानि इस प्रकार है—

1990-91	रुपये 109.50 लाख
1991-92	रुपये 530.18 लाख
1992-93	रुपये 1679.77 लाख
1993-94	रुपये 1097.81 लाख
1994-95	रुपये 1439.20 लाख
(जनवरी, 1995 तक प्रोविजनल)	

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने प्रत्युत्तर दिया है, मैं समझता हूँ कि इस हिन्दुस्तान में सहकारिता का इतना बेमिसाल न ऐसा तिलम संघ हो सकता है, न ऐसा प्रत्युत्तर हो सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस तिलम संघ की कुल हिस्सा राशि कितनी है और आज के दिन में निरन्तर क्षति का जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है, वह कीर्तिमान किन-किन अध्यक्षों और किन-किन एम.डी. के समय में कितना-कितना वर्षवार हुआ? कृपा करके यह बताने का कष्ट करें और उसके कारण क्या है, यह भी बताने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कोई जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बता रहे हैं, बिराजें आप।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बता रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, आधा घन्टे की चर्चा रख लीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : दो सप्लीमेंट्री देंगे।

श्री अध्यक्ष : रामनारायणजी, आप बिराजें, वे बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मंत्रीजी इसमें सन्तुष्ट हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। आप इस बात को सीधे क्यों नहीं कहते? इसमें आधे घंटे की चर्चा हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, जवाब देने दें उन्हें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : मंत्री महोदय, पोस्टपोन करवा लो। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का 97 प्रतिशत शेयर अंश राशि है जिसमें 50 करोड़...

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : राज्य सरकार की और मेम्बरों की कितनी-कितनी है, अलग-अलग?

श्री सुजानसिंह यादव : मैम्बरों की हिस्सा राशि एक करोड़ 33 लाख है और सरकार की तरफ से है 50 करोड़। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तिलम संघ तिकड़म संघ के नाम से जाना जाता है। बेहतर तो यह होगा इतना जबरदस्त घाटा है, आधा घण्टे की चर्चा आप रखवा दो और प्रश्न स्थगित करवा दो।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : गवर्नमेंट का शेयर 48.79 और समितियों का हिस्सा है एक करोड़ 33 लाख रुपये, कुल टोटल 51 करोड़ रुपये और—

श्री रामपाल उपाध्याय : और भी तो पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बाबूलाल जी। बाबूलाल जी का प्रश्न है।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न शुरू हुआ है, मैंने तो उसका ए भाग पूछा है।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी भी उसमें शामिल हैं, एक प्रश्न उन्हें भी पूछने दें।

श्री रामपाल उपाध्याय :प्रश्न तो मेरा है। मेरा जवाब नहीं आया, जवाब देते तो सही।

श्री अध्यक्ष :अभी आपका उत्तर आ जाएगा, आप बिराजें। अभी आपको और सप्लीमेंट्री करने देंगे। बिराजिए आप।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : मैंने तो एक प्रश्न ही नहीं पूछा है अब तक, अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदस्य सवाल पूछ रहे हैं और मंत्री महोदय उसका उत्तर दे रहे हैं। आप कम से कम खुद सैटिस्फाइड हो जायं कि वह उत्तर आया या नहीं आया और अगर उत्तर नहीं आया तो आप सरकार को बाध्य करिये कि वह उत्तर उसी तरह से दें जिस तरह से पिन-पाइंटेडली श्री उपाध्याय जी पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री बाबूलाल जी।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है, आप मुझे तो बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बाबूलाल जी का ऐसा ही प्रश्न है इसको शामिल किया गया है। माननीय बाबूलालजी। अभी आपका चांस खतम नहीं हुआ है।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड संख्या (3) में यह कहा गया है कि तिलम संघ अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहा, हाँ या नहीं, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि जी नहीं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि जो तिलम संघ का 48 करोड़ 56 लाख 46 हजार का घाटा हुआ, क्या यह लक्ष्य प्राप्ति होने का संकेत है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या तिलम संघ की स्थापना के समय, जब इस संघ की स्थापना की गयी तो इतना घाटा होना प्रस्तावित था? अर्थात् जब से स्टार्ट हुआ है तब से लगातार घाटा हो रहा है। तो क्या स्थापना के समय यह घाटा होना प्रस्तावित था? इसका माननीय मंत्री महोदय जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि तिलम संघ के लगातार घाटा होने की स्थिति के मुख्य दो या तीन कारण, क्या इसके तकनीकी कारण रहे हैं या रॉ-मेटेरियल की प्रॉब्लम है? ऐसे कौन से दो या तीन मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से तिलम संघ को पाँच साल से लगातार घाटा हो रहा है? यह बताने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम सवाल आपके माध्यम से और पूछना चाहूँगा, टू दी पाइंट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तिलम संघ द्वारा इस घाटे को दूर करने के लिए कोई योजना बनायी गयी है? यदि बनायी गयी है तो वह क्या योजना है? और यदि योजना नहीं बनायी है तो राज्य सरकार इस तिलम संघ को कितने साल तक चलाने का विचार रखती है? कृपया इस मामले में स्पेसिफिक जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : विराजें, माननीय, जवाब देने दें।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रथम तो यह प्रश्न किया है कि तिलम संघ असफल क्यों रहा, घाटा क्यों रहा, इस बात को मैं नहीं मानता। जिस उद्देश्य के लिए तिलम संघ बना था, उस उद्देश्य को तिलम संघ ने भली-भांति परिपूर्ण किया है।

श्री अध्यक्ष :पूरा सुनें, माननीय।

श्री सुजानसिंह यादव :किसलिए किया है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। जहाँ सरसों कम पैदा होती थी, आज देश में ढाई और तीन गुना सरसों पैदा होती है। दूसरी सोयाबीन की खेती यहाँ राजस्थान में नगण्य थी। आज सोयाबीन की खेती लगभग ढाई गुना बढ़ी है और सोयाबीन का तेल यहाँ से तैयार होकर विदेशों में जाता है। विदेशों से अपने को काफी फायदा मिला है इस बात का, किसानों को उचित मूल्य मिला है, किसानों को स्पर्द्धा का मूल्य मिला है। जनता के उपभोग की चीज जो सरसों का तेल है, वह सरसों का तेल हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया तेल माना जाता है। इसकी शुद्धता का एक अपना प्रमाण है। इस उद्देश्य से मैं निवेदन करना चाहता हूँ तिलम संघ अपने उद्देश्य में भली प्रकार से परिपूर्ण रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या चीफ सैक्रेटरी आपकी एसी.आर. रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बोलने दें। विराजें आप। फिर आप कहेंगे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। जवाब देते हैं मंत्रीजी और 4 खड़े हो रहे हैं। बैठिये आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर सिटी) : अगर आप नहीं बता सकते हैं कि तेल मिलों में कई स्कीमों में घाटा चल रहा है तो मैं बताऊं आपको कि कैसे घाटा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं प्रैक्टिकली बताऊं आपको।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरा प्रश्न है।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह रखा कि घाटे के क्या कारण थे। घाटे के कारण थे ऋण पर अधिक ब्याज और अधिक ह्रास का होना। ऋण लिया गया उस पर ब्याज अधिक लगने लगा इसलिए घाटे का कारण बना है।

श्री परसादीलाल मीणा : कितना ब्याज लगा ?

श्री सुजानसिंह यादव : अब ब्याज तो...

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें आप।

श्री सुजानसिंह यादव : दूसरा, कार्यशील पूँजी पर अधिक ब्याज और कार्यशील पूँजी का ह्रास होना। तीसरा है तिलम की उपार्जन नीति का व्यावसायिक सिद्धान्तों के अनुरूप न होना, प्रक्रिया के कारण हानि, प्रतिकूल बाजार के कारण हानि, कभी बाजार ऊंचे जाते हैं, कभी बाजार नीचे आते हैं, बिक्री कर में छूट न होने के कारण, निजी व्यावसायियों को कहीं-कहीं बिक्री कर में छूट दे रखी है, इस विभाग को छूट दे नहीं रखी है। सामाजिक दायित्वों को निभाने के कारण हानि, कर की चोरी न करना। तिलम संघ का प्रथम उद्देश्य यह है कि कहीं किसी स्तर पर न इनकम टैक्स की चोरी होती है, न सैल्स टैक्स की चोरी होती है। इसके आधार पर पूरा इनकम टैक्स और सैल्स टैक्स दिया जाता है। निजी व्यवसाय में इस तरह की कई तरह की भ्रान्तियाँ

(श्री सुजानसिंह यादव)

हैं, उसके मुकाबले में तिलम संघ आ नहीं सकता इसलिए घाटे का यह भी कारण है।

श्री अध्यक्ष :बात पूरी कहने दें उनको।

श्री सुजानसिंह यादव :उपभोक्ता सामग्री में समीचीन कोई सुधार नहीं हुआ, उसमें हमने , सुधार किया है कि बल्क में जाता है, जैसे कलकत्ता में जाता है। वहाँ टिनिंग किया जाता है, टिनिंग में 15 किलो का, 5 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, आधा किलो के पैकिंग हमने जारी किये हैं, आज बाजार में उपलब्ध हैं। निरन्तर वित्तीय हानि का होना और कार्यशील पूँजी की कमी, जो पूँजी थी वह तो प्रोजेक्टों में लग गयी, कार्यशील पूँजी रही नहीं इसलिए यह भी एक कारण है हानि का। ये 8-10 इस तिलम संघ में घाटे के कारण हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूँ। आप कृपया मुझे पूरा सुनें।

श्री अध्यक्ष : श्री उपाध्यायजी, आप बोलें। बिराजिए आप।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, पिछले 4-5 वर्षों से तिलम संघ में घाटा चल रहा है (व्यवधान) 1992 के अन्दर भी इसी प्रकार का घाटा हुआ था तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने श्री हेतरामजी बेनीवाल के एक प्रश्न के जवाब में तिलम संघ के घाटे और घोटाले के ऊपर जाँच करने का यहाँ पर आश्वासन दिया था–

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मणसिंह : और उस वक्त घाटे और घोटालों में, जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं, श्री मीठालालजी मेहता पर आरोप लगे थे, वे आरोप आज भी स्टेंड करते हैं–

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मणसिंह : तो क्या मुख्य मंत्रीजी ने वह जाँच करवायी थी? अगर जांच करवायी होती तो वे घाटे और घोटाले रुक सकते थे। यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। उपाध्यायजी।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि इस संघ की हिस्सा राशि इक्यावन करोड़ सड़सठ लाख और कुछ हजार है जिसके अन्दर आज दिन तक, ऐसे शुभ मुहूर्त में यह शुरू हुआ है कि आज दिन तक अड़तालीस करोड़, पचपन लाख और कुछ हजार घाटा पहुँच गया है। मतलब 96 प्रतिशत इसका घाटा पहुँच गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर छोटी-मोटी कोई सहकारी संस्था हो, ग्राम सेवा सहकारी समिति हो या और कुछ, उनके संचालक मंडल के माननीय सदस्यों से, उनकी जो निजी परिसम्पत्तियाँ हैं, उनको बेच करके आडिट के आधार पर उनसे वसूल किया जाता है। मंत्री महोदय, सारा इन्टेलीजेन्स और एक्सपर्टाइज, मद्रास के सज्जन भी इसमें हैं और पता नहीं कौन-कौन लोग इसमें हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कौन-कौन महानुभाव इसके अध्यक्ष और एम.डी. रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने बताया नहीं, अब बताने का कष्ट करेंगे।

मैं तो एक प्रश्न यह निवेदन करना चाह रहा हूँ कि क्या 74 के सभी सैक्शन इन पर लगाकर जैसे दूसरे सहकारी संस्थाओं के सदस्यों से और संचालक मंडल के माननीय सदस्यों से राशि वसूली जाती है, उनसे वसूल करेंगे? नम्बर एक। नम्बर दो, यह निवेदन करना चाहता हूँ 967 तेल उत्पादक सहकारी

(18)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

संस्थाएँ हैं। उनमें से एक भी व्यक्ति इसके संचालक मंडल में नहीं है तो क्यों नहीं है? तीसरी बात यह निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो बाइ-लॉज हैं, 8(2) के तहत 3 वर्ष तक संचालक मंडल, प्रथम संचालक मंडल चालू रहता है और उसके बाद सरकार समय-समय पर बढ़ा देती है। क्या सरकार ने 96 प्रतिशत घाटा देने वाले संचालक मंडल को सबसे अधिक कुशल संचालक मंडल मानकर के 1990 से लेकर आज तक उसको चालू कर रखा है? और चौथी बात मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, श्रीमान्, कि इसको उबारने के लिए क्या करेंगे? तेल दे दिया एक किलो, दो किलो, दस किलो जो भी कुछ है। तो इसको उबारने के लिए क्या कुछ करेंगे?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, उपाध्याय साहब से एक निवेदन करता हूँ कि जिस समय वे को-ऑपरेटिव मिनिस्टर थे उस समय का भाषण पढ़ लें तो इसका उत्तर मिल जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई सरकारी मुख्य सचेतक महोदय...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप क्या चाह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वे अपना भाषण पढ़ लें तो इसका उत्तर मिल जाएगा। (व्यवधान) और ये गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल में (व्यवधान) यह को-ऑपरेटिव का दुर्भाग्य है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप का इसमें क्या काम? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) यह सरकार के ऊपर+ + + है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप (व्यवधान) वे उत्तर दे रहे हैं, बीच में आप खड़े हो गये।...(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सहकारी व्यवस्था का + + + है और इसलिए ऐसी व्यवस्था पर इसको डाइल्यूट न करें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य सचिव, श्री मीठालालजी मेहता का इसमें विशेष रूप से हाथ रहा है। उनके ऊपर आरोप की अंगुली अभी भी उठी हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। वे जवाब दे रहे हैं, पहले उनको सुन लो आप।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चार सप्लीमेंट्री प्रश्न प्रश्नकर्ता ने पूछे हैं...

श्री अध्यक्ष : इसलिए जवाब दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं चाहता हूँ कि चारों का कोई स्पेसिफिक जवाब दे दें। बाद में फिर माननीय सदस्य और सप्लीमेंट्री पूछना चाहें तो उसके उपरान्त पूछें।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सप्लीमेंट्री अलाउ करें (व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय श्री उपाध्यायजी ने जो प्रश्न पूछे हैं, यह तिलम संघ की उपज आप ही की थी....

श्री रामनारायण चौधरी : गलत क्या है ?

श्री सुजानसिंह यादव : और कोटा में सोयाबीन का जो प्लांट लगा है..

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी कोई कल्पना की उपज थी तो उसका मतलब यह नहीं कि उसमें 96 प्रतिशत घाटा हो और इतने शीर्षस्थ लोगों को उसमें बैठा दें।..(व्यवधान) यह कोई सवाल का जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये आप, यह बाद में दे देना आप उत्तर।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें आप क्या बुराई समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी को बात पूरी कहने दें आप।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक प्रश्न यह पूछा कि पहले संचालक मंडल में कौन-कौन सदस्य थे। उसमें 12 सदस्य थे और ये 12 सदस्य दिनांक 23.10.1990 को बनाये गये थे। उसमें शासन सचिव सहकारिता, दूसरे मैम्बर वित्त विभाग के प्रतिनिधि, तीसरे निदेशक कृषि, पांचवें पंजीयक सहकारी समितियाँ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य, दो विशेषज्ञ ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वापस नहीं (व्यवधान) वापस पूछा है माननीय उपाध्यायजी ने, वापस पूछा है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इन्होंने स्पेसिफिक.... (व्यवधान) नहीं, मैं सुन रहा था। स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे यह पूछा है इन्होंने, बाई-लॉज में इस बात का प्रावधान है, एक बाई-लॉज बनाया था इन्होंने कि कोई भी नोमिनेटेड बोर्ड है वह तीन वर्ष तक रहेगा। तीन वर्ष के बाद में निश्चित तौर पर उसके चुनाव होंगे। माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि तीन वर्ष का समय बीतने के बाद में बाई-लॉज के अनुसरण में आपने कार्यवाही क्यों नहीं की ? संचालक मंडल के कौन-कौन सदस्य हैं, यह बात तो आप पहले बता चुके हैं। (व्यवधान)....

श्री सुजानसिंह यादव : नहीं, नहीं, मैं आपको दूसरी बात अर्ज कर रहा हूँ..(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इन्होंने कहा, तीन वर्ष बीतने के बाद में आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, बात पूरी करने दें आप।

श्री सुजानसिंह यादव : जो आपने प्रश्न पूछा कि 966 सहकारी समितियाँ हैं उनके सदस्य इस संचालक मंडल में नहीं हैं। पहले यह संचालक मंडल के सदस्य बता रहा हूँ। यह थे, मगर राष्ट्रपति शासन के दरम्यान उनके सलाहकारों ने इस बोर्ड को भंग करके दूसरा बोर्ड नियुक्त कर दिया जिसके नाम मैं पहले बता चुका हूँ। अब जो पहले बोर्ड बना उसके 12 आदमियों के नाम बता रहा हूँ। ये थे..(व्यवधान) आप सुनने की चेष्टा तो करें। सातवाँ, जूड सिंह पुत्र श्री भभूतसिंह, अध्यक्ष, तिलम उत्पादक सहकारी समिति, पंचायत समिति सायला, जालौर सदस्य थे। श्री बनवारीलाल, अध्यक्ष, तिलम उत्पादक सहकारी समिति, कांकरवाड़ा, बीकानेर सदस्य थे। श्री ओम प्रकाश, अध्यक्ष, तिलम उत्पादक सहकारी समिति, ओजटू पंचायत समिति चिड़ावा, झुंझुनूं। श्री नाथूलाल नागर, अध्यक्ष, तिलम उत्पादक सहकारी समिति, किशनगंज, कोटा। श्री गुरजंटसिंहजी, माननीय मंत्री महोदय,

(श्री सुजान सिंह यादव)

अध्यक्ष, 13-जी, छोटी तिलम उत्पादक सहकारी समिति, श्रीगंगानगर।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वे तो मना कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री सुजानसिंह यादव : बारहवाँ, प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य तिलम संघ उत्पादक सहकारी संघ, जयपुर सदस्य-सचिव। ये 12 सदस्य थे। इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति शासन के दरम्यान हटाकर दूसरा संचालक मंडल बनाया गया जिस संचालक मंडल की अवधि 31.12.1996 तक है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : 74वाँ क्या हुआ, मंत्रीजी ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि 1990-91 में हानि हुई, 1991-92 में हानि हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में 24 मार्च, 1992 को माननीय (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि 1990-91 में भी नुकसान हुआ और 1991-92 में भी नुकसान हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 मार्च, 1992 को पेज 573 पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, यह लिखा है 1990-91 में इसी तिलम संघ में 3 लाख 42 हजार का लाभ हुआ और...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : 1991-92 में एक करोड़ 45 लाख रुपये लाभ हुआ। अध्यक्ष महोदय, सदन में दी गयी जानकारी अत्यन्त विश्वसनीय मानी जाती है। मुख्य मंत्रीजी ने 24 मार्च, 1992 को यह बताया कि 1990-91 में भी तिलम संघ को फायदा हुआ, 1991-92 में भी हुआ और मुख्य मंत्रीजी ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा जो अत्यन्त अहम् विषय था। आज माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि 1990-91 में भी नुकसान हुआ और 1991-92 में भी नुकसान हुआ, तो क्यों + + + ? (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ भ्रांति है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : भ्रांति नहीं है। + + +

श्री जगदीप धनखड़ : सदन का रिकार्ड है (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : आप सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये..... (व्यवधान) पूरी बात सुनिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सदन को अंधेरे में रखा है। गलत सूचनाएँ दी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरिसिंहजी, आप बिराजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवालों का जवाब तो दिलवाओ। मैंने प्रश्न किये हैं उनका जवाब दिलवाओ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनें, तिलम संघ से पहले तेल संस्थाएँ राजफैड द्वारा संचालित थीं और राजफैड और तिलम संघ के बीच डिस्प्यूट हुआ और

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुजानसिंह यादव)

घाटा बढ़ता गया, तो वे कहते थे कि 1.4.1990 से 31.12.1990 तक घाटा जो हुआ वह कौन भुगते? इसका आडिट नहीं हो पाया, आपस में डिस्प्यूट हुआ इसके बीच में। इस घाटे को बर्दाश्त कौन करे और 1.1.1991 से 31.12.1992 तक जो पीरियड था, उसमें मुख्य मंत्रीजी ने फायदा बताया, तिलम संघ की प्रोसेस तो चालू हुई 1.1.1991 से, वह घाटा राजफैड के मत्थे मँढ़ा गया था। उसके उपरान्त जो मुख्य मंत्रीजी ने विधान सभा में यह बात कही कि फायदा है तो जो 1.1.1991 से 31.3.1992 तक का जो भी फायदा हुआ वह उन्होंने बताया पर यह डिस्प्यूट था आपस में। इसके लेखे नहीं बन पाये, इस डिस्प्यूट के कारण से। अभी रजिस्ट्रार ने एक फैसला किया है अपने स्तर पर 7.2.1995 को, उनके डिस्प्यूट को निपटाने के लिए कि 1.4.1990 से 31.12.1990 तक जो भी कोई घाटा हुआ वह राजफैड को भुगतना पड़ेगा। यह कारण था। मुख्य मंत्रीजी ने यह बात उस स्थिति में सही कही थी, गलत नहीं कही थी...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप बात को छिपा रहे हैं...(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम मेरा जवाब तो दिलवाइये...(व्यवधान)......

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : घाटे को तो तिलम संघ के...(व्यवधान)......

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूँ कि उन्होंने 74 का किया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने पूरी बात कह दी है...(व्यवधान)...

नैक्स्ट, श्री विष्णुजी मोदी।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ। श्री विष्णु जी मोदी।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए यह तथ्य बताना चाहता हूँ, इससे गवर्नमेंट का फायदा होगा। करोड़ों रुपयों का घोटाला है इसमें। करोड़ों रुपये का घोटाला और इसमें...(व्यवधान)...आदमी जो यह थे...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु जी मोदी।

श्री राधेश्याम : करोड़ों रुपये का लॉस, जो चीज दो करोड़ रुपये की बननी चाहिए थी...(व्यवधान) उसके लिए 15 करोड़ रुपये खर्च किये गये तो ब्याज का लॉस लगेगा कि नहीं लगेगा?

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह जो...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा रखिये इस पर। आधे घंटे की चर्चा इस पर रखिये, कई चीजें सामने आएंगी।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) माननीय, बिराजिये आप।

श्री राधेश्याम : आप आधे घंटे की चर्चा रखिये इस पर...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आधे घण्टे की चर्चा कराओ...(व्यवधान)......

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 मार्च, 1992 को डिमांड संख्या 36 और 37 के ऊपर जब सदन में चर्चा चल

(श्री परसराम मदेरणा)

रही थी तो मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न उठाये थे। मुख्य मंत्रीजी सदन में उस वक्त उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उनकी एक मीटिंग थी सचिवालय में, जैसा कि मैंने प्रोसिडिंग्स पढ़ी अभी और आने के बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण में मुख्य मंत्रीजी ने जिस तिलम संघ की 1.1.1991 में स्थापित होने की बात आप करते हैं उन्होंने 1990-91 के अन्दर 103 लाख और कुछ हजार रुपये और 1991-92 के अन्दर एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये का लाभ हुआ है, यह बताया। अब, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह कह रहे हैं, क्योंकि जब यह तिलम संघ, राजफैड से तिलम संघ को अलग किया गया, उस वक्त अकाउण्ट्स तैयार नहीं हुए थे और अब फरवरी, 1995 में रजिस्ट्रार ने कोई फैसला कर दिया है, पहले का घाटा होगा, वह राजफैड के अकाउण्ट में जाएगा अगर वह घाटा राजफैड के अकाउण्ट में जा रहा है तो अभी आपने जो आंकड़े दिये हैं और मुख्य मंत्रीजी ने जो आंकड़े दिये हैं, वह लाभ में था, 1990-91 और 1991-92 में, तो मुख्य मंत्रीजी के कथन को आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर वह घाटा उधर चला गया तो फिर आप अब जो घाटा बता रहे हैं, 109 लाख का, यह कौनसा घाटा है और 1991-92 में आप 530 लाख का घाटा बता रहे हैं, फिर यह कौनसा घाटा है? अगर रजिस्ट्रार ने इसके ऊपर एडजुडिकेशन कर दिया, एक।

दूसरा, मैं यह निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी से, मुझे ऐसा दिखता है कि मुख्य मंत्रीजी को मिस-इन्फार्म किया है तिलम संघ के अधिकारियों ने और तिलम संघ की एक्जीक्यूटिव ने। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने हाउस को मिसलीड करने की बात की है। हो सकता है यह, मैं यह चाहूँगा कि मुख्य मंत्रीजी, चूंकि घाटे और फायदे की बात तो मुख्य मंत्रीजी तो यहाँ आडिट करते नहीं है, आडिट कोई नीचे हुआ होगा और उन आडिट करने वालों ने आपको कोई रिपोर्ट दी होगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आडिट करने के अन्दर चालाकी से यह फिगर्स का फजिंग किया गया है और उसके परिणामस्वरूप हाउस को आपने यह इन्फोर्म किया है और हाउस को सूचना देने के बाद में आज माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है, वह मुख्य मंत्रीजी के उत्तर को, इनके कथन को कंट्राडिक्ट करता है। मैं यह चाहूँगा, यह बहुत अहम मसला है, 50 करोड़ की हिस्सा पूँजी है से 48 करोड़ का जिसको घाटा चल रहा हो तो बेसिक प्रश्न यह है कि राजफैड से इसको सैपरेट करने के जो उद्देश्य थे, वे तमाम के तमाम आपके उद्देश्य धूल-धूसरित हो गये, धराशाही हो गये।

तीसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि प्रश्नकर्ता ने यह आपसे पूछा था कि अब इस स्थिति में, इसकी क्रिटिकल घाटे की स्थिति है, उसको सुधारने के आप क्या उपाय सोच रहे हैं। इसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया और क्योंकि यह बहुत इम्पार्टेंट प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, अपने नियमों में इस बात का प्रावधान है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस मामले के ऊपर आधे घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा करा लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मूव तो करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हाँ, आप मूव करिये तब ही देऊंगा।

कृषि प्रयोजनार्थ इजरायली तकनीक

63. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

वर्ष 1994 में मुख्य मंत्रीजी की इजराइल यात्रा के पश्चात् राज्य में कृषि प्रयोजनों के लिए इजरायली तकनीक अपनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

अध्यक्ष महोदय, समय इतना कम है। जवाब मंत्री महोदय ने दिया है, वह मैंने पढ़ लिया हैं, उस पर मैं सीधे ही सवाल पूछूँ, अगर आप कहें तो...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : पढ़ने दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : हाँ, जवाब तो मैंने पढ़ लिया है। ये समय लेंगे, इसके बजाय मैं सीधे ही सवाल कर लेता हूँ।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें अब...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने चार लाइन का सवाल पूछा था कि क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994 में मुख्य मंत्री की इजराइल यात्रा के पश्चात् राज्य में कृषि प्रयोजनों के लिये इजरायली तकनीक अपनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है, उसमें कहा गया है कि स्प्रिंकलर पर हम अनुदान दे रहे हैं तो...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : जवाब सुन तो लीजिये पहले।

श्री अध्यक्ष : माननीय, सुनिये।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञान सिंह चौधरी): वर्ष 1994 में मुख्य मंत्रीजी की इजराइल यात्रा के पश्चात् राज्य में कृषि प्रयोजनों के लिए इजरायली तकनीक अपनाने के सम्बन्ध में निम्न कदम उठाये गये हैं : —

(i) प्रदेश में इजराइल के सहयोग से जोजोबा की खेती को प्रोत्साहित करने व जोजोबा के मॉडल प्लांटेशंस का विकास करने हेतु एक सोसायटी एसोसियेशन ऑफ दी राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एण्ड रिसर्च प्रोजेक्ट का गठन किया गया है। इजरायली तकनीक से जोजोबा प्लांटेशन के विकास हेतु जयपुर जिले के ढंड ग्राम में 54.5 हैक्टेयर भूमि तथा सीकर के फतेहपुर ग्राम में 70 हैक्टेयर भूमि आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(ii) राज्य के जल संसाधनों के संग्रहण, संचालन एवं प्रवन्ध के विषय में एक एकीकृत नीति बनाने के लिये मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय जल संसाधन परिषद् का गठन दिनांक 25.8.1994 को किया गया है।

(iii) राज्य में पानी की बचत हेतु सिंचाई की आधुनिक प्रणाली जैसे स्प्रिंकलर व ड्रिप इर्रिगेशन के उपभोग में आशातीत वृद्धि हुई है। वर्ष 1993-94 में जहाँ कुल 5416 फव्वारा सैटों पर अनुदान उपलब्ध कराया गया था, वहीं इस वर्ष 1994-95 में उससे ढाई गुना लगभग 12,000 फव्वारा सैटों पर अनुदान उपलब्ध कराया गया है। अगले वर्ष 20,000 फव्वारा सैट लगवाये जायेंगे। बूँद-बूँद सिंचाई पद्धति के विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जिस होहोबा एसोशियेसन की यह बात कर रहे हैं, मेरा यह पाइंटेड प्रश्न है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप। पूरा उत्तर सुनिये आप। उत्तर देने दीजिये।...(व्यवधान)...

(22)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : फिर टाइम खतम हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : उत्तर होने दीजिये। पहले उत्तर होने दीजिये। माननीय, आप बिराजिये, समय जा रहा है, आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, मैं तो सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूँ कि...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : होहोबा एसोसिएशन में...(व्यवधान)...जो शंकर गुप्ता है. (व्यवधान)... उसमें कितना सीड दिया और जो...

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं करें आप। मंत्रीजी का अंकित करें, दूसरी बात अंकित नहीं होगी। पहले मंत्रीजी का जवाब सुनें आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री ज्ञान सिंह चौधरी : (iv) आधुनिक कृषि को राज्य में विकसित करने की दृष्टि से टिशु कल्चर एवं फ्लोरीकल्चर को उद्योग का दर्जा दिया गया है ताकि टिशु कल्चर एवं फ्लोरीकल्चर पर आधारित उद्योगों को वही अनुदान दिया जा सके जो शत-प्रतिशत एक्सपोर्ट ओरियन्टेड इकाइयों को दिया जाता है।

(v) राज्य में सीमित जल संसाधनों के संचय एवं उचित प्रयोग करने की दृष्टि से पारम्परिक जल स्रोतों जैसे जोहड़ों, खड़ीनों, नाड़ियां आदि के पुनरुद्धार के बारे में सुझाव देने हेतु एक टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है।

(vi) इजरायली कृषि प्रणाली के अध्ययन हेतु राज्य के चयनित 20 कृषकों को प्रशिक्षण के लिये इजराइल की यात्रा हेतु 20,000 रुपये प्रति किसान अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये अब। प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : चेयर ने मुझे कहा है। मैं एक पाइंटेडली क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो होहोबा एसोसिाश्सन का यहाँ जिक्र किया इस होहोबा एसोसियेशन में कोफेपोसा में लिप्त शंकर गुप्ता क्रिमिनल...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ, बिराजिये आप।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालय

61. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद औषधालयों की भारी मांग है? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में कितने-कितने औषधालय खोले गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ एलोपैथिक चिकित्सा की सुविधाएँ अनुपलब्ध है वहाँ सरकार अधिक संख्या में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हाँ। वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक (गत पाँच वर्षों में) नवीन स्वीकृत किये

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

गये औषधालयों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हाँ। 1995-96 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही आदिवासी क्षेत्रों में औषधालय खोलने हेतु विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति/जनजाति के पदोन्नत कर्मचारी/अधिकारी

88. श्री जगतार सिंह (श्रीकरणपुर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय में कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ2(1) का/क-2/85 दिनांक 9-7-85 की पालना में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नियुक्ति तथा पदोन्नति की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या वर्ष 1990-91 से दिनांक 28-2-95 तक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सहायक से अनुभागाधिकारी, अनुभागाधिकारी से सहायक सचिव तथा सहायक सचिव से उप सचिव के पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों/ अधिकारियों को पदोन्नति दी गयी है? यदि हाँ, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कार्मिक (क-5) विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 9(12) मा/क-5/74 दिनांक 10-2-1975 एवं 3-9-1975 की पालना में उपरोक्त वर्षों की डी.पी.सी. द्वारा अण्डर रिव्यू एण्ड रिवीजन के तहत भी पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों का चयन कर पदोन्नति दी गयी है? यदि हाँ, तो वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कार्मिक (क-4/2) विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ. 2(8) का। क-4/2/94, एवं 31-1-1995 के द्वारा जो आदेश तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 2-2-1995 के द्वारा सहायक से अनुभाग अधिकारी के पद की वर्ष 1994-95 की लम्बित डी.पी.सी. दिनांक 30-1-1995 को आयोजित कर आदेश जारी किये हैं? यदि हाँ, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को सहायक से अनुभागाधिकारी के पद पर पदोन्नति में 100 पाइन्ट रोस्टर की पालना की गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 की उक्त पदोन्नति से सम्बन्धित तीनों आदेशों मे अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को सहायक से अनुभागाधिकारी के पद पर पदोन्नति रिक्तियों की पांच गुणा सीमा के आधार पर पात्रता सीमा मान कर दी गयी है?

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 की उक्त डी.पी.सी. हेतु रिक्तियों की पांच गुणा सीमा में सहायक के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारी पात्रता सीमा में आते थे? यदि हाँ, तो उन्हें पदोन्नति से वंचित क्यों रखा गया?

(7) क्या यह सही है कि कार्मिक (क-4/2) विभाग ने अपने पत्र क्रमांक एफ2(7) कार्मिक/क-4/2/93 दिनांक 3-8-1994 के द्वारा महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार, जयपुर से नियम सम्मत राय प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो उसमें क्या राय प्राप्त हुई? पत्र दिनांक 3-8-1994 एवं प्राप्त राय की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो बिना

(श्री जगतारसिंह)

राय प्राप्त हुये ही पदोन्नति से सम्बन्धित उक्त तीन आदेश क्यों जारी किये गये?

(8) क्या सरकार नियम-विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उप सचिव, सहायक सचिव एवं अनुभागाधिकारियों के पदों पर पदोन्नतियाँ राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। वर्ष 1990-91 से 28.2.95 तक विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार उक्त पदों पर अ.जा. व अ.ज.जा. के पदोन्नत किये गये अधिकारियों की सूची पटल पर रख दी गयी है (परिशिष्ट-क)।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा रिव्यू एण्ड रिवीजन की सूची राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार की जाती है एवं उक्त सूचियों के अन्तर्गत पदोन्नतियाँ दी जाती हैं। वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक रिव्यू एवं रिवीजन आधार पर पदोन्नत किये गये अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है (परिशिष्ट-ख)।

(3) सहायक से अनुभागाधिकारी के पदों पर वर्ष 1994-95 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गयी व चयनित व्यक्तियों के पदोन्नति आदेश राज. सेवा नियम, 1954 के प्रावधानुसार दिनांक 31.1.95 को जारी किये गये हैं। आदेशों की प्रतियाँ सदन के पटल पर रख दी गयी हैं (परिशिष्ट-ग)।

(4) उपरोक्त आदेशों में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 के नियम 7 (सी)।

(5) वर्ष 1994-95 के लिए अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों का रिक्तियों के पांच गुणा के आधार पर पात्रता सीमा मान कर दी गयी है। वर्ष 1994-95 की रिक्तियों के विरुद्ध अ.जा. के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं था।

(6) वर्ष 1994-95 की विभागीय पदोन्नति समिति हेतु रिक्तियों के तीन गुणा आधार पर तैयार की गयी पात्रता सूची में अ.जा. के कर्मचारियों का नाम सम्मिलित किया गया है। अ.जा. के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होने के कारण रिक्तियों के पांच गुणा आधार पर पात्रता निर्धारण अपेक्षित नहीं था। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(7) पत्र क्रमांक 2(7) कार्मिक/क-4/2/93 दिनांक 3.8.94 के पत्र द्वारा महाधिवक्ता से सहायक शासन सचिव पद पर वर्ष 1993-94 की रिक्तियों पर आरक्षण का, जो लाभ दिये जाने बाबत है, राय प्राप्त करने हेतु लिखा गया था परन्तु इस पत्र को वापिस ले लिया गया है।

(8) प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है, अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(सूचियाँ एवं प्रतियाँ विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में संचालित देशी शराब की दुकानें

89. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में देशी शराब की दुकानें किन-किन स्थानों पर संचालित करने की अनुमति सरकार द्वारा दी हुई है?

(2) क्या यह सही है कि कुछ दुकानें बिना अनुमति के भी संचालित हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ और सरकार ने उन्हें हटाने के क्या प्रयत्न किये?

(3) सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, देवस्थान, सब्जी मार्केट, औषधालय आदि से कितनी दूरी रख कर शराब की दुकानें चलाने की अनुमति प्रदान की जाती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में देशी मदिरा की निम्नांकित दुकानें संचालित करने की अनुमति दी हुई है :—

(1) बेगूं, (2) सामरिया, (3) काटूंदामोड़, (4) प्रेमनगर, (5) मेघनिवास, (6) राजगढ़, (7) डोराई, (8) पारसोली, (9) भिछोर, (10) नदवई, (11) तेजपुर, (12) चेची (13) उप दुकान बेगूं नं 2, (14) उप दुकान धारला, (15) रावतभाटा, (16) तमलाव, (17) भैंसरोड़गढ़, (18) बड़ोदिया, (19) जावदा, (20) बोराव, (21) धावद, (22) एकलिंगपुरा, (23) टाऊनशिप, (24) जवाहर नगर, (25) चावदा, (26) चारणों की झोपड़ियाँ, (27) उप दुकान एन.टी.सी. गेट, (28) उप दुकान श्रीपुरा, (29) उप दुकान तंबोलिया।

(2) जी, नहीं। लेकिन जब कभी अवैध रूप से मदिरा विक्रय की शिकायतें/जानकारी प्राप्त होती है तो विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) इस बाबत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 में प्रावधान विद्यमान है जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

जिला सैनिक बोर्ड, भरतपुर का लम्बित पेंशन प्रकरण

90. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्रह्मजीत पुत्र श्री हीरा, ग्राम बरौली चौथ तहसील डीग जिला भरतपुर का पेंशन प्रकरण कई वर्षों से लम्बित चल रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण को जिला सैनिक बोर्ड, भरतपुर द्वारा कई बार सरकार को भेजा गया है? यदि हाँ, तो अब उक्त प्रकरण का कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री ब्रह्मजीत ने द्वितीय विश्वयुद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी जिसका इनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला है? इसमें सरकार अब क्या करने जा रही है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पूर्व सवार नं. 5874 ब्रह्मजीत का पेंशन प्रकरण लम्बित नहीं है, क्योंकि पूर्व सैनिक की सैन्य सेवा मात्र 4 वर्ष 8 माह होने से पेंशन योग्य सेवा नहीं थी।

(2) जी, नहीं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, भरतपुर ने उक्त सैनिक का पेंशन प्रकरण कभी नहीं भिजवाया था, क्योंकि पूर्व सैनिक की सैन्य सेवा पेंशन योग्य ही नहीं थी, इसलिए पेंशन स्वीकृत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी, हाँ। पूर्व सैनिक ब्रह्मजीत ने द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लिया था, परन्तु

26

(मुख्य मंत्री)

सैन्य सेवा कम होने से इन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया गया था। द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले सभी सैनिकों को पेंशन स्वीकृत करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

उदयपुर शहर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत अतिक्रमण

91. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के मध्य से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 गुजरता है? यदि हाँ, तो क्या इस राजमार्ग के आस-पास की भूमि पर गाड़िया लुहार या अन्य घुमक्कड़ जातियों के लोग अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं?

(2) क्या इस प्रकार के अनधिकृत कब्जों के फलस्वरूप उदयपुर शहर में राजमार्ग पर आये दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं? यदि हाँ, तो जिला प्रशासन ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किये हैं?

(3) क्या मीरा गर्ल्स कॉलेज, एम.बी. कॉलेज, हिरणमगरी सैक्टर-4 फतहपुरा चौराहा शिक्षा भवन के स्कूल प्रताप नगर आदि सघन बस्ती क्षेत्रों के पास राजमार्ग के किनारे गाडोलिया लुहार एवं अन्य घुमक्कड़ जातियों के लोगों के अनधिकृत कब्जा करके रहने की जानकारी प्रशासन को है? यदि हाँ, तो इस समस्या के निराकरण के क्या उपाय प्रशासन द्वारा किये गये?

(4) क्या सरकार के पास इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जों को हटाकर इन्हें अन्यत्र स्थाई रूप से बसाने की कोई वैकल्पिक योजना है? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हाँ। उक्त राजमार्ग पर गाड़िया लुहार व अन्य घुमक्कड़ जातियों के लोग अनाधिकृत कब्जा कर रहे थे, जिन्हे यहाँ से न्यास द्वारा हटवा दिया गया है।

(2) अनधिकृत कब्जों में राजमार्ग नं. 8 पर दुर्घटनाएँ हो रही थी, अतः इन अनधिकृत आधिपत्य को न्यास द्वारा हटा दिया गया है।

(3) जी, हाँ। इन अनधिकृत कब्जों के बारे में प्रशासन को जानकारी है। मीरा गर्ल्स कॉलेज, के सामने एम.बी.कॉलेज, के पास, हि.म. से. 4, फतहपुरा चौराहा के अनधिकृत कब्जा न्यास द्वारा हटा दिये गये हैं। इनको न्यास द्वारा व्यवस्थित रूप से बसाया जा रहा है।

(4) जी, हाँ। इनको हटाकर न्यास की भुवाणा योजना (चित्रकूट नगर) में सुव्यवस्थित तरीके से बसाया जा रहा है।

अपंग/वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति

92. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि युद्ध में वीरगति प्राप्त और पूर्ण रूप से अपाहिज (अपंग) हुए जवानों के परिवार के दो सदस्यों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में राज्य सेवा में लेने का नियमों में प्रावधान है? यदि हाँ, तो उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नियमों के तहत सरकार नियुक्तियाँ दे रही हैं? यदि हाँ, तो गत दो वर्ष में उक्त प्रकार के सैनिकों के नियुक्त आश्रितों की सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हाँ। राज्य सरकार के आदेश

(मुख्य मंत्री)

संख्या प-8(108) श्रनि/76 दिनांक 29-10-76 के तहत युद्ध में अपंग हुए जवानों के परिवार के दो सदस्यों तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में नियुक्ति देने हेतु प्राथमिकता देने का प्रावधान है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हाँ। विगत दो वर्ष में उक्त श्रेणी के सैनिकों के 3 आश्रितों को नियुक्तियाँ दिलायी गयी हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

मनोरंजन कर से आय

93. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य को गत तीन वर्षों में मनोरंजन कर से कितनी आय प्रत्येक वर्ष में हुई है?

(2) क्या यह सही है कि जून, 1994 में दिल्ली में हुए सूचना मंत्रियों के एक सम्मेलन में फिल्मों पर मनोरंजन कर समाप्त करने के प्रश्न पर विचार हुआ था? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्मेलन में व्यक्त विचारों के अनुसार मनोरंजन कर समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया है? यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

उत्तर

(1) मनोरंजन कर की आय गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आय
1991-92	14.76 करोड़
1992-93	16.21 करोड़
1993-94	17.60 करोड़

(2) जून, 1994 में नयी दिल्ली में राज्य के समस्त सूचना मंत्रियों के 21वें सम्मेलन में फिल्मों पर राज्यों द्वारा लगाये जा रहे मनोरंजन कर पर विचार किया जाकर यह मत प्रकट करना बताया गया है कि मनोरंजन कर की दरों में कमी की जानी चाहिए तथा राज्यों द्वारा मनोरंजन कर के तहत प्रशमन योजना चालू की जानी चाहिए। वर्तमान राज्य सरकार का कर दर कम करने का विचार नहीं है किन्तु मनोरंजन कर के तहत प्रशमन की योजना राज्य में पहले से ही प्रचलित है।

बगरू कलाँ (जयपुर) में कृषि भूमि पर नाजायज कब्जे

94. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांगानेर जिला जयपुर में बगरू कलाँ के अनुसूचित जाति के परिवारों की ओर से सीमा ज्ञान कराने सम्बन्धी वर्ष 1993 से अब तक कितने प्रार्थना-पत्र कब-कब प्राप्त हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के पास छोटू सामोता, गौरु कुम्हार एवं स्व. रामदेव रैगर के अनुसूचित जाति के परिवारों के द्वारा कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई? क्या प्राप्त शिकायतों के आधार पर भूरा, पेमाराम, लक्ष्मीनारायण, रामधन की कृषि भूमि का सीमा ज्ञान कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या ठाकुर श्री किरत सिंह एवं गौरु कुम्हार के नाम बगरू में हनुमान जी का मन्दिर, सावां की बगीची के सामने छोटू सामोता नाम से पहले कृषि भूमि आवंटित है? यदि हाँ, तो क्या गौरू कुम्हार की कृषि भूमि आवंटन पर्चे के हिसाब से छोटू सामोता जाट का नाजायज कब्जा है?

(28)

(श्री भीखा भाई)

(4) क्या छोटू सामोता जाट ने अनुसूचित जाति के भूरा, पेमाराम, लक्ष्मीनारायण, रामधन की कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जा मकान एवं नौ दुकान बना कर किया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार पर्चे के अनुसार अनुसूचित जाति के परिवारों की कृषि भूमि से अतिक्रमण हटाकर उन्हें कब्जा दिलाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1993 से अब तक तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जो निम्नानुसार हैं :—

1—श्री मोहरू, रूपनारायण हीरालाल, छोटू, सीताराम पुत्र डालू रैगर। 30-11-93

2—श्री कैलाश पुत्र हरदेव रेगर। 30.11.93

3—श्री मेवाराम पुत्र पन्नाराम खटीक 7.3.94

(2) जी, हाँ यह सही है। शिकायतकर्ता से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर सीमा ज्ञान नहीं कराया जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ता ने राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 34 (iii) के अनुसार विहित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ना ही नियमानुसार राजकोष में राशि ही जमा की है।

(3) ग्राम बगरू कलाँ में हनुमान जी के मंदिर सावां की बगीची के सामने छोटू पुत्र श्योबक्ष जाति जाट सामोता की खातेदारी भूमि दर्ज है। ठाकुर किरतसिंह एवं गौरु कुम्हार के नाम बगरू के रिकार्ड के अनुसार बताये गये स्थान पर कोई भूमि नहीं है। इस प्रकार छोटू सामोता द्वारा कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया गया है।

(4) जी, नहीं। छोटू सामोता जाट द्वारा अनुसूचित जाति के भूरा, पेमाराम, लक्ष्मीनारायण, रामधन की कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर मकान व नौ दुकानें नहीं बनायी गयी हैं। इसलिए अतिक्रमण नहीं हुआ है। बल्कि छोटू सामोता जाट द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नं. 3426 रकबा 6 बिस्वा, 3427 रकबा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं. 5847 गैमु.आबादी दर्ज है में नगर पालिका, बगरू से 9 दुकानें निर्माण की आज्ञा प्राप्त कर निर्माण किया गया है।

ग्राम धागड़वास (पाली) में सेवज के तहत दर्ज भूमि

95. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) ग्राम धागड़वास, तहसील सोजत जिला पाली में कौन-कौनसे खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि सेवज के तहत दर्ज है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इसकी राजस्व दर से कितनी बिघोड़ी बनती है?

(3) क्या यह सही है कि इसके आसपास के गाँवों में भी इसी किस्म या इससे अच्छी भूमि बारानी के तहत ही दर्ज है, जिससे उनकी बिघोड़ी माफ हो गयी है?

(4) क्या सरकार वहाँ के किसानों को सरकार की नीति का लाभ देने और इसकी किस्म को दुरुस्त कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सम्वत् 2050 से 53 की खतौनी के अनुसार ग्राम धागड़वास तहसील सोजत में 624 खसरा नम्बरों की 766.45 हैक्टेयर भूमि लगान 5365.00 सेवज दर्ज है। खसरावार सूची संलग्न है।

(2) सेवज की राजस्व दर 7.00 रुपये प्रति हैक्टेयर है। जिससे 766.45 हैक्टेयर का लगान 5365.00 रुपये है।

(राजस्व मंत्री)

(3) हाँ, यह सही है कि ग्राम धागड़वास के आसपास के गाँवों में ऐसी भूमि स्थित है। गाँवों में भूमि की किस्म का वर्गीकरण भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है तथा बारानी लगान, किस्म की भूमि का राजस्व, राज्य सरकार के आदेशानुसार माफ है।

(4) भूमि का वर्गीकरण भू-प्रबन्ध आपरेशन के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है। दुरुस्ती का कार्य अगला भू-प्रबन्ध आपरेशन के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम धानु गाँव (नैनवाँ) में पटवार क्वार्टर का निर्माण कार्य

96. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 में ग्राम धानुगांव (तहसील नैनवां) में पटवार क्वार्टर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था? यदि हाँ, तो सरकार इसे कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी, हाँ। वर्ष 1990-91 में पटवार भवन का निर्माण कार्य जवाहर रोजगार योजना (अकाल राहत) के तहत प्रारम्भ करवाया जाकर नींवें खोदी गयी थी। इस पटवार घर को पूर्ण करवाये जाने हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर से बजट की मांग की जा रही है। बजट प्राप्त होते ही पटवार घर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण कर लिया जायेगा।

जीणमाता निमेड़ा संयुक्त कृषि सहकारी समिति, दांतारामगढ़

97. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गाँव निमेड़ा तहसील दांतारामगढ़ में जीणमाता निमेड़ा संयुक्त कृषि सहकारी समिति के पास पूर्व में कुल कितने बीघा कौन-कौन से खसरा नम्बर की भूमि थी और अब कौन-कौन से खसरा नम्बर की भूमि है? यह समिति कब से अस्तित्व में है और क्या यह समिति अब भी कार्यरत है? इसके वर्तमान/अन्तिम बार सचिव तथा अध्यक्ष एवं सदस्य कौन-कौन हैं?

(2) क्या उक्त समिति द्वारा राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में वाद प्रस्तुत किया गया था? यदि हाँ, तो कब और किसके द्वारा? बोर्ड के विनिर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम निमेड़ा, तहसील दांतारामगढ़ में जीण माता निमेड़ा संयुक्त कृषि सहकारी समिति, के पास भूमि खसरा नम्बर 97, 105/2, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162, 169, 214, 219, 226, 227, 228, 229, 117/255, 153/256 तथा 139/266 कुल किता 23 की भूमि 608 बीघा 12 बिस्वा का खाता जरिये नामान्तरण संख्या 55 दिनांक 4-6-76 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में हुआ। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त सहकारी समिति के खाते में कुल खसरा नं. 23 की भूमि 164.05 हैक्टेयर (648 बीघा 12 बिस्वा) भूमि दर्ज है। यह समिति 3-3-1964 से अस्तित्व में है। वर्तमान में यह समिति कार्यरत नहीं है। इसके वर्तमान/अन्तिम वाद सचिव श्री भंवर सिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी जीणमाता है।

(30)

(राजस्व मंत्री)

वर्तमान में एस.बी.सिरि. पिटीशन 2232/73 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार में सम्बन्धित रिकार्ड भेजा होने के कारण सदस्यों की सूची प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(2) जी, हाँ। वाद श्री भंवरसिंह पुत्र गणपतसिंह, राजपूत निवासी जीणमाता द्वारा किया गया था। निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(निर्णय की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पुजारियों की खातेदारी भूमि मन्दिरों के नाम करने का निर्णय

98. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूँ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या राज्य में मंदिरों के नाम से जो खातेदारी की भूमि थी उसको पुजारियों ने अपने नाम खातेदारी करा ली थी जिसको पुनः मन्दिरों के नाम कराने का सरकार ने निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो कब और अब तक इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने अपने उक्त निर्णय में कोई परिवर्तन किया है? यदि हाँ, तो क्या और कब तथा इस समय इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

(3) उक्त भूमि में से जिस भूमि को पुजारियों ने लोगों को बेच दिया उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

(4) उक्त भूमियों में से जो भूमि दूसरे लोगों के कब्जे काश्त में है, उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

(1) मूर्ति मंदिर के नाम की कृषि भूमि को पुजारियों के नाम अवैध रूप से राजस्व अभिलेख में खातेदारी में अंकित किये जाने को दुरुस्त किये जाने हेतु राजस्व मण्डल में रेफरेन्स के निर्देश परिपत्र क्रमांक 13(19)/राज/1/81 दिनांक 28.7.81 द्वारा जारी किये गये हैं। इसी प्रकार दिनांक 13-12-91 को परिपत्र जारी कर मूर्ति की भूमि से अन्य के नाम को निरस्त करने बाबत जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये गये। उक्त परिपत्र की प्रतियाँ संलग्न हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) उत्तर के भाग एक के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हुए हैं।

(4) ऐसे मामलों में भूमि के मन्दिर के नाम करने की कार्यवाही की जाती है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

उप खण्ड अधिकारी, नैनवां द्वारा निर्णित वाद

99. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या उपखण्ड अधिकारी, नैनवां द्वारा 30 जून, 1992 से 28 जून, 1994 तक की अवधि में राजस्व वादों एवं कार्यवाही में निर्णय किये हैं? यदि हाँ, तो ऐसे निर्णयों का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में निर्णित दावा एवं कार्यवाही में सरकार को भी पक्षकार बनाया गया था? यदि हाँ, तो कितने वादों में एवं किस हैसियत से? राजस्व भूमि के विवरण सहित ग्रामवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस प्रकार के निर्णयों की राजकीय अभिभाषक/पैरोकार से समीक्षा करवायी गयी है। यदि नहीं, तो क्यों तथा अब तक समीक्षा करवायी जाकर अपील योग्य मामलों में अपीलें पेश कर दी जाएगी?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हाँ। निर्णयों के माहवार विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त अवधि में निर्णित 170 दावों/कार्यवाहियों में 148 मामलों में राज्य सरकार केवल औपचारिक रूप से पक्षकार थी, तथा सरकार का उनमें कोई हित निहित नहीं था। शेष 22 मामलों में राज्य सरकार प्रभावित पक्षकार थी। इन 22 मामलों में से 4 में निहित राजस्व भूमि का विवरण सूची के क्रम संख्या 27, 35, 86, 90 पर कॉलम संख्या 9 में उपलब्ध है। कुछ मामले अपीलेट कोर्ट में विचाराधीन हैं।

(3) संलग्न सूची के क्रम संख्या 27, 35, 60, 68, 73, 86, 90, 93, 98, 118, 131, 133, 135, 138, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 एवं 164 में वर्णित कुल 22 मामलों जिनमें राज्य सरकार प्रभावित पक्षकार थी, की पैरोकार सरकार द्वारा समीक्षा की गयी थी तथा क्रम सं. 98 व 118 में वर्णित 2 मामले अपील योग्य पाये जाने पर उनकी राज्य सरकार की ओर से सक्षम न्यायालय में अपील पेश की गयी थी। शेष 20 मामले अपील योग्य नहीं थे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

बाड़मेर जिले में विशेष आबंटन हेतु कृषकों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र

100. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इंदिरा गाँधी नहर परियोजना की उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नम्बर एक व दो में विशेष आबंटन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1992 में आम किसानों से 500-500 रुपये फीस देकर दरख्वास्तें माँगी गयी थी?

(2) इन दरख्वास्तों में बाड़मेर जिले के कितने किसानों की दरख्वास्तें जमा हुई हैं और उनमें से कितने किसानों को मुरब्बे अलाट हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के कई किसानों को हार्ड पेन (असिंचित) एरिया में विशेष मुरब्बे अलाट करके उनसे 35% राशि अग्रिम जमा करवायी गयी और प्रथम किस्तें भी वर्ष 1994 में जमा करा दी गयी हैं परन्तु पानी नहीं देने के आदेश दे दिये हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

(4) बाड़मेर जिले के ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ एक व दो में विशेष आबंटन भूमि की 35% राशि व प्रथम किस्त की राशि जमाकर कब्जे ले चुके हैं परन्तु बाद में हार्डपेन एरिया घोषित कर दिया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार जिन किसानों से रकम ले चुकी है उन किसानों को हार्डपेन एरिया की भूमि के बदले अन्य सिंचित स्थानों पर विशेष मुरब्बे आबंटन करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार ने जिन किसानों से सिंचित भूमि की रकम ले ली है उनको दो-दो तीन-तीन सालों तक न तो सिंचित एरिया में भूमि दी है और न रकम वापस लौटायी है? ऐसे किसानों को सरकार कब तक व क्या मदद देना चाहती है?

उत्तर

(1) जी, हाँ।

(2) बाड़मेर जिले के उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 1 म. 393 व मोहनगढ़ नं. 2 में 1812 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से

(उपनिवेशन मंत्री)

उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 1 में 186 व मोहनगढ़ नं. 2 के क्षेत्र में 457 किसानों को मुरब्बे अलाट हुए है जिनकी सूची संलग्न हैं।

(3) जी नहीं। कई किसान नहीं बल्कि उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ़ नं. 2 के क्षेत्र में बाड़मेर जिले के केवल 5 आबंटी जिन्होंने हार्डपेन (असिंचित) एरिया में विशेष आबंटन में मुरब्बे आवंटन कराकर 35% की राशि जमा करायी है और एक आबंटी ने प्रथम किस्त जमा करायी है, जिसकी सूची संलग्न हैं। हार्डपेन की भूमि पर पानी देने पर रोक लगाने का निर्णय निदेशक, समिति ने लिया था। अतः इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना विभाग द्वारा पानी नहीं दिया जाता है।

(4) जिला बाड़मेर का केवल एक काश्तकार उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 2 से सम्बन्धित है, जिसने 35% राशि के अलावा प्रथम किस्त की राशि जमा कराई है एवं जिसका रकबा हार्डपेन है। सूची संलग्न हैं।

(5) विशेष आबंटन में अधिसूचित भूमि को किसान मौके पर देखकर आबंटन का आवेदन प्रस्तुत करता है, तथापि उपनिवेशन क्षेत्र में आबंटित भूमि के विनिमय में भूमि प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होता है। विनिमय आदेश राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही किये जाते हैं, अतः यदि कोई व्यक्ति विनिमय में भूमि लेने का आवेदन करता है तो राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(6) जैसा भाग संख्या 5 के उत्तर में लिखा है, यदि कोई किसान विनिमय में भूमि लेना चाहता है, तो उस पर आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्णय लिया जाता है। जहाँ तक सिंचित भूमि के असिंचित पाये जाने पर रकम वापस लौटाये जाने का प्रश्न है, वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नियमों में नहीं है, परन्तु राज्य सरकार कमाण्ड भूमि आबंटन को अनकमाण्ड पाये जाने पर कमाण्ड-अनकमाण्ड के मूल्य के अन्तर की राशि को वापस लौटाने का प्रावधान नियमों में करने पर विचार कर रही है।

(सूचियाँ विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जिला नागौर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पद

101. श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कुल कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय कहाँ-कहाँ संचालित हैं? इनमें से कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने व कहाँ-कहाँ हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में भौतिक शास्त्र के व्याख्याताओं के कुल कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नागौर जिले में कुल 42 उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र/छात्रा) हैं। इनमें से 9 (नौ) कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) इन विद्यालयों में केवल 3 भौतिक शास्त्र के व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। जिनमें 2 पद छात्र तथा एक पद छात्रा विद्यालय में है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी, हाँ। वर्ष 1994-95 की विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशियों के उपलब्ध होने पर ही इन रिक्त पदों की पूर्ति यथा समय किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, झुन्झुनू में आयोजित शिविर

102. श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, झुन्झुनू में सत्र 1994-95 में ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की उत्तीर्ण प्रतिभावान छात्राओं के अध्ययन के लिए एक माह के शिविर का आयोजन करना था? यदि हाँ, तो कब से कब तक?

(2) क्या यह सही है कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों से अनुसूचित जाति की छात्राओं को उक्त शिविर के लिये बुलाया गया था तथा दो दिन बाद उन्हें स्वयं के खर्चे पर वापस भेज दिया गया?

(3) अनुसूचित जाति की छात्राओं का शिविर नहीं चलाने के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

(4) क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हाँ। दिनांक 20-05-94 से 18-06-94 तक।

(2) जी, हाँ। जिले की समस्त बालिका विद्यालयों की अनुसूचित जाति की छात्राओं के (ग्रामीण अंचल) शिविर में भाग लेने हेतु निर्देश जारी किये गये। 10 या 10 से अधिक छात्रा होने पर ही शिविर का आयोजन करने का प्रावधान है। दिनांक 20-05-94 को केवल मात्र 8 (आठ) छात्रायें शिविर में भाग लेने हेतु पहुँच पायी। अतः प्रावधान के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा शिविर स्थगित किया गया। शिविर में आने जाने का खर्चा उन्हें दे दिया जायेगा।

(3) शिविर निर्धारित प्रावधान के आधार पर स्थगित किया गया। अतः इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(4) जी, नहीं। शिविर स्थगित करने हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गिरवरपोल भीण्डर (उदयपुर) के विरुद्ध शिकायतें

103. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गिरवरपोल, भीण्डर, जिला उदयपुर के विरुद्ध विभाग को शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हाँ, तो किस-किस प्रकार की, कब-कब तथा विभाग द्वारा प्रत्येक पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? इनके सम्पूर्ण सेवाकाल (अब तक) की प्राप्त शिकायतों की प्रतियां तथा उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों की जाँच करवायी गयी? यदि हाँ, तो किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब-कब? जाँच रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त

39

(श्री दयाराम परमार)

प्रधानाध्यापक के विरुद्ध वर्तमान पदस्थापित विद्यालय में भी कार्य एवं व्यवहार तथा अन्य कई गंभीर अनियमितताओं, गबन आदि की शिकायतें जनप्रतिनिधियों / जनता / छात्रों / अध्यापकों द्वारा भी विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों की प्रतियाँ एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अध्यापक को वर्तमान विद्यालय से अविलम्ब स्थानान्तरित/निलम्बित कर जाँच कराने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गिरवरपोल, भीण्डर, के विरुद्ध जिला शाखा गिरवरपोल, भीण्डर के शिवसेना के अध्यक्ष की शिकायत विभाग में प्राप्त हुई ? प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ?

(2) जी, हाँ। प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी से जाँच करवायी गयी तथा जाँच के आधार पर सी.सी.ए. नियमों के तहत आरोप-पत्र दिया गया। आरोप-पत्र एवं जाँच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ?

(3) कोई अन्य गंभीर अनियमितता की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रधानाचार्य, राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी सादड़ी से जाँच करवायी जा चुकी है। स्थानान्तरण/निलम्बन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तथा न ही प्रधानाध्यापक को निलम्बित करने का कोई औचित्य है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

बीकानेर पंचायत समिति में चल रही लोक जुम्बिश परियोजना

104. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लोक जुम्बिश परियोजना का बीकानेर पंचायत समिति के लिए कब से शुभारम्भ किया गया तथा इसकी अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के सिंचित क्षेत्र की अधिकांश चक आबादियों में प्राथमिक शिक्षा अनौपचारिक की कोई व्यवस्था न होने से ग्रामीण जनों में बेहद रोष है ? यदि हाँ, तो सरकार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के गुरुतर संवैधानिक दायित्व के निर्वहन हेतु क्या त्वरित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के करीब सभी चकों में पढ़े लिखे नौजवान उपलब्ध हैं जिनको रोज़गार देकर प्राथमिक शिक्षा हेतु उपयोग किया जा सकता है ?

उत्तर

(1) लोक जुम्बिश परियोजना का कार्य बीकानेर विकास खण्ड में माह जुलाई, 1994 से प्रारम्भ किया गया है। कार्यालय की स्थापना उसमें कार्मिकों का चयन, एवं नियुक्तियाँ तथा संकुलों की स्थापना की गयी। खण्ड संचालन दल तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से परियोजना का कार्य 4 संकुलों (देशनोक, छतरगढ़, खाजूवाला, जामसर) में किया जा रहा है। वातावरण निर्माण 5 गाँवों में, बैंच मार्क सर्वेक्षण 21 गाँवों में, प्रेरक दल का चयन-1 दक्ष प्रशिक्षकों की पहचान हेतु 2 गोष्ठियों तथा महिलाओं की कार्यगोष्ठी आयोजित की गयी।

(2) पंचायत समिति बीकानेर में वर्तमान

(शिक्षा मंत्री)

में 50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा 14 गाँवों में शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत 36 विद्यालय एवं 36 प्रहर पाठशालाएँ संचालित हैं।

(3) राज्य में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995-96 में शिक्षा के प्रसार की योजना है। इसकी क्रियान्वति से बेरोजगार योग्यताधारी नौजवानों को वरीयता के आधार पर उपयुक्त अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

प्रधानाध्यापक, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, पंडेर (जहाजपुर) के विरुद्ध शिकायतें

105. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, पंडेर तहसील जहाजपुर के प्रधानाध्यापक की गतिविधियाँ एवं कार्यप्रणाली से विद्यालय में दुरावस्था बढ़ने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थीं? यदि हाँ, तो शिकायतों की प्रति तथा जाँच कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रधानाध्यापक मुख्यालय पर नहीं रहकर बिना स्वीकृति मुख्यालय छोड़कर प्रतिदिन निवास स्थान से आते-जाते हैं?

(3) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक के व्यवहार तथा अनुचित गतिविधियों में व्यस्त रहने से अध्यापकों में सामंजस्य नहीं होने से यहाँ व्याख्याता तथा अध्यापक नहीं रहना चाहते हैं और स्थानान्तरण के लिए प्रयासरत रहते हैं?

(4) क्या सरकार इस विद्यालय के दूषित वातावरण एवं स्टाफ के बढ़ते झगड़ों एवं अनावश्यक प्रवृत्तियों में विद्यालय को केन्द्र बनाने की स्थिति समाप्त कर शैक्षणिक वातावरण बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या कार्यवाही कब, किस प्रकार की जा रही है?

उत्तर

(1) जी, हाँ। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। जाँच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) समय-समय पर इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पश्चात् ही मुख्यालय त्यागते हैं।

(3) जी, नहीं। प्रधानाचार्य के विरुद्ध विद्यालय के स्टाफ सचिव से प्राप्त उक्त शिकायत की जाँच करवायी गयी, जाँच रिपोर्ट के अनुसार प्रधानाचार्य के द्वारा की गयी विद्यालय व्यवस्था एवं छात्र हित में प्रशासनिक कार्यवाही के कारण नाराज होकर शिकायत की गयी है।

प्रधानाचार्य के द्वारा सख्ती से अनुशासन की पालना कराने से इस विद्यालय के व्याख्याता तथा अध्यापक अप्रसन्न रहते हैं। जाँच-रिपोर्ट में प्रधानाचार्य का व्यवहार अनुचित नहीं पाया गया।

(4) जी, हाँ। जाँच में पाये दोषी अध्यापकों के विरुद्ध बोर्ड परीक्षा के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(जाँच रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्प्रिंकलर तथा ड्रिप इर्रिगेशन हेतु अनुदान

106. श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा अब तक कितने स्प्रिंकलर

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

तथा ड्रिप इर्रिगेशन हेतु अनुदान दिया गया है? वर्षवार एवं जिलावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने चालू हालत में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्प्रिंकलर व ड्रिप इर्रिगेशन के लिये दिये गये सैट से पहले विभाग ने उन किसानों के कुएं के पानी की ई.सी. तथा पी.एच. की जाँच करायी थी? यदि हाँ, तो विवरण दिनांकवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 से मार्च, 1995 (दिनांक 10.3.95) तक राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से 26,000 स्प्रिंकलर सैट पर अनुदान उपलब्ध कराया गया है। वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य सरकार ने अब तक कुल 330 ड्रिप इर्रिगेशन सैट हेतु अनुदान 86.79725 लाख रुपया दिया है। वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

कृषि विभाग द्वारा स्प्रिंकलर सैटों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित नहीं की जाती है।

(2) ड्रिप इर्रिगेशन सैटों में से कुल 317 चालू हालत में हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

स्प्रिंकलर सैटों के लिये यह जाँच नहीं करायी जाती है।

(3) ड्रिप इर्रिगेशन के लिये दिये गये सैट से पहले अधिकतर काश्तकारों के कुएं के पानी की ई.सी. तथा पी.एच. की जाँच करायी गयी है। जाँच उन्हीं कुएँ के पानी की की गयी है, जहाँ पानी की ई.सी. तथा पी.एच. अधिक होने की संभावना समझी गयी है। दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-3 पर दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में धागे की मिल की स्थापना में विलम्ब

107. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में सहकारी क्षेत्र में सूती धागे की मिल लगाने हेतु पूर्व में एकाधिक मुख्यमंत्रियों ने भूमि पूजन या शिलान्यास किया? यदि हाँ, तो कब-कब व किन-किन मुख्यमंत्रीगण द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिलान्यास या भूमि पूजन कार्य के पश्चात् अब तक उस योजना की क्रियान्वति नहीं हो पायी है? यदि हाँ, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना का पंजीकरण किया जाकर अनेक कपास उत्पादक कृषकों को सदस्य बनाया गया है? यदि हाँ, तो कुल कितने और कब-कब कितनी हिस्सा-राशि के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना की तुरन्त क्रियान्वति का सरकार का विचार है? यदि हाँ, तो कितनी क्षमता का एवं कब तक? इस सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हाँ। दिनांक 9.2.80 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने 600

(सहकारिता मंत्री)

तकुओं की ऊन कताई मिल योजना का शिलान्यास किया। दिनांक 3.7.81 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने गुलाबुपरा इकाई की द्वितीय इकाई के रूप में सूत इकाई परियोजना का शिलान्यास किया।

(2) जी, हाँ। भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 7.1.86 द्वारा सीओबी लाईसेन्स देने से इन्कार कर दिया। अतः परियोजना की क्रियान्वति रोक दी गयी।

(3) जी हाँ, शाहपुरा में एक स्वतंत्र सहकारी संस्था शाहपुरा को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. शाहपुरा के नाम से दिनांक 19.8.84 को पंजीकृत की गयी। इसकी सदस्यता 31.3.93 निम्नानुसार है—

सदस्यता	हिस्सा	राशि
1. सहकारी संस्थाएँ	14	रु. 19,700
2. ग्राम पंचायत व पंचायत समिति	35	रु. 43,200
3. व्यक्तिगत कपास उत्पादक	576	रु. 89,800
योग		रु. 1,52,700

(4) फिलहाल शाहपुरा में सहकारी कताई मिल स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंक तथा को-आपरेटिव बैंक

108. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और राजस्थान स्टेट को-आरपोटिव बैंक स्थापित हैं? यदि हाँ, तो इन दोनों के अपने-अपने उद्देश्य क्या हैं?

(2) क्या राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक एवं राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक ने गत तीन वर्षों में लाभ अर्जित किया है? यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि भूमि विकास बैंक एवं राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक को संयुक्त कर दिया जाये? यदि हाँ, तो इसके पीछे सरकार का क्या मन्तव्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हाँ। उद्देश्य परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी, हाँ। परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी, हाँ। दीर्घकालीन व अल्पकालीन साख संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन संस्थाओं के समामेलन की संभावनाओं का पता लगाने सम्बन्धी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

उदयपुर जिले में सहकारी विभाग द्वारा संचालित कार्यालय

109. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में सहकारी विभाग के कौन-कौन से कार्यालय संचालित हैं, उन कार्यालयों का कार्य क्षेत्र क्या है एवं उनमें कितने पद किस-किस स्तर के सृजित हैं?

(2) क्या सृजित सभी पद भरे हुए हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से पद कहाँ-कहाँ रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(30)

(श्री महावीर भगोरा)

(3) सृजित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों ने गत दो वर्षों में कितने-कितने दौरे किये एवं उन दौरों में क्या-क्या कार्य किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में सहकारी विभाग के निम्न कार्यालय संचालित हैं एवं उनमें निम्नानुसार पद सृजित हैं :—

क्र. सं०	नाम कार्यालय	कार्यक्षेत्र	अधिकारी	निरी. ग्रेड I	कार्य/आडि ग्रेड II	पीए स्टेनो	ओ. एस.	क० लेखा	व० लि.	क० लि.	संगणक	ड्राईवर	च. श्रे.
1.	संयुक्त रजिस्ट्रार, उदयपुर	उदयपुर डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद	संयु. रजि.	1	–	1	1	–	3	3	–	1	3
2.	उप रजि. उदयपुर	उदयपुर	उप. रजि.	3	11	–	1	1	2	3	1	1	3
3.	क्षेत्रीय अंकेक्षक, उदयपुर	उदयपुर डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा रामसमन्द	उप. रजि.	5	–	1	–	–	2	2	–	1	2
4.	वि. लेखा परीक्षक, उदयपुर	उदयपुर एवं राजसमंद जिला	सहायक रजि.	6	27	–	–	–	2	2	–	–	2

(2) जी नहीं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है—

क्र. सं.	नाम कार्यालय	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	उप रजिस्ट्रार, उदयपुर	कनिष्ठ लेखाकार	1
2.	क्षेत्रीय अंकेक्षण, उदयपुर	निरीक्षक (आडिट) ग्रेड–I	2
3.	विशेष लेखा परीक्षक, उदयपुर	निरीक्षक (आडिट) ग्रेड–II	12

(सहकारिता मंत्री)

(3) अधिकारियों/कर्मचारियों के गत दो वर्षों के दौरे एवं उनके द्वारा किये गये कार्य की सूचना परिशिष्ट–एक पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड द्वारा वितरित ऋण

110. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना से अब तक कितना ऋण शहरी क्षेत्र में और कितना ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत व जारी किया गया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर जिले में कहाँ-कहाँ ऋण दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिये गये ऋण पर ब्याज की गणना/वसूली की क्या प्रक्रिया है तथा देरी से अदायगी पर क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है और कितना दण्डनीय ब्याज वसूल किया जाता है?

(4) ग्रामीण क्षेत्र में कम ऋण वितरण के मामले के सम्बन्ध में क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि. की स्थापना से लेकर अब तक शहरी क्षेत्र में 2216.70 लाख रुपये के ऋण वितरित किये गये हैं तथा 1867.46 लाख रुपये के ऋण वितरित किये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 1571.95 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये जाकर 1084.90 लाख रुपये के ऋण वितरित किये गये हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(2) अजमेर जिले में जिन समितियों को आवास ऋण संघ द्वारा दिये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट–दो पर सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को विशिष्ट योजना (राज्य सरकार के आदेश क्रमांक फा. 5 (200)एफ. प्लान/सं. क्र. /72 दिनांक 18.7.72) के तहत वितरित किये गये ऋणों की वसूली बीस वर्ष में समानीकृत त्रैमासिक किश्तों (जिनमें मूलधन तथा ब्याज दोनों की राशि सम्मिलित होती है) में की जाती है। गणना की प्रक्रिया की तालिका, संलग्न परिशिष्ट–तीन पर सदन के पटल पर रख दी गयी है। योजना के अनुसार प्रत्येक किश्त में सम्मिलित मूलधन की राशि का भुगतान ऋणी द्वारा एवं ब्याज की राशि का भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा संघ को किया जाता है। ऋणी द्वारा मूलधन समय पर नहीं चुकाने की स्थिति में दोष की अवधि के लिए मूलधन की अवधि पार किश्त उसी दर से ब्याज वसूल किया जाता है जिस दर से ऋणी को संघ द्वारा ऋण वितरित किया गया था। उपरोक्त योजना के अतिरिक्त भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आवासीय ऋण संघ द्वारा दिये गये हैं जिनमें वसूली एवं ब्याज की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही है, किन्तु ऐसे मामलों में मूलधन एवं ब्याज दोनों का भुगतान ऋणी द्वारा ही किया जाता है।

(4) संघ के उपनियमों में ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में ऋण का कोई अनुपात अथवा मानदण्ड निर्धारित नहीं है। इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(40)

जयपुर शहर की पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियाँ

111. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कितनी पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियाँ हैं ?

(2) गत दिनों समितियों के शिविरों में कौन-कौनसी समितियों के मामले सामने आये हैं जिन्होंने अपने मूल नाम को बदलकर गैर नाम से पट्टे काटने का कार्य किया और ऐसी समितियों के प्रशासक कौन-कौन अधिकारी हैं ?

(3) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 213 पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियाँ हैं।

(2) शिविर में प्रतिवेदन में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न समितियों के नाम परिवर्तित हुए हैं :—

मूल नाम	परिवर्तित नाम
1. स्वामी कच्ची बस्ती गृह निर्माण स. स.	श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण स. स.
2. बलाई बस्ती गृह निर्माण स. स.	जय गणेश गृह निर्माण स. स.
3. बस्सी सीतारामपुरा गृह निर्माण स. स.	श्री 108 गृह निर्माण स. स.
4. मण्डी खटीकान गृह निर्माण स. स.	आनन्द मंगल गृह निर्माण स. स.

इन समितियों के नाम परिवर्तन के समय एवं उसके पश्चात् कोई विभागीय अधिकारी प्रशासक नहीं रहे हैं।

(3) चूंकि विभागीय अधिकारी उक्त समितियों के प्रशासक नहीं रहे हैं, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

112. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) के किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया व अब कौन-कौन से राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि शेरगढ़ व बालेसर (जोधपुर) हेतु सहायक अभियन्ताओं के कार्यालय स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हाँ, तो वहाँ सहायक अभियन्ता व अन्य कर्मचारियों का पदस्थापन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में वर्ष 1981 की जनगणना पुस्तिकानुसार कुल 92 ग्राम हैं। इन सभी 92 ग्रामों को मार्च, 1991

(ऊर्जा मंत्री)

के अन्त तक विद्युतीकरण घोषित किया जा चुका है।

(2) वर्ष 1981 की जनगणना पुस्तिकानुसार शेरगढ़ तहसील का कोई भी ग्राम विद्युतीकरण करने हेतु शेष नहीं है।

(3) वर्तमान में शेरगढ़ पंचायत समिति एवं बालेसर पंचायत समिति हेतु सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि.नि.), राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, बालेसर कार्यरत है एवं अप्रेल, 1995 से पंचायत समिति शेरगढ़ हेतु सहायक अभियन्ता, ढेचू की स्वीकृति एवं पदस्थापन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

विश्वकर्मा क्षेत्र (जयपुर) द्वारा बिलों पर जोन अंकित न किया जाना

113. श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर द्वारा जो विद्युत खर्च के बिल जारी किये जाते हैं, उनमें जोन नम्बर नहीं डाले जाते हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जोन नम्बर के अभाव में जनता को बिल जमा कराने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु इस क्षेत्र को नया जोन आवंटित कर समस्या का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हाँ। यह सही है कि सहायक अभियन्ता, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर द्वारा जो विद्युत खर्च के बिल जारी किये जाते हैं उनमें जोन नम्बर नहीं डाले जाते, क्योंकि यह कार्यालय सहायक अभियन्ता, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से स्वीकृत है। लेकिन इसका कार्य क्षेत्र ग्रामीण है और यह जयपुर जिला वृत के अन्तर्गत आता है। जोन नम्बर केवल जयपुर नगर वृत के अधीनस्थ कार्यालयों में ही डाले जाते हैं। यह कार्यालय सहायक अभियन्ता, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से स्वीकृत है। अतः जोन के स्थान पर कार्यालय का नाम वी.के.आई.ए. लिखा जाता है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है। जनता की सुविधा के लिए विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र कार्यालय में एवं उसके अधीनस्थ आने वाले क्षेत्रों में बिल जमा करने हेतु लिपिकों को लगाया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने में किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े। यह कार्यालय पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत वितरण एवं रख-रखाव के लिए है और ग्रामीण क्षेत्रों के सहायक अभियन्ता, कार्यालयों में कोई जोन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तहसील सोजत के अविद्युतीकृत ग्राम

114. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सोजत में ऐसे कितने राजस्व ग्राम हैं, जिनमें एक भी विद्युत कनेक्शन नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त गांवों में कितने फार्म किस-किस श्रेणी के कनेक्शन लेने हेतु भरे हुए हैं? इन्हें कब तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) सोजत तहसील में तीन ग्राम नापाबास, पोटलिया एवं अवकाई की ढाणी में एक भी विद्युत कनेक्शन नहीं है।

(2) उपरोक्त ग्रामों में केवल घरेलू श्रेणी

(ऊर्जा मंत्री)

में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	ग्राम का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1-	नापाबास	46
2-	पोटलिया	52
3-	अबकाई की ढाणी	05

उक्त आवेदकों को मांग-पत्र जारी कर दिये गये हैं। मांग-पत्र की राशि जमा होने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत तैयार पौध

115. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वृक्षारोपण कार्यक्रम में किस-किस किस्म/प्रजातियों की पौध तैयार की जाती है? संभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पौध तैयार करते समय किन-किन क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों एवं स्थानीय पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाता है?

(3) उदयपुर संभाग में पुश्तैनी कौन-कौन से पेड़ वनों में पाये जाते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्तमान में उन पुश्तैनी पेड़ों को लगाने का विभाग विचार रखता है? जिनसे क्षेत्र के जनजाति के लोगों का एवं पशुधन का जीविकोपार्जन होता है? यदि हाँ, तो इसके लिए विभाग कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कार्य कर रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वृक्षारोपण कार्यक्रमों में तैयार की जाने वाली प्रमुख किस्म/प्रजातिवार पौधों की संभागवार सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) पौधे तैयार करते समय स्थानीय कारकों, जैसे जलवायु, तलरूप, भौमिकी सहित मृदा, जैव, पादप अनुक्रम की अवस्था, स्थानीय निवासियों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

(3) उदयपुर संभाग में पुश्तैनी तौर पर बाँस, बेर, गुरजन, बहेड़ा, सालर, आम, आँवला, नीम, सागवान, महुआ, शीशम, चुरेल, धोक, कैथ, कुमठा, रोंझ, बेर, सिरस, जिंझा, सेमल, खॉखरा, धावड़ा, अमलतास, तेन्दू, बड़, गूलर, पीपल, चन्दन, जामुन, कड़ाया, इमली, फराश, अर्जुन, सादड़, खिरनी आदि-आदि वृक्षों की प्रजातियाँ पायी जाती हैं।

(4) विभाग द्वारा पुश्तैनी पेड़ों को वृक्षारोपण क्षेत्रों में रोपित करने में प्राथमिकता दी जाती है ताकि जनजाति क्षेत्र के लोगों की जलाऊ लकड़ी, चारे आदि की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। पशुओं को घास एवं चारा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पंचायत भूमि वृक्षारोपणों में धापण घास के बीजों की बुवाई की जाती है। ग्रामवासियों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध हो सके, इस दृष्टिकोण से चित्रक, मूंज, रतनजोत, अरंडी आदि उपयोगी बीजों की बुवाई की जाती है। यह कार्य उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों के क्षेत्रों में कराये जा रहे वृक्षारोपण क्षेत्रों में कराया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (जयपुर) में आवासीय विद्युत को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में लिया जाना

116. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अधीन स्कीम नं. 3 व 5 ढहर के बालाजी, जयपुर में आवासीय विद्युत को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ लिया जा रहा है?

(2) क्या इस अवैध कार्यवाही से विद्युत प्रवाह में कमी-बेशी की स्थिति रहती है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह विद्युत मण्डल की मिलीभगत का परिणाम है? यदि नहीं, तो किन-किन के विरुद्ध अब तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है?

उत्तर

(1) जी नहीं, सहायक अभियन्ता, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अधीन ढहर के बालाजी में स्कीम नं. 3 व 5 के नाम से कोई क्षेत्र नहीं है। विद्याधर नगर आवासीय बस्ती में सैक्टर 3 व 5 हैं, जिनमें मण्डल नियमानुसार आवासीय प्रयोजनार्थ विद्युत कनेक्शन दिये जाते हैं। इसमें यदि कोई उपभोक्ता आवासीय विद्युत को वाणिज्यिक कार्य में लेता पाया जाता है तो उस पर मण्डल नियमानुसार कार्यवाही कर, वाणिज्यिक श्रेणी का विद्युत चार्ज लिया जाता है।

(2) जिन उपभोक्ताओं को आवासीय विद्युत कनेक्शन दिये जाते हैं उनमें से यदि कुछ उपभोक्ता वाणिज्यिक विद्युत उपयोग करते हैं तो भी विद्युत प्रवाह में कमी-बेशी की स्थिति नहीं रहती है। यदि कोई उपभोक्ता वाणिज्यिक कार्य में विद्युत उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उससे मण्डल नियमानुसार राशि वसूल की जाती है।

(3) जी नहीं, यह विद्युत मण्डल की मिलीभगत का परिणाम नहीं है। 22 उपभोक्ता आवासीय विद्युत को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में लेते हुए पाये गये, जिनसे मण्डल नियमानुसार वाणिज्यिक उपयोग की राशि वसूल की जा रही है।

मांगरोल (बारां) में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलना

117. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बारां जिले के कस्बा मांगरोल में विद्युत विभाग का सहायक अभियन्ता (सब डिवीजन) कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, मांगरोल में सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोल दिया है।

उदयपुर में विद्युत मण्डल के उप खण्ड सृजित करने के प्रस्ताव

118. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर में वर्तमान में कुल कितने विद्युत उपभोक्ता हैं?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण विद्युत मण्डल पर काम के अधिक भार को दृष्टिगत रखते हुए उदयपुर में राजस्थान

(ऊर्जा मंत्री)

राज्य विद्युत मण्डल के पंचम एवं षष्ठम उप खण्ड सृजित करने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के कई बड़े भवन मालिकों, फ्लेटधारियों ने अपने स्वयं के विद्युत ट्रांसमीटर लगा रखे हैं? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में ऐसे कितने उपभोक्ताओं को कनेक्शन मण्डल द्वारा प्रदान किये गये हैं तथा उनके क्या नाम हैं एवं उन्होंने कितनी राशि विभाग में जमा करायी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर शहर (नगर खण्ड) में माह फरवरी, 1995 तक लगभग 72, 186 विद्युत उपभोक्ता हैं।

(2) जी हाँ। उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए हाल ही में नये उपखण्ड सृजित किये गये हैं।

(3) जी हाँ। विगत 5 वर्षों में उदयपुर शहर के निम्न फ्लेटधारियों ने स्वयं के ट्रांसफार्मर लगाये हैं :—

क्र. सं.	भवन/फ्लेटधारियों के नाम	ट्रांसफार्मर स्वयं द्वारा लगाये गये	मण्डल में जमा कराई गई राशि
1.	सर्किल व्यू	250 के.वी.ए.	25,600/-
2.	एरिस्टों एचक्लेव	1×250 के.वी.ए.	16,600/-
3.	ग्लेक्सी	1×63 के.वी.ए.	91,710/-
4.	राजहंस	1×63 के.वी.ए.	87,100/-

ग्राम वाटिका (जयपुर) में कृषि विद्युत कनेक्शन

119. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि विद्युत कनेक्शन देने हेतु सरकार की वर्तमान में क्या नीति है तथा इस हेतु किस-किस को किन-किन नियमों के तहत प्राथमिकता दी जाती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर (जयपुर) में वित्तीय वर्ष 1994-95 में कृषि कनेक्शन हेतु किस-किस से कब-कब प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? नाम व तिथिवार सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय की वरीयता सूची की प्रति श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें।

(3) अब ग्राम वाटिका के लम्बित कृषि कनेक्शनों को कब तक जारी कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि कनेक्शन विद्युत मण्डल द्वारा समय समय पर जारी/नीति निर्देशों के अनुरूप एवं प्राथमिकतानुसार दिये जाते हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर में वित्तीय वर्ष 1994-95 में कृषि कनेक्शन हेतु कुल 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सूची प्रपत्र 'अ' संलग्न है। सहायक अभियन्ता (परि. एवं संधा) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, सांगानेर के अधीनस्थ ग्राम वाटिका में कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्रों की वरीयता सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) ग्राम वाटिका में माह फरवरी, 1995 तक 23 कृषि आवेदन पत्र कनेक्शन हेतु लम्बित हैं जिन्हें लक्ष्य/प्राथमिकता के अनुरूप मण्डल नियमानुसार वांछित औपचारिकताएँ

(ऊर्जा मंत्री)

पूर्ण करने पर कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी। राज्य में करीब दो लाख से अधिक प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं। बिजली व साधनों की उपलब्धता से ही गति बढ़ाई जा सकती है। जहाँ नये कनेक्शन देने के लिए राज्य सरकार तत्पर रहेगी, वहाँ यह भी चाहेगी कि राज्य के लाखों कृषक जिन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं, उनकी सेवाओं में गिरावट नहीं आये। इस ओर भी राज्य सरकार कृत संकल्प है। बिजली की अतिरिक्त उपलब्धता के अनुपात में ही कनेक्शन देना उचित रहेगा—अन्यथा मौजूदा कनेक्शन धारियों पर विपरीत असर पड़ेगा। विस्तार से भी अधिक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने के मानदण्ड

120. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत मण्डल द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना के किन-किन गाँवों में वर्तमान में घरेलू कनेक्शन देने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र मकराना में उक्त कनेक्शन लेने हेतु 100-100 आवेदन-पत्र कई गाँवों के (जैसे बेसरोली, चावण्डिया, कालवा, भिचावा आदि के) विद्युत मण्डल कार्यालय में जमा हैं ? यदि हाँ, तो मण्डल द्वारा उक्त कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदक द्वारा सम्बन्धित कार्यालय में प्रार्थना-पत्र जमा कराने के बाद तखमीना बनाया जाता है। कनेक्शन स्थल की दूरी पूर्व में लगे विद्युत पोल से 100 फीट से ज्यादा होने पर नियमानुसार शहरी क्षेत्र में छः आवेदकों एवं ग्रामीण क्षेत्र में तीन आवेदकों पर एक पोल निःशुल्क दिया जाता है। वास्तविक दूरी के आधार पर सामान का तमखीना तैयार किया जाता है व तमखीने के अनुसार मांग पत्र जारी किया जाता है। मांग पत्र की राशि व अन्य औपचारिकताएँ पूरी करने पर विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया जाता है। घरेलू कनेक्शन ग्रामवार वरीयता क्रम से दिये जाते हैं।

(2) घरेलू कनेक्शन देने हेतु ग्रामवार कोई योजना नहीं है। उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन करने एवं वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर कनेक्शन दिये जाते हैं। घरेलू कनेक्शनों का माहवार/वर्षवार कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं किया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम बेसरोली, चावण्डिया, कालवा व भिचावा में क्रमशः 180, 32, 82, 43 घरेलू विद्युत कनेक्शन विचाराधीन हैं। उक्त ग्रामों के आवेदकों द्वारा वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण करने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कनेक्शन दे दिये जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

विद्याधर नगर (जयपुर) का पृथक पावर क्षेत्र का निर्धारण

121. श्री विजयगोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर, जयपुर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के पास

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

स्थित होने के कारण अधिकांशतः रात्रि व दिन में विद्युत वितरण बन्द कर दिया जाता है?

(2) क्या सरकार घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती से होने वाली आये दिन की असुविधा को देखते हुए विद्याधर नगर का पृथक पावर हाउस क्षेत्र निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, विद्याधर नगर के लिए पृथक् से लाईन खींचकर 33/11 के.वी. का नया सब-स्टेशन का निर्माण किया गया है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में वितरण बन्द होने या चालू होने से विद्याधर नगर पर कोई असर नहीं पड़ता। इस क्षेत्र में जयपुर नगर के अन्य क्षेत्रों के अनुरूप ही विद्युत वितरण किया जाता है।

(2) उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से विद्युत उपलब्ध कराने के लिए विद्याधर नगर के सैक्टर 9 में 33/11 के.वी. का नया सब-स्टेशन स्थापित किया जा चुका है जो पिछले छः माह से अधिक समय से सुचारु रूप से चालू है।

विद्युत मण्डल द्वारा उपभोक्ताओं से शुल्क वसूली

122. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या विद्युत ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या विद्युत मण्डल द्वारा उपभोक्ताओं से प्रति बिल न्यूनतम वसूल करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनायी जा रही है? यदि हाँ, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम कसुम्बी तहसील लाडनूं जिला नागौर में दिनांक 27-10-1992 से 18-12-1992 तक पूर्ण रूप से सप्लाई मण्डल द्वारा बन्द रखी गयी थी क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफार्मर ही नहीं था? यदि हाँ, तो उक्त अवधि का न्यूनतम चार्ज किस नियम के तहत वसूल किया गया?

(3) क्या इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने मण्डल के अधिकारियों से कई बार निवेदन किया था परन्तु उनसे जबरन यह राशि वसूल कर ली गयी? यदि हाँ, तो क्यों? ग्रामवासियों द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये प्रतिवेदनों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्रामवासियों द्वारा यह सारे तथ्य ध्यान में लाने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया जाना किस अधिकारी की लापरवाही है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

(5) क्या अब इस मामले में नाजायज वसूली गई राशि का भुगतान उपभोक्ताओं को किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

(1) उपभोक्ताओं से विद्युत विपत्रों में न्यूनतम शुल्क जनरल कण्डीशन्स ऑफ सप्लाई पार्ट-I नियम 22 के तहत विभिन्न श्रेणियों में विद्यमान दरों के आधार पर वसूल किया जाता है। टेरिफ से सम्बन्धित उद्धरण प्रपत्र "अ" संलग्न है।

(2) ग्राम कुसुम्बी तहसील लाडनूं जिला नागौर का ट्रांसफार्मर दिनांक 27-10-92 को जल गया था। ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर दिनांक 16-12-92 को उक्त ग्राम में ट्रांसफार्मर पुनः स्थापित कर दिया गया। उक्त अवधि में भी न्यूनतम शुल्क बिन्दु सं. 1 में दिए गये उत्तर के अनुसार जनरल कण्डीशन ऑफ सप्लाई के पार्ट-I नियम 22 के तहत ही वसूल किया गया था।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी हाँ, यह सही है कि ग्राम कुसुम्बी के निवासियों द्वारा न्यूनतम राशि के भुगतान करने हेतु दिनांक 14-11-92 को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रति प्रपत्र "ब" संलग्न हैं। उक्त अवधि में विपत्रों की राशि ग्रामवासियों द्वारा निर्विरोध जमा करवायी गयी थी। जबरन वसूली नहीं की गयी थी। इस एवज में किसी भी उपभोक्ता को न तो नोटिस ही दिया गया था नां ही उनके विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किये गये थे।

(4) ग्राम कुसुम्बी में विद्युत प्रपत्रों का शुल्क नियमानुसार ही वसूल किया गया था। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(5) विद्युत प्रपत्रों का शुल्क मण्डल नियमानुसार ही वसूल किया गया था तथापि उपभोक्ताओं की विशेष कठिनाइयों को देखते हुए तथा लम्बी अवधि के निरन्तर व्यवधान को ध्यान में रखते हुए माह नवम्बर, 1992 के न्यूनतम राशि के विपत्र का समायोजन आगामी विपत्रों में करने के निर्देश दिये गये हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति फलासिया (उदयपुर) में स्वीकृत सड़कें

123. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा पिछले पाँच वर्षों में कितनी सड़कें स्वीकृत की गयीं ? नाम व माप सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन सभी सड़कों का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इनको पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) वित्तीय वर्ष 1995-96 में उक्त क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है ? सड़कों का नाम तथा अनुमानित लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति उदयपुर में विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में पिछले पाँच वर्षों में निम्न सम्पर्क सड़क स्वीकृत की गयी :—

क्र.सं.	सड़क का नाम	राज्य सरकार से स्वीकृति	लम्बाई	लागत (लाखों में)
1-	स. स. झाडोल से कन्यारिया	पं. 5 (18) कृषि/ग्रुप-2 बी/90 दिनांक 23.5.92	5 कि.मी.	15.00

(2) उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधन में 4.60 कि.मी. का निर्माण कार्य करा दिया गया है। इस प्रकार 0.40 कि.मी. की सड़क का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधन न होने से शेष है।

(3) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत उक्त सड़क को पूरा कराया जा सकेगा।

(4) वित्तीय वर्ष 1995-96 में उक्त क्षेत्र में कोई सड़क मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं की गयी।

48.

नींदड़ से जयरामपुरा (जयपुर) सड़क मरम्मत कार्य में अनियमितताएँ

124. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर जिले में नींदड़ से जयरामपुरा सड़क की कब-कब मरम्मत की गयी और उस पर कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस रोड पर रेल्वे क्रासिंग पर सड़क मरम्मत की गयी थी? यदि हाँ, तो कब व उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी और कितनी राशि व्यय की गयी?

(3) क्या यह सही है कि इस रोड़ पर रेल्वे क्रासिंग पर सड़क मरम्मत के लिये डामर के 15 ड्रम और रोड़ों के 2 ट्रक बचे थे? यदि हाँ, तो वे कहाँ गये? यदि सरकार में वापिस जमा हुए तो स्टॉक रजिस्टर की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर मोरम के 15 ट्रक ही डाले गये और बिल 114 ट्रोली का बना? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की नींदड़ से जयरामपुरा सड़क की मरम्मत का ब्यौरा निम्नानुसार अंकित है :—

क्र.सं.	वर्ष	व्यय की गयी राशि (लाखों में)
1-	1992-93	1.59
2-	1993-94	0.46

(2) जी नहीं। रेल्वे क्रासिंग एवं एक अन्य मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि 1.20 लाख रुपये वर्ष 1993-94 में स्वीकृत की गयी थी व इसके विरुद्ध कुल राशि 1.9 लाख वर्ष 93-94 व 94-95 वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी।

(3) उक्त सं. सड़क के निर्माण एवं रेलवे क्रासिंग पर मरम्मत हेतु 25 ड्रम डामर के जारी किये गये थे। मिसिंग लिंक में सड़क पर पानी इकट्ठा होने के फलस्वरूप उक्त भाग में डामरीकरण कार्य नहीं होने से केवल 17 डामर के ड्रम ही काम में आये, शेष 8 ड्रम जो बचे, उनकी जमा होने की स्टॉक रजिस्टर की छाया प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। विभाग द्वारा कोई रोड़ी नहीं दी गयी।

(4) जी नहीं। जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य के एग्रो पैट्रोल पम्पस् पर कार्यरत कर्मचारी

125. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कुछ एग्रो पैट्रोल पम्पस पर सर्विस स्टेशन कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर और कब से?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पैट्रोल पम्पों पर, जब से वे शुरू हुए हैं, वे ही व्यक्ति (स्टाफ) कार्यरत है? क्या उनका कोई भौतिक सत्यापन किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त पैट्रोल पम्पों पर गत 10 वर्षों से कौन-कौन व्यक्ति कार्यरत है? क्या उनको बदले जाने का भी इरादा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. के 2 डीजल पम्प स्टेशन भाखरा रोड, जिला जालौर में वर्ष सितम्बर, 1982 से तथा फागी, जिला जयपुर में मई, 1984 से कार्यरत है।

(2) जी नहीं। दोनों डीजल पम्प स्टेशनों का समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया गया है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। दोनों डीजल पम्प स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। इन कर्मचारियों को बदले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार व आवश्यकताओं पर किये जाते हैं। वर्ष 1985 से लगातार एक स्थान पर पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने हेतु भी एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को लिखा जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कृषि उपज मण्डी इटावा (कोटा) का आय-व्यय

126. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)— क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी, इटावा, जिला कोटा की गत 3 वर्षों की वार्षिक आय कितनी-कितनी हुई ?

(2) प्रति वर्ष की आय में से एप्रोच रोड (लिंक रोड) बनाने में कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी? प्रति वर्ष की आय व व्यय का विवरण मदवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति, इटावा की गत 3 वर्षों की वार्षिक आय निम्न प्रकार से हुई है—

क्र.सं.	वर्ष	वार्षिक आय
1-	1991-92	25,32,345.93 रुपये
2-	1992-93	34,83,446.32 रुपये
3-	1993-94	38,83,841.03 रुपये

(2) प्रतिवर्ष की आय में से एप्रोच रोड बनाने में निम्नानुसार राशि व्यय की गयी—

क्र.सं.	वर्ष	आय	सम्पर्क सड़कों पर व्यय
1-	1991-92	25,32,345.93 रुपये	33,379.56 रुपये
2-	1992-93	34,83,446.32 रुपये	10,03,634.96 रुपये
3-	1993-94	38,83,841.03 रुपये	10,56,453.00 रुपये

आय व व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर मदवार संलग्न है, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

चम्बल सिंचित क्षेत्र मे केरियर ड्रेन के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा

127. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

50

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में औंकारपुरा ड्रेनेज जोन नम्बर 8 की कैरियर ड्रेन नम्बर 5 के लिए भूमि अवाप्त करके मुआवजा अदा करने एवं अवार्ड जारी करने बाबत कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कार्यवाही पूर्ण करके मुआवजा राशि के लिए अवार्ड कब तक जारी कर दिये जायेंगे?

(2) उक्त कार्यवाही किस स्टेज पर तथा किस अधिकारी के यहाँ विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ। अवार्ड प्राप्त होने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

(2) अवार्ड जारी करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी, बूंदी के राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना

128. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(2) क्या वर्ष 1994-95 में विभाग द्वारा फोल्डर्स, नक्शे व अन्य साहित्य का प्रकाशन किया गया है?

(3) विभाग द्वारा उपरोक्त अवधि में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस-किस मद में कितना-कितना खर्च किया गया?

(4) भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या योजना है?

उत्तर

(1) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाये गये कुछ कदम की सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न हैं।

(2) जी हाँ।

(3) वर्ष 1994-95 में विभिन्न मदों में आबंटित बजट में से फरवरी, 95 तक स्वीकृत राशि का उपभोग कर लिया गया है।

(4) भविष्य में राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

सवाईमाधोपुर जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना

129. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाईमाधोपुर जिले में मेहंदीपुर के बालाजी एवं अन्य स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या इसका सर्वे कराया जा चुका है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार इस क्षेत्र में मिडवे बनाने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कहाँ?

(3) क्या रणथम्भौर दुर्ग की मरम्मत के लिए सरकार कोई योजना बना रही है?

उत्तर

(1 व 2) : —सवाई माधोपुर जिले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु एक सर्वेक्षण करवाया गया है। वर्ष 1994-95 में केन्द्रीय सरकार द्वारा मेहन्दीपुर के बालाजी हेतु

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

15.38 लाख रुपये तथा केला-देवी हेतु 20.24 लाख रु. की स्वीकृति यात्रिकाएँ बनाने हेतु प्राप्त हुई है।

(3) रणथम्भौर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है। इस कारण राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के बाहर है।

उदयपुर का सज्जनगढ़ महल

130. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर का सज्जनगढ़ महल सरकार ने राज्य होटल निगम को सौंप दिया है ताकि उस महल को एक होटल के रूप में परिवर्तित किया जा सके? यदि हाँ, तो होटल निगम इसे किस रूप में चलाने का विचार रखता है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

(2) निगम द्वारा सज्जनगढ़ महल होटल के रूप में कब तक संचालित किया जाने लगेगा?

उत्तर

(1 व 2) : —हाँ यह सही है कि राज्य सरकार ने सज्जनगढ़ महल को राज्य होटल्स निगम को दिनांक 6-5-92 को एक होटल बनाने हेतु सौंप दिया है। राज्य होटल निगम के द्वारा होटल नहीं चलाये जाने की स्थिति में यह तय किया गया कि सज्जनगढ़ को संयुक्त क्षेत्र में होटल चलाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार अन्तिम प्रतिवेदन पर विचार कर रही है, निर्णय होने के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

बांसवाड़ा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

131. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित है?

(3) क्या कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय लेकर आंगनबाड़ी केन्द्र खोल दिये जायेंगे?

(4) क्या यह सही है कि जिस गाँव में आंगनबाड़ी केन्द्र हो, उसमें कार्यकर्ता भी स्थानीय हो? यदि हाँ, तो ऐसे, कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें कार्यकर्ता दूसरे गाँव की कार्यरत हैं और ऐसा क्यों?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्तमान में 8 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 1226 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है, जिनमें से 1127 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। परियोजनाओं/आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत केन्द्र	संचालित केन्द्र
1.	गढ़ी	239	222
2.	घाटोल	138	125
3.	कुशलगढ़	134	121
4.	तलवाड़ा	138	125
5.	पीपलखूंट	157	143
6.	आनंदपुरी	111	100
7.	बागीडोरा	184	166
8.	सज्जनगढ़	125	125
	योग	1226	1127

(52)

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

कुल स्वीकृत 1226 केन्द्रों में से 104 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र विभिन्न परियोजनाओं में इसी वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 5 केन्द्र चालू कर दिये हैं। शेष 99 केन्द्र शीघ्र ही प्रारम्भ किये जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परियोजनावार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का मुख्य मानदण्ड ग्राम की जनसंख्या है। ग्रामीण बाल विकास परियोजना में केन्द्र 1000 की जनसंख्या पर तथा जनजाति क्षेत्रों की परियोजना में केन्द्र 700 की जनसंख्या पर खोला जाता है। अत्यधिक पहाड़ी तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जहाँ गाँव दूर-दूर बिखरे हुए हैं तथा बच्चों को डेढ़ किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर केन्द्र तक पहुचना पड़ता है, वहाँ 300 की जनसंख्या पर भी केन्द्र खोला जा सकता है। ये मानदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

(3) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुशलगढ़ पंचायत समिति में समेकित बाल विकास सेवा योजना वर्ष 1982-83 से संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत कुल 134 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इनमें से 13 आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रस्ताव आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के लिये राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

जिले के अन्य पंचायत समितियों में स्वीकृत तथा संचालित केन्द्रों की सूची प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में दी गयी है।

(4) जी हाँ। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय महिलाओं को ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चयनित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा मैट्रिक से कम निर्धारित किये जाने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा रखा गया है। यह प्रावधान इस आशय से उचित ही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु नियमित रूप से रेकार्ड संधारित करना पड़ता है। कई बार गाँव में पढ़ी-लिखी महिला उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती गांव की महिला को केन्द्र संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। योजना के प्रारम्भ में कुशलगढ़ के 28 केन्द्रों में स्थानीय महिला उपलब्ध न होने के कारण पास के अन्य गाँव की महिलाओं को कार्यकर्ता नियुक्त किया गया था। जो योजना के प्रारम्भ वर्ष 1983 से लगातार कार्यरत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए संचालित योजनाएँ

132. श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए विभाग द्वारा कौन-कौनसी योजनाएँ विभागीय स्तर पर ही चलायी जा रही है और कौन-कौनसी नयी योजनाएँ स्वयंसेवी संस्थाएँ/स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से चलायी जा रही है?

(2) स्वयंसेवी संस्थाओं को उपरोक्त योजनाओं में भाग लेने के क्या-क्या मानदण्ड है एवं उन्हें क्या-क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत

(श्री फूलचन्द)

उदयपुर जिले की पंचायत समिति सलूम्बर व भिण्डर तथा दौसा जिले की बाँदीकुई एवं सिकराय में जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1994 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना पर खर्च की गयी? विवरण विभागीय स्तर/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा योजनावार, पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर निम्न योजनाएँ चलायी जा रही है—

1—ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास की योजना (ड्वाकरा योजना) —यह योजना एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की उपयोजना के रूप में गरीबी की रेखा के नीचे परिवारों को महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु प्रारम्भ की गयी है। इसमें 10 से 15 महिलाओं के लिए समूह बनाकर आयसृजन का व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाता है।

2—महिला विकास कार्यक्रम—महिला विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है तथा उन्हें विकास की मूलधारा से जोड़ना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समस्त विकास कार्यों की जानकारी उन तक पहुँचाकर उन्हें विकास की मूलधारा से जोड़कर महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराने का प्रयास किया जाता है।

3—महिला समृद्धि योजना—भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 1993 को महिला समृद्धि योजना नामक एक योजना आरम्भ की है। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकखानों के नेटवर्क के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रसारित करना एवं सामाजिक संरचना में महिलाओं और पुरुषों के बीच की असमानताओं में परिवर्तन लाना है। इस स्कीम के लिये विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

स्वयंसेवी संस्थाएँ/स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित योजनाएँ

1—महिलाओं के लिये आय वृद्धि एवं रोजगार की योजना (नौराड़)

2—महिलाओं के लिये प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप योजना)

(2) स्वयंसेवी संस्थाओं को उपरोक्त योजनाओं में भाग लेने के लिये निम्न मानदण्ड एवं शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं : —

1—महिलाओं के लिए आय वृद्धि एवं रोजगार की योजना (नौराड़)—महिलाओं के लिए आय वृद्धि एवं रोजगार की योजना अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करने की योजना है, जिसके निम्न मानदण्ड व शर्तें हैं—

(क) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 व इसके समतुल्य राज्य सरकारों के अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था,

(ख) महिला विकास के क्षेत्र में कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो,

(ग) परियोजना क्षेत्र में पर्याप्त आधारभूत अवसंरचना तथा तकनीकी विशेषज्ञता सेवाएँ उपलब्ध हो।

(घ) संस्था का प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ वित्तीय आधार सुदृढ़ हो।

2—महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)—इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार स्थितियों में सुधार एवं महिला समूहों को स्वरोजगार सह-आयोत्पादक कार्यक्रम शुरू करने के योग्य बनाना है, जिसके मानदण्ड एवं शर्तें भी नौराड़ योजना के अनुरूप उपरोक्तानुसार है।

(3) विभागीय स्तर की निम्नलिखित योजनाओं पर जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1994 तक व्यय की गयी राशि का योजनावार, पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है—

1 – महिला विकास कार्यक्रम

महिला विकास कार्यक्रम दौसा जिले की सिकराय एवं बाँदीकुई पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। जिसका व्यय निम्न है—

	व्यय राशि
सिकराय	1,21,598.00
बांदीकुई	60,811.00

जिला उदयपुर की सलूम्बर पंचायत समिति में महिला कार्यक्रम संचालित है।

सलूम्बर	89,670.00

2 – ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास की योजना (ड्वाकरा)—यह योजना उदयपुर जिले की भिण्डर पंचायत समिति में संचालित है। जिला दौसा में इस कार्यक्रम को वर्ष 94-95 के दौरान माह जनवरी, 95 में प्रारम्भ किया गया है।

	व्यय राशि
भिंडर	1,06,400.00

3 – इन जिलों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनुदान हेतु कोई प्रस्ताव विभाग को नहीं भिजवाये गये हैं।

गुलखेड़ी एनीकट (बूंदी) का निर्माण कार्य

133. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या बूंदी जिले में वर्ष 1990 से निर्माणाधीन गुलखेड़ी एनीकट का कार्य राशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाया है? यदि हाँ, तो कार्य पूर्ण करवाये जाने के लिए अब कितनी राशि की आवश्यकता है तथा कब तक इसे पूर्ण कराने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

जी हाँ, गुलखेड़ी एनीकट के निर्माण हेतु अकाल सहायता के अन्तर्गत वर्ष 1990 में रुपये 2.00 लाख की स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें सिचाई विभाग द्वारा 0.83 लाख राशि व्यय की गयी। कार्य अधूरा रहने पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत दिनांक 28.1.91 को रुपये 4.31 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। इसके पश्चात् वर्ष 1992-93 में सिंचाई विभाग द्वारा तकमीना प्रस्तुत करने पर 0.59 लाख राशि की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गयी। इस प्रकार गुलखेड़ी एनीकट निर्माण हेतु जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कुल रुपये 4.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी जिसके विरुद्ध सिंचाई विभाग द्वारा इस कार्य पर रुपये 3.16 लाख राशि व्यय की गयी तथा कार्य अधूरा रहा।

दिनांक 10.2.94 को जिग्रावि.अ., बूंदी की प्रशासनिक निकाय की बैठक में सिंचाई विभाग ने अवगत कराया कि इस अधूरे एनीकट के कार्य को पूर्ण करवाने हेतु रुपये 4.69 लाख अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी तथा यह कार्य जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

निर्धारित श्रम एवं सामग्री में 60:40 के अनुपात में करवाया जाना संभव नहीं है। तदोपरान्त जिग्रा. वि.अ., बूंदी द्वारा रुपये 4.69 लाख राशि की मांग माडा योजनान्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से प्राप्त करने हेतु सिंचाई विभाग के प्रस्ताव दिनांक 5.5.94 को अतिरिक्त आयुक्त (माडा योजना) जनजाति क्षेत्रीय विभाग, उदयपुर को प्रेषित किये गये।

एनीकट अधूरा रहने का मुख्य कारण सिंचाई विभाग द्वारा बार-बार कार्य की अनुमानित लागत बढ़ा देना व समय पर पूर्ण नहीं करना है। इस सम्बन्ध में सचिव, सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जा रहा है। जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करवाने पर ही आगे कार्यवाही सम्भव होगी।

टोडाभीम क्षेत्र (सवाईमाधोपुर) के विकास के लिये स्वीकृत राशि

134. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर द्वारा वर्ष 1994-95 में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विकास के लिये राशि स्वीकृत की गयी थी? यदि हाँ, तो कितनी राशि किस मद में स्वीकृत की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हाँ। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर द्वारा जिले के समस्त क्षेत्रों हेतु विभिन्न योजनाओं तहत विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विकास हेतु वर्ष 1994-95 में योजना मदवार निम्नांकित राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं—

क्र.सं.	योजना का मद	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	स्वीकृत कार्य (संख्या)
1.	जवाहर रोजगार योजना	69.77	153
2.	इंदिरा आवास योजना	20.40	174
3.	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय धारा	99.31	49
4.	आश्वासित रोजगार योजना	71.62	35
5.	संसदीय क्षेत्र विकास योजना	14.66	12
6.	निर्बन्ध राशि योजना	8.08	7
7.	अपना गांव अपना काम योजना	6.13	3
8.	तीस जिला तीस काम योजना	9.41	5
9.	माडा योजना	1.20	3
10.	सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	4.92	1

56

ग्राम पंचायत धानक्या (झोटवाड़ा) में पानी की टंकी

135. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) ग्राम पंचायत धानक्या, पंचायत समिति झोटवाड़ा ने ग्राम धानक्या में पानी की टंकी का निर्माण कब कराया था और उस पर कितनी राशि व्यय की गयी? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस कार्य की जांच करायी गयी थी? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जाँच अधिकारी से मिलीभगत कर होज दूसरा बताकर जाँच निर्णीत कर दी गयी? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी पुनः जाँच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति झोटवाड़ा की ग्राम पंचायत धानक्या में पानी की टंकी का निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम वर्ष 1982-83 से 85-86 की अवधि में करवाया गया। इस कार्य पर 24687/- रुपये की राशि व्यय हुई।

(2) जी, नहीं। पंचायत समिति तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने सूचित किया है कि इस मामले में उनके स्तर पर कोई जाँच नहीं करायी गयी है।

(3) पंचायत समिति तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार इस मामले में जब कोई जांच ही नहीं करायी गयी तो ऐसी अवस्था में मिलीभगत कर जांच निर्णित करने का प्रश्न ही नहीं है।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत देसूरी व रानी (पाली) के लिये स्वीकृत अनुदान राशि

136. श्री खँगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन देसूरी व रानी, जिला पाली में सन् 1980 से आज तक कितने व्यक्तियों को इन्दिरा आवास हेतु अनुदान व ऋण स्वीकृत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन्दिरा आवास के तहत बनवाये गये इन मकानों में से कितनों में लोग रहते हैं, कितने मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं? क्या उनमें आज तक कोई नहीं रहा।

(3) क्या उपरोक्त पंचायत समितियों में इन्दिरा आवास योजना के तहत कालोनियों का भी निर्माण करवाया गया था? इस योजना के तहत कालोनियों में किन-किन व्यक्तियों को मकान अलाट किये गये, कितने खाली पड़े हैं?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार कालोनियों में निर्मित कई मकान खण्डर हो गये हैं? यदि हाँ, तो इसमें कौन अधिकारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 में ही प्रारम्भ की गयी थी। पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन देसूरी व रानी जिला पाली में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 1985-86 से वर्ष 1994-95 तक 787 व्यक्तियों को आवास अनुदान हेतु वित्तीय सहायता दी गयी है। सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(2) इंदिरा आवास योजना के तहत बनवाये गये 599 मकानों में लोग रहते हैं तथा 59 आवास क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिनमें कोई भी नहीं रहता।

(3) जी, हाँ। उपरोक्त पंचायत समितियों में इंदिरा आवास योजना के तहत कालोनियों का निर्माण भी कराया गया था। इन कालोनियों में जिन व्यक्तियों को मकान आवंटित किये गये उनकी सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न कर प्रस्तुत है। मारवाड़ जंक्शन एवं रानी पंचायत समिति में कालोनी में निर्मित मकानों में से 59 मकान गाँव से दूर बनाये जाने एवं क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण खाली पड़े हैं।

(4) जी, हाँ। कालोनी में निर्मित आवास गाँव के अन्दर पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं गाँव से दूर बनाने के कारण आवंटियों ने रहना अभी प्रारम्भ नहीं किया। इस कारण 59 आवास क्षतिग्रस्त हो गये। ऐसे अनाधिग्रहित क्षतिग्रस्त आवास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभागीय आवास अनुदान योजनान्तर्गत प्रति आवास रु. 2600/- अनुदान सहायता से मरम्मत कराने हेतु सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को आदेश दिये गये हैं। इन आवासों के निर्मित होने के पश्चात् लम्बे समय तक आवंटियों द्वारा निवास नहीं किये जाने के कारण मकान क्षतिग्रस्त हुए। यदि इनमें निवास किया जाता तो खण्डहर नहीं होते। इस हेतु कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं आता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम बाघसुरी (नसीराबाद) में आयुर्वेदिक औषधालय

137. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बाघसुरी में विभाग का कोई औषधालय या अन्य आयुर्वेदिक सुविधा उपलब्ध है ?

(2) क्या इसको राज्य सरकार के नीति व निर्देशानुसार निकटस्थ गांव बनेवड़ा स्थानान्तरित करने के आदेश निदेशालय द्वारा पूर्व में दिये हुए हैं ? यदि हाँ, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निर्देशों की पालना में यह सुविधा स्थानान्तरित की जा चुकी है ? यदि हाँ, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बाघसुरी में आयुर्वेद विभाग का एक राजकीय आयुर्वेद औषधालय संचालित है।

(2) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, बाघसुरी को ग्राम बनेवड़ा में स्थानान्तरित करने के राज्यादेश क्रमांक प.1(12) आयुर्वेद/85 दिनांक 25.2.86 द्वारा जारी किये गये थे। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) राजकीय आयुर्वेद औषधालय पूर्व की भांति अभी भी ग्राम बाघसुरी में ही संचालित है। ग्राम बनेवड़ा में औषधालय संचालन हेतु पर्याप्त भवन व्यवस्था नहीं होने से आयुर्वेद औषधालय नवीन परिवर्तित स्थान पर संचालित नहीं किया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट- 3 देखें।)

राजसमन्द जिले के आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद

138. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले के किस-किस औषधालय/चिकित्सालय में कौन-कौनसे पद कब-कब से रिक्त है?

(2) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले की भीम तहसील के जैतगढ़ चिकित्सालय के वैद्य का पद लम्बी अवधि से रिक्त है? यदि हाँ, तो सरकार उक्त पद को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में संचालित विभागीय चिकित्सालयों/औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के 11 पद, नर्स/कम्पाउन्डर के 5 पद व परिचारक के 3 पद वर्तमान में रिक्त है। औषधालय/चिकित्सालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, जैतगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सक का पद जुलाई, 1986 से रिक्त है। रिक्त पद को नवीन नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से ही भरना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

अलवर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति

139. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में गत 10 वर्षों से किसी भी मैट्रिक पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक/अन्य समकक्ष पद पर पदोन्नति नहीं दी गई? यदि हाँ, तो क्यों?

(2) गत पांच वर्ष में अलवर जिले में कार्यरत किस-किस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कब-कब पदोन्नति दी गयी तथा उनमें कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं? वर्ग एवं रोस्टरवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में अलवर जिले के किन-किन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु प्रार्थना-पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा उन्हें अब कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। गत 10 वर्षों में आयुर्वेद विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पद पर योग्यता के आधार पर नियमानुसार पदोन्नति दी गयी है।

(2) गत पांच वर्षों में अलवर जिले में कार्यरत किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति नहीं दी गयी है।

(3) नियमों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पद पर जिलेवार पदोन्नति देने का कोई प्रावधान नहीं है। कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यताधारी विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सम्मिलित वरिष्ठता/पात्रता सूची निदेशालय स्तर पर तैयार कर, नियमानुसार पदोन्नति दी जाती है। राजकीय आयुर्वेद औषधालय, टिटुपर (अलवर) में पदस्थापित एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री जगन प्रसाद मीणा का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.95 को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

हेतु प्राप्त हुआ है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री जगन प्रसाद मीणा के नाम पर विचार किया गया और उनका रिजल्ट बन्द लिफाफा में रखने का निर्णय लिया गया।

राजससंघ द्वारा मत्स्य विकास हेतु बीज क्रय पर व्यय की गयी राशि

140. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजससंघ द्वारा मत्स्य विकास हेतु मत्स्य बीज गत दो वर्षों में कहाँ-कहाँ से कितना-कितना क्रय किया गया? क्या क्रय किया गया बीज समय पर उपलब्ध हो गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) बीज क्रय पर कितनी धनराशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजससंघ के पास मत्स्य बीज विकास के अपने स्रोत हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ व कितनी क्षमता के?

(4) अब तक इन स्रोतों के विकास पर कितनी राशि व्यय की गयी है एवं कितनी मात्रा व राशि के बीज तैयार कर सप्लाई किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजससंघ द्वारा वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में निम्नानुसार मत्स्य बीज क्रय किया गया : —

वर्ष 1993-94

क्र.	नाम पार्टी	मत्स्य बीज की संख्या
1.	मै. जीतमल चौहान, उदयपुर	72,51,000
2.	मै. इन्टरनेशनल फिश सीड सेन्टर, जयसमन्द	74,01,000
3.	मत्स्य फार्म, रावतभाटा	17,58,000
4.	मत्स्य विकास अभिकरण, बांसवाड़ा	2,25,000
	योग	**1,66,35,000**

वर्ष 1994-95

क्र.	नाम पार्टी/विभाग	मत्स्य बीज की संख्या
1.	मत्स्य फार्म, रावतभाटा	11,20,000
2.	मत्स्य विकास अभिकरण, बांसवाड़ा	2,22,000
3.	जी.एफ.डी.सी., अहमदाबाद	92,000
	योग	**14,34,000**

क्रय किया गया मत्स्य बीज समय पर उपलब्ध हो गया था।

(2) वर्ष 1993-94 में 16.51 लाख रुपये तथा वर्ष 1994-95 में 1.19 लाख रुपये की राशि मत्स्य बीज क्रय करने पर व्यय की गयी।

(3) राजससंघ द्वारा गत वर्ष मत्स्य विभाग की अनुपयोगी पड़ी जयसमन्द हैचरी का अधिग्रहण कर उस पर चाइनीज हैचरी का

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

निर्माण तथा अन्य जीर्णोदार कार्य करवाने के उपरान्त परीक्षण के तौर पर गत वर्ष कार्य में लिया गया है। इस मत्स्य बीज फार्म से एक करोड़ मत्स्य बीज फ्राई उत्पादित किया जा सकता है।

(4) जयसमन्द मत्स्य बीज फार्म के विकास पर राजससंघ द्वारा अधिग्रहण के पश्चात् अब तक 13.16 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है तथा इस फार्म से 25 लाख मत्स्य बीज प्रायोगिक तौर पर उत्पादित किये गये हैं।

बेगूं में माड़ा योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

141. श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में विगत 5 वर्षों में माड़ा योजना के तहत क्या किसी गाँव में सम्पर्क सड़क बनाने का काम किया गया? यदि हाँ, तो किस-किस गाँव में।

(2) भविष्य में किस-किस गाँव में माड़ा योजनान्तर्गत सम्पर्क सड़क बनाने की क्या कोई योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पाँच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में माडा योजना के अन्तर्गत किसी भी गाँव में सम्पर्क सड़क बनाने का काम नहीं किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 1995-96 एवं आगे आने वाले वर्षों में माडा योजनान्तर्गत सम्पर्क सड़क बनाने की कोई योजना भारत सरकार के मानदण्डों में नहीं आने के कारण विचाराधीन नहीं है।

राज्य में भेड़ ऊन विकास

142. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में राज्य में भेड़ ऊन विकास की विभिन्न योजनाओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

(2) इन वर्षों में भेड़ ऊन विकास की कौन-कौनसी योजनाएँ क्रियान्वित की गयीं तथा उन योजनाओं में क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उन लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो सकी?

(3) राज्य सरकार आगामी वर्ष में भेड़ ऊन विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) विभाग की विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1991-92 में कुल राशि रुपये 779.53 लाख, 1992-93 में कुल राशि रु. 884.97 लाख, 1993-94 में राशि रु. 1163.59 लाख एवं वर्ष 1994-95 में कुल राशि रु. 908.31 लाख रुपये व्यय की गयी।

(2) वर्ष 1991-92 में विभाग द्वारा विभागीय वार्षिक योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएँ क्रियान्वित की गयी। वर्ष 1992-93 में विभागीय योजना, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं कृषि विकास परियोजनायें क्रियान्वित की गयी। वर्ष 1993-94 में विभागीय योजनाएँ, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं कृषि विकास परियोजना क्रियान्वित की गयी। वर्ष 1994-95 में विभागीय योजना, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, कृषि विकास परियोजना, सीमान्त क्षेत्रीय विकास योजना एवं ऊन विकास बोर्ड योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जिनके अन्तर्गत किये

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

गये कार्यों के भौतिक लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धि संलग्न परिशिष्ट अ, ब, स, द में दर्शायी गयी है।

(3) विभाग द्वारा आगामी वर्ष में निष्क्रमण की समस्या को कम करने हेतु चारागाह विकास, भेड़ों के लिए रोग निरोधक टीके आवश्यकता अनुरूप अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने एवं सघन विकास कार्यक्रम द्वारा वूल बोर्ड के माध्यम से भेड़ व ऊन का विकास करने का विचार है।

भेड़ प्रजनन फार्मों का सुदृढ़ीकरण कर अधिक संख्या में नस्ल सुधार हेतु विदेशी एवं संकर नस्ल के मेंढ़े उत्पन्न कर भेड़पालकों को उपलब्ध कराये जायेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे के भेड़पालकों एवं अन्य इच्छुक युवा भेड़पालकों को रोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलम्बी बनाने के लिए भेड़पालन का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं सघन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का विचार है। उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त भेड़ों के स्वास्थ्य रक्षा, रख-रखाव के लिए टीकाकरण, दवा पिलाना/छिड़कना, बधियाकरण, उपचार एवं ऊन के नमूनों की जांच का कार्य किया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद स्थित न्यायालयों में वकीलों की हड़ताल

143. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 01 जनवरी, 1990 से 31 जनवरी, 1995 तक नसीराबाद स्थित न्यायालयों में कितनी बार कितने दिन तक वकील समुदाय ने हड़ताल रखी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नसीराबाद में वकील समुदाय द्वारा अभी भी दोनों न्यायालयों में हड़ताल की जा रही है? यदि हाँ, तो मांगों का विवरण सदन की मेज पर रखें व उनका समाधान कब तक होगा?

(3) क्या सरकार उक्त हड़तालों के कारण होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर—

(1) नसीराबाद में वर्ष 90 में 23 दिन, वर्ष 91 में 41 दिन, वर्ष 92 में 10 महीने 3 दिन, वर्ष 93 में 29 दिन, 94 में 38 दिन एवं वर्ष 95 में 1 जनवरी से 26.1.95 तक 26 दिन व दिनांक 27.1.95 से स्थानीय अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

(2) दोनों न्यायालयों में हड़ताल की जा रही है व वकीलों की मांगों में मुख्यतः नसीराबाद को सब डिवीजनल हैड क्वार्टर घोषित करना, उप खण्ड अधिकारी व कार्यकारी मजिस्ट्रेट पदस्थापित करना, एडीजे. कैम्प कोर्ट आरम्भ करना, व उप पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण का कार्यालय खोलना एवं बार रूम अभिभाषकों को पुनः उपलब्ध कराना।

ये मांगे मुख्यतः विधि विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं, केवल एडीजे. कैम्प कोर्ट खोलने का सम्बन्ध विधि विभाग से है व अभी वहाँ पर कैम्प कोर्ट खोला जाना संभव नहीं है।

(3) वकीलों की हड़ताल के कारण होने वाली परेशानी के लिए सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है।

(12.00)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रतनलाल ताम्बी एवं श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के क्षतिग्रस्त बाँध, तालाब एवं एनीकटों का पर्याप्त संधारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में मलेरिया, पीलिया, हेपेटाइटिस व हैजा रोग फैलने से जनता में आतंक फैलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। क्रम संख्या-1 में अंकित विषय के सम्बन्ध में माननीय सदस्य दिनांक 27 अप्रेल, 1995 को सिंचाई विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के समय बोल सकते हैं। क्रम संख्या-2 पर अंकित विषय के सम्बन्ध में माननीय सदस्य दिनांक 26 अप्रेल, 1995 को चिकित्सा विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के समय बोल सकते हैं।

(3) श्री शांतिकुमार धारीवाल व चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के पत्रकारों को राजकीय आवास सुविधा एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। माननीय सदस्य को 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पंचायतों का बजट पारित करने की प्रक्रिया का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से पंचायत समितियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूँ। आज दिनांक 25 अप्रेल, 1995 को सामुदायिक विकास विभाग की मांग पर चर्चा के समय माननीय सदस्य चाहें तो उक्त विषय पर बोल सकते हैं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से भू-राजस्व पर लगने वाले पंचायत कर को तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले की अलसीसर पंचायत समिति के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री रिछपालसिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के सिंचाई बाँधों के रख-रखाव में की जाने वाली लापरवाही के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सांगानेर की पंचायत

(श्री अध्यक्ष)

समिति मापुरा की पुरानी बावड़ी की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अर्जुन दास मदान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा में चम्बल विकास परियोजना के अन्तर्गत दायीं मुख्य नहर की बह गई पुलिया के नवनिर्माण के सम्बन्ध में।

(7) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू के रेफरल चिकित्सालय की एक्स-रे मशीन खराब होने तथा रिक्त पदों को तुरन्त भरे जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र जैतारण के ग्राम आनन्दपुर कालू के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति गृह नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा शहर में रविवार की प्रातः 4.30 बजे एक ट्रक में भीषण आग की घटना में मरे दो व्यक्तियों व घायल अन्य व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेगूं विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र छोटी सादड़ी के कनेरा से निम्बाहेड़ा को जोड़ने वाली सड़क में गाँव केली के निकट स्थित पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से उत्पंन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर शहर के नजदीक स्थित घना पक्षी विहार की चार दीवारी के अन्दर के कब्जे काश्त खातेदारों को मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गम्भीरी नदी पर एनीकट बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा तहसील के ग्राम रोण में विद्युत विभाग के जे.ईएन. व लाईनमैन की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिजारा विधान सभा क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के चयनित परिवारों को नवीन सूची बनाकर राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(16) श्रीमती मनोरमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के बसई नवाब, भूरापुरा सहित पंचायतों में ऑगई नहर का पानी विगत 20 वर्षों से सिंचाई हेतु उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर जिले की तहसील बौंली के ग्राम मित्रपुरा को तुरन्त पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहायक अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड जायल (नागौर) द्वारा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

(19) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरासी के प्राथमिक विद्यालयों को

(64)

(श्री अध्यक्ष)

उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 31.1.1985 को इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र की उपनिवेशन तहसील कोलायत के ग्राम बीकमपुर के विभिन्न चकों की कृषि भूमि पूंजीपतियों को आबंटित करने की जाँच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(21) श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित आमेर महलों के अधीक्षक पुरातत्व कार्यालय में व्याप्त कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि आज दिनांक 25 अप्रेल, 1995 को मांग संख्या-41, जो सामुदायिक विकास से सम्बन्धित है, भी विचार एवं मतदान हेतु नियत है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रक्रिया नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत सामुदायिक विकास से सम्बन्धित जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं, उनके प्रस्तावक माननीय सदस्यों को सामुदायिक विकास की अनुदान की मांग पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्षजी, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, बहुत महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव था उसका क्या हुआ ?...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्षजी, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था वह एक बलात्कार के सम्बन्ध में था।

श्री अध्यक्ष : देखकर बताऊंगा, बिराजें आप।

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्षजी, एक मिनट सुना जाए। अध्यक्षजी, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, एक महिला के साथ में जबरदस्ती बलात्कार हुआ और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट हुई उससे मुजरिम को बेजा फायदा दिया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, मैं देख कर बताऊंगा।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्षजी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस पर सरकार से जानकारी ली जाए और सरकार से जानकारी लेकर उसको यहाँ रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्षजी, आज सदन में यह पेम्फलेट मुझे मेरी टेबल पर मिला है जिसमें राजस्थान के मुख्य सचिव के खिलाफ, दूसरे अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के चार्जेज हैं। हरिराम...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : ...को इसलिए मरना पड़ा कि मुख्य सचिव ने उसकी फाइल को दबाकर रखी। ऐसे पेम्फलेट के बारे में...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। I rule out your point of order. बिराजिये आप। श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्री रामनारायण मीणा : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है...

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीरो आवर है...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा : ...मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ, इस तरह के खुले भ्रष्टाचार के आरोप लगाये...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिजनैस आने दें, बिराजिये आप !...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा : खुला भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा : ...यह कैसे सम्भव हो सकता है? आसन सर्वोपरि है, हम आसन से...(व्यवधान)...राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

श्री रामस्वरूप : मौत हुई है, उसके कारण अत्याचार हुआ है।

श्री रामनारायण मीणा : भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार में...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आप जीरो आवर ले रहे हैं या नहीं ले रहे? जीरो आवर है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रहा हूँ...

श्री अध्यक्ष : हाँ, मैं आपको बुला रहा हूँ, आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : वहाँ अजमेर जिले के अन्दर डी.आर.डी.ए. की किसी स्कीम पर काम नहीं हो रहा है। आप मुझे मौका दे रहे हैं बोलने का?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री धारीवालजी बोल रहे हैं अभी।

श्री विष्णु मोदी : वहाँ सारी पंचायतों के अन्दर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो एक्शन प्लान जाना था वह वहाँ बी.जे.पी. के जो प्रधान हैं और जिला परिषद् के लोग हैं वे उस एक्शन प्लान को, चूंकि 90 पर्सेन्ट जगह कांग्रेस के सरपंच जीते हैं, उस एक्शन प्लान पर आपस में झगड़ा हो रहा है। उसके कारण गांव के अन्दर रोजगार के कार्यक्रम नहीं खुल रहे हैं और उससे वहाँ भारी असंतोष व्याप्त है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सिर्फ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : राजनीतिक दखल के कारण वहाँ पंचायतों के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है और न ही भारत सरकार से डी.आर.डी.ए. की जो किश्त आनी थी वह आयी है। इसलिए पैसे के कारण भी काम शुरू नहीं हो रहा है लेकिन मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि डी.आर.डी.ए. की ग्राम सभाओं ने जो स्कीम एप्रूव की हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और जिला प्रमुख उस स्कीम्स को एप्रूव नहीं कर

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

रहे हैं उनको एप्रूव करके और जल्दी से जल्दी डी.आर.डी.ए. के काम शुरू करवाये जाएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हो गया आपका तो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ऑन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर, सर। मैं यह निवेदन कर रहा था कि 22 तारीख को यमुना जल बंटवारे के सम्बन्ध में रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें मुख्य मंत्री महोदय स्वयं होकर आये हैं और जिस दिन मेरा प्रस्ताव था इस सम्बन्ध में, आपने यह फरमाया गया कि 22 तारीख मीटिंग के बाद जो बात होगी मैं सदन के सामने रख दूंगा, बहुत ही इम्पार्टेंट इण्टर-स्टेट मैटर है। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ इसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई वक्तव्य दिया जाए, इस मैटर पर डिस्कशन किया जाए,। यह मेरा निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय सिंचाई विभाग की मांग रखी जाएगी, उस समय मैं उस मामले में वक्तव्य दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस समय बोल लेना आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मुखबंद हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उस दिन तो मुखबंद हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं वक्तव्य पहले देऊंगा। बाद में मुखबन्द होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मुँह खुला रखकर बात कर लें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री धारीवाल जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, बाछावत वेतन आयोग की सिफारिशें आयीं और इस बाछावत वेतन आयोग की सिफारिशों को राजस्थान के समाचार-पत्रों की करीब 35 या 36 संस्थाओं ने माना। दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस वेतन आयोग को सिर्फ वेतन का काम सौंपा गया।...(व्यवधान) सुन लो। गंभीर बात है, पत्रकारों का मसला है...

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं, राजस्थान का मसला है।

श्री रामस्वरूप : कितनी गंभीर बात है, कितना गम्भीर मामला है...

श्री अध्यक्ष : जोर से मत बोलिये आप। कंठ खराब हो जाएगा आपका।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजस्थान का मसला है। वेतन आयोग की सिफारिशों को समाचार-पत्रों की 36 संस्थाओं ने राजस्थान में माना। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही, अध्यक्ष महोदय, कि इस वेतन आयोग को सिर्फ वेतन तक का ही काम दिया गया। पत्रकारों को रिहाइश, पत्रकारों को चिकित्सा और पत्रकारों की व्यक्तिगत सुरक्षा आदि का काम इसको नहीं दिया गया और उसकी वजह से आज यह हुआ कि यह मेहरबानियां स्वाभिमान पर हावी हो गयीं। एक निजी संस्था को या एक समाचार-पत्र को सिर्फ दो एक्रेडिटेशन अलाउ किये गये और वह एक्रेडिटेशन भी उन्होंने अपने ही परिवार के दो सदस्यों में आपस में बांट लिया। वर्किंग जर्नलिस्टों का कहीं नाम नहीं हुआ। नतीजा यह निकला कि हाउसिंग बोर्ड में जो 2 पर्सेन्ट का कोटा मकानों का आपने निर्धारित किया था, वह कोटा आज भी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि निजी संस्थाओं के उन लोगों के पास, जिनके पास एक्रेडिटेशन हैं, यह एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट कहलाते हैं, आलरेडी मकान हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि आप जयपुर के

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

हालात देख लें। 1521 मकान आपके पास यहां पर मौजूद हैं। इसमें प्रथम श्रेणी के 77, द्वितीय श्रेणी के 243, तृतीय श्रेणी के 183, चतुर्थ श्रेणी के 498 और एच टाइप में 198, कुल मिलाकर 1521 मकान आपके पास मौजूद हैं। कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने इन वर्किंग जर्नलिस्टों को 10 से 15 के बीच मकान दिये लेकिन आपके शासन में सिर्फ दो या तीन आदमियों पर ही आपने मेहरबानी की।

आप दिल्ली को ले लीजिये। 250 के ऊपर वर्किंग जर्नलिस्टों को रिहायशी मकान उपलब्ध करवाये गये वहां की सरकार द्वारा। भुवनेश्वर में 62, भोपाल में 70, हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, लखनऊ वगैरह-वगैरह कई स्थानों पर इन वर्किंग जर्नलिस्टों को वहां की सरकार ने रिहायशी मकान ही नहीं दिये, चिकित्सा की सुविधाएं भी उपलब्ध करवायी हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा कम्पलीट नहीं हुआ। मैं बहुत शार्ट में बोलूंगा। आप बेफिक्र रहें, वाहियात बात नहीं बोलूंगा और आपको खुश करते हुए बोलूंगा। वहां की सरकारों ने वर्किंग जर्नलिस्टों को रिहायशी मकान ही नहीं दिये, मकान और दूसरी सुविधाएं देकर सम्मानित भी किया। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह मानूं कि राजस्थान की सरकार इन वर्किंग जर्नलिस्टों को सम्मान देने में कंजूसी बरत रही है?

अध्यक्ष महोदय, यह पत्रकार ही आज संस्कृति के झण्डाबरदार हैं। राजनीतिज्ञों की जन्म-कुण्डली में कहां खोट है, यही बताते हैं। यही पत्रकार बताते हैं कि कौन किसके साथ निजी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। कौन चापलूस सत्ता का सुख भोगना चाहता है या भोग रहा है। यही पत्रकार हमारे दर्पण का काम करते हैं। कौन किस पर जुल्म ढा रहा है, इन्हीं के द्वारा हमें जानकारी मिल पाती है। इसके साथ-साथ, मुख्य मंत्रीजी, यही वे पत्रकार हैं जिन्हें कभी-कभी पुलिस की लाठियों का जौहर भी झेलना पड़ता है, अयोध्या में अपने कपड़े भी फड़वाने पड़ते हैं और अहमदाबाद में जब मुख्य मंत्रीजी की ओथ सेरेमनी हो रही थी तो उस वक्त लातें और घूंसें भी इन्हीं पत्रकारों द्वारा खाये गये थे। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मुख्य मंत्रीजी से, कि आपकी जो भव्य मूर्ति आज राजस्थान की जनता को ही नहीं, पूरे देश को देखने को मिलती है, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, इसमें आपकी कड़ी मेहनत और आपके पक्के इरादे का तो 20-25 पर्सेन्ट ही योगदान है, लेकिन कम से कम 60 पर्सेन्ट योगदान इन पत्रकारों का ही रहता है। अब बाकी रह गया 15 पर्सेन्ट। अब 15 पर्सेन्ट में से 10 पर्सेन्ट तो घिस्सा-पट्टी में मान लो आप और 5 पर्सेन्ट केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा वक्त-वक्त पर जाली प्रमाण पत्र द्वारा मान लो। मेरा आपसे यह निवेदन है, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय, कि पत्रकारों का दिलो-दिमाग भय मुक्त रहे, ताजा-तरीन रहे तो हमें यह देखना होगा, इस सदन को यह देखना होगा कि–

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : जब से आप गाडगिल बने हैं, पत्रकारों की चिन्ता हो गयी है आपको।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनकी लेखनी पर किसी मजबूरी का साया न पड़े। हमें यह भी देखना होगा कि उनकी आजाद कलम बदस्तूर भ्रष्टाचार के खिलाफ चलती रहे, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, यह हमें देखना होगा। साथ-साथ यही वह पत्रकार हैं जो सरकार द्वारा

68

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)
वक्त-वक्त पर किये गये विकास कार्यों को जनता को गिनाते रहते हैं। हमें इनकी भूमिका को नजरंदाज नहीं करना चाहिये।

आखिर में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन पत्रकारों की उस दयनीय स्थिति को देखिये। जब यह रात को 12 बजे, एक बजे, दो बजे अकेले टू व्हीलर पर अपने कार्यालय से घर की ओर जाते हैं, सात या आठ किलोमीटर दूर का रास्ता अकेले तय करते हैं। एक जिलाधीश को, एक एस.पी. को आपने पुलिस की गार्ड दी लेकिन वह पत्रकार, जो रात को नौ बजे से एक बजे तक भू-माफिया के खिलाफ लिखकर आया है, वह पत्रकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखकर आया है, वह पत्रकार जो गुण्डों की कलई खोलकर आया है, जब अकेला घर पर लौटता है तो कितनी असुरक्षा की भावना उसके मन में होती है। लेकिन इस राजस्थान की सरकार ने उसको कोई सुरक्षा नहीं दे रखी। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर कुछ देंगे भी तो कोई मेहरबानी नहीं होगी। आप कम से कम इनका वाजिब हक दीजिये। दीजिये, खूब दीजिये। केसरगढ़ ही नहीं, नाहरगढ़ भी दीजिये और जयगढ़ भी दीजिये लेकिन वर्किंग जर्नलिस्टों को भी तो कुछ दीजिये। यही निवेदन करता हुआ आखिर में आपकी बड़ी कृपा होगी अगर इन वर्किंग जर्नलिस्टों की हालत पर आप ईमानदारी से गौर करेंगे और कुछ न कुछ अपने हाथ से देंगे, घिस्सा-पट्टी नहीं करेंगे।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान) अब अंकित नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुराम गरासिया।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : जिनका नाम है, उनको तो बोलने दें। आप देख लो, नाम है उसमें। एडजोर्नमेंट मोशन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह अभी मेरे पास नहीं है। आप काफी कह चुके हैं। बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, कहां कह चुका, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुराम गरासिया।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन में हमारा नाम है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कुछ तो फरमाओ, साहब।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ फरमा रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : दो मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने पहली बार जिन्दगी में पत्रकारों की वकालत की है। उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।...(व्यवधान) कारण कुछ भी होगा, मुझे मालूम नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : धन्यवाद तो हो गया, आगे भी बोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पत्रकारों के और मेरे सम्बन्ध

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पिछले चालीस वर्ष से बहुत अच्छे रहे हैं। मैं उनकी समस्या को समझता हूं वे मेरी समस्या को समझते हैं। मैं उनके अभाव-अभियोगों को समझता हूं वे मेरे अभाव-अभियोगों को समझते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे बीच में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मैं निपटा दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, वह कैसे आ सकते थे? आपकी और मेरी आयु के पहले पैदा होना तो इनके हाथ नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे?

श्री परसराम मदेरणा : आपके पत्रकारों से चालीस साल से सम्बन्ध हैं_

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाँ, 1952 में आया हूं मैं।

श्री परसराम मदेरणा : जब इनकी आयु आपके और मेरे बराबर नहीं थी तो यह पहले पैदा कैसे हो जाते? आपकी आयु के बराबर नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके लिये नहीं कहता। मैं तो 1952 में आया हूं। 1952 के पहले भी मेरे पत्रकारों से सम्बन्ध थे। मेरे घर में भी पत्रकार हैं। इसलिए पत्रकारिता और पत्रकारों से मेरे सम्बन्ध रहे हैं। आपको क्यूँ कहने की तकलीफ हुई, इसको मैं समझता हूँ लेकिन अभी बोलूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए! श्री प्रभुराम गरासिया।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र आबू रोड़ नगर में पीने के पानी में कुछ हानिकारक लवण आ जाने से उपरोक्त पेयजल का उपयोग करने से लोगों के गले में सूजन आ गयी है एवं पेट में दर्द हो रहा है। इससे लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया तुरन्त उक्त पानी की जांच करवाकर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की कृपा करें। वैसे भी आबू रोड़ में पेयजल की भारी समस्या है। अतः समुचित कार्यवाही करायें। स्वास्थ्य मंत्री जी इसकी भी जांच करायें कि पानी की फिल्टर व्यवस्था सुचारु रूप से है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 5.4.1995 को होती गांव, सांचौर तहसील में भयंकर आग लगी, 52 घर जलकर पूरी तरह नष्ट हो गये, करोड़ों रुपये का उसमें नुकसान हो गया। सरकार की तरफ से आज दिन तक उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मैंने खुद ने 12 बजे जिला कलक्टर को टेलीफोन पर अवगत कराया कि भयंकर आग लगी है मगर सरकार की तरफ से उनको आग बुझाने के लिये कोई सुविधा नहीं मिली, कोई व्यवस्था नहीं मिली और रात को आठ बजे जिला कलक्टर वहां पर पधारे और वहां की जनता को भी कोई आश्वासन नहीं दे सके। वहाँ की जनता खलबलाती रही, चिल्लाती रही और उनको कोई राहत नहीं दी गई। जिला कलक्टर ने सिर्फ डेढ़ सौ रुपया, जिनके घर पूरे जलकर नष्ट हुए थे उनको डेढ़-डेढ़ सौ रुपये दिये गये। लोगों ने कहा कि कलक्टर साहब, इस डेढ़ सौ रुपये में तो एक खटिया भी नहीं आ सकती, हमारा करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपने अनाज घर में ही क्यों रखा। ऐसी सरकार है। इसके पाँच-सात दिन बाद एक मंत्रीजी वहां पधारे। मंत्रीजी श्री देवड़ा साहब ने भी कोई आश्वासन

(श्री हीरालाल विश्नोई)

नहीं दिया। इसलिए सरकार ने अभी तक उस गांव के लोगों को कोई राहत नहीं दी है। मैं उस गाँव में जले हुए बर्तन और अनाज की स्थिति आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। ऐसे-ऐसे बर्तन जलकर नष्ट हो गये, एक अनाज का दाना उनके घर में नहीं बचा, चारा भी उनके घर में नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मगर आज दिन तक सरकार की तरफ से उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। मुख्य मंत्रीजी बिराजमान हैं, उस गांव के अन्दर 52 घर पूरे जलकर नष्ट हो गये और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है तो सरकार की तरफ से वहां राहत दिलवायें। यह मैं सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा। ऐसा नहीं हो सकता है। बिना अनुमति के पटल पर तो आप नहीं रख सकते।...(व्यवधान)... इसकी अनुमति मैं नहीं दे सकता। मैं अभी इसकी अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : पूरा गांव उनका जल गया, क्या उनको सहायता दी? खाने की व्यवस्था की नहीं, कपड़ों की व्यवस्था की नहीं। सरकार से स्टेटमेंट दिलवाइये आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : पूरा गाँव जलकर नष्ट हो गया और सरकार की तरफ से डेढ़-डेढ़ सौ रुपया दिया गया है।

श्री रामनारायण मीणा : एक माननीय सदस्य के क्षेत्र में यह घटना हुई, उन्होंने अपने तथ्य भी पेश किये। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करूंगा कि ऐसी भयंकर समस्या है। जहाँ साधारण सी बात पर सरकार मुख्य मंत्रीजी सहायता कोष से पैसा देती है, यह मानवीय कृत्य है, मानवीय कार्य है और यह कल्याणकारी राज्य है। मैं आशा करूंगा, सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं। उनके सामने तथ्य हैं, कितना आप सहयोग दे सकेंगे, उनकी मदद करेंगे, गांवों में जो हादसा होता है गरीबों के पास कुछ भी नहीं है अभी खाने को।

श्री अध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा। बिराजिये। शून्यकाल है, ज्यादा लम्बा नहीं करें।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक स्थान की बहुत भारी पीड़ा बताई है यह पिछले सदन के अन्दर भी, उससे पहले के सदन में भी बार-बार यह मुद्दा उठता रहा है कि इस तरह के जो दैवीय-प्रकोप होते हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए एक तो तत्काल व्यवस्था दें और एक स्थाई रूप से व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों की तरफ से पहले से भी, आज से भी...(व्यवधान)...कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप देखिएगा कि कितनी जगह आग लगने की घटनाएं होती हैं और कितने घर और गांव भस्म हो जाते हैं।...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : सरकार कहती है कि हम संवेदनशील हैं और राहत देते हैं, 52 घर जलकर भस्म हो गये और सरकार सुन रही है, उत्तर नहीं दे रही है...(व्यवधान)...

श्रीमती कमला : न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई अनाज की व्यवस्था है, न कपड़े लत्तों की व्यवस्था है...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटना पाली जिले के अन्दर भी हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा जी। आप सब बिराजिये। अब काफी हो गया है, बिराजिये। अब किसी दूसरे का अंकित नहीं करें।

श्रीमती कमला : XXX

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री आर.पी.शर्मा जी।

(माननीय सदस्य श्री हीरालाल विश्नोई द्वारा सदन के वैल में धरना)

श्री अध्यक्ष : आपका अधिकार है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप बिराजिये।

(श्री हीरालाल विश्नोई का धरना समाप्त)

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने तीन बार आपको टोक दिया। आप बोले ही जा रहे हैं...(व्यवधान)...बिराजिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री आर.पी. शर्मा।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में निवेदन करूंगा कि होती गांव में चार तारीख को अचानक कुछ झोंपड़ियों में आग लगी। लोगबाग खेतों में गए हुए थे, इस कारण से करीब 52 मकान जल गये, उसमें काफी नुकसान भी हुआ और तत्काल ही वहाँ एस.पी. और कलक्टर भी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी चंद जी मेहता, सांचौर नगरपालिका के अध्यक्ष, सब लोग वहाँ पर पहुँचे और करीब एक लाख पचास हजार का उनको सामान दिया गया। सरकार की तरफ से भी उनको सहायता दी गयी। मैं स्वयं गया। माननीय विधायक महोदय उस समय तक वहाँ पर नहीं गये थे। मैं वहाँ पर जाकर आया हूँ।

श्री हीरालाल विश्नोई : सारा का सारा ही असत्य बोल रहे हैं। मैंने तो जिला कलक्टर को फोन करके कहा था और आप यह कह रहे हो। आप लाख रुपये की बात कर रहे हो (व्यवधान)...सिर्फ डेढ़ सौ रुपया दिया गया सरकार की तरफ से 52 घर में। यह मेरे पास तहसीलदार का लिखा हुआ प्रमाण-पत्र है। आप तो सात दिन बाद पहुचे थे, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल विश्नोई : 52 घर में डेढ़ सौ रुपया देकर डेढ़ लाख की बात कर रहे हो।...(व्यवधान)...

श्री परसादीलाल मीणा : डेढ़ सौ रुपये देकर डेढ़ लाख की बात कर रहे हैं। आप गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : आप तो माननीय सदस्य गये ही नहीं वहाँ पर।...(व्यवधान) और मैं तो वहाँ जाकर आया हूँ और मैंने पाँच हजार रुपये और भी उनको दिये हैं। अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो सात दिन बाद गये हैं। इन्होंने कलक्टर को सूचना दी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्रीजी, आप असत्य नहीं बोलें।

श्री जगदीप धनखड़ : राजनैतिक रोटी सेंक रहे हैं आप।

श्री परसादीलाल मीणा : कोई आश्वासन नहीं दिया आपने।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले मंत्रीजी की बात पूरी सुनें।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्रीजी, आप असत्य बोल रहे हो। कलक्टर ने डेढ़ सौ रुपये दिये थे और आप कह रहे हो डेढ़ लाख रुपया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग मंत्रीजी की बात भी नहीं सुन रहे हैं। आप पहले मंत्रीजी की बात सुन लें।

श्री हीरालाल विश्नोई : इतना + + + सरकार की तरफ से। क्या सुन लें, साहब, असत्य बोल रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले आदमी हैं, उनको मकान दिलाने के लिए उनकी फाइलें वहाँ भेजी गयीं और इस सम्बन्ध में माननीय राहत मंत्रीजी से भी बात की गयी, मुख्य मंत्रीजी से भी बात की, जो भी कार्यवाही हो सकती है, की जा रही है।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप। श्री आर.पी.शर्मा जी।...(व्यवधान)...

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा। आप और जोर से बोलिये ।

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री अध्यक्ष : इसलिए नहीं होगा कि मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं और आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्रीमती कमला : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : XXX

श्रीमती कमला : XXX

श्री हीरालाल विश्नोई : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। इस पर चर्चा नहीं चल सकती। शून्य काल में केवल लिमिटेड टाइम है। एक माननीय सदस्य को दो मिनट में अपनी बात कहनी है।

श्रीमती कमला : XXX

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, दो-चार घंटे यही कार्यक्रम चलता रहे? बिराजिये आप। शून्य काल का मतलब शून्य काल होता है। आपने बात उठा दी है, सरकार के ध्यान में ला दी है, सरकार जो उचित कार्यवाही होगी, करेगी। क्या आसन सरकार को बिना काम के कम्पेल कर सकता है?

श्री हरिसिंह (महुआ) : XXX

श्रीमती कमला : XXX

श्री अध्यक्ष : सरकार कुछ नहीं कर सकती, मैं यह नहीं कह रहा हूँ माननीय। आप बिराजिये। प्रतिपक्ष के नेताजी बोल रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि आप फरमायें, अंकित करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आगजनी की घटनाएं अकस्मात् होती हैं। It is a bolt from the blue, natural calamity. सांचौर में जो घर जले, कोई चीज बाकी बची नहीं। मुख्य मंत्रीजी, आगजनी में

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

जो राहत देने के प्रावधान हैं यह रेवेन्यू एजेन्सी के थ्रू दिये जाते हैं। आप जो रकम निर्धारित करते हैं वह बहुत ही कम है। उसका असेसमेंट भी 1/6 कहा जाता है लेकिन वास्तव में दिया नहीं जाता। एक-एक कलक्टर के पास कहीं तीस हजार रुपये, कहीं चालीस हजार रुपये, यह अमाउण्ट जाता है जबकि गाँवों में नुकसान हो जाता है लाखों रुपयों का। जब यह प्रश्न आया है तो मुख्य मंत्रीजी अभी दूसरे मंत्रीजी बीच में खड़े हो गये। इन्होंने जरा पालिटिक्स को इंडक्ट कर दिया। यह पालिटिक्स का मामला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल नहीं किया था।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी कुछ बोलना चाहते थे और वह उनके बीच में खड़े हो गये तो उन्होंने कहा दूसरे मंत्री बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सदन के माननीय सदस्यों की जो भावना है, अपन पालिटिशियन हैं (व्यवधान) पालिटिक्स को करो इंडक्ट, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं यह बात नहीं कहता लेकिन मैं जो निवेदन कर रहा हूँ...

श्रीमती तारा भण्डारी : वह अपनी + + +

श्री हीरालाल विश्नोई : मैंने उनको जालौर जिले में जाकर खबर दी है। पूरा सदन ही असत्य बोल रहा है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, वहाँ गये नहीं...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आपको क्या मालूम कि नहीं गये?

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप सभी बिराजें।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : श्री हीरालालजी, वह जनता पूछेगी वहाँ कि आप नहीं पहुँचे हो। वह पूछेगी।

श्री परसराम मदेरणा : I am in the possession of the floor of the House. बड़ा आश्चर्य हुआ यह सुनकर कि चीफ व्हिप महोदय, कौन कहाँ चला गया, कितनी देर में गया और वह पहले पहुँच गया, वह डिबेट के स्कोरिंग पाइण्ट नहीं हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : जानकारी दी है इन्होंने...

श्री परसराम मदेरणा : आप सुन नहीं रहे हो। सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि कलक्टर को मैंने टेलीफोन किया था जालौर में इस तरह आग लग गयी है। इस बात को आप सुनना पसन्द नहीं करते हो। + + + (व्यवधान) वह अलग बात है। कौन पहले पहुच गया, कौन नहीं पहुँचा, स्कोरिंग पाइंट नहीं है। मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि ह्यूमेनिटेरिन मैटर है और इस सदन में कहीं न कहीं अपने को रिलीफ का जो क्वांटम है, बहुत ही कम है, इस अमाउण्ट को बढ़ाया जाना चाहिये ताकि लोगों को राहत मिल सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंहजी ने मुझे उसके पहले सूचना दी थी कि इस प्रकार होती गाँव में आग लग गयी है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा, आप चले जाइये। कल इन्होंने आकर मुझे रिपोर्ट दी पूरी डिटेल्स में कि किस तरह से आग लगी, किस तरह से हमने जनता से राहत दिलायी, किस तरह सरकार से दिलायी। आपकी भी इच्छा थी कि सरकार से

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कुछ राहत और मिले। कल वह रिपोर्ट दी, रिपोर्ट आने के बाद आज प्रातः काल उस सारी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैंने कलक्टर को यह कहा कि किन-किन आदमियों की हैसियत किस प्रकार की थी, कितना नुकसान हुआ है, उसकी पूरी डिटेल्स बनाकर मेरे पास भेज दें ताकि उन डिटेल्स के आधार पर और सहायता देने की आवश्यकता होगी तो सहायता और दी जाएगी। अब माननीय सदस्य यहाँ बोलें और बोलकर उसको राजनीति में लाने की कोशिश करें कि जैसे वह गये, और बाकी के लोग गये ही नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि म्युनिसपैलिटी का चैयरमेन वहाँ पहुँच गया था। एक्स.एम.एल.ए. वहाँ पहुँच गये थे। मंत्री महोदय वहाँ पहुँच गये। सरकारी अफसर वहाँ पहुँच गये। जहाँ तक आग बुझाने का प्रश्न है, वह आग लगी और आग नहीं बुझा पाये, यह तो संभव भी नहीं है कि हर जगह फायर ब्रिगेड चली जाए और जाकर आग को बुझा दे। आग के कारण से जो पीड़ा हुई है उस पीड़ा में सरकार कितनी सहायता दे सकती है, उसके नार्म्स भी मैंने आज सुबह मंगाये हैं। कमलाजी बोल रही हैं, नार्म्स बदले जाएँ। अब मैं, आपसे पूछूंगा आपने 40 वर्षों तक क्या किया ? _(व्यवधान) अब आप बोलिये मत—

श्रीमती कमला : कहा कि हम पूर्व की सरकारें, मैंने उसका भी_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको नहीं टोका है। आपको मैंने टोका नहीं है। आप राजस्व मंत्री थीं यहाँ पर और विपक्ष में हम लोग बैठे थे, आपने दिया, मैं बता रहा हूं ना_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनिये आप_(व्यवधान) भाटी साहब, बिराजें।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : किसानों की, काश्तकारों की जो सरकार है वह भी कुछ नहीं कर रही है। पांच सौ रुपये दिये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, सिर्फ पांच सौ रुपये दिये गये हैं आपके जिले में और लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है—

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप। बिना अनुमति के नहीं बोलें माननीय सदस्य। अंकित नहीं करें इनका।

श्री भीमराज भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मंत्रीजी को बोलने भी नहीं देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज अगर कोई यह कहे कि हम ही निर्दयी हो गये और हम सहायता नहीं दे रहे हैं तो यह नियम आज के बने हुए नहीं हैं। यह नियम बहुत पुराने बने हुए हैं। इन नियमों_(व्यवधान) हाँ, बदल दें वह_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनिये। माननीय, आप बिराजिये। आप पूरी बात सुनने ही नहीं देते माननीय सदस्य।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैक्सिमम 200 रुपया लेने नहीं आया वह काश्तकार इसलिए मैं_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराज जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हाउस में यह परम्परा डालेंगे कि कोई भी बोले और उसको बोलने नहीं दिया जाए तो मैं उसको भी सहने को,

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जवाब देने को तैयार हूँ और हाउस में यह परम्परा डालें कि किसी भी ऐसी समस्या पर जो संवेदनशील हो उसके ऊपर हम गम्भीरता से चर्चा कर सकें तो यह नहीं कि बीच में कोई भी खड़ा होकर टोकना शुरू कर दें। आप तय कर लीजिये। आप अपनी पार्टी को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मर्जी की बात है। आप करिये। कमलाजी बोल रही थीं, कमला जी के साथ ही एक लाइन में चार कांग्रेस पार्टी के विधायक बोल रहे थे, आखिर कहीं न कहीं तो आपको नियंत्रण करना पड़ेगा...

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : नियंत्रण दोनों तरफ एक सा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब ऐसी स्थिति में आप बोल रहे हैं, आप बोलिये...(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : 40 साल की बात करके...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, विराज जाएं। आप बिराजिये। जब मुख्य मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं, सदन के नेता कोई बात कह रहे हैं आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिये...

श्री भीमराज भाटी : 40 साल में जो नियम...

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं। कोई अंकित नहीं करें इनका।

श्री भीमराज भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं। उनकी पूरी बात सुनिये कि नार्म्स क्या हैं, क्या नहीं हैं। पूरी बात कह रहे हैं तो आप बीच में ही खड़े हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष के नेता हाउस में अपने दल को कण्ट्रोल नहीं कर सकते तो बोलने का कोई अर्थ नहीं है।

श्री राधेश्याम : उधर के भी तो बोल रहे थे, जब भी विपक्ष के नेता खड़े होते हैं, दस आदमी खड़े हो जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब दे दें, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात निवेदन कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय सदस्य। आप एक साथ खड़े हो जाते हो...(व्यवधान) फिर चार खड़े हो गये।

श्री रामनारायण डूडी : जब कभी भी हाउस के नेता बोलते हैं तो वे एक ही बात कहते हैं कि 40 साल के अन्दर आपने नहीं किया। यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है। यह बात कहने की क्या आवश्यकता हुई ? 40 साल में हमने नहीं किया, अब यह चूंकि संवेदनशील मामला है इसलिए यह बात पैदा हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के नेता को नहीं सुना गया तो फिर अन्य को कोई बोलने नहीं देंगे, यह बात सत्य है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप खड़े होकर बोलिये, यह सदन की परम्परा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय श्रीमती ताराजी, आप बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता इस राज्य के मुख्य मंत्री हैं और मुख्य मंत्री हमेशा सदन के नेता होते है। जब वह बोलते हैं तो

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)
मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं करें। कल मैं बोल रहा था और बोलने के बीच में काफी लोगों ने व्यवधान डाला तो फिर बीच में ही बैठ गया। तो उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आप केलेमिटी को दूसरे केलेमिटी के साथ जोड़ रहे हैं। यह एक आगजनी का मामला है और क्वश्चन नार्म्स के रिवाइज करने का है। रिवाइज किया जाए या नहीं किया जाए पर एक बात यह भी है मुख्य मंत्रीजी की जो 40 साल वाली बात है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कहते हो उसमें कांटा मुझे भी लगाना पड़ता है।

श्री परसराम मदेरणा : अब ज्योंही आप 40 साल लगाते हो हमारे भी खुजली चलने लग जाती है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : मैं रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूँ, नार्म्स गलत थे लेकिन मेरे साथ में एक कन्स्ट्रेंट था, कन्स्ट्रेंट यह था कि मैं वित्त मंत्री नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो, हो, हो, हो।

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता हो, हो कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए कि आपने मेरे ऊपर डबल भार डाल दिया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने श्री सुखाड़ियाजी के वक्त में यह बात कही थी, जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं था और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर भी उनकी रिकमंडेशन पर जाते-जाते बनाया गया था। कुछ रेवेन्यू ब्लॉक में मेरा इन्ट्रेस्ट था लेकिन नार्म्स पुराने बने हुए थे।...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको बदलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : श्रीमती कमला जी भी रेवेन्यू मिनिस्टर रही हैं लेकिन उन्होंने बदले नहीं। इसलिए नार्म्स पर पुनर्विचार कीजिये।...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूँ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं उसमें यह नहीं कह रहा हूँ कि इस पर्टीकुलर मामले को लेकर, कलक्टर की मैं दयनीय स्थिति बताता हूं, एक-एक गाँव में नुकसान तो हुआ 10-10 लाख रुपये का और कलक्टर के पास रकम रहती है 40-40 हजार रुपये और वह रकम बढ़ती नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडीचर, इस मामले के अन्दर रेवेन्यू एक्सपेंडीचर आप कितना भी करेंगे तो इस प्रश्न को एक्सपेंडीचर के पर्सेन्टेज में आउट राइट घटाने का क्योंकि यह मार्मिक प्रश्न है, यह संवेदनशील मामला है, कोई भी आदमी आप आगजनी की बात कीजिये, अब यह तो परिवार में अकेले हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन?

श्री परसराम मदेरणा : श्री मेघवाल साहब। आप देखिये, एक लोटे से लेकर, अपने बर्तन से लेकर बिस्तर से लेकर वह कम से कम उम्र भर की कमाई के बाद सामान इकट्ठा करता है धीरे-धीरे, हर साल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतना बजट नहीं होता है। तो किसी फेमिली की जो कुछ उम्र भर तक उसके घर की व्यवस्था चलाने के लिए उसके पास जो सामान है वह नष्ट होकर आकाश के नीचे आ जाता है। एक बड़ा संवेदनशील मानवीय प्रश्न है। मैं समझता हूँ नार्म्स बहुत पुराने हैं। इन नार्म्स पर पुनर्विचार करके इस

(श्री परसराम मदेरणा)

मामले के अन्दर जो आपने आलरेडी मंगवा लिये हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितनी क्षति हुई, उस क्षति में उनको कुछ पूर्ति हो सके और नार्म्स रिवाइज करने की बात भी है। तो उसमें कोई लॉ का अमेंडमेंट नहीं है। यह एक्जीक्यूटिव आदेश है और स्वयं सरकार कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। 40 वर्ष से मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं अब कुछ नहीं करना चाहता। 40 वर्ष में आपने गलतियाँ कीं तो मेरा सुधारने का काम है (व्यवधान) अब आप फिर खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनें तो सही आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि कमलाजी बहुत नाराज हो रही थीं।

श्रीमती कमला : हमारे समय में नहीं हो पाया इसलिए अब आप तो करो। यह तो आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं तो कह रही हूँ कि श्री सुखाड़ियाजी के जमाने में दरअसल खूब पैसा मिलता था लेकिन उसके बाद आज तक किसी गाँव में एक भी घटना में नहीं मिला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आपके साथ मैं गया था जिस समय ओलावृष्टि हुई। आपने कहा कि नार्म्स के हिसाब से कम सहायता मिलती है, नार्म्स को बढ़ाया जाए। आप मेरी इस बात की दाद देंगी, आपके साथ जाने के बाद मैंने नार्म्स बढ़ाये और ओलावृष्टि में लोगों को राहत दी। आज मैं आपको फिर कहता हूँ, व्यवस्था पुरानी है और अग्नि के कारण पीड़ितों को सहायता जितनी मिलनी चाहिये उस प्रकार की नहीं मिलती है। इसलिए मैंने कल ज्यों ही आपने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देकर यह बताया कि इतना तो गाँव वालों ने सहायता दी, इतनी फलां आदमी ने सहायता दी, इतने किसी ने कपड़े पहुंचाये, किसी ने बर्तन पहुँचाये हैं। यह सब कुछ व्यवस्था करने के उपरान्त भी सरकार की ओर से ज्यादा सहायता दी जाए। यह जब श्री अर्जुनसिंहजी ने मांग की तो मैंने कलक्टर से जानकारी चाही और अब आप जो कह रहे हैं और आपने भी बताया, तो इस सारे मामले में देखकर जो कुछ भी राशि दी जा रही है उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन करूंगा ताकि पीड़ितों को लाभ समय पर मिल सके।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि टैंथ फाइनेंस कमीशन में आपके पास काफी पैसे की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : इसलिए आप नार्म्स में एलोबोरेट करके रिलेक्स करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो केवल टैंथ फाइनेंस कमीशन का ही पैसा दिखता है, और कुछ नहीं दिखता है। राजस्थान कितना बढ़ा है यह आपको ध्यान नहीं है। आपको केवल राजस्थान में पुष्कर दिखाई देता है और पुष्कर में गुलाब की खेती दिखती है, इसके सिवाय राजस्थान में आपको कुछ नहीं दिखता। राजस्थान में बहुत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान केवल फाइनेंस कमीशन के धन से नहीं हो सकता।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत में तहे दिल से शुक्रगुजार

(श्री भीमराज भाटी)

हूँ। मेरे यहाँ भी आग लगी थी, निरन्तर तीन दिन से आग लग रही थी, लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। जिस दिन आग लगी मैं मुख्य मंत्रीजी के चैम्बर में गया और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया। उन्होंने उसी वक्त कलक्टर को फोन किया और कलक्टर से जानकारी प्राप्त की। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों के बावजूद भी जो आपके नार्म्स बने हुए हैं महज 500 रुपये की सहायता उन आदमियों को दी गयी। उनके पूरे के पूरे घर जलकर स्वाहा हो गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। उसी की बात हो रही है।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ, उनको एक पैसा भी नहीं मिला। तो राजस्थान के मुख्य मंत्री के निर्देश के बावजूद भी अगर 500 रुपये मिलते हैं तो यह तकलीफ है, यह दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएँ हैं जिनको सरकार ग्राण्ट देती है। उनको गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएँ नियम, 1993 बनने के बाद कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले समस्या तो उनके सामने यह है कि जो उनकी एप्रूव्ड पोस्ट हैं उनमें से यकायक कोई टीचर नौकरी छोड़ देता है या उसकी और कहीं नौकरी लग जाती है तो 1993 के पहले संस्थाओं को अधिकार था कि तीन महीने के लिए कैजुअल बेसिस पर उनकी नौकरी जो मान्यता प्राप्त संस्था थीं, नियमों के अनुसार जो बी.एड. स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनको स्वतः रखने का अधिकार था। इसके साथ-साथ वे इस बात का एडवरटाइजमेंट करते थे, एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मंगवाते थे और कारण बताते थे कि किन कारणों से हमारी यह वेकेन्सी हुई है और उसकी सूचना एजूकेशन डिपार्टमेंट को देते थे जिससे कि वह चयन समिति में अपना प्रतिनिधि भेज देवें और प्रतिनिधि भेजने के बाद उनकी नियमानुसार नियुक्ति करदी जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री आर.पी.शर्मा : लेकिन यह जो 1993 का संशोधन नियम बना है, उसके तहत पता नहीं क्या मिसअण्डरस्टेंडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रही है, उनके बार-बार लिखने के बाद भी चयन समिति के लिए न तो वे आदमी भेजते हैं...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री आर.पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सूक्ष्म में बताना चाह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : अब स्पीच नहीं है यह।

श्री आर.पी. शर्मा : कृपया सुनें, बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। और दो बात और हैं। इसके बाद...

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी से मिलकर बात करें यह। जीरो आवर में तो लिमिटेड ही स्कोप है।

श्री आर.पी. शर्मा : एक बात और है, दूसरा है कुछ बालिका विद्यालयों के लिए प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो ग्रांट दी गयी है...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, श्री मोटवानी जी।

श्री आर.पी. शर्मा : उस ग्रांट के उनके पास लैटर्स भी हैं कि आपको ग्रांट दी जाती है। लेकिन काउंटर सिगनेचर के अभाव में हमारे भरतपुर जिले की संस्थाओं को ग्रांट अब तक नहीं मिली है। क्या वह ग्रांट मिलेगी या नहीं मिलेगी?

श्री अध्यक्ष : श्री मोटवानीजी।

श्री आर.पी. शर्मा : इस सम्बन्ध में मैं खास तौर से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री आर.पी. शर्मा : भरतपुर जिले की संस्थाओं को जो ग्रांट मिली है, उनको दिलवायी जाए।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की हिन्दी पाठ्यक्रम कमेटी ने 1992 में कोर्स तय किया, किताबें तय कीं। कानून के मुताबिक उसकी अवधि 5 वर्ष है जो 96 में समाप्त होगी। इसी 20 मार्च को हिन्दी कमेटी ने नया पाठ्यक्रम तय कर दिया है और वह उसको 1995-96 में लागू करने का तय किया है जिसका विश्वविद्यालय परिषद् ने अनुमोदन कर दिया है। इससे लाखों किताबें जो छपी हुई हैं, वह व्यर्थ जाएंगी, उनको जलाना पड़ेगा और इसके साथ में एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री चतुर्वेदी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो सारे विश्वविद्यालयों का एक समानीकरण कोर्स तय करने की रिपोर्ट देगी तो वह 1996-97 में आपको रिपोर्ट देनी है। इसलिए यह एक साल के लिए नये पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आपकी जो हिन्दी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, वह अनुचित है, उससे कई विद्यार्थियों को तकलीफ होगी, कई पब्लिशर्स को तकलीफ होगी और आज जो हम प्रिंटिंग पेपर के अभाव की बात करते हैं, जिसके रेट्स आसमान को छू रहे हैं, उसको भी थोड़ा बहुत दृष्टि में रखते हुए इसको आप रोकिये। यह जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद नया कोर्स जो सारी यूनिवर्सिटीज में लगेगा, वह एक समान लगेगा इसलिए इस पर आप कोई निर्णय लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात और बता दीजिये कि पब्लिशर्स को क्या तकलीफ होगी?

श्री किशन मोटवानी : नहीं, पब्लिशर्स को तो तकलीफ यह है कि छपा हुआ नष्ट होगा। वह पेपर आपकी धरोहर है इस समय, इस समय हम पर्यावरण सम्बन्धी सोच बना रहे हैं कि पेड़ नहीं काटें, पेपर नहीं बनें, पेपर की जो कीमते हैं, आसमान छू रही हैं। Publisher is not concerned with me.

मैं आपको कह सकता हूँ, आपने जिस नजरिये से पूछा है सवाल, मैं किसी पब्लिशर को नहीं जानता। I understand your approach. इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब श्री चतुर्वेदी साहब की कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, तब आप लागू कीजिएगा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : श्री मोटवानी साहब ने जो कुछ कहा है वह सत्य है लेकिन अभी 22 तारीख को मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की उसमें नया कोर्स स्वीकार हुआ उसको रिजेक्ट कर दिया है। जो पुराना कोर्स है, वही चलेगा। जो नयी किताबें हैं, वे स्वीकार नहीं की गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये श्री रिछपालसिंह जी।

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास पब्लिशर्स आये, इनके पास तो आये नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इनके पास भी आये थे, ऐसी बात नहीं है।...(व्यवधान)...अच्छा खैर, नहीं आये होंगे, लेकिन मेरे पास...(व्यवधान)...मैं कह रहा हूँ न, मैं कब मना कर रहा हूँ, इसमें छिपाने की क्या बात थी।

श्री किशन मोटवानी : मेरे पास अजमेर का विद्यार्थी आया।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, छिपाने की नहीं है, आपने कहा कि यह प्रश्न जो आपने पूछा है, आप समझते हैं कि मेरे पास में पब्लिशर आया, आता तो मैं कहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जबरदस्ती गिल्टी कांशस हो गये। न आता तो मना कर देते।

श्री परसराम मदेरणा : हुए ही नहीं, आया ही नहीं, जब आप कैसे जबरदस्ती इनको गिल्टी बनाना चाहते हैं। आप ऊपर से अपने विचार फोइस्ट करके इनकी गिल्टी बनाना चाहते हैं। ये माननीय सदस्य डिप्टी स्पीकर रहे हुए हैं, सब बात जानते हैं, वे सोच समझकर, तोलकर बोलते हैं, ये गिल्टी नहीं होने वाले हैं, इनकी कंसाइंस बहुत साफ है।

श्री किशन मोटवानी : मैं इनकी मंशा को भी समझता हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मेरी मंशा को तो आप समझ गये, उसी आधार पर आप बोले कि मेरे पास तो आये ही नहीं हैं। फिर क्या भूकम्प होता अगर आ जाते और आपके सामने अपनी समस्या रखते।

श्री किशन मोटवानी : नहीं, आपने तो प्रिंटर का नाम पूछने का प्रयास किया, आप मुझे विद्यार्थी का नाम पूछते तो मैं आपको बताता, विद्यार्थी मेरे पास आये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान की विधान सभा के माननीय सदस्यों के पास जिनके पास निजी गाड़ी हैं, उन पर लाल बत्ती नियमानुसार अलाउ की जाएं। सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को लाल बत्ती अलाउ, नगर पालिका के अध्यक्ष के लाल बत्ती अलाउ, जिला प्रमुख के लाल बत्ती अलाउ, प्रधान के लिए लाल बत्ती अलाउ तो...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : राजस्थान विधान सभा के सदस्य क्या इतने कमजोर हैं कि वे लाल बत्ती नहीं लगा सकते। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन करता हूँ कि...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य अपने निजी वाहन पर लाल बत्ती लगा सकें। बिहार में, यू.पी. में, मध्य प्रदेश में, सब जगह माननीय सदस्यों को लाल बत्ती लगाने की अनुमति है फिर राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को अनुमति क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, श्री बनवारीलाल जी बैरवा।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...सब सदस्यों के लगेगी...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। अब हर प्रश्न, आपने कोई उठाया है।...(व्यवधान)... बिराजिये आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जो रूल्स के अन्दर प्रोवाइड करते हैं, होम सैक्रेटरी लेवल के ही लाल बत्ती लगा सकते हैं, सभी जने लगा रहे हैं तो एम.एल.एज. को भी अलाउ करें...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : या तो आप रूल्स के हिसाब से चलें, डायरेक्टर भी लगा रहे हैं, एस.पी. भी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अभी तो आप अध्यक्ष हैं इसलिए आपके लाल बत्ती है, कल आप अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो बिना लाल बत्ती के...

श्री अध्यक्ष : तो मैं स्कूटर पर चला जाऊंगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है। बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाल बत्ती का मामला है, माननीय विधायकों का सम्मान किया जाए।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रोटोकोल में एम.एल.ए. चीफ सैक्रेटरी से भी ऊपर है, अगर लाल बत्ती के लिए जीरो। अध्यक्ष महोदय, यह सही है माननीय सदस्यों का सवाल है।...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ...(व्यवधान)... ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जवाब दें कि कौन-कौन अलाउड है लाल बत्ती लगाने के लिए? कौन कौन लगा रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री परसादीलाल मीणा : या तो, अध्यक्ष महोदय, एम.एल.एज. को लाल बत्ती अलाउ कर दें, नहीं तो जो अलाउड नहीं हैं और लगा रहे हैं, उनकी गाड़ियों के चालान होने चाहिए। सरकार कोई निर्देश तो दे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : लाल बत्ती की संस्कृति इन वर्षों में चली है। पहले चीफ मिनिस्टर साहब की गाड़ी पर भी लाल बत्ती नहीं होती थी और न किसी मंत्री की गाड़ी पर। सिर्फ गवर्नर साहब की गाड़ी पर लाल बत्ती होती थी और हम सुनते थे कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के जो मेयर हैं उनकी गाड़ियों पर लाल बत्ती होती थी या गवर्नर की, मजिस्ट्रेट की पर होती थी। आजकल मुख्य मंत्री तो खैर दूसरी बात है लेकिन कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं मिलती, अदना-सा आदमी, ये टैक्सी वाले भी कई जगह लाल बत्ती लगाये घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई कानून होना चाहिए। व्यवस्था है और एक बार पढ़ा भी था कि राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है कि लाल बत्ती किसके लगनी चाहिए, यह बताया जाने वाला था और जो सब लोग लगा रहे हैं, उनका चालान होने की बात थी कि उनको हटवाया जाएगा फिर पता नहीं वह बात कहां गायब हो गयी। अखबारों में तो छपा है। मैं माननीय मंत्री और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कौन लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था करवाई जाए और जो प्रयोग नहीं कर सकते हैं उनकी बत्तियां गाड़ियों पर से हटवायी जानी चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, लाल बत्ती के उपयोग के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं, जो भी अधिकृत हैं, उसकी सूची है, उस सूची के आधार पर जिनके नाम आते हैं वे ही लाल बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। यह सही है कि मुझे शायद याद नहीं है, 1990 या 1991 में मैंने सारे रूल्स को देखकर जो भी अनधिकृत व्यक्ति थे, उनकी गाड़ियों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से यह लाल बत्ती हटा दी। अब सरकारी गाड़ियों पर भी लगी हुई थी। मैं नहीं कहता कि निजी गाड़ियों पर ही थी, सरकारी गाड़ियों पर भी अनधिकृत रूप से यह लाल बत्ती लगी हुई थी। उन सबको हटा दिया। हटाने के बाद अभी 4-5 दिन पहले शायद विधान सभा में चर्चा हुई या क्वश्चन आया, मुझे पता नहीं, एक सवाल था, उसके बाद मैंने कल ही इस सम्बन्ध में मीटिंग ली है। आप चाहे यह पूछ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर को बुलाकर मैंने कहा कि जो भी अनधिकृत व्यक्ति गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती का उपयोग कर रहे हैं, 7 दिन के अन्दर-अन्दर वह लाल बत्तियां वहां से हट जानी चाहिए। यह तो एक पहला प्रश्न !

अब दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया कि विधायकों को लाल बत्ती का उपयोग करने की इजाजत दी जाए। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि लाल बत्ती का उपयोग जैसे श्री रामनारायणजी ने कहा, जितना कम होगा उतनी ही लाल बत्ती की इम्पोर्टेंस रहेगी। यदि हमने हर गाड़ी पर लाल बत्ती लगा दी तो एक आर्डर मुझे करने की जरूरत पड़ेगी कि लाल बत्ती के सम्बन्ध में जो नियमों की व्यवस्था है उसको हटा लिया जाए फिर आप लाल लगाओ, पीली लगाओ, काली लगाओ। वह मोटर व्हीकल एक्ट में जो बत्ती लगाने की आपको इजाजत होगी, वही बत्ती आप लगा सकेंगे। ऐसी स्थिति में मैंने जो कल व्यवस्था की है, इसी कारण से की है कि लाल बत्ती आज हर जगह है, लाल बत्ती निजी वाहनों पर है, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, वह मर्जी आये तो लाल बत्ती लगा लेते हैं। 7 दिन में अगर लाल बत्ती बंद नहीं हो तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर लाल बत्ती वाले मामले आपको इस प्रकार के मिल जाएं तो वह पुलिस को या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को टेलीफोन कर दें या और किसी को टेलीफोन कर दें और इस बीमारी को रोकें, इस बीमारी को फैलायें नहीं। इसको कम करने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

(13.00)

श्री रामनारायण चौधरी : आपके हुक्म के बाद भी माननीय सदस्यों को शिकायत करने का मौका मिलेगा, मैं समझता हूं कि ऐसी बात तो नहीं आनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सम्बन्ध में मैंने कल ही यह व्यवस्था की है।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) : अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करूंगा। ऐसा है, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि जो आर्म्स के लाइसेन्स का रिन्युअल है, पहले यह कायदा था कि एक आर्म्स के लाइसेन्स का रिन्युअल तीन वर्ष और पाँच वर्ष के लिये होता था। मेरा निवेदन यह है कि पहले जो लाइसेन्स रिन्यूअल करने के नार्म्स थे, कायदे-कानून थे उनसे अलग हटकर अब लगभग 6 महीने तो लाइसेन्स रिन्यूअल के लिये या तो कलक्टर कार्यालय में पड़ा रहता है या थाने में उसकी रिपोर्ट आने तक पड़ा रहता है। पहले यह होता था कि लाइसेन्स देने के वक्त तो उसकी रिपोर्ट ली जाती थी पुलिस से...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका प्रश्न बड़ा उचित है लेकिन आप प्रश्न की सूचना देकर अगर यह प्रश्न उठायेंगे तो मैं समुचित इसका उत्तर दूंगा। आपकी समस्या को मैं समझता हूं लेकिन सदन के अन्दर कोई भी मामला किसी भी समय उठा दें तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री शीशराम ओला : मैं तो उत्तर नहीं चाहता हूं। मैं तो बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे ध्यान में है।

श्री शीशराम ओला : फिर ठीक है।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का ध्यान एक बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना और तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र के ग्राम सीतारामपुरा में दिनांक 17.3.95 को एक सुनीता नाम की लड़की के साथ सुरेश नाम के लड़के ने जबरदस्ती बलात्कार कर दिया। इस घटना की जानकारी थाने के अन्दर उसी दिन उसके लंगड़े बाप और उसकी माँ ने कर दी। थाने में पुलिस ने अपनी कार्यवाही के अन्दर यह दर्ज कर लिया 376 का केस और 323 उसके साथ और लगा दी। पुलिस कार्यवाही में खास तौर से लिखा है कि दोनों हाथों पर सूजन आई हुई थी, दाहिने हाथ की कोहनी पर रगड़ के निशान थे, दोनों पैरों और जांघों में, पीठ में दर्द होना बताया है। थानेदार उस लड़की को डाक्टर के पास लेकर गये। डाक्टर ने उस समय तो जो प्लेन पेपर उसके सामने था उसके ऊपर नोट कर लिया और उसके बाद उसमें यह कह दिया कि यह आपको रेडियोलॉजी की रिपोर्ट लेने के बाद और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में आपको और थानेदार को रिपोर्ट भेज दी जायेगी। वह पार्टी चली गयी। उसके बाद में, अध्यक्ष जी, जिस तरीके की रिपोर्ट वहाँ के डाक्टर ने दी वह तथ्यों के बिल्कुल विपरीत थी। पुलिस की नजर मुआयने के तहत तो इतनी चोटें थीं...

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, बात तो सुनें। माननीय मुख्य मंत्रीजी, बात तो सुन लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप किस बात के लिये सुना रहे हैं? आपको जवाब चाहिये ना?

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरी बात तो सुन लें। आप तो एक्शन ले लेना, मुझे जवाब नहीं चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि इस मामले की सरकार को कोई जानकारी नहीं है, सरकार उत्तर क्या देगी? आप क्या यह चाहते हैं कि एक तरफा बात आ जाये और सरकार उसका उत्तर नहीं दे?

श्री बनवारीलाल बैरवा : उत्तर नहीं चाहिये मुझे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तर नहीं दें, तो मतलब क्या है इसका? आप सरकार का ध्यान आकर्षित करें, सरकार उसके ऊपर एक्शन ले। आपकी पीड़ा को मैं समझता हूं। किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है लेकिन अगर आप यह समझकर चलें कि हाउस में कह देंगे तो उससे कोई पीड़ा का निराकरण हो जायेगा, यह नहीं है। आप इस सम्बन्ध में अगर कोई नोटिस देते, नोटिस सरकार को मिलता तो सरकार तैयार होकर आती। आपको भी सन्तोष होता कि हमने यह एक्शन लिया और यह एक्शन प्रपोज कर रहे हैं। यों आप बोलेंगे तब तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आपके नियमों में तीन प्रकार की व्यवस्था है। एक व्यवस्था एडजोर्नमेंट मोशन की है, दूसरी व्यवस्था है कॉल अटेंशन नोटिस की और तीसरी व्यवस्था है 295 की। यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौनसी व्यवस्था चल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रही है जिसमें न तो एडजोर्नमेंट मोशन का पता है...

एक माननीय सदस्य : शून्यकाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शून्यकाल कौन सा है? कहाँ है नियमों में शून्यकाल? मैंने तो सारे नियम पढ़ लिये, कहीं शून्यकाल नजर नहीं आया। हम शून्य हैं।

एक माननीय सदस्य : श्री भाभड़ा साहब की व्यवस्था है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री भाभड़ा साहब की व्यवस्था है, तो उसमें व्यवस्था और भी है। श्री भाभड़ा साहब की अनुमति भी 295 के मामले में इतने वर्ड्स होंगे, इतने वर्ड्स से ज्यादा कोई सदस्य बोलेगा नहीं। एडजोर्नमेंट मोशन पर उन्होंने व्यवस्था दी कि एडजोर्नमेंट मोशन मैं रिजेक्ट करता हूं तो दो मिनट बोलने का समय मिलेगा। अब इनका तो एडजोर्नमेंट मोशन भी नहीं है। इसलिए, माननीय सदस्य, आप तो संसद सदस्य रहे हैं, पुराने आदमी हैं, मंत्री भी रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मामले की सीरियसनैस के कारण से आप पीड़ित हैं और जो भी पीड़ित हैं उसको राहत दिलाना चाहते हैं, सरकार से दिलाना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था है कि किस प्रकार से मामले को उठायें ताकि सरकार सही ढंग से उसको रीएक्ट करके आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर सके। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी चाहूंगा कि इस समय डेढ़ बजेगा और डेढ़ बजे तक 295 नहीं ले सके हैं। इस समय कितना बिजनेस है—पंचायत राज व्यवस्था पर चर्चा होगी, और भी चर्चा होगी। इन बातों को लेकर यदि आप चाहें तो इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन विपक्ष को साथ लेकर और उनसे बात करके कुछ ऐसा करें कि सदन के हर मिनट का महत्व लोग समझें और एक-एक मिनट का हम उपयोग कर सकें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्रीजी को अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था लेकिन उसकी कभी चर्चा यहाँ नहीं हुई इसलिए मुझे मजबूरन जीरो आवर में उठाना पड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था नहीं दी फिर तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मुझे यह तो कहना चाहिए था कि वह मना कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या उसको स्वीकार कर रहे हैं। यह मुझे आश्वासन चेयर की तरफ से मिलता तो...

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही। जब से इस 10वीं विधान सभा का गठन हुआ है, तब से लगातार यह प्रक्रिया चलती आ रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप इतना ज्ञान नहीं रख सकते क्योंकि आप 52 से यहाँ चले आ रहे हैं लेकिन यहाँ व्यवस्था यह है कि क्वश्चन आवर के बाद एक जीरो आवर के नाम से कुछ कहा जाता है। उसके बाद में 295 लिया जाता है और जीरो आवर में न तो नोटिस देने की जरूरत है और जो भी कोई बर्निंग पाइन्ट हो, आवश्यक हो उस बात को यहाँ रखा जाता रहा है। माननीय सदन के नेता इसमें कोई परिवर्तन करना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं है। माननीय अध्यक्षजी इस बात से इस व्यवस्था में परिवर्तन करें, हमें एतराज नहीं है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मर्जी आये तो करो, मुझे कोई विरोध नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह...लेकिन हम पहले माननीय अध्यक्ष जी को पर्ची देते हैं कि इस विषय पर हम बोलना चाहते हैं, दो मिनट का समय हम लेना चाहते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय उसको स्वीकार करते हैं, हमको बोलने की इजाजत देते हैं। आप कल से ही व्यवस्था बदल दीजिए। इधर के पक्ष के और उधर के पक्ष के सभी इसके द्वारा अपनी-अपनी बात को कहते रहे हैं। इसलिए आप इस व्यवस्था को बदलना चाहें, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन अब तक जो व्यवस्था चलती आ रही है उसके बीच में एक माननीय सदस्य को रोका जाये, उचित नहीं है। इसलिए इस पर आप कोई सम्पूर्ण व्यवस्था कर लीजिये, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रख लीजिये, हमें कोई एतराज नहीं है। एक व्यवस्था कायम कर लीजिये लेकिन सबके लिये समान व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, मुझे तो आप व्यवस्था दे दें स्थगन प्रस्ताव की। उसकी जानकारी ले लें और फिर हमें जवाब दे दें। सदन में व्यवस्था हो जाये।

माननीय अध्यक्षजी, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता था मुख्य रूप से यह थी कि पुलिस ने अपनी कार्यवाही के अन्दर नजर मुआयने के तहत यह चोटें स्वीकार की हैं और डाक्टर साहब ने जो रिपोर्ट दी है, वह रिपोर्ट का जरा मुलाहिजा फरमायें जो कि बिल्कुल तथ्यों से हटकर है। उससे अपराधीकरण में प्रोत्साहन मिलता है, अपराध उससे बढ़ते हैं, अपराध उससे घटते नहीं हैं और ऐसे डाक्टरों के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। वह रिश्वत लेते हैं और असत्य रिपोर्ट दे देते हैं उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है, मान्यवर, कि असत्य रिपोर्टों के आधार पर जब केसेज अदालतों में जाते हैं तो उनकी फौरन जमानत हो जाती है। तो...

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : एक तरफ तो यह स्थिति है कि उन गरीब लोगों के गाँव छूट गये, घर छूट गये और उनमें असुरक्षा की भावना फैली हुई है...

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि आप स्थगन प्रस्ताव के ऊपर व्यवस्था दे दें, मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अब बहुत ज्यादा समय हो गया है।...(व्यवधान)...

श्री शिवनाथ सिंह : अब यह किस पर बोल रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। पहले आप किस व्यवस्था में बोले थे?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं व्यवस्था पर बोला हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसी पर मैं बोल रहा हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : हाउस के सामने कोई बिजनस ही नहीं है, काहे का पाइंट ऑफ आर्डर है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय भी बैठे हैं। मैं बिल्कुल विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में पहले तो यह नियम था कि स्थगन प्रस्ताव सुबह 9.30 से पहले देते थे उनमें कुछ तो अध्यक्ष महोदय उसी दिन रिजेक्ट कर देते थे और रिजेक्ट करके अध्यक्ष महोदय उनको दो मिनट अपनी बात कहने का अवसर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देते थे और कुछ को सरकार को जानकारी के लिए भेज देते थे, जानकारी आने के बाद या तो रिजेक्ट करते थे या उन पर वक्तव्य दिला देते थे या माननीय सदस्य को बोलने का अवसर देते थे। उसके बाद में विशेष उल्लेख का पहले अपने यहाँ कोई प्रावधान नहीं था और पार्लियामेंट में प्रावधान था तो 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रावधान हमारे नियमों में संशोधन करके किया गया, 295 के अन्तर्गत अपनी बात कही जाने लगी और 295 का लिखित में सरकार की ओर से जवाब आने लगा। यह व्यवस्था यहाँ पर हो गयी। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में पिछली बार जब माननीय श्री भाभड़ा जी अध्यक्ष थे, उन्होंने यह व्यवस्था दी कि मोस्ट अर्जेंट इस प्रकार के मैटर्स जो 9.30 से पहले हम स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं दे सकें या ऐसा कोई अर्जेन्ट मैटर जिसको उठाने की आवश्यकता हो, माननीय अध्यक्ष महोदय को स्लिप देकर दो मिनट के लिए उस बात को उठा सकते हैं। यह जो दो मिनट वाला मामला है वह करीब-करीब जनरलाइज हो गया और इसलिए हमको एक प्रकार से दो मिनट के नाम पर 5 मिनट अपनी बात कहने का, फिर कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं जिसमें सरकार को भी जवाब देना पड़ जाता है तो उसमें आधे-आधे, पौन-पौन घंटे का समय निकल जाता है। उदाहरण के लिए वन, पर्यावरण और पंचायत राज जैसी डिमाण्ड्स पर भी बहस हम चार बजे तक प्रारम्भ कर पायेंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इसके बारे में सदन के सभी नेताओं से और माननीय सदस्यों से राय करके इसकी निश्चित परम्परा और व्यवस्था करनी चाहिये। 295 और बाकी की व्यवस्थाएं तो ठीक हैं लेकिन यह जो दो मिनट का समय लेने वाली बात है और जिसमें विवाद में समय जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा इस पर निश्चित रूप से आप अपनी व्यवस्था दें और अगर इसको रखना है तो लिमिटेड अर्जेंट मैटर के लिए जिसकी प्रातः 9.30 बजे तक सूचना नहीं दी जा सकी हो, कोई अर्जेंट घटना घटित हो गयी हो, सदन में उसकी जानकारी देना आवश्यक हो वहाँ तक अगर यह सीमित रहेगा, एक-दो अगर यह मामले उठेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस भी रहेगी और अगर जनरलाइज हो गया...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस सम्बन्ध में आप सबकी राय भी लें और व्यवस्था दें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा।

श्री शिवनाथसिंह : जो कुछ श्री भाभड़ा जी ने व्यवस्था दी है उसको आप बदलना चाहते हैं, वह हम समझते हैं।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो सदस्य 9 बजे तक अपने प्रस्ताव नहीं दे सके और ऐसी कोई घटना हो गयी हो जिसकी जानकारी देना बहुत आवश्यक हो तो ऐसे अर्जेंट विषय पर चर्चा करने के लिए स्पेशल मेंशन का रखा था। अब कोई भी दस दिन पहले की, एक महीने पहले की घटना, कोई बलात्कार हो गया अब उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो सदन में इस प्रकार के नियम और प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत उन्हें लाइये। उन पर चर्चा करिये और यदि आपको कोई व्यवस्था नहीं मिले तो, माननीय सदस्य, आप पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ सदन की मर्यादा और सदन की परम्पराओं का बार-बार जिक्र आता है। मेरी समझ में नहीं आता कि अभी जो सदन के आदरणीय

(श्री विष्णु मोदी)

नेता हैं, वह जब इधर थे विपक्ष में तब पाँच-पाँच बजे तक मैंने इस सदन में जीरो आवर चलते हुए देखा है। माननीय श्री घनश्याम जी तिवाड़ी यहाँ से हाथ उठा-उठाकर के जोर-जोर से बोलते थे तब उनको न सदन की परम्पराओं का ध्यान था, न सदन की गरिमाओं का ध्यान था। क्या बात है ! सत्ता पक्ष में आप पहले भी आये थे, दुबारा भी आये, अब तिबारा आये हैं तो आप कम से कम जो विपक्ष की भूमिका है उसको आपने जिन्दगी भर निभाया है और आज इस तरह से दाव-पेंच लगाकर के किसी को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिले, घबराते क्यों हैं आप? सदन में कोई बात आयेगी, उसका कोई हल निकलेगा, उसका रास्ता निकलेगा और सदन तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको वेन्टीलेट करने का यह माध्यम है और हम उसको करने के लिए कमिटेड हैं। आप इसमें दांव-पेंच लगाना छोड़ें और आप कम से कम वह दिन याद करें जब आप इधर बैठा करते थे। आप यह देखिये कि हम तो इतने दिन सत्ता में रहे हैं इसलिए हम अपनी भाषा संयत रखते हैं, हम आपके ऊपर कोई असत्य बात इस तरह से लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन आपने तो वहाँ जिस तरह से निभाया है, आज आप अपने दिनों को याद करो।

श्री परसराम मदेरणा : एक व्यवस्था पूर्व में दी जा चुकी है। आप चाहते हैं उस पर पुनरावलोकन हो और सभी पार्टीज के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाय स्लिप के मामले में। स्लिप के मामले में बहुत इम्पार्टेंट मैटर है, हाउस के नोटिस में लाना बहुत जरूरी है। मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ, गवर्नमेंट चीफ व्हिप कह रहे हैं कि चूंकि रेप का मामला है इसलिए आप नहीं ला सकते, रेप का मैटर...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने यह कहा है कि जो किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं ला सकते, आपके पास समय नहीं हो, उसके लिए मैंने कहा है। आप नहीं उठा सकते, ऐसा नहीं कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : आप उदाहरण दे रहे हैं रेप का।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने तो यह श्री बनवारीलाल जी का उदाहरण बोला है, यह मेरे जिले के हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि जिन परिस्थितियों में और जिस तरह के मैटर पर माननीय सदस्य 9.30 बजे एडजोर्नमेंट मोशन का नोटिस नहीं दे सके उस स्थिति में एक रीसेंट पब्लिक इम्पार्टेंस के मैटर को रेज करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी स्लिप सिस्टम की, अब उसमें क्या डिस्टोर्शंस आ गये हैं, क्या खराबियाँ आ गयी हैं उससे टाइम बहुत जाया हो रहा है, इम्पोर्टेंट डिमाण्ड पीछे रह गयी है, तो मैं यह समझता हूं कि या तो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला लें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी नहीं हो सकता है क्योंकि यह अध्यक्ष का प्रिंविलेज है और अध्यक्ष वहाँ पर चैयरमैन की हैसियत से बैठते हैं। यहाँ पर रूलिंग देते हैं यह आसन की रूलिंग होती है जो सभी के लिए मान्य है। मैं समझता हूं आप इसमें कंसल्टेशन कर लीजिये सभी पार्टीज से और पुनर्विचार कर लें कि कैसे मैटर्स आने चाहिये स्लिप के द्वारा, उसको स्पेसिफाई कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : 295 ।

श्री ज़ुबेर ख़ान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह तो सब रह गये।...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आप सबके सजेशन्स बहुत इम्पार्टेंट हैं परन्तु मेरी मजबूरी है कि 25 स्लिपें रीसेंट आकरेंस के बारे में शून्य काल के लिए आयी हैं। तो ऐसी कोई आकरेंस है नहीं, मेरे यहाँ कालेज खोलना है, मेरे यहाँ वह करना है, वह करना है। इसलिए आज बात करके पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श करने के बाद स्क्रूटिनाइज कर लेंगे कि किस-किस विषय पर बात हो सकती है और किस प्रकार के मैटर्स को उसमें लिया जाए। 295 आज प्रारम्भ करें।

श्री अमराराम चौधरी : मैंने दी है।

एक माननीय सदस्य : कितने सदस्य बोले हैं? फिर कब बोलेगा सदस्य विधान सभा के अन्दर? साल में एक बार आप विधान सभा बुलाते हो...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। एक बुलाया उसमें डेढ़ घंटा लगा और बीस और रह गये हैं अभी! बिराजें। 295 !

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है और बहुत ही उचित है। राजस्थान में कृषि अभियन्ताओं ने जब से विधान सभा का यह सत्र चला है, वह कहते हैं हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, हम बेरोजगार हैं...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। यह फिर क्या कहने लगे हैं? बिराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा कहना यह है कि ऐसे मामले में भी क्या अर्जेन्ट मैटर नहीं है? चूंकि उस बारे में मैंने स्लिप दी है, पहले तो सब को बुलाने की बात हुई है, आज यह व्यवस्था नहीं बदलें क्योंकि कृषि अभियन्ता जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनके बैकलॉग नहीं भरे जा रहे हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के मामलों में तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। माननीय चीफ व्हिप बीच-बीच में बोल जाते हैं और चूंकि इनकी पार्टी का बहुमत है उस बहुमत के आधार पर रेप केस का मामला भी नहीं उठाने देना चाहते हैं, उनको भी सरकार बचाना चाहती है। तो ऐसे भयंकर मामले हैं। इसलिए कृपा करके कृषि अभियन्ताओं को नौकरी देने के बारे में सरकार को कहें। साहब...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : रेप केसेज जरूर उठाइये। एक महीने पहले की बात है, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : यह आदिवासी हरिजन लोग हैं, उनको नौकरियाँ दें। यह ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले हैं इसमें मुझे समय प्रदान करें ताकि मैं बोलूं। उनको नौकरियाँ मिलें। कालीचरणजी, मैं सिफारिश करता हूं इस सदन में बहुत ईमानदारी से कहूं तो डिप्टी मिनिस्टर नहीं बनाया गया है तो चीफ व्हिप बना दिया जाए ताकि...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, आज तो 295 भी पढ़े हुए ही माने जाएं, उनकी रिप्लाई तो आयेगा ही। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं वे ले लिये जायें आज।...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा): बिल्कुल ठीक है। पढ़े हुए माने जाएँ, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : सारे कार्य ही बन्द करवा दो। मेहता जी, सारी कार्यवाही बन्द करवा दो, यह डिमाण्ड भी पास करवा लो। ...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : कल से समय मांग रहा हूँ। कल से समय मांगा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आपने लगातार दूसरे दिन शून्यकाल में बोलने की जो व्यवस्था है उसको नहीं रखा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री परसराम मोरदिया।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं वह वाकया बता रहा हूँ, पिछले दो दिन से सीकर में मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं। जो मलेरिया की रोकथाम का कार्यक्रम है वह बिलकुल फेल हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख भू-राजस्व पर पंचायत कर की वसूली

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व पर पंचायत कर की वसूली के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार वर्ष 1977 में छोटे काश्तकारों...

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर आप 295 शुरू कर रहे हैं, मुझे एक मिनट समय दीजिये। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उदयपुर में ब्लड के कारण, खून के कारण सारे आपरेशन बन्द हो गये। ब्लड वहाँ इकट्ठा हो नहीं सकता इसलिए कि वहाँ किट का अभाव है। पिछले साल मेडिकल कॉलेज बन्द पहले कर दिया और अस्पताल की स्थिति यह है कि वहाँ ब्लड के कारण कोई आपरेशन नहीं हो रहे हैं और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री परसराम मोरदिया : का भू-राजस्व माफ कर दिया था। भू-राजस्व पर लगने वाला 5 प्रतिशत पंचायत कर भी उस वक्त माफ कर दिया था। उसके बाद वर्ष 1992 में राज्य सरकार ने भू-राजस्व में उन काश्तकारों को भी छूट दे दी है जिनकी राजस्व रिकार्ड में चाही भूमि अंकित नहीं थी और रिकार्ड में दर्ज चाही भूमि का ही लगान किसानों पर लागू रह गया। चूंकि पंचायत कर केवल भू-राजस्व का 5 प्रतिशत लगता है, अतः जब भू-राजस्व ही माफ हो गया तो पंचायत कर वसूली का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अफसरशाही के चलते जिला कलक्टरों को यह निर्देश दिये गये कि केवल लगान माफ हुआ है, पंचायत कर माफ नहीं हुआ है इसलिए पंचायत कर की वसूली होनी चाहिए और आदेश ऊपर से नीचे पटवारियों तक पहुँचा। चूंकि यह मांग किसानों से सम्बन्धित थी लेकिन फिर भी किसानों के हित में राजस्थान पटवार संघ ने इस मांग को हल कराने के लिये राजस्व मण्डल से बात की और राजस्व मण्डल ने इस मांग को उचित मानते हुए सरकार से निवेदन किया था कि किसानों से भू-राजस्व कर लिया जाता है लेकिन राज्य सरकार ने इस मांग को यह कहकर रद्द कर दिया कि यह मांग पटवार संघ की नहीं है, यह मांग किसानों से सम्बन्धित है और किसानों की तरफ से उठनी चाहिए।

आज ज्यादातर किसानों का 1/- प्रतिवर्ष पंचायत कर लगता है जिसके लिए प्रति किसान को सरकार की तरफ से एक रसीद देनी पड़ती है जो तीन पड़ती होती है यानि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक रसीद की कीमत ही 1/- रुपये से ज्यादा होती है। इसके अलावा

(श्री परसराम मोरदिया)

कैस बुक व मांग रजिस्टर भी तैयार किया जाता है जिनकी कीमत भी सरकारी खजाने से देनी पड़ती है। ऐसी वसूली से सरकार को तो हानि पहुंचती ही है किसानों व कर्मचारियों में भी सरकार की छवि को हानि पहुँचती है। इस प्रकार पंचायत कर की वसूली न तो आर्थिक दृष्टि से उचित है और न ही व्यावहारिक दृष्टि से, और न ही किसानों की भावनाओं की दृष्टि से उचित है।

अतः राजस्थान के किसानों की ओर से सदन में सरकार से मांग करता हूँ कि भू-राजस्व पर लगने वाले पंचायत कर की जो वसूली की जा रही है उसको तत्काल रोका जाय तथा भू-राजस्व जब से माफ किया है इसके बाद की कर राशि जो वसूल की गयी है, तत्काल किसानों को लौटायी जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

सेवानिवृत्त कर्मचारी का पेंशन प्रकरण

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि झुंझुनूं जिले की अलसीसर पंचायत समिति में 2.10.59 से 30.11.91 तक लिपिक पद पर कार्यरत रहे श्री भगवती प्रसाद शर्मा 30.11.91 को सेवानिवृत्त हो गये। इनकी सेवा पंजिका के इन्द्राज उत्तम हैं, कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। बार-बार प्रयत्न करने पर भी इनके पेंशन प्रकरण का निपटारा आज दिन तक नहीं किया गया है जिससे अल्प वेतन भोगी सेवानिवृत्त कर्मचारी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब अधिक चेष्टा की गयी तो विकास अधिकारी ने इस कर्मचारी के विरुद्ध 61, 992 रुपये की राशि जनरल प्रोविडेन्ट फण्ड के ब्याज की वसूली के रूप में बकाया निकाल दी जबकि प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि जमा करवाने की कोई जिम्मेदारी सम्बन्धित कर्मचारी की नहीं थी। यदि कहीं कोई अनियमितता हुई तो वह भी पंचायत समिति, अलसीसर की तरफ से हुई है।

सम्बन्धित कर्मचारी सभी प्रकार के प्रयत्न कर थक चुका तो यह भी उसने दरख्वास्त पेश कर दी कि जो भी रकम बकाया वसूली योग्य हो वह काटकर बकाया तो एक बार दे दिया जाए, अंतिम फैसला होता रहेगा। लेकिन इस पर भी कोई निर्णय आज दिन तक नहीं किया गया है। पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ न्याय करवाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल वर्मा।

डग विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में पीने के पानी की गम्भीर समस्या व्याप्त है। लगभग 10 हजार की आवादी वाले कस्बे में बहुत कम क्षमता की टंकी बनी हुई है जिससे आधे गाँव में ही पानी पहुँचता है, जो भी बहुत कम मात्रा में होता है, अक्सर आधा गाँव पीने के पानी से वंचित रह जाता है। आने वाली गर्मी के दिनों में जो गम्भीर समस्या उत्पन्न होने वाली है इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ एवं निवेदन करता हूँ कि आने वाली पानी की गम्भीर समस्या से निपटने के लिए उचित, पर्याप्त क्षमतावाली टंकी का निर्माण शीघ्रताशीघ्र किया जाए।

(13.25)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

91

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई बाँधों का रखरखाव

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र डेगाना के सिंचाई बाँधों के रखरखाव में की जाने वाली लापरवाही के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत सिंचाई के साधन हेतु बनाये गये बाँध नहीं के बराबर हैं तथा जो हैं उनका भी रखरखाव सिंचाई विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। माताजी का बाला बांध, हरसोर बांध, राजलेता बाँध, शाहपुरा बांध, पचरंड बाँध आदि जब से बने हैं उसके बाद से ही उनकी चादरों को ऊंचा नहीं उठाया गया है जिसकी वजह से इन बांधों में पानी ठहरता ही नहीं है और सारा पानी बहकर चला जाता है, सिंचाई नहीं के बराबर होती है और उपजाऊ खेती की जमीन की मिट्टी बहकर चली जाती है जिससे मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट होता जा रहा है। साथ ही आस-पास के कुओं का जल स्तर नीचे जाता रहा है।

राजलेता बाँध बने हुए 10-12 वर्ष हो गये हैं उसके बाद में उसकी आज तक न तो ऊंचाई ही ली गयी है और न ही एक बीघा जमीन की इससे सिंचाई होती है। इतना ही नहीं, उक्त बाँध की जो चादर है वह भी जमीन के बराबर ही है। अतः इस बांध की चादर की ऊंचाई बढ़ायी जाए ताकि जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था उसकी पूर्ति हो सके एवं किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो सके। इसी प्रकार माताजी का बाला बांध जहाँ पर बना हुआ है उस नदी की भराव क्षमता अधिक है और यह बांध एक-दो बार ढंग की बारिश होते ही भर जाता है। वर्तमान में इस बांध से करीब 300 बीघा खेती की सिंचाई हो रही है। यदि इस बाँध की ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो इसी बांध से वर्तमान 300 बीघा जमीन की सिंचाई के बजाय 1000 बीघा जमीन की सिंचाई सम्भव हो सकेगी तथा जो पानी बहकर बेकार चला जाता है उसका सुदपयोग भी हो सकेगा। इसके साथ ही उसके पास के सभी गाँवों के कुओं का जल स्तर भी बढ़ सकेगा।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इन बांधों की मरम्मत किये जाने तथा इनकी ऊंचाई बढ़ाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दें ताकि अधिक संख्या में किसान लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

भापुरा गाँव (सांगानेर) की बावड़ी की मरम्मत

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सभापति महोदय, निवेदन है कि पंचायत समिति, सांगानेर की भापुरा पंचायत के भापुरा गाँव में एक लगभग 300 वर्ष पुरानी बावड़ी है जिसकी हालत अत्यन्त दयनीय तथा जर्जर हो रही है। कुछ दिनों पूर्व इसके रख-रखाव के लिए सम्बन्धित विभाग ने सर्वे भी किया था तथा इस सर्वे के दौरान उस समय इस बावड़ी में 300 वर्ष से अधिक पुराना शिलालेख मिला जिसे सही ढंग से लगा भी दिया गया था, किन्तु इसकी मरम्मत के लिये अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस ओर कृपया ध्यान दिया जाकर तथा कोई

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)
कारगर कदम उठाकर इसके रखरखाव की उचित व्यवस्था करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अर्जुनदास मदान।

पुलिया का निर्माण

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत दायीं मुख्य नहर कोटा की बह गयी पुलिया के नव निर्माण के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये चम्बल विकास परियोजना मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की गलती एवं लापरवाही के कारण कोटा-बम्बई रेलवे लाइन के समीप सी.ए.डी. में चम्बल विकास परियोजना के अन्तर्गत दायीं मुख्य नहर के ऊपर विभाग द्वारा एक पुलिया बनायी गयी थी ताकि निगम के वार्डों में नहर के दोनों ओर किनारे पर बसे लोगों के आवागमन में कठिनाई न हो। आज से लगभग तीन-चार वर्ष पूर्व जब नहर के पानी को छोड़ा गया तो तालाब एवं नहर में जमी हुई जल कुम्भी के पुलिया के समीप इकट्ठे हो जाने के परिणामस्वरूप पानी के दबाव के कारण यह पुलिया बह गयी। हालांकि मेरा यह निश्चित रूप से विभाग के ऊपर आरोप है कि यदि सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों ने लापरवाही नहीं बरती होती, तो ये पुलिया नहीं बहती।

इस पुलिया के बह जाने के कारण तीन-चार वर्षों से स्थानीय नागरिक बहुत कठिनाई में हैं। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल में आने-जाने में भी बहुत कठिनाई होती है और काफी लम्बा फासला तय करके आना-जाना पड़ता है। इस पुलिया के अभाव में कई लोगों के जानवर भी रेलवे क्रॉसिंग पर कट गये। विभाग बार-बार इस पुलिया के नये निर्माण का विश्वास तो देता है, किन्तु क्रियान्विति नहीं कर पाता। अतः नियम 295 के अन्तर्गत मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस पुलिया के यथाशीघ्र नव निर्माण करवाये जाने बाबत ध्यान आकर्षित करते हुए स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ।

श्री सभापति : श्री किशनारामजी।

डूंगरगढ़ (चूरू) के रेफरल चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू के रेफरल चिकित्सालय की ओर दिलाना चाहता हूँ। उक्त चिकित्सालय में गत पांच-छह वर्षों से एक्स-रे की मशीन, जो कि पुराने मॉडल की है, खराब पड़ी है तथा टेक्नीशियन और डॉक्टर्स के पद भी रिक्त पड़े हैं। मैंने यह प्रकरण इस सदन में कई बार उठाया है तथा मंत्री महोदय ने मुझे इस सदन में आश्वासन भी दिया था, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये आश्वासन आज तक पूरे नहीं हुए हैं।

अतः आशा है कि पुराने मॉडल की मशीनें तुरन्त बदल कर नयी रखी जायेंगी तथा रिक्त पदों को तुरन्त भरा जायेगा, ऐसी मेरी आशा है।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय हाउस में हैं और मेरे जिले के हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि वह इसका जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैंने उन्हें इस सदन में आश्वस्त किया था कि मैं एक्स-रे मशीन, डूंगरगढ़ के रेफरल चिकित्सालय में नयी लगवा दूँगा, मैंने आश्वस्त तो नहीं किया था, परन्तु अब मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि इसी वित्तीय वर्ष में डूंगरगढ़ में नयी एक्स-रे मशीन लगवा दी जायेगी।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र गोयल।

ग्राम आनन्दपुर कालू (जैतारण) के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति गृह

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम आनन्दपुर कालू के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति गृह खोलने की स्वीकृति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहता हूँ।

महोदय, निर्वाचन क्षेत्र जैतारण के ग्राम आनन्दपुर कालू के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति गृह खोलने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं किये जाने से इस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए दूरस्थ जैतारण या मेड़ता जाना पड़ता है जिससे समय एवं धन की बरबादी होती है एवं रोगी को शारीरिक कष्ट भुगतना पड़ता है। साथ ही इलाज में देरी होने से रोगी की हालत बिगड़ जाती है। इस अस्पताल के आस-पास 50-60 ग्राम भी लगते हैं जहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इस प्रसूति गृह के निर्माण हेतु दानदाता भवन भी बनवा कर देने को तैयार हैं। इस अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष एम्बूलेंस भी दी गयी है, परन्तु ड्राइवर नहीं है। प्रसूति गृह खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दिये जाने से जनता में भयंकर आक्रोश है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय बिराजे हुए हैं, इस सम्बन्ध में जवाब दें।—

श्री सभापति : ऐसे थोड़े ही जवाब देते हैं हरेक का।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैंने आपको पत्र प्रेषित किये हैं, मैं आपसे कई बार मिलकर भी निवेदन कर चुका हूँ कि ग्राम आनन्दपुर कालू के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति गृह खोलें, दानदाता भी कई बार आपके पास में आये हैं—

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : आप चैम्बर में बात कर लेना।

श्री सभापति : श्री रामकिशन वर्मा (अनुपस्थित)। श्री चुन्नीलाल धाकड़।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों का डामरीकरण

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : सभापति महोदय, बेगूं विधान सभा क्षेत्र में अन्तरराज्यीय सम्पर्क सड़क आमल्दा से चरछा ग्रेवल रोड के रूप में, जिसकी लम्बाई 10 किलोमीटर है, कई महत्त्वपूर्ण गाँवों को और पंचायत मुख्यालय अनोपपुरा को जोड़ती है। इस रूट पर वर्तमान में वह निजी बसें चालू हैं जो सड़क के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बरसात में बन्द हो जाती है। इन बसों के आवागमन से मध्य प्रदेश के व्यावसायिक नगर नीमच से बेगूं क्षेत्र होकर जाना पड़ता है।

दूसरी अन्तरराज्यीय महत्वपूर्ण सड़क जावदा से टोलों का लुहाड़िया जिसकी लम्बाई सात किलोमीटर है, जावदा-नीमड़ी क्षेत्र जो बेगूं विधान सभा क्षेत्र में है, जिसमें कुआखेड़ा, देवपुरा, बलकुंडी, जावदा एवं टोलों का

94

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

लुहाड़िया पांच पंचायतें हैं, बेगूं से जावदा 55 किलोमीटर दूर है जिसमें 30 किलोमीटर मध्य प्रदेश पड़ता है जिसका अधिकांश भाग डामर है और शेष मार्ग पर भी डामरीकरण का कार्य चालू है किन्तु राजस्थान का हिस्सा मात्र जो सात किलोमीटर है, गिट्टी रोड बना हुआ है। डामरीकरण नहीं होने से इस रूट पर बेगूं चम्बल डैम पर प्राइवेट संचालित बसें वर्षाऋतु में बन्द हो जाती है जिससे यह जावदा-नीमड़ी क्षेत्र बेगूं से अलग-थलग पड़ जाता है, लोगों को भारी परेशानी होती है। जावदा में वर्तमान में सैकण्डरी स्कूल, बैंक, पुलिस चौकी, आश्रम छात्रावास, फोरेस्ट चौकी, विक्रय सहकारी समिति की दुकान आदि संस्थान कार्यरत हैं।

अतः माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से मैं अनुरोध करता हूँ कि इन महत्त्वपूर्ण सम्पर्क सड़कों का डामरीकरण किया जाय।

श्री सभापति : श्री उदयलाल आंजना।

ग्राम केवली (निम्बाहेड़ा) की क्षतिग्रस्त पुलिया

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कनेरा और निम्बाहेड़ा को जोड़ने वाले सड़क मार्ग के अन्तर्गत गाँव केवली के निकट एक मुख्य पुलिया है। उक्त पुलिया गत वर्ष टूट गयी जिससे सम्पूर्ण आवागमन की आवाजाही पुलिया के नीचे नदी में से होती है, किन्तु पुलिया के नीचे नदी में गम्भीरी बांध का पानी भरा रहता है जिससे आवागमन छह माह तक पूर्णतः बन्द रहता है।

उक्त पुलिया के जीर्णोद्धार हेतु गत वर्ष टेंडर हो गये हैं, परन्तु अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। फलस्वरूप कनेरा घाटा क्षेत्र की छह पंचायतें एवं केवली गाँव के आगे मध्य प्रदेश के गाँवों की जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः निवेदन है कि उक्त पुलिया का निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ किया जाये, जिसका कि टेंडर भी हो गया है।

श्री सभापति : श्री रामकिशन वर्मा।

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी) : मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना देना चाहता हूँ। कोटा शहर में रविवार की प्रातः 4.30 बजे एक ट्रक में भीषण आग लगने के कारण उस आग को बुझाने में लगे हरिजन समुदाय के दो लोग मारे गये और 24 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। उक्त ट्रक में आग लगने का कारण बिजली के तारों को छूना बताया गया है। इस आग ने ट्रक में रखे गैस सिलेण्डरों के कारण और भी गम्भीर रूप धारण कर लिया और भीषण विस्फोट होने से आग बुझाने वाले व्यक्ति मारे गये और आसपास के मकानों को गम्भीर क्षति पहुँची है।

ट्रक में रखे गये सिलेण्डरों की जानकारी ट्रक के मालिक, ड्राइवर और खलासी को तो थी लेकिन उन्होंने जान-बूझकर इस बात को छिपाये रखा जिसके गम्भीर परिणाम गरीब हरिजन लोगों को भुगतने पड़े।

मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य

(श्री रामकिशन वर्मा)

सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर यह मांग करता हूँ कि ट्रक के मालिक, ड्राइवर और खलासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाये और शहर के बीचों-बीच जो ट्रांसपोर्ट कम्पनियां हैं, उन्हें शहर के बाहर स्थानान्तरित किया जावे।

साथ ही मैं राज्य सरकार से यह भी मांग करता हूँ कि मृतक लोगों के परिवारजनों को और घायलों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता, चिकित्सा सुविधा तुरन्त उपलब्ध करायी जावे और जिन लोगों के मकान इस दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुआवजा दिलाया जावे।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

कब्जा-काश्त खातेदारों को मुआवजा

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

यह कि भरतपुर शहर के नजदीक स्थित घना पक्षी विहार की चार-दीवारी के अन्दर श्रीमती अशरफी देवी बेवा श्री स्वरूप सिंह, श्री बच्चू सिंह, रणवीर, नवलसिंह व उदयवीर पुत्र श्री स्वरूप सिंह, जाति जाट, निवासी धौरमई तहसील व जिला भरतपुर की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1476, 1477 एवं 1478 में से 53 एकड़ भूमि आ गयी है। इन लोगों को अपनी इस भूमि के कब्जे व काश्त से अनेक वर्षों से सरकार ने वंचित कर दिया है, क्योंकि इनकी उक्त भूमि घना पक्षी विहार की बाउन्ड्री वाल के अन्दर आ गयी है। अत्यधिक दुःख की बात है कि उक्त वर्णित इन खातेदारों को अपनी भूमि का मुआवजा इनकी प्रार्थना करने के बावजूद अभी तक नहीं दिया गया है। अकारण ही विलम्ब किया जा रहा है। उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, भरतपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक विविध/91-92/1899 दिनांक 19.7.93 से वन संरक्षक (वन्य जीव), राजस्थान जयपुर को इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि यह रकबा घना पक्षी विहार के अन्दर आ चुका है।

अतः इस भूमि का मुआवजा सरकार को अविलम्ब ही इन खातेदारों को देना चाहिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप।

गम्भीरी नदी पर एनीकट का निर्माण

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के द्वारा गम्भीरी नदी पर एनीकट बनाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता हूँ। जिला सवाईमाधोपुर की तहसील टोडाभीम, हिण्डौन, करौली, गंगापुर में से होकर गम्भीरी नदी बहती है। इन तहसीलों की जनता द्वारा राजस्थान सरकार से लगातार वर्षों से मांग की जा रही है कि इस नदी पर अगर एनीकट बना दिया जाता है तो उन तहसीलों के ग्रामों के कुओं के अन्दर पानी का स्तर बढ़ सकता है। आज कुएं सूखे पड़े हैं, ग्रामों में पेयजल संकट पैदा हो गया है, न सिंचाई के साधन ही बचे हैं। किसान बर्बाद हो रहा है। इस नदी पर एनीकट बनाने

(श्री रामस्वरूप)

के लिये सरकार के पास कई बार प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। एस्टीमेट भी बनाये गये, सरकार को आम जनता द्वारा ज्ञापन भी दिये गये। जनता द्वारा आन्दोलन भी चलाया गया पर सरकार ने आज तक इस नदी पर एनीकट नहीं बनाया है। राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत जब महावीरजी पधारे तो उनके सामने आम जनता टोडाभीम, नादोती, हिण्डौन, करौली व गंगापुर तहसील ने यह मांग की थी कि अगर इस नदी पर एनीकट बना दिया जावे तो 1,000 ग्रामों का भला हो सकता है और उनको ज्ञापन भी दिया गया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि एनीकट बना दिया जायेगा पर आज तक नहीं बना।

इसके साथ ही टोडाभीम तहसील के ग्राम नांगल शेरपुर में जो नाला बहता है, वह ग्राम की जमीन का कटाव करता है और ग्राम में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इस ग्राम में एनीकट नाले पर बन जावें तो जल स्तर ऊपर आ जायेगा और जल समस्या हल हो जायेगी। यह एनीकट सरकार की स्वीकृति के लिए पड़ा है। सरकार ने सांसद कोटे में इसके लिये पैसा भी दिया है पर सरकार ने एनीकट बनाने की स्वीकृति नहीं दी। सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान करे।

अतः मेरा इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर नदी पर एनीकट बनाने, नांगल नाले पर एनीकट बनाने व अन्य एनीकटों को बनाने की स्वीकृति प्रदान कर जल समस्या को हल करने की ओर दिलाना चाहता हूँ।

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : श्री महावीरजी के दर्शन करने के लिए हर मुख्य मंत्री, मंत्रीजी सब जाते हैं और वहाँ आश्वासन दे आते हैं। मुझे तो 1987 से याद है कि श्री शिवचरण जी माथुर साहब ने, श्री जोशीजी ने, श्री भैरोंसिंहजी ने, सबने आश्वासन दिये हैं। आश्वासन दे आते हैं, भाषण दे आते हैं लेकिन आज तक इस एनीकट का निर्माण नहीं हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)। श्री रामगोपाल बैरवा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। 295 आपने पढ़ लिया। 295 पढ़ा जाता है। पढ़ चुके हैं आप। बिराजिये।

श्री रामगोपाल बैरवा : (अनुपस्थित)। श्री एमादुद्दीन अहमद खान। (अनुपस्थित)।

एक माननीय सदस्य : आश्वासन तो विधान सभा के सदस्य भी देते हैं।

श्री सभापति : श्रीमती मनोरमा सिंह। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। बिराजिये आप।

नहर का पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध न होना

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, विगत 20 वर्षों से आंगई नहर का पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध न होने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आकर्षित करना चाहती हूँ।

राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के बसई नवाब,

(श्रीमती मनोरमा सिंह)

भूरापुरा सहित 9 पंचायतों में आंगई नहर का पानी विगत 20 वर्षों से सिंचाई हेतु उपलब्ध न होने के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करती हूं। आंगई नहर मांकरा बिन्दु विभाजन का बिन्दु है जहां से नहर की शाखा बसई नवाब की ओर मुड़ती है तथा मुख्य नहर कालोरी के रास्ते भूरापुरा की ओर आती है किन्तु नहर निर्माण से अब तक लगभग पच्चीस वर्षों से अधिक व्यतीत होने के बावजूद नहर का पानी बसई नवाब व भूरापुरा टेल पर नहीं पहुंच सका है। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 1993-94 में रुपये 25.49 लाख की स्वीकृति नहर की सफाई के मद में आबंटित किया जाना बताया है लेकिन दु:खद स्थिति यह है कि जारौली से आगे बसई नवाब तक तथा कौलारी से आगे मूसलपुर व भूरापुरा तक नहर की सफाई भी नहीं हुई। वह मिट्टी से लबालब भरी पड़ी है। मुख्य नहर का पानी कौलारी पाइंट के पास कटाव होकर पार्वती नदी में अनावश्यक बहता रहता है। जागीरपुरा के पाइंट के पास नहर का पानी कटाव होकर नाला में जाता रहता है जो नाला उत्तर प्रदेश की सीमा में है।

लेकिन अधिकारियों की स्वच्छन्दता के कारण कटाव हो रहे पानी को रोकना सम्भव नहीं हुआ। मुख्य नहर की उप शाखाएं 34 हैं तथा शाखा नहर की उप शाखाएं 5 हैं। जब मुख्य नहर में ही उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं तक पानी नहीं पहुंच सका तो उप शाखाओं में पानी पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता। कितनी भयावह स्थिति है, माननीय मंत्री महोदय, आप इसका आकलन कर सकते हैं। विगत पच्चीस वर्षों से सिंचाई का पानी खेतों की प्यास को नहीं बुझा सका हो तो ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे किसानों की कितनी दर्दनाक स्थिति रही होगी। सरकार का नीतिगत उद्देश्य हरित क्रांति तथा कृषि विकास है, हम भी इसके प्रबल पक्षधर हैं। हरित क्रांति के उद्देश्य की पूर्ति तभी की जा सकती है जबकि लहलहाती फसल को देखकर किसानों के मुखमण्डल पर प्रसन्नता के चिन्ह झलकें। सैकड़ों हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई के अभाव में बरबाद पड़ी है, नहर का कृषि सिंचित करने का निर्धारित लक्ष्य पूर्णतः अपूर्ण रहा है।

सिंचाई खण्ड, धौलपुर के अधिशाषी अभियन्ता से माह जनवरी, 95 में बात हुई। अधिशाषी अभियन्ता ने एक सप्ताह में मूसलपुर पाइंट तक पानी देने का वादा किया था किन्तु इसमें भी अधिशाषी अभियन्ता अक्षम एवं असफल रहे। नहर की सफाई के मद में आबंटित की गयी राशि का पूर्णतः सदुपयोग किया गया, यह भी परीक्षण करने योग्य है। माननीय मंत्री महोदय, आपने राजाखेड़ा क्षेत्र का दौरा किया है, किसानों के चेहरों पर बेरोजगारी एवं कंगाली की लकीरों को आपने अच्छी तरह गौर किया है। ऐसी गंभीर स्थिति में भी क्या क्षेत्र की धरती प्यासी बनी रहेगी? क्या राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए हरित क्रांति मृगतृष्णा ही बनी रहेगी? यह ज्वलंत समस्या आपके समक्ष समाधान हेतु प्रस्तुत है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप क्षेत्र की

(श्रीमती मनोरमा सिंह)
हरियाली के लिए अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और आंगई नहर का पानी वर्षाकाल (माह जुलाई, 1995) से पहले भूरापुरा व बसई नवाब ट्रेल पर देखकर कृषि क्रांति की आधारशिला का शुभारम्भ करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल मीणा।

ग्राम मिचपुरा तहसील बौंली (सवाईमाधोपुर) में जलदाय विभाग के अधिकारियों की हठधर्मी के कारण उत्पन्न समस्या

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सवाईमाधोपुर जिले की तहसील बौंली के ग्राम मिचपुरा में जलदाय योजना के अन्दर मात्र टंकी एवं पाइप लाइन गांव में डाली जा चुकी है और सारा काम पूर्ण हो चुका है। उक्त कार्य पूर्ण हुए डेढ़ वर्ष हो चुका है और सरकार का करीब 17 लाख रुपया खर्च हो चुका है परन्तु जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की हठधर्मी के कारण मिचपुरा गांव को पानी नहीं मिल पाया है। ट्यूबवैल से टंकी तक एवं टंकी से गांव में लाइन कार्य पूर्ण हुए डेढ़ वर्ष हो चुका है। अब गर्मी का वक्त आ चुका है और आम जनता प्यासी मर रही है। अतः मैं जलदाय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये और ग्राम मिचपुरा को तुरन्त पानी दिलाया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल बारूपाल।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड जायल (नागौर) द्वारा कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया जाना

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : सभापति महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि निम्नलिखित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है : —

1. श्री पांचाराम बेलदार, जल योजना, हरीमा का, पी/सी वेतन माह फरवरी, 1994 का बकाया।

2. श्री रामकिशोर, सहायक, जल योजना डेह का पी/सी वेतन माह फरवरी, 1994 का।

3. श्री हनुमानराम, सहायक, जल योजना डेह का वेतन माह दिसम्बर, 1994 से मार्च, 1995 तक।

4. श्री जगदीश प्रसाद का, सी.एल. वेतन माह फरवरी, 1995 का।

5. श्री रामनिवास जाखड़, जल योजना मांजरा का मस्टररोल पेमेंट दो माह का, दो वर्ष पूर्व का।

6. श्रीमती रामी देवी, चौकीदार, जल योजना डेह का सी/सी वेतन माह फरवरी, 1995 का।

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन क्यों रोका गया? रोकने का कारण, कब तक देने की मंशा, क्यों रोका गया जबकि तनख्वाह भी सही है, सभी का कारण स्पष्ट करें। जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डेह के कर्मचारियों का वेतन देने की तारीख प्रति माह सात है जबकि कर्मचारियों को वेतन कभी 10 तारीख को,

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

कभी 15, कभी 20 और कभी 24 तारीख को मिलता है। उप जेईएन. द्वारा समय पर पी/सी स्वीकृत की गयी फिर भी सहायक अभियन्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल अहारी।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं करना

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र चौरासी में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण कर निवेदन है कि डूंगरपुर जिले के विधान सभा क्षेत्रों, जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, में शिक्षा का काफी अभाव है। पहाड़ी क्षेत्र होने से यहां का निवासी दूर-दराज पर निवास करता है। गत विधान सभा में माननीय शिक्षा मंत्री श्री कटारिया साहब ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा जिसकी आबादी 250, 350 की होगी। विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सादड़िया, झरणीबेड़ा, रामपुर, मेवाडा, गोरादा आदि पंचायत हैडक्वार्टर हैं और सरकार के मापदण्डों के अनुसार उक्त ग्रामों में विद्यालय खुलने चाहिए थे, परन्तु माननीय शिक्षा मंत्री ने पक्षपात किया और जान-बूझकर उक्त ग्रामों में विद्यालय नहीं खोले। मैंने व्यक्तिगत इनसे सम्पर्क किया, पत्र लिखे परन्तु इन्होंने स्पष्ट रूप से नजरंदाज किया जिससे क्षेत्र के निवासी काफी नाराज हुए। पता नहीं माननीय, शिक्षा मंत्री हमारे से कौन सा बदला ले रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता है।

श्रीमन् से करबद्ध निवेदन है कि उपरोक्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर चौरासी की जनता को लाभान्वित करायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण मीणा।

(14.00)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भू-आबंटन

श्री रामनारायण (नैनवां) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि दिनांक 31.1.85 को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की उपनिवेशन तहसील कोलायत के ग्राम बीकमपुर के विभिन्न चकों की कृषि भूमि का आबंटन बीकानेर एवं कलकत्ता आदि बड़े शहरों में कपड़े आदि का व्यवसाय करने वाले तथा नौकरी करने वालों के साथ ग्राम बीकमपुर के पटवारी मनी शंकर, नायब तहसीलदार अशोक शर्मा तथा तहसीलदार, कल्याणमल सोनी द्वारा साजिश करके मोहता परिवार के 18 व्यक्तियों के नाम पर भूमि आबंटन करवाने का जिम्मा लेकर सुसम्पन्न एवं शिक्षितों का व्यवसाय मजदूरी लिखकर आबंटन अधिकारी से बेशकीमती भूमि का आबंटन करा दिया। नियम विरुद्ध करवाये भू-आबंटन की जांच उप निवेशन आयुक्त के निर्देशानुसार अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन (सतर्कता) द्वारा की जाने पर 18

(100)

(श्री रामनारायण)

व्यक्तियों के पक्ष में किया गया आबंटन नियम विरुद्ध मानकर जांच रिपोर्ट दिनांक 16.9.85 को जारी की जाने के पश्चात् आयुक्त उप निवेशन, बीकानेर के यहां इन 18 प्रकरणों की सुनवाई हेतु राजस्थान सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया। आयुक्त, उपनिवेशन के यहां प्रस्तुत की गई कार्यवाही वाद संख्या 18/85 लगायत 35/85 के जरिए विवादास्पद भू-आबंटन निरस्त योग्य होने के बावजूद आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 3.10.91 को फैसला देकर इन आबंटियों के खिलाफ राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के अन्तर्गत जारी नोटिस खारिज करने के आदेश दे दिये गये। इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट तथ्य प्रमाणित है कि :—

1. आबंटी करोड़पति है एवं उनका मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं है।

2. जिन कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने कानून के विपरीत जाकर भू-आबंटन करवाने में सहयोग दिया है उन कर्मचारियों के बयानों तथा असत्य कथनों को आयुक्त महोदय ने आधार माना। दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक एवं आपराधिक मामले दर्ज नहीं किये जाकर उनको बचाया गया।

3. आयुक्त, उपनिवेशन द्वारा फैसला देने के बाद फैसले की अपील/निगरानी सक्षम न्यायालय में नहीं करके फर्जी एवं गलत भू-आबंटन को यथावत् रखने में सहयोग किया गया। इस बाबत अभी तक भी जांच नहीं की गयी है। गहन जांच अपेक्षित है।

4. फैसले की अपील सक्षम न्यायालय में की जाने तथा सरकार से कानून सम्मत तरीके से भू-आबंटन को निरस्त करवाकर भूमिहीनों को भूमि का आबंटन करने हेतु कानूनी प्रक्रिया आरम्भ करने में जान बूझकर देरी की जा रही है।

5. आबंटियों का कलकत्ता तथा बीकानेर शहर के स्थाई निवासी हो जाने बाबत सी.आई.डी. पुलिस से करवायी गयी जांच की प्रति जारी की जावे तथा कलकत्ता शहर में रहने वाले इन लोगों की माली हालत की सही जांच दुबारा करवायी जाए।

6. जिन 18 व्यक्तियों विजय कुमार, राजेश कुमार, मेघराज, बालकिशन, ललित कुमार, मोहन कुमार, गिरधारीलाल, राजेश कुमार, दाउलाल, इन्द्र कुमार, सोहनलाल, विनोद कुमार, सुशील कुमार, मेघराज पुत्र मानकचन्द, कन्हैयालाल, सन्तोष कुमार, शिवकिशन, सुनील कुमार के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने की तारीख से भू-आबंटन की तारीख तक मतदाता सूची में अंकित नहीं होने से भी स्पष्ट प्रमाणित है कि आबंटी यहां के निवासी नहीं रहे हैं। यदि उनके बुजुर्ग किसी समय रहे भी हों तो उनका भूमि आबंटन करवाने का अधिकार नहीं बनना पाया जाता है।

अतः पूंजीपतियों के पक्ष में किये गये भूमि आबंटन के सम्बन्ध में दिनांक 31.10.91 को आयुक्त, उप निवेशन, बीकानेर द्वारा प्रभाव में आकर दिये गये फैसले को निरस्त करवाने के लिए उचित कार्यवाही की जाए तथा पूरे

(श्री रामनारायण)

प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करके वास्तविक स्थिति की जानकारी से अवगत कराया जाए। भूमि आबंटन निरस्ती बाबत इस स्टेज पर कानूनी अड़चन होने की स्थिति में उसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा तुरन्त आवश्यक कदम उठाये जाने की कार्यवाही की जाकर उसकी जानकारी दी जाए। माननीय मंत्री जी कुछ करेंगे, थोड़ा आश्वासन दीजिए।

श्री सभापति : श्री गोपीराम जी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्राम योजना केन्द्र, सिरसी की गतिविधियां

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सभापति महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्राम योजना केन्द्र सिरसी की गतिविधियों के सम्बन्ध में। महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि वर्ष 1987-88 में जयपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सिरसी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्राम योजना आरम्भ की गयी थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने केन्द्र हेतु राशि पंचायत समिति, झोटवाड़ा को आबंटित की परन्तु सभी मशीनें एवं सामान विभाग ने क्रय किया, कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश विभाग ने प्रसारित किये। पंचायत समिति ने केवल विभाग के निर्देशानुसार भुगतान कराया।

यह केन्द्र स्थापना के बाद मात्र 7-8 माह चला एवं तब से यह केन्द्र बन्द पड़ा है। जो मशीनें क्रय की गयी थीं विभाग द्वारा वापस केन्द्र से उठा ली गयी हैं। केन्द्र पर विभाग द्वारा नियुक्त 2 कर्मचारी विगत 6 वर्षों से घर बैठे वेतन ले रहे हैं। केन्द्र पूर्णतः बन्द है एवं वहां ताला लगा हुआ रहता है। कोई गतिविधि संचालित नहीं है परन्तु विभाग द्वारा कर्मचारियों को पंचायत समिति के माध्यम से 6 वर्षों से वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

ग्राम सिरसी, जयपुर नगर निगम के वार्ड नं. 2 में आ चुका है इसलिए इस केन्द्र का महत्व न कभी पहले था और न ही अब है। विभाग इस केन्द्र पर लाखों रुपया व्यय करता आ रहा है जिसका कोई उपयोग नहीं है। मात्र दोनों कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया जा रहा है।

इस प्रकरण में, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि किस अधिकारी के कारण सरकार का लाखों रुपया बरबाद हुआ व हो रहा है उसकी जांच करवायी जाए। दोनों कर्मचारियों को घर बैठे वेतन क्यों दिया जा रहा है? जब केन्द्र पर कार्य नहीं है तो उन्हें अन्य केन्द्रों पर भेज कर क्यों नहीं कार्य लिया जाता? केन्द्र का काफी सामान कर्मचारियों द्वारा या तो बरबाद कर दिया गया है या बेच दिया गया है। स्थिति यहां तक हो गयी है कि केन्द्र के भवन पर इनका पूर्णतः कब्जा हो चुका है। धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन 'क' समिति, 1994-95 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री सभापति : श्री नरपतसिंह राजवी, सभापति, प्राक्कलन समिति 'क' 1994-95 का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। श्री नरपतसिंह राजवी।

श्री नरपतसिंह राजवी (सभापति, प्राक्कलन समिति 'क') : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'क' 1994-95 का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा 4 याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री भीमराज भाटी (अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगी।

जयसिंहपुरा खोर की ढाणियों में पेयजल समस्या

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं जयसिंहपुरा खोर की ढाणियों में पेयजल के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे। (अनुपस्थित)

श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी : माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं : —

रोहट में उप-स्वास्थ्य केन्द्र

(1) ग्राम पाती पंचायत वेन्डा पंचायत समिति रोहट में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

पाली की नयी आबादी में पेयजल व्यवस्था

(2) राखाणां गांव, पंचायत समिति रोहट, विधान सभा क्षेत्र पाली की नयी आबादी में पेयजल एवं पशुओं हेतु जी.एल.आर. बनवाने बाबत।

ग्राम पाली एवं बस्सी (पाली) की नदी पर पुलिया

(3) पाली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पाती एवं ग्राम बस्सी के बीच नदी पर पुलिया बनवाने बाबत, एवं

ग्राम राखाणां से धींगाणां ग्राम (पाली) तक सड़क निर्माण

(4) राखाणां ग्राम से धींगाणां ग्राम पंचायत कुलधाना पंचायत समिति रोहट, जिला पाली तक सड़क बनवाने बाबत। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पूर्व सैनिकों को सुविधा

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी। (अनुपस्थित)।

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मण सिंह, श्री माधवसिंह दीवान, श्री हरिसिंह (महुआ), सदस्य, विधान सभा पूर्व सैनिकों को समुचित सुविधाएं सुलभ कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सभापति महोदया, नियम 131 के अन्दर प्रावधान है कि संक्षेप में पहले हम अपनी बात कहें, फिर मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे और फिर कुछ प्रश्न पूछे जायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह परम्परा गलत पड़ रही है। सभापति महोदय, समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसके प्रति पूरा देश और प्रदेश ऋणी रहना चाहिये और वह वर्ग है हमारा सैनिक।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, यहां जो परम्परा चली आ रही है, ध्यानाकर्षित कर दें फिर वक्तव्य हो जाय उसके बाद कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सभापति : परम्परा तो यही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्री गंगाराम जी दे देंगे।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। आप पहले जवाब सुन लीजिये फिर जो भी हो प्रश्न करियेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह परम्परा है, मेरे पास रूलिंग भी हैं। आप चाहें तो मैं उसको बता सकता हूं, आप उसके पेज देखना चाहें, तो माननीय सचेतक महोदय—

श्री सभापति : पर आपको भी जवाब सुनने में क्या आपत्ति है? जवाब सुनने के बाद ही तो प्रश्न किये जा सकेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, उसका कारण एक है। सिर्फ जवाब अगर आता है और प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक पक्ष—

श्री सभापति : फिर प्रश्न पूछियेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : मेरी बात तो पूरी सुन लीजिये।

श्री सभापति : आपने तो ध्यानाकर्षण लिखित में दिया है। उसका जवाब आएगा, जवाब आने के बाद जो पूछना है, पूछिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, एक पक्ष, सरकारी पक्ष ही प्रस्तुत किया जाता है।

श्री सभापति : हां, उसके लिए आपको हम समय देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : सिर्फ प्रश्न पूछने से दूसरा पक्ष नहीं आता है।

श्री सभापति : आपको समय देंगे, आपने ध्यानाकर्षण कर दिया है उस पर समय देंगे। माननीय मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मण सिंह : देखिये मेडम, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : यह क्या पाइंट आफ आर्डर है? ध्यानाकर्षण भी आपका ही है, सवाल भी आपको ही पूछना है।

श्री लक्ष्मण सिंह : सवाल तो सिर्फ उसी से पूछेंगे जो आपका स्टेटमेंट आएगा।

श्री सभापति : इसका मतलब है कि आप जवाब से सन्तुष्ट नहीं है। आप जवाब सुनना नहीं चाहते।

श्री लक्ष्मण सिंह: हम प्रश्न तो उसी में से पूछेंगे ना जिसका कि जवाब आएगा?

श्री सभापति : तो जवाब सुनिये ना फिर।

श्री लक्ष्मण सिंह : लेकिन इस विषय में, जो कि महत्त्वपूर्ण विषय है, इसका दूसरा पहलू भी तो सामने आना चाहिये। संक्षेप में ही आना चाहिये।

श्री सभापति : नहीं, तो आएगा। और नहीं आए तो आप पूछियेगा। जो पहलू नहीं आ रहा है उसको आप उजागर कीजिएगा। बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, यह गलत परम्परा डाली जा रही है। मैं इसका— (व्यवधान) करता हूं।

श्री सभापति : अब जो भी है, बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : डली हुई है, ये नहीं डाल रही हैं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में पूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 4 लाख है एवं विभिन्न युद्धों में शहीद हुए सैनिकों की संख्या 927 है। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए सतत जागरुक रही है। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

भूमि आबंटन से सम्बन्धित सूचना : इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में भूमिहीन किसानों व अन्य श्रेणियों को भूमि आबंटन की व्यवस्था के प्रावधान तत्सम्बन्धी आबंटन नियम, 1975 में हैं मगर भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आबंटन

(104)

(श्री गंगाराम चौधरी)

विषयक प्रावधान नहीं थे। राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या प.4(10)राज/उप/75, दिनांक 30.1.78 से भूतपूर्व सैनिकों को आबंटन हेतु प्रावधान किये। इन प्रावधानों के अधीन राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने 5 वर्ष तक भारतीय शस्त्र सेना में सेवा की हो, जो भूमिहीन हों, कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं हों तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सशस्त्र सेना सेवा से नहीं हटाया गया हो, उन्हें भूमि आबंटन की जा सकती है। राज्य सरकार ने इन भूतपूर्व सैनिकों को सीमा क्षेत्र में भी बसाने की व्यवस्था की है। आबंटन नियमों की परामर्शदात्री समिति में जन-प्रतिनिधियों यथा—सरपंच, प्रधान, विधायकगण के अलावा सम्बन्धित सचिव, जिला सैनिक मण्डल और डायरेक्टर जनरल, एक्स सर्विसमैन, प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा मनोनीत अधिकारी को सदस्य रखा गया है।

राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के क्षेत्र में 50 हजार बीघा भूमि इन्हें आबंटन हेतु सुरक्षित की है। इस भूमि के आबंटन हेतु जिला क्लक्टर्स के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये एवं 10780 सैनिकों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। पात्रता की जाँच करने पर 7450 भूतपूर्व सैनिक आबंटन के पात्र पाये गये। अतः 3330 आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये। सक्षम 7450 में से लाटरी द्वारा दिनांक 31.1.94 तक 2197 भूतपूर्व सैनिकों को 49497 बीघा भूमि का स्थाई आबंटन कर दिया गया है। इन भूतपूर्व सैनिकों में से अभी तक आबंटित क्षेत्र में बहुत कम भूतपूर्व सैनिक आबाद हुए हैं। आबंटित क्षेत्र में खालों का निर्माण कार्य हो चुका है या निर्माणाधीन है। खालों का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक यह लोग आबंटित क्षेत्र में आबाद हो सकेंगे। इसके अलावा 309 भूतपूर्व सैनिकों को 7814 बीघा सीलिंग से अधिशेष भूमि का भी आबंटन द्वितीय चरण में किया गया है।

राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प-3 (129)उप/80/पार्ट, दिनांक 1.10.94 से भारत-पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगी 500 मीटर की भूमि पट्टी के आगे 1.5 किलोमीटर की पट्टी अर्थात् अन्तरराष्ट्रीय सीमा से 500 मीटर की पट्टी को छोड़कर 1.5 किलोमीटर तक की सीमा पट्टी की राजकीय भूमि राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 6(3) के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को आबंटन हेतु आरक्षित की गयी है। इस क्षेत्र में 2421 हैक्टेयर कमाण्ड, 2461 हैक्टेयर अनकमाण्ड, कुल 4882 हैक्टेयर राजकीय भूमि आबंटन के लिए उपलब्ध होने पर इस भूमि में से दिनांक 7.2.95 व 16.2.95 को 240 भूतपूर्व सैनिकों को 1153 हैक्टेयर कमाण्ड 104 हैक्टेयर अनकमाण्ड, कुल 1257 हैक्टेयर भूमि आबंटित हो चुकी है। शेष 1268 हैक्टेयर कमाण्ड, 2357 हैक्टेयर अनकमाण्ड, कुल 3625 हैक्टेयर भूमि आबंटन हेतु विभाग में वर्तमान में, पूर्व में जो प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे, उनमें से 4704 प्रार्थना पत्र सक्षम शुदा विचाराधीन हैं। इन प्रार्थना पत्रों में राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12 (ए) (II) के अनुसार दी गयी प्राथमिकता के अनुसार आबंटित किया जाएगा।

भारत पाक सीमा की 500 मीटर भू-पट्टी को छोड़कर शेष 1.5 किलोमीटर की पट्टी में जो बारानी भूमियां हैं चक प्लानों का निर्धारण होने पर उन भूमि का आबंटन किया जाएगा।

(श्री गंगाराम चौधरी)

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आबंटन के अलावा युद्ध में शहीद हुए कर्मियों व उनके आश्रितों एवं शौर्य पुरस्कार प्राप्त को भी भूमि आबंटन दी राजस्थान गेलेन्ट्री अवार्ड (कैश अवार्ड्स एण्ड लैण्ड ग्राण्ट्स) रूल्स, 1966 व राजस्थान विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों, मृत रक्षा कर्मचारियों के आश्रितों को विशेष सहायता (भूमि आबंटन) नियम, 1963 के तहत करने का प्रावधान है। इन आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में निम्नानुसार भूमि का आबंटन हुआ है : —

क्रम सं. श्रेणी	संख्या आबंटित	आबंटित भूमि (रकबा हैक्टेयर में) कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग
1. शौर्य पुरस्कार	43	276	1	277
2. मृत रक्षाकर्मी व उनके आश्रित	100	589	38	627

पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 जारी कर तृतीय एवं अधीनस्थ सेवा वर्ग में साढ़े 12 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा वर्ग में 15 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया है एवं इन नियमों के तहत आरक्षित रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष के लिए केरी फारवर्ड करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान देश का पहला प्रान्त है जिसमें पूर्व सैनिकों के नियोजन हेतु उन्हें 100 बिन्दु रोस्टर प्रणाली में सम्मिलित किया गया है एवं नायब तहसीलदार तथा उप निरीक्षक पुलिस जैसे पदों पर चयन हेतु उन्हें लिखित परीक्षा की भी छूट प्रदान की गयी है। वर्ष 1992-93 में 1810, वर्ष 1993-94 में 1932 तथा वर्ष 1994-95 में 1008 पूर्व सैनिकों को नियोजन दिलाया गया है।

पूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य में "भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार के लिए तैयार करना" योजना वर्ष 1983 में प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में यह योजना राज्य के 7 जिले—अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, झुन्झुनूं, नागौर एवं भरतपुर में चलायी जा रही है। इस योजना के तहत पूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण काल में 250 रुपया स्टाइफण्ड एवं 50 रुपया यात्रा भत्ता दिया जाता है। प्रशिक्षण समाप्ति पर उन्हें विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण स्वीकृत कराकर स्व-रोजगार दिलाया जाता है। वर्ष 1992-93 में 542 पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाया गया एवं 104 पूर्व सैनिकों को 20.84 लाख रुपया ऋण दिया गया। वर्ष 1993-94 में 553 को प्रशिक्षण दिलाया गया व 124 को 36.40 लाख का ऋण दिलाया गया। वर्ष 1994-95 में 609 को प्रशिक्षण दिलाया गया तथा 129 को 40.50 लाख का ऋण स्वीकृत कराया गया।

सैम्फेक्स प्रथम योजना (सैल्फ एम्पलायमेंट स्कीम फोर एक्स-सर्विसमेन) : पूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1.4.87 से सैम्फेक्स प्रथम योजना प्रारम्भ की गयी

106

(श्री गंगाराम चौधरी)

है। इस योजना के अन्तर्गत 15 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है जिसमें 15 प्रतिशत सुलभ पूंजी सहायता (सीड केपिटल) उपलब्ध करवायी जाती है। ब्याज दर परियोजना के आधार पर लगाया जाता है। वर्ष 1992-93 में 90 पूर्व सैनिकों को 305.10 लाख का ऋण, वर्ष 1993-94 में 27 को 80.50 लाख तथा वर्ष 1994-95 में 33 पूर्व सैनिकों को 130.19 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया।

सैम्फेक्स द्वितीय योजना (भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार योजना) : सैम्फेक्स द्वितीय योजना का शुभारम्भ 15.1.1988 से किया गया था। यह योजना राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से चलायी जा रही है। इस योजना के तहत अकृषि क्षेत्र में 7.50 लाख रुपये तक ऋण प्रदान किया जाता है एवं कृषि क्षेत्र में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अकृषि क्षेत्र में सुलभ पूंजी सहायता 1.4.93 से आरम्भ की गयी है जो कि 5 प्रतिशत या अधिकतम राशि 75,000 रुपये होगी। वर्ष 1992-93 में कृषि क्षेत्र में 2 पूर्व सैनिकों को 3.96 लाख रुपये तथा अकृषि क्षेत्र में 2 को 1.50 लाख रुपये तथा वर्ष 1993-94 में कृषि क्षेत्र में 2 को 1.90 लाख व अकृषि क्षेत्र में 2 को 0.60 लाख तथा वर्ष 1994-95 में कृषि क्षेत्र में एक को 1.25 लाख व अकृषि क्षेत्र में 2 को 2.68 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया।

सैम्फेक्स तृतीय योजना (भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार योजना) :—सैम्फेक्स तृतीय योजना खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है...

श्री हरिसिंह (महुआ) : वोल्यूम तेज करिये।

श्री कैलाश मेघवाल : हरेक का वोल्यूम आप जैसा थोड़े ही होता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, आपका तो है।

श्री गंगाराम चौधरी : इस योजना का शुभारम्भ 15.10.1991 से किया गया था, लेकिन कार्यान्वित वर्ष 1992-93 से किया गया था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिये लागू है। पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत 15 प्रतिशत ऋण सहायता दी जाती थी उसे बढ़ाकर दिनांक 1.4.1995 से 25 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व सैनिक समुदाय अधिकाधिक संख्या में लाभान्वित होंगे।

पूर्व सैनिकों के बच्चों को शिक्षा अध्ययन हेतु कक्षा छह से उच्च शिक्षा, जिसमें तकनीकी शिक्षा भी सम्मिलित है, के लिए सैनिक कल्याण विभाग से छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं एवं शिक्षा विभाग द्वारा युद्ध में शहीद सैनिकों के बच्चों को स्कूल स्तर तक 400 रुपये वार्षिक एवं महाविद्यालय स्तर पर 800 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा सभी स्तर पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। वर्ष 1991-92 में 777 पूर्व सैनिकों के बच्चों को 2,30,885 रुपये छात्रवृत्ति के रुप में, वर्ष 1992-93 में 801 को 2,44,530 रुपये तथा वर्ष 1993-94 में 350 छात्रों को 1,14,260 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में स्वीकृत किये गये। वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकृति की कार्यवाही चल रही है।

युद्ध में शहीद सैनिकों एवं स्थायी अपंग सैनिकों के आश्रितों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में उक्त परिवार के दो सदस्यों तक रोजगार देने में प्राथमिकता देने का प्रावधान है। उक्त श्रेणी के तीन सदस्यों को राज्य सेवा में नियोजन दिलाया गया है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

इस प्रकार विभिन्न नियमों एवं योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाये गये हैं और योजनाओं की पुनः समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है जिसके द्वारा नवीन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए सुझाव शीघ्र प्रस्तुत किये जाएंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सभापति महोदय, समाज का एक वर्ग ऐसा है, जिसके प्रति देश को और प्रदेश को सदैव ऋणी रहना चाहिए और वह है हमारे सैनिक। विकट से विकट परिस्थितियों में भी हमारे वीर सैनिक हमारी बोर्डर्स की रक्षा करते हैं। चाहे वह आसाम के जंगल हों, चाहें वह थार का मरूस्थल हो और चाहे वह हिमालय पर्वत की वादियां हों। हमारे सैनिक 50 से 55 डिग्री प्लस टेम्प्रेचर के अन्दर भी अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हैं तो माइनस 25 डिग्री टेम्प्रेचर के अन्दर भी वे कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। उनके प्रति देश का, हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि सैनिक जब सेवारत रहे तो उनके परिवारों की हम रक्षा करें और जब सैनिक सेवानिवृत्त हो जाय तो कम से कम इतनी सुविधाएं हम उनको प्रदान करें कि वह अपना जीवन-यापन कर सकें। औसत 15 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात् एक सैनिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेता है। 35 वर्ष की उम्र में जब वह अपने घर पर आता है तो वातावरण बिल्कुल बदला हुआ होता है और यहां वह अपेक्षा करता है कि सरकार उसकी देखभाल करेगी। जितनी उसकी देखभाल की जानी चाहिये, वह नहीं होती है।

सभापति महोदय, 1994 के अक्टूबर-नवम्बर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और सेना के स्वर्गीय जनरल जोशीजी ने जयपुर में एक रैली आयोजित की थी और उसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक हजारों की संख्या में आये थे। उस रैली से देश के अवकाश प्राप्त सैनिकों में एक आशा की किरण जाग्रत हुई थी, उनकी अपेक्षाएं जाग्रत हुई थीं, हमें भी उम्मीद थी कि मुख्य मंत्रीजी, वैसे तो राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं लेकिन शेखावाटी, जहां पर विशेष रूप से हमारे सैनिक ज्यादा बसते हैं, उससे उनको विशेष लगाव होगा और सैनिकों के कल्याण के लिए वे कुछ अच्छी योजनाएं घोषित करेंगे। परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार से जो अपेक्षा थी वह पूरी नहीं हुई। माननीय मंत्रीजी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया, उसके अनुसार हमारे 927 जवान शहीद हुए हैं पिछले युद्धों में। 927 शहीद परिवारों में से सिर्फ 100 शहीद परिवारों को भूमि का आबंटन किया गया है जो कि एक निराशाजनक स्थिति की ओर इंगित करता है। साथ ही साथ, आपने जो सैम्फेक्स प्रथम योजना बतायी, उसमें 1992-93 में सिर्फ 90 सैनिक लाभान्वित हुए, 1993-94 में 27 और 1994-95 में सिर्फ 33 सैनिक लाभान्वित हुए।

सभापति महोदय, आज अवकाश प्राप्त सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में आज पांच लाख अवकाश प्राप्त सैनिक हैं और हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जो लाभ देना चाहती थी, उन सैनिकों की संख्या में निरन्तर घटोतरी होती जा रही है। इसी प्रकार से सैम्फेक्स द्वितीय योजना के अन्तर्गत 1992-93 में सिर्फ दो सैनिकों को लाभान्वित किया, 1993-94 में भी दो और 1994-95 में सिर्फ एक सैनिक को लाभान्वित किया। बच्चों के लिए जो हमारी सरकार, जो सैनिकों पर आश्रित बच्चे हैं, उनके लिए हमारी सरकार जो छात्रवृत्ति देती है, वह बहुत ही कम है। 400 रुपये साल

(श्री लक्ष्मण सिंह)

की छात्रवृत्ति से आजकल कुछ नहीं होता है जो औसत 40 रुपये महीने से भी कम की होती है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सेवारत सैनिकों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है जब वे सेना में रहते हैं तो उनके परिवार यहां पर पीछे से कई समस्याओं का सामना करते हैं चाहे वह लॉ एण्ड आर्डर की प्रॉब्लम हो, चाहे उनकी जमीन पर नाजायज कब्जे की प्रॉब्लम हो इसलिये सेवारत सैनिकों के परिवार जो यहां पीछे रहते हैं, उनके कल्याण के लिये हमारी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और उनकी जो समस्याएं हैं, उनके लिए एस.डी.एम. और कलक्टर्स को समय-समय पर क्वार्टरली मीटिंग बुलाकर अपने अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए कि उनकी समस्याओं का कोई समाधान करें। इसके साथ ही साथ हमें सर्वोच्च प्राथमिकता सैनिकों की विधवाओं को और उनके आश्रित बच्चों को देनी चाहिये क्योंकि जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटे हैं अगर हम उनके परिवार का, अगर हम उसकी विधवा का ध्यान नहीं रख पाये तो यह बहुत ही दुःख की बात होगी। इसके साथ-साथ जो रिजर्वेशन, मंत्री महोदय, आपने बताया कि रिजर्वेशन किया हुआ है साढ़े बारह पर्सेन्ट, पन्द्रह पर्सेंट, लेकिन नौकरियों में आपकी रोक लगी हुई है। यह रिजर्वेशन सिर्फ कागजी सिद्ध हो जाता है और जो थोड़ी बहुत नौकरियां आप लोग रिलीज करते हैं, उसमें भी रिजर्वेशन का कड़ाई से पालना नहीं होती है तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कृपया अपने सारे डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट करें कि वे क्वार्टरली रिपोर्ट भेजा करें। सैनिक कल्याण विभाग को या सैनिक कल्याण विभाग सबसे क्वार्टरली रिपोर्ट मंगवाये कि किस-किस विभाग के अन्दर किस-किस सैनिक या सैनिकों पर आश्रित पुरुष या स्त्री का नौकरी के अन्दर नियोजन किया गया है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिये आपने जो भूमि के आबंटन की बात कही, आबंटन का 1988 के अन्दर कानून बना, नियम बना, बहुत अच्छी बात है। अभी मुख्य मंत्रीजी ने 1995 में एक निर्णय लिया है, फरवरी का है, वह भी अच्छा है, बोर्ड एरिया में जहां डेढ़ किलोमीटर के आस-पास बोर्डर से, जो पट्टी है वहां पर हम भूतपूर्व सैनिकों को बताएंगे लेकिन आबंटन बहुत कम हुआ है। इस आबंटन को बढ़ाने की आवश्यकता है और आबंटन करने के पश्चात् में वहां पर कब्जा, मौके पर स्थिति के ऊपर कब्जा नहीं दिया जाता है, न ही दिलाया जाता है तो इसलिये इसके ऊपर कलक्टर्स को विशेष रूप से निर्देशित करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्वरोजगार योजना हमने चालू कर रखी है लेकिन यह राजस्थान के सिर्फ सात जिलों में हैं, लेकिन मोटे तौर पर राजस्थान के करीबन 20-22 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर भूतपूर्व सैनिक बसते हैं, वैसे तो पूरे राजस्थान में ही बसते हैं। इसलिये सात जिलों की जो सीमा है, उसको हटाना चाहिये और यह स्वरोजगार योजना जिसमें सैनिकों को ट्रेंड किया जाता है और उसके बाद में उनको बैंकों से ऋण दिलवाया जाता है, यह सात जिलों से हटा कर पूरे राजस्थान में इस योजना को लागू करना चाहिये और, सभापति महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हम स्कीम्स निकालते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिये, उसकी व्हाइट पब्लिसिटी होनी चाहिये। सैनिकों को मालूम नहीं है कि उसके लिये क्या योजनाएं बनायी

(श्री लक्ष्मण सिंह)

जा रही हैं। इसलिए पंचायत समितियों के माध्यम से, जिला परिषदों के माध्यम से और पंचायतों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं की पब्लिसिटी होनी चाहिये। अन्त में मेरा यह सुझाव है और मांग है कि हम एक ऐसी क़मेटी गठित करें जो कि पूरे देश के अन्दर अन्य राज्यों में जो भूतपूर्व सैनिकों को और सेवारत सैनिकों के परिवारों को सुविधाएं दी जा रही हैं उनका अध्ययन करे। कई राज्य ऐसे हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर हमारे राज्य से ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं तो वहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका अध्ययन करने के लिए कमेटी का गठन किया जाए जो कि कुछ समय में अपनी रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार अपनी कार्यवाही करे, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री माधवसिंहजी दीवान। (अनुपस्थित) श्री हरिसिंहजी (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, वीर प्रसूता भूमि राजस्थान और यहां के सैनिकों का भारतीय सेना में एक विशिष्ट स्थान है और विशिष्ट स्थान इसलिए और भी है कि राज राइफल के नाम से एक अलग रेजीमेंट हैं, उसमें अधिकांश राजस्थान के सैनिक हैं। राजपूत रेजीमेंट, गार्डस रेजीमेंट और जाट रेजीमेंट हैं, यह विशेषकर के ऐसी रेजीमेंट्स हैं जिनमें राजस्थान के सैनिक बहुतायत में हैं। सभापति महोदय, 1962-65 के बाद में सरकारों का ध्यान इस ओर गया कि भूतपूर्व सैनिक सेवारत है या जो वार में काम आ गये, जो विकलांग हो गये उनके परिवारों को, उनकी विधवाओं को, उनके आश्रितों को सरकार ने एक नैतिक कर्त्तव्य मानते हुए उनको कुछ राहत दी और उनको विशेषकर के भूमि आबंटन के मामले आये। लेकिन जो देखने में आया है वह यह है कि इसके लिए नियम तो हैं सरकार के, लेकिन वे कड़ाई से लागू नहीं हो रहे हैं। अभी सब में ही आप छूट दे रहे हैं लेकिन जहां तक मंत्री महोदय आपने जो स्टेटमेंट जारी किया है, आपने जितने भी भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएँ प्रदान करने बाबत अपने नियम और उप नियम बताये हैं। शायद वह सब कांग्रेस के राज के हैं। खुशी होती इन पांच साल में अगर कोई भी एक्स्ट्रा छूट आप देते। बल्कि हो यह रहा है कि अभी आपकी जो योजना है सैम्फेक्स भूतपूर्व सैनिकों को प्रिपेयरिंग फोर एक्स सर्विस मैन फॉर एम्लायमेंट उसके लिये उनको ट्रेनिंग दी जाती है, आपने 904 को ट्रेनिंग दी और 114 को ऋण उपलब्ध करवाया। यानि, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिये कि शेष को क्यों नहीं? आपने उनको ट्रेनिंग तो दे दी, आपने उनमें एक लालच पैदा कर दिया, आपने उनको प्रलोभन दिया, आपने उनको एक गारण्टी दी, आपने उनका मन यह बनाया कि आप कोई काम करिये हम आपको ऋण उपलब्ध करायेंगे। आपने ट्रेंड कर दिया और उसके बाद में इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति तो कोई हो नहीं सकती, 904 में से मात्र 114 को आपने ऋण उपलब्ध करवाया है।

मैं इसके सन्दर्भ में आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इसमें 7 जिलों को, पहले तो यह अकेले झुंझुनूं जिले में लागू थी उसके बाद में आपने अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और नागौर आदि जिलों को जोड़ दिया लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि सवाईमाधोपुर जिले में बहुतायत से, उतनी तादाद में जितने झुंझुनूं में हैं भूतपूर्व सैनिक उतनी ही तादाद में सवाईमाधोपुर जिले में हैं और विशेषकर के हिण्डौन और करौली सब डिवीजन में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता

(श्री हरिसिंह)

हूं कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 11 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका एक भी घर ऐसा नहीं हैं जिनके दो और तीन जवान सेना में सेवारत नहीं है। एक अकेला मुंडिया गांव ऐसा है जिसकी 6000 की आबादी में से 1000 आदमी सेना में सेवारत है और 700 रिटायर्ड आर्मी पर्सशंस हैं, आपने हम को छोड़ दिया। इसलिए मेहरबानी करके सवाईमाधोपुर और दौसा जिले को और इसमें इंक्लूड करिये और बेहतर तो यह होगा कि पूरे राजस्थान को इसमें जोड़ दीजिये। इसमें विभेद किस बात का? मैं इसके सन्दर्भ में थोड़ा सा आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि सेना में सैनिक को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और वह यहां दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। उसको सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है मातृभूमि की रक्षा करना और अपने प्राणों की आहुति देना। और जब वह यहां आता है तो उसी एक पर्टिकूलर ट्रेनिंग के हिसाब से आता है। मैं आपसे निवेदन करूं, आपके कृषि उपज मण्डी समिति के यार्डस हैं, आप प्राइवेट कम्पनी से वहां पर चौकीदार ले रहे हैं, आप क्यों नहीं भूतपूर्व सैनिकों को वहां चौकीदार नियुक्त करते जो अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। आज रोज शिकायतें हो रही हैं, मेरे मण्डावर में चलते हुए 1,17,000 रुपये का थैला छीन लिया, रोज मंडियों में चोरियां हो रही हैं उन प्राइवेट वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा यह हो कि आप वहां भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति चौकीदार के रुप में करें। आप सरकार से केबीनेट में एक डिसीजन करवा लीजिये जैसे बैंक वालों ने कर रखा है कि वह अपने यहां भूतपूर्व सैनिकों को ही चौकीदार के पद पर नियुक्त करते हैं। आप मण्डी यार्डस में इन सबको नियुक्ति दिलवाइये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सैनिक सेना में कार्यरत है और घर पर उसकी पत्नी है। आप जानते हैं वार एरिया, फील्ड एरिया में उनको फैमिली रखने की कोई सुविधा नहीं हैं। उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, सब गांवों में रहते हैं और पत्नी छोटी-मोटी जितनी भी खेती-बाड़ी है उसकी देखरेख में मशगूल रहती है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की समुचित व्यवस्था नहीं है इसलिए आप उन एरियाज का एक सर्वे करवाएं और जांच करवाएं, जहां-जहां भी भूतपूर्व सैनिकों की ज्यादा आबादी है, या सेवारत सैनिकों की ज्यादा आबादी है वहां-वहां उनके बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय स्थापित करें ताकि उनके लिये समुचित पढ़ने की व्यवस्था हो, वह बच्चे वहाँ रहें, उनको छात्रावास की सुविधा हो, आवासीय व्यवस्था हो और मेहरबानी करके वहाँ पर जो एन.सी.ई.आर.टी. का कोर्स है उसको आप लागू करें, कि कहीं भी उनके बच्चे ट्रांसफर पर जाएं, अगर आवश्यक हो उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने की तो उसी ढंग की एजुकेशन उनको हर प्रान्त में मिल सकें।

इसके साथ-साथ, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे आपने एस.सी/एस.टी. के बच्चों के लिये कॉम्पीटीटिव एक्जाम्स हैं, उनके लिए कोचिंग सैंटर्स खोल रखे हैं। उसी प्रकार से भूतपूर्व या सेवारत सैनिकों के बच्चों के लिए कॉम्पिटीटिव एक्जाम्स में एपीयर होने के लिये हम कोचिंग सैंटर्स प्रारम्भ करें, उनका खर्चा सरकार वहन करे, वहाँ पर जो बच्चे अध्ययनरत हों उनको आप स्कालरशिप भी दें और यह निश्चित है कि वहाँ आप मैरिट के आधार पर बच्चों को यह सुविधाएँ प्रदान करें।

इसके साथ ही, मैं आपसे एक और निवेदन

(श्री हरिसिंह)

करना चाहूँगा। हमारे यहाँ राजस्थान में पी.टी. की ट्रेनिंग हेतु बी.एड. में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों का 6 प्रतिशत रिजर्वेशन है लेकिन और किसी ट्रेनिंग में नहीं है। न बी.एस.टी.सी. में है, न कम्पाउण्डर्स की में हैं, न पर्सनल सहायक की में है, न नर्स कम्पाउण्डर्स की में हैं और जितनी भी प्रकार की आपकी ट्रेनिंग्स हैं उनमें कहीं किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में यह मांग कर रहा हूं कि जैसे बी.एड. में यह फैसेलिटी दी हुई है, 6 पर्सेंट रिजर्वेशन आपने दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये, उसी प्रकार से जितने भी आपके प्रशिक्षण कोर्सेज हैं उन सब में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों का आप रिजर्वेशन कायम करें। इसमें जो आपका दूसरा रिजर्वेशन है वह कहीं आड़े नहीं आ रहा है और न ही कहीं दूसरे वर्ग पर इसका कोई असर आ रहा है। यह सरकार का फर्ज है कि जो सैनिक सेवारत हैं, जो साल में सिर्फ एक बार महीने, डेढ़ महीने, या दो महीने की छुट्टी पर घर आते हैं, 10 महीने घर से दूर रहते हैं तो हमारा यह नैतिक कर्त्तव्य बन जाता है, हमारा यह नैतिक दायित्व है कि हम उनके परिवारों की देखभाल करें, उनके परिवारों को समुचित सुरक्षा प्रदान करें ताकि वे निडर होकर, निर्भीक होकर मानसिक रूप से पूर्ण आश्वस्त होकर के देश की सेवा कर सकें। इसलिए सरकार को इस ओर निश्चित रूप से पहल करनी चाहिये।

इसके साथ ही मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में सेना में अनेक ऐसे सेवारत लोग हैं, जिन्होंने खेलों में विशिष्ट स्थान बनाया है। घुड़सवारी हो, लोंग जम्प हो, हाई जम्प हो या मैराथन दौड़ हो या कोई खेल हों, जिनमें उन्होंने अखिल भारतीय स्तर के रिकार्ड कायम किये हैं लेकिन वहां से आने के बाद में यहां आप उनको प्रशिक्षक तक भी नियुक्त नहीं करते। सरकार को उनको स्पेशल अवार्ड देना चाहिये था, यहां पर सरकार में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मेरी जानकारी में मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक सैनिक मैराथन में इंडिया में टोप है, वह यहां आया और वह मुख्य मंत्रीजी से भी मिला, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद पेश करता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने कोई 5000 रुपये की उनके खाने-खुराक के लिए मदद की लेकिन जिस प्रकार का विशिष्ट स्थान उसने बनाया है उसको सम्मान देने के लिए कुछ हो। ऐसे ही घुड़सवारी का हमारा इंडिया में फर्स्ट है, पहलवानी में, कुश्ती में भी इंडिया में विशिष्ट स्थान हमारे सैनिक बनाये हुए हैं, लोंग जम्प और हाई जम्प में भी विशिष्ट स्थान बनाये हुए हैं, कम से कम आप उसी पैटर्न पर जो सेना में सेवारत लोग हैं या जो सेना में काम करते हैं जिनको आपने कोई छूट दे रखी है तो इस प्रकार के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आप भूमि आबंटन इंदिरा गांधी केनाल एरिया में करें और उनकी सेवाओं का सदुपयोग करें।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मंत्रीजी, आप भी मार्शल रहे और मुख्य मंत्रीजी भी मार्शल रहे, आपको तो गर्व होना चाहिये यहां के सैनिकों पर कि आप उदार मन से जितना उनके लिए कुछ कर सकें, जितनी भी सामाजिक सुरक्षा उनके परिवारों को आप दे सकें, जितना भी उनके अपलिफ्टमेंट के लिये आपके पास कोई योजना है, आप निश्चित रूप से कमेटी का गठन करवाएं, उन क्षेत्रों का जहां ज्यादातर लोग फौज में हैं, उनका सर्वे करवाएं, उनके लिये अलग से आवासीय विद्यालयों की स्थापना करवाएं।

(श्री हरिसिंह)

इन्हीं मांगों के साथ, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। खेतसिंहजी, आप बोल रहे हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो मिनट, मैं आपको निवेदन करूं, माननीय मंत्री महोदय, महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको भूतपूर्व सैनिकों को राहत देने के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं आपको इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अन्दर जहां ज्यादा सैनिक कार्यरत हैं या जहां भूतपूर्व सैनिक ज्यादा हैं या जहां वार विडोज ज्यादा हैं, वहां पर पहले एक आदमी और ज्यादा संख्या होने पर दो भूतपूर्व सैनिकों को उन वार-विडोज की खैर-खबर लेने के लिये, उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं, उनको जानने के लिये, उनको समय पर पेंशन मिली है या नहीं मिली है इस बात को मालूम करने के लिये, उनके साथ घरवालों का कोई झगड़ा तो नहीं हो गया है, उनको राहत देने के लिए यह नियुक्त किये हुए थे। यह अब न मालूम किस कारण से आपने वह दोनों पद, जहां पर तीन हजार से ऊपर भूतपूर्व सैनिक थे, वहां पर दिये गये थे और वह अब आपने एबोलिश कर दिये। यह भारी गलती की है और इसकी वजह से आज वार-विडोज की कई ऐसी समस्याएं हैं कि जिनका समाधान उनके घरवाले, उनके जेठ या देवर तो करना नहीं चाहते और वह बेवायें बहुत परेशानी में हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके उन पदों को वापस खैर-खबर करने के लिये लाइये, उनकी समस्याओं को जानने के लिए जानकारी करवाइये।

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि यहां पर कई ऐसे सैनिक हैं जिनको परमवीर चक्र मिले हैं, महावीर चक्र मिले हैं, वीर चक्र मिले हैं उन लोगों के यहां पहले श्री सुखाड़िया जी के वक्त में, मेरे पास भी यह डिपार्टमेंट थोड़े दिन रहा था। हमने यह तय किया था कि कलक्टर या एस.डी.ओ. अब उन गांवों में या उधर जावें तो वह उनसे जरूर मिलें, उनसे बातचीत करें और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें। उनको भी यह एक गर्व होता था कि हमारे पास महावीर चक्र है, हमसे मिलने कलक्टर आये हैं या एस.डी.ओ. आये हैं और कोई मामूली सी समस्या होती थी, वह भी उनको बता देते थे और इससे उनका समाधान हो जाया करता था। आजकल यह आपने बिल्कुल ही बन्द कर दिया। कलक्टर तहसील में जाएगा, कहीं इंस्पेक्शन करेगा लेकिन अगर पड़ौस में ही कहीं परमवीर चक्र प्राप्त सैनिक की वाइफ भी रहती है तो उनसे मिलने तक नहीं जाते। मैं आपको यह खास तौर से उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि परमवीर चक्र प्राप्त मेजर शैतान सिंहजी का घर फलौदी से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर पहले कलक्टर जाया करते थे। उनसे कोई उनकी समस्या होती थी तो पूछ लिया करते थे और ऐसी समस्याएं भी क्या, उनकी समस्या होती थी कि पेंशन टाईम पर नहीं मिली है या हमको उन्होंने यह बात कह दी है या हमारी यह परेशानी है। उन परेशानियों को दूर करने के लिए आपके कल्याण विभाग का यह मुख्य कर्त्तव्य है और आप नहीं चाहते हैं, आपने इस बात को बहुत ढीली छोड़ दी है। इससे सैनिकों के अन्दर एक फ्रस्ट्रेशन आता है। सैनिकों की आप ज्यादा कदर कीजिये। आज इसलिए और भी ज्यादा आवश्यक हो गया है कि प्रजातंत्र ढीला पड़ता जा रहा है और सैनिकों से अगर आपने मित्रता नहीं रखी और काम नहीं किये तो हालात और बिगड़ जाएंगे। यही इस मौके पर खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं। बाकी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बातें आपको बहुत विस्तार के साथ में जो सहूलियत देने के लिए महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही हैं, उन बातों को रिपीट करने में कोई लाभ नहीं होगा। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि वह सुझाव बहुत उपयुक्त है। मेहरबानी करके आप एक कमेटी बना दीजिये या हम लोगों को मौका दीजिये कि हम आपके साथ में बैठकर कुछ ऐसे सुझाव दें, उन सुझावों को आप कार्यान्वित करें जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों और कार्यरत सैनिकों का विश्वास इस प्रजातंत्र में और आपकी सरकार में बना रह सके।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री विजयसिंह (दीगोद) : युद्ध में जो सैनिक मारे गये हैं उनके लिये 'शहीद' वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मैं यह कहता हूं कि यह 'शहीद' शब्द जो है इसके बजाय "वीरगति को प्राप्त हुए हैं" शब्द रहना चाहिए।

श्री सभापति : शहीद भी वीर ही होते हैं।

श्री विजय सिंह : क्योंकि शहीद शब्द आज सैनिकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट नहीं करता है और युद्ध में आमने-सामने गोलियां बरसती हैं, जहां तोपें चलती हैं उनके सामने दौड़कर और लोहा से लोहा जहां बजता है वहां पर जो आदमी मारा जाता है उसके लिये यह शब्द होना कि "वीरगति को प्राप्त हुए"।

श्री सभापति : बिराजिये आप। शहीद भी वीर ही होते हैं। वीर बिना शहीद हुए नहीं होते। माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि इस सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए कम काम किया और पहले बहुत हो गया। मैंने शुरू में ही कहा था कि भूमि आबंटन इन्दिरा गांधी नहर पर करने का जो आरम्भ में हमने नियम बनाया था वह माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के वक्त में बनाया था, 1978 में, वहां से शुरुआत हुई है और उसके बाद में आगे-आगे जो भी काम हुए हैं वह मैं अर्ज कर दूं। हमारे यहां राजस्थान में ऐसे सैनिकों को आठ-दस विशेष सहूलियतें और राहत दी जाती है जो और जगह कहीं नहीं दी जाती हैं। मैं निवेदन करता हूं एक-एक करके।

राजस्थान में रोस्टर प्रणाली सेवा में शुरू की है। 100 बिन्दु रोस्टर प्रणाली, केवल राजस्थान में है। सेवाओं में रिजर्वेशन साढ़े बारह और पन्द्रह प्रतिशत फोर्थ क्लास और मिनिस्टीरियल में, यह केवल राजस्थान में है, और कहीं नहीं है। हास्पिटल में बैड्स रिजर्व किये हैं हमने झुंझुनूं, चूरू, सीकर और नागौर। इस प्रकार की सुविधा केवल राजस्थान में है। दस एकड़ बारानी भूमि, पच्चीस बीघा सिंचित भूमि और साढ़े बारह डिसएबल्ड को सिंचित भूमि, यह सुविधा भूमि आबंटन की केवल राजस्थान में है, पंजाब में जरूर है और कम रियायतों में हैं और जगह है ही नहीं।

हम जो सहायता दिवस मना रहे हैं, यह अब रैली के बाद में हमने शुरू किया है। हरेक जिले में महीने में एक दिन सहायता दिवस होगा जिसमें जिला कलक्टर और हमारे जिले के सैनिक कल्याण अधिकारी और कुछ अन्य अधिकारी बैठकर सुनवाई करेंगे फौजियों के लिये। एक्स-सर्विसमैन को जो तकलीफ होगी, आकर उनको कहेंगे तो महीने में एक दिन हमने यह सहायता दिवस रखा है। रैली की व्यवस्था की है और अन्य स्थानों पर रैली की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। भरतपुर, शेरगढ़ और इन जगहों भी की है। मैं विशेष तौर से निवेदन करूं कुछ और कार्य इस

(श्री गंगाराम चौधरी)

राजस्थान की तरफ से हुआ है। जैसे मैंने निवेदन किया, सीमावर्ती जिलों में उम्मीदवारों के आरक्षण के लिए शैक्षणिक योग्यता में ढील देने हेतु हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्रीजी को निवेदन किया है कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, उनमें पढ़े-लिखे लोग कम हैं, आपने दसवीं कक्षा की भर्ती की जो कम से कम योग्यता रखी है उन जिलों में इस प्रकार योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकते इसलिए इसमें छूट दी जाए। यह भी एक निवेदन किया गया है।

सहायता दिवस का मैंने निवेदन किया। रैली हमारे यहां आयोजित की जा रही है, उसके लिए मैंने निवेदन किया। पेंशन अधिकारी कार्यक्रम में भी हम कुछ करने जा रहे हैं। सैनिक कल्याण निदेशक के वर्तमान में एक पेंशन अधिकारी का अलग से कार्यालय खोला जाएगा।

जिले में विश्राम गृहों में भर्ती के लिए कोचिंग, यह हमारे यहां एक नयी चीज है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी सैनिक विश्राम गृह हैं उनमें सीमित अवधि तक कोचिंग क्लासेज शुरू करेंगे। चाहे सैनिक स्कूलों में भर्ती के लिए बच्चों को तैयार करना हो या कुछ कार्य करना हो, ट्राइसम योजना की तरह उनको करना है। यह सारे कार्यक्रम अब सैनिक विश्राम गृहों में हम शुरू करने जा रहे हैं जो और जगह नहीं हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो हमेशा उसको देखेगी।

एक और मामला विचाराधीन है कारपोरेशन कायम करने का। सैनिकों के कारपोरेशन कई जगह हैं, राजस्थान भी इस पर विचार कर रहा है। यदि सैनिकों के कारपोरेशन कायम हो जायें तो सैनिकों के लिए कई जगह के रोजगार दिलाने की, सिखलाने की व्यवस्था, कई और तरह की व्यवस्था वह कारपोरेशन कर पाएगा। इस पर भी हम अभी विचार कर रहे हैं।

रोजगार का जहां तक सवाल है, मैंने पहले भी निवेदन किया, मैं फिर से निवेदन कर दूं कि अब तक 1991 से 1995 तक 5,756 सैनिकों को हम रोजगार दे पाये हैं। कुछ विवरण मैंने पहले दिया था कुछ और मैं निवेदन कर रहा हूं। राज्य सरकार की सेवाओं में, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में, स्वायत्तशासी संस्थाओं में और कुछ निजी संस्थाओं में रोजगार देने के लिए इस तरह की कुछ हमने व्यवस्था की है। कुछ और बिन्दु माननीय सदस्य ने जो मेरे सामने अभी उठाये थे उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने सारा स्पष्ट इसमें किया ही है, राज्य सरकार बिलकुल सजग है, सैम्फेक्स कुछ बात बताई है लेकिन इसकी हम और कोशिश करेंगे। छात्रवृत्ति के लिये, अभी बजट में भी प्रावधान आपने देखा होगा। एक हजार सैनिकों की बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है।

एक बात जरूर कही सेवारत सैनिकों के लिये कि उनकी खेत की जमीन पर नाजायज कब्जे की कुछ शिकायतें आने लगी हैं। मैं इसमें राजस्व मंत्री की हैसियत से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर राजस्व विभाग गम्भीरता से विचार कर रहा है कि जिस प्रकार से हमने सुविधा दी है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भूमियों पर नाजायज कब्जे के लिये, उस प्रकार की सुविधा हम सैनिकों की भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण करने पर, क्योंकि वह यहां पर आ नहीं सकते और सेवारत हैं तो भी वह इतना नहीं कर

(श्री गंगाराम चौधरी)

सकते, तो सुओमोटो राजकीय अधिकारी अपना मामला दर्ज करके अनधिकृत अतिक्रमण लोगों के हटायें। इस बारे में भी हम अभी कुछ करने जा रहे हैं। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कुछ विचार कर रही है। बाकी सारी बातें मैंने आपसे पहले भी निवेदन की हैं। भू-आबंटन कम होने की बात इन्होंने की है लेकिन मैंने बताया कि इस प्रकार की सुविधा बोर्डर पर जो डेढ़ किलोमीटर की पट्टी इन्दिरा गाँधी कैनाल पर हमने सुरक्षित रखी है, ज्यों-ज्यों कैनाल आगे जाएगी, भूमि उपलब्ध होती जाएगी और हम उसमें जल्दी से जल्दी भू-आबंटन कार्यक्रम सैनिकों के लिये करना चाहते हैं।

कुछ पब्लिसिटी की कमी माननीय सदस्यों ने जो बताई है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि सैनिकों को समय पर जो सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दी जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दी जा सके, इस बारे में भी करेंगे। माननीय श्री खेतसिंह जी ने कुछ कहा, इस बात की मैं जानकारी करूंगा। वार-विडोज की देखभाल के लिए पहले कुछ अधिकारी नियुक्त थे। वह अधिकारी या कर्मचारी अब देखभाल नहीं कर रहे हैं और इलाके में जाने पर सैनिकों से मिलना, 1992 के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने बाड़मेर में विजिट की थी, तब पूर्व सैनिकों को वहाँ पर बुलाया था, वीर चक्र प्राप्त सैनिक भी वहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनको सम्मानित भी किया था। तो, ऐसे कार्यक्रम तो हम अक्सर करते रहते हैं, फिर भी इस ओर कुछ विशेष तौर से हम ध्यान देंगे।

महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उनको ध्यान में रखते हुए विभाग और भी सैनिकों के लिए प्रयत्न करेगा। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : एक छोटा सा बिन्दु है। माननीय मंत्रीजी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुओं के कनेक्शंस के रिजर्वेशन का भी 1988 के अन्दर प्रावधान किया गया था। पहली बार राज्यपाल शासन के वक्त में 800 कनेक्शन भूतपूर्व सैनिकों को देने के लिये रिजर्व किये गये थे, जो कि पिछले वर्ष आपने घटाकर के तीन सौ कर दिये। तो उनको वापस आठ सौ या उससे ज्यादा करने के ऊपर आप विचार करेंगे?

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, जो भी विचार भूतपूर्व सैनिकों के लिये और वर्तमान सैनिकों के लिए रखे गये हैं उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूँ।

श्री सभापति : आप तो अपने सुझाव दीजिए। भाषण मत दीजिए।

श्री भंवर सिंह डांगावास : मैं अर्ज कर रहा हूँ राजस्थान पुलिस की आर्म्ड कांस्टेबुलरी, बी.एस.एफ. में लगे हुए राजस्थान के जवान इन्हीं सेनाओं की इन्फेंट्री बढ़ाने का काम करती हैं जब कभी भी युद्ध होता है। मैंने पुलिस विभाग की माँग के अवसर पर भी कहा था कि राजस्थान पुलिस के उन बहादुरों को, जिनके पास राष्ट्रपति के द्वारा दिये हुए पुलिस के शौर्य मैडल हों उनको भूमि आबंटित करने पर, मैं उत्तर नहीं चाहता क्योंकि विचार करने की बात है, कृपया विचार करें और सैनिक कल्याण के साथ-साथ पुलिस कल्याण के लिये भी राजस्व मंत्रीजी के यहाँ कोई न कोई कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। यह प्रार्थना है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत—

श्री रामनारायण मीणा : राजस्व मंत्रीजी ने कहा है, वर्तमान सैनिक दरख्वास्त लेकर के अलाटमेंट कमेटी के सामने जाते हैं। अलाटमेंट कमेटी उनकी ज्यादा आय मानकर, कार्यरत

(श्री रामनारायण मीणा)

मानकर के उनकी दरख्वास्तें खारिज करती है। इसलिए कृपया यह लेक ऑफ कम्युनिकेशन है, ऐसे मामलों में या तो उनकी दरख्वास्तें ली ही नहीं जाएँ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। वर्तमान सैनिक जो पाँच-दस साल के बाद रिटायर होंगे उनके बारे में राजस्व मंत्रीजी क्या करेंगे?

श्री सभापति : राजस्व मंत्रीजी ही करेंगे, आप नहीं करोगे। बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : या तो कानूनों में संशोधन करिये या उनको बतायें कि उनको जमीन अलॉट नहीं होगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मंत्रीजी, आप विशेषकर के ध्यान दें, भूतपूर्व सैनिकों के लिये राजस्थान में कई जगह कैंटीन सुविधा उपलब्ध है और वह वहाँ कार्ड दिखाते हैं और उनको सस्ती रेट पर जितनी भी उपभोक्ता सामग्री है वह मिलती है उनमें। वह हिन्दुस्तान में बनी हुई अंग्रेजी मदिरा और फौज में यह व्यवस्था है, चल कैंटीन उनकी ओर है जो जगह-जगह जहाँ ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों का एरिया है, वह कैंटीन वहाँ जाती है और उपभोक्ता सामग्री वहाँ उनको उपलब्ध करवाती है। लेकिन एक्साइज के हमारे रूल्स के कारण हिन्दुस्तान में बनी हुई अंग्रेजी शराब को वह वहाँ परचेज नहीं कर सकते, न वह चल कैंटीन उनको वहाँ सप्लाई कर सकती है। इसलिए एक्साइज के रूल्स में जैसे यहाँ ढील दे रखी है उस चल कैंटीन के लिये भी आप ढील प्रदान करें। नहीं तो वहाँ के ठेकेदार उनको बेचने नहीं देते हैं न उनको वह खरीदने देते हैं। इसलिए उनको वह वहाँ भी उपलब्ध हो जाए।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : यह बात तो माननीय मंत्रीजी सही है कि जो चल कैंटीन चलती हैं उनमें अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि बाहरी लोग, जो व्यवसायी लोग हैं, उस चल कैंटीन पर कब्जा कर लेते हैं और भूतपूर्व सैनिकों को कुछ मिल नहीं पाता। तो यह तो व्यवस्था की बात है।

श्री गंगाराम चौधरी : इस ओर विशेष तौर से ध्यान देकर आवश्यक आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा श्रीगंगानगर शहर में सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं होने से शहर में फैल रही भयंकर गन्दगी के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्रीगंगानगर शहर में अनियमित सफाई व्यवस्था के कारण फैल रही गन्दगी

श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : मैं नियम 131 के तहत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरी प्रार्थना है कि मैं पहले कुछ बोल दूँ।

श्री सभापति : आप तो ध्यान आकर्षित कर दीजिए। पहले मंत्रीजी बोल लें फिर आप अपने सवाल कीजिए।

श्री राधेश्याम : ध्यान आकर्षित तो कर दिया लेकिन मैं कुछ निवेदन कर दूँ जिससे जवाब देने में आसानी होगी।

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा, माननीय सदस्य, आप समझदार हैं, व्यवस्था को मानिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, श्रीगंगानगर राजस्थान का महत्त्वपूर्ण शहर है तथा वर्ष 1990-91 की जनगणना के आधार पर 1,61,483 की

(श्री भँवरलाल शर्मा)

जनसंख्या है। नगर पालिका द्वारा शहर की सफाई का कार्य उपलब्ध साधनों से नियमित रूप से कराया जाता है। जनसाधारण की यदा-कदा सफाई व्यवस्था के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाता है। वर्तमान में परिषद में 375 स्थाई सफाई कर्मचारी तथा 99 सफाई कर्मचारी मस्टर-रोल पर लगाकर नियमित रूप से शहर की सफाई व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही नालों को साफ कराने के लिये 33 सफाई कर्मचारी और नियुक्त किये हुए हैं।

मुखर्जी नगर, एच-ब्लॉक, आदर्श नगर, विनोबा बस्ती, जी-ब्लॉक, पुरानी आबादी हाउसिंग बोर्ड आदि कालोनियों में गंदे पानी के मुख्य नाले तथा सम्पर्क गटर लाइनों में अवरोध पैदा हो जाने के कारण इनमें जनवरी, 1995 से तैंतीस सफाई कर्मचारियों के द्वारा विशेष अभियान लगाकर गटर लाइनों से लगभग पचास क्विंटल कचरा प्रतिदिन निकाला गया है। यह अभियान वर्तमान में भी चालू है और अब सड़कों पर गटर लाइनों का पानी भी नहीं आता है।

सड़कों पर पानी भरा रहने के कारण इनमें गड्ढे पड़ने एवं टूटने पर नगर परिषद् द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पैच वर्क कराया गया। सड़कों की मरम्मत पर 3,82,668/- रुपये, पेच वर्क कार्य पर 2,13,182/- रुपये तथा नयी सड़कों के लिये 23,17,980/- रुपये की राशि गत वर्ष में व्यय की गयी। वर्ष 1995-96 में सड़क मरम्मत एवं पैच वर्क कार्य हेतु तीस लाख रुपये एवं नवीन सड़कों के निर्माण हेतु 27 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

सड़कों पर गटर लाइन का पानी नहीं है। पेयजल की पाइप लाइन से गटर के पानी की शिकायत प्राप्त होने पर यथाशीघ्र जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से समुचित कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिषद् द्वारा गटर लाइनों की सफाई हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं जिसकी प्रक्रिया चालू है। मेरी जानकारी है कि उसका कल नेगोशियेशन हो गया और ठेका मंजूर होकर फाइनेंस कमेटी में विचाराधीन है।

शहर में गटर लाइनों का पानी जिन स्थानों पर एकत्रित होता है उन खड्डों की शिल्ट निकालने का ठेका दिनांक 19.10.94 को 5,27,930 रुपये में दिया गया है, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिसका भुगतान 21.11.94 को 1.25 लाख रुपये का किया जा चुका है। इन खड्डों में से 3793 मीट्रिक टन शिल्ट निकाली जा चुकी है।

परिषद् द्वारा जहां पानी बहने में अवरोध होता है वहां आर.सी.सी. लैंटरों को तोड़कर अवरोध हटाया जाता है तथा ऐसे टूटे हुए आर.सी.सी. लैंटरों को ढकने का कार्य राजस्थान आवास विकास संस्थान के माध्यम से कराया गया है। परिषद् द्वारा बड़ी गटर लाइन हेतु एवं बड़े नालों के निर्माण हेतु 2.27 करोड़ रुपयों की योजना तैयार की गयी है।

श्री राधेश्याम : सभापति महोदय, मंत्री महोदय को गंगानगर से जो जानकारी उपलब्ध हुई है वह आपके सामने रखी है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मंत्रीजी ने स्वयं इसमें कोई रुचि नहीं ली। एक भी तथ्य इसमें सही नहीं है। एक भी बात अगर सही होती तो संतोष होता। इतनी गलत जानकारी, मंत्री महोदय,

(श्री राधेश्याम)

गवर्नमेंट मंगवाये और वहाँ के अधिकारी इतनी गलत जानकारी आपको दें, यह तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर पानी नहीं है, सड़कों में खड्डे नहीं हैं और आये दिन वहां लड़के या बच्चे नहीं मरते हों, आये दिन वहां पशु नहीं गिरते हों तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि आप स्वयं और हमारे चिकित्सा मंत्री, दो की कमेटी बनाकर गंगानगर में चलें। देख लीजिये, कुछ ऐसे इलाके हैं, इतने मच्छर हैं, भांय-भांय कर रहे हैं और मैं आपको यह जानकारी इसलिये दे रहा हूं कि आने वाली गर्मियों में हो सकता है महामारी फैल जाए, पीलिया फैल जाए, मलेरिया फैल जाए और उसके बाद आप सोचते रहें कि यह क्या हो गया। मैं तो पूर्व में आपको आने वाले टाइम की जानकारी दे रहा हूं। पहले भी मैंने जिलाधीश को कहा था कि इनमें बच्चे गिरेंगे, पशु गिरेंगे, जिम्मेदारी आपकी होगी। बच्चे मरते रहे तीन साल का बच्चा, पांच साल का बच्चा, सात साल का बच्चा लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह आज यह आपको जो भी जानकारी दी गयी है, अगर उसके पैच वर्क हो गये हैं तो, मंत्री महोदय, 30 लाख रुपये पैच वर्क के लिए क्यों रखे गये हैं? और पैच वर्क हो गये हैं तो 30 लाख की आवश्यकता क्या है इस साल में? अगर उसकी सड़क बन गयी है, जहां ज्यादा पानी था वहाँ दो सड़कें जरूर बनायीं और 15 दिन के अन्दर वह सड़कें समाप्त हो गयीं। शहर के अन्दर एक भी सड़क, नाम भी अगर आप दिखा दो, मौहल्लों के अन्दर आप चलें, गांधीनगर में आप चले जाओ, बापूनगर, पुरानी बस्ती, इस क्षेत्र में जाकर आप खुद देखो, दो मिनट भी आप खड़े होकर सांस नहीं ले सकेंगे। मैं कहता हूं, धन्य है गंगानगर के लोग, गरीब हरिजन किस तरह उसमें निवास करते हैं? दो मिनट आदमी वहां खड़ा नहीं हो सकता। रात में एक सेकण्ड के लिये नींद नहीं आती, चारों तरफ मच्छर भांय-भांय करते हैं, सारी रात लोग जागते हैं और आपके पास यह रिपोर्ट आयी है, बड़े दुःख की बात है। मैं कहता हूं उन लोगों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। मंत्रीजी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं मैं जब भी कोई काम कहता हूं, मैं इनकी बुराई नहीं करता लेकिन सरकार को जो जानकारी मिलती है और आप यहां बैठकर उन अधिकारियों की वकालत करते हैं, यह बहुत गलत है। इसको आप सुधारो। आप स्वयं वहां जाकर देखो। प्रश्न इधर और उधर के लोगों का नहीं है। अपन सब एक हैं। अपन लोगों को जिम्मेदारी के लिए चुना है। वह जिम्मेदारी हम नहीं निभा सकें तो फिर यहां बैठने का, फायदा क्या हुआ? मैं पिछली बार इस दावे के लिये बोला था तो यहां जब बात हो रही थी तो चीफ मिनिस्टर महोदय के मन में कुछ दया आ गयी। उन्होंने इशारा करके आप सबके सामने मुझे बुलाया। मैं वहां उनके सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने पूछा, कितने पैसे में काम चल सकता है। मैंने कहा, एक करोड़ रुपया तुरन्त आप दे दें तो काफी सुधार हो सकता है। बाकी धीरे-धीरे आप लगायें। कम से कम 25-30 करोड़ रुपया चाहिये। दस सौ करोड़ रुपये की आमदनी गंगानगर जिला आपके खजाने में देता है तो क्या 25-30 करोड़ रुपये लगाना कोई बड़ी बात है? मुझे यह विश्वास दिलाया जाए, नहीं तो मैं यहां बैठकर आपके सामने भूख हड़ताल करूंगा। मुझे मजबूर न करें। वहां की हालत बहुत खराब है। आप किसी भी समय, विधान सभा खतम होने के बाद कोई भी कमेटी बना दें, मुझे कोई एतराज नहीं

(श्री राधेश्याम)

है पर ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप दोनों जाकर, क्योंकि आने वाले टाइम में बीमारी भी फैलने वाली है, मलेरिया भी फैलने वाला है...

श्री परसराम मदेरणा : मंत्रीजी को ले जाओ और रात को करो लाइट आफ, फिर मंत्रीजी, जहाँ पर वह बच्चे गिरते हैं या जो पशु गिरते हैं, उसमें गिरते हैं कि नहीं, यह देखने की बात है।

श्री राधेश्याम : माननीय नेता महोदय ने आपको बिल्कुल सही जानकारी दी है क्योंकि यह कई दफा गंगानगर पधार चुके हैं। इन्होंने हालत देखी है। मैं कमेटी की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि यह बीमारियां फैलने वाली हैं, महामारी फैलने वाली है और ऐसी महामारी फैलेगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। इसलिए मैं आपको समय रहते सूचित कर रहा हूं। आप दोनों पधारकर, वापस आकर इस विधान सभा के मंच पर बतायें कि आपको जानकारी सही मिली या नहीं मिली।

मुझे यह ध्यान है कि गंगानगर के अन्दर नगर परिषद् में 45 नगर पार्षद चुने गये। 11 केवल मात्र आपके और 11 कांग्रेस की टिकट पर जीते। कांग्रेस की टिकट नहीं थी, बी.जे.पी. की टिकट थी लेकिन उसके उपरान्त बाकी लोगों को लोभ देकर, 11 से 45 का कब बनता है, 23 अगर हो तब बनता है लेकिन वह कैसे बना, यह आप सब जानते हैं। आपकी जानकारी में है। आपके दोनों मंत्री बिराजमान थे और 24 घंटे यहां से टेलीफोन और वायरलैस खटक रहे थे और उसके बाद नगर विकास न्यास, नगर परिषद् आपकी, गवर्नमेंट आपकी, फिर और क्या चाहते हैं आप? हमें समझ नहीं आया। मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करूंगा, आप इसमें पूरी रुचि लेकर, बात सिर्फ इसलिए नहीं कि सुनी, जवाब दे दिया, बात खतम हो जाए। मैंने जो निवेदन, प्रार्थना की है, उस पर आप स्वयं पधारकर...

श्री परसादीलाल मीणा : मुख्य मंत्रीजी को आपने हराया है इसलिए आपके वहां कोई काम नहीं होगा आप चाहे इनको भला बताओ, चाहे बुरा बताओ। गंगानगर में पांच साल तक कोई काम नहीं होगा चाहे धरने पर बैठो, चाहे कुछ भी करो आप।...

श्री सभापति : बिराजिये। बिराजिये। माननीय मंत्रीजी (व्यवधान) बिराजिये आप। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप धरने पर बैठो, चाहे आन्दोलन करो...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : नगरपालिकाएं नहीं, नरकपालिकाएं बनी हैं। नगरपालिका की जगह नरकपालिका बनी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी, गंगानगर की जनता को आप सबक सिखाना चाहते हैं? सिखाइये।

श्री सभापति : आप तो बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, यह कहां से इस वक्त पार्टीबाजी बीच में आ गयी? चुनाव खतम हो गये। जो लोग चुनकर चले गये, उन्होंने काम सम्भाल लिया। अभी तो सवाल यह है कि गंगानगर में जो प्राब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। कोई और विषय नहीं है। मैंने जो आपको तथ्य दिये हैं, आप कहते हो गलत हैं। मैंने आपको यह तथ्य दिये हैं कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और वहां की जनसंख्या इतनी है। इसमें क्या गलत तथ्य बता दिये मैंने? (व्यवधान) पहले पूरी बात सुन लीजिये। ऐसा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नहीं है। This is not the way. सड़कों की मरम्मत के लिए जो पैसा खर्च हुआ वह अमाउण्ट मैंने आपको बताया है। पैच वर्क में खर्च हुआ, वह अमाउण्ट मैंने आपको बताया है और आगे उन्होंने क्या प्रस्ताव दिये हैं वह मैंने आपको बताया है। इन तथ्यों में क्या गलत है? यह तो गलत नहीं है। अब आप यह कहते हो, वहां की जो समस्या है उसका गंभीरता से यहां उन्होंने उत्तर नहीं दिया और आपका सुझाव यह है कि हम वहां चलें और खुद इसको देखें। मंत्री महोदय जो मेडिकल के हैं, वह भी आपके साथ चलें। यह आपका आमंत्रण मुझे स्वीकार है, मैं आपके साथ चलूंगा विधान सभा पूरी होने दो। अब यह कब तक चलेगी यह तो इनसे पूछ लीजिये बाकी मैं आपके साथ चलूंगा और फिर वहां कोई यह जो सूचना आयी है उसमें कोई बात गलत पायी तो एक्शन भी लेंगे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : आपका आदेश शिरोधार्य है।

श्री भंवरलाल शर्मा : और समाधान करेंगे। पांच साल तक गंगानगर को कोई राजनीति से नुकसान पहुंचाने का न तो इरादा हो सकता है और न ही इतना घटिया विचार हमारा है। इसलिए हम जाकर के आपकी पूरी मदद करेंगे, इसको ठीक करेंगे।

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत...

श्री राधेश्याम : माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड।...

श्री सभापति : आपकी जो मंशा थी वह पूरी हो गयी।

श्री राधेश्याम : मैं उनकी बात भी नहीं कहूँ।

श्री सभापति : अब बात आप गंगानगर जाएंगे वहीं कीजिये।

श्री राधेश्याम : मेरे को धन्यवाद तो देने दीजिये।

श्री सभापति : हां, धन्यवाद दे दीजिये।

श्री राधेश्याम : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप पहले तो फार्म में आये थे, गुस्से में भी थे लेकिन बाद में अपने आपको सम्भाल लिया। आपने मुझे आश्वासन दिया उसके लिये तो मैं आपका आभारी हूं लेकिन...

श्री सभापति : लेकिन अब क्या? आपके पास जा ही रहे हैं। बिराजिये आप। धन्यवाद के बाद लेकिन नहीं।

श्री राधेश्याम : तो मैं अर्ज करता हूं कि 30 साल पहले जितनी कर्मचारियों की संख्या थी वही आज है। क्या यह सम्भव है, जितनी आबादी 1991 में थी आज उससे डेढ़ी-पौणी दो गुना हो गयी है तो क्या उस व्यवस्था से कार्य चल सकेगा? आपने कहा कि 90 आदमी मस्टररोल पर लगा रखे हैं। तो मस्टररोल किसने चैक किया? मैं कहता हूं कि 10 आदमी भी नहीं लगे हुए हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री राधेश्याम : इसका जवाब क्या है आपके पास? असत्य मस्टररोल बनते हैं, असत्य पेमेंट होता है। इसकी इन्क्वायरी करिये आप।

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : सभापति महोदय, 1991 की आबादी पौणे दो गुना बढ़ायी। इतनी तेजी से आबादी बढ़ा रहे हैं तो यह राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध काम कर रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री राधेश्याम : इसका जवाब यह है कि पंजाब पास में सटा हुआ है और वहां के लोग आकर बस गये हैं।

ग्राम सीसोलाव (सवाईमाधोपुर) में थानेदार द्वारा अकारण कथित मारपीट के कारण व्याप्त आक्रोश

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हीरालाल मीणा, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री परसादीलाल मीणा, श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा सवाईमाधोपुर जिले के ग्राम सीसोलाव के प्रेम पुत्र श्री छोटू मीणा एवं परिवार की थानेदार द्वारा अकारण कथित मारपीट एवं अवैध रूप से थाने में बन्द रखने से स्थानीय नागरिकों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री हीरालाल मीणा।

श्री हीरालाल (बामनवास) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत सवाईमाधोपुर जिले के ग्राम सीसोलाव के प्रेम पुत्र श्री छोटू मीणा एवं उसके परिवार की थानेदार द्वारा अकारण कथित मारपीट एवं अवैध रूप से थाने में बन्द रखने से स्थानीय नागरिकों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, दिनांक 29.1.95 को ग्राम पंचायत के चुनावों के सन्दर्भ में थानाधिकारी थाना बौलीं मय पुलिस जाप्ते के रात्रि करीब 10 बजे ग्राम सीसोलाव पहुंचा, जहां श्री प्रेम पुत्र श्री छोटू जाति मीणा हाथ में लाठी लेकर लोगों को भयाक्रांत करता हुआ मिला। श्री प्रेम को थानाधिकारी ने समझाइश किये जाने का प्रयास किया परन्तु इसके बावजूद भी यह लोगों को डराने-धमकाने की बातें करता रहा। इस पर शांति भंग होने का अंदेशा होने के कारण प्रेम मीणा को धारा 151 सीआरपीसी. के अन्तर्गत गिरफ्तार करना चाहा तो प्रेम मीणा, उसके भाई, बहन, माँ व उसकी औरत हाथों में डंडे, लाठी, कुल्हाड़ी लेकर आये और उन्होंने पुलिस जाप्ते पर हमला किया।

(15.13)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

फिर भी पुलिस जाप्ते ने संयम रखते हुए उन्हें काफी समझाने की कोशिश की लेकिन समझाइश का कोई असर नहीं हुआ और पुलिस जाप्ते पर हथियारों से हमला कर दिया जिससे पुलिस कर्मचारी श्री फैयाज मोहम्मद, हैड कांस्टेबल के सिर में धारदार हथियार से गम्भीर चोट लगने के कारण सात टांके आये व हाथ में फ्रेक्चर हुआ है तथा कांस्टेबल चिरंजीलाल के भी चोटें आयी हैं। फैयाज मोहम्मद, हैड कांस्टेबल उक्त मारपीट के कारण 10 दिन तक चिकित्सालय में भर्ती रहा और अभी तक भी चलने में असमर्थ है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 9/95 धारा 147, 148, 149, 332, 333, 353, 307, 379 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान मुल्जिम प्रेम मीणा को उक्त मुकदमा में दिनांक 4.2.95 को गिरफ्तार कर दिनांक 5.2.95 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है जहां से न्यायालय द्वारा 9.2.95 को जमानत पर रिहा किया गया।

मुकदमा हाजा में श्रीमती भौंरी पत्नी छोटू मीणा, गीता पत्नी प्रेम व धोली पुत्री छोटू की सैशन न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर से अग्रिम जमानत हो चुकी है व अन्य मुलजिमान गंगाधर व गंगाविश्न की अग्रिम जमानत की दरख्वास्त राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से खारिज हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

श्री हीरालाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थानेदार द्वारा जो केस रजिस्टर किया गया वह बिल्कुल असत्य है। घटना इस प्रकार है कि 29 तारीख को रात्रि को थानेदार ग्राम सीसोलाव पुलिस दल को लेकर पहुंचा। प्रेम मकान में सो रहा था। प्रेम को जगाया, प्रेम से बोला कि बाहर आ मैं सरपंच धूलसिंहजी का आदमी हूं। धूलसिंहजी के नाम पर उसको बाहर बुलाया और उसके मारपीट करने लगे और पकड़कर फट से उसको गाड़ी में डाल लिया। उस वक्त उसकी बहन, उसकी माँ, को मालूम पड़ा कि पुलिस आयी है और प्रेम को मारा, पकड़ करके ले गयी तो वे सब बहुत घबराये। प्रेम के उसके पहले कोई केस नहीं था, न आज दिन तक उसके खिलाफ कोई झंझट की थाने में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, इससे पहले न कोई गुण्डागर्दी की है, न कोई चोरी, डकैती और न कोई बदमाशी की है। यह सब राजनैतिक प्रेशर से थानेदार वहां रात को गया और अचानक पकड़ने खातिर यह घटना घटी है।

उस घटना में उसकी माँ के चोटें आयीं, उसकी माँ का चाँदी का बाला तोड़कर न मालूम पुलिस ले गयी या कहीं गिर गया, उसके भाई के चोट आयी, उसकी बहन के चोट आयी। इतना विवाद होने के बाद गांव वाले 10-20-50-100 आदमी इकट्ठे हो गये। प्रेम को गाड़ी में डाल लिया, पीछे से न मालूम थानेदार के, मुंशी के दी या किसने दी या नहीं दी लेकिन प्रेम का कसूर नहीं है, प्रेम ने एक अंगुली नहीं लगायी फिर भी प्रेम को ले जाकर थाने में बन्द कर दिया। 29 तारीख को रात को 11 बजे पुलिस दल लेकर थानेदार गांव में आया सीसोलाव पहुँचा, उसका मुंशी कहीं रह गया था फिर आकर ले गया और उसके बाद डेली वहां डेरा डाल दिया है। आज तक वहां आतंक फैला हुआ है। जो पुलिस 29 तारीख की रात को ले गयी और उस प्रेम को 4 तारीख को गिरफ्तार होना दिखाया है। आज प्रेम को मैं आपके सामने खड़ा कर दूं एक हट्टा-कट्टा जवान है लेकिन आज एक आध किलोमीटर तक जाने की शक्ति उसमें नहीं हैं। उसकी जमानत होने के बाद डॉक्टरी मुआयना कराया। पुलस की मार से 10 चोटें साबित है, उसकी माँ के 5 चोटें साबित हैं जो 62 साल की है। पुलिस के लाठी देगी क्या वह 62 साल की? इस तरह से यह घटना राजनैतिक प्रेशर से हुई है। आज भी उस थानेदार ने वहां गांव में आतंक फैला रखा है। चार आदमियों के नाम मुकदमें दर्ज कर लिये। एक आदमी को वहां रात को बुलाया और बाकी के चारों के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। उस थानेदार ने इतना आतंक फैला रखा है कि कोई भी आदमी उससे यह नहीं कह सकता कि यह न्याय है या अन्याय है। उस थानेदार की एक घटना आपको उदाहरण देकर कहना चाहता हूं। अक्टूबर या नवम्बर महीने की बात है। हमारे बोंली में जुलाहा समाज है। उस समाज के अन्दर एक बाप और बेटी का अवैध सम्बन्ध लोगों के प्रकाश में आया। उस बच्ची के गर्भ रह गया। उस मामले में समाज में मीटिंग हुई। समाज ने उसको बुलाकर पूछा, उसने एग्री कर लिया और एग्री करने के बाद समाज वालों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट कराई थाना बोंली में, इसी थानेदार के पास। इसी थानेदार ने उससे 50 हजार रुपये खाये और आज दिन उसका कुछ पता नहीं है। यही नहीं, उस बच्ची का गर्भ गिराने थानेदार स्वयं गया। बयान कहां लिया, उसका गवाहदार कौन था कोई मालूम नहीं, रिपोर्ट दर्ज करायी गयी उसके अन्दर गवाहदार फलां-फलां आदमी था उसकी आज तक जानकारी नहीं है और, गृह

(श्री हीरालाल)

मंत्रीजी, उस थानेदार को वहां रखने से फायदा है? अगर वह थानेदार आपका भला है तो कहीं दूसरी जगह भला करवाइये। हमारे दूसरा भेज दीजिये। लेकिन मैं यह कहता हूं कि उस थानेदार को आप सस्पैण्ड करें और केस नम्बर 9/95, केस नम्बर 29/95, केस नम्बर 45/95 और एक 15-2 को इस्तगासा किया है। थानेदार के खिलाफ प्रेम ने, इन चारों केसों की आप सी.बी.आई. से जाँच करवा दीजिए। असलियत सामने आ जाएगी। पांचवा कराना चाहे तो मोहम्मडन वाला केस करवा लीजिये। आपको प्रूफ दिलवायेंगे और आपको शपथ दिलवायेंगे। यह तो शर्मनाक बात है, साहब, सब धर्मों में यह बात है कि अगर बाप-बेटी में अवैध सम्बन्ध साबित हो जाए इसके अलावा और कोई अन्याय नहीं है तो आप मेहरबानी करके उस थानेदार को अभी सस्पैण्ड कीजिये और पांचों केसों की सी.बी.आई. से जाँच करवाइये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय गृह मंत्रीजी ने यहां पर सदन में बयान पढ़ा। गृह मंत्रीजी, माननीय सदस्य ने आपको सारी बात शुरू से आखिर तक कह दी और यह घटना बिलकुल सत्य है, इसमें कहीं भी एक शब्द भी हमने आपको नोटिस दिया है उसमें गलत नहीं लिखा है। माननीय गृह मंत्रीजी रात को साढ़े 10 बजे आपका थानेदार रात को 29 जनवरी को जबकि बौंली पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 जनवरी को हुए। सुबह 30 तारीख को नामिनेशन दाखिल करने थे, आपके थानेदार जो धूलसिंह के ये समर्थक थे, धूलसिंह के खिलाफ जो चुनाव लड़ा था भंवरसिंह उसके कहने से, उसकी मिलीभगत से ये वहां पर रात को गया और जैसे कि आपके बयान में 151 में गिरफ्तार करने की बात कही। प्रेम सो रहा था, सारे परिवार वाले वहां पर सो रहे थे। साढ़े दस बजे रात को क्या कोई जगेगा? सारे घर वाले बिलकुल सो रहे थे. कहीं कोई जरा-सा भी बिलकुल भी बात उस गाँव में नहीं थी और न उस गांव में अब तक कोई बात पैदा हुई है आपसी झगड़े-फसाद की, शांतिपूर्ण माहौल था। थानेदार साढ़े 10 बजे पहुंचा, प्रेम को जगाया, जागते ही प्रेम से मारपीट की और जब मारपीट अचानक हुई तो लोगों ने सोचा पता नहीं डकैत आ गये कि चोर आ गये या क्या आ गया? अचानक उसके घर वाले जागे। आस-पड़ौस के लोग जागे। सबने आकर कहा तो उसने कहा मैं इसको गिरफ्तार करूंगा और गिरफ्तार करके इसको मैं ले जाऊंगा। यह सही है कि जब उन्होंने मारपीट की, प्रेम की तो उसके घर वालों ने भी की होगी, मैं इस बात को इन्कार नहीं करता। पर गृह मंत्रीजी वह क्यों गया था गिरफ्तार करने के लिये? क्या कारण था उसको रात में गिरफ्तार करने का, सुबह दिन नहीं उगता, सुबह भी कर सकते थे। अगर कोई बात थी तो। उसकी माँ जो 62 वर्ष की है उन्होंने मेडिकल करवाया, गृह मंत्रीजी, जो 62 साल की भौंरी देवी है उसके 7 चोंटे आयी है। प्रेम के जो आप कह रहे हैं कि हमने 4 तारीख को गिरफ्तार किया है अगर गृह मंत्रीजी यह बात आपकी कोई सी.आई.डी., सी.बी.आई. साबित कर दे तो, अगर 29 तारीख को उसको थाने में बैठाया है, अगर आप यह साबित कर दें कि उसको 4 तारीख को गिरफ्तार किया है तो हम सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं, नहीं तो आपको थानेदार को, उस एस.पी. को उसका जवाब भेजने वाले अधिकारी को आप दंडित करिये। इतनी सत्य घटना को भी कह दिया, 4 तारीख को गिरफ्तार किया है। 29 तारीख की रात को गाड़ी में बैठाकर

(124)

(श्री परसादीलाल मीणा)

वे वहां पर लाये, लाने के बाद 29 से 4 तारीख तक उसको बिल्कुल अवैध रखा, खूब मारा-पीटा, हम आज पेश कर सकते हैं आपके सामने, उसकी एक-एक हड्डी, एक-एक नस ढीली कर दी। वह इतना नौजवान मेरी उम्र का, मेरे से भी कम उम्र का है, बिलकुल हट्टा-कट्टा है मेरे से भी दुगुनी बाडी है आज उसकी हालत को आप देख लें, गृह मंत्रीजी तो आपके भी आंसू आ जाएं। इस तरह का आपकी पुलिस ने जघन्य अपराध उस गांव में किया है और लगातार आपने धाराएं लगाने में कितने एफ.आई.आर. दर्ज करायी, उस थानेदार ने जो मुलजिम है और जो रात को जाकर जिस आदमी की अवैध पिटाई करे, वही एफ.आई.आर. दर्ज कराये, वही धाराएं लगाये। सारी 307, 379 कोई धारा छोड़ी है? आप 379 करने तो आप गये थे, 307 तो उस थानेदार के खिलाफ लगनी चाहिए जिसने आकर उसको मारपीट की, और आप इसी बात पर जाँच करवा लीजिए गृह मंत्रीजी कि उसको थाने में 29 तारीख से रखा कि नहीं, 4 तारीख को गिरफ्तार दिखाया। आप कहते हैं उन्होंने मेडिकल नहीं कराया। यह मेडिकल करके आपके थानेदार के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया है जिसकी जाँच भी आप उस थानेदार से करवाएंगे, उसी थाने में वह केस कर रहा है, क्या वह जाँच करेगा? इस तरह का आतंक उस सरपंच के खिलाफ, प्रजातंत्र में हार-जीत होती है, आप और हम भी चुनाव लड़ते हैं, हार-जीत होती है, कोई नयी बात नहीं है, पर फिर भी उस सरपंच के खिलाफ धूलसिंह के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज करवाया।

सारे गांव के खलिहान आज भी गृह मंत्रीजी वहां पर ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। सारे लोग भयाक्रांत है, नहीं तो हम इतनी छोटी बात को, थानेदार की बात को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये आपका ध्यान आकर्षित नहीं करते। पर जिस तरह उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया, पंच का चुनाव लड़ता, सरपंच का लड़ता, क्या लड़ता, वोट देने से रोक दिया और उसको 29 तारीख से 4 तारीख तक थाने में बैठाये रखा। क्या ऐसी आपकी पुलिस है, क्या ऐसी ही आप व्यवस्था करना चाहते हैं? गृह मंत्रीजी, अगर थोड़ी भी आपमें मानवता है और थोड़ी भी आपमें अहमियत हैं और आप गृह मंत्री हैं वास्तव में, तो उस थानेदार को कहीं भी मत छोड़ो, उसको आप निलम्बित करो और उसके खिलाफ सी.आई.डी., सी.बी. से जाँच कराओ, उच्च अधिकारी से जाँच कराओ और ईमानदारी से जाँच कराओ और आपके पास जो तथ्य आयें उनसे आप हमको अवगत करवायें और यह जो मुकदमा दर्ज किया है 307, 379, 332, 333, 148, 147, 149 सारी धाराएं लगा दीं आपने। जो असत्य मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया है, दर्ज उस थानेदार के खिलाफ होना चाहिए और उनको जो कष्ट हुआ है, उनको जो परेशानी हुई है उसके लिये इस मुकदमें को, ठीक है उन्होंने 379, 307 लगा दिया, हाईकोर्ट से जमानत भी रिजेक्ट करा दी, सब कुछ करा दिया और अब रोज नये मुकदमें वहां थाने में दर्ज हो रहे हैं। उस थानेदार का आतंक है। शराब पीकर वह कहता है कि, हम गृह मंत्रीजी को इतना प्रेस नहीं करते, लगाने के लिए भी, वह कहता है 4-4 एम.एल.एज. को लगा लिया, क्या कर लिया 4-4 एम.एल.एज. ने, मैं तो बोंली का जवाई हूँ, बोंली में ही थानेदार रहूँगा, क्या कर लिया 4-4 एम.एल.एज. ने? हम प्रेस नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, हमने स्पेशल तौर से पुलिस की डिमांड के दिन निवेदन किया था कि इसकी व्यवस्था दें, हमने सोचा था कि

(श्री परसादीलाल मीणा)

एस.पी. से बात हो गयी थी मामले की जांच हो जायेगी एडिशनल एस.पी. को दे दिया। और उसने हमारे लिये अपशब्द कहे हैं, मैं इस बौंली का जंवाई हूं बौंली में ही रहूँगा। 4-4 एम.एल.एज. तो क्या 40 एम.एल.एज. भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। गृह मंत्रीजी, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि 29 तारीख से 4 तारीख तक उसने बैठाया, उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही होनी चाहिए और उसको आप इमीजिएट अभी सस्पैण्ड करायें नहीं तो आप जैसे दबंग गृह मंत्री के होते हुए—यह मामला हंसने का नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह हंसने का मामला नहीं है। गृह मंत्री जैसे उच्च पद पर होकर इसको गम्भीरता से नहीं लें, यह बहुत ही बुरी बात होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको तुरन्त सस्पैण्ड करायें और इसकी जाँच किसी उच्च अधिकारी से 2 दिन में, 3 दिन में इमीजिएट कराकर के वास्तव में सही घटना क्या है, आपकी वह भी सामने आ जाय, वह तथ्य आपके और सदन के सामने आ जाय और आप यह नहीं कहें कि हम कोई राजनैतिक आधार पर यह मामला लाये हैं। हार-जीत होती रहती है, कोई जीते, कोई हारे, इसमें कोई नयी बात नहीं है पर उस सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वह सरपंच जयपुर में पड़ा है, सारा गांव खाली है, थानेदार ने आतंक मचा रखा है। भले-भले लोगों की इज्जत लूटी जा रही है। उस घर के खिलाफ प्रेम मीणा के परिवार के खिलाफ जिसकी 7 पीढ़ियों में भी कोई मुकदमा नहीं है, जिसकी 7 पीढ़ियों में भी कोई शराब नहीं पीता है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा घर है, उसको इस कदर बेइज्जत किया है, उसको थाने में नंगा करके पीटा गया है, उसके कपड़े उतारे गये हैं, उसके जूते मारे गये हैं, उसको मैदान पर लिटाकर घींसा गया है, गाड़ी के पीछे बांधकर घींसा गया है। उसकी यह हालत करदी। आप इस सारे मामले की गम्भीरतापूर्वक जाँच करायें और उस थानेदार को हम चाहेंगे कि आप आज ही हाउस में सस्पैंड करने की घोषणा करें और आप जो भी कार्यवाही इसमें करना चाहें वह आप तुरन्त करें, जो तथ्य हमने बताये हैं और आपने जो जवाब दिया है वह बिलकुल उलटा दिया है, आप इसमें गम्भीरता से जाँच करायें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मामले के तथ्यों का सवाल है, विस्तृत रूप से लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने और बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं। गृह मंत्रीजी, आपका जो जवाब आया है पहले तो मैं आपके जिले के प्रशासक को उनके साहस के लिए धन्यवाद दूं कि जो जवाब भिजवाया वह बिल्कुल असत्य है कि 4 तारीख को गिरफ्तार किया और 5 तारीख को उसको रिमाण्ड दी। पहले तो जाहिर है कि आपका जिला स्तर का पुलिस प्रशासन उस थानेदार को किस तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। यह जो जवाब आया है, असेम्बली का सत्र चल रहा है और चलते हुए सत्र में यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा है, अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। गम्भीर इसलिए है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लगने के बाद में थानेदार का आप दुस्साहस तो देखिये कि उस सिसोलाप गांव के सौ, सवा सौ, डेढ़ सौ आदमी गये। इस प्रेम मीणा को पीटने के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया, वहां नारेबाजी की और जिन-जिन लोगों को उन्होंने पहचाना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, उस आदमी ने और केसेज दर्ज किये उन आदमियों के खिलाफ देवीसहाय महाजन एफ.आई.आर. नं. 29/95, इसका कसूर

(श्री हरिसिंह)

क्या है ? सड़क के किनारे उसका खातेदारी का खेत, उस खातेदारी के खेत में बबूल का पेड़ और उस बबूल के पेड़ की टहनियों की छाण करली। तो थानेदार ने फारेस्ट के रेंजर को चिट्ठी लिखकर दी कि यह सड़क की सीमा में पेड़ आ रहा है आप इस देवीसहाय महाजन के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाओ। रेंजर वहां मौके पर गया और अपने फीते से नापा। वह कहता है कि यह सड़क की बाउण्ड्री में नहीं है। खातेदारी के खेत में है और उसने उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवायी सुओमोटो उन्होंने एफ.आई.आर. अपने पास की। उस आदमी ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। सबक सिखा रहा है। उसके बाद में भूरसिंह राजपूत जो कि प्रदर्शन के मुखिया थे और वहां थे उनके खिलाफ उन्होंने एफ.आई.आर. 45/95 दर्ज करवायी। वहां के खवास जाति के व्यक्ति को बुलाया। सड़क के किनारे सीसोलाव गांव में उसका खोखा था हजामत बनाने का। उससे कहा कि इसके नले के पार भूरसिंह के खातेदारी के खेत में रख दो और उससे झगड़ा कर लो। दूसरे दिन सुबह वह खोका खातेदारी के खेत में रख दिया गया और भूरसिंह ने जब उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो कहा कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा और कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं। वह कहता कि वहां कैचियां चली हैं, चाकू चले हैं और भूरसिंहजी मुर्की तोड़ ले गये। वह वहां का जागीरदार है वह मुर्कियां तोड़ेगा ? कोई भी गांव का, एक-एक व्यक्ति, बच्चा-बच्चा यह जानता है कि उसने मुर्कियां नहीं पहन रखी थी। (व्यवधान) यहां पर ध्यानाकर्षण लगने के बाद भी उसके दुस्साहस को आप देखिये। पुलिस प्रशासन के दुस्साहस को देखिये। सदन चल रहा है, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख दिया, अध्यक्ष महोदय, हम आपकी शरण में आये और उसके बाद मे उसकी धज्जियां उधेड़ी जा रही हैं, पुलिस प्रशासन दुस्साहस के साथ में केसेज बनाता हुआ चला जा रहा है और शरीफ लोगों को फंसाता हुआ चला जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस एफ.आई.आर. की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं। वहां 10.30 बजे थानेदार गये और थानेदार ने जो कुछ भी घटना लिखी उस एफ.आई.आर. में उन्होंने दर्ज करवाया कि वह लांठी लेकर खड़ा था, शराब पीये हुए था और गांव वालों को यह कह रहा था कि यहां मेरा राज्य है, मेरे कहने से जो वोट नहीं देगा उसको गांव से बाहर कर दूंगा और थानेदार वहां खड़े रहे। किसी ग्रामीण की यह हिम्मत हो सकती है ? थानेदार मय फोर्स के और उसके साथ में 8-10 आदमी हों और फिर वह यह कह दे कि मैं ऐसे ही लट्ठ चलाऊंगा। पुलिस के सामने कोई भी ऐसा कह सकता है, देहात का बिना पढ़ा-लिखा आदमी ? लेकिन भंवरसिंह से उनकी साजिश थी और भंवरसिंह जी ने उनको कहा था कि 151 में बन्द कर लाओ। सोते हुए को जाकर दबका। अब उसके बाद में आप देखिये, थानेदार वापस थाने पर पहुंच गया। उन्हें अपने-अपने रोजनामचे रिपोर्ट में डालना चाहिए था कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई। दूसरे दिन 10 बजे मार्निंग में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी। 30 तारीख को करवायी उनके वापस जाने की घटना उन्होंने क्यों नहीं अपने रोजनामचे में डाली। फरियादी भी वही और फिर तफतीश कुनिन्दा भी वही। अध्यक्ष महोदय, हालात यहाँ तक है कि एडिशनल एस.पी. के पास फाइलें दे दीं। एडिशनल एस.पी. से हमने टेलीफोन पर बात की है। एडिशनल एस.पी. खुद एस.पी. से इतना भयभीत है कि इसमें न्याय नहीं कर सकता क्योंकि एस.पी. साहब नहीं चाहते। यह हालत है। आपका

(श्री हरिसिंह)

एडिशनल एस.पी. यह कह रहा है। आप देखिये, उन्होंने एक-एक धारा लगाने को, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। आपके एफ.आई.आर. की चार लाईनें मैं पढ़कर सुनाना चाह रहा हूँ। प्रेम को जाप्ता फौजदारी 151 में गिरफ्तार करना चाहा तो प्रेम का भाई गंगाधर, गंगा बिशन, उसकी बहिन घोरी, उसकी पत्नी गीता और उसकी माँ भौंरी—किसी को नहीं छोड़ा उसने। हाथों में लाठी-डंडे लेकर आये और वारदात की। अब यहाँ तो एफ.आई.आर. में लाठी-डंडों की बात कर रहे हैं और 161 के बयानों में जब उन्होंने देखा कि 147, 148,149, 353 और 332 कुछ भी लगायें यह तो सब बेलेबल आफेंस है और यह तो बचकर निकल जायेंगे तो 161 के बयानों में फिर उन्होंने कहा कि कुल्हाड़ी की चोट मारी। 161 में यह आ गया और थानेदार की एफ.आई.आर. में पहले यह कहीं नहीं था। उसने अपने हाथ से एफ.आई.आर. दर्ज की है। खुद ही तफतीश कुनिन्दा और वहां पर हालत यह है कि थानेदार मेडिकल आफिसर के पास पहुँचता है। उनको धमकाया है और फर्जी मुआयना कराया कि इसमें धारदार हथियार की चोट लिखो। यहाँ भी सब्र नहीं आया। एफ.आई.आर. लिखते-लिखते आगे उन्होंने सोचा कि और कौन सी धारा लगायी जाये। अध्यक्ष महोदय, तो फिर बाद में भूल गये तो लास्ट में वह लिख रहे हैं चिरंजी कॉंस्टेबल के हाथ की घड़ी छीन ली। लास्ट में लिख रहे हैं 379 और लगाओ। थैंक गाड कि 395 और 376 नहीं लगायी। नहीं तो आई.पी.सी. का कोई हीनियस आर्फेस ही नहीं रहता। शेष जिसको वह इसके ऊपर एप्लीकेबल न करते। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पुरजोर शब्दों में माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूँ कि आपको कोई जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप एफ.आई.आर. को पढ़िये और इस एफ.आई.आर. में जो तथ्य हैं उनसे अगर आप कनविंस है तो उनको आप प्रमोशन देकर सी.आई. बना दीजिये। पहले तो आप एक्सप्लेनेशन कॉल कीजिए वहाँ के एस.पी. का कि आपको क्यों असत्य रिपोर्ट पेश की है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह आदमी प्रेम मुझ से मिला है। अध्यक्ष महोदय, उसके नाखून तक भी नीले हो रहे हैं। उसके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जहां थानेदार ने उसको चोट नहीं पहुँचाई हो। और वही हालत भूरसिंह की करने वाले हैं। इसलिए महरबानी करके यह तीनों फाईलें आप सी.आई.डी. (सी.बी.) का दे दो और इस थानेदार को इमीजियेटली सस्पैंड करो।

श्री अध्यक्ष : संक्षिप्त करें आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : और आप एस.पी. के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही करें। मैं यह पुरजोर शब्दों में आपसे माँग कर रहा हूं। अगर इतना आपने नहीं किया तो कल फिर आपको मजबूर करने के लिए हम कोई दूसरी कार्यवाही करेंगे... (व्यवधान) यह धमकी नहीं दे रहा हूं। विश्वास के साथ यह निवेदन कर रहा हूं और हमें आपमें विश्वास है, आप खुद उससे मिलिये। आपकी सहृदयता से हम वाकिफ हैं, आपकी शालीनता से हम वाकिफ हैं। आप एक गरीब को राहत दीजिए और इस थानेदार से मुक्ति दिलाओ वरना लम्बी लाइनें केसेज की बनेंगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस सिसोलाव गाँव का एक भी आदमी ऐसा नहीं बचेगा जिसको यह थानेदार अपराधी बनाकर सींखचों में बन्द नहीं कर देगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो हमने माँग प्रस्तुत की है, माननीय गृह मंत्रीजी, हमें विश्वास है कि इसी क्षण और इसी सदन में आप कुछ राहत पहुंचाने की घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि थाना प्रभारी को कोई अधिकार नहीं है कि प्रशासन के किसी भी सत्ताधारी दल या विपक्षी दल को इलेक्शन में प्रभावित करने के लिये खुद के आरक्षी बल का प्रयोग करें। यह जो प्रस्तुत प्रकरण है, यह एक नंगा सबूत है इस बात का कि किस तरह से गाँव के अन्दर थाना प्रभारी चुनाव के समय और चुनाव के एक दिन पहले इन्टरवीनिंग नाइट को घर पर जाते हैं और जाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। एक व्यक्ति प्रेम उर्फ छोटू मीणा जो अपने घर में रह रहा था, सो रहा था उसको जगाया और माननीय गृह मंत्री महोदय ने जो यह उत्तर दिया कि वह व्यक्ति भयाक्रांत कर रहा था चुनाव के टाइम। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसको कि 151 के अन्दर गिरफ्तार करना चाहा उसे 3 महीने गुजर जाने के बाद भी 151 में आज तक गिरफ्तार नहीं किया। 151 की तो आज तक भी कार्यवाही नहीं की। 151 में गिरफ्तार करने पुलिस पहुँची। 151 क्या है कि 'एप्रिहेंशन टुवर्डस ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस' तो उसके लिये तो कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया और उसको हस्पवेजा में रांगफुल कन्फाइनमेंट करते हुए 29 तारीख को ही उसको घसीटकर और मारपीट कर ले जाया गया और उसकी गाड़ी पर, अध्यक्ष महोदय, 9 इन्जरीज है और इनकी रिपोर्ट में जो कि ड्यूरेशन आफ इन्जरी है, जैसे ही वह 10 तारीख को बेलआउट हुआ उसने अपना मेडिकल कराया और मेडिकल में जो ड्यूरेशन आफ इन्जरी है उसमें लिखा रखा है 'अबाउट 6 टू 12 डेज' जो कि 10 इन्जरी हैं। वह यह साबित करता है कि 29 तारीख को उसको 29 से लेकर 4 तक जो रांगफुल कन्फाइन किया गया थाने में उसमें यह इन्जरी लिखा दी गयी और यह इन्जरी इतनी पुरानी थी कि इनकी नेचर मेडिकल जूरिस्ट ने बताई है 6 टू 12 दिन के बीच में। मेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति में जबकि रांगफुल कन्फाइन किया है मेरा केस मेकआउट करने के लिए इसको कनकाक्टेड केस बनाया गया है और 4 तारीख को केस बनाया गया है जबकि इन्जरी रिपोर्ट है उसमें कहा है कि पाँच टांके हैं उसमें न तो "डेन्जर टू लाइफ" लिखा है, न 'लाइकली टू काज डैथ' लिखा है फिर भी 307 का मुकदमा बना दिया, क्योंकि पुलिस का आदमी पुलिस की कलम, पुलिस का जाँच अधिकारी, पुलिस का ही इन्वेस्टीगेशन और मैं ही बनाया, मैं ही बुझाया। तो जब सब कुछ ही ए टू जेड ही पुलिस के हाथ में हो तो 307 का, वह तो मरा नहीं, नहीं तो 302 की भी धारा लगाते। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में..

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो थाने का व्यक्ति है, उस पर इन्जरी और एसाल्ट का मुकदमा हो, उसकी जाँच उस स्थिति में उस स्थानीय अधिकारियों को तो कतई ही नहीं दी जानी चाहिये बल्कि इस थानेदार को जाँच के दौरान वहाँ से हटाया जाना चाहिये सस्पैंड किया जाना चाहिये और सस्पैंड करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाय तभी इन्वेस्टीगेशन फेयर हो सकता है, नहीं तो इन्वेस्टीगेशन हेंपर होगा, इन्वेस्टीगेशन इन्टरवीन करेंगे और पुलिस वाले अपने पक्ष में दावा सबूत करेंगे, डरायेंगे धमकाएँगें और न्याय की हत्या होगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए अनिवार्य है कि अनुसंधान के लिये इस थानेदार को निलम्बित करके लाइन हाजिर किया जाय और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों ने जिस प्रकरण की ओर और जिस घटना की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, उसमें कई नये तथ्य भी आये हैं। अब यह सही है कि इस प्रकरण में जो एफ.आई.आर. है उसकी कापी आपके पास भी है आपने पढ़ी है। इसके साथ ही फैज मुहम्मद के शरीर पर जो 9 चोंटे आयी है, इसमें लेसिरेटेड वुंड्स भी हैं सिम्पल एण्ड बलंट भी है ग्रीवियस हर्ट भी है, फ्रेक्चर भी है और चिरंजीलाल के शरीर पर भी दो चोंटे आयी है। अब यह सारी स्थिति ऐसी बनती है कि मैं उसके मैरिट्स-डिमैरिट्स के ऊपर जाना नहीं चाहता, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं यह चाहता हूँ कि इसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच हो और इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाये गये हैं, अब 4 तारीख को गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी मीमो में क्या लिखा गया है, उसके बाद जुडिशयल लॉक-अप हुआ है, जुडिशल लॉक-अप में क्या लिखा गया है वहाँ पर उसका एक्जामिनेशन होता है, उसके बाद अदालत में पेश किया गया है वहाँ पर भी सारा होता है, तो क्या सारे प्रकरण रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इसके मैरिट्स डिमैरिट्स पर यहाँ चर्चा करूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की एक बात से सहमत हूँ कि सारे प्रकरण की, इस प्रकरण की भी और आपने जो प्रकरण का रेफरेंस दिया है उसकी भी हमारे यहाँ के सी.आई.डी. (सी.बी.) के एक एस.पी. को आज ही निर्देश देता हूँ 15 दिन में वह सारी जाँच पूरी करें।

दूसरा प्रश्न, मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस की एक अपनी कार्यपद्धति है, मर्यादा है, नियम, उप नियम भी हैं और मैं कभी यह नहीं चाहूँगा कि राजस्थान की पुलिस मर्यादा से आगे बढ़ करके कोई ऐसे कर्त्तव्य करें, कोई ऐसे कार्य करें जिससे आलोचना का विषय बने और इसलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन 15 दिन के अन्दर-अन्दर कल ही यहाँ से एस.पी. जाकर सारी कार्यवाही करेंगे और इस थानेदार के विरुद्ध अगर मर्यादा से आगे बढ़ करके या नियमों से परे बढ़ करके, किसी भी तरह की ज्यादती की कोई भी बात सामने आती है, जितने आपने एलीगेशंस लगाये हैं, आप भी इस जाँच में सहयोग दीजिए इसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी उसमें से कोई कोताही निश्चित रूप से नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जाँच करा रहे हैं, आपने सब मंजूर कर लिया है तो एस.एच.ओ. को वहां से हटायें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उसको वहाँ से हटाइये।

श्री परसादीलाल मीणा : उसने जघन्य अपराध किया है (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब इन्क्वायरी हो, जाँच दौरान थाना प्रभारी कम से कम उस जगह तो बिराजमान नहीं रहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एस.एच.ओ. को तो वहां से हटाइये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्क्वायरी के दौरान उस थाना प्रभारी को वहाँ से हटाया जाय कम से कम जिससे वह अपने पद का दुरुपयोग नहीं करे, गवाहों को प्रभावित नहीं करे (व्यवधान) अनुसंधान को बरगलाये नहीं। आपकी जाँच का क्या फायदा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए यहाँ के सी.आई.डी. के वरिष्ठ एस.पी. को भेजकर 15 दिन के अन्दर अन्दर सारी जाँच करवाऊंगा। (व्यवधान)

130

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो सब ठीक है लेकिन थानेदार को हटाओ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : थानेदार को तो हटाओ। थानेदार को हटाओ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। सभी माननीय सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : ...और जाँच रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह की जो भी स्थिति बनती है, उस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि जाँच के दौरान थाना प्रभारी का दूसरी जगह स्थानान्तरण किया जाए।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना की स्थिति उभर कर आयी है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री किशन गोपाल जी कोगटा, सदस्य, विधान सभा अजमेर जिले के सोपरा घाट मसूदा खरवा क्षेत्र में चुनाई पत्थर के ठेके में कथित घोटाले के सम्बन्ध में खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मामला है... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, जाँच करवायी जा रही है तो उसको वहाँ क्यों रखा जाय? उसको वहाँ से हटना चाहिए तभी फेयर इन्वेस्टीगेशन हो सकेगा, नहीं तो इन्वेस्टीगेशन होने का कोई परपज ही नहीं है।

कई माननीय सदस्य : थानेदार को वहाँ से हटाइये।

एक माननीय सदस्य : उस एस.एच.ओ. को वहाँ रखने में, गृह मंत्रीजी, आपकी भी खैर नहीं है। पुलिस विभाग की भी खैर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक निष्पक्ष जाँच करवायें।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। पूरे क्वांटम में बोल रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि थाना प्रभारी को वहाँ से हटाया जाय।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, उसको वहाँ से हटाया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, उस रिश्वत लेने वाले थानेदार को तुरन्त सस्पैण्ड करें।

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्रीजी ने सी.आई.डी. के सीनियर एस.पी. से जाँच कराने के आदेश दे दिए मगर जब तक वह थानेदार वहाँ है जाँच को प्रभावित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, सभी माननीय सदस्य वैल में आ गये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : यहाँ से एस.पी. को भेज कर जाँच करायेंगे, 15 दिन में जो भी स्थिति बनेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा...

श्री परसादीलाल मीणा : कोई बयान देने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सारे माननीय विधायक इस तरह से रोज-रोज वैल में आ जाते हैं यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आसन की भी मर्यादा खराब होती है और विधायकों की

(श्री अध्यक्ष)

मर्यादा भी कम होती है। रोज वैल में आ जाना कोई अच्छी बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? यह कौनसी परम्परा है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर पधारें...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो उस थानेदार को हटवाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में माननीय गृह मंत्रीजी को घोषणा करनी चाहिये कि उसको वहाँ नहीं रखेंगे, उसको निलम्बित करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जिस थानेदार के खिलाफ इस तरह का इस्तगासा है उसको वहाँ रखना उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नहीं चलने देंगे, विधान सभा नहीं चलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री कोगटा जी। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सारी जाँच प्रभावित होगी...

श्री कैलाश मेघवाल : किसी से प्रभावित होने का सवाल नहीं है। पूरी जाँच आने के बाद अगर थानेदार की गलती है तो निश्चित रूप से उसको दण्डित किया जावेगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उसका इतना आतंक मचा हुआ है कि उसके सामने कोई गवाही देने को कोई तैयार नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : एस.पी. स्तर के व्यक्ति से जाँच करवा रहे हैं, वह आपको मंजूर नहीं, वैल में बैठना आपको मंजूर और बिना किसी को कुछ कहे-सुने आप बिल्कुल उसको सस्पैण्ड ही करवाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि यह आप कोई अच्छा कर रहे हैं। आप अपने स्थान पर बिराजें अब।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने आपके सुझाव पर सी.आई.डी. (सी.बी.) का यहाँ से एस.पी. भेजकर 15 दिन में जाँच कराने का विश्वास दिया है। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप 15 दिन के लिये उसे हटा दीजिये। 15 दिन के लिये लाइन में बिठा दीजिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : थानेदार के खिलाफ किसी भी तरह का कोई...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप 15 दिन के लिए उसे हटा दीजिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : कोई कारण तो बने (व्यवधान) आप सबने पक्ष रखा है और मैंने उसमें जाँच कराने के आदेश दे दिये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी, उसको 15 दिन के लिये हटा दीजिये। 15 दिन में जाँच हो जायेगी तब तक उसको हटा दीजिये।... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : जो बिन्दु माननीय विधायकों ने रखे हैं उन सभी बिन्दुओं पर जो एस.पी. यहाँ से जाएँगे सी.आई.डी. (सी.बी.) के, वे सभी बिन्दुओं पर जाँच करेंगे और जाँच करने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यथोचित कार्यवाही सख्त से सख्त की जाएगी। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जब तक जाँच नहीं होती है तब तक आप उसको यहाँ बुलवा लीजिये। अगर आप उसको सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो प्रमोशन कर दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जाँच नहीं हो सकती जब तक वहाँ रहेगा तो। (व्यवधान)

(132)

श्री परसादी लाल मीणा : ...29 तारीख को (व्यवधान). क्या वे मुल्जिम नहीं हैं ? क्या वे मुल्जिम नहीं हैं... (व्यवधान). आप मुल्जिमों को बचा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अगर हमारी बात गलत साबित हो जाए, गृह मंत्रीजी, तो हम सदन से इस्तीफा दे सकते हैं। हमारी बात में अगर असत्यता पायी गयी तो हम हाउस से इस्तीफा दे देंगे।... (व्यवधान). आप एक थानेदार की बात पर इतने, हत्या की हो ...(व्यवधान) थानेदार को नहीं हटा सकते आप ?

श्री आर.पी. शर्मा : हम सब इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं।... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार इस मामले में टालमटोल का एटीट्यूड क्यों अपना रही है ?... (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, उस थानेदार के खिलाफ इस्तगासा पेश किया है तो वह अपने आप ही मुल्जिम है...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, वह जो मुल्जिम थानेदार है, वह तो थाने में रहे, मुल्जिम थाने में रहे और जाँच को प्रभावित करे और आप कहते हैं न्याय की बात है। यह तो अन्याय की बात है... (व्यवधान) ...जो मुल्जिम है वह उसी थाने में बैठा रहे जिस थाने में जाँच हो, जिस थाने में 161 के बयान जाँच के दौरान आप रिकार्ड करवाना चाहते हैं...(व्यवधान)...उसी में वह मुल्जिम रहे... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : मंत्री महोदय, उसको लाइन हाजिर कर दो...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : अगर सस्पैण्ड नहीं करें तो लाइन हाजिर कर दें उसको (व्यवधान) इन्क्वायरी नहीं करवाओगे आप। उसके रहते इन्क्वायरी कैसे होगी ?... अगर उसको सस्पैण्ड करने में दिक्कत है तो आप उसको लाइन हाजिर कर दो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप चाहते हैं कि थानेदार वहाँ पर रहे...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : अगर आप लाइन हाजिर नहीं करवाते हैं तो इसमें न्याय कहाँ का हुआ ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मुद्दे पर माननीय सदन के... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जब तक थानेदार सस्पैण्ड नहीं होगा तब तक कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ...ताकि जाँच सही तरीके से हो सके। वह आदमी वहाँ पर रहकर जाँच को प्रभावित करेगा। (व्यवधान) निश्चित रूप से उसका आतंक चलेगा वहाँ पर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं करें अब।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री कोगटा जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : कोई रफा-दफा नहीं है। 15 दिन में जाँच करने के लिये मंत्रीजी ने कहा है और सी.आई.डी. (सी.बी.) को देने के लिए कहा है। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं मंत्रीजी ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

अजमेर जिले के सोपरा घाट मसूदा खरवा क्षेत्र में चुनाई पत्थर के ठेके में कथित घोटाला

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत अजमेर जिले के सोपरा घाट मसूदा खरवा क्षेत्र में चुनाई पत्थर के ठेके में कथित घोटाले के सम्बन्ध में खनिज मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रभावित होने का सवाल ही नहीं है_(व्यवधान) यहाँ से एस.पी. जायेगा (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : इस सदन में जो बहस हुई है_ (व्यवधान) एक पक्ष सुना है (व्यवधान) अगर थानेदार ने गलती की है तो उसको सस्पैण्ड भी किया जाएगा, कार्यवाही भी की जाएगी। यहाँ से सी.आई.डी. से एस.पी. जा रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री राधेश्याम : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, सारे प्रकरण को हमें बहुत ही गम्भीर दिमाग से लेना चाहिये। जितनी गम्भीरता से आपने रखी, मैंने उसी गम्भीरता से आपकी माँग को स्वीकार किया है_ (व्यवधान) _और अब भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी तरह प्रभावित होने का सवाल नहीं है। सी.आई.डी. (सी.बी.) से एस.पी. यहाँ से_ (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : जायेंगे, त्वरित गति से कार्यवाही करेंगे और थानेदार के खिलाफ अगर कोई भी सामग्री आयी तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। बचाने का कतई विचार नहीं है। (व्यवधान) _एस.पी. यहाँ से जा रहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, इस सारे मसले की गम्भीरता को कम मत कीजिये। (व्यवधान) मैंने बहुत गम्भीरता से लिया है इसको और उसी गम्भीरता से इसमें कार्यवाही करने के लिए सी.आई.डी. के एस.पी. को जाँच करने के आज ही निर्देश दे रहा हूँ और 15 दिन के अन्दर-अन्दर आपने जो केस बताया है वह और यह केस सब_ (व्यवधान) _देने के निर्देश दे रहा हूँ। इसको डाइल्यूट मत कीजिये। (व्यवधान)

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ और आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें किसी तरह का पक्ष नहीं लिया जाएगा और जब पुलिस थाने...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : उसके बाद आपको भी मेरे साथ सहयोग करना चाहिये...

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : इज्जत का सवाल मत बनाइये, मैंने आपकी बात ईमानदारी से मानी है। जब मैंने आपकी बात मानी है उसके बाद आपको भी मेरे साथ सहयोग करना चाहिये...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्योपुराघाटा, मसूदा, खरवा (ब्यावर क्षेत्र) क्षेत्र से निकलने वाले चूना बनाने में लाइमस्टोन तथा चुनाई पत्थर से परमिट शुल्क और रायल्टी संग्रह के ठेके की नीलामी दिनांक 9.3.95 को की गयी थी। खुली नीलामी में पाँच व्यक्तियों ने भाग लिया एवं उच्चतम बोली श्री महेन्द्र सिंह शेखावत, निवासी लोहड़ा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझनूं द्वारा 10,25,121/- रुपये की लगायी गयी जिसकी स्वीकृति निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा दिनांक 5.4.95 को की गयी तथा संविदा का निष्पादन दिनांक 7.4.95 को किया जाकर ठेका 8.4.95 को प्रारम्भ हो गया है। ठेके में पाँच वर्ष की आय का विवरण निम्न है—

वर्ष	आय
1990-91	2,67,090.00
1991-92	6,30,077.00
1992-93	8,33,342.00
1993-94	9,07,030.00
1994-95	8,35,762.00

(16.00)

इस क्षेत्र को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत नीलामी की कार्यवाही की गयी। नीलामी सम्बन्धी विज्ञप्ति का प्रकाशन दैनिक नवज्योति दिनांक 2-2-1995 को एवं राजस्थान पत्रिका दिनांक 8-2-1995 को किया गया तथा 30 दिन पश्चात् दिनांक 9-3-1995 को नीलामी की गयी। इस आधार पर स्पष्ट है कि खुली नीलामी में उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृति जारी की जा रही है। अतः इस कार्यवाही में किसी भी अधिकारी की मिलीभगत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त आय के आँकड़ों से भी स्पष्ट है कि जहाँ वर्ष 1994-95 में 8,35,762.00 रुपये की आय विभागीय माध्यम से हुई, जिसकी नीलामी बोली 10,25,121/- रुपये प्राप्त हुई। अतः

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

135

(श्री कैलाश मेघवाल)

राजस्व की हानि नहीं हुई बल्कि आय में वृद्धि ही हुई तथा नाके सम्बन्धी व्यय में भी बचत होगी।

उक्त क्षेत्र में उपलब्ध खनिज का उपयोग चुनाई पत्थर के रूप में किया जाता है जिसकी रायल्टी तीन रुपये प्रति टन की दर से वसूली की जाती है, परन्तु यदि वह खनिज भट्टा में चूना बनाने के लिये प्रयुक्त किया जाता है, तो इसकी रायल्टी 25 रुपये प्रति टन की दर से वसूल की जाती है। परमिट फीस चुनाई अथवा भट्टा में जाने वाले खनिज से समान रूप से ली जाती है। मसूदा क्षेत्र से जो खनिज ब्यावर शहर में जाता है उसका उपयोग चुनाई पत्थर के रूप में किया जाता है इसलिए उसकी रायल्टी 3 रुपये प्रति टन के हिसाब से ली जाती है, परन्तु विजयनगर की ओर जाने वाला जिस खनिज का उपयोग भट्टा में चूना बनाने के लिये किया जाता है इसलिए इसकी रायल्टी 25 रुपये प्रति टन की दर से वसूल की जाती है, जो चूना पत्थर के लिए निर्धारित है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रायल्टी की वसूली खनिज के उपयोग के आधार पर निर्धारित है और तद्नुसार ही वसूल की जाती है। उसमें किसी प्रकार की राजस्व की हानि नहीं है और ना ही इस व्यवस्था में कोई विसंगति ही है। —(व्यवधान).

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से हम आपसे एक ही निवेदन करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हाउस न चले, हम भी उसमें पार्टिसिपेट न करें, हम चाहते हैं कि इसमें डिबेट हो आज की डिमाण्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमाण्ड है और उसमें हरेक माननीय सदस्य अपने सुझाव देना चाहता है और मेरा ख्याल है कि आप भी हाउस चलाना चाहते हैं। अगर आपकी मंशा यह हो कि हाउस न चले तो वह फरमा दीजिये। हमने कोई बड़ी डिमाण्ड नहीं मांगी है, हमने सिर्फ यही कहा कि उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ में इतने भारी एलिगेशंस हैं और जब मंत्रीजी खुद इस बात को मानते हैं, उन्होंने यह कहा सीनियर सुपरिंटेन्डेन्ट को वहाँ की जाँच दे देंगे हम यह चाहते हैं कि वह सब-इंसपैक्टर जाँच के वक्त में वहाँ न रहे, इसके सिवाय हम कुछ नहीं चाह रहे हैं। इतनी सी बात के लिये ऐसी क्या बात है, 10 दिन में कर दीजिये? 10 दिन में जाँच कर दीजिये और उस वक्त में उसको लाइन हाजिर कर दीजिये, उसके बाद में अगर आप फील करते हैं कि वह बिल्कुल ईमानदार है और जो हमने कहा है गलत है, तो आप वापस लगाइये। वरना आपसे कहता हूँ एम.एल.एज. ने यहाँ तक कहा है कि अगर हम गलत हों तो हम इस्तीफा देने तक तैयार हैं। तब आप फिर खुद मानिये कि इसमें निश्चित तौर पर सच्चाई है और सच्चाई को देखते हुए, आप बहुत एक्सपीरियन्स्ड हैं, वर्षों तक आप इधर भी बिराजे हैं, हमने भी आपकी ऐसी बातें कितनी ही मानी हैं, इस बात के लिए खाम-ख्वाह क्यों हमको नाराज करते हैं? ... (व्यवधान)...

श्री जगदीप धनखड़ : उदार बनिये, मुख्य मंत्रीजी, वरना बिना बात के वातावरण दूषित होगा। ... (व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...आप पहले बैठ जायं, मैं बोलूँगा अभी। आप बैठ जाओ। ...(व्यवधान)..

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : वापस सीट दिलवा दी हमने। ... (व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप ने जो कुछ कहा है मुझे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। मेरे

(136)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पास आपके विधायक कोई बैठे हुए थे। मैंने तो वहाँ सुना कि आप लोग सब कुवें में पधार गये हैं तो मैं दौड़कर यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा यह थी कि भई, एक बार इस मामले को देख लेऊं, थोड़ा सा अगर आप मुझे समय दे दें तो गृह मंत्रीजी से बात कर लेऊं। आपको यह विश्वास देता हूँ कि सदन की इच्छा का भी मुझे ध्यान है और जिसने दोष किया है उसको बख्शना नहीं है, यह मेरा खुद का भी कमिटमेंट है लेकिन एक बार इसको देख लेऊं कि मामला क्या है। मुझे तो अभी तक इसकी जानकारी नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप आज शाम तक देख लेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज शाम तक कर लूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जैसा कहा है कि मुझे जानकारी नहीं है, अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी की इच्छा हो तो हम उनके सामने दुबारा मामले को, बहुत गम्भीर मामला है, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। मुख्य मंत्रीजी, इतना दर्दनाक मामला है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई रखने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बहुत दर्दनाक मामला है, मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप इसमें डिबेट चालू करेंगे तो डिबेट के हिसाब से ही निपटूँगा।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, डिबेट नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कर लो बात।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया है लेकिन वास्तविकता कुछ दूसरी ही है और वह यह है कि ब्यावर क्षेत्र पूरा पथरीला एरिया है और उसमें लाइम स्टोन, चुनाई का पत्थर, पट्टी-कातले सब निकलते हैं। दूसरा, यह है कि इस क्षेत्र से निकलने वाला जो पत्थर है वह चुनाई के काम ज्यादा आता है और लाइम स्टोन में कम। इस क्षेत्र से ब्यावर, पीसांगन, नसीराबाद, मसूदा, विजयनगर, गुलाबपुरा सब जगह चुनाई का पत्थर जाता है और इस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, इस बैल्ट के रहने वाले हैं नागरिक बन्धु, उनका मुख्य पेशा पत्थर निकालना है और चुनाई के लिए बेचना है। ट्रक भर के जाते हैं, लाइम स्टोन के भी जाते हैं और चुनाई के पत्थर के भी जाते हैं। इस क्षेत्र से ब्यावर में जो पत्थर जाता है वह चुनाई के लिए भी जाता है और चूने के लिए भी जाता है। विजयनगर साइड में गुलाबपुरा, मसूदा जाता है वह चूने के लिए और चुनाई दोनों के लिए जाता है। अब इस पहाड़ी क्षेत्र के पश्चिमी भाग की तरफ जाने वाला जो पत्थर है उसकी तो आप चुनाई के पत्थर के रूप में रायल्टी लेते हैं 3 रुपये प्रति टन और पूर्वी भाग की तरफ मसूदा, विजयनगर, गुलाबपुरा, रामगढ़ की साइड चुनाई का पत्थर जाता है उसका आप 25 रुपये प्रति टन ले रहे हैं। इसके साथ-साथ विजयनगर साइड में कुल 6 भट्टे हैं, जो मसूदा में हैं, विजयनगर में हैं और रामगढ़ में हैं और ब्यावर साइड में 30 भट्टे हैं। यही नहीं, श्री सीमेन्ट है, राणी सागर में मिनी सीमेंट प्लांट है और लाइम स्टोन अधिकांश जाता है। इसके साथ-साथ आपने यह बताया कि 1993-94 में तो 9,07,030 रुपये की रायल्टी है और 1994-95 में 8,35,762.00 की है। यह दिखने में तो बहुत बढ़िया है लेकिन पिछले साल 80 पर्सेंट जहाँ

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

पत्थर जाता है वहाँ तो 3 रुपये प्रति टन की दर कर दी, रायल्टी की और जहाँ 20 पर्सेन्ट जाता है वहाँ आपने 25 रुपये की रेट कर दी। तो वह तो एक साल में घटना ही था। इसके पीछे एक और योजना है कि सब को पता था कि ठेके में जाएगा और ठेके में जाएगा तो रायल्टी की चोरी होगी, रिजल्ट कम आये। मगर रायल्टी जो वर्ष 1990-91 की थी वह 25 रुपये लाइम स्टोन और 3 रुपये की चूने की, यह 1994 तक चली और यह 1995 तक यदि होती तो रायल्टी बनती 12 लाख रुपये की। मेरे कहने का मतलब यह है कि गरीब क्षेत्र के व्यक्ति केवल मकान बनाते हैं चुनाई के और वहाँ एक डिक्टेटरशिप चल रही है कि जो ट्रक निकलते हैं, उनसे लाइमस्टोन की 25 रुपये प्रति टन की रेट ली जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना है कि इस बारे में न्याय होना चाहिये और ब्यावर में कम क्यों है, इसका कारण यह है कि वहाँ दादागिरी है। वहाँ ठेकेदार और रायल्टी वालों को ठोका है इसलिए उन्होंने 3 रुपये कर दी और विजय नगर जिमसें मसूदा और रामगढ़ क्षेत्र आता है वहाँ गरीब लोग हैं, भोले लोग हैं इसलिए 25 रुपये की रेट लगा रखी है। अगर वह भी ठोकेंगे तो आप 3 रुपये कर देंगे। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि व्यवस्थित रूप से एक रेट बिना ठुके रहे। लाइमस्टोन की 25 रुपये होनी चाहिए जो चूने भट्टे में जाएगा उसकी 25 रुपये होनी चाहिए। जो चुनाई के लिये चाहे ब्यावर में जाय, विजयनगर साइड में जाए उसकी 3 रुपये टन होना चाहिये। यह अन्तर नहीं होना चाहिये। यह भेदभाव नहीं होना चाहिये। ब्यावर साइड में तो सब पैसे वाले हैं मकान बनाते हैं पत्थर जाएगा तो 1400 रुपये का एक ट्रक 2000 रुपये में जाय लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, रामगढ़, मसूदा, नन्दवाना, अणोतिया, उनको अगर आप 25 रुपये टन की रायल्टी के पत्थर देंगे तो वह कैसे चुनेंगे और यह इतना अन्तर कैसे होगा? माननीय मंत्री महोदय, इस पर ध्यान दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का जो कहना है वह यह है कि चुनाई के पत्थर में काम में लिया जाता है, ऐसी स्थिति नहीं है। यह जो लाइम स्टोन निकलता है आपके एरिया में, उसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। बहुत लम्बे समय से चला आ रहा है, इसीलिए इसको लीज आउट भी नहीं किया है और इसका कोई पट्टा भी नहीं दिया गया है और इसीलिए यह एक पुरानी व्यवस्था है। यहाँ से जो लाइमस्टोन निकले चुनाई के लिए जाए उसमें तीन रुपये प्रति टन के हिसाब से और परमिट फीस ले ली जाए नाकों पर और जो भट्टों में जाय उसका 25 रुपये प्रति टन और परमिट फीस ले ली जाय। यह व्यवस्था चली आ रही है। इस व्यवस्था में आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि जो भट्टे के लिये जाते हैं लाइमस्टोन, उसकी हमको भट्टे के हिसाब से रायल्टी मिल जाय और जो चुनाई पत्थर के लिए जाता है उसमें हम चुनाई पत्थर के हिसाब से करेंगे। अब क्या फार्मूला हो सकता है, यह आप हमें बता दीजिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा : नहीं, यह आपके जवाब में ही लिखा हुआ है। आपने जो जवाब दिया है, उसमें यह स्पष्ट है कि 1993-94 में 9 लाख 7 हजार की रायल्टी आयी और 1994-95 में 8 लाख 35 हजार की आयी। यह तथ्य सामने है ना...

श्री कैलाश मेघवाल : इसीलिए तो ठेके पर दिया है, कम हो गयी जो...

श्री किशनगोपाल कोगटा : अब वह 80 प्रतिशत है वहाँ तो तीन रुपये कर रखी है चाहे वह चुनाई में जाय, लाइम स्टोन में जाय चाहे भट्टे में जाय और 20 प्रतिशत जो गरीब क्षेत्र में जाता है वहाँ 25 रुपये कर रखी है। आपने खुद ने ही जवाब दिया है। यह तो तथ्य सामने है। इसको आप क्या स्पष्ट करेंगे ? हम तो यह चाहते हैं कि जो चुनाई में पत्थर जाय, उसका 3 रुपये होना चाहिये, वे 25 रुपये ले रहे हैं, इसके बारे में बताइये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : यह कोई आप फार्मूला बता दीजिये। इस बात पर विचार कर लिया जायेगा। निश्चित रूप से जहाँ चुनाई में जा रहा है वहां हम 3 रुपये ही लेंगे और जहाँ पर चूना-भट्टे के लिऐ जायेगा, वहां 25 रुपये लेंगे।

श्री किशनगोपाल कोगटा : और फिर बता रहा हूँ, जहाँ लाइमस्टोन के लिये जा रहा है ब्यावर साइड में चूना बन रहा है वहां 3 रुपये टन ले रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो आप बता दीजिये। उसको भी हम देख लेंगे।

श्री किशनगोपाल कोगटा : यह आपके सामने है, बताना क्या है।

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठकर विचार कर लें। बिराजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो आंकड़ें हैं, 1993-94 में 9 लाख 7 हजार 30 रुपये की आमद हुई थी और 1994-95 में आमद कम आने लग गयी इसीलिए इसको ठेके पर दिया और ठेके में 10 लाख 25 हजार 121 आयी...

श्री किशनगोपाल कोगटा : नहीं नहीं, इसलिए नहीं दिया था। वह तीन रुपये और 25 रुपये का अन्तर है।

श्री कैलाश मेघवाल : वह अन्तर अब इसमें तो है नहीं, आपको कहां से मिल रहा है। मुझे मालूम नहीं, क्या रेश्यो है? वह रेश्यो तो मेरे पास है नहीं...

श्री किशनगोपाल कोगटा : वह मेरा ही एरिया है (व्यवधान) मेरे पास है, उसमें वह सब स्पष्ट है।

श्री कैलाश मेघवाल : कि तीन रुपये में कितनी आमद हुई और 25 रुपये में कितनी आमद हुई। यह रेशो मेरे पास नहीं है। यह जो आप कह रहे हैं, इस पर भी विचार कर लेंगे और इसलिए इसमें लाभ हुआ है, कोई ठेका दिया है...

श्री उगमराज मेहता : ए.एम.ई. खोल दो, सब चोरी बन्द हो जाएगी।

श्री कैलाश मेघवाल : आप दोनों ही राय दें, तो लीज पर दे दें, फिर पुरानी व्यवस्था खत्म कर दें (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : नहीं नहीं, आप वाली रखें...

श्री कैलाश मेघवाल : लीज पर इसको दे दें या पट्टे पर दे दें। एक लिबरल हिस्टोरिकल रीजन में थोड़ा, अब थोड़ा लिबरल चल रहे हैं कि वहाँ के गरीब लोग अपने ऊंट-गाड़े में ले जाते हैं, यहाँ तक कि छोटे ट्रकों में भी ले जाते हैं और उसको लीज पर देकर पट्टाधारी, उन गरीबों का ध्यान रखते हुए हमने यह व्यवस्था बनाये रखी है।

श्री उगमराज मेहता : ए.एम.ई. आफिस खोल दीजिये। सारी चोरी बन्द हो जायेगी रेवेन्यू बढ़ेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : यह कहाँ से नयी बात आ गयी अध्यक्ष महोदय ?

श्री किशनगोपाल कोगटा : मेरी बात चोरी की नहीं है। मेरा तथ्य तो केवल एक ही है

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

कि जो गरीब क्षेत्र के गाँवों में चुनाई का पत्थर जाता है, 25 रुपये लिये जा रहे हैं और वहाँ स्ट्राइक चल रही है। वहां के लोग सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। एक महीने से स्ट्राइक चल रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधायक, आप अपने सुझाव दे दीजिये और इस सुझाव पर आप निश्चिन्त रहिये हम इसको इस तरह से स्ट्रिमलाइज कर देंगे कि चुनाई में जाने वाले से हमको तीन रुपये ही मिले और चुनाई पत्थर में जाने वाले से हमको 25 रुपये मिल जाए। आप अपने सुझाव दे दीजिये माननीय सदस्य।

श्री किशनगोपाल कोगटा : हां, तीन रुपये मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप बैठकर विचार कर लें इस पर। चर्चा समाप्त हुई । बिराजिये आप।

श्री किशनगोपाल कोगटा : एक मिनट सुनिये आप। मेरा यह कहना है कि जो पूर्व स्थिति है, जो नये ठेकेदार है, उन्होंने तीन रुपये और 25 रुपये अन्तर में बड़ा झंझट कर रखा है इसलिए मेरा कहना है कि या तो पुरानी स्थिति बनाये रखें या कोई ऐसा निर्देश दें जिससे चुनाई के पत्थर में रायल्टी ज्यादा मिले।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके सुझाव पर पूरा विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सरकारी मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

समिति-गठन-प्रस्ताव

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ : —

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1995-96 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (क) 1995-96 के लिऐ पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति (ख) 1995-96 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-ख (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1995-96 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय और जनलेखा समिति, 1994-95 प्राक्कलन समिति 'क' 1994-95, प्राक्कलन समिति 'ख' 1994-95 व राजकीय उपक्रम समिति 1994-95 को ही आगमी एक वर्ष के लिए जनलेखा समिति 1995-96, प्राक्कलन

(श्री अध्यक्ष)

समिति 'क' 1995-96, प्राक्कलन समिति 'ख' 1995-96, राजकीय उपक्रम समिति 1995-96 में सर्व सम्मति से सदस्य निर्वाचित कर लिए जायं ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों का गठन

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि जनलेखा समिति, 1994-95, प्राक्कलन समिति (क) 1994-95, प्राक्कलन समिति (ख) 1994-95 और राजकीय उपक्रम समिति, 1994-95 के सदस्यों को ही आगामी एक वर्ष के लिये जनलेखा समिति, 1995-96 प्राक्कलन समिति (क) 1995-96, प्राक्कलन समिति (ख), 1995-96 और राजकीय उपक्रम समिति, 1995-96 में सर्वसम्मति से सदस्य निर्वाचित कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री नाथूसिंह गुर्जर के स्थान पर श्री अनंग कुमार जैन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास एवं श्री रघुवीर सिंह कौशल, वन एवं पर्यावरण मंत्री अनुदान की मांग संख्या 9 वन एवं अनुदान की माँग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाएं विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री अनंग कुमार जैन (श्री नाथूसिंह, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,69,57,000/- (रुपये चौसठ करोड़ उन्हत्तर लाख सत्तावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या-41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप नियम विरचित कर उनको लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

(2) ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा के गिरते स्तर तथा उसमें सुधार नहीं लाने पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

(3) समय पर कार्य स्वीकृत नहीं होने तथा ग्राम पंचायतों में सचिवों के अभाव पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

(4) सामुदायिक विकास की योजनाओं को ठीक ढंग से एवं समय सीमा में पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

(5) सामुदायिक विकास की योजनाओं को ठीक ढंग से एवं समय सीमा में पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

(6) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र की कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के कई वर्षों से रिक्त पड़े पदों को न भरने पर भी पंचायत समितियों को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

(7) जिला अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

(8) विधान सभा क्षेत्र बेगूँ के माडा गाँवों में 150 की आबादी तक के गावों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(9) वर्ष 94-95 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों में भवन निर्माण अगला सत्र शुरू होने के पहले कराने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

(10) दौसा जिले में वर्ष 1994-95 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों को चालू नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

(11) ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं हेतु बजट की संरचना पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

(12) दौसा जिले में सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत कोई कार्यक्रम नहीं चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

(13) निर्वाचन क्षेत्र खण्डार के सामुदायिक विकास के अन्तर्गत नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (बैराठ) :

(14) पंचायत राज प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की क्रियान्वत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

(15) पंचायत चुनावों में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) :

(16) पंचायत समिति सीमलवाड़ा का आकार वृहद होने से इसे दो भागों में विभाजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(17) पंचायत समिति सीमलवाड़ा के नैसर्गिक रूप से टी.डी. I एवं टीडी II में विभाजित कर चीखली एवं सीमलवाड़ा मुख्यालय नहीं कायम करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

(18) पंचायतों के समिति/जिला परिषद् के प्रतिनिधियों के चुनाव में हुयी धांधली एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

(19) 1991 की जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(20) राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिवर्ष दस रुपया प्रति व्यक्ति देने हेतु

(श्री रतनलाल ताम्बी)

एवं हर दस वर्ष बाद पच्चीस प्रतिशत राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(21) राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की जर्जर स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(22) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में बढ़ती अनियमितताओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(23) राजस्थान में पंचायतों के कार्य में पंचायत समितियों का अनावश्यक हस्तक्षेप रोक कर पंचायतों को स्वतंत्र प्रभावी इकाई बनाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

(24) शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में सामुदायिक विकास के नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(25) प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पृथक-पृथक ग्रुप सचिव का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(26) प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक सामुदायिक केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

(27) पंचायत क्षेत्रों पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं विकसित करने व जन भागीदारिता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(28) पूर्व सरपंचों द्वारा पंचायतों की सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द करने, विक्रय करने एवं अनुदान की राशियों के वितरण में अनियमितताएं करने एवं वसूलियां समय पर नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(29) जिला परिषद, पंचायत समिति के नव निर्वाचित सदस्यों के अधिकारों का निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(30) क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उक्त क्षेत्र में 100 की जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय खुलवाने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(31) विभाग के विभागीय केडर विकसित नहीं होने से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के सैंकड़ों पद रिक्त रहने व प्रतिनियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों का सही निर्वहन नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

(32) विभाग द्वारा लम्बे समय से कार्यरत ग्राम पंचायतों के ग्रुप सचिवों को ग्राम सेवकों के रिक्त पदों पर पदस्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(33) पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में अध्यापकों के पद लम्बे समय से रिक्त रहने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(34) जिन विकास अधिकारियों का कार्य काल 6 वर्ष से अधिक हो गया है उनको नियमानुसार अपने पैत्रक विभागों को नहीं लौटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(35) पंचायती राज संस्थाओं के नियम बनाये जाकर समुचित अधिकार दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

(36) सामुदायिक विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी व सहयोग प्राप्ति के उपायों पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवनाथ सिंह)

(37) सामुदायिक विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों के कारण समाज के कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति में हुए सुधार पर चर्चा के लिये।

(38) विकास कार्यों पर खर्च किये जा रहे धन का सदुपयोग न होने तथा विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(39) पिछले पांच सालों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा पंचायत समिति स्तर पर करवाने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

(40) लूणकरणसर क्षेत्र की 250 से अधिक जनसंख्या वाली चक आबादियों में प्राथमिक शाला स्वीकृत करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

(41) बून्दी में पंचायतों एवं जनसंख्या को मध्य नजर रखते हुए बून्दी एवं लाखेरी में दो नई पंचायत समितियां बनाई जाकर जनता को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(42) केशवरायपाटन पंचायत समिति में सभी प्रसार अधिकारियों, ग्रुप सचिवों, अध्यापकों एवं विभिन्न पदों के लम्बे समय से चल रहे रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से सरकारी एवं जनहित के कार्यों में हो रही परेशानी पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(43) केशवरायपाटन पंचायत समिति की उतराणा ग्राम पंचायत को उतराणा व उगारिया दो पंचायतों में विभाजित करने से जनता को हो रही भारी असुविधा पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(44) प्रदेश की ग्रामीण जनता की कठिनाईयों का ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा समाधान करवाये जाने के लिये पंचायतों को आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकार शीघ्र दिलाये जाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(45) केशवरायपाटन पंचायत समिति में खालों पर पुलियाएं नहीं होने से जनता को हो रही भारी असुविधा पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

(46) पंचायती राज संस्थाओं को नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

(47) पंचायत समिति राजगढ़ (चुरू) के विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत लाखलाण एवं दूसरी पंचायतों का पार्टीबाजी के कारण भुगतान रोकने से उत्पन्न असुविधा पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(48) पंचायत समिति राजगढ़ (चुरू) के विकास अधिकारी जो कि शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं जो एस.डी.आई. नियम विरुद्ध लगाये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) :

(49) पंचायत समिति सरदार शहर में अकाल राहत कार्यों के चालू रहते ग्रुप सचिवों (प्रशासकों) के स्थानान्तरण करने से सरकार

(144)

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

को लाखों रुपये के नुकसान पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(50) विभाग द्वारा सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में ग्रुप सचिवों के खाली पड़े पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(51) विधान सभा क्षेत्र सरदार शहर के विकास कार्यों में लगी धनराशि के दुरुपयोग व व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(52) सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति सरदार शहर की पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्यानुसार अध्यापकों के पदों की स्वीकृति एवं अध्यापक न लगाने से हो रही कठिनाई पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

(53) जिला उदयपुर में सामुदायिक विकास सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्वति में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(54) ग्रामीण विकास के लिए अधिक धन राशि आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(55) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कम्युनिटी सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(56) प्रदेश में प्रत्येक पंचायत में पृथक-पृथक सचिव का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(57) प्रदेश में पंचायत समितियों द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्यों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

(58) दौसा जिले में वर्ष 1994-95 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(59) पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों हेतु अधिक अधिकार दिए जाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

(60) ग्राम दयालपुरा व ग्राम बाबुपुरा में स्थापित हैंड पम्पों की मरम्मत के लिए पंचायत समितियों को धनराशि दिये जाने के बावजूद पंचायत समिति के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से इन दोनों ग्रामों के हैंड पम्प साल भर से खराब हो जाने के बावजूद दुरुस्त नहीं कराये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

(61) जिला अलवर में पंचायत सचिवों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(62) पंचायत समिति रामगढ़ (अलवर) की नवगठित पंचायतों के पंचायत भवन बनाए जाने के लिए विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

(63) निर्बन्ध निधि योजना, तीस जिला तीस काम योजना की राशि जो विधायक के माध्यम से खर्च होती है वह विकास हेतु कम पड़ने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

(64) पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों को लम्बे समय से नहीं भरने के कारण उत्पन्न कठिनाई पर भी दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

(65) झुंझुनूं जिले में पंचायत समितियों के अधीनस्थ स्कूलों में स्टाफ की पर्याप्त संख्या

(श्री सुन्दरलाल)

न होने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(66) झुंझुनूं जिले में पंचायत समितियों के अधीनस्थ बालिका विद्यालयों की कमी को पूरा करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

(67) धौलपुर जिले में ढाई सौ से अधिक जनसंख्या वाली ढाणियों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) :

(68) नये खोले गये प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

(69) प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय भवन जो जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं उनकी मरम्मत कराने के लिए विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

(70) ग्राम भीमगंज, मीणा बस्ती गुलखेड़ी तहसील बून्दी को गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के अधीन लाभान्वित करने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

(71) ग्राम शोदानपुरा (ग्राम पंचायत सहण) जिला बून्दी के अधूरे पाठशाला भवन के पास स्थित भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम पर आबंटित की जाने के पश्चात् उसे निरस्त करवाने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

(72) कल्याणपुरा, मजरा, रायथल (बून्दी) की प्राथमिक पाठशाला भवन के लिए भूमि एवं खेल मैदान की भूमि पाठशाला के नाम पर रिकार्ड में अंकित करवाये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

(73) रायथल (बून्दी) में निर्माणाधीन पंचायत भवन को पूर्ण करवाने में हो रही देरी से व्याप्त जन असन्तोष पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(74) रेडा द्वारा व्यय बताई गई राशि के भारी दुरुपयोग को रोकने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) :

(75) राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के हुए चुनावों में सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत की गयी मनमानी/हठधर्मी एवं धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(76) नव निर्वाचित प्रमुखों/प्रधानों को पंचायती राज अधिनियम, 1994 में किये गये प्रावधानों के अनुसार अधिकारों को अब तक नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

(77) सामुदायिक विकास हेतु वर्ष 1994-95 में आबंटित राशि के उपयोग में हुयी अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

(78) जिला प्रमुखों व प्रधानों का कर्त्तव्य निर्वहन हेतु निजी स्टाफ, आवास, वाहन, सुरक्षा कर्मचारी मुहैया न कराने से सामुदायिक विकास अवरूद्ध होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(79) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद् के अन्तर्गत हस्तान्तरित करने में राज्य सरकार की विफलता पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(80) पंचायती राज संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता न देकर राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का केन्द्रीयकरण, अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक अंकुश, नाजायज दखल व राजनीतिकरण किए

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(81) पंचायतों को संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप अधिकार एवं कर्त्तव्य न देने पर भी उन्हें दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(82) पंचायत चुनावों में अनियमितता एवं धांधली द्वारा एक पार्टी विशेष के उम्मीदवारों को अवैध रूप से विजयी बनाने (खास तौर से प्रधान मालपुरा एवं टोडारायसिंह तहसील में जिला परिषद् सदस्यों) में गैर कानूनी रूप से पक्षपातपूर्ण कार्यवाही रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 9—वन की प्रस्तुति

श्री रघुवीर सिंह कौशल (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या-9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,20,67,94,000/- (रुपये एक अरब बीस करोड़ सड़सठ लाख चौरानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या–9 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-9 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

(1) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना की मुख्य नहर वितरिकाओं लघु-वितरिकाओं के दोनों किनारों पर गोचर विकास टीबा स्थिरीकरण आदि कार्यों में लक्ष्य पूरे न करने व स्थानीय पेड़ रोहिड़ा, खेजड़ी, आक आदि के टिसू कल्चर वाले पौधों का इस्तेमाल न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

(2) राजस्थान में वनों के विकास हेतु उनकी अंधाधुंध कटाई रोकने तथा पहाड़ों की हरियाली की सुरक्षा के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

(3) वन संरक्षण और विकास के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

(4) वन विभाग द्वारा पौधे लगाने के पश्चात् उनकी देखभाल व रख-रखाव के अभाव से उन पर खर्च करने वाली धन राशि के दुरुपयोग को रोकने सम्बन्धी कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(5) वनों की हो रही अंधाधुंध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर) :

(6) खानपुर रेंज में गत दो वर्षों में करवाये गये वनों के विकास सम्बन्धी कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा किये गये कार्यों का मूल्यांकन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(7) शेरगढ़ अभयारण्य जिला बारां में घटते वन जीवों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(8) हाड़ौती संभाग के वन जीव अभयारण्य की देखरेख हेतु पर्याप्त धन व स्टाफ के अभाव में हो रही क्षति पर चर्चा के लिए।

(9) झालावाड़ जिले में पुराने जंगल लगातार देखरेख के अभाव में नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :

(10) रेगिस्तान में अधिक वृक्षारोपण एवं उनकी देखरेख की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

(11) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र

(श्री फतेहसिंह)

में आबाद जंगलों को सुरक्षित रखने व प्लांटेशन कर पनपे हुए पौधों को बचाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

(12) प्रदेश में जंगल के निकट बसने वाले व्यक्तियों की जंगल आबाद करने के लिये समितियाँ बनाने व उनकी भागीदारी जंगलों में देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(13) प्रदेश में नंगी पहाड़ी व रेगिस्तानी इलाकों में वनों का विकास कार्यक्रम करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

(14) बंजर भूमि एवं पहाड़ियों का वृक्षारोपण कर हरा-भरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

(15) वनों में वृक्षारोपण एवं वृक्षों की कटाई की रोकथाम किये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी) :

(16) कोटा, बून्दी, झालावाड़ एवं बारां के वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

(17) वनों की कटाई को रोकने के लिये वन कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

(18) पाली विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा गोचर भूमि में वन लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

(19) मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(20) तहसील रामगढ़ (अलवर) में अरावली श्रृंखलाओं पर वृक्षारोपण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(21) तहसील रामगढ़ (अलवर) के ग्राम रघुनाथगढ़ के पास सिवायचक की बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(22) जिला अलवर की तहसील रामगढ़ की बंजर भूमि पर वृक्षारोपण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) :

(23) अजमेर जिले की वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) :

(24) राजस्थान के वन क्षेत्रों की होने वाली दुर्दशा की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) :

(25) वन सुरक्षा के लिये जन जागरण हेतु राज्य सरकार द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

(26) दौसा जिले के अन्तर्गत बांदीकुई में वन संरक्षण तथा सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

(27) राज्य में बाघ परियोजनाओं की दुर्गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(28) नील गाय के कारण किसानों को कृषि की पैदावार में हो रही परेशानी से बच[illegible] हेतु विभाग द्वारा कारगर उपाय करने[illegible] आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(148)

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) :

(29) वन विभाग की घोषित भूमि पर खनन कार्य को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) :

(30) केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर में आस-पास के ग्रामवासियों के पशुओं को चरने की सुविधा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) :

(31) वन खण्ड कोरल में वन विकास के कोई कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(32) वन भूमि पर वर्षों से आदिवासियों का अनाधिकृत कब्जा होने के बावजूद भी गरीब आदिवासियों को लगातार बेदखल करने की कार्यवाही को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(33) वन विभाग के वन अधिकारियों द्वारा गरीब आदिवासियों के प्रति मानवीय व्यवहार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

(34) राजस्थान में वन सम्पदा क्षेत्र खनन कार्य के अन्तर्गत होने की स्थिति में उतना ही क्षेत्र वन सम्पदा को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(35) राजस्थान में वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये वन रक्षक, वनपाल आदि के पद बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(36) राजस्थान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज पहाड़ी किस्म की जमीन को ज्यादा से ज्यादा वन भूमि में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(37) प्रति वर्ष वन क्षेत्र में वृक्षों की गणना तथा उच्चाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(38) वन रक्षा हेतु तहसील स्तर, पंचायत स्तर, ग्राम स्तर की वन सुरक्षा समितियाँ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

(39) अरावली वृक्षारोपण इकाई नागौर द्वारा फर्जी नर्सरी बताकर राशि का गबन व दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

(40) अरावली वृक्षारोपण परियोजना में घोटालों के कारण निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध हो रही जाँच में उच्च अधिकारियों द्वारा अवरोध करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(41) अरावली वृक्षारोपण परियोजना में हो रहे घोटालों की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

(42) अरावली योजना के अन्तर्गत झुंझुनूं जिले में किये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(43) झुंझुनूं जिले में वन विभाग द्वारा चलाई जा रही पौधशालाओं (नर्सरी) की गतिविधियों पर प्रभावी पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(44) वन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में झुंझुनूं जिले में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों तथा ठेके पर कार्य करने वाले मजदूरों की समस्याओं पर कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(45) वन विभाग की अरावली तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपण कार्यों की असफलता एवं इनमें व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवनाथ सिंह)

(46) झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में स्थित इन्द्रपुरा नर्सरी में करवाये गये निर्माण कार्यों के औचित्य एवं धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :

(47) राजस्थान में जापानी मदद से अरावली क्षेत्र में वन विकास की योजना को गति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(48) बूंदी शहर के आसपास के वन क्षेत्र की पहाड़ियों पर वन विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(49) वन क्षेत्रों में चल रहे अवैध खनन की रोकथाम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन मोहन (खैरथल) :

(50) सरिस्का (अलवर) में गर्मियों के दिनों में वन्य जीवों के लिये पीने के पानी की समस्या का निराकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(51) सरिस्का (अलवर) में पैंथर-टाइगर व शेरों की घटती हुई संख्या पर चर्चा के लिये।

(52) सरिस्का (अलवर) में बांडी पुल के विवाद के निराकरण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(53) सरिस्का (अलवर) के जंगलों में वन क्षेत्रों में "सीबा व्हील प्रा.लि." द्वारा निजी होटल चलाये जाने से टाइगर डैन में वन्य जीवों को खतरा व फोरेस्ट कानून का उल्लंघन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(54) अरावली हिल में जापान की सहायता से वन विकास योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

(55) वनों में लगाई जा रही वृक्षों की प्रजातियाँ स्थानीय जलवायु के अनुरूप विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(56) वनों की सुरक्षा एवं अवैध कटाई की रोकथाम हेतु फोरेस्ट गार्ड तथा अन्य संसाधनों में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(57) सामाजिक वानिकी योजना की भावना के अनुसार गवाई जंगलों एवं कृषकों की निजी भूमि पर वृक्षारोपण में प्रोत्साहन व सहयोग किये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(58) राज्य सरकार के आदेश होने के उपरांत भी वन सुरक्षा एवं वन विकास समितियाँ गठित करने में स्थानीय वन अधिकारियों द्वारा रुचि नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(59) अरावली वृक्षारोपण परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण व निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) :

(60) भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के ग्राम ज्ञानगढ़ में वन विभाग की भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जे करने के बाद भी विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(61) भीलवाड़ा जिले में पिछले 5 वर्षों में वृक्षारोपण एवं उनके रख-रखाव के मद में स्वीकृत राशि का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

(62) बून्दी जिले में लगातार हो रही वनों की कटाई को सख्ती से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(63) केशवरायपाटन तहसील में चम्बल नदी के पास-पास भूमि कटाव को रोकने के लिये वन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(64) बून्दी जिले में वन क्षेत्रों में अवैध खनन एवं कृषि भूमि के रूप में किये जा रहे अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(65) प्रदेश में वृक्षारोपण में प्रतिवर्ष व्यय की जा रही राशि के दुरुपयोग को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

(66) वन विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित कोटे का विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता से पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

(67) प्रदेश में वनों की अनाधिकृत कटाई व अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(68) घना पक्षी विहार, भरतपुर की देखरेख व रख-रखाव में शिथिलता से हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) :

(69) वन विभाग द्वारा नील गायों के लिए तार बन्दी कर कृषकों को हो रहे नुकसान से बचाने पर चर्चा के लिये।

(70) पिण्डवाड़ा, आबू क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर कई सालों से खेती करने के बाद भी उन्हें खातेदारी हक नहीं दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(71) वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में खनिज पदार्थ को निकालने हेतु स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

(72) वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

(73) हरे पेड़ों की कटाई को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

(74) वन विकास के सम्बन्ध में कारगर नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(75) वन क्षेत्र में खनन पट्टे जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(76) वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

(77) जंगलों की कटाई रोकने के कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

(78) जिला चूरू के रेंजर्स के अपने मुख्यालयों से गैर हाजिर रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) :

(79) वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण, मरु विकास एवं अन्य योजनाओं में धन के दुरुपयोग की रोकथाम में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

(80) आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगाये जाने वाले पौधों के रख-रखाव ठीक ढंग से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(81) राजस्थान में वनों की हो रही अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कुबेर सिंह)

(82) वृक्षारोपण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(83) विधान सभा क्षेत्र फलासिया में वनों की सुरक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(84) विधान सभा क्षेत्र फलासिया के आदिवासी लोगों में वन विभाग से इमारती लकड़ी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

(85) लालसोट तहसील की चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

(86) पिड़ावा (झालावाड़) में रेंजर की पोस्ट स्वीकृत होने तथा रेंजर का ऑफिस भी बना हुआ है लेकिन यहाँ लगभग एक डेढ़ वर्ष से रेंजर कार्यालय बन्द होने एवं नर्सरी का कार्य भी नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

(87) लाडनूं जिला नागौर क्षेत्र में विभागीय कर्मचारियों द्वारा वन क्षेत्र में पशु चराने वालों से नाजायज राशि वसूल करने व राजकीय कोष में जमा नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(88) ग्राम निम्बीजोधां, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में विभाग की नर्सरी स्थापित योजना के अनुसार कार्यरत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

(89) नन्दगांव, अरनेठा (तहसील नैनवां) की वन भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने तथा सीमा बन्दी करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

(90) जिला बून्दी के रामगढ़ अभ्यारण्य के वन्य जीवों की हत्याओं के सम्बन्ध में विभाग द्वारा उचित ध्यान नहीं देने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(91) ग्राम सीसोला (तहसील नैनवां) की चरागाह भूमि को वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

(92) ग्राम माण्डपुर, नन्दगांव, रास हाली (जिला बून्दी) में वन भूमि की सुरक्षा तथा पौध संरक्षण के लिए क्लोजर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(93) जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा गेटवे होटल्स एवं गेट अवे रिसोर्ट से मिलकर आदेश क्रमांक प.12-13(396) राज/89/4066-71 दिनांक 21.8.89 से आबंटित वन भूमि के आबंटन को निरस्त करवाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

(94) झुंझुनूं जिले में वन विभाग द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

(95) वन विभाग के अधिकारियों द्वारा खान मजदूरों के अवैध रूप से औजार छीनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(96) वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों के पशुओं का अवैध रूप से जंगलात भूमि बताकर पकड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(97) धौलपुर जिले के वन विभाग के अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों का नीति विरुद्ध

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

जिले से सुदूर स्थानों पर स्थानान्तरण कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(98) धौलपुर क्षेत्र में पहाड़ियों पर वृक्षारोपण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(99) धौलपुर क्षेत्र में हरे वृक्षों की हो रही अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

(100) जलवायु के अनुसार ही बाड़मेर जिले में वन विभाग द्वारा पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

(101) झुंझुनूं व सीकर जिले में अरावली योजना में हुए कार्यों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) :

(102) राज्य में वृक्षों की हो रही अवैध कटाई की रोकथाम हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

(103) चित्तौड़गढ़ जिले में मारवाड़ से आने वाली भेड़ों के प्रवेश से नष्ट हो रहे वनों को बचाने के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(104) सैंक्चुरी, फोरेस्ट में बसे हुए ग्रामों के निवासियों को चुनाई के पत्थर निकालने पर लगी रोक से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(105) चरागाहों एवं रेवेन्यू की जमीन पर पेड़ लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(106) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में पुराने बने पेडोक्स की सुरक्षा हेतु बनी हुई पत्थर की दीवार की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(107) गांवों के पास पड़ने वाली जंगलात की जमीन पर गांवाई पेडोक्स निर्माण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

(108) टीला स्थिरीकरण योजना को सफलता से लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(109) वनों की कटाई को अविलम्ब रोके जाने व वन विस्तार की कारगर योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

(110) वनकर्मियों खास तौर से अभयारण्यों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा, बीमा व उन्हें हथियार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(111) वन विभाग में उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(112) वन विभाग में स्थानान्तरण नीति नहीं होने के कारण ईमानदार वनकर्मियों में व्याप्त असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(113) वन विभाग में पौधारोपण का मूल्यांकन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(114) निर्भीक एवं बहादुर रेंजर व अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रोत्साहित न कर उनका शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएं की प्रस्तुति

श्री रघुवीरसिंह कौशल (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या-11

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

विविध सामाजिक सेवाएँ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,25,83,000/- (रुपये नौ करोड़ पच्चीस लाख तिरासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या-11 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 11 मुख्य शीर्षक विविध सामाजिक सेवाएं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

(1) राजस्थान की राजधानी जयपुर तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर पर्यावरण प्रदूषण दूर करने सम्बन्धी उपायों में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

(2) चम्बल नदी में कोटा शहर के गन्दे पानी के निकास से पर्यावरण के विनाश को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(3) कोटा थर्मल पावर स्टेशन की राख के निकास से पर्यावरण को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

(4) कोटा सम्भाग के अभयारण्यों तथा जंगलों में अवैध हरे पेड़ों की लकड़ी की कटाई तथा अवैधानिक खनिज कार्य से पर्यावरण को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

(5) प्रदेश में प्रदूषण निवारण सम्बन्धी कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

(6) प्रदेश में प्रदूषण निवारण सम्बन्धी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमंडी) :

(7) कोटा की तापीय विद्युत परियोजना से होने वाली वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

(8) पाली शहर की औद्योगिक इकाई से बांडी नदी के दोनों ओर एवं शहर में पर्यावरण को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

(9) तहसील रामगढ़, जिला अलवर में पर्यावरण सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) :

(10) निजी क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से जनता को राहत दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

(11) दौसा जिले में पर्यावरण संतुलन न होकर प्रदूषण बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

(12) प्रदूषण की रोकथाम कर पर्यावरण की रक्षार्थ हवा, पानी को स्वच्छ बनाने हेतु और अनुसंधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) :

(13) सिरोही जिले की वृक्षविहीन पहाड़ियों यथा मातृ माता, कोलरगढ़ (आम्बेश्वर) मोरली, रोवाड़ा घाटा, बारे घाटा आदि में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से उन्नत वृक्षारोपण एवं रक्षण सम्बन्धी कार्य के लिये विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(154)

(श्रीमती तारा भंडारी)

(14) आबू पर्वत की निरन्तर वृक्ष विहीन होती जा रही पहाड़ियों को रबर के वृक्ष लगाकर पर्यावरण में सुधार करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(15) सिरोही जिले के आबू पर्वत एवं आस-पास के पहाड़ों में निरन्तर लगने वाली आग से नष्ट होने वाले पर्यावरण को बचाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

(16) खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर पड़ रहे दूषित प्रभाव को रोकने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

(17) चन्देरिया लेड जिंक स्मेल्टर द्वारा एसिड युक्त पानी को बेडच नदी में डालने से पर्यावरण में फैल रहे प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) :

(18) पर्यावरण सुधार के लिये प्रत्येक विद्यालय, सरकारी भवनों में वृक्षारोपण कराने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(19) पर्यावरण सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

(20) जे.के. सफेद सीमेंट कारखाना गोटन जिला नागौर द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने से फैल रहे प्रदूषण की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(21) कस्बा सुजानगढ़, जिला चुरू के औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे मिनी सीमेन्ट कारखानों द्वारा प्रदूषण फैलाने व प्रदूषण नियंत्रक यंत्र लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(22) विभाग द्वारा ध्वनि प्रदूषण की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(23) राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं करने व मण्डल की निष्क्रियता पर भी उसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(24) जयपुर शहर में अधिक धुआँ छोड़ने वाले वाहनों को नहीं रोके जाने के कारण हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :

(25) कोटा शहर में बिगड़ते हुए पर्यावरण से शहरवासियों की रक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(26) चम्बल नदी के दूषित होने के खतरे एवं थर्मल पावर से निकलने वाले कोयले के धुएँ एवं कणों द्वारा कोटा शहर में बिगड़ते पर्यावरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन मोहन (खैरथल) :

(27) पर्यावरण को ठीक करने के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में जगह-जगह पर पेड़ लगाकर पार्क अथवा बगीचे विकसित करने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(28) अलवर जिले में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का सर्वे कराया जाकर पर्यावरण सुधार के आवश्यक रूप से उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(29) भिवाणा (अलवर) स्थित श्रीराम फाइबर्स में गत 5 वर्षों में 10 बार क्लोरीन

(श्री मदनमोहन)

गैस का रिसाव होने से पर्यावरण पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

(30) अलवर तिजारा रोड़ पर रेल्वे फाटक के उत्तर की ओर लगे पत्थर पीसने के कारखाने से हो रहे प्रदूषण से वहाँ पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे कुप्रभाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(31) भिवाड़ी में उद्योगों द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने से पैदा होने वाले हवा व पानी के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

(32) प्रदेश में उद्योगों से प्रकृति पर हो रहे प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(33) पर्यावरण सुधार के लिये प्रभावी कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) :

(34) भीलवाड़ा नगर में स्थित पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से नगर में लगने वाले उद्योगों से पर्यावरण में फैलते प्रदूषण की उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(35) भीलवाड़ा नगर में प्रोसेस हाउस से निकलने वाले गन्दे पानी के परिणामस्वरूप फैल रहे प्रदूषण से मानव जीवन और जानवरों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

(36) उदयपुर जिला मुख्यालय एवं उदयपुर संभाग मार्बल उद्योगों/सोप स्टोन उद्योगों व प्रेस्टोसाइड इन्डिया प्रा. लि. से फैल रहे प्रदूषण से बिगड़ते पर्यावरण को रोकने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

(37) बून्दी जैत सागर तालाब के कैचमेन्ट एरिया में निजी होटल के लिए सरकार द्वारा संरक्षित वन भूमि को अनारक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर सामाजिक पर्यावरण की शुद्धता को खत्म करने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(38) जिला मुख्यालय बून्दी में पर्यावरण सुधार हेतु नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

(39) पर्यावरण को मध्य नजर रखते हुए बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लान्ट शीघ्र लगाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

(40) केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल से हो रहे प्रदूषण को रोकने एवं जनता को राहत दिलाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(41) कोटा नगर के उद्योगों द्वारा चम्बल नदी में बहाये जा रहे दूषित पानी से चम्बल के प्रदूषित पानी से केशवरायपाटन तक की जनता के स्वास्थ्य पर हो रहे कुप्रभाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(42) पर्यावरण में शुद्धता बनाये रखने के लिए समय-समय पर जनता को भागीदारी हेतु विभाग द्वारा विचार गोष्ठियां आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(43) लाखेरी ए.सी.सी. कम्पनी में प्रदूषण अवरोधक संयंत्र लगाये जाने के बाद भी कभी-कभी न चलाये जाने पर जनता के स्वास्थ्य पर हो रहे कुप्रभाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(44) चम्बल नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने एवं भविष्य में कोटा के उद्योगों को पाबन्द करने

158

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं):

(45) राज्य में बढ़ते हुए दूषित पर्यावरण में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं):

(46) निर्माणाधीन विधान सभा भवन के अहाते में व आसपास दुर्गन्धपूर्ण पर्यावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(47) प्रदेश में अधिक धुआं उगलने वाले वाहनों से फैल रहे प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(48) राजस्थान की सभी सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाकर पर्यावरण में सुधार करने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

(49) जयपुर नगर के कचरे को उठाकर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगाने से नगर में फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(50) जल महल क्षेत्र व ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के माध्यम से पर्यावरण के बिगड़ जाने व दुर्गन्ध के द्वारा जीवन दूभर किये जाने से उत्पन्न स्थिति से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

(51) ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण को रोकने में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

(52) लोरिया, सापेटिया तथा भूवाणा में उद्योग लगाने के बाद पीने के पानी में फैल रहे जल प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(53) उदयपुर के प्रतापनगर, रविन्द्र नगर, पुराने स्टेशन, गणेशनगर आदि में लगे हुए उद्योगों से फैल रहे प्रदूषण से वहां रहने वाले व्यक्तियों का जीवन खतरे में पड़ जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(54) जयसमंद, पिछौला और फतेहसागर झीलों में फैल रहे प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(55) उदयपुर को आयड़ नदी द्वारा उदयसागर झील में नगर तथा औद्योगिक क्षेत्र मादडी तथा सुखेर के गन्दे तथा तेजाब युक्त पानी के कारण फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(56) उदयपुर से झाड़ोल मार्ग पर नाई के पास उद्योग के लिए जमीन एलॉटमेन्ट होने से वहां प्रदूषण फैलने की सम्भावना पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

(57) ध्वनि से हो रहे प्रदूषण का सही आकलन व उसे नहीं रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(58) प्रदेश में सीमेन्ट उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण संयंत्र न लगाने व जहाँ संयंत्र लगे वहां उनका उपयोग न करने से फैल रहे प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(59) वायु प्रदूषण खास तौर पर वाहन द्वारा निष्काषित प्रदूषित वायु को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(60) कोटा, पाली, जोधपुर, बाड़मेर एवं जयपुर में प्रदूषित जल का प्रदूषण रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

(61) पर्यावरण विभाग में अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब व रिश्वतखोरी रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

मांग संख्या 9, 11 एवं 41, पर विचार

श्री शीशराम ओला (झुंझनूं) : अध्यक्ष महोदय, आज 1995-96 के बजट पर मांग संख्या 9, मांग संख्या 11 और मांग संख्या 41 पर चर्चा हो रही है इस सदन में, उन पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) थोड़ा-थोड़ा सब का ही रहा हूँ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पी.एचईडी. के भी रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : हाँ, सबका ही रहा हूं थोड़ा-थोड़ा। आपकी कृपा रही जितने दिन तो था। आपकी कृपा रही नहीं, तो अब कौन बनाये मुझे मंत्री। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय पंचायती राज मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बड़े लम्बे-लम्बे भाषण दिये और बड़ी तारीफ की, वाहवाही लूटी। दो बार भारतीय जनता पार्टी का मिला-जुला शासन इस राज्य में रहा है। 1977-80 तक, 1990 से 1992-93 तक और फिर तीसरी बार राज कर रहे हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में कभी पंचायत संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाये (व्यवधान)

अलबत्ता, आप जरा सुनने की क्षमता रखिये मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मैं भी छह फीट का हूं, सुन लें मेहरबानी करके। मैं गलत बोलू, इर्रेलेवेंट बोलू तो मुझे कह देना कि इर्रेलेवेंट बोल रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि 1977 में चुनाव करवाये और वह चुनाव पंचायतों के कराकर वहीं छोड़ दिये, डर गये कि प्रधान और प्रमुख नहीं आयेंगे और फिर कांग्रेस सरकार 1980 में आयी। 1981 में चुनाव सम्पूर्ण पंचायत राज के करवाये गये। आज चुनाव तो करवाये लेकिन इन चुनावों में उलटी गिनती शुरू करी, पहले जिला परिषद् के, फिर पंचायत समिति के और फिर पंचायतों के। परम्परा यह रही है कि पहले पंचायत के चुनाव हों, फिर पंचायत समिति के हों और फिर जिला परिषद के हों। लेकिन यह उलटी गिनती इसलिए शुरू की गयी कि सारे ढांचे को, जो पंचायत राज ढांचा राजस्थान का था उसे बिलकुल तोड़-मरोड़ कर रख दिया गया है और पंचायत राज की धज्जियां उड़ा कर रख दी गयीं। कहते तो यह हैं कि हमने 33 प्रतिशत महिलाओं को पंचायत राज में हिस्सेदारी दी, हमने पिछड़े वर्ग और हरिजनों को, अनपढ़ तक को सरपंच बना दिया, प्रधान बना दिया, प्रमुख बना दिया। यह बी.जे.पी. ने नहीं बनाये, यह राजीव गांधी की सोच थी, कांग्रेस ने बनाये हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार है वहां यह व्यवस्था किसने लागू की, मध्य-प्रदेश में किसने की, यू.पी. में किसने की, महाराष्ट्र में किसने की, गुजरात में किसने की, आंध्रप्रदेश में किसने की? समूचे राष्ट्र में पंचायत संस्थाओं की एक प्रकार की व्यवस्था हो, एक प्रकार की प्रणाली हो, इसके तहत सेन्टर ने यह व्यवस्था की, एक्ट पास किया, उसके तहत यहाँ भी यह सब व्यवस्थाएं लागू हुईं और उन व्यवस्थाओं के तहत आपने चुनाव उलटी गिनती से शुरू करवाये।

राजस्थान वह राज्य था जिसने पूरे राष्ट्र की अगुवाई की, लीडरशिप दी और स्वर्गीय श्री मोहन लालजी सुखाड़िया ने 1959 की 2 अक्टूबर को सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा कर नागौर में पंचायती राज सम्मेलन किया जिसमें हमारे राष्ट्र के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लालजी नेहरू पधारे और उद्घाटन किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में सबसे पहले, गंगारामजी साहब, आप उत्सुकता से इस शब्द को सुनना चाहते हैं, यह भी मौजूद थे, उस वक्त नागौर में पण्डितजी ने अपने

158

(श्री शीशराम ओला)

भाषण में प्रथम शब्द यह कहे थे कि सुखाड़ियाजी, आपने राष्ट्र की अगवानी की है, राजस्थान में पंचायत राज शुरू करके राष्ट्र को लीडरशिप दी है लेकिन मुझे डर इस बात का है, यदि कहीं यह पंचायती राज फेल हो तो आपकी और हमारी बड़ी बदनामी होगी। यह पंचायती राज इतने व्यवस्थित ढंग से चला कि दूसरे प्रांतों के पदाधिकारी और सरकारी अधिकारी समय-समय पर अध्ययन के लिये राजस्थान आते थे और पंचायत प्रणाली की व्यवस्था को देख कर यहाँ से कुछ लेकर जाते थे। ऐसी पंचायत राज की व्यवस्था थी जिसको आज इस बी.जे.पी. सरकार ने तोड़-मरोड़ कर रख दिया है, सम्पूर्ण रूप से एक प्रकार से नष्ट कर दिया है। आज आपने प्रधान, प्रमुख के चुनाव करवाये लेकिन आपकी मंशा नहीं थी, मंत्री महोदय। मंत्री तो नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहां गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अस्वस्थ हैं वह।

श्री शीशराम ओला : बीमार हैं तो कौन देख रहा है इसको?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अनंग कुमारजी, आपके बिलकुल सामने हैं।

श्री शीशराम ओला : आप देख रहे हैं? खुशी की बात है, मेरे सामने ही विराज रह हैं, अच्छी बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शीशरामजी, आप तो पदमश्री हैं, पता नहीं इन सब को कि आपको पदमश्री प्राप्त है, तो आप उसी हिसाब से बोलें।

श्री शीशराम ओला : मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, गलत कहूँ तो आपको अधिकार है कहने का, मुझे कह देना कि यह मत बोलें। तो मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि आप चुनाव नहीं करवाना चाहते थे, हमको आंदोलन करना पड़ा और हमारे एक माननीय सदस्य और फिर तीन-चार मिलकर हाई कोर्ट में गये, हाई कोर्ट ने आपको आदेश दिये, उसके तहत आपने चुनाव करवाये। लेकिन केवल चुनाव करा दिये, जो अधिकार सैंटर से मिले हैं और जो अधिकार आपने अपने पंचायत राज अधिनियम में लागू किये हैं वे अभी लागू नहीं किये गये हैं, केवल चुनाव-चुनाव करवाये हैं। प्रमुखों को अधिकार नहीं दिये, प्रधानों को कोई अधिकार नहीं दिये, अब नये विधान के तहत, नये एक्ट के तहत, नयी व्यवस्था के तहत वे क्या करें? उनके पास कोई अधिकार नहीं है और पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गयी हैं। आप यह स्थिति कब तक रखेंगे? कृपया इस बात को आप अपने वक्तव्य में स्पष्ट करें कि आप पंचायती राज संस्थाओं को, अव्वल तो जब आपने कानून बनाया है उसमें प्रावधान ही बहुत कुछ अलग ढंग के तोड़-मरोड़ कर बनाये हैं और जो सैकण्डरी तक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को देने की व्यवस्था अन्य राज्यों में है, वह आपने केवल मिडल तक रखी है, लेकिन जो भी आपने विधान पास कर लिया, जो भी आपने व्यवस्था लागू करने की सोची, उसे कब तक लागू कर देंगे? कृपया स्पष्ट बताने की कृपा करें। यही नहीं, आप पंचायती राज के साथ जो मखौल कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो पंचायत राज के माध्यम से विकास के कार्य होने चाहिये वह अभी तक सरकारी मशीनरी पर डिपेंड कर रहे हैं, उन से ही करवा रहे हैं, फिर चुनाव करवाने का औचित्य क्या है और किसलिए यह प्रणाली लागू कर रहे हैं? इससे अच्छा होता कि आप पंचायतों के चुनाव नहीं करवाते और जो ग्राम

(16.28)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

(श्री शीशराम ओला)

सेवकों को और सरकारी अधिकारियों को खुली छूट दे रखी थी कि ग्रामीण विकास न हो अपने मनमाने ढंग से, अपनी व्यवस्था से, अपनी मनमर्जी से कार्य करें, वे करने देते, आपको किस ने बाध्य किया था? और यदि आपने चुनाव करवाये हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से उन प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए पंचायत राज संस्थाओं को जो अधिकार देने हैं, वह तत्परता से तत्काल बगैर किसी देखरेख के, बगैर किसी डिले के, सम्पूर्ण उनको देने की घोषणा आज अपने बजट के भाषण में करने की कृपा करें ताकि पंचायत राज संस्थाएं ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सकें। यह मुझे पंचायत राज के बारे में निवेदन करना था। मैं इससे और ज्यादा आपको कुछ नहीं कहूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप यह बताइये कि अधिकार क्या-क्या मिलने चाहिये।

श्री शीशराम ओला : अधिकार मिले हैं वह आपके एक्ट में हैं। जो भी अधिकार उसमें हैं, न तो आप दे सकते हैं, न मैं दे सकता हूँ, जो भी अधिकार आपने हमसे यहाँ पास करवाये हैं, वे अधिकार।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके और क्या सुझाव हो सकते हैं इस बारे में, वह भी बोल जाओ।

श्री शीशराम ओला : मैं बोल रहा हूं। क्या चिंता हो रही है? मैं इस पर छह घंटे बोल सकता हूं।

श्रीमती कमला : सुझाव तो बहुत हैं, यदि आप पूरी असेम्बली का समय दें तो दे देंगे।

श्री शीशराम ओला : आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं तो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से बोल रहा हूं, मैं इर्रेलेवेंट नहीं बोलना चाहता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप रेलेवेंट ही बोल रहे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप।

श्री सभापति : कृपया आप कंटीन्यू रखें।

श्री शीशराम ओला : आपको अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।

श्री रामपाल उपाध्याय : तिवाड़ीजी बहुत गम्भीर हो गये हैं, यह हमने सुना था लेकिन यह गम्भीरता तो नहीं है।

श्री शीशराम ओला : माननीय सभापतिजी, मैं मांग संख्या 9 के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा। फोरेस्ट एक ऐसा विभाग है जिसका पर्यावरण के ऊपर, वर्षा के ऊपर, वातावरण पर और इन्सान की जिन्दगी पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि फोरेस्ट बढ़ने के बजाय घट रहा है, दरख्त कट रहे हैं, वन भूमि को दबाया जा रहा है, अनधिकृत रूप से उस पर खेती हो रही है, अनधिकृत रूप से उस पर खनन हो रहा है, अनधिकृत रूप से उस पर होटल बन गये हैं, अनधिकृत रूप से उसके सारे वृक्ष काट लिये गये हैं।

झालाना आपके करीब है, जयपुर के पास है। झालाना में विश्व उद्यान इन्दिरा जी के नाम पर स्थापित किया गया था। उस पर जितने सारे राष्ट्र हैं उनकी एम्बेसीज से सम्पर्क करके उनके राष्ट्र में जिस दरख्त को मान्यता है, जैसे अपने यहां पीपल को मान्यता है या कहीं नीम को है, उसी प्रकार से सारे राष्ट्रों से उनके यहां जिस दरख्त को मान्यता है, वैसे दरख्त इस विश्व उद्यान में लगाये गये थे और इसीलिए इसका नाम भी विश्व उद्यान रखा गया था ताकि इस जयपुर की सुन्दर नगरी में कोई विदेशी आये, बहुत सारे आते

160

(श्री शीशराम ओला)

हैं, वे भी उसको देखें और आकर्षित हो सकें और उसका लाभ ले सकें लेकिन दुर्भाग्य से वह भी प्रायः नष्ट होने को गया। यही नहीं, इसके साथ 4-5 एकड़ भूमि में आयुर्वेदिक दवाएं उत्पन्न करने वाली जड़ी-बूटियों का विस्तार किया गया था, उनका बीजारोपण किया गया था, उन्हें भी लगाकर इस प्रकार की व्यवस्था की गयी थी कि आयुर्वेद को भी इससे एक लाभ मिलेगा और वे जड़ी-बूटियां जो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं इस उद्यान के जरिए उपलब्ध हो सकेंगी। वे सारी योजनाएं प्रायः समाप्त हो गयीं। जितने सारे पेड़ हमारे कटते हैं उसके एक गुणा पेड़ भी वापस लग नहीं पाते और यदि लगते हैं तो उन पेड़ों का, उन पौधों का जो छोटी अवस्था में होते हैं, रख-रखाव नहीं होता। उन्हें पानी नहीं दिया जाता, उनकी सम्भाल नहीं होती, उन्हें ऊंट, बकरी आदि एक मिनट में नष्ट कर देते हैं। स्थिति यह है कि वन कट गये, सूख गये, उखड़ गये, वन भूमि दब रही है, अनधिकृत काश्त हो रही है, इण्डस्ट्रीज बैठ गयीं, होटल बन गये उसमें बहुत सारा खनन हो रहा है। एक खनन जहां होता है वहां कितने दरख्त कटते हैं? उस क्षेत्र में सारा वन नष्ट हो जाता है। जयपुर के पास पहाड़ियों के चोगड़दे एक हंसली के रूप में जयपुर को पोये हुए हैं। जैसी जयपुर की सुनहरी हंसली पहाड़ियों की है लेकिन वहाँ पर भी खनन कार्य हो रहा है और उससे सारे दरख्त नष्ट हो रहे हैं, जयपुर की ब्यूटी नष्ट हो रही है, जयपुर की परम्पराओं को नुकसान पहुंच रहा है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को, कोई बात नहीं, सामने बैठे हैं, मंत्री ही हैं, हमारे पास राजस्थान के पास दो अभयारण्य राष्ट्रव्यापी कह दें तो भी अनुचित नहीं होगा और विश्वव्यापी कह दें तब भी अनुचित नहीं होगा। उनकी विशेषताएं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मेरे लिए बजायी है? नहीं, काट लेना टाइम जिनका काटना चाहें, मैं बोलूंगा। बजाने की बात नहीं है मैं मेरी बात कहते ही बैठ जाउंगा।

तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वहाँ पर अनधिकृत होटल ढाबे खुल गये हैं और सरिस्का की स्थिति यह बन गयी है कि सारी दिल्ली की जेंट्री और बहुत सारे विदेशी जो जयपुर आते हैं सरिस्का जाते हैं। जो सरिस्का जाते हैं वे रणथम्भौर भी जाते हैं। तो सरिस्का और रणथम्भौर की जो स्थिति है वह बहुत गम्भीर और भयानक बन गयी है। रणथम्भौर में बहुत सारे होटल बन गये और वह जो होटलों में ठहरते हैं वे वहाँ पर शेर, बघेरे आदि जो वन्य जीव रहते हैं उन्हें भयभीत करते हैं और उनकी आजादी में दखल डालते हैं। राज्य सरकार ने कोई नया अभियान तो नहीं शुरू किया पर जो अभियान मौजूद थे, अच्छे थे, उन्हें भी बर्बादी से नहीं बचा पा रही है। यह बहुत ही एक अफसोस की बात है सरकार के लिए और हम सब के लिये। सरकार और वन विभाग इसके लिये सक्षम नहीं हैं कि उन प्राणी धरोहरों को यथावत् रख सकें। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में यह निवेदन है कि इस प्रकार से जहां वन विभाग को नुकसान हो रहा है उसके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था करें।

हरी लकड़ियां वन विभाग की ही नहीं, पूरे राजस्थान के समीपवर्ती जिलों से कटकर जो दिल्ली में जाती हैं ट्रक भर-भर कर, उसमें वन विभाग के अधिकारी खुले-आम पैसे लेकर दिल्ली जाने के लिये उन लकड़ियों की स्वीकृति

(श्री शीशराम ओला)

देते हैं। हजारों ट्रक जाते हैं इसके लिए कानून बना हुआ है, किन्तु उसकी पालना नहीं की जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जो कानून है उसका सख्ती से पालन किया जाय और हमारे प्रान्त की हरी लकड़ियां न काटने दी जायं। यदि लकड़िया काटी जाएंगी तो आपके वन कट रहे हैं, खेतों में कुछ लकड़ियां थीं उससे डेजर्ट रुका हुआ था, बारिश भी थोड़ी आकर्षित होती थी वह सब डेजर्ट हो जाएगा और कोई खेती की पैदावार नहीं होगी, बारिश बिलकुल नहीं आएगी और राजस्थान सूख जाएगा।

इसी अवस्था के तहत एक योजना दी गयी थी और जापान से वह योजना स्वीकार होकर आयी। मुझे एक्जेक्ट आंकड़े याद नहीं हैं लेकिन शायद साढ़े चार सौ करोड़ रुपये की योजना स्वीकार हुई। अरावली पहाड़ियों को सूखे से पुनः हरा-भरा करने के लिये और दिल्ली से माउण्ट आबू तक जो भी अरावली बैल्ट है, उसको हरा-भरा करने के लिये एक स्कीम राजीव जी ने बनायी थी उस स्कीम के तहत सर्वाधिक पैसा साढ़े चार सौ करोड़ राजस्थान को मिला लेकिन बजाय विकास के...

श्री टीकम चन्द कांत : पांच सौ करोड़ थी।

श्री शीशराम ओला : हां, जो भी होगी मुझे याद नहीं। मैंने कह दिया, पांच सौ होंगे, छह सौ होंगे। यह तो बढ़ते रहते हैं साल-साल में। बात कर रहा हूँ 1986 की, भाई। तो मैं आपके माध्यम से यह निवदेन करना चाहूंगा, मैं समझता हूँ कि जो बात कह रहा हूँ उसमें विपक्ष के सारे सदस्य तो हैं ही मेरे साथ लेकिन आप भी मेहरबानी से सहयोग करेंगे, राष्ट्र की समस्या को सुलझाने की बात है, प्रान्त के विकास की बात है इसलिए मैं कोई विषय से हटकर नहीं बोल रहा हूँ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब आप मंत्री थे तो आपने क्या किया?

श्री शीशराम ओला : मैंने जो किया, उसका लेखा-जोखा यहाँ मत लो। मेरा लेखा-जोखा, माननीय, मैं आपको दे दूंगा कि मैंने क्या किया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेखा-जोखा नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि तब भी हम आपको पूरा सहयोग करते थे।

श्री शीशराम ओला : वह तो जमीन बता रही है, जमीन जाकर देखिये। देखिये आप, भूमि को जाकर देखो वह बता देगी मैंने क्या किया। मैंने तो नारनोल से, डोसी से बाड़मेर और जालौर तक हरा-भरा कर दिया था जिसकी देखिये आज क्या हालत है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जाइये तो सही आप।

श्री शीशराम ओला : खैर, यह बात बाद की है, यह छोड़ दीजिये उसको, क्या है?(व्यवधान)आप सुनिये बात, पहले मैं कह दूं फिर बोलिये आप। आपका विषय नहीं है। आपका विषय तो चौकीदारी करना है सरकार और एम.एल.ए. के बीच में बस, आपका ज्यादा नहीं है। मैं आपके अधिकार को भी जानता हूँ और मेरे को भी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह चौकीदारी ही कर रहा हूँ मैं।

श्री शीशराम ओला : आप सदन का टाइम क्यों ले रहे हैं? क्या फायदा है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्री उपाध्याय जी और मैं दोनों गये थे वहाँ, आपका सारा वह देखने के लिये।

श्री शीशराम ओला : मैं यह निवेदन कर

(श्री शीशराम ओला)

रहा था, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जो अरावली हिल्स के लिये, अरावली बैल्ट के लिये, उसकी ग्रीनरी के लिये जो पैसा आया है उसको हरा-भरा करने के नाम पैसे का सही सदुपयोग हो और वह स्कीम, वह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो ताकि राजस्थान की अरावली श्रृंखला हरी-भरी हो, इस राजस्थान के वृक्ष कुछ हरे नजर आएं, बादलों को आकर्षित करें, पानी बरसे, डेजर्ट रुके। हमारे पास एक पर्वत स्टेशन आबू है। माउण्ट आबू को, मेरे ख्याल से आप कभी स्वयं पधारेंगे, आप सभी लोग जाते होंगे, तो देखेंगे कि वहां क्या स्थिति बन गयी है। वहाँ पर अनधिकृत कब्जे हो गये। वहां पर दुनिया भर के होटल हो गये, वहां पर सारे वृक्ष कट गये और आज तक भी वही स्थिति है। एक के बाद एक होटल, गुजरात से आकर बम्बई से आकर बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े पैसे वाले वहां पर होटल लगा रहे हैं और वहां की परम्पराओं को नष्ट कर रहे हैं, वन सम्पदाओं को नष्ट कर रहे हैं। यह स्थिति आबू की है।

हमारे झुंझुनूं जिले का एक गांव है, अंतिम गांव, डोसी। डोसी का एक पहाड़ है, वह पहाड़ हरियाणा और राजस्थान की सीमा को बीच से फांदता है। इधर हरियाणा के गांव आते हैं उधर राजस्थान के लगते हैं। वहां चिमन ऋषि ने कभी तपस्या की थी। वह बड़ा सुन्दर पहाड़ है। उसको हरा-भरा करने के लिये जापान से जो पैसा अरावली स्कीम के तहत मिला है, वह तो हरा-भरा हो रहा है और बड़ी तत्परता से उसके विकास का कार्य हो रहा है पर आधे हिस्से पर तो कार्य हो रहा है और आधा हिस्सा नग्न पड़ा है, सूना पड़ा है, सूखा पड़ा है। उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम हर चीज में, हर कार्य में, हर विकास के कार्य में, हमारे पड़ौसी राज्यों से पीछे रहे हैं। यह हम सबके लिये एक अच्छा विषय नहीं है, चिन्ता का विषय है। तो मैं चाहूंगा कि अरावली की जो स्कीम आयी हैं, उस स्कीम को तत्परता से लागू किया जाय और जो पैसा जिस कार्य के लिये आया है इसी कार्य को पूरा किया जाना चाहिए ताकि वन सम्पदाएं हम बढ़ा नहीं सकें तो जो हमको धरोहर में मिली, उसको तो कायम रख सकें।

हमारे छोटे-छोटे, झुंझुनूं का एक बीहड़ है, वह भी तोड़ दिया लोगों ने। उस पर बस गये, काश्त हो रही है, कुएं बन गये। लक्ष्मणगढ़ की तरह ऐसा ही हो रहा है। यह तो हम रात-दिन फिरते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। सारे राजस्थान को आप देखेंगे तो, मेरे ख्याल से जब राजस्थान बना था उस वक्त हम जो वन भूमि-इस राजस्थान को राजाओं से मिली थी वह आज यथावत नहीं है। उसमें कटौती हुई है, कम हुई है। यह अच्छी बात नहीं है। यह सुखद बात नहीं है कि इस प्रान्त के गठन के वक्त जो वन सम्पदाएं हमको धरोहर में मिलीं उसको भी हम नष्ट कर दें तो हम अच्छे नहीं कहलाएंगे। जो बेटा-पोता अपने बाप-दादा की सम्पदाओं को नष्ट करता है उसको उलहाना ही मिलता है। उसको समाज में अच्छा नहीं कहते और वह अच्छा कहलाने का हकदार भी नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी सरकार हो वह इस प्रकार का कार्य करती है तो वह अच्छी कहलाने की हकदार नहीं है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस पर तत्परता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शीशराम ओला : अभी तो, श्रीमन्जी, एक मांग पर और बोलूंगा। आपको क्या तकलीफ हो रही है। मेरी पार्टी का टाइम है।

(श्री शीशराम ओला)

मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ। मैं कोई अनर्गल (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी पार्टी की तरफ से 17 नाम हैं।

श्री शीशराम ओला : मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : क्या बात हो गयी ?

श्री शीशराम ओला : मैं पहला बोल रहा हूँ। मैं कुछ बात कह रहा हूँ। मेरा कुछ अनुभव है। मैं कोई अनर्गल बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारे भी यही बोलेंगे, मेरे सामने बिराजमान हैं वे भी। कोई इसके खिलाफ नहीं बोलेगा। ऐसी बात कह रहा हूँ मैं तो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि इसको मार दो, इसने रुपये खा लिये, इसने यह कर लिया। मैं तो मेरी बात कह रहा हूँ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : अच्छे सुझाव हैं आपके, बोलिये।

श्री शीशराम ओला : मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान) । वन मंत्रीजी बैठे हैं मेरे सामने। मसला खत्म हुआ। मैं आपको यह निवदेन करना चाहूंगा मंत्री जी कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं। आप इसकी गम्भीरता को देखते हुए और इस संवेदनशील विभाग को थोड़ी सी अधिक रुचि लेकर सम्भालेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका लाभ मिलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है।

पर्यावरण के सम्बन्ध में, मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। पर्यावरण के बारे में 1975 में स्टाकहोम में एक वर्ल्ड कांफ्रेंस हुई थी। उसमें हमारी स्वर्गीय नेता प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पधारी थीं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस वक्त अपने भाषण में कहा था कि पर्यावरण समस्या एक गम्भीर रूप लेकर विश्व के सामने आ रही है। जो समृद्धशाली राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उन्हें चाहिये कि वे विकासशील राष्ट्रों को सहयोग दें, आर्थिक ढंग से उनको लाभ दें ताकि पर्यावरण पर नियंत्रण किया जा सके। बहुत समय नहीं निकला, 20 वर्ष हुए हैं 1975 से 1995, लेकिन पर्यावरण समस्या ने एक गम्भीर रूप धारण कर लिया है और उसमें हमारा राष्ट्र, मेरे ख्याल से पीछे नहीं है अगवानी में, उससे ग्रस्त है, प्रदूषण ने यहाँ पर इतना काबू कर लिया है कि हम उससे छुटकारा पाना तो दूर रहा, हर वक्त ग्रसित होते जा रहे हैं, आये साल। आपके पाली, बालोतरा, कोटा, खेतड़ी और भिवाड़ी में इस कदर प्रदूषण छा गया है, वहाँ तो लूणी नदी का सारा पानी खराब हो गया है। पाली में पानी पी नहीं सकते, पीने योग्य है नहीं। बालोतरा की स्थिति यह है कि सारे दक्षिणी भारत का कपड़ा वहाँ से रंग कर जाता है। पर्यावरण की वहाँ गम्भीर समस्या है। आप पूछियेगा नहीं, आपको समय मिले तो एक बार वहाँ स्वयं, बगैर किसी सूचना के कभी आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि क्या स्थिति है। यही स्थिति खेतड़ी की है। खेतड़ी में इतने किस्म की नयी नयी बीमारियां आ गयी हैं कि डाक्टर के पास जाते हैं तो डाक्टर उनका उपचार क्या करे; नाम ही बीमारियों का नहीं जानता और इससे कंसल्ट करता है, उससे करता है। कई अंधे हो गये, कई कुबड़े हो गये, कई दमे के बीमार हो गये। पता नहीं, क्या-क्या, नयी-नयी बीमारियां वहाँ पर उत्पन्न हो गयीं। पानी पीने योग्य नहीं, खेती मूंग की फली लगने से रह गयी, ग्वार के फली नहीं आती, बाजरा वगैरह के सिट्टे नहीं पकते और गंदा पानी सारी जमीन में इतना फैल गया है कि वहाँ रहना दूभर हो गया है। वहाँ आदमी जिंदा नहीं रह सकता।

यह भी ठीक है कि कारखाने भी आने चाहिये राष्ट्र और प्रान्त की उन्नति के लिये लोगों को इससे रोजगार भी मिले लेकिन ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट जब तक नहीं लगेंगे,

164

(श्री शीशराम ओला)

सुव्यवस्थित तरीके से इन सभी औद्योगिक बस्तियों में, चाहे वह कोटा है, पाली है, जोधपुर है, जयपुर है, खेतड़ी है, भिवाड़ी है, अजमेर है, जहाँ भी ऐसी स्थिति पर्यावरण की है, वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगने ही चाहिये। आप एन.ओ.सी. देने से पहले मेहरबानी करके, इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाएं कि मैं एन.ओ.सी. दे रहा हूँ, यह सही मायने में एन.ओ.सी. देने के योग्य कारखाना है कि नहीं है। हो सकता है कि आप पर दबाव आए कि कारखाना वहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। इण्डस्ट्रियलिस्ट तो अपनी बात कहेगा कि साहब आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं महाराष्ट्र चला जाऊंगा। मैं तो हरियाणा जा रहा हूँ। हमें उसके दबाव में नहीं है। हमको वस्तु-स्थिति देखनी है। मैं आपको बताऊं कि 12 सौ करोड़ रुपये का खाद का कारखाना जो बिड़लाजी ने कोटा में लगाया, वह यहाँ सवाई माधोपुर के पास लग रहा था और राजमाता गायत्री देवी, ने एक चिट्ठी लिखी राजीव गांधीजी को कि इससे रणथम्भौर अभयारण्य को नुकसान होगा, वहाँ जानवर रह नहीं पाएंगे, घुटन में आकर मर जाएंगे तो उनकी कोशिशों के बावजूद वह कारखाना यहाँ नहीं लग सका। करोड़ों रुपये की जमीन खरीद ली थी, वहाँ लगाने के लिए उस पर कुछ खर्च कर दिया था हम भी चाहते थे कि वह लगे, नहीं लग सका और कोटा गया। यह कारण एक एन.ओ.सी. का था।

मैं एक निवेदन आपसे यह करूंगा कि एन.ओ.सी. बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कोई भी उद्योगपति आपके पास एन.ओ.सी. के लिये आता है तो आप एन.ओ.सी. देने से पहले सम्पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं कि एन.ओ.सी. देने योग्य है अथवा नहीं। आपकी मोटर व्हीकल पर भी कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। यह माना कि दिल्ली में भी नहीं है, अभी बम्बई में भी नहीं है लेकिन पुरानी दिल्ली में, अगर आप नयी दिल्ली जाते हैं वहाँ इतने ज्यादा वृक्ष हैं, सारे खुले मकान हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली में आप एक भी दिन नहीं रुक सकते यह स्थिति है। बम्बई में बहुत बुरी स्थिति है, कलकत्ता में उससे भी बुरी स्थिति है उससे हम भी अछूते नहीं रहेंगे। वहाँ तो पानी भी है, वृक्ष भी बहुत हैं, हम तो सूखे इलाके के लोग हैं और हमारा डेजर्ट प्रान्त है, यहाँ पर यह पर्यावरण बहुत जबरदस्त फैल जाएगा तो हम आर्थिक दृष्टि से उनके बराबर सक्षम भी नहीं हैं, हम बुरी तरह से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिये यह मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रदूषण पर भी काबू पाएँ और इसको व्यवस्थित करने के लिये समुचित समय देकर समय-समय पर इस पर आप ध्यान दें ताकि प्रदूषण की समस्या भी हल हो सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आज की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि आज की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

आज की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 9, 11 एवं 41 पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, यह धरती हमें इतना देती है, जीवन देती है और जीवन को जीवित रखने के लिये सब कुछ उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से जो हमें सब कुछ देती है और हम उसके सारे पर्यावरण को अशुद्ध कर देते हैं तो इस पर्यावरण की शुद्धि के लिये, निवारण के लिये नियमों का होना ही काफी नहीं है। व्यवहार का होना भी काफी है, जरूरी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि पर्यावरण संतुलन के लिये विभागीय स्तर पर कार्यों का सही मूल्यांकन करके देखें कि विभाग में कितनी गतिशीलता है और किस प्रकार से वायु, जल और ध्वनि की शुद्धता के लिये क्या-क्या कार्य जो उचित हैं, क्या किये जा रहे हैं अथवा नहीं किये जा रहे हैं, उसको देखने की बहुत जरूरत है।

जल की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है। हमारे यहाँ अभी पिछले दिनों से जब पानी की कमी होने लगी तो हैण्डपम्प की व्यवस्था की गयी। हैण्डपम्प से पानी आता है, मेरा यह मानना है कि उसमें जांच करवा कर ही पीने के पानी को काम में लिया जाना चाहिए और यह नहीं कि वह पानी शुद्ध ही होगा, उसमें क्या-क्या कमियां हैं, क्या-क्या ठीक है इस सारे को देख कर ही पेयजल में उसको उपयोग में लेना चाहिए। जहाँ हम हैण्डपम्प लगाते हैं वहीं नहाना-धोना और सारा कुछ करने से आस-पास का गन्दा पानी जाने से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, इन सारी चीजों की एहतियात बहुत जरूरी है। हम अगर केवल स्लोगन दें, उससे कोई व्यवस्था होने वाली नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हवा की शुद्धि के लिये भी हमें कई कदम उठाने की आवश्यकता है। जहाँ-जहाँ हमारे उद्योग हैं, वहाँ-वहाँ हम देखें, आस-पास में उन उद्योगों के अवशिष्ट से स्थिति बहुत खराब है। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य गंगानगर की गली नालियों के बारे में बोल रहे थे लेकिन इनको ध्यान नहीं था कि गंगानगर शुगर मिल से जो अवशिष्ट निकलता है उसके आस-पास की बस्तियों में कितनी हालत खराब है तो इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहूंगी कि स्थिति बहुत खराब है। श्वांस लेने में भी अगर कठिनाई हो, तो बहुत मुश्किल काम है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उद्योगों में उनकी क्षमता के अनुसार ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगने चाहिये जिससे वहाँ पर स्थिति सामान्य हो सके और यह भी तय किया जाना चाहिये कि समस्त उद्योगों को ट्रीटमेंट प्लाण्ट की जरूरत है। कहीं हम देखते हैं कि इतनी शक्ति के ऊपर के ही उद्योगों में ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगेगा छोटे-मोटों में नहीं, तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अब पाली को देख लीजिये, हमारे सांगानेर को देख लीजिये और कई जगह देख लीजिये कि जो भूमि का जल है, वह भी वहाँ की रंगाई-छपाई के कारखानों के कारण से सारा कुछ खराब हो रहा है, हो भी चुका है। इन सबको सुधारा जाना बहुत आवश्यक है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर में किसी जमाने में गटर लाइन में पाइप लाइन डाल दी गयी। यह सिटी-वाल के अन्दर का इलाका है, यहाँ पर यह व्यवस्था है और चालीस साल-पचास साल पुरानी पाइप लाइनों में छेद हो गये हैं। जब सुबह और शाम पानी वितरण का समय होता है, उस समय पहले खाली नलों में हवा भर जाती है और जब नल आते हैं तो गन्दा पानी उनमें चला जाता है। पहले पेयजल में गन्दा पानी आता है और उसके बाद में शुद्ध पानी आना शुरू

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

होता है। उन पाइप लाइनों को योजनाबद्ध तरीके से, मंत्री महोदय सुन रहे हैं, सभी का मिला-जुला कार्य है, तो योजनाबद्ध तरीके से उन सबको बदलना चाहिये जिससे शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके और उन पाइप-लाइनों को बाहर निकाल देना चाहिये। अब जो बाहर डल रही हैं, वह तो डल रही हैं लेकिन जो पूर्व में डल चुकी हैं, उनका निकाला जाना बहुत आवश्यक है.(व्यवधान).आपके जमाने की बात कह रही हूँ, आप लोग जो गलत कर गये उसको सुधारने की बात कह रही हूँ.

श्री शीशराम ओला : उजला जी, हमें तो खुशी होगी.(व्यवधान).

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप तीनों विभागों के मंत्री रह चुके हैं और आप जब बोल रहे थे, मैं सोच रही थी कि मैं आपको क्या कहूं ? आप व्यवस्था करके नहीं गये। कोई बात नहीं, यह व्यवस्था हम सुधारेंगे। मान्यवर, मेरे जयपुर नगर में ट्रीटमेंट प्लाण्ट बड़ी सोच-समझ के साथ लगाया गया था। दिक्कत क्या है कि तीन-चार किलोमीटर के वर्गाकार क्षेत्र में इतना दुर्भाग्य है कि श्वांस लेने की दिक्कत होती है, मक्खी-मच्छरों से सारी दीवारें, कलेण्डरों से भी इतनी काली नहीं होती होंगी, धुआँ से भी काली नहीं होती होंगी, उस तरह से, मक्खी-मच्छरों से शाम के वक्त जब दिन छिपने को होता है, दीवारें एकदम काली हो जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उस स्थान पर यदि खाद न सुखायी जाय, हठधर्मिता नहीं हो, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के पचास-साठ हजार से अधिक रहने वाले व्यक्तियों को खुली हवा में श्वांस लेने को मिल जाय लेकिन वह अभी नहीं हो रहा है। यह व्यवस्थाएं कुछ सुधारी जानी हैं, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रही हूँ।

सभापति महोदय, जब ट्रीटेड पानी में खुले नाले पड़ते होंगे तो कितनी बेचैनी होती होगी। तीन चार करोड़ रुपये उस प्लाण्ट में लग गये, उसके मेंटीनेंस में लग रहे हैं लेकिन उसमें से शुद्ध पानी जल महल जा रहा है। एक बार योजना बनी, वहाँ नावें तैरेंगी, दूसरी बार योजना बनी कि वहाँ कैफेटेरिया खुलेगा और तीसरी बार एक योजना अब और बन रही है लेकिन यह योजना जब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि समस्त नालों को ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जोड़ा जाएगा और ट्रीटेड पानी उस जलमहल में नहीं डाला जाएगा तब तक पैसा बर्बाद होता रहेगा और उसकी जो उपलब्धियां हैं, वह नहीं हो पाएंगी।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार से जल, वायु और ध्वनि इन सारे प्रदूषणों पर इनके नियंत्रक कानूनों के माध्यम से और व्यवस्थाओं के माध्यम से हमें सुधार करना चाहिये। जितने सड़क पर वाहन निकलते हैं, उन पर यह नियंत्रण नहीं है कि कहाँ उनको हार्न बजाना है और कहाँ नहीं ? यह यहाँ वैसे ज्यादा बोलने का विषय नहीं है लेकिन कष्टकर स्थिति है कि कान में ध्वनियां बजती रहती हैं और अजीब स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इस प्रकार से इन सारे नियत्रंणों के माध्यम से प्रदूषण पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिये। उद्योगों में जो चिमनी लगती है वह चिमनियां इतनी ऊंची होनी चाहिये कि उनका धुआँ लौट कर नीचे आबादी क्षेत्र में व्याप्त नहीं हो। वह इतनी ऊंची होनी चाहिये कि सीधे वायुमण्डल में उसका धुआँ चली जाय। इस प्रकार से हम जन-जीवन को शुद्ध कर सकेंगे और इन नियमों का पालन कर सकेंगे तभी हम पर्यावरण के सम्बन्ध में कोई स्थिति सुधार सकेंगे।

(17.00)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इसमें करोड़ों रुपया लगता है लेकिन उसकी उपलब्धि पूरी नहीं हो पाती। माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे और बड़ी व्यावहारिकता से इन सारी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर वन क्षेत्र का समुचित विकास होता तो भी पर्यावरण शुद्ध हो सकता था लेकिन जितना अपेक्षित होना चाहिये उतने हमारे यहाँ वन नहीं हैं। लगातार वन कट रहे हैं, हरी लकड़ियां कट रही हैं। जयपुर नगर के 9 क्षेत्र शहर में घुसने के हैं उनसे आप लोग उधर से आते-जाते होंगे तो सायंकाल से लेकर मध्य रात्रि तक 500-600 गाड़ियां गीली लकड़ियों की कट कर आप ऊंट लट्ठों से आती हुई देखते होंगे, एक्सीडेंट उनके होते हैं, वह तो अलग बात है लेकिन हरी लकड़ियां जब कट कर आती हैं तो मन में बड़ी वेदना होती है और हम लोगों ने किया क्या है कि जो वन की चौकी थी, जो पार-पत्र लेकर लकड़ियां पार करने की व्यवस्था थी उसको हमने समाप्त कर दिया और आम तौर से गीली लकडियां कट कर शहर में आ रही हैं। 33.3 प्रतिशत वन होना आवश्यक था लेकिन उतना वन नहीं हैं। जब 1980 में हम लोग गये थे तब 9 प्रतिशत को छोड़कर कर गये थे और 1990 में जब हम लोग लौटे तो 3 प्रतिशत भी वन हमारे राजस्थान में नहीं हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मंत्री महोदय, वनों का भी विस्तार करायें, वनों की सुरक्षा करें। पांच अगस्त को वन दिवस आप केवल मना लें और हजारों पौधे लगा दें, उनको पनपाने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो, उनको जीवत रखने की कोई व्यवस्था नहीं हो, यह आंकड़े पूर हो सकते हैं लेकिन मैं समझती हूँ स्थिति अच्छी नहीं है। यदि वन अधिक होंगे तो हमारे यहां बरसात भी होगी और बरसात अधिक होगी तो धन-धान्य के भण्डार भरेंगे और यह पर्यावरण भी शुद्ध होगा। इस सब पर सख्ती से कार्य करना चाहिये। (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्य मंत्रीजी को यह बात कभी भी पसंद नहीं है कि जलाऊ लकड़ी को प्रतिबंधित किया जाय। लेकिन हम भोजन आदि पकाने के लिये अन्य चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ हम धूप का चूल्हा या मिट्टी के तेल के और सामान आदि को हम उपयोग में लाकर वन की लकड़ी को बचा सकते हैं लेकिन अभी देखा तो यह जा रहा है कि न-केवल राजस्थान में, न-केवल हमारे गांव के चूल्हे के लिये, शहर के चूल्हे के लिये लेकिन फर्नीचर बनाने के लिये बराबर लकड़ियां कट रही हैं और इतना ही नहीं लकड़ियों के भरे-भरे ट्रक आप राजस्थान की सीमा से दूर जाते हुए, बाहर जाते हुए देख सकते हैं। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अरावली क्षेत्र का यह प्रदेश है इसमें हरियाली प्रभूत मात्रा में होनी चाहिये। यहाँ के पहाड़ों को जब मैं उघड़ा और नंगा देखती हूँ तो बड़ी बेचैनी होती है। यों तो हम जापान की सहायता से कोई कार्यक्रम प्राप्त कर के उसका विकास कर लें लेकिन हमारी पहाड़ियां जो हमारे शहर से दिखाई देती हैं, यही जयपुर नगर जिसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है इसमें झालाना और घाटगेट के पहाड़ जब उघड़े हुए और नंगे दिखाई देते हैं तो कितनी बेचैनी होती है। बाहर से आने वाला देखता है कि यह कितनी दुर्व्यवस्था है, इस पर आप नियंत्रण करें। जयपुर के इन पहाड़ों से पत्थर न कटे, चेजा पत्थर के लिए मैं आपसे आग्रह करती

168

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हूँ कि अगर जरूरी है तो सुमेर की पहाड़ी और मेरे इलाके में पहाड़ इतनी प्रभूत मात्रा में हैं कि जितना जयपुर बसा उससे भी अधिक चेजा पत्थर आप उपलब्ध कर सकते हैं। इन पहाड़ियों पर आप मेहरबानी करें और इनको न कटवाएं और इनका विकास करें। हरियाली प्रभूत मात्रा में होनी चाहिये।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सामाजिक वानिकी के नाम से एक प्रोग्राम रहा है, उसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो बीहड़ सुधार कार्यक्रम है उसमें भी इस समय, वर्तमान में हमारी गति धीमी है। यह बात सही है, मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगी कि वन औषधियों को उपजाने के लिये इस बार उन्होंने अच्छा कार्यक्रम हाथ में लिया है, यह निश्चित रूप से प्रशंसा का विषय है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वन विकास के लिये समितियां बननी चाहिये और उन समितियों के माध्यम से इस काम की देखभाल और नियत्रंण भी किया जाना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि चारागाहों पर और वन भूमि पर अतिक्रमण है, उन्हें सख्ती से हटाया जाना चाहिये और सीमा बांधने के लिये भी आपको कदम उठाने चाहिये जिससे कि अतिक्रमण हट सके और हम को वन अच्छी तरह से मिल सकें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो अभयारण्य हैं उनकी हमारे यहाँ पूरी सुरक्षा नहीं है। वन विभाग के कर्मचारी और शिकारी दोनों ही मिलकर उन अभयारण्यों में पशुओं का वध करते हैं और पक्षियों को भी मारते हैं, उनको भून कर खा जाते हैं, वह बात भी है लेकिन उनकी खाल उतार कर बाहर चोरी से बेचते हैं यह बुरी बात है। मैं सरिस्का में जेल के दिनों में, मीसा के दिनों में रही हूं, मैंने वहाँ की स्थिति देखी है और यहाँ जयपुर में खातीपुरा में एक नर्सरी है, आये दिन वहाँ पर तीतर मारते हैं कई लोग पकड़ लेते हैं, गार्ड उन्हें छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य की बात है। (व्यवधान) आप खाओ, आप तो और नारकीय चीज खाओ उससे क्या फर्क पड़ता है।

सभापति महोदय, जिन पक्षियों और पशुओं को बचाने के लिये हम संकल्पबद्ध हैं, दुर्भाग्य की बात है उन जीवों की संख्या बराबर कम होती जा रही है। अभयारण्यों की व्यवस्था सुधारी जानी चाहिये। पांडुपोल के बारे में आप बात कर रहे थे और भर्तृहरी से आगे के क्षेत्र में चले जाइये वहाँ, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, बीच में सड़क है अगर सड़क कहीं किनारे से निकाल कर ले जायी जा सके तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। वन्य जीव नहीं चाहते कि वहाँ मनुष्य की उपस्थिति रहे। उनको स्वछन्द रूप से घूमने और विचरने के लिए, प्रजनन करने के लिये हम को मौका देना चाहिये, इस प्रकार से हम उनका विकास कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की स्थितियां रहीं उनको मार डाला जाये तो धीरे-धीरे हमारे यहाँ से सभी प्रजातियां, जातियां नष्ट हो जाएंगी और वह कोई अच्छी स्थिति नहीं रहेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार से हम प्लांटेशन करें, न-केवल वनों का विकास करते हुए करें लेकिन शहरों में भी सड़कों के किनारे करें। हमारे यहाँ फुटपाथ सकड़ी करने के लिए सारे पेड़ काट दिये गये और बिना पूछे काट दिये गये। न किसी कलक्टर से अनुमति लेने की आवश्यकता समझी लेकिन हमने यह सोचा कि हम को फुटपाथ छोटे करने हैं तो हमने धड़ाधड़ सारे पेड़ काट दिये। मैं समझती हूं कि यह स्थिति भी अच्छी नहीं है।

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो-चार मिनट बोल कर मेरी बात समाप्त कर दूंगी।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा रामनिवास बाग नाम मात्र का बाग बचा है। कभी उन बगीचे के मालिकों से पूछो तो सही जिन्हें आपने ठिकानेदार बनाया है कि वह वहाँ पर (व्यवधान) कोई भी हो, मुझे बात कहनी है। इसी प्रकार जय उद्यान की स्थिति भी उतनी ही खराब है। मैं यह समझती थी कि इस प्रकार से शहर वाले हरियाली देखने को तरस जाएँगे। इस स्थिति पर हमें नियंत्रण पाने की आवश्यकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जमवा-रामगढ़ से अरावली क्षेत्र होकर आता है इसमें बेहद कटाव आ चुके हैं, आकाशीय सर्वेक्षण कर के उन क्षेत्रों में जिस प्रकार टीला स्थिरीकरण के लिये प्रयास जोधपुर क्षेत्र में किया गया उसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी कटाव को रोके जाने के लिये कंदरा सुधार कार्यक्रम या टीला स्थिरीकरण सुधार कार्यक्रम को और भूमि संरक्षण को मिलाकर वहाँ की हरियाली को बचाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि पेड़ लगाये जाने की आवश्यकता के साथ-साथ उनको फलने-फूलने देने के लिए भी हमें अवसर देना चाहिये, इस प्रकार से हम पर्यावरण सुधार सकेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि पुराने समय में जब राजाओं के राज्य थे, सामुदायिक कार्यों के लिये कार्य किये जाते थे, कोई धर्मशाला बनाया जाना, कुएं बनाया जाना, बावड़ी-तालाब बनाया जाना, लेकिन अभी इन दिनों में भी अकाल के कार्यों के तहत हमारे यहाँ कुछ कार्य इस तरह के कार्य लिये गये जो स्थायी प्रकृति के थे, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उनका और विकास कीजिये। ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतें हैं उन पंचायतों को अनुदान की राशि निश्चित रूप से बढ़ानी चाहिये। महंगाई बढ़ गयी, सब कुछ बढ़ गया, इस प्रकार की स्थिति हो गयी कि जो पुराने हिसाब से पैसा दिया जाता है, उससे कोई चीज आती नहीं, तो इस प्रकार से पंचायतों के विकास के लिये कार्य करें। मैं एक निवेदन करना चाहूँगी इतना नियंत्रण तो हमारा रहना चाहिये जो कोई गलत काम करे उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। हमारे यहाँ इन्दिरा आवास गृह बनाये गये हैं, शिकायत हुई कि मिट्टी के बनाये जा रहे हैं, गिर जाएँगे। मिट्टी का परीक्षण किया गया राहौली के सरपंच के सम्बन्ध में सारा एक्शन लिया गया लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं। इस प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार गलत काम करने वालों को अगर सजा नहीं देगी तो औरों की प्रवृत्ति भी इस प्रकार हो जाएगी कि वह भी गलत काम करके आगे आएँगे। इसी प्रकार मेरे इलाके में नायला सरपंच हैं जो गाँव के निवासी नहीं थे। उनको भूमि आबंटित कर दी। जाँच की गयी। गलत पाया गया। सस्पेंड किये गये लेकिन अभी तक वह वहीं के वहीं हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

पंचायतों में सुधार करें। पंचायतों में जिस प्रकार पूर्व में तीन-तीन, चार-चार कार्य करने के लिये, श्रीमन् श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने पहली बार एक विकास का कार्य हाथ में लिया था इससे और बढ़कर सरपंचों को शक्ति दें जिससे गाँव का समुचित विकास हो सके और सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जो व्यवस्था है, उसका भी समुचित लाभ हमें मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 9, 11 और 41 के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगी। पंचायत

(श्रीमती कमला)

राज और ग्रामीण विकास हमारे राज्य के लिये और पूरे देश के लिये एक आधारभूत विकास का आयाम है। हमें खुशी है कि चाहे कुछ कमी-खामी रही हो, चाहे कुछ असन्तोषजनक स्थितियाँ बनी हों लेकिन कुल-मिलाकर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक वेक्यूम बना हुआ था बिना चुनाव के, चुनाव होकर जन-प्रतिनिधि चुन आये हैं और इन संस्थाओं में कायम हुए हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, चुनाव के बाद में जिस तरह की शिथिलता, जिस तरह की निष्क्रियता और जिस तरह की दिशाहीनता आज पूरे पंचायत राज के सामने हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं कुछ सुझाव सरकार के लिये प्रेषित करना चाहती हूँ।

मेरा सबसे पहला सुझाव तो यह है कि चुनाव हो जाने के बाद, शायद ढाई महीने हो गये, तीन महीने होने वाले हैं, अभी तक भी पंचायतों, पंचायत समितियों या जिला परिषदों को उनकी जो अनुसूचियाँ अधिकारों की बनी हुई है, कृत्यों की, कर्त्तव्यों की, जिम्मेवारियों की उनके अनुसार उनको क्या-क्या कर्त्तव्य, क्या-क्या अधिकार और क्या-क्या कृत्य और जिम्मेदारियाँ मिलने वाली हैं, उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि सरकार उस दिशा में क्या कर रही है, उसकी भी इस सदन को कम से कम जानकारी नहीं है। कहीं किसी पत्र वगैरह में मुझे देखने का अवसर नहीं मिला कि इस दिशा में किस गति से और किस प्रकार से क्या प्रक्रिया की जा रही है जिससे कि ज़ल्दी से जल्दी इन संस्थाओं को यह पता लग सके कि जो 50, 51 और 52 धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार ने प्रावधान किया है कि अनुसूची एक में जो कर्त्तव्य और अधिकार निहित है, उनको सरकार द्वारा निर्देशित तरीके से, प्रक्रिया से और सीमा तक पंचायतें उपयोग कर सकेंगी।

51 में पंचायत समिति की जो अनुसूची है, उसमें सरकार निर्देशित करेगी कि वह किस सीमा तक कौन-कौनसे अधिकार और कर्त्तव्य निर्वहन करेगी और 52 में यह निर्देशित है कि अनुसूची-3 में जो काम दिये हुए हैं, अधिकार दिये हुए हैं, उनको सरकार निर्देशित करेगी। उसके मुताबिक जिला परिषद् उनका उपयोग करेगी। अभी तक भी सरकार की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी किसी भी जगह पर पंचायत, पंचायत समिति या जिला स्तर पर कहीं पर भी या विधायकों को भी जानकारी नहीं है। इसलिए सबसे पहला मेरा सरकार से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके, वह इस मामले में निर्णय लेकर अवगत करायें कि इन्हें क्या-क्या अधिकार, किस-किस स्तर पर किस सीमा तक दिये गये हैं और यह करने के पहले मैं यह सुझाव देना चाहती हूँ कि यह जो प्रारूप बनाया जा रहा है कि किसको कितना अधिकार दिया जाय उसमें विधायकों की और जो प्रधान और प्रमुख चुनकर आये हैं, उनकी भी राय ली जाये। जिससे कि सरकार की तरफ से जो प्रारूप या प्रस्ताव या जो निर्णय प्रस्तुत करे, उसमें व्यावहारिक रूप से वह एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में काम कर सके। सिर्फ राज्य की एक एजेन्सी के रूप में पहले की तरह बनकर न रह जाय। इसलिए उस मामले में इनकी भी राय ली जानी चाहये, इनसे भी सलाह लेनी चाहिये और इसके बाबत में मंत्री महोदय या मुख्य मंत्री महोदय, अलग-अलग ग्रुप्स में या एक साथ बैठकर चर्चा करके उनके बाबत में किसका क्या सुझाव है, उसको लेकर इसका जल्दी से जल्दी निर्णय करें।

दूसरा, मेरा यह सुझाव है कि तीन महीने

(श्रीमती कमला)

के अन्दर-अन्दर चुनाव होने के बाद, प्रधान प्रमुख के तीन महीने के अन्दर स्थायी समितियों के चुनाव अगर समिति और जिला परिषद् कराती है तो वह करायेगी वरना फिर कलक्टर के ज़रिये होंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरी समझ में तीन महीने होने में 20-22 दिन बाकी होंगे और कोई भी निर्देश अभी तक इन संस्थाओं के पास नहीं गये हैं कि वह किस रीति-नीति से इनके चुनाव कराये। क्योंकि एक तरफ तो यह निर्देश गया हुआ है कि आप चुनाव से सम्बन्धित मसलों को छोड़कर बाकी जितने भी पुराने नियम बने हुए हैं, उनका उपयोग करें जब तक कि कोई नये नियम नहीं बन जाते।

श्री सभापति : वह तो प्रधान और जिला प्रमुख को अधिकार है समितियों के चुनाव कराने का।

श्रीमती कमला : नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, जो स्थिति है वह यह है कि इन्होंने एक सर्क्यूलर भेजा है, कि जब तक नये नियम नहीं बन जाते हैं तब तक कार्य-पद्धति, कार्यशैली, प्रक्रिया का जो भी है वह सब पुराने तरीके से आप उसको करें, नये नियम बनने तक। लेकिन चुनाव सम्बन्धी जो मामला है वह इसमें लागू नहीं होगा तो यह तो चुनाव है। अब कई प्रधानों ने चुनाव कराये। निर्विरोध भी हो गये। कुछ वैसे भी हो गये। उनको निरस्त कर दिया कि अभी तो आपके पास सर्क्यूलर नहीं है आपने चुनाव कैसे करा लिया तो इसलिए जो एक बहुत ही तत्काल कार्य किया जाना है वह यह है कि आप इन स्टैंडिंग कमेटीज के चुनाव कराने के लिये जो भी प्रक्रिया, जो भी तौर-तरीके, जो भी चुनाव पद्धति उनको बताना चाहते हैं वह आप तुरन्त बताइये जिससे कि वह समय रहते अपने चुनाव करा लें।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि अभी जो पंचायतें और जिला परिषदें बनी हैं। पंचायतों की तो स्थिति यह है कि वह सरपंच अपने सचिवों को ढूंढ़ रहा है कि मेरा कौन सचिव है, वह कहाँ पर है। किसी के पास आठ पंचायतें हैं, किसी के पास पन्द्रह पंचायतें हैं। माननीय सभापति महोदय, एक दिन हम बैठे बात कर रहे थे एक जगह पर 16 पंचायतों पर एक सचिव है और अभी जिला प्रमुखों की एक परिचर्चाएँ भी हो रही हैं, उसमें बताया कि एक जिले में 31 पंचायतों पर दो सचिव हैं तो कहाँ पर कौन किस तरह से सम्भालेगा किसको कहाँ ढूंढ़ेगा, कैसे उसको काम करायेगा। यह समस्या पंचायतों के सामने बड़ी गंभीर बनी हुई है। इसलिए सचिव कायम करने का जो काम है वह आधारभूत काम है, इसका जल्दी से जल्दी सरकार निर्णय लेकर ग्राम सेवक लगायें, सिंचाई विभाग के लगायें, किसी और विभाग के लगायें, कोई रिटायर्ड को लगायें या उन्हें लगाने का अधिकार देने के लिए पैसा दे दें। कुछ भी करें।

लेकिन जब तक पंचायत में सचिव नहीं है वह बेसिक इकाई काम कहाँ से करेगी और नहीं कर पा रही है। सरपंच बन गये, लेकिन न सचिव है, न काम है न उनकी उपस्थिति है।

इसी तरह से जिला परिषदों में प्रमुख चुनकर आ गये न उनके पास मकान का पता, कहाँ रहेंगे? न उनको यह पता कि किस प्रकार से कार्य पद्धति उनकी शुरू होनी है और अभी जो जिला प्रमुखों की परिचर्चा हो रही है इंदिरा गाँधी संस्थान में, वहाँ पर उनको बहुत ज्यादा इस बात से एतराज हुआ कि वह यहाँ परिचर्चा में आये तब तो लाल बत्ती लगी

(श्रीमती कमला)

हुई थी, क्योंकि सरकार ने दे रखी थी और यहाँ आये तब यहाँ पर खड़ी-खड़ी उनकी लाल बत्तियाँ उतार दी गयीं। उन्होंने यह बड़ी आपत्ति की कि अगर कलक्टर के लाल बत्ती लगाती है तो हमारे क्यों नहीं लगनी चाहिये? तो यह लाल बत्ती के लिये मैंने उनसे कहा कि अभी-अभी सदन में लाल बत्ती वाला मामला आया था और उसके बारे में सरकार जो भी फैसला करेगी उसके बाबत में किया जाएगा। लेकिन जिला परिषद को जिस तरह का एक महत्त्वपूर्ण अंग हमने अपने इस एक्ट में और संविधान संशोधन में दिया है, उसी प्रकार से उसको क्या मिल रहा है? कैसे वह काम करे? क्या प्रक्रिया अपनायें? वह अभी तक इस असमंजस में सब के सब लोग बैठे हुए हैं। इसलिए इस स्थिति को भी देखने की आवश्यकता है। दूसरा जो मुख्य काम जिला परिषद् का है आयोजन समिति का, नीचे पंचायत समिति अपनी आयोजना बनाएगी। उसके बाद उसको इन्टिग्रेट करके पंचायत समितियाँ देंगी और उन सबको इन्टिग्रेट करके फिर जिले की आयोजना समिति है, जिसका अध्यक्ष प्रमुख है वह उस आयोजना समिति के माध्यम से पूरे जिले की योजना तैयार करेगा। लेकिन उस आयोजना समिति का भी गठन होना बाकी है। उसमें भी कुछ एम.एल.एज., कुछ नामिनेटेड लोग, कुछ विशिष्ट योग्यताएँ रखने वाले होंगे। इस तरह से उसका भी गठन अभी तक नहीं हुआ है वह भी अभी डांवाडोल स्थिति में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तरफ तो जो तत्काल दिये जाने वाले काम है उन्हें करके हमें उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिये कि जिस बड़े हल्ले-गुल्ले के साथ में, बड़े शोर-शराबे के साथ में कांग्रेस ने और बी.जे.पी. ने भी यह कहा था हम आपको बहुत अख्तियार देने वाले हैं, पंचायत राज अब एक सरकार बनने वाली है। वह जब देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि हम तो मूल रूप से जैसे थे वैसे भी अपने-आपको नहीं देख नहीं पा रहे हैं। तो यह स्थिति बहुत शोचनीय है। इस बाबत सरकार को पूरी तरह से ध्यान देकर काम करना चाहिये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि यहाँ कहीं पर भी इस पूरे विधान में, एक्ट में या और किसी नियम में बताया नहीं गया है जो बताया जाना जरूरी है कि पंचायत और पंचायत समिति का आपस में क्या तालमेल होगा? पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद् का आपस में क्या तालमेल होगा और ब्लॉक के वार्ड मैम्बर्स चुनकर आए हैं उनका क्या रोल होगा? पंचायतें क्या काम करेंगी? इसी तरह जिला परिषद् के जो वार्ड मैम्बर्स हैं उनका क्या रोल होगा? उनका उनसे आपस में क्या तालमेल होगा इसका कहीं पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है जिसका हमें तत्काल स्पष्टीकरण करना चाहिए।

मेरा एक निवेदन है कि जो हमने पहले संविधान संशोधन के माध्यम से और एक्ट के माध्यम से रूल्स और एक्ट बनाये हैं इनमें रूल्स बनाने का काम भी बहुत तत्काल करना है। अभी तक भी रूल्स के बनाने, न बनाने से बहुत सारे कार्यक्रम स्थगित हैं, बहुत सारी भ्रांतियां बनी हुई हैं और जो हमारे संविधान संशोधन, एक्ट और रूल्स आये, उनमें इतनी कमी-खामियाँ हैं कि अभी तो नहीं लेकिन आगे जाकर हमें इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें जो कमी-खामियाँ रह गयी है, तालमेल आपस में नहीं बैठ रहा और यह कार्य पद्धति प्रभावी नहीं बन पाएगी, उस बाबत भी हमें सोचने की जरूरत है।

173

(श्रीमती कमला)

एक निवेदन मेरा और है कि आज चाहे महिलाएँ आयीं, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. या जनरल में भी जो बिना पढ़े-लिखे हमारे प्रतिनिधि आए हैं उनको पूरी तरह से अपने कार्य की समझ के लिये और उसको पकड़ पाने के लिये यह जरूरी है कि जो एक्ट है उसमें पंचायत के सिलसिले में कौन-कौनसी धाराओं में क्या-क्या प्रावधान है, उसके तहत में उन्हें किस-किस प्रक्रिया से क्या-क्या कार्यवाही करनी है, इसी तरह पंचायत समिति से सम्बन्धित जो धाराएँ हैं, उनमें उनके क्या-क्या कर्त्तव्य और क्या-क्या अधिकार हैं और किस प्रक्रिया से क्या-क्या काम उन्हें करना है और जिला परिषद में इन तीनों स्टेजेज, जो पंचायत राज संस्थाएँ हैं, उनकी अलग-अलग छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ विभाग की तरफ से या संस्थान की तरफ से तैयार करके हरेक प्रधान को, सरपंच को, प्रमुख को या वार्ड मैम्बर्स को दी जानी चाहिये जिससे कि वह अपने काम को करने में बराबर उससे वाकिफ रहें और उस सन्दर्भ में अपना काम करते समय उसका उपयोग कर सकें।

साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि ग्रामीण विकास की इतनी योजनाएँ हैं। पचासों नाम हैं चाहे वह डी.आर.डी.ए. के अन्तर्गत हैं, चाहे किन्ही विभागों के अन्तर्गत हैं, चाहे निगमों के अन्तर्गत हैं, तमाम योजनाओं का एक पूरा इकट्ठा कन्सोलिडेट अकाउण्ट बनाना चाहिऐ जिससे कि हम यह बता सकें उनको कि इस इस तरह के ये-ये काम है, यह इनमें प्रावधान हैं। इसमें इतने फण्ड्स आएँगे, इनको लेने के लिए आपको इस इस तरह की प्रक्रियाएँ अपनानी चाहिए। और जो सबसे जरूरी हमारे करने का काम है वह, सभापति महोदय, यह है कि आज जो सब के सब लोग देश भर में भी हमारी स्टेट्स में भी और कल-परसों जो माँगे आयीं उनके सन्दर्भ में खास तौर से जो बातें यहाँ पर कही गयी है कि हम जो कुछ भी विकास का काम कर रहे हैं वह जो बेनिफिशरीज हैं, उस तक नहीं पहुँच रहा है, जो जरूरतमंद है उस तक नहीं पहुँच रहा है। गरीब को उसका लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए यह जितनी योजनाएँ हैं उनमें अरबो-खरबों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन उनका लाभ वहाँ नहीं पहुँच रहा है जितना वहाँ पहुँचना चाहिये। इसलिए मेरा यह निवेदन है विभाग से भी और मंत्रालय से भी कि वह इसकी एक प्रक्रिया पूरी डिटेल में बनायें कि पंचायत से जो प्रस्ताव पास करके प्राथमिकता के साथ भेजेंगे वह कितने दिन में स्वीकृत हो जाएँगें, स्वीकृति के बाद उसके फण्ड्स कितने दिन में रिलीज हो जाएँगें, रिलीज हो जाने के बाद उसका फर्स्ट इन्स्टालमेंट कब तक हो जाएगा, विशेष कारण अगर है तो उसकी सूचना मिलेगी और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है उसकी कार्यवाही की जानी चाहिये।

इस तरह जितनी भी तमाम योजनाएँ हैं उनका समयबद्ध सूक्ष्मतम विवरण हमें पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों को देना चाहिये। जिससे कि हम उसके मानीटरिंग में, उसके एक्जीक्यूशन में रेस्पांसिबिलिटी कायम कर सकें और एक समयबद्ध तरीके से उनका अचीवमेंट कर सकें। जो आज हम व्यर्थ पैसा खो रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जितना पैसा यूज किया हुआ बताया जाता है उसके मुकाबले में आज उतना पैसा खर्च नहीं हो रहा है। बहुत सी दिक्कतें इस तरह की हैं कि जो एस्टीमेट्स बनाने का काम है, जे.ई.एन. नहीं है, फर्स्ट इन्स्टालमेंट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए जे.ई.एन. नहीं है और वर्षों तक कागज पड़े रहते हैं, उनके पीछे-पीछे घूमते रहते हैं। या तो कुछ

(श्रीमती कमला)

उनको राजी करने का काम करो या फिर वह आपको उपलब्ध नहीं होगा और उपलब्ध नहीं होता है तो आप जिस तरह की व्यवस्था चाहते हो उस तरह की व्यवस्था हो नहीं पाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि कोई काम छह महीने तक क्यों पड़ा रहा जबकि उसको सिर्फ दो महीने में हो जाना चाहिये था। यह डिटेल प्रोसिजर्स और प्रक्रियाएँ हमें डिपार्टमेंट को देनी चाहिये वह हम चूंकि नहीं दे पा रहे हैं इसलिए हमारी यह योजनाएँ जिस तरह से कामयाब होनी चाहिये उस तरह से कामयाब नहीं हो रही हैं।

एक, मेरा निवेदन है कि हमने डी.आर.डी.ए. कायम किया हुआ है। आज के दिन जिला परिषद् या जिला लेवल पर सबसे ज्यादा प्रभावी संस्था डी.आर.डी.ए. है। जब हम इस एक्ट को बनाने के लिए कमेटी में चर्चा कर रहे थे उस वक्त यह बात आयी थी विभाग के लोगों ने भी, मंत्री महोदय ने और हम सब मैम्बर्स ने भी यह राय दी थी कि जब चुनी हुई एक संस्था आ रही है और जिला परिषद् को हम एक अच्छी प्रभावशाली और शक्तिशाली संस्था बनाना चाहते हैं तो साथ में अगर डी.आर.डी.ए. कायम रहती है तो फिर यह डुयुअल अरेजमेंट, यह ड्यूअल रेस्पांसिबिलिटी और ड्यूअल प्रोसिजर्स किस तरह से फंक्शन करेंगे। इसलिए इस बारे में सरकार को तुरन्त कोई निर्णय लेना चाहिये। डी.आर.डी.ए. कायम रहेगी और अगर रहेगी तो उसका जिला परिषद् से क्या तालमेल होगा और जिला परिषद् फिर क्या करेगी? क्योंकि ज्यादातर प्रोग्राम्स आजकल डी.आर.डी.ए. के मार्फत हो रहे हैं और अगर वह एज इट इज रहते हैं तो जिला परिषदों का तो बहुत कम उपयोग रह जाएगा। इसलिए पंचायत समिति, जिला परिषद् और पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिऐ उनके पास दिये हुए कार्यक्रमों का कारगर ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए उनका मानीटरिंग और इवेल्यूशन समयबद्ध तरीके से किया जाए और उसको अंजाम देने के लिए जिम्मेवारी डाली जाए तब जाकर के हम यह कह पाएँगें कि पंचायत राज सचमुच में उस उद्देश्य के लिए साबित हुआ है जिसके लिए चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, इतने ऊंचे तरीके से सोचकर के, मन बनाकर के बैठी हुई है तो इस सम्बन्ध में मैं यह चाहूँगी कि असेम्बली के बाद में विधायकों को भी और हमारे पंचायत राज के प्रतिनिधि हैं उनको भी हमारा विभाग और मुख्य मंत्रीजी या मंत्री महोदय दो-तीन दिन साथ बैठकर चर्चा करके इसमें जो भी कमी-खामियाँ हैं और इसमें तुरन्त जो कार्यवाहियाँ अपेक्षित हैं उनके बाबत में चर्चा करें।

सभापति महोदय, अब मैं दो मिनट पर्यावरण और वन के बारे में कहना चाहती हूँ। पर्यावरण कहने के लिए हम सभी दुःख के साथ चिन्ता के साथ, बड़ा भारी भयानक अन्धकार है, आने वाला जमाना बहुत खौफनाक हो रहा है, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, पालिटिशियन्स भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं लेकिन, सभापति महोदय, करने के नाम पर हम कहाँ क्या कर रहे हैं, उसको आप रोज देख रहे हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जयपुर की सड़कों पर जितनी गाड़ियाँ चल रही है किसी एक गाड़ी को कहीं पर भी रोककर यह कहा जाता हो कि आपका पूरा का पूरा साइलेंसर धुआँ छोड़े जा रहा है और पूरी सड़क आधी ढक गयी है। इतना जबरदस्त धुआं है कोई सफेद धुआं है और कोई काला धुआं है। इतनी भयंकर हालत हो रही है कि उनके सामने से अगर सुबह गया शाम को

(श्रीमती कमला)

आया तो इतने में कपड़े भी काले हैं, आँखें भी दर्द कर रही हैं और आदमी की शक्ल भी बदली हुई होती है। तो, हम कब इस काम को शुरू करेंगे यह अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। यह वायु-प्रदूषण इतना भयंकर हो रहा है और दूसरी तरफ जो जल प्रदूषण है उसके बहुत से उदाहरण माननीय सदस्या श्रीमती उजला जी ने दिये श्री शीशराम जी ने भी दिए उनसे भी और ज्यादा खराब स्थिति हैं लेकिन हम उसके बारे में एक व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते कि जो पहले लगी हुई इण्डस्ट्रीज है, या प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं अगर उन्होंने ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं लगा रखा है तो उनको आप 4-6 महीने का नोटिस देकर या तो इस बीच में वह ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगा लें वरना उनकी फैक्ट्री बंद कर दी जाय और जो नये आये हैं उनके प्रोजेक्ट इटसेल्फ के अन्दर यह प्रावधान होना चाहिये कि ट्रीटमेंट प्लाण्ट इसके साथ में इनवाल्वड है जो आप लाइसेंस लेना चाहते हैं और जो लाइसेंस नहीं ले रहे हैं, बिना लाइसेंस बना रहे हैं उनको तो आप एक मिनट में खत्म कर सकते हैं। आज आठ हजार इण्डस्ट्रीज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा है। आज वह इण्डस्ट्रीज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा है। आज वह इण्डस्ट्रीज कोई राजस्थान में आएगी, कोई हरियाणा में जाएगी, कोई कहाँ जाएगी, तो मेरा एक निवेदन है कि जो आने वाले समय की इण्डस्ट्रीज है या इस तरह की यूनिट्स है उनके सम्बन्ध में हम सख्ती के साथ लागू करें कि विदाउट ट्रीटमेंट प्लाण्ट कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी इण्डस्ट्री हो, कोई भी यूनिट एप्रूव नहीं होगी। यह बहुत जरूरी है और जहाँ तक ध्वनि प्रदूषण का सवाल है, यह तो इन दोनों में से भी आगे बढ़ता जा रहा है। किसी भी कालोनीज में आप जाकर देख लीजिये। रात के 11-12 बजे तक गाना बजाते हुए, वीडियो लगाते हुए, हॉर्न लगाते हुए निकलेंगे कि उस बस्ती में लगता ही नहीं है कि रात हो गयी। एक अजीब सी बात यह और होती जा रही है कि जगह-जगह कहीं पर कोई चौपाल है, कहीं पर कोई मंदिर है, कहीं पर कोई गुरुद्वारा है, कहीं पर कोई क्या है, भजन करना है, भगवान को राजी करना है, मन को खुश करना है, तो आप 10, 20, 50, 100 आदमी उसके सामने बैठकर करिये। पर पूरी कालोनी में चारों तरफ स्पीकर्स लगा देते हैं, रात भर उनको बजाते रहते हैं। दो-दो दिन तक बजाते रहते हैं। न सोने के समय का पता है, न कोई और समय का पता है। जो टेम्पो और ऑटो जाते हैं, यह रात के 11-12 बजे तक गाने बजाते हुए खूब जोर-जोर से धड़ाधड़ करते हुए जाते हैं। कहीं पर कोई रोकथाम नहीं है। मेरा निवेदन है कि सब के बारे में बैठकर बहुत गहराई से कोई स्टेट लेवल की एडवाइजरी कमेटी ऐसी बनायी जाय जिससे उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाय, उसका कुछ नतीजा निकले और कुछ होता हुआ दिखे।

वन के बारे में मैं सिर्फ दो लाइन कहना चाहती हूँ। वनों की कटाई का कोई अन्त नहीं है। हम लगा रहे हैं, उनमें कितने जीवित है, कितने पाल लिये, कितने खत्म हो गये, यह तो हमें नहीं पता लेकिन सारी रोड साइड्स पर कहीं पर भी निकल जाइये। हर रोड़ पर आपको हर दस किलोमीटर पर एक आरा मशीन में सैंकड़ों टन कटी हुई लकड़ियाँ मिल जाएंगी। कोई नहीं पूछता कहाँ से आई। मैं और तो क्या कहूँगी कि जो आपका नेशनल हाइवे है, जहाँ से रोड निकलती है उसके बराबर में जो जगह है हमारे पी.डब्ल्यू.डी. की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं

(176)

(श्रीमती कमला)

होती है। उस पी.डब्ल्यू.डी. की जमीन में 15-15, 20-20 वर्ष पुराने पेड़ लगे हुए हैं उनको काटकर, उनको साफ करके वहाँ पर ढाबे बना रहे हैं। आप जयपुर से लेकर दिल्ली तक चले जाइये पचासों जगह आपको मिल जाएगी कि जहाँ पी.डब्ल्यू.डी. ने नेशनल हाइवे पर लगाये चाहे फोरेस्ट वालों ने लगाये, इतने बड़े-बड़े, इतने घने-घने, पुराने-पुराने पेड़ काट-काटकर जमीन का लेवल करके जहाँ पर ट्रक खड़े हैं। ढाबे लगा रहे हैं। रोजाना हम लोग आते-जाते देख रहे हैं लेकिन कोई इसको नहीं देख रहा है। इतनी बेदर्दी से इस तरह के काम हो रहे हैं। अभी हमारे विराटनगर के पास में काफी सारी आपकी फोरेस्ट की जमीन चीफ फोरेस्ट कन्जर्वेटर ने लिख दिया, डी.एफ.ओ. ने लिख दिया कि यह हमारी जमीन है, इसको खाली कराना चाहिये। नीचे का एक कर्मचारी इतना ताकतवर हो रहा है कि खुद के डिपार्टमेंट की जमीन को भी दूसरों को अतिक्रमण करने के लिये छोड़ रखी है और ऊपर के अधिकारियों के आदेशों की भी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बहुत घटनाएँ घट रही हैं। फोरेस्ट लगाना, उसको रखना और आँखों के सामने जो चीज दिख रही है उसको कम से कम संभालकर रखें, यह बहुत जरूरी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि हमने जिस पंचायत राज को बड़ी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ खड़ा किया है उसको दरअसल में अपना वर्चस्व बनाकर क्षमता के साथ हमारी जो बहिनें आयी हैं। हमारे कास्ट, ट्राइब और ओ.बी.सी. के भाई आये हैं, दूसरे लोग आये हैं, वह एक ग्रामीण नेतृत्व का अच्छा परिचय दे सकें, एक सफल स्वायत्तशासी शासन का अंजाम दे सकें और यह बता सकें कि लोकतंत्र में अगर हमें आप एक सीमा तक नेतृत्व सौंप रहे हैं तो हम इसको कारगर ढंग से सफल करके दिखा सकते हैं। नहीं तो हम यह कह देंगे कि हमने तो खूब मौका दिया लेकिन यह कुछ नहीं कर पाये। तो यह हमारे लिये कमजोरी की बात होगी, उनके लिये नहीं होगी। इसलिए जो कुछ भी समय रहते हमें उनको सम्बल देने की जरूरत है, उसको करना चाहिये और अधिकारों की जो अनुसूचियां हैं उनको तत्परता के साथ वर्णित करके सभी जन प्रतिनिधियों की राय लेकर उन्हें जारी करना चाहिये जिससे हम इसे कारगर ढंग से चला सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कालूलाल गूजर।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-9, 11 और 41, तीनों पर सदन में चर्चा हो रही है, उन पर मैं भी थोड़े मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, पंचायतों के चुनाव हुए। काफी लम्बे समय से पंचायतों का पुनर्गठन नहीं होने से काफी बड़ी-बड़ी पंचायतें हो गयी थीं और इस कारण से ग्रामीण विकास में जिस तरह से गति आनी चाहिये थी, नहीं आ रही थी। इसलिए सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन किया और चुनाव कराये। चुनाव भी, जो पंचायतों का नया कानून बना उसके अनुसार समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने का, आगे आने का, चुनाव लड़ने का मौका मिला और आज हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान का पंचायत राज एक सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप चल रहा है और शुरू हुआ है। माननीय सभापति महोदय, पंचायतों के बारे में जो कुछ कहा गया है, यदि कोई आलोचना करना चाहे, जिसका नजरिया आलोचना करने का हो, उसको तो कई प्रकार की आलोचनाएँ नजर आ सकती हैं। परन्तु मैं यह मानता हूँ कि परिपूर्ण पंचायत

(श्री कालूलाल गूजर)

कानून इस बार बना है। अब इसमें प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि यह तो केन्द्र का बनाया हुआ है। राजीव गाँधी की मंशा थी। इन सबको पता है कि राजस्थान स्टेट के जो अमेंडमेंट है, केन्द्र में तो एकरूपता लायें कि पूरे देश के अन्दर एक जैसा कानून हो, परन्तु जिस तरह के क्लाजेज स्टेट पर छोड़े और राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय मंत्रीजी ने मेहनत करके कानून में जो प्रावधान रखे हैं उनका कोई मुकाबला अन्य जगह पर नहीं है। इसलिये केन्द्र सरकार ने भी जो कानून में प्रावधान राजस्थान सरकार की ओर से रखे गये हैं, उनकी सराहना की है और सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान के पंचायत कानून को बहुत अच्छा कानून बताया है।

कानून की दृष्टि से तो हमने अच्छा कानून बनाया लेकिन कुछ बातें अभी ऐसी हैं जिनको और करना अनिवार्य है। जो कुछ चुनाव हो गये, अच्छा कार्य हो गया परन्तु अब पंचायतों के माध्यम से, पंचायत राज के माध्यम से हम विकास की ओर बढ़ें और ग्रामीण विकास अच्छी तरह से हो इसके लिए जो कुछ आज हमें थोड़ी कमी नजर आती है उसको पूरा करने के लिये मैं सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ और उस पुनर्गठन में कई कमियाँ रही हैं। कई जगह पर ऐसे गाँव जो काफी दूर हैं पंचायतों से 13-13, 15-15 किलोमीटर, भूलवश उनको दूसरी पंचायतों में मिला दिया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ग्राम मोटाखेड़ा है। यह गाँव पहले धुआला पंचायत में था उसको धुआला से निकालकर कलठा गाँव है, उसको एक मोटाखेड़ा में नयी पंचायत बनी है, उसमें मिला दिया। जबकि उस कलठा गाँव से मोटाखेड़ा पंचायत हैड क्वार्टर पर जाने के लिये धुआला जो पंचायत हैड क्वार्टर है, उसके अन्दर होकर ही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है, 13 किलोमीटर की दूरी है। मैं सरकार के ध्यान में इसको लाया था और मुझे विधान सभा में यह जवाब दिया गया था कि पंचायतों के चुनाव के बाद इस पर सरकार विचार करेगी। तो इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान में जितनी भी पंचायतें पुनर्गठित हुई, पंचायतों में इस तरह के गाँव जो गलत पुनर्गठन के समय इधर-उधर मिला दिये गये हैं उनको एक बार पुनः इस मामले में रिव्यू करके जो गलतियाँ या भूलें हुई हैं उनको सुधारा जाय ताकि पुनर्गठन के कारण से जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है उनको सुविधा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा सुझाव यह है कि जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनके अन्दर वास्तव में अभी जो ग्रुप सचिव लगा रखे हैं उनकी भारी प्राब्लम है, क्योंकि—

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके सुझाव श्री नाथूसिंहजी मानेंगे नहीं।

श्री कालूलाल गूजर : कोई बात नहीं, आप तो मान लेना। आप तो मानकर बैठ जाओ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं तो मान लूँगा उधर आऊंगा जब।

श्री कालूलाल गूजर : आप मेरे सुझाव मानकर विराज जाइये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप सुझाव दीजिये।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें, बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : आपको मेरा सुझाव है कि आप बिराजिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ग्राम पंचायतों में जो ग्रुप सचिव हैं वह बहुत कम है। जैसा अभी माननीय सदस्या श्रीमती कमलाजी ने कहा था उनकी बात को मैं भी मानता हूँ कि 4-4, 5-5 पंचायतें बल्कि कई जगह 6-6 पंचायतें हैं जिनके अन्दर एक-एक ग्रुप सचिव है। मेरे यहाँ पर 47 पंचायतों की एक पंचायत समिति है उनमें केवल मात्र 16 ग्रुप सचिव लगे हुए हैं। कई बार राज्य सरकार को लिखा लेकिन अभी तक ग्रुप सचिव वहाँ बढ़े नहीं। मेरा सुझाव यह है कि या तो ग्रुप सचिव और लगाये जायं और यदि ग्रुप सचिव नहीं लगाने हैं, तो उनको सहायक सचिव रखने की परमीशन दे दी जाय तो समस्या का समाधान हो सकता है या पंचायती राज अधिनियम के अनुरूप कोई इस तरह की सेवा, पंचायती राज सेवा सर्विसेज तय करके उसमें अगर कोई दूसरे तरीके से या किसी भी तरीके से इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है तो सुधारा जाय। चूंकि यह बात सही है कि नये सरपंच आये हैं, नये वार्ड पंच भी आये हैं, उनको अभी ग्रुप सचिव मिलते नहीं और ढूंढते फिरते हैं, यह अभी एक समस्या है तो इसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाय।

तीसरा, मेरा सुझाव यह है, माननीय सभापति महोदय, कि पंचायतों का जो पुनर्गठन किया उसके साथ-साथ पंचायत समितियों का पुनर्गठन नहीं किया गया। यह एक सबसे भारी समस्या है क्योंकि पंचायतें उस समय कम थीं और पंचायत समितियां बहुत बड़ी हो गयीं पंचायत समिति के बड़ी होने से एक पंचायत का कार्य करना अब बड़ा असम्भव हो रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण मेरी मांडल पंचायत समिति का दे सकता हूँ कि मांडल पंचायत समिति की एक छोर से दूसरे छोर तक 100 किलोमीटर की लम्बाई है और पंचायत समिति का एक छोर हैडक्वार्टर पर है। अब एक आदमी को छोटा सा काम भी पड़ जाय तो वह पंचायत समिति के एक छोर से दूसरे छोर हैडक्वार्टर पर जायेगा तो 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर उसको आना पड़ता है जो कि बहुत दूरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जहाँ 47 पंचायतें हैं, बड़ी-बड़ी पंचायत समितियाँ हैं उनका पुनर्गठन करके दो पंचायत समितियां की जायं। मैंने मांग भी की है कि करेड़ा के अन्दर एक पंचायत समिति बन जाय तो उसमें करीब 22-22, 23-23, 24-24 पंचायतों की दो पंचायत समिति हो जायेंगी जबकि पहले 18-18, 20-20 की पंचायत समिति भीलवाड़ा जिले में थी। इससे समस्या का समाधान हो सकता है और इसलिए पंचायत समितियों का पुनर्गठन करना भी एक अनिवार्य आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायतों को जो अनुदान की राशि मिलती है वह केवल चार रुपये प्रति व्यक्ति है। इसको भी बढ़ाया जाय क्योंकि मिनिमम वेज बढ़ गया, महंगाई बढ़ गयी लेकिन पंचायतों की अनुदान की राशि केवल चार रुपये प्रति व्यक्ति ही हैं। इसको भी बढ़ाया जाय, यह मेरा सुझाव है कि 15 रुपया तो कम से कम किया जाय।

चौथा मेरा सुझाव यह है कि आपने जो वित्त आयोग बनाया है, उसकी सिफारिशें, जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट मंगवायी जाकर लागू की जायं ताकि पंचायतों को काम करने के लिये अवसर मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मांग और करूंगा कि जो बड़ी पंचायतें हैं, उनमें

(श्री कालूलाल गूजर)

एक जेईएन. और एक पंचायत में काम इतना, जी.आर.वाई. के मान लो 5-5 गाँव हैं और 50 पंचायतें हैं तो 250 काम हो गये। तो न तो समय पर जेईएन. आउट-ले दे सकता है, न ही एस्टिमेट बना सकता है, न ही असेसमेंट करके उसकी एमब्रीज भर सकता है। होता यह है कि फिर वह ग्रुप सचिव से पूछता है कितनी लम्बाई-चौड़ाई की दीवार बनी है, कितनी लम्बी-चौड़ी है और वह एमब्रीज में भर कर पेमेन्ट कर देता है। इससे गड़बड़ी होने की संभावना काफी रहती है। वास्तव में यह प्रेक्टिकल बात है कि एक जेईएन. एक पंचायत समिति में काम नहीं कर सकता इसलिए दो जेईएन. उसमें कम से कम रखे जायं। पंचायतों के जितने भी तालाब हैं उनकी भी देखभाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी एक सिंचाई विभाग का जेईएन. या एईएन. अलग से रखा जाय ताकि यह काम भी हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पांचवा मेरा सुझाव यह है कि पंचायत के सरपंचों को पंचायत क्षेत्रों में जितनी भी सरकारी इन्स्टीट्यूशंस हैं, उन सब में जितने भी कर्मचारी हैं, उनको चैक करने का, उनकी अटेंडेंस चैक करने का अधिकार दिया जाय। माननीय सभापति महोदय, आज होता यह है कि पंचायतों के अन्दर स्कूल हैं, मिडल स्कूल हैं या सैकण्डरी स्कूल हैं या एडपोस्ट हैं उनमें कर्मचारी जाते हैं कि नहीं जाते। उसकी कोई मानिटरिंग नहीं होती, क्योंकि डिपार्टमेंट में एक अधिकारी जिले में होता है वह सारी जगहों पर चैक नहीं कर सकता लेकिन अगर सरपंच को यह अधिकार दे दिया जाय या पंचायतों की एक कमेटी बना दी जाय, जोइंट कमेटी, जिसमें सरपंच हो, वार्ड पंच हो वह जाकर के उनकी अटेंडेंस को चैक कर सके, ऐसा कानूनी अधिकार उनको मिल जाय तो मैं समझता हूँ कि उनमें डर रहेगा और पंचायतों का काम काफी अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, मैं वनों के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। वनों की कटाई पर अभी सबने चिन्ता की है और यह बात सही है कि वनों की, पेड़ों की कटाई हो रही है और जंगलों को काटा जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से वन कटते हैं या उनकी मिलीभगत से कटते हैं। मेरे यहाँ पर गोरखिया गाँव है, एक जंगल है जहाँ पर 80 पर्सेन्ट कट चुके हैं। रातों-रात लोग ट्रक भर कर पाली ले जाते हैं। वहाँ ले जाकर कोयला बनाते हैं। बार-बार हम यहाँ पर शिकायत करते हैं पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पेड़ कटने का क्रम बराबर चल रहा है। पेड़ कटेंगे, वन नष्ट होंगे तो पर्यावरण भी खराब होगा। इसी तरह से एक दूसरी समस्या यह है कि वन विभाग की वन भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, कब्जे कर रखे हैं। मुझे बड़ा दुःख है, वन विभाग के अधिकारियों को हम बार-बार कहते हैं कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उसको हटायें तो वे हटाने में असमर्थ रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पर ज्ञानगढ़ का बेड़ा है जिसमें 100 बीघा जमीन है जो वन विभाग को सरकार ने दी है। वन विभाग के नाम पर 1988-89 में मौके पर कब्जा भी अधिकारियों ने करवा दिया। चूंकि वह पहले सीलिंग में अवाप्त हुई थी और भूतपूर्व जागीरदार की जमीन थी यह जमीन वन विभाग को देने के बाद लोगों ने पैसे ले लिये, वह वन विभाग की जमीन जैसे कोई अपनी खेती की जमीन हो, आज भी उस पर 70-80 लोगों ने कब्जे कर रखे हैं लेकिन वन विभाग कई बार कहने के बावजूद भी उस जमीन को

(180)

(श्री कालूलाल गूजर)

खाली नहीं करवा पाया और यह नहीं किया सो तो नहीं किया लेकिन 1991 के अन्दर वन विभाग के अधिकारियों ने यह लिखकर दे दिया, चूंकि इस पर लोगों के कब्जे हैं और हम कब्जा नहीं कर सकते इसलिए इसको वापस बेनामी दर्ज कर दिया जाय। रिटन में आदेश दिया कलक्टर ने और एस.डी.ओ. ने तहसीलदार को कि वापस इसे बेनामी कर दिया जाय।...

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, थोड़ा टाइम और लूंगा। मेरा निवेदन यह है कि जब ध्यान में आया तो मैंने मुख्य मंत्रीजी को इसकी शिकायत की और आपने उसमें जाँच करवायी और जाँच होने के बाद वापस वन विभाग के नाम से दर्ज हुई पर कब्जा आज दिन तक वहाँ पर दूसरे लोगों का है। कई बार कहने के बावजूद भी न तो फोरेस्ट वाले कोई वहाँ पर जाते हैं और न ही कब्जा हटवाते हैं। जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं वे ही आज काबिज हैं। उसमें कभी खेती बोते हैं और कभी पशु चराते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव यह है कि वन विभाग के जितने भी पेड़ लगाये जाते हैं, पौधे लगाये जाते हैं उन सबका रिकार्ड तैयार हो जाता है, आँकड़ें तैयार हो जाते हैं कि इतने करोड़ पौधे, इतने लाख पौधे लग गये लेकिन वास्तव में कितने पेड़ जीवित रहते हैं उसकी कोई मानिटरिंग नहीं होती है। बहुत कम जीवित रह पाते हैं। यदि हम इसका एक ऐसा रास्ता निकालें जिसमें कि वन लगाने के जो लोग इच्छुक हैं, जैसे आदिवासी एरिया में आदिवासी लोग हैं उन सबकी उसमें भागीदारी रखी जाय, उसका पर्सेन्टेज फिक्स कर दिया जाय कि पेड़ों में उनका भी हक होगा पेड़ बड़े होंगे फल मिलेंगे या जो भी फायदा हो उसमें इतना-इतना पर्सेण्ट सरकार का और इतना पर्सेण्ट आदिवासियों को होगा तो उससे भी हम पेड़ को बचा सकेंगे और अधिक से अधिक पेड़ हम नये लगा सकेंगे।

जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है। माननीय सभापति महोदय, जितने उद्योग लगे हुए हैं और विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र जितने भी हैं उनमें प्रदूषण की एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है। वहाँ जो उद्योग हैं, उनमें ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हैं और जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं उनमें बिजली का खर्चा बहुत हो जाता है और मंहगा पड़ता है इसलिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के नाम पर तो लोगों ने लगा रखे हैं लेकिन उनको चालू नहीं करते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह आग्रह करूंगा कि आप इसकी मानिटरिंग करें, अचानक जाकर चैकिंग करें कि ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं कि नहीं चलते। यह तो इंस्पेक्शन में आ जाता होगा कि कारखाने में ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है पर क्या उसमें ट्रीटमेंट प्लांट चलता हुआ देखा कभी आपने? क्या अचानक निरीक्षण करने पर वह ट्रीटमेंट प्लांट बंद पाया गया? मेरे ख्याल से शायद ऐसा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता होगा।

आज भीलवाड़ा में मैं कह सकता हूँ कि प्रदूषण की बहुत भारी समस्या है। वहाँ जितने भी कपड़े के प्लांट लगे हैं, जितने भी प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं, उनमें अधिकतर गंदा पानी निकलता है और इतनी बदबू मारता है मेन रोड़ पर निकलना भी मुश्किल है। जो पानी भरा रहता है, मवेशी कभी उस कीचड़ में फंस जाते हैं तो मर जाते हैं और उस पानी को पी जाते हैं तो उससे भी नुकसान होता है, मर जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बारे में

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सर्वे करायें और यह जो प्रदूषण की समस्या है उसको ठीक करने के लिये प्रयत्न करें।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, जितनी भी सिटीज हैं उनमें टेम्पो चलते हैं, ज्यादातर में विक्रम और तीन पहिये के जो टेम्पो चलते हैं, उनसे इतना धुंआँ निकलता है जिसके कारण से कभी-कभी तो उसके आगे कौन-सा व्हीकल चला जा रहा है यह भी दिखायी नहीं देता और रात के टाइम में लाइटें हों तो भी आगे का व्हीकल नहीं दिखता। इतना धुंआँ सिटी में छोड़ा जाता है। तो जितने भी विक्रम, जितने भी टैम्पों हैं उनके लाइसेंस रद्द किये जायें और इनका एक स्पेसिफिक हर पेट्रोल पम्प पर जिस तरह से दिल्ली के अन्दर है, वहाँ पर कोई भी गाड़ी है, प्रदूषण रहित है कि नहीं उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वहां टैस्ट कराकर (व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो आपका ही बजट है, आपके ही विधायक हैं; क्यों नहीं जवाब देते इस पर?

श्री सभापति : श्री रामनारायण डूडी। (व्यवधान)...

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के इन वाहनों को बन्द किया जाए।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। श्री रामनारायण डूडी, आपका नम्बर है। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूँ, बस एक मिनट...

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, प्रदूषण के मामले में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिला रहा हूँ कि मांडल रेल्वे स्टेशन पर एक फैक्ट्री लगी है और उसमें जो माइका ब्रिक्स बनती हैं, उससे माइका के छोटे-छोटे दाने उछलते हैं और वह व्यक्तियों के घरों में जाते हैं, आदमी श्वास लेते हैं तो पेट में जाते हैं; उसके द्वारा वहाँ पर कई लोग बीमार हो गये हैं। इस फैक्ट्री को बन्द कराने के लिए हमने बार-बार निवेदन भी किया पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वह फैक्ट्री जो बस्ती के बीच में आ गयी है, उसको या तो दूर किया जाय या बन्द किया जाय।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, बांदीकुई पंचायत समिति की आजकल यह स्थिति है, सरपंच का कहना यह है कि अमुक गाँव में पैसा स्कूल की बाउण्ड्री के लिये लगाया जाय और वह मात्र एक पंचायत पर जीता हुआ है, प्रतिनिधि है सरपंच। पंचायत समिति का प्रतिनिधि जो कि डेढ़ या दो ग्राम पंचायतों के ऊपर जीता है उसका कहना यह है कि सरपंच से ज्यादा मत लेकर के जीता हूँ, मेरा निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा है इसलिए मेरे कहने से अमुक कार्य किया जाय और स्कूल की बाउण्ड्री की जगह एनीकट बनाये जायं। जिले का प्रतिनिधि है वह बी.डी.ओ. से यह कहता है कि इन दोनों का कोई लेना-देना नहीं है, मैं 1/6, 1/8 एम.एल.ए. के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, मैंने 8 पंचायतों पर या 9 पंचायतों पर चुनाव जीता है इसलिए मेरा कहना भारी माना जाय। ऐसी स्थिति में जबकि आज तक पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कोई नियम नहीं बने, उप नियम नहीं बने, आपने सरपंच को तो कोई अधिकार नहीं दिया कि वह पंचायत समिति के दरवाजे पर आकर उपस्थित हो सके या कोई मीटिंग में बोले क्योंकि पंचायत समिति का सरपंच मेम्बर नहीं होता है और मेम्बर है उसके पास ग्राम पंचायत का बजट नहीं। ग्राम पंचायत का बजट सरपंच के पास

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

है जो पंच और सरपंच मिल करके प्रस्तावित करते हैं ग्रुप सचिव के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में विकास अधिकारी की यह दुर्दशा हो रही है कि वह किसको माने। आज जिले के प्रतिनिधि को क्या अधिकार है कि एक विकास अधिकारी को यह लेटर पेड पर लिखे कि अमुक गाँव में यह रास्ता बनाया जाय, यह निर्माण कार्य किया जाय? ऐसी विषम स्थिति को बहुत जल्दी निपटाया जाय। पंचायत का थ्री टायर सिस्टम है वह मखौल बन गया है। आज बड़ा कन्फ्यूजन है कि पंचायत समिति की मीटिंग में पंचायत के जो प्रतिनिधि आते हैं वे किस मर्ज की दवा हैं, किस बात के लिये उनको निर्वाचित किया गया है? कौनसे बजट का वह अपने मनोकूल प्लान बना सकते हैं गाँव के जिस प्रतिनिधि क्षेत्र से वह जीतकर आया है उसके लिए? क्योंकि वह बजट तो सीधा ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। तो मात्र उसकी उपस्थिति क्या प्रधान के चुनाव में वोट देने तक ही थी और उसके बाद इतिश्री हो गयी, उनके अधिकारों की समाप्ति हो गयी? उनको प्रदत्त अधिकार क्या है? उनका कार्यक्षेत्र क्या है, उनका कार्य विभाजन क्या है? जब तक यह क्लासीफिकेशन कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रित नहीं होगा तब तक बड़ी विषम स्थिति रहेगी। आये दिन झगड़े होते हैं, आये दिन जिला प्रमुख से लेटर पैड पर कोई सरपंच लिखवा कर ला रहा है, तो प्रधान दूसरे के लिये लिख रहा है, मंत्री तीसरे के लिये लिख रहा है, जनता अलग चाहती है। ऐसी विषम स्थिति पैदा ही क्यों हुई? जब निर्वाचन भी हो गया, आज चार महीने भी हो गये, रूल्स रेगुलेशन नहीं हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, जब प्रशिक्षण नहीं है और नियम में कोई शक्तियाँ उनको प्रदत्त नहीं है तो ऐसी जीरो स्थिति में मैं नहीं समझता कि सामुदायिक विकास की योजनाएँ किसी भी तरह से सुगमता से बढ़ सकती हैं।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि पंचायत समितियों के अन्तर्गत पाठशालाएँ हैं, उनका स्तर दिन-प्रतिदिन बहुत ही गिरता जा रहा है। अध्यापक लोग ज्यादातर वहाँ पर जाते नहीं हैं और उनकी नियुक्ति दूरस्थ गाँव में होती है उसमें तो होती ही नहीं है। अगर 6 आदमियों का स्टाफ है, 4 आदमियों का स्टाफ है तो मात्र एक अध्यापक पढ़ाता है। तो हम अगर प्राथमिक पाठशालाएँ जो पंचायत समितियों के माध्यम से चलती हैं उनमें शिक्षा का स्तर उठा नहीं पाएँगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, एजूकेट करने का वह भी इन्फ्रक्टुअस हो जाएगा, मीनिंग-लेस हो जायेगा, यूजलेस हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरा कहना यह भी है कि हर साल माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय द्वारा कह दिया जाता है कि पंचायतों को बाकी के 10 महीने हैण्डपम्प सुधरवाने के लिये किट्स प्रदान करेंगे। अब के तो यह भी कहा है कि हर ग्राम के आदमियों को प्रशिक्षत किया जाएगा और वहीं के आदमी को मैकेनिक भी बनाया जाएगा। यह सब असत्य है + + + है, इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। आपकी जनता 10 महीने तक रोती है, कहती है कि किसको बुलायें। पी.एच.ई.डी. के पास जाते हैं तो पी.एच.ई.डी. के डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल 2 महीने के लिये आता है, मई और जून और उसके बाद हमारा कोई वास्ता नहीं है, पंचायत समिति के पास जाइये और पंचायत समिति के पास जाते हैं तो वे

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कहते हैं कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपरेटर्स नहीं हैं, व्हीकल नहीं है, बड़े-बड़े टूल्स नहीं है, हम बड़े-बड़े टूल के अभाव में नीचे से पाइप कैसे निकालें, कैसे रोड्स डालें, कैसे कल-पुर्जे डालें और कैसे हैडपम्प को ठीक करें। यह दोहरी व्यवस्था है, दोहरा मापदण्ड है आपका कि 10 महीने पंचायतों और पंचायत समितियों के माथे इनका संधारण, रख-रखाव और मरम्मत का कार्य दे दिया जाता है और 2 महीने जब जनता त्राहिमाम्-त्राहिमाम् करती है तब आप पी.एच.ई.डी. के माध्यम से करते हैं। यह जनता के साथ खिलवाड़ है। एक मात्र साधन है पानी का हैण्डपम्प और जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो सरकार पेयजल की व्यवस्था नहीं कर सके उससे ज्यादा कोई सरकार+ + + नहीं हो सकती और वह सरकार वर्तमान सरकार है जो कि दोहरी नीति रखती है इनके रख-रखाव की। तो यह स्थिति समाप्त होनी चाहिये। कम से कम यह रहम खाओ, यह हिन्दुस्तान है, इसमें भी अगर पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी तो किस देश में होगी? यहाँ पर तो लोग प्याऊ लगाते हैं, यहाँ तो लोग पानी पिलाने को सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं और यहाँ पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है ढाणी-ढाणी में जहाँ पर हैण्डपम्प के अलावा कोई दूसरा साधन हो। हमारा दौसा जिला है, उसमें 135 फीट से 150 फीट तक पानी गहरा है और ऐसी स्थिति में हैण्डपम्प एक साधन है। उस साधन का भी रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसके लिए एक ही व्यवस्था रखे, दोहरी व्यवस्था न हो, यह डबल गेम नहीं खेला जाय, यह दोहरी आँख मिचौली से कोई काम नहीं होता और हैण्डपम्प 10 महीने तक अटका पड़ा रहता है। चाहे बाहर से लगाने की बात हो तो भी जनता रोती है जबकि पानी भी है, जल स्तर भी है लेकिन उसका रख-रखाव नहीं, मेंटीनेंस नहीं है, बड़े-बड़े औजार ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं है उनके पास। एक बी.डी.ओ. के पास जीप रहती है। यह वास्तविकता की स्थिति है, उससे माननीय मंत्री महोदय को अवगत होना चाहिये एक काल्पनिक यूटोपियन कंसेप्ट करके बहुत दिनों तक जनता को खुश नहीं रखा जा सकता है।

इसके अलावा मेरा यह कहना है कि विधायक को निर्बन्ध योजना के अन्तर्गत और 30 जिले 30 काम के अन्तर्गत 10 लाख रुपये की राशि दी जाती है, वह नगण्य प्रायः है। आज 10 लाख रुपये की राशि से होता क्या है? माननीय सभापति महोदय, एक ग्रेवल रोड भी डेढ़ लाख, पौने दो लाख रुपये प्रति किलोमीटर पड़ती है। डामर रोड तो साढ़े पांच लाख रुपये प्रति किलोमीटर पड़ती है। अगर डामर रोड एक विधायक बनाना चाहे तो 2 किलोमीटर की डामर रोड़ बने और उसके निर्बन्ध का पैसा सारा खर्च हो जाता है। अगर वह अलग-अलग हैण्डपम्प के लिये भी दे, तलाई के लिये भी दे, अगर स्कूल की बाउण्ड्री के लिये भी दे तो उसके पास रह क्या जाता है? और इतना बड़ा भू-भाग होता है। ऐसी स्थिति में विधायकों को दी जाने वाली राशि को कम से कम 20 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिये जिससे कि वह अपने ही क्षेत्र में असंतुलितता नहीं बरते या उसके ऊपर यह आरोप नहीं लगे कि उसने अमुक-अमुक गाँव में तो ज्यादा दे दिया और अमुक गाँव को नहीं दिया, अमुक जाति के लोग जिस गाँव में बसते हैं उनको ज्यादा दे

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(184)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

दिया और अमुक जाति के लोगों को छोड़ दिया। उस पर यह आरोप लगता है क्योंकि राशि कम होती है और कार्य अधिक होते हैं। सरकार के पास कोई दूसरा फंड नहीं है, एम.एल.ए. पर आरोप लगता है तो एम.एल.ए. पर आरोप नहीं लगे और समानता से वह अपने सारे क्षेत्र को संतुलित रूप से दे सके, इसकी राशि बढ़नी चाहिये।

(18.00)

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि सचिवों की जो नियुक्ति है वह एक साथ 6-6 और 7-7 पंचायतें एक-एक सचिव को दे दी जाती हैं। वह सचिव जो कि कर्मठ हैं, लगनशील हैं जो कि समय पर जो विकास अधिकारी चाहते हैं जो प्रस्ताव जिन-जिन पंचायतों को भेज देते हैं वह पंचायतें तो भाग्यशाली हैं लेकिन उन दुर्भाग्यशाली पंचायतों का क्या कहा जाये जिनके कि सचिव आते ही नहीं हैं, समय पर प्रस्ताव ही नहीं देते हैं और बजट होते हुए भी उस गाँव के सरपंच के द्वारा जो प्रस्ताव सचिव भेजता है वह नहीं आते हैं विकास अधिकारी के पास तो वह पंचायतें जो विकास की गतिविधियाँ हैं, उनसे पीछे रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी सचिव के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। समय पर प्रस्ताव नहीं दिये जायें तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिये, उसकी तनख्वाह रुकनी चाहिये। जब तक इतनी सख्ती नहीं बरती जायेगी तब तक यह विकास के कार्यक्रम की गति आगे नहीं बढ़ेगी और विकास के काम अग्रसर नहीं हो पायेंगे।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण अलग है और पर्यावरण सन्तुलन अलग बात है। एक स्थिति है प्रदूषण नियंत्रण की जैसे भारी वाहनों से हमारी राजधानी में हो रहा है। आज आप चले जाइये, जयपुर शहर के बाजारों में से निकल जाने के बाद घर पर जाकर सफेद रूमाल से यदि अपना चेहरा पोछें तो सफेद रूमाल काला हो जायेगा। यह है पर्यावरण का प्रदूषण। यह कोई भी सरकार न यातायात विभाग, न ही दूसरे कोई हाइजेनिक आर्डर में रखने के लिये नगर निगम, नगर निगम का नाम तो नर्क निगम रख देना चाहिये। इसका नोमिनक्लेचर ही चेंज करना चाहिये। यह नारकीय स्थिति में रहने के लिये आदमी को बाध्य कर रहे हैं और आज मात्र जयपुर शहर की ही बात नहीं है बाकी के 196 एम.एल.एज. जो दूसरी जगह से आते हैं उनको भी नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। प्रदूषण से हम लोग भी दुष्प्रभावित हो रहे हैं। यह स्थिति हो रही है। हाइजेनिक आर्डर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कोई भी बाडी है वह कुछ भी नहीं कर पा रही है। मेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति में सड़कों के दोनों तरफ जो पेड़ लगाने के लिये योजना थी वह खत्म कर दी गयी है। अब कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगते हों। माननीय वन मंत्री महोदय कह दें कि कोई भी ऐसी योजना है जो सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण करती हो और जो वर्तमान में विद्यमान हो। कोई भी ऐसी योजना नहीं है सरकार की। ऐसी स्थिति में एक कायाकल्प किया जाता था लोकल कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत कि सड़कें भी स्वच्छ होंगी, सड़कें चौड़ी भी होंगी और सड़कों के दोनों तरफ छायादार पेड़ भी लगेंगे जिससे चलते हुए राहगीर और जानवर छाया ले सकें और भी तरीके के जो नेचुरल बेनिफिट्स हैं वह ले सकें लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

दौसा जिले में पर्यावरण सन्तुलन के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। न वृक्षारोपण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि उसी ग्राम पंचायत को अनुदान की राशि, प्रोत्साहन राशि के रूप में बढ़ाई जाये जो ग्राम पंचायत यह बतायें कि हमने दस हजार, पाँच हजार या बीस हजार पौधे इस साल वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारी पंचायत समिति में लगाये हैं। आज आप भरतपुर से आइये, दौसा से आइये, बस्सी से लेकर, कानोता से लेकर हजारों गाड़ियाँ रात को एक के पीछे एक लगी रहती हैं, ऊपर की खाल है तो वह तो हटा देते हैं और लगातार आती है। कहाँ से आती हैं? हरे पेड़ की कटाई करके वह लायी जाती है। कौन रोकता है उसको? चुंगी के नाके वाले पैसा लेकर छोड़ देते हैं। मंत्री महोदय को मालूम है, लेकिन करें क्या, इनके कण्ट्रोल में नहीं है। आज शासन की यह स्थिति है कि वह कहते हैं कि घोड़ा होता है वह सवार को पहचानता है, आज सवार कमजोर है तो घोड़ा कैसे चलेगा? प्रशासन के लोग जानते हैं मंत्री जी की कुछ नहीं चलती। मंत्रियों की कोई मानता ही नहीं है। तो मेरा, सभापति महोदय, यह कहना है कि वनों की जो कटाई हो रही है लगातार और वनों की कटाई से यही नहीं बल्कि जो इकोलोजिकल बैलेंस है वह भी समाप्त हो रहा है। बारिश की बात है तो वह समय पर नहीं हो रही है। पशुओं के लिए जो चारा है आज यदि कटाई नहीं हो तो उससे मिलता है। अगर पशुओं का चारा खत्म हो गया तो पशु ऐसे खाद्य पदार्थ खायेंगे जो कि मनुष्य खाते हैं जैसे हरी पत्ती वाली सब्जियाँ आदि। आज कई तरह की फसले हैं वह भी पशुओं को दे दी जाती हैं। मरता क्या न करता। कोई किसान यह नहीं चाहेगा कि अपने पशुओं को भूखों मरता देखे—

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो मेरा निवेदन करना यह है कि पर्यावरण के सन्तुलन को बनाये रखने के लिये पंचायतों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाये कि वह ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और साथ में ही पंचायत समिति द्वारा जो कार्य कराये जाते हैं उनका मूल्यांकन हो। आज कोई भी ऐसे मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत यह रखा जाता हो कि पंचायत समिति के अन्दर जो राशि दी जा रही है उसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। हर साल पैसा आता है, पैसा जाता है लेकिन वह पैसा खर्च किसके द्वारा किया जाता है? सचिवों के द्वारा जो कि किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सचिवों को जो आजादी की योजना है यह नहीं होनी चाहिये। पंचायतों का जो संविधान में प्रावधान है उसके अन्तर्गत पंचायत का अपने आप में टेरीटोरियल जूरिस्डिक्शन है, यह एक सेल्फ गवर्नमेंट होंगी जो उसके स्वायत्तता लिये होंगी। स्वायत्तता किस चीज की है? न वनों के विकास की, न शिक्षा की, न स्वास्थ्य की, न सफाई की। हर गाँव के साथ आवश्यक रूप से एक गाँव तालाब की योजना बननी चाहिये। अब पानी की कमी के लिये हर पंचायत समिति में ग्राम तालाब भी हो। ग्राम तालाब होगा तो पशुओं को पीने के लिये पानी मिलेगा और उस तालाब के कारण से जो पानी है वह पोर होकर नीचे जायेगा तो इससे हैण्डपम्प का भी जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे प्रेक्टिकल जो सजेशन्स हैं उनको मानकर स्कीम बनायी जाये तो मैं समझता हूँ कि पंचायत हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, वह आने वाले समय में वृक्षारोपण

186

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

भी करेगी, तालाब में पानी भी बढ़ाने के लिए सोचेंगी और जो शिक्षा है, उसका अच्छा शिक्षा स्तर हो इसके लिये भी प्रयत्न करेंगी।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि नील गायें हैं उनका कोई उपयोग नहीं है, वह खेती को खा जाती हैं, किसानों को बहुत बरबाद कर रही हैं और इससे पर्यावरण की जो हरियाली है वह भी समाप्त होती है। इसका कोई उपयोग नहीं होता है और शूट करने के लिए भी परमिशन नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में नील गायों के लिये कोई प्रबंध होना चाहिये, उनको ऐसे क्षेत्र में भेजा जाये कि जहाँ पर कि खेती नहीं होती हो और किसानों को नुकसान नहीं होता हो। किसानों की बहुत बरबादी हो रही है। हमारे इलाके में नील गाय के झुंड के झुंड हैं और उनको किसी भी तरीके से खतम नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार कोई योजना बनाये जिससे कि इनके जीवन का भी अन्त नहीं हो और किसान, जो अपनी बड़ी मेहनत से पैदावार करता है उसको भी कोई नुकसान नहीं हो। इस तरह का कोई विकल्प बनाया जाये।

इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि जो शहरों के अन्दर कूड़ा-कचरा है, इससे दुर्गन्ध फैलती है और दुर्गन्धता के कारण पूरा एटमास्फीयर खराब होता है। इस खराब एटमास्फीयर को ठीक करने के लिये सरकार को चाहिये कि जो भी जयपुर शहर में ऐसे वाहन हैं जो कि कूड़ा करकट ले जाते हैं वह भी सड़कों पर पटकते रहते हैं। पशुओं के शव भी गिरते रहते हैं। न तो उनको ढका जाता है और न ही उनका रख-रखाव किया जाता है। जयपुर शहर खजाने वालों के रास्ते में तो मेन मार्केट के अन्दर जो लाइब्रेरी है उसके सामने मिठाई की दुकानों के सामने, जहाँ पांच-पांच मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर नगर परिषद कूड़ा करकट इकट्ठा करती है। क्यों करती है? इसलिए कि वह लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। यह सही स्थिति है। ऐसे दृष्टिकोण से काम करने वाली सरकार जो कूड़ा करकट भी सड़क पर फेंक दे...(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : जोशी जी अपने सोच को बदलो। भारतीय जनता पार्टी कभी सड़कों पर कचरा नहीं डालती। भारतीय जनता पार्टी + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, यह सदन के पर्यावरण को सही करो। यह पर्यावरण गन्दा कर रखा है इन्होंने सदन में।

श्री सभापति : श्री महावीर भगोरा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रदूषण के प्रदूषक तो यहाँ उपस्थित हो गये।

एक माननीय सदस्य : शैलेन्द्रजी की भावनाओं को समझिये, वे अपनी राइट डिफाइण्ड कर रहे हैं। पंचायत के माध्यम से वे अपने राइट डिफाइण्ड करना चाह रहे हैं कि मेरे कौन-कौन से राइट हैं, बताओ उनको...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका समय जा रहा है, आप बोलिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 41 पर विचार हो रहा है तो उस पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। पंचायत राज व्यवस्था चाहे नेहरूजी की कल्पना रही हो, चाहे सुखाड़िया जी की कल्पना रही हो—

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(187)

श्री रामस्वरूप : कौनसी मांग पर बोल रहे हैं?

श्री महावीर भगोरा : 41 पर।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह आदिवासी आपको पसन्द नहीं हैं क्या?

श्री रामस्वरूप : आप बीच में कौन हैं?

श्री महावीर भगोरा : (व्यवधान) श्री रामस्वरूप जी प्रदूषण आप फैला रहे हो।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 41 पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। पंचायत राज की कल्पना किसी के भी मन में आयी हो, परन्तु हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार मिलने चाहिये उसके बारे में चिन्तन उपजा है और आजादी के 48 साल बाद पहली बार लोगों को लोकतंत्र का अहसास हुआ है। लोकतंत्र के अधिकार मिले हैं। इस व्यवस्था से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन हुआ है। पंचायत स्तर पर पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं उसमें गाँव के आम आदमी को जोड़ा गया है। पहले जो भी योजनाएं बनती थीं वह ऊपर से थोपी जाती थी। उन योजनाओं का क्षेत्रों में कितना उपयोग है कितना उपयोग नहीं है, इस पर कोई चिन्तन नहीं था। वर्तमान व्यवस्था में स्थानीय नागरिक अपने स्तर पर स्वयं योजनाएं बनायेंगे और उनके हिस्से की जो राशि आयेगी उस राशि का वह स्वयं उपयोग करेंगे, स्वयं क्रियान्वयन करेंगे। इस अवसर पर पंचायत राज के मंत्रीजी को मेरा यह निवेदन करना है कि पंचायत राज में जो विकास के काम पंचायतों के माध्यम से होने हैं उनके क्रियान्वयन के लिये पंचायत समिति में किस तरह का स्टाफ आपके पास उपलब्ध है। किसी भी क्षेत्र को हम ले लें एक विकास के काम की मैं बात करूं, मात्र एक जूनियर इंजीनियर, 30 से लेकर 60-65 पंचायतों के विकास के काम को वह किस तरह से देखेगा, कैसे वह तकनीकी मार्गदर्शन देगा और कैसे तकनीकी मार्गदर्शन के बाद कार्य पूरा होने के बाद उसका असेसमेंट करके उसके भुगतान की व्यवस्था करेगा। तो मेरा यह निवेदन है कि जेईएन. का एक एडिशनल पद पंचायत समिति में क्रियेट किया जाना चाहिए। साथ ही जो पद ग्रुप सचिवों के सृजित हैं उनकी भी स्थिति यह है कि तीन या चार पंचायतों के बीच में एक ग्रुप सचिव है, तो निश्चित रूप से इसकी भी संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।

इसी तरह से अन्य विभागों से क्योंकि इस विभाग का अपना कोई कैडर नहीं है स्थानीय अध्यापकों को छोड़ करके। इस सम्बन्ध में मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि आप चिन्तन करें और अपने विभाग का कैडर निश्चित करें और निश्चित करके जितने भी काम अन्य विभागों के आपके जिम्मे हैं वहाँ अपने केडर के आफिसर्स को नियुक्त करें और उनसे उनका काम करवाएं ताकि उनके ऊपर जिम्मेदार भी मुकर्रर की जा सके। वरना बाहर से जो अधिकारी डेपुटेशन पर आते हैं जितने समय वह रहते हैं आपाधापी करके चले जाते हैं।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संस्थान में जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने कहा कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था की है पंचायत इकाई, जिला परिषद इकाई, पंचायत समिति की इकाई इनका आपसी तालमेल क्या होगा। इस पर माननीय कमला जी ने यह बात कही थी, तो हमें चिन्तन करके चाहे बहस करनी पड़े यह करके जिम्मेदारियाँ मुकर्रर की जानी चाहिए। वरना स्थिति तो यह हो गयी है कि महकमें तो बहुत हो गये हैं और काम एक है और काम को खींच रहे

(188)

(श्री महावीर भगोरा)

हैं। तो निश्चित रूप से इस पर कोई चिन्तन करके कार्यवाही करनी चाहिये। मैं संक्षिप्त रूप से पंचायत राज व्यवस्था पर यही निवेदन करना चाहता था।

जहाँ तक वन विभाग का सवाल है। वन विभाग हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है और इसके बारे में हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिये। जो वन क्षेत्र हमारा आजादी के पूर्व था आज हमारे पास उस क्षेत्र में से कितना क्षेत्र रह गया है, उस क्षेत्र में भी वन विभाग ने वन विकास के लिये क्या कार्यक्रम हाथ में लिये हैं और आजादी के 48 वर्ष बाद भी आज उसकी क्या उपलब्धि रही है। उसमें निश्चित रूप से वन विभाग के जितने बड़े अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मेरा सानुरोध आग्रह है कि वह इसका सघन मूल्यांकन करावें और मूल्यांकन करवा करके वन विकास के लिये यह नये कार्यक्रम क्षेत्रों की दृष्टि से दिमाग में हों और सभी अधिकारियों और स्थानीय लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन लेकर उस क्षेत्र में किस तरह की वन सम्पदा वर्षों पूर्व थी और उसमें बढ़ोतरी कैसे होती थी। आज आप जो पेड़ लगा रहे हैं वह पता नहीं किस के पेड़ आप लगा रहे हैं, न तो उनका उपयोग मवेशियों के लिये होता है न हमारे ईंधन के काम आता है और न ही इमारती परपज के लिये वन काम आते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी वर्तमान में जो वृक्षारोपण की नीति है, वैसे मेरी वन विकास के अधिकारियों से कुछ चर्चा हुई थी उन्होंने कुछ प्रजातियां निश्चित की हैं और निश्चित करने में चिन्तन कर रहे हैं, परन्तु जितना काम होना चाहिये उतना काम नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पुनः मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके वैज्ञानिक तरीके से नये वृक्षारोपण की व्यवस्था करें।

अब मैं थोड़े से और मुद्दे यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि वन भूमि पर जो उस क्षेत्र के वनवासियों का कब्जा है राज्य सरकार ने भी ऐसे निर्देश दिये हैं कि वन भूमि जो वन के प्रयोजन के लिये ली जाती है उसके एवज में वृक्षारोपण के लिये हम भूमि आबंटन करेंगे। निश्चित रूप से वनों का क्षेत्र घटता चला जा रहा है और अगर वन का क्षेत्र घटता गया तो पर्यावरण की हमारी स्थिति डांवाडोल हो जाएगी। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ ऐसी सरप्लस भूमि है वह वन विभाग को दी जा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसी तरह से फोरेस्ट एरिया में माइनिंग का कार्य हो रहा है। माइनिंग के दोहन के साथ ही वनों का भी विनाश होता जा रहा है। तो माइनिंग विभाग का जो वन विभाग से अनुबंध हो, उसमें पाबन्द करें कि जितने भी माइनिंग के लोग खदान का कार्य करते हैं वह भी निश्चित क्षेत्र में वन विकास का कुछ कार्य करें तभी उन्हें लीज दी जाय वरना नहीं दी जानी चाहिये।

इसी तरह से वन भूमि और राजस्व भूमि के सीमाकंन की बात है। आज यह समस्याएं उपस्थित होती हैं कि कौनसी भूमि वन विभाग की है और कौनसी भूमि राजस्व विभाग की है। सैटलमेंट के टाइम पर भी यह क्लीयर नहीं हो पाया है और आज भी राजस्व भूमि वाले तो भूमि का आबंटन कर देते हैं और वन विभाग वाले आकर उसको बेदखल कर देते हैं। इस तरह से हमारे हजारों आदिवासी किसान और काश्तकार इन झगड़ों में फंसे हुए हैं, आज भी वह अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे हैं और उनको अपनी रोटी रोजी कमाने

(श्री महावीर भगोरा)

में दिक्कत आ रही है। ऐसे सैंकड़ों केसेज हैं जो वन विभाग के भी ध्यान में हैं। वैसे 91 के केसेज वन विभाग के लोग बहुत कम बनाते हैं वह आपस में ही कुछ ले देकर के निपटारा कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट नीति तय हो जानी चाहिये कि इसमें क्या करेंगे?

अब मैं वनों की अवैध कटाई की बात करना चाहता हूँ। वन में अवैध कटाई जिस तरह से हो रही है और जो गैंग काम कर रहे हैं, वन विभाग के पास इतना स्टाफ नहीं है कि लम्बे-चौड़े क्षेत्र को एक वन सहायक या कर्मी, जो भी आदमी हो, उसको चैक कर सकें। इसमें गार्ड वगैरह की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये और आधुनिक यंत्र जैसे वायरलैस सैट्स पिछली बार दिये थे, उसमें भी बढ़ोतरी की जानी चाहिये। हम यह चाहते हैं कि विकास के कामों में हम उनको सड़कें बनाकर दें ताकि उनके वाहन आ जा सकें, परन्तु उनकी क्या नीति है मेरी समझ में नहीं आती सड़क बना कर दे रहे हैं उसमें भी वह विरोध डालते हैं कि हमारी सड़क नहीं बननी चाहिये। तो मैं चाहूँगा कि रास्ता बनाने में अगर आपको अन्य मदों से कोई राशि मिलती है तो आप उसका सहयोग लेवें और उसमें आपका उपयोग हो ऐसा प्रयास करें।

वनों की कटाई का जहाँ तक सवाल है–

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री महावीर भगोरा : प्रमुख मुद्दा वन कटाई का है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में लोग ईंधन के लिये वनों की कटाई करते हैं ईंधन की जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी, हम उस ओर नहीं सोचेंगे, तो वनों की कटाई होती रहेगी।

वनों के आधार पर हमारे आदिवासी भाइयों का जीवन रहा है और आज सारे वन, वन नीति के तहत वन विभाग के पास चले गये हैं तो उनकी रोटी-रोजी के लिये भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी तो निश्चित रूप से आप कितना ही प्रयास करें वन लगाने के लिये, वन कटते ही रहेंगे और हम लोग जिस भावना से वनों का विकास करना चाहते हैं वह वन विकसित नहीं हो पाएंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि इस पर भी सरकार को चिन्तन करना चाहिये कि किस तरह से हम वनों की सुरक्षा कर सकते हैं। वन विभाग से एक आदेश जारी हुआ था कि वन विकास और सुरक्षा के लिये गावों में समितियां बनायी जायें। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि मेरे बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वन विभाग ने सुरक्षा समितियों के गठन का कोई प्रयास नहीं किया और विभाग का जो परिपत्र जारी हुआ है वह कागजों में ही पड़ा रह गया है। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि वन विभाग के अधिकारी और वन मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे और इस तरह की सुरक्षा समितियां और गांव की सहभागिता जोड़कर के लोगों के मन में वनों के प्रति स्नेह विकसित करेंगे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह जी दीवान।

श्री रामनारायण डूडी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं थोड़ी देर के लिये चला गया था और मेरा नाम रह गया। आप मुझे एडमिट करेंगे।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, एक मारवाड़ी में कहावत है-"हिसाब है ज्यूं रो ज्यूं, टाबर छोरा डूब्या क्यूं।" महकमा बढ़ता जा रहा है, वन विभाग का खर्चा बढ़ता जा रहा है और नंगी पहाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खर्चा बढ़ रहा, महकमा

(श्री माधवसिंह दीवान)

बढ़ रहा, स्टाफ बढ़ रहा और नंगी पहाड़ियों की संख्या बढ़ रही, यह कहाँ से कौनसा फार्मूला हुआ? क्या विभाग कर रहा है? जब हमारे हाउस कमेटी के चेयरमैन श्री रघुवीरसिंह जी कौशल को वन मंत्री बनाया तो मुझे बहुत बड़ी उम्मीद हुई, मैंने कहा कि एक काबिल आदमी को वन विभाग सौंपा है और जरूर ही क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : दीवान साहब, पिछले चार साल से तो वन बढ़े हैं यह तो मानना ही पड़ेगा।

श्री माधव सिंह दीवान : मैंने आपसे यह कहा कि "हिसाब है ज्यूं रो ज्यूं, टाबर छोरा डूब्या क्यूं।" कहीं पर भी नंगी पहाड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं आयी है। आज आप कहीं से भी पधारो, दिल्ली से हवाई जहाज से आज उदयपुर पधारो, तो हमारे पाली जिले में कहीं कोई 2-4 पेड़ उस अरावली में दिख जाएं, बाकी सब जगह नंगी पहाड़िया ही नंगी पहाड़ियां नजर आयेंगी। श्री रघुवीर सिंहजी से उम्मीद थी कि इस विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, कोई न कोई क्रान्तिकारी चेंजेज इसमें लायेंगे पर दुःख की बात है, एक वर्ष बीत गया और महकमा वहां का वहां है, कहीं कोई आगे बढ़ा हो, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नजर नहीं आये। वन विभाग शुरू कहां हुआ? राजा महराजाओं के समय में जब वन विभाग था तो उसका उपयोग दो काम के लिये होता था, या तो उसके आदमी, उसके आफिसर्स राजा-महाराजाओं को शिकार खिलवाते थे, हाका करवाते और किस महाराज ने कितने शेर मारे, उसकी संख्या होती कि इन्होंने 100, इन्होंने 150 शेर मारे और दूसरा वन विभाग का उपयोग था, इमारती लकड़ी कटवाना और उस लकड़ी से सरकारी कोष के अन्दर आमदनी बढ़ाना। उस समय से यह वन विभाग बना हुआ है जिसने काम ही अपने दो किये हैं कि लकड़ी कैसे कटवाई जाए और किस प्रकार राजा-महाराजाओं को शिकार करवाया जाय। उसी वन विभाग को आजादी के बाद हमने सौंप दिया, वन लगाने का कार्यक्रम। जिस कसाई ने आज तक बकरे काटें हों उसको आप सौंपो कि साहब आप बकरों का प्रजनन करो। उसकी विचारधारा ही नहीं है। उस वन विभाग को काम दिया और यही हुआ, ठेकेदारी प्रथा और बढ़ गयी और वन कटने और शुरू हो गये और कटते ही चले गये। उसके बाद भेड़-बकरी उसके अन्दर चरायी करने लगे। हर भेड़-बकरी से, महकमे वाले रुपया, दो रुपया लेओ और वन के अन्दर चराओ। जो पेड़ थोड़े बहुत फूटते उनके पत्ते भेड़-बकरी साफ कर जाती।

आदिवासी, अभी भाई महावीरजी कह रहे थे कि आदिवासी हजारों वर्षों से जंगल में रहते आये हैं। उस टाइम जंगल नहीं बिगड़ा क्योंकि इतना जंगल था कि सूखी लकड़ी और उसकी उपज से ही उनका पेट भर जाता था। अब जब जंगल रहे नहीं तो आदिवासी अपना पेट कहां से भरे? तो पेट भरने के लिये जो भी छोटे-मोटे पेड़ पैदा होते, आदिवासी उसको काटने लग गये और आखिर नतीजा यह हुआ कि सरकार चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, बैठी देखती रही। जो सबसे इम्पोर्टेण्ट कार्यक्रम था, कम बच्चे और ज्यादा पेड़, न तो बच्चे कम हुए और न पेड़ों की संख्या ज्यादा हुई और पर्यावरण बिगड़ गया और नंगी पहाड़ियां जहां हजारों वर्षों में वहा मिट्टी जमती थी, वहा पेड़ घट जाने के बाद वह मिट्टी बह-बहकर नीचे आने लगी और कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुझे भी कुछ महीने, डेढ़ महीने वन मंत्री रहने का

(श्री माधवसिंह दीवान)

मौका मिला और जब विभाग का अन्दरूनी ढांचा देखा तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि टैक्निकल होने के बावजूद न तो नर्सरी के अन्दर कितने पौधे तैयार हो रहे हैं, उसका कोई हिसाब है, न कितने डिस्ट्रीब्यूट किये जा रहे हैं उसका कोई हिसाब। जितने टार्गेट दिये उतने पेड़ आ गये और डिस्ट्रीब्यूट हो गये। पंचायत समिति में आप जाकर देखो तो ढेरों थैलिया पड़ी हुई हैं किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिये और वहीं सूख रही हैं और जब यह कोशिश की कि इसके कोई न कोई पैसे लगा दिये जाएं 10 पैसे, 20 पैसे एक प्लांट के। तो एक एस.एस.ओ. मिनिस्टर रहते हुए मैंने जो कार्यक्रम किया, साल भर तक उसके आर्डर नहीं निकलने दिये वन विभाग ने। अनफार्चुनेटली मुझे ही वन विभाग मिल गया तो मैंने बड़ी ताकत लगाकर के 10 पैसे और 20 पैसे लागू करवाये जो वन विभाग ने बड़ी मुश्किल से एग्री किया कि साहब इसका हिसाब-किताब कैसे रखेंगे, हिसाब-किताब रखेंगे तभी उन पेड़ों का उपयोग होगा और जो 10 पैसे खर्च करके कोई सामान ले जाएगा वह जरूर उसका उपयोग करेगा। इस तरह से नर्सरी में पेड़ों की संख्या बराबर रहने लगी, बाकी उसके पहले नर्सरी में कोई हिसाब नहीं था।

आज आप देखें तो 31 हजार स्क्वायर किलोमीटर में वन क्षेत्र है राजस्थान का। 9 पर्सेन्ट राजस्थान का वन क्षेत्र रिकार्डों में आया हुआ है और बहुत बड़ी अरावली योजना की बातें करते हैं कि साहब अरावली योजना जापान के कोलोबोरेशन से हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसमें 176 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और उससे कितने एरिया में वन लगायेंगे? एक हजार स्क्वायर किलोमीटर में। 31 हजार का जो वन क्षेत्र है उसमें पूरी जापान की योजना 10 साल चलने के बाद भी आप सिर्फ एक हजार स्क्वायर किलोमीटर में लगायेंगे। बाकी 30 हजार का क्या होगा? क्या उस टाइम तक और भी जो वन हैं वे समाप्त नहीं हो जायेंगे? इसके लिये सारी व्यवस्था यह थी, इतना वह काम हो रहा है कि कट ज्यादा रहा है और आपका पूरा महकमा अपने दल-बल सहित जिसमें करीब 13 हजार आदमी हैं। 13 हजार आदमी तो पूरे रोज के, परमानेंट हैं और जो वर्क चार्ज स्टाफ है उसकी संख्या तो 20-25 हजार और होगी। किसी आदमी को फोरेस्ट में ढूंढने चले जाएं तो मिलेगा नहीं। एक दिन गया, मस्टररोल पर हाजिरी भरी और महीने भर गायब रहे। न तो अफसर को फुरसत है और न किसी को फुरसत है कि जाकर देखे। रेंजर साहब जयपुर में ही बैठे रहेंगे, पाली में ही बैठे रहेंगे और कहीं तो कहेंगे कि फोरेस्ट में मिलेंगे, फोरेस्ट में ढूंढने कहां जाएं? फोरेस्ट है 20-25 किलोमीटर लम्बा कि साहब फोरेस्ट में गये, वहाँ नोट कराया। वही वनपाल का हाल है और वही जो आपके फोरेस्ट गार्ड हैं उनका हाल है। जहाँ कहीं छोटी-मोटी दीवारें बनी हुई हैं, आप लोग पधारते होंगे, देखते होंगे, सैंकड़ों जगह टूटी हुई हैं, उन दीवारों का मतलब ही क्या है? उन दीवारों को रिपेयर कराने के लिए आपके वर्कचार्ज की कोई रेस्पांसिबिलिटी नहीं है कि उन दीवारों को ठीक कराये। आप सड़क पर पधारो तो जो दोनों तरफ तारबन्दी लगी हुई है, 90 पर्सेन्ट में वह तारबन्दी टूटी हुई है, एंगल मुड़े हुए हैं, लोग एंगल ले गये, तार ले गये। कोई अफसर सड़क पर निकलता हो तो शायद वह आँख-मींचकर ही निकलता होगा, कोई पूछने वाला ही नहीं कि सड़कों के दोनों तरफ पेड़ जो लगाये हैं उनको भेड़-बकरियाँ खा रही हैं

192

(श्री माधवसिंह दीवान)

और तारबन्दी कहां गयी? क्यों तारों के लिये करोड़ों रुपया, हजारों रुपये आपने लगा रखे हैं। जो पेड़ बड़े हो गये हैं उनको बकरी वाले हर साल काट-काटकर गिराते हैं और बकरियों को खिला रहे हैं। वे पेड़ सूखते चले जा रहे हैं, उनके छिलके छोले जा रहे हैं, वे पेड़ सूख रहे हैं। मतलब विभाग का कहीं प्रेजेंस, आप जोधपुर से जैसलमेर तक पूरी रोड के दोनों तरफ तारबन्दी आज से 10 साल तक लगी रही, परन्तु शायद आपको कोई 25-50 पेड़ मिल जायं उस 300 किलोमीटर लम्बी सड़क पर, तो भी बहुत बड़ी ताज्जुब की बात होगी। करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, होते जा रहे हैं पिलायी की नाम पर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका क्या किया जाय?

श्री माधवसिंह दीवान : मुख्य मंत्रीजी, आप बिलकुल सही बात बता रहे हैं, यह सही बात है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात तो आती रही है, इसका उपाय बताओ आप। इसमें कोई डिनाई करने का कारण नहीं है और इसको स्वीकार करें या नहीं करें लेकिन ये तथ्य हैं, इन तथ्यों के बावजूद इस सारी समस्या का समाधान कैसे हो, यह आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ।

श्री माधवसिंह दीवान : मुख्य मंत्रीजी, आपने बिलकुल सही बात कही है। ये तथ्य बताने आवश्यक थे ताकि कुछ बैक-ग्राउण्ड क्लियर हो जाय। जब जागीरदारी राज था, दरबार का राज था तब खेतों की हालत भी यही थी क्योंकि उनके मालिक दरबार और जागीरदार थे और उन खेतों की हालत का कारण यह था कि किसान अपना इण्टरेस्ट नहीं लेता था। आज जब तक इन वनों की मालिक सरकार रहेगी तब तक इन वनों की यही हालत होगी। सरकारी महकमें से और सरकारी तामझाम से इसमें सुधार आने वाला नहीं है। जिस तरह से खेतों को प्राइवेटाइज किया आज के रेवन्यू ला में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंचायतों को देने का फैसला किया है उस पर क्या रिएक्शन हैं आपके?

श्री माधवसिंह दीवान : पंचायतों को देने से तो और भी ज्यादा डूब जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसको दें?

श्री माधवसिंह दीवान : जब तक आप इसको, जिस तरह से आपने किसानों को खेतों का मालिक बनाया और उन्होंने रात-दिन पूरे परिवार ने मेहनत करके उस खेत को सुधारा। एक भी जगह कोई कचरा होता है तो वह उसको निकाल कर फेंकेगा, एक भी जगह अगर बिजली की मोटर जल जाती है तो रातोंरात भागकर ठीक कराता है। आप चाहें केन्द्र सरकार से बात करें, चाहे जिससे भी बात करें, आप इस फोरेस्ट की जितनी भी पहाड़ियां हैं, इंडिविजुअल को जब तक नहीं सौंपेंगे, प्राइवेटाइजेशन के सिवाय इस वन विभाग को सुधारने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। मैंने इसके बारे में एक कोशिश की थी, ठेका, ठेका नहीं है, आप किसान को मालिक बनाओ। इस सारे कार्यक्रम पर जो आज आप 160 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, इन 10-12 हजार आदमियों को नौकरी देने के लिए खर्च कर रहे हैं। इसलिए आपसे स्पष्ट निवेदन यह है कि आप इनको डिवाइड करके जो आज पहाड़ियां हैं उनको इंडिविजुअली जिस तरह से आपने भूमि को अलाट किया, भूमि का खातेदार बनाया इन्हीं किसानों को या चाहे पशुपालक हैं उनको इसको दीजिए, उनको ऐड दीजिये, उनको जो

193

(श्री माधवसिंह दीवान)

चीज चाहिये वह दीजिये तभी आपका वनारोपण हो सकता है, वनों के अन्दर विकास हो सकता है। बाकी यह जो हालत बनी हुई है यह रिवोल्यूशनरी स्टेप है इसमें आपको निर्णय लेना पड़ेगा और निर्णय भी जल्दी लेना पड़ेगा तभी राजस्थान के अन्दर पर्यावरण में सुधार हो सकता है, वनों के अन्दर सुधार हो सकता है। वनों के अन्दर विशेषकर जो लोग रह रहे हैं, खासकर अरावली रेंज के अन्दर रावत लोग रह रहे हैं, आदिवासी लोग रहे हैं उनको आप इसमें पार्टनर बनाइये और इनको जो ऐड देनी हो वह ऐड देनी चाहिये और इनको पूरे पेड़ गिनकर, जो भी साल में देने हों कि इतने आपने पेड़ लगाये इतनी आपको हम सब्सिडी के रूप में या मेहनत के रूप में देंगे और उसकी उपज वह उपयोग में लें। वह किस तरह हो सकता है? मैंने एक प्रथा चालू की थी जो वन मस्टररोल पर लगाये जाते हैं उस मस्टररोल की जगह ठेकेदारी प्रथा इस पर लागू करें ताकि ठेकेदार जो सड़क बना सकता है, बांध बना सकता है तो वन क्यों नहीं लगा सकता है। पर स्पेसिफिकेशन वन विभाग बनाने को ही तैयार नहीं था। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : किसानों ने नंगी पहाड़ियों को नहीं लिया तो फिर आप क्या करेंगे? नंगी पहाड़ियों को लेकर क्या करेंगे किसान?

श्री माधवसिंह दीवान : एक नहीं, पचासों किसान तैयार हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया आसन को सम्बोधित करें।

श्री माधवसिंह दीवान : गवर्नमेंट ऐड देगी। और यह समस्याएं तो आपके सामने आएंगी कोई बची जगह होगी कहीं शुरू होगा और जब एक बार इनकम होनी शुरू होगी तो आपके आदिवासियों का स्टैण्डर्ड भी बढ़ जाएगा और आदिवासी आज जगह-जगह भटक रहे हैं इधर-उधर, उनको अपने पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे।

अन्त में, सभापति महोदय, नील गायों की समस्या वाकई इतनी भयंकर है कि किसान पूरी-पूरी रात जागता है और हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो उस समय सब गांव में इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारा इन नील गायों से पीछा छुड़वाओ और अब तो हमला भी करने लग गयी हैं। स्पेशली मेल बुल जो है वह तो छोटे-मोटे, औरत आ गयी या कमजोर आदमी आ जाए तो उसको मारने आ जाती हैं। कई लोग टोपीदार बन्दूकें रखते हैं चमकाने के लिए और गलती से कभी किसी के लग गयी और मर गयी या घायल हो गयी तो हमारे गृह मंत्रीजी की फौज लगी हुई है पुलिस वाली, वह गांव-गांव में ढूंढ़ते हैं कि कहीं कोई मरी तो नहीं है और मरी हुई होती है तो उस किसान से हजारों रुपये वसूल कर लेते हैं। कम से कम एक आदेश तो, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे अनुरोध है कि आप निकाल दीजिए कि अगर चमकाते हुए कोई नील गाय की मृत्यु हो जाती है, लंगड़ी हो जाती है तो उस किसान को कम से कम गृह विभाग या पुलिस वाले तंग नहीं करें। क्योंकि वह नील गाय को मारने के लिये नहीं कर रहा है वह अपने खेत की फसल को बचाने के लिये उसको चमका रहा है और खुद को बचाने के लिए वह ऐसा कर रहा है। इसलिए कम से कम ऐसे आदेश निकल जाएं कि पुलिस वाले ऐसे आदमी को तंग नहीं करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री मदनमोहन जी। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आदेश निकाल देंगे वह तो ये बतायेंगे लेकिन, माननीय मुख्य मंत्रीजी, वास्तविकता यह है कि अब तो झुण्ड के झुण्ड में आती हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाई, मानता हूँ आप तो केवल तस्वीर में देखते हैं..

श्री विष्णु मोदी : मैं तो खेतों में देखता हूँ, हम खेतों में देखते हैं..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप और हम तो खेतों में देखते हैं और ये तस्वीरों में देखते हैं और तस्वीरों में देखने वाले हमें इलाज बता रहे हैं। इतना ज्ञान..

श्री विष्णु मोदी : तस्वीरों में नहीं मैंने तो कांस्टीट्यूएंसी में अपनी आँखों से देखा है। ..(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (वन मंत्री) : डी.एफ.ओ. को परमिशन दे दी आप लाइसेंस ले लीजिये मारने की और मारिये चाहे जितनी।

श्री माधवसिंह दीवान : यह सम्भव ही नहीं है, यह तो एक सरकारीकरण है उसी का है। डी कैटेगरी में करने के सिवाय इसका कोई इलाज नहीं है। कौनसा किसान डी.एफ.ओ के पास जायेगा?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हमने फिफ्थ शिड्यूल में डालने के लिये सैंट्रल गवर्नमेंट को लिखा था, वह एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोविजन में ही इसको कर दीजिये तो हमने यह पावर जो पी.सी.सी.एफ को थी यह पावर डी.एफ.ओ. को दे दी। आप उनसे परमिशन ले लीजिये और मार लीजिये। यह गाय प्रजाति की नहीं है, माननीय दीवान साहब, यह हिरण प्रजाति की है इसलिए इसे मारने में कोई पाप नहीं लगने वाला।

श्री माधवसिंह दीवान : आप तो गृह मंत्रीजी से कहलवा दीजिये कि इनको पुलिस तंग नहीं करे बाकी हम सब सम्भाल लेंगे।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 9,11 और 41 पर सदन में चर्चा हो रही है, मैं भी उसके पक्ष में अपनी बात सम्मिलित करता हूँ।

सभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो पंचायत के चुनाव नहीं कराने का हमेशा इनके ऊपर आरोप लगता था कि पंचायतों के चुनाव नहीं कराते, इस बार पंचायतों के सुचारू रूप से और ला एण्ड आर्डर की स्थिति को सम्भालते हुए और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए, पंचायतों के चुनाव करवाये, उसके लिये धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ-साथ इस बार पंचायतों में जो पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति, जन जाति एवं महिलाओं के लिये आरक्षण दिया उसके लिये भी धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, सरिस्का वन्य जीवन अभ्यारण्य है वहाँ पर लगभग 40 वर्षों से लगातार खनन कार्य होता था उसको करीब 2 साल पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बन्द करने का सराहनीय कार्य किया, उसके लिये बधाई देता हूँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने करीब 9 हजार प्रदूषित इकाइयों को बन्द किया उनका भी फैसला सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में बैठकर किया गया उसके ऊपर पर्यावरण का ध्यान न रखकर उनको अलवर जिले में स्थापित करने का फैसला किया। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ पर्यावरण की बात की जाती है और दूसरी तरफ प्रदूषण वाली इकाइयां जब अलवर जिले में स्थापित की जाती हैं तो क्या यह पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं या पूरे अलवर जिले को पर्यावरण से मुक्त करने का आपका यही एक औचित्य है? माननीय

(श्री मदन मोहन)

सभापति महोदय, अलवर जिले में लगभग 50 क्रेसर ऐसी जगह चलते हैं जहां ग्रीन बैल्ट को नुकसान होता है, जहां पर किसानों की भूमि पूर्ण रूप से बर्बाद होने की कगार पर खड़ी है लेकिन आपका वन विभाग और पर्यावरण विभाग कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और वहां अरावली पर्वत श्रृंखला के अन्दर हरसौली गांव है, हरसौली गांव से पहले मैन रोड पर एक जगह है जहां मुख्य मार्ग पर क्रेसर की मशीन लगी हुई, वहां रात्रि में कई बार एक्सीडेंट होते हैं, रात्रि में दिखाई नहीं देता। इसी तरह से तिजारा फाटक से निकलते ही वहां पर 2 फैक्टरियां लगी हुई हैं क्रेशर की, वह भी दोनों सुचारू रूप से चल रही हैं और आपका पर्यावरण विभाग सोया हुआ है। एक तरफ आप नर्सरी लगाकर पेड़-पौधों का विकास करना चाहते हैं। पेड़ लगाना अच्छी बात है और यह आज राजस्थान की ही समस्या नहीं है पूरे हिन्दुस्तान की समस्या है कि पर्यावरण की रक्षा की जाए लेकिन ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण इतनी मात्रा में बढ़ गया कि आज आम आदमी जो सिगरेट और बीड़ी पीता है उसको सिगरेट और बीड़ी पीने की जरूरत नहीं है, एक टैम्पो के पीछे आधा किलोमीटर चलने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि ये जितने भी टैम्पो राजस्थान की राजधानी जयपुर में चलते हैं उनको पूर्णतया बन्द कर दिया जाए या सारों में इस प्रकार के उपकरण लगा दिये जायें कि जिससे जो प्रदूषण फैलाये उनको ही बन्द कर दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण को ठीक करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में जहां जगह-जगह पर नयी-नयी औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं लेकिन आज तक उनका कभी भी पर्यावरण विभाग द्वारा सर्वे नहीं किया गया है और प्राइवेट कम्पनियों द्वारा ही पोल्यूशन कन्ट्रोल किया जाता है, इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती है। यह प्राइवेट एजेन्सीज कभी भी इसमें सफल नहीं हो सकती है। राज्य सरकार को इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिये और जो उद्योग पोल्यूशन फैलाते हैं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र उस समय दिया जाना चाहिये जब चैक कर लिया जाए और हर महीने में या तीन महीने के अन्दर निरीक्षण किया जाए। पर्यावरण के नाम पर और प्रदूषण के नाम पर थानागाजी क्षेत्र के अन्दर एक तरुण भारत संघ है जहां पर विदेशों से पैसा मिलता है। लेकिन वह संस्था आज पर्यावरण के नाम पर अलवर जिले को बर्बाद कर रही है। वहां पर पर्यावरण की रक्षा के बजाय वेश्यावृत्ति का अड्डा बना हुआ है। वहां पर विदेशी लड़कियों को लाकर वेश्यावृत्ति का धंधा कराया जा रहा है और उस संस्था का न कोई रिकार्ड है। अलवर जिले के कलक्टर और एस.पी. वहां पर बैठकर मीटिंग करते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो इस प्रकार की विदेशी संस्थाएं वहां पर लगी हुई हैं उनको तुरन्त प्रभाव से बन्द कर देना चाहिये। वहां के रहने वाले लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिये कभी प्रोत्साहित नहीं किया लेकिन विदेशी लोगों को वहां पर लाकर रोक दिया जाता है और खनन के कार्य में बाधा पहुँचाने के लिये जिस प्रकार से इटली और ब्राजील में ग्रेनाइट और संगमरमर निकलता है उनका पूरे विश्व के ऊपर आज प्रभुत्व है लेकिन राजस्थान में जो खनन होता है, उस खनन कार्य को पर्यावरण के नाम पर बन्द किया जा रहा है। जहां पर वास्तव में खनन होना चाहिये वहां पर खनन कार्य नहीं होता

(श्री मदनमोहन)

लेकिन इटली और ब्राजील दूसरी नीयत से इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरे विश्व में ग्रेनाइट और संगमरमर पर कब्जा है। राजस्थान से निकलने वाला ग्रेनाइट और संगमरमर पूर्णतया सस्ता निकलता है और केवल ऊपरी जगह पर ही पड़ा हुआ है लेकिन वहां पर करीब 500-500 फीट गहरी खानें हैं उन खानों से निकालने में बहुत जबरदस्त खर्चा आता है। लेकिन यहां पर पर्यावरण की विदेशी एजेन्सियां स्थापित करके उसको बन्द कर दिया गया है। यहां पर राजस्थान की गरीब जनता की आत्मा को कोसने के लिये, गरीबी को नहीं मिटने देने के लिये इस प्रकार के विदेशी प्रयास किये जा रहे हैं।

सभापति महोदय, जापान से पिछले वर्ष करीब 145 करोड़ रुपये की सहायता वानिकी के लिये, वन एवं पर्यावरण के विकास के लिये मिली लेकिन उस 145 करोड़ रुपये से आपकी क्या उपलब्धि है? यह मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा। आपने वहां पर स्कूलों में पर्यावरण के शिविर लगाये, यह भी अच्छी बात है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति आस्था पैदा होनी चाहिये, पर्यावरण की रक्षा के लिये उनमें एक जोश पैदा होना चाहिये जिससे कि वे पर्यावरण की रक्षा कर सकें...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सरिस्का में पेंथर टाइगर और शेरों की घटती हुई जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण होना चाहिये। सरिस्का में पहाड़ी पुल के विवाद के निराकरण हेतु विभाग की पहल की आवश्यकता है। इसका भी जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिये। सरिस्का के जंगलों में व वन क्षेत्र में सीबा व्हेल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, निजी कम्पनी के द्वारा जो होटल लगाया जा रहा है, उसकी परमिशन नहीं देनी चाहिये जिससे वन्य जीवों को खतरा एवं फोरेस्ट कानून के उल्लंघन का खतरा उत्पन्न होता है।

सभापति महोदय, अरावली हिल को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है उसके लिये राज्य सरकार को कोई ठोस कदम, कोई ठोस नीति और नियमों के आधार पर कार्य करना होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय...

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, (व्यवधान) एक छोटी सी बात है। अभी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे द्वारा और लालसोट व बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया और उसमें कुछ थानेदार वालों की ज्यादतियों के सम्बन्ध में हमने यहां मांग पेश की थी कि थानेदार अगर वहां है तो निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो पायेगी। इसलिए जब तक जांच पूरी हो तब तक उस थानेदार को वहां से हटा दिया जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था, हम सब लोग एजीटेटेड थे, आप अपनी सीट पर बैठिये और मैं होम मिनिस्टर से बात करके इस सम्बन्ध में अपनी अनुकूल घोषणा कर दूंगा तो, माननीय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहां होम मिनिस्टर साहब है...

श्री सभापति : शाम तक के लिये कहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके माध्यम से आग्रह करना चाह रहा हूँ, दिन छिपने जा रहा है, रात तो...

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शाम तक के लिये कहा था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : घड़ी देखिये। घड़ी देख लो।

श्री सभापति : यह कार्य सूची पूरी हो, उस समय तक (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सभापति महोदय, आप व्यवस्था दीजिये। होम मिनिस्टर कहने को तैयार हैं, ये घोषणा करने को तैयार हैं, आप क्यों लोभ कर रहे हैं?

श्री जुबेर ख़ान : किसने रोका? कर दें ना। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : हाँ, कर दो प्लीज। आप तो कह दो ना, हम बैठ जायेंगे।

श्री सभापति : श्री रतन लाल ताम्बी। कृपया बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम तो सन्तोषपूर्वक बैठे रहेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपकी भावनाओं का आदर करते हुए थानेदार को वहां से हटाने का मानस बना लिया है और कल हटा देंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, आज हम पर्यावरण की मांग संख्या 11, वन की मांग संख्या 9 और सामुदायिक विकास की मांग संख्या 41 के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं।

मैं सबसे पहले अपनी बात पर्यावरण से शुरू करना चाहूंगा। प्रकृति ने हमें सुषमा, सुन्दरता, सौम्यता और सुरम्यता दी है, हम लगातार उसकी चुनौती दे रहे हैं और चुनौती का परिणाम यह है कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इस पर्यावरण के मामले में जितनी आवश्यकता आज महसूस हो रही है, मैं समझता हूँ योजनाओं को इसके लिये पूरे प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर उद्योगों में और सब जगह शर्त जरूर लगायी जाती है, पर प्लांट लगता है या नहीं लगता है या लग गया तो चलता है या नहीं चलता है, इसको देखा नहीं जाना अभिशाप को आमंत्रण देना है। इसलिए मेरा निवदन है कि बढ़ता हुआ प्रदूषण और शहरों में, उद्योगों में, सड़कों पर धुआँ, यह एक प्रदूषण की ऐसी समस्या बढ़ती चली जा रही है इसके लिये विभाग को जिम्मेदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही निवेदन करता हुआ अब वन पर अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। (व्यवधान) वन पर अब शुरू करना चाहता हूँ, पर्यावरण की बात समाप्त कर दी।

मांग संख्या 9 के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान में वन सम्पदा निरन्तर कम होती जा रही है। मेरा राज्य सरकार को सुझाव है कि राजस्व रिकार्ड में जहां कहीं पहाड़ लिखा हुआ है, पहाड़ उसकी परिभाषा लिखी हुई है, कम से कम मेरे इलाके में 2-3 तहसीलों की मुझे जानकारी है, पहाड़ के पहाड़, वे सब रेवेन्यू रिकार्ड में लिखे हुए हैं तो ऐसे पहाड़ जो वास्तव में बड़े-बड़े पहाड़ हैं उन सब पहाड़ों की भूमि की किस्म में परिवर्तित करके वन में लिया जाए और इसके साथ साधारण से वन जहां कहीं खनिज सम्पदा भी है और जो वन भी खास नहीं हैं, वह वन में लिया हुआ है, उनको आपस में एक्सचेंज करके, इतना रकबा ले-देकर ठीक किया जाए, मेरा एक तो यह निवेदन है।

दूसरा, निवेदन यह है कि वन सम्पदा कम हो रही है और पहाड़िया नंगी हैं इसलिए हमको राजस्थान में वन सम्पदा को बढ़ाने के लिए एक अच्छा मास्टर प्लान बनाकर, एक योजना नये ढंग से प्रारम्भ करनी चाहिये। राजाओं के जमाने में वन इतने हरे-भरे और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अच्छे नजर आते थे वे तो लगभग बर्बाद से हो गये। मैं अभी 10 दिन पहले तमिलनाडु और आन्ध्रप्रदेश की तरफ गया था तो वहां इतने हरे-भरे वृक्ष देखकर मेरी तबियत बहुत खराब हो रही थी राजस्थान की सरकार पर। कहां राजस्थान और कहां तमिलनाडु और आन्ध्रप्रदेश। जहां बड़े-बड़े वन ही वन नजर आ रहे थे, बड़े सुरम्य दृश्य नजर आ रहे थे, तो मैं वन मंत्रीजी, जितनी आपसे आशा करके चलता हूँ कि एक बार राजस्थान को हरा-भरा करने में पूरी शक्ति के साथ चाहे वन विभाग में आपको और सख्ती करनी पड़े, अधिकारी कहीं नाराज करने पड़ें, जनता का सहयोग लेना पड़े, यह सारा काम आप कीजिये और गांवों में वन सलाहकार समितियां वनों के हिसाब से, कहीं तहसील लेवल पर आप ऐसी बनाइये जिसके जरिये जनता की भागीदारी और जिम्मेदारी बन सके और यह वन सम्पदा राजस्थान में फिर से कायम हो सके।

इसके साथ ही मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में बाकरवाड़ा जंगल है। वह बहुत बड़ा है, मेरा अंदाजा है वह करीब 1000-1200 हैक्टेयर के आसपास है, वह अभ्यारण्य बन सकता है। वन मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा आप स्वयं या अपने अधिकारियों को भेजकर इसको देखें और इसको अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित करने का कष्ट करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

अब मैं पंचायत राज पर अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पंचायत राज राजस्थान में वस्तुतः महात्मा गांधी, पण्डित नेहरू, इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी की धारणाओं के अनुरूप कई बार कमेटियां देश के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर बनीं और उन कमेटीज की रिपोर्ट्स के आधार पर पंचायत राज को समय-समय पर ढांचा दिया गया। 1959 में राजस्थान में जब पंचायत राज स्थापित हुआ था, चारों तरफ एक उत्साह का माहौल नजर आता था, जनता की उसमें भागीदारी, उस समय श्रमदान, जन सहयोग का वातावरण था। उसके बाद शनैः शनैः वह पंचायत राज का ढांचा चरमरा गया राजस्थान में। उसकी आत्मा तो निकल गयी और ढांचा ही ढांचा रह गया क्योंकि नौकरशाही के शिकंजे में पंचायत राज चल नहीं सकता। पंचायत राज और ब्यूरोक्रेसी के बीच हमेशा समता रह नहीं सकती। इसके पीछे कहीं अधिकार का सवाल है, कई दूसरे मामले हैं तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में इस बार जो पंचायत राज कानून बना, हालांकि उस कमेटी में हम लोग भी थे, हमने भी चर्चाओं में भाग लिया था, काफी बातें सुझायी थीं पर वह तो एक फार्मेलिटी थी, कोई दस-पांच प्रतिशत बात कहीं मान ली होंगी, बाकी नब्बे प्रतिशत जो पहले सोचा हुआ था वह का वह ढांचा आया, तो राजस्थान में लूला-लंगड़ा कानून पंचायत राज का आया है। आज इस पंचायत राज की जो व्यवस्था राजस्थान में चल रही थी उसको इस पंचायत राज कानून से हमने और चरमरा दिया। आज पंचायत और पंचायत समिति के बीच तालमेल नहीं है। पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच तालमेल नहीं है। और फिर इस नयी व्यवस्था में पंचायत समति के सदस्यों का हस्तक्षेप पंचायतों में दुनिया भर का बढ़ गया, जिला परिषद के सदस्यों का हस्तक्षेप बढ़ गया और एक-दूसरे की टांग खिंचाई का काम चारों ओर अभी से शुरू हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आपस में समन्वय और तालमेल ठीक ढंग से हो। पंचायत समिति के सदस्यों का काम केवल पंचायत समिति गठन तक है, पंचायत समिति की बैठक तक है और वहां की कार्यवाही तक है। पंचायतों

(श्री रतनलाल ताम्बी)

का काम बिलकुल अलग है। उनके एक-दूसरे के बीच जो तालमेल का अभाव और एक प्रतिस्पर्धा अभी पैदा हुई है, वह राजस्थान में पंचायत राज के लिये अभिशाप बन जायेगी अगर इसको ढंग से नहीं देखा गया।

दूसरा, निवेदन यह करना चाहूंगा, अभी राजस्थान में एक लाख उन्नीस हजार चार सौ उन्नीस जन-प्रतिनिधि चुने गये। इसमें शिडयूल्ड कास्ट, ट्राइब, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं चुनी गयीं। यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम हिन्दुस्तान के संविधान में संशोधन के बाद राजस्थान में आया। इसके साथ राजस्थान में जहां कहीं भी संविधान और इसके बीच में गुंजाइश और गली थी, उसमें किन्तु-परन्तु इस तरह लगा दिये और इस ढांचे का जो सही स्वरूप बनना चाहिये था वह बन नहीं पाया। सबसे पहले राजस्थान में पंचायतें 1992 में गठित की गयीं, पुनर्गठन का काम उस समय शुरू किया गया तो 1981 की जनसंख्या पर शुरू किया क्योंकि उस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद कई राजस्व ग्राम बन गये। आज जो पंचायत छोटी बनाने की बात थी, जैसे मेरे इलाके के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले मेरे यहां पर 34 पंचायतें थीं, अब 37 बना दीं। केवल दो-तीन पंचायतों में छोटा-मोटा परिवर्तन कर दिया, आज भी हमारे छह हजार, सात हजार की जनसंख्या है और कुछ गांव तो ऐसे हैं कि एक गांव में घुस कर उस गांव की सीमा में होकर दूसरी पंचायत में जाना पड़ता है। और वहां गांव वाले क्या चाहते थे और कहां उन गांवों में डाल दिया, उनका पटवारी कहां रह गया, समिति कहां रह गयी, उन्हें स्कूल और जो दूसरी आधारभूत सुविधाएं निकट में अच्छी मिल रही थी वह दूर हो गयी। यह स्थिति आज राजस्थान में बनी है। मैं समझता हूँ कि इसको फिर से देखना चाहिये। 1991 की जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन में जहां कहीं थोड़ी-बहुत जनता की मांग और आवश्यकता है उसको ठीक ढंग से किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

शुरूआत की है, सभापति महोदय। थोड़ा बहुत तो मैं तैयार होऊं। पांच मिनट नहीं हुए।

श्री सभापति : स्पीड बढ़ाइये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान में जो आज अनुदान देते हैं पंचायतों को, मैं समझता हूँ कि चार रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाता है। इस बार घोषणा की गयी है कि पच्चीस प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। नगरपालिका और पंचायतों के बीच में इतना बड़ा भेद, मैं समझता हूँ आज के दिन ठीक प्रकार से नहीं होगा। यह गांव वाले यह महसूस करते हैं कि हमारे साथ सरकार का नजरिया क्या है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रति व्यक्ति दस रुपये दिया जाना चाहिये और इसके साथ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर पांच साल में वह पच्चीस प्रतिशत बढ़ जाए। इससे पंचायत राज संस्थाएं मजबूत बनेंगी। पंचायत समिति में प्रति व्यक्ति पचास पैसे अनुदान दिया जाता है, प्रति व्यक्ति जनसंख्या का। आज के जमाने में पचास पैसे का क्या मूल्य रह गया? इसलिए मैं समझता हूँ कि पंचायत समिति में प्रति व्यक्ति एक रुपये के हिसाब से अनुदान दिया जाए। पंचायत में अभी वर्तमान में जो चार रुपये हैं उसको दस रुपये किया जाए। इसके साथ ही पंचायत समितियों का पुनर्गठन भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। 1959 के पंचायत राज एक्ट से पहले प्रक्रिया चली थी और इस तीस साल में तो आप जान ही रहे हैं कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। इस

200

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दृष्टि से पंचायत समितियों का पुनर्गठन भी एक आवश्यक और सामयिक मांग है, इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले हैं और मेरा भी ग्रामीण क्षेत्र से काफी सम्बन्ध है, आप और हम सब जानते हैं, ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम है उसमें गरीब के लिये पैसा कई योजनाओं के माध्यम से देने का प्रावधान है, उसमें गरीब की जेब में कितना पैसा पहुंचता है, यह भी आप जानते हैं और सरकार भी जानती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसकी प्रभावी व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। वास्तव में गरीब को जितना पैसा है वह ग्राम सभाओं के माध्यम से, गांव वालों के माध्यम से या सामने उनको सुपुर्द किया जाए ताकि सही ढंग से वास्तव में उनको पैसा मिल सके। इसी प्रकार निर्माण कार्य..

श्री रामनारायण चौधरी : आपके हिसाब से कितना पैसा गरीब के पास चला जाता है, यह तो बताइये।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब इसका तो कोई अनुमान है नहीं। मगर गरीब के पास पैसा पहुँचता नहीं, यह समझ लें कि तीन-चार एजेन्सीज बीच में आती हैं। अब उनके सारे प्रतिशत का हिसाब-किताब लगाने के बाद बचा-खुचा उसके पास पहुँचता है।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह ओपीनियन तो राजीव गांधी की भी थी कि पन्द्रह प्रतिशत ही पहुँचता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : साहब मैं तो बात ही अब शुरू कर रहा हूँ पंचायत राज के बारे में, बीच में व्यवधान आ जाता है। आप थोड़ा इनका व्यवधान रोके।

श्री सभापति : आप सीधा ध्यान रखिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूँ।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि ऐसे ही निर्माण कार्यों की स्थिति है। जवाहर योजना से और दूसरी योजनाओं से कई प्रकार का पैसा हम दे रहे हैं। वह निर्माण कार्य का पैसा सही ढंग से लगे, इसकी भी आज व्यवस्था नहीं है। एक ओवरसियर होता है मामूली, वह सारे इलाके में फिर नहीं सकता, साधन नहीं, उसके पास बैठे-बैठे कागजों में एस्टीमेट बन जाते हैं, बैठे-बैठे नाप-जोख सैक्रेटरीज के जरिये करवा ली जाती है और वह पैसा वास्तव में पूरा लगता नहीं। और तो और, इस साल वह बनी, अगले साल बरसात में जाकर देखो तो कई जगह टूटी-फूटी मिलेगी। एक साल में ही यह हालत हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि गुणात्मक दृष्टि से भी काम ठीक होना चाहिये, इसके लिये प्रभावी व्यवस्था की जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या व्यवस्था हो ?

श्री रतनलाल ताम्बी : सुझाव इसके लिए यह है कि एक तो पंचायत समिति में, जैसे नोर्म्स बने हुए हैं पी.डब्ल्यू.डी. और इर्रिगेशन में कि इतने रुपये पर या इतने काम पर एक जेईएन. होगा, एईएन. होगा, यह होगा, पंचायत समिति में जब इतना काम बढ़ गया, उसके बाद नोर्म्स के हिसाब से एक एईएन. रखा जाए, एकाध जेईएन. हो तब जाकर काम बैठेगा वरना तो अभी तो कोई काम सही ढंग से हो नहीं रहा है। एक मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि हरियाणा हमारे पड़ोस का प्रदेश है, एक दिन किसी चर्चा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हमारा प्रदेश उन राज्यों

(श्री रतनलाल ताम्बी)

से पीछे रहने वाला नहीं हैं और हम उनके मुकाबले काफी आगे बढ़ रहे हैं, तो आज निर्बन्ध राशि लें, तीस जिले तीस काम लें, हरियाणा के मुख्य मंत्री ने अभी दस दिन पहले, 20 लाख रुपये विधायक की अनुशंषा पर जो देने की व्यवस्था थी उसको बढ़ा कर 50 लाख रुपये एक अप्रेल से लागू कर दिया। तो मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता हूं, आज के दिन आपने जो व्यवस्था की है उसमें विधायक की हालत क्या है? एक विधायक के यहां डेढ़ या दो तहसील होती है, और इंस्टीट्यूशन्स बढ़ गयी, महंगाई बढ़ गई, कंसट्रक्शन कास्ट बढ़ गई, उसके पास पांच-पांच लाख रुपये हैं, किस-किस को देगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि एक करोड़ रुपये, पचास-पचास लाख रुपये दोनों योजनाओं में विधायक की अनुशंषा पर, जो आपकी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं उन सब को सम्मिलित करके, देने की आप व्यवस्था करें वरना गांव में झगड़े हो गये। वहां कुछ पैसे दें तो वहां लड़ने लग जाते हैं गांव वाले, वहां विरोध करने लग जाते हैं, वहां पैसा क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया। एक नयी स्थिति इससे उत्पन्न हो गयी इसलिए मैं समझता हूं कि एक करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं से एक विधायक के क्षेत्र में दिये जा सकते हैं और जितना फण्ड आता है, उसमें कहीं कमी है तो और इसमें दूसरी योजनाओं को साथ जोड़ कर इसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। इस बात के लिए मैं खास तौर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसी संदर्भ में एक बात मैं और निवदेन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे चुनाव जनवरी में भी चले, फरवरी में भी चले, उस सब के बावजूद आज भी राजस्थान की पंचायत समितियां, जिला परिषदें अपना बजट स्वीकृत करके काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक दिशा-निर्देश जारी नहीं किये हैं। उनको अभी तक यह मालूम भी नहीं कि हमको क्या कुछ करना है। इसलिए मेरा निवदेन यह है कि राजस्थान पंचायत एक्ट की धारा 84(7) के अनुसार, धारा 124 के अनुसार, 118 के अनुसार, 124(ख) के अनुसार जब तक आप यह डायरेक्शन नहीं देंगे, पुराने कानून का आपने कहा, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के नियम नहीं बनें तब तक उनको माना जाए, उसके अनुसार दिशा-निर्देश जारी नहीं होने से अभी राजस्थान की नब्बे प्रतिशत पंचायत समितियां-जिला परिषदें अपनी बजट मीटिंग नहीं कर सकी, बजट पास नहीं कर सकी और अप्रेल का महीना निकल गया। यह बहुत बड़ी वैधानिक कानूनी और लेखा सम्बन्धी अनियमितता राजस्थान में हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी व्यवस्था करके पंचायत राज को मजबूत बनाने की बात में निवेदन करना चाहूंगा।

अब मैं थोड़ी सी चुनाव की बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह जो नया हमारे संविधान के अन्तर्गत संशोधन हुआ, इसमें 243 (क) के अन्तर्गत राज्य में चुनाव आयोग के अन्तर्गत चुनाव होने चाहिये थे। उसके बावजूद इस राजस्थान की सरकार ने उस संविधान की मंशा को बिलकुल समाप्त प्रायः, मृत प्रायः बना दिया। किसी मामले में चुनाव आयोग को साथ ले लिया, किसी मामले में क्या कर दिया। इस लिहाज से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में चुनाव उस ढंग से नहीं हुए। माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह अवधारणा थी कि राजस्थान में बाड़ाबन्दी समाप्त करके इस पंचायत के हम इतने अच्छे ढंग से चुनाव करायेंगे जिसमें कोई

(श्री रतनलाल ताम्बी)

फालतू खर्चा नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, आप सबकी जानकारी में है, इस बार जितनी बोलियां लगी हैं, मण्डियों में जिस तरह एक-एक, दो-दो लाख, तीन-तीन लाख रुपये में प्रतिनिधि खरीदते और बेचते पाये गये हैं। राजस्थान में इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि मण्डी में...(व्यवधान)...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : तो यह एक बहुत गलत ढंग से काम हुआ। पहले पंच, सरपंच वोट देते थे, बड़ी संख्या में बाड़ाबन्दी करने में बहुत कम लोग गड़बड़ करते थे और बहुत कम खर्चा होता था। इस बार तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपये प्रमुखों के चुनाव में और प्रधान के चुनाव में भी 10-10, 15-15 लाख रुपये, सरपंचों के चुनाव में 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपये खर्च हुए। यह तो गरीबों के लिये चुनाव नहीं हुआ यह तो पैसे वालों के लिये चुनाव हो गया। इसमें ईमानदार, सेवाभावी व्यक्ति...(व्यवधान)...हाँ, नहीं मिला साहब, तो मैं समझता हूँ इसमें दल-बदल कानून आपने कहीं लागू नहीं किया। कांग्रेस के टिकट पर बने और बी.जे.पी. वालों ने प्रलोभन दिया, तत्काल उधर चले गये, बी.जे.पी. के निशान पर बने, उधर से कोई हिसाब बैठ गया इधर चले गये, उधर चले गये तो इस लिहाज से इसमें दल-बदल के लिए कानून भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिये था और राजस्थान में पंचायत राज की एक स्वायत्त शासन इकाई के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की जो अवधारणा है, उसके अनुसार मैं समझता हूँ ग्राम सभा की जो कल्पना हमने की थी, वह इस पंचायत राज से परिपूर्ण नहीं होती है इसलिए राजस्थान में पंचायत राज को फिर से, इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, नियम जल्दी से जल्दी बनाकर लागू किये जाएँ ताकि राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था जो वर्तमान में चरमरा रही है वह तेजी से काम कर सके, लोगों के विकास में योगदान मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : सभापति जी, मैं माननीय वन और पर्यावरण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद हमने लगभग सभी पहलुओं में तरक्की की है, सभी फील्ड्स में हिन्दुस्तान में और हमारे प्रदेश में व्यापक तरक्की हुई है। जहाँ हम पिछड़ गये हैं वह हमारा वन क्षेत्र और हमारा पर्यावरण है, जिस प्रकार उस समय था आज वैसा पर्यावरण और वन हमारे देश में नहीं है। हमारे प्रदेश में स्थिति और चिन्ताजनक है और जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी, वैसे ही वनों को बचाना उतना ही कठिन होता जाएगा। पर्यावरण और वनों को बचाने के लिये मात्र आलोचना करने से तो कुछ परिणाम निकलेंगे नहीं मगर सरकार ने इस पर चिन्तन करने के बाद खुद ने जो कुछ प्रस्ताव रखे हैं और खुद ने जो कुछ व्यवस्था रखी है, उसके ऊपर अगर सरकार स्वयं अमल नहीं करे तो एक अपने आप में चिन्ता की बात होती है। पर्यावरण का, वनों का लिट्रेचर हमें काफी दिया गया है, जानकारी काफी दी गयी है। माननीय मंत्रीजी, वनों का मूल्यांकन उस पर खर्च की गयी राशि से नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने करोड़ों रुपये की राशि एक साल में खर्च कर दी तो आप कोई भवन नहीं बना रहे हैं जो एक बार आपने बना दिया तो हमेशा के लिये खड़ा हो गया। आज अगर वन

(श्री भरत सिंह)

लगायें और उसकी सुरक्षा नहीं की तो आज लगाया गया वन नष्ट हो जाएगा। झालावाड़ जिले में पैसे की कोई कमी नहीं है, काफी पैसा आप वन लगाने के लिये दे रहे हैं और जब झालावाड़ की डी.आर.डी.ए. की मीटिंग हुई तो करोड़ों रुपये कुछ योजनाओं, एफोरेस्टेशन के लिये सैंक्शन किये थे। मैंने कलक्टर से कहा, कलक्टर साहब, यह पैसा खर्च हो रहा है जब तक मौके पर जाकर नहीं देखेंगे स्थिति का सही नजारा सामने नहीं आएगा। माननीय मंत्रीजी, हम वहां गये जहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य हो रहा था, मैं यह आलोचना करने के लिये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए आपकी जानकारी में ला रहा हूँ कि समस्या किस प्रकार की है और उसका समाधान किस प्रकार से संभव है, जब हम वहाँ गये तो हमने जो कार्य देखा, उसकी कमी के बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, कमी तो थी मगर चिन्ता की बात यह थी जो दस साल पहले वन के ऊपर पैसा खर्च किया गया था और उस झालावाड़ के जो विधायक है वे मंत्री भी हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 10 साल पहले जो वृक्ष लगाये हुए थे, जो वन खड़ा था उसको नष्ट होता देखकर मन में विचार आया कि आज जो हम करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं इसकी भी वही गति होगी जो 10 साल पहले वनों की हुई। प्रश्न है कि इसको रोका कैसे जाए? किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जाए? राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जो व्यवस्था की है पहले आप उस पर तो अमल करिये।

राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद् का इस वर्ष में गठन होना है, राज्यपाल उसके अध्यक्ष होंगे, मुख्यमंत्री जी उपाध्यक्ष होंगे, 12 विधायक उसके सदस्य होंगे, 3 सांसद सदस्य होंगे, स्वयं सेवी संस्थाओं के लोग इसमें सदस्य होंगे मगर गठन कब होगा? गठन तो तब होगा जब सरकार निर्णय लेगी कि इसका गठन करना है। जिला पर्यावरण समिति है। आपको निर्णय लेना है, आपको गठन करना है। जिला पर्यावरण समिति के सदस्य कौन हैं? जिला पर्यावरण समिति के सदस्य हैं जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी। जो अधिकारी अपने विभाग का काम नहीं कर रहे हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वह इसका काम करेंगे? उसमें एम.एल.ए. सदस्य नहीं है। कलक्टर की मेहरबानी पर अगर वह एम.एल.ए. को बुला लें और प्रधान को बुला लें तो वह सदस्य हैं। आप व्यवस्था कर रहे हैं। चुने हुए लोगों को, सरपंचों को, प्रधानों को, जिला प्रमुखों को, विधायकों को सदस्य नहीं रखा है, यह कितना बड़ा राजस्थान के वनों को रोकने का कार्यक्रम आप करना चाहते हैं. और उनका इन्वाल्वमेंट नहीं है। यह आपकी दूसरी व्यवस्था थी। तीसरी है, पर्यावरणवाहिनी जो भारत सरकार की है जिसका खर्चा भारत सरकार दे रही है। 5 जिलों में पर्यावरणवाहिनी है, मैं उसका सदस्य हूँ। कोटा जिले में पर्यावरणवाहिनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपके फोरेस्ट सचिव ने पर्यावरण वाहिनी में जो मंथली प्रोसिडिंग्स होती है, उसको पढ़ने का कष्ट किया है, कि लोग देख रहे हैं कि वह पर्यावरण वाहिनी क्या कर रही है? यह वह संस्थाएँ हैं जिसका एक का गवर्नर अध्यक्ष है, एक का जिला कलक्टर अध्यक्ष है। दूसरी, पर्यावरण वाहिनी जिसके लिए केन्द्र सरकार पैसा दे रही है और उसमें जो प्रस्ताव लिये जाते हैं उसको देखने वाला कोई नहीं है। आपने वेटरन समिति बनायी है। उस वेटरन समिति का भी आपको गठन करना है। किसको

204

(श्री भरत सिंह)

सदस्य बनाओगे? अगर आप जोर नहीं देंगे तो साल भर निकल जाएगा इस वेटरन समिति के भी सदस्य नहीं बनेंगे।

इसके बाद आपकी जो व्यवस्था है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, मैं आपसे पूछता हूँ कब वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई? वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। आनरेरी लोग वालेन्टरी आपका काम करना चाहते हैं, आपके पास आते हैं, समस्या लेकर जाते हैं, वे आपसे तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, जो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं सिर्फ यह कह रहे हैं कि साहब, हम आपके चौकीदार हैं तो जिनको लगाव है वनों से उनका भी आप इनरोल नहीं कर सकते। यह काम तो सब सरकार को करना है। जो व्यवस्था सरकार ने की है उसको नहीं करें और फिर आपने किया क्या? 869 ग्रामीण स्तरीय वन संरक्षण समिति बनायीं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव में, कागजात पर आप कुछ भी आँकड़े ले लें और ये आंकड़े इतने भ्रामक हैं कि जैसे आसमान में आप एक धुंआ की लकीर कर दो उस प्रकार से आँकड़े होते हैं। इससे अगर कुछ सुधार हो जाए तो माननीय मंत्रीजी, यह हमारा भ्रम होगा। जिस सम्भाग से आप आते हैं उसी सम्भाग से मैं भी आता हूँ इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ अगर मैं गलत कहूं तो आप बता सकते हैं कि यह बात सही नहीं है।

मैं आपका ध्यान ले जाता हूँ चम्बल नदी के ऊपर और चम्बल वेली प्रोजेक्ट के ऊपर। यह वह प्रोजेक्ट है जो राजस्थान को बहुत कुछ उन्नति दे रहा है। गाँधी सागर में इसके ऊपर डेम है उसके बाद इस पर राणा प्रताप सागर पर डेम हैं, जवाहर सागर और कोटा बैराज। जब यह प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, रिवर वेली प्रोजेक्ट लिया था तब सरकार ने एक फोरेस्ट के हिसाब से कि इसमें सिल्टेशन नहीं हो, नदी के दोनों किनारे वन भूमि को सुरक्षित उन्होंने रखा था। आज क्या दशा हो गयी उस वन भूमि की? पत्थर के कोट ले गये, पेड़ काट लिये गये, खानें उसमें चल रही हैं और जिस मकसद से आज से 30 साल पहले इसमें जो राशि लगायी गयी थी वह पूरा मकसद ही डिफीट हो गया है। आपको बंधों में पानी भरा हुआ जरूर दिखता है मगर उसमें कितनी सिल्टिंग हैं, कभी मेजरमेंट की कोई व्यवस्था है उसकी? आज स्थिति यह है कि उस पूरे क्षेत्र में खनिज गतिविधियाँ चल रही हैं और उसको रोकने का किसी का मनोबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर गाँव नहीं है तो कोई गाँव वाला बीच में नहीं आता है। सम्पूर्ण भूमि वन विभाग की है। मेरा आपसे सुझाव है कि कुछ भूमि जिसमें वन विभाग की नाक के नीचे से रोज सैकड़ों आदमी लकड़ी काटकर ले जाते हैं, उसको आप रोकना चाहते हैं। मैं कल कोटा इसलिए गया था कि वहाँ पर आर्मी कमाण्डर मौजूद थे। मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि साहब, आपकी डिवीजन यहाँ पड़ी हुई है, क्या आप लोग अगर हमारी सरकार पहल करे, कुछ वन क्षेत्र को आप एडाप्ट करेंगे क्योंकि इस पर जो सेना का इन्वाल्वमेंट हुआ है, चाहे टेरिटोरियल आर्मी का हुआ है, राजस्थान कैनाल क्षेत्र के अन्दर उन्होंने अच्छा काम किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहल करें। जहाँ पर कम से कम डिवीजन हैड क्वार्टर्स हैं, फौज के लोग हैं जो इस तरह का काम कर सकते हैं किसी प्रकार की अण्डर-स्टेंडिंग आप इनके बीच में लाइये और इनका इन्वाल्वमेंट करिये।

आप एन.सी.सी. का इन्वाल्वमेंट करें। माननीय वन मंत्रीजी, व्यापक भ्रष्टाचार होता है पेड़ों को लगाने में।

(श्री भरतसिंह)

(19.10)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति पदासीन)

और मौके पर जाकर उसका आंकलन करना कोई आसान काम नहीं है। आप एन.सी.सी. के केडिट्स को ले जाइये। एक राशि निश्चित करिये। आप अगर डेढ़ सौ करोड़ खर्च कर सकते हैं तो कुछ लाख रुपये इन एन.सी.सी. कैडिट्स के माध्यम से आप मौके पर जाकर स्पॉट वेरिफिकेशन कराइये। इस प्रकार से उनका इन्वाल्वमेंट होगा। पर्यावरण के आप बहुत से उत्सव करते हैं, जयपुर में करते हैं। ग्रामीण लोगों का उनमें क्या इन्वाल्वमेंट है? आप प्रतियोगिताएँ करते हैं, आर्ट पोस्टर्स बनवाते हैं, फोटो एक्जीबिशन भी होता है। सब जयपुर में हो जाता है। रविन्द्र मंच के ऊपर आप कार्यक्रम कर देते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बता रहे हैं। इनको सारी जानकारी है, स्पेशलिस्ट हैं।

श्री भरत सिंह : माननीय वन मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान हमारे राजस्थान में जो 23 सेंक्चुअरीज हैं, अभयारण्य हैं उन पर दिलवाना चाहता हूँ। आपके दो नेशनल पार्क्स हैं और एक घना नेशनल वाटर बोट सैंक्चुरी है। इसमें अधिकांश राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है। मैं भारत सरकार की बात करके यह नहीं कहता हूँ कि राजस्थान सरकार नहीं कर रही है। मैं उस मुद्दे पर नहीं उलझना चाहता हूँ। मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि इन दो सैंक्चुरीज में, दो नेशनल पार्क्स में जितनी राशि खर्च होती है उसकी तुलना में आपके जो 23 अभयारण्य हैं, उसकी आधी राशि भी आप उन पर खर्च नहीं करते हैं। जिस क्षेत्र के आप मंत्री हैं, जिस जिले के आप मंत्री हैं, मैं शेरगढ़ आया था, मैंने आपसे मिलकर व्यक्तिशः निवेदन भी किया था कि क्या हालत है सैंक्चुरीज की? मैंने एक प्रश्न किया था और मंत्रीजी, जो प्रश्न करते हैं उसका जवाब गोलमाल करते हैं, सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते। मैंने पूछा था कि यह शेरगढ़ अभयारण्य वन्य जीव वाले क्यों नहीं अपने नीचे लेते हैं? जवाब मिला कि यह डी.एफ.ओ. के बहुत पास पड़ता है इसलिए डी.एफ.ओ. उसकी अच्छी तरह से देखरेख कर सकता है। मेरे पास रिपोर्ट थी कि वहां पर अवैधानिक खनन चल रहे हैं। उत्तर पाकर मुझे काफी निराशा हुई। मैं मौके पर जाकर देखकर आया हूँ, माननीय मंत्रीजी, उस क्षेत्र में 50 अवैधानिक खानें चल रही थीं। आपके नाके जो बारां डी.एफ.ओ. के पास पड़ते हैं, चार नाके बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। 11 कर्मचारी उसके अन्दर बताये थे। इस प्रकार की व्यवस्था है। मैंने आपका ध्यान खानपुर के अन्दर वहाँ के रेंजर के कार्य के सम्बन्ध में दिलवाया था। किस प्रकार की वहाँ पर पिछले दो साल के अन्दर उसकी हरकत रही, किस प्रकार के काम रहे? मंत्रीजी, उसकी शिकायतें अखबारों में आयी थीं। उनको पढ़कर के शायद जयपुर से आपके उच्च अधिकारी पिछले महीने की 31 तारीख को झालावाड़ निरीक्षण के लिए आये। जो वनकर्मी गलत काम कर रहे हैं उनका साहस देखिये किस प्रकार का है। आपके अधिकारी थे श्री गौरी शंकर गुप्ता, सी.सी.एफ., यहाँ से 31 मार्च को झालावाड़ गये जाँच करने के लिए। उन्होंने आपके डी.एफ.ओ. को हिदायत दी कि रेंजर मनोहर थाना और खानपुर, जिसके सम्बन्ध में शिकायतें हैं, आप उनको बुला लीजिये, मैं 11 बजे ऑफिस में उनकी शिकायतों की जांच करूंगा। सब, जितने भी मस्टररोल हैं उनको मंगा लीजिये। जब इसकी सूचना खानपुर के

(श्री भरतसिंह)

रेंजर को मिली, उसने क्या किया? उसने खानपुर से एक जीप कोटा भेजी। आपके जितने भी कर्मचारी थे उनको बुलाकर, वह सी.सी.एफ. झालावाड़ सर्किट हाउस से उठकर जा नहीं सके, उनको वहां घेर लिया और बिना जाँच किये आपके अधिकारी को वापस आना पड़ा। इतना साहस हो गया इन कर्मचारियों का। उनके खिलाफ क्या एक्शन है? उसको वहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया। इस प्रकार का साहस करने वाले हैं, मगर सब आदमी इस प्रकार के भी नहीं है। अच्छे कर्मचारी भी हैं, उनके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा।

मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं जंगल में गया तो फोरेस्ट गार्ड से मैंने पूछा कि आपके सामने क्या दिक्कत है? साहब, हमें तो वर्दी ही नहीं है। आज आप फोरेस्ट के गार्ड को, कम से कम, रेंजर स्तर के आदमी को वर्दी दीजिये। आज वह जंगल में जाता है, किसी को क्या मालूम पड़े दो आदमी मिल गये, तो वर्दी का थोड़ा बहुत भय रहेगा। उनकी जो वाजिब मांग है उस पर आप ध्यान दीजिये। वर्दी की व्यवस्था आप करें। पिछले एक साल के अन्दर, दो साल के अन्दर काफी वनकर्मियों की अपना कार्य करते समय हत्या कर दी गयी। माननीय मंत्रीजी, आपको वनों की रक्षा करनी है तो ऐसे कर्मचारी जिनकी कार्य करते समय हत्या हो जाती है या उनको मार दिया जाता है, क्योंकि खानें चलती है वनों के अन्दर, अगर एक आदमी की जान के लिये दो-तीन लाख रुपये भी खर्च करने पड़ें तो वे स्वार्थी लोग करते हैं। तो उन वन कर्मचारियों को जिनकी कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है उनको उदार होकर सहायता राशि प्रदान करें तब जाकर एक टीम स्पिरिट उन लोगों में डवलप होगी और वे वनों की रक्षा के लिए निष्ठा से काम करेंगे। ...(व्यवधान)... बंदूकों की आपने व्यवस्था की है मगर बंदूकें अभी थानों में ही जमा हैं, उन लोगों को अभी मिली नहीं हैं। मैं आपसे इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस पर अमल किया तो बहुत कुछ सुधार होगा। इसमें थोड़ा सा मैं ध्यान ग्रामीण विकास मंत्री का भी इस पर दिलवाऊंगा। सिर्फ सजेशंस दूंगा, मैं कमियां नहीं बताऊंगा।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी नहीं है।

श्री भरतसिंह : कोई नोट कर लेंगे। कोई समझदार व्यक्ति उनको बता देंगे।

श्री सभापति : विधान सभा में बोला हुआ एक-एक शब्द नोट होता है।

श्री भरतसिंह : हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आप ही बता देंगे। वह तो आप ही उनको बता देंगे ...(व्यवधान)... एक तो अधिकांश पंचायत समितियों को एस.डी.आई. के भरोसे छोड़ रखा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : बोलने दीजिए। समय जा रहा है।

श्री भरतसिंह : वह एस.डी.आई. से पंचायत समिति नहीं चलेंगी और न ही वेटेरनरी अधिकारियों के भरोसे पंचायत समितियों को चलाया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि जहाँ तक सम्भव हो आर.ए.एस. अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर लगाया जाय ताकि उस कार्य को एक सीरियसनेस मिले। दूसरा, पंचायत समितियों के माध्यम से, जिस प्रकार की राशि पंचायतों के माध्यम से खर्च हो रही है, जितना आ रहा है, उसकी तुलना में उनका स्टाफ बहुत कम है, पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। इन पोस्टों को भरा जाए और पंचायतों के सैक्रेटरी की व्यवस्था हो। इन बातों पर ध्यान दिया गया तो जो नई-नई व्यवस्था कायम की गयी है। ...(व्यवधान)... धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री शिवनाथसिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापतिजी, जहाँ तक पर्यावरण का सम्बन्ध है, यह आज विश्वव्यापी समस्या है। अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन किये जा रहे हैं और किस प्रकार से पर्यावरण का सुधार किया जाए, इस बात पर बहुत बड़ा चिन्तन हो रहा है। पर्यावरण में जो बिगाड़ हो रहा है, उससे मानव जाति ही नहीं, सम्पूर्ण प्राणी मात्र के लिए खतरा है और उसमें जितना सुधार हम कर सकते हैं हमें करना चाहिये। वन उस पर्यावरण के सुधार में एक बहुत बड़ा साधक है। हमारे प्रान्त में वनों के मामले में पिछले कई सालों से उदासीनता बरती जा रही है। पुराने पहाड़ों पर और अन्य स्थानों पर जो जंगल थे उनकी कटाई अंधा-धुंध हुई है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आज अनेक योजनाएँ चालू हैं। अरावली योजना, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, कई प्रकार की योजनाएँ चल रही हैं और उनके माध्यम से यह चेष्टा की जा रही है कि अधिक से अधिक वन लगें, पेड़ लगें, और उसके आधार पर ही पर्यावरण का सुधार हो। सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह सभी योजनाएँ जनता से जुड़ी हुई हैं। वन विभाग अपनी चेष्टा करता है लेकिन आम जनता का और जन-प्रतिनिधियों का उसमें सहयोग कम है। पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा वेक्यूम रहा कि गाँव की पंचायत में न सरपंच था, न प्रधान था। इसीलिए वन मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप की जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं, उस क्षेत्र का विधायक न सही, प्रमुख, प्रधान और ग्राम पंचायत के सरपंच का इन्वाल्वमेंट उनमें हो। आपने ग्राम कमेटियां बना रखी हैं लेकिन वे ग्राम कमेटियां सिर्फ नाम की हैं और लोगों का इन्वाल्वमेंट आपके प्रोग्राम में नहीं है। जब तक आप इस प्रोग्राम के साथ में उनको नहीं जोड़ेंगे, वनों की रक्षा नहीं होगी और वनों के मामले में सुधार भी नहीं होगा। आज कई प्रकार की शिकायतें आती हैं। मूल्यांकन होना चाहिये, बात सही है और उस मूल्यांकन में यदि आप प्रधान को, सरपंच को साथ जोड़कर चलेंगे तो बहुत सी बातों में आपको सुधार मिलेगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि वृक्षारोपण या वनों में काम करने वाले कर्मचारियों की पीड़ा, उनकी कठिनाइयों को हमें समझना चाहिये। ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर, गहरे नालों में और जहाँ कहीं पीने के पानी का साधन नहीं है, जहाँ रहने का साधन नहीं है। उन कठिन परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ता है। इसलिए उनके साथ में इतनी रियायत तो हमको बरतनी पड़ेगी। इस प्रकार के जो काम करते हैं, उनको किसी भी रूप में कम्पेनसेट किया जाए। आज ऐसे-ऐसे स्थान हैं, मैं अपने ही जिले की बात कहता हूँ, अरावली की श्रृंखलाएँ वहाँ पर हैं, वृक्षारोपण का काम भी हो रहा है। बाहर से देखने पर हमको यह लगता है कि वन विभाग वाले यहाँ मौज करते हैं, आनन्द करते हैं और कुछ लोग उनके काम करते भी हैं। लेकिन अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जो समर्पित भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं। और उनका मूल्यांकन उसी हिसाब से होना चाहिए।

माननीय वन मंत्रीजी, मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके विभाग में टॉप, लेवल पर अफसरों तक में खींचतान है। कोई किसी को नीचा गिराना चाहता है, कोई ऊंचा करना चाहता है। मैं नाम नहीं लेऊंगा। इस ओर आप ध्यान दें और ऊंचे, टॉप लेवल पर जो अफसर हैं वे एक दूसरे की टांग खींचने की बात या फिर उसके समर्थक को विक्टिमाइज करने की बात करते हैं। इस बात को आप रोकिये और कई दफा ऐसा होता है कि जो

(२००)

(श्री शिवनाथ सिंह)

कमिटेड वर्कर आपका फील्ड का है उसको भी नुकसान उठाना पड़ता है।

माननीय वन मंत्रीजी, एक समस्या हमारे सामने है, वन क्षेत्र में एनीकट जो छोटे-छोटे निर्माण होने चाहिये उसमें आपकी रुकावट है। छोटे-छोटे एनीकट जो लाख-दो लाख रुपये की कीमत के बनने वाले हैं उनको यदि आप बनाने की इजाजत दे देते हैं तो आपके वनों में और पेड़ों में सुधार होगा और किसी प्रकार का वन क्षेत्र को नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस बात की ओर आप ध्यान दीजिये और यदि हो सके तो इस प्रकार की हिदायत उनको दीजिये।

अभी-अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से एक सर्क्यूलर आपके यहाँ से गया है, और कहीं से गया है कि वाटर शैड के अलावा डी.डी.पी. में जो काम होने वाले हैं, उनमें वाटर-शैड को छोड़कर जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनमें वृक्षारोपण का काम नहीं किया जाय। यदि यह बात सही है, जो मुझे इन्फोर्मेशन मिली है, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे और वाटर शैड के बाहर जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ वाटर शैड है ही नहीं इसलिए वहाँ यदि वृक्षारोपण पर कोई रोक आपने लगायी है तो उस रोक को भी आप देखिये। वन मंत्रीजी, मैं इस सम्बन्ध में विशेष नहीं कह कर एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वनों के मामले में आपके अधिकारी सक्रिय रहें। समय-समय पर उनका मूल्यांकन हो। नर्सरीज की क्या हालत है और कितने पौधे वहाँ पनपते हैं, कितने नहीं पनपते हैं। इस बात की ओर ध्यान दीजिये।

सभापति महोदय, मैं इसके बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ओर आता हूँ। आज सब गांवों में पंचायतें बन चुकी हैं, पंचायत समितियाँ बन चुकी हैं और इसलिए यह सामुदायिक विकास के कार्यक्रम सब पंचायतों के मार्फत, पंचायत समितियों के माध्यम से होते हैं। आज पंचायत समिति की हालत क्या है? उसमें स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं हैं और जैसा अभी पहले कहा गया, एक जेईएन. की पोस्ट है वे न एस्टीमेट बना पाते हैं और न उनका ठीक चैकिंग हो पाता है। इसलिए यदि सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में कोई मंत्रीजी यहाँ पर हो तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, चाहे जिला लेवल पर आप करें, पंचायत समिति लेवल पर करें लेकिन जो टेक्निकल स्टाफ है वह आप पंचायत समितियों को दीजिये और उनका मूल्यांकन भी आप करवाइये। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि पिछले पाँच साल में क्या-क्या काम हुआ, उसका रिकार्ड हम उपलब्ध करवायेंगे, पंचायत समिति से या ग्राम पंचायत से। रिकार्ड तो आपने उपलब्ध करवा दिया लेकिन कौन-कौन से काम किये हैं, उनका मूल्यांकन कौन करेगा? जिला परिषद् में सिर्फ एक जेईएन. होता है, डी.आर.डी.ए. में सिर्फ एक एईएन. है, पंचायत समिति में एक-एक जेईएन. है, क्या उनके माध्यम से आप यह सोच सकते हैं कि काम पूरा हो जाएगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इस मामले में सोचे और सोच कर पूरा स्टाफ दिया जाए। आज यही हालत स्कूलों की है। 300-400 अध्यापकों के बीच में एक एस.डी.आई. होता है। न वह चैकिंग कर पाता है, कौनसी स्कूल चल रही है, कैसी चल पाती है, इसलिए वहाँ भी इस प्रकार की कमियाँ हैं, वह भी आपको पूरी करनी चाहिये।

माननीय सभापतिजी, मैं कोई विशेष निवेदन नहीं करते हुए एक बात और कहना

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहूँगा कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से ,जो काम होते हैं उनका निरीक्षण हो, उनकी जांच भी हो। यह बात सही है कि हम पंचायतों को एक आधार मानकर चलते हैं और पंचायत हमारी बुनियाद है। उनके माध्यम से डवलपमेंट के काम होने चाहिये लेकिन आज जो स्थिति गाँवों में है, समाज में है, उसको देखते हुए उस पर भी चैकिंग होनी चाहिये और समय-समय पर चाहे पंचायत समिति की तरफ से हो, उसका मूल्यांकन हो और मूल्यांकन होने के बाद में गाँव वालों को यह विश्वास होना चाहिये कि हमने सरपंच तो चुन दिया और सरपंच ही सर्वेसर्वा नहीं है। आप कहेंगे ग्राम-सभाएँ हैं लेकिन ग्राम-सभाओं की मीटिंग पिछले दिनों हुई, उसका हम हाल जानते हैं इसलिए इस बात का गाँव वालों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, उनमें विश्वास बैठाना पड़ेगा कि आज जो भी विकास के कार्य पंचायत के माध्यम से हो रहे हैं उसकी भी सुनवाई करने वाला, उसकी भी रखवाली करने वाला कोई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : श्री किशन गोपालजी।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 9, 11 और 41 पर चर्चा चल रही है, मैं भी इस पर अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा।

सामुदायिक विकास, सारे हिन्दुस्तान में ग्रामीण विकास के लिये एक पंचायती राज की स्थापना की। इसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हो और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का जो भी अनुदान या योजना बने, साधन आए, पैसा आए, उससे ठीक ढंग से गाँवों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्ग तक विकास की गंगा बहे, इसका माध्यम पंचायत राज रखा। 1959 में इसकी राजस्थान में स्थापना हुई और उसके बाद में लगातार चुनाव हुए और विकास के कार्य उसके माध्यम से हुए लेकिन जनसंख्या के बढ़ने की वजह से और कार्य बढ़ने की वजह से उनके पुनर्गठन की बहुत लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की और 1992 में पंचायतों के पुनर्गठन का एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया गया। विपक्ष में बैठे कांग्रेस के बन्धु यह कहते थे कि माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं, पंचायतों को डिसमिस कर देते हैं या चुनाव नहीं करवाते हैं और पूरे कराते ही नहीं है। लेकिन उन्होंने चुनाव ही नहीं करवाये, पुनर्गठन भी किया और सभी पंचायतों के चुनाव समय पर पूरे करवाये। वार्ड मैम्बर, पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति और जिला प्रमुख इन सबके चुनाव पूर्ण हुए और वह कार्य करने लगे। अब समस्या यह आयी कि वर्षों से चुनाव में सरपंच के माध्यम से प्रधान और जिला प्रमुख चुने जाते थे और एक बार सरपंच और वार्ड मैम्बर का, अगर किसी भी पार्टी ने आधिपत्य कर लिया तो भले ही जनता चाहे या नहीं चाहे, वह प्रधान और जिला प्रमुख भी उनके ही बनते थे। लेकिन इसमें चुनाव व्यवस्था में सुधार किया और जनता जिसको चाहेगी वह ही पार्टी का प्रधान बनेगा और वह ही जिला प्रमुख बनेगा...

श्री विष्णु मोदी : क्या सुधार हुआ, चुनावों में ? ...(व्यवधान)...

श्री किशनगोपाल कोगटा : सुधार ही हुआ। बाड़ेबंदी होती थी, सरपंचों को जिता लाओ, ठेठ तक की स्टेप आपकी हो गयी और अब जनता चाहेगी वही होगा...(व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय बिराजिये। बोलने

२१०

(श्री सभापति)

दीजिये। आपकी बारी आएगी तब आप बोल लीजिये, बिराजिये आप।...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, देखिये, यहाँ हाउस में वह चीज नहीं आनी चाहिये। यह इन्होंने कहा कि चुनावों में सुधार किया है...(व्यवधान)...

श्री शीशराम ओला : बाड़ेबंदिया अब ज्यादा हुई हैं, करप्शन अब आया है। अधिक से अधिक बाड़ेबंदियों से प्रजातंत्र को बेचा गया है, खरीदा जा रहा है, डेड होता जा रहा है।...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : कांस्टीट्यूशन में कांग्रेस की सरकार ने...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आपके पक्ष की बारी आए तब बोल लीजियेगा। बिराजिये अभी आप।

श्री विष्णु मोदी : कांग्रेस की सरकार ने कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट किया है। आपकी भारतीय जनता पार्टी का तो आज तक पंचायती राज व्यवस्था में कोई विश्वास ही नहीं था, न आपका...(व्यवधान)...

श्री किशनगोपाल कोगटा : मैंने जो सारा जिक्र किया है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : इस अमेंडमेंट के आने से आपको मजबूरन चुनाव करवाने पड़े और उसके बावजूद भी आपने इस ढांचे को जितना नुकसान पहुँचाया है, I want to put the record straight. आप लोग जिम्मेदार हैं उसके...(व्यवधान)...

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पंचायतों को...(व्यवधान)...

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, आप कितना ही सुधार कर लें कांग्रेस तो अपने कृत्यों से बाज नहीं आएगी, उसकी तो बाड़ेबंदियां वैसे भी चल रही हैं...(व्यवधान)...

श्री किशनगोपाल कोगटा : पंचायत ढांचे को जो नुकसान पहुँचाया है, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा...(व्यवधान)...

श्री शीशराम ओला : आप इसकी चिन्ता मत करो, अपनी करो। कांग्रेस की तो छोड़ो आप, स्वयं की करो।

श्री किशनगोपाल कोगटा : लेकिन साल-छह महीने के बाद यह खुद कहेंगे कि यह परिवर्तन बहुत ठीक था और व्यवस्थाएँ ठीक हैं और यही नहीं, इसके साथ महिलाओं को और एस.सी.,एस.टी. और पिछड़े वर्गों को जो प्रतिनिधित्व दिया है वह पहली बार दिया है और इसी का परिणाम है...(व्यवधान)...

श्री शीशराम ओला : 14 हजार, 16 हजार महिलाएँ होती थीं पंचायती राज में को-ऑप्शन के माध्यम से। कहाँ बैठे हो आप? जानकारी है क्या आपको?...(व्यवधान)...

श्री किशनगोपाल कोगटा : अगर आप यह कह रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, हमारी उपज है तो दस साल पहले कर लेते...

श्री शीशराम ओला : सब में था, दो-दो महिलाएँ हर पंचायत समिति में, जिला परिषद् में होती थीं।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय, मेरा यह कहना है कि इतने वर्षों तक राजस्थान में और भारत में यह कांग्रेस के बन्धु राज इसलिए ही करते आये हैं कि यह एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी., महिलाओं और पिछड़े वर्गों को झांसा देते रहे और...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : यह भी हम ही ने किया है, कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट हम ही ने किया

(श्री विष्णु मोदी)

है। आप किसकी बात कर रहे हैं? यह सारा कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट हमने किया है।

श्री शीशराम ओला : यह कांग्रेस ने किया, राजीव गाँधी की सोच थी...

श्री कैलाश मेघवाल : किस तारीख को? तारीख बताइये।

श्री शीशराम ओला : कांग्रेस ने, मिस्टर मेघवाल, कांग्रेस ने ...(व्यवधान)...

श्री किशनगोपाल कोगटा : महिलाओं को, एस.सी./एस.टी. को, पिछड़े वर्ग को वहाँ चुन कर अपने अधिकारों से अपना क्षेत्र बनाकर और प्रशासन में भागीदारी दी, यह सारा श्रेय माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत को है।

श्री विष्णु मोदी : आपकी पार्टी ने तो जब राजीव गाँधी ने इसको लोक सभा में पेश किया तब उसको गिराने में सहयोग दिया था। ...(व्यवधान)...

श्रीमती इंदिरा मायाराम : आप लोगों ने विरोध किया था उसका।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : भारतीय जनता पार्टी ने जब राजीव गाँधी ने कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट पेश किया तो उसको गिराने में वोट दिया था।

श्री सभापति : माननीय श्री विष्णु जी, बिराजिये आप। ...(व्यवधान)...

श्री शीशराम ओला : आप अपनी बात कहिये, कांग्रेस की बुराई उचित होगी तो सुनेंगे. नहीं तो नहीं सुनेंगे।

श्री सभापति : आपकी बारी आए तब जवाब दे दीजियेगा। नहीं सुनना है तो फिर बिराजिये अभी तो।

श्री शीशराम ओला : इर्रेलेवेंट हो तो नहीं सुनेंगे हम।

एक माननीय सदस्य : सुनना पड़ेगा? कैसे नहीं सुनेंगे आप।

श्री किशनगोपाल कोगटा : यही नहीं, कांग्रेस के टाइम में इतने वर्षों तक जो भ्रष्टाचार था पंचायत राज में...

श्री सभापति : जब आपके पक्ष की बारी आए तब आप बोल दीजियेगा।

श्री शीशराम ओला : हमने इर्रेलेवेंट बात नहीं कही, हमने रेलेवेंट बात कही है और रेलेवेंट आगे कहेंगे लेकिन यह तो राजीव गाँधी की सोच थी, राजीव गाँधी ने किया। महाराष्ट्र में किसने किया, मध्य प्रदेश में किसने किया, हरियाणा में किसने किया? ...(व्यवधान)...

श्री किशनगोपाल कोगटा : सभापति महोदय, यही नहीं कांग्रेस के टाइम में जो पंचायत राज में भ्रष्टाचार था उस पर नकेल लगाने के लिये ग्राम सभा का महत्त्व बढ़ाया है। अब जो भी कार्य पंचायत में होंगे वह सारे ग्राम सभा में पास होंगे और उनका भुगतान ग्राम सभा में उसको पास कराने के बाद होगा। यह जो भ्रष्टाचार की बात वर्षों से चली आ रही थी पंचायत राज में और खास कर कांग्रेस के राज में, उस पर नकेल डालने का काम किया, वह पहली बार हुआ और यह हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के राज में और श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के राज में ही हो पायी है। आप लोगों में किसी में हिम्मत नहीं थी।

श्री शीशराम ओला : यह किसका कानून है, किसने बनाया? केन्द्र ने बनाया जहाँ कांग्रेस की सरकार है।

श्री किशनगोपाल कोगटा : मेरे कुछ सुझाव हैं, सभापति महोदय। पहले अगर किसी

(212)

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

पंचायत में 10-15 हजार रुपये विकास के लिये आ जाते थे तो बहुत बड़ी बात थी। अब कितनी ही योजनाएँ पंचायत राज में हैं, विकास के लिये रास्ते खुले हैं और काफी टार्गेट्स हैं। तो उन सब पंचायतों के विकास के लिये पंचायत समिति...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : इनके पास में एक धेला नहीं है देने को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : जितनी भी योजनाएँ हैं, जे.आर.वाई. समझ लीजिये, आश्वासित रोजगार योजना समझ लीजिये, यह सारी की सारी योजनाएँ हमारी हैं, इनके पास देने को एक धेला तो नहीं है। यह तो + + + हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिये। आपके पास बहुत धेला है, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक :+ + + इनके पास देने को है क्या जे.आर. वाई. में, आश्वासित रोजगार योजना में?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विघ्न मत डालिये, बिराजिये आप।

श्री किशनगोपाल कोगटा : पंचायत समिति की जो मुख्य कड़ी है वह है विकास अधिकारी। तो मेरा यह सुझाव है कि पूर्व में पंचायत राज में किसी भी पंचायत

(19.33)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

में 10-15 हजार रुपये अगर विकास के लिये आते थे तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अब लाखों रुपये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंचायत तक पहुँचते हैं तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी की जो पोस्ट है वह आर.ए.एस. कैडर की होनी चाहिये। विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम भी पंचायत के माध्यम से होते हैं, चाहे परिवार नियोजन हो, साक्षरता हो, टीकाकरण हो या अल्प बचत हो या विकास के अन्य कार्य हों, आजकल पंचायत समिति स्तर पर इतना कार्यभार बढ़ गया है कि एक आर.ए.एस. विकास अधिकारी को लगाना आवश्यक है और उसका महत्त्व भी है। तो मेरा यह सुझाव है कि विकास अधिकारी आर.ए.एस. कैडर का होना चाहिये।

इसके साथ-साथ पहले एस.डी.आई. की दो पोस्ट हुआ करती थीं, पंचायत समिति में। एक प्रशासन की दृष्टि से काम करता था और एक फील्ड में काम करता था लेकिन पिछले कुछ समय से हर पंचायत समिति में एक एस.डी.आई. की पोस्ट कर दी है इसकी वजह से जो गुणवत्ता आनी चाहिये पंचायत राज शिक्षा विभाग में, उसमें कमी आयी है। इसके साथ-साथ पंचायतों में प्राइमरी स्कूलों की संख्या बढ़ी है और साक्षरता की वजह से विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी है इसलिए निरीक्षण के लिए एस.डी.आई. की दो पोस्टें हर पंचायत समिति में हों। यह मेरा सुझाव है।

इसके साथ-साथ ओवरसियर का मामला आया। अब क्योंकि विकास के कामों की संख्या बढ़ी है, काम भी बढ़े हैं तो एक ओवरसियर से काम नहीं चलेगा इसके लिये ए.ईएन. पोस्ट के दो अधिकारी पंचायत समिति में लगने चाहिये। आज भी चार-चार, छह-छह महीने के पेमेंट विकास के रुके हुए हैं, इसका कारण यह है कि वह समय पर मेजरमेंट कर नहीं पाते हैं और अकेला आदमी होने से व्यक्तिगत कारणों से भी वह छुट्टियाँ लेता है

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

और पहुँच नहीं पाता है। तो या तो ओवरसियर की संख्या बढ़ाई जाय या फिर एईएन. या जेईएन. की पोस्ट पंचायत समिति में की जाए।

मेरा एक सुझाव है ग्रुप सचिव का। अभी एक ग्रुप सचिव के पास तीन या चार पंचायतें हैं और काम ज्यादा होने से हर पंचायत में एक-एक उप सचिव की पोस्ट अगर हो जाय या एक उनके नीचे हर पंचायत में ऐसा काम करने वाला नियुक्त होने की परमिशन हो जाए जिससे हर सरपंच अपने क्षेत्र का काम करा सके लेकिन जिम्मेदारी ग्रुप सचिव की हो और वह सहायक अस्थायी भी लगाए जा सकें तो लगाने चाहिये जिससे यह काम सुचारू रूप से चल सके और उनका काम आगे बढ़ सके।

इसी प्रकार से अनुदान के रूप में 4 रुपये पंचायत में प्रति व्यक्ति जो तय है, वह बहुत कम है और इस बजट में 25 पर्सेन्ट, यानि एक रुपया और बढ़ाया है, यह पैसा बहुत कम है, कम से कम 10 रुपये प्रति व्यक्ति पंचायत में विकास के लिये अनुदान राशि होनी चाहिये।

इसी प्रकार 30 जिला और 30 काम और अनटाइड फण्ड में जो अभी हर विधायक को 10 लाख रुपये दिये जाते हैं उसको भी बढ़ाने की मैं मांग करता हूँ।

मैं पर्यावरण पर भी कुछ सुझाव दूंगा। पर्यावरण पर सबसे पहले 1975 में सबका ध्यान गया और इसकी जो बुराइयाँ हैं, जो कमियाँ हैं, इसके जो बुरे परिणाम हैं उनकी तरफ सबका ध्यान गया। पर्यावरण के इतने घातक परिणाम आने लगे हैं, चाहे उद्योग धन्धे हों, चाहे मोटर व्हीकल हों, चाहे छोटे-मोटे कोई ऐसे उद्योग हों जिससे धुंआँ हो चाहे केमिकल से प्रदूषण की स्थिति है, उससे निपटना आवश्यक है और उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिये। खास तौर पर उद्योग धन्धे के बारे में मैं कहूँगा, मेरे क्षेत्र में जैसे श्री सीमेंट का उद्योग है, इसके 20 किलोमीटर के आस-पास जब खेती-बाड़ी नष्ट हो गयी और वहां रहने वालों को भी टीबी जैसी बीमारी हो गयी। उद्योग धन्धे भी लगेंगे, औद्योगीकरण भी हो रहा है और यह सारी बातें हैं लेकिन पर्यावरण के लिए, प्रदूषण के लिये निश्चित रूप से उद्योग-धन्धे वालों को कुछ न कुछ पाबन्द करना पड़ेगा और उसकी मानीटरिंग भी होनी चाहिये। भीलवाड़ा में देखिये, चारों तरफ प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगे हुए हैं और उससे जो केमिकल का पानी निकलता है उससे जमीन भी खराब हो रही है और उसके साथ-साथ वहाँ का अण्डरग्राउण्ड वाटर भी केमिकल के माध्यम से पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। तो इसको रोकना चाहिये, नहीं तो आज जो स्थिति है उसको अगर हम ठीक समय पर नहीं रोकेंगे तो उसकी स्थिति आगे जाकर बहुत भयावह होगी। जो बसों से, ट्रकों से, टैम्पों से धुंआ निकलता है उसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। शाम के समय बड़े शहरों में ऐसा लगता है कि जी घुट रहा है तो जिन गाड़ियों से धुंआ निकलता है, इनको रोकने के लिये, उनको पास करने से पहले अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो उनको रोकना चाहिये और उनको फिटनेस नहीं दें। अगर फिटनेस दें तो उसकी प्रदूषण के बारे में भी जाँच होनी चाहिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री विष्णु मोदीजी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सामुदायिक विकास, वन और पर्यावरण की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : 6 मिनट में खतम करें।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपने उस तरह की बात कर दी कि एक बार चर्चिल के पास उनकी पार्टी के लोग गये...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट यों ही खतम हो जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : और उन्होंने कहा कि आपको हमारे यहाँ आकर भाषण करना है तो उन्होंने पूछा कि मुझे लम्बा भाषण करना है या छोटा भाषण करना है।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है कि आप छोटा भाषण करना जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट सुन लीजिये, अध्यक्ष महोदय। वह परेशानी में आए कि साहब, छोटा ही भाषण करना है। तो उन्होंने कहा कि फिर तो मैं एक महीने बाद में भाषण करूंगा क्योंकि थोड़े समय में मैं अपनी पूरी बात समझा दूं, इतनी बुद्धि मेरे में नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा ख्याल रखें, दिल्ली रिटर्न्ड हैं।

श्री विष्णु मोदी : तो, अध्यक्ष महोदय, थोड़े समय में मैं तीन बातों पर बात कर लूँ, यह तो मुश्किल है। गागर में सागर तो आप किसी से भरवा सकते हैं लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रारम्भ करें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण की जितनी महत्ता है वह महत्ता मानव रेस के लिये है। वन की महत्ता क्यों हैं ? वन एवं पर्यावरण की महता इसलिए है कि मानव जाति सुरक्षित रहे, मानव जाति की जो लाइफ है वह क्वालिटेटिव रहे और सस्टेंड रहे। मैं समझता हूँ इससे बड़ी महत्ता और किसी विषय की नहीं हो सकती। लेकिन वस्तुस्थिति क्या बनी कि हमने इस महत्ता को तो एक जगह पकड़ लिया लेकिन जिसके लिये हम इसकी इम्पार्टेन्स बना रहे हैं, जिस ह्यूमन रेस के लिए इम्पार्टेंट है उसकी कास्ट के ऊपर या डवलप्ड कण्ट्री यह कहें कि हमने तो हमारे यहाँ पेड़ काट लिये लेकिन आप अरावली में पेड़ मत काटना, हमारे यहाँ के पोल्यूशन से ओजोन गैस में छेद हो गया लेकिन आप पोल्यूशन नहीं करना, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के प्रधान मंत्रियों ने, 1972 में जब इन्दिरा जी युनाइटेड नेशंस कान्फ्रेंस में भाग लेने स्टाकहोम में गयीं और उस वक्त से ही यह चर्चा चली तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में स्टाकहोम में कहा—

"On the one hand, the rich look askance at our continuing poverty, on the other, they warn us against their own methods. We do not wish to impoverish the environment any further and yet we cannot for a moment forget the grim poverty of large number of people. Aren't the poverty and need the greatest polluter ? For instance, unless we are in a position to provide employment and purchasing power for the daily necessities of the tribal people and those who live in or around our jungles, we cannot prevent them from coming to forest for food and livelihood, from poaching and from spoiling vegetation. When they themselves feel deprived, how can we urge the preservation of animals ? How can we speak to those who live in the villages and slums about keeping the ocean, the rivers and the air

(श्री विष्णु मोदी)

clean when their own lives are contaminated at the source ? The environment cannot be improved in conditions of poverty."

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी अगर पाल्यूटर है तो गरीबी है, बेरोजगारी है। आज हमें वन और पर्यावरण की सुरक्षा इसलिए करनी है कि हमें ह्यूमन रेस को बचाना है। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, बढ़ती हुई दूसरी समस्याओं का दबाव, इसमें वह सारे ह्यूमन वेल्यूज को, कुल मिलाकर स्थिति है कि हम ह्यूमन वेल्यूज को इसमें भूल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की महत्ता को कोई नहीं नकारता लेकिन उसकी महत्ता तब ही है जब कि आदमी की अपनी कोई बेसिक नीड्स न हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, एन्वायरनमेंट का जहाँ तक सवाल है मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर मिडिल क्लास से लेकर 10+2 तक इसको, माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, पर्यावरण के एक सब्जेक्ट को अगर आप इसमें डालेंगे तो मैं समझता हूँ पर्यावरण की जो महत्ता है, उसके बारे में हम शुरू से ही–

श्री गुलाब चन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : डाल दिया।

श्री विष्णु मोदी : डाल दिया तो धन्यवाद। मेरी जानकारी में नहीं था। तो उससे फायदा ही फायदा है।

जहाँ तक वन का सवाल है, मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से यह वन मंत्री बने हैं तो वास्तव में इन्होंने गहराई तक जाकर और उस समस्या को समझने की कोशिश की है और अमूनन अखबारों से भी पता लगता रहता है कि अरावली परियोजना के बड़े अफसरों पर भी गाज गिरायी गयी। वन विकास के लिये जापान से ऋण मिलने की आशा है। अरावली वृक्षारोपण का आधा पैसा भी काम में नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि जयपुर में आप दौसा की सड़क पर चले जाएँ तो कितनी ही लकड़ी कटकर इस शहर में आती है। हरे पेड़ों के इस मलबे से काला सोना तैयार हो रहा है।

श्री टीकमचन्द कान्त : बस्सी से भी बहुत आती है।

श्री विष्णु मोदी : हाँ, दौसा रोड ही बोली थी मैंने पर्टीकूलरली कोई नहीं बोला। और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है–

श्री कन्हैयालाल मीणा : वह कटती क्यों है, वह बताऊं मैं आपको ?

श्री अध्यक्ष : आप बाद में जब आपका नम्बर आ जाए तब बोल देना।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता इस बात की है कि वन विभाग अपनी कोशिश करता होगा और पहले से तो वन विभाग का पेराफर्नेलिया भी बहुत बढ़ गया क्योंकि एक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, फिर कुछ चीफ कंजर्वेटर, फिर कंजर्वेटर और फिर नीचे आते-आते डी.एफ.ओ. और कई सारे लोग हैं, यह बहुत बड़ा पेराफर्नेलिया भी पहले से हो गया लेकिन मैं समझता हूं कि जंगल कटने से हम अभी रोक नहीं पाये और जहाँ तक एक महत्वाकांक्षी योजना अरावली की जो शुरू हुई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अरावली हमारी लाइफ लाइन है और अरावली का प्लांटेशन होगा तो निश्चित रूप से जो एरेटिक मानसून है, उसमें हमें फायदा होगा।

आजादी के बाद से हमने बड़ी प्रगति की। पेड़ों की कटाई हो गयी, जनसंख्या का

(218)

(श्री विष्णु मोदी)

दबाव बढ़ा लेकिन इसमें जनभागीदारी, आपने अपने जितने प्रतिवेदन दिये हैं, वह सब मैंने पढ़े हैं, माननीय दीवान साहब भी कह रहे थे कि खाली गवर्नमेंट लेवल पर आप इसमें कुछ नहीं कर पायेंगे क्योंकि आपने 40-45 साल देख लिये और आगे कितने ही साल देख लीजिये, जब तक आप इसमें जनभागीदारी नहीं करेंगे और वन लगाने के अन्दर भी आप प्राइवेट सैक्टर, कोरपोरेट सैक्टर, पंचायत सैक्टर और सोसाइटीज के लोगों को इन्वाल्व नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ न तो हम इन सारे प्रतिवेदनों में, यह 1993-94 और 1994-95 का है, अच्छी छपाई है, काफी टाइम भी लगा होगा, पैसा भी लगा होगा, लेकिन सिवाय लक्ष्यों के अलावा कि हमारे लक्ष्य क्या है, उपलब्धि क्या रही, वह मुझे माननीय मंत्री महोदय, कहीं पढ़ने को नहीं मिली और लक्ष्य के बाद में आपने एक उपलब्धि हासिल की और इसके अन्दर सरवाइवल कितना रहा? उसका तो मैं समझता हूँ कोई मोनिटरिंग है या नहीं, क्योंकि मैंने तो कई जगह कोशिश की है अपने आप जाकर देखने की, मुझे उसमें कहीं सरवाइवलेबिलिटी लक्ष्य की, अगर आपके पास रिपोर्ट भी है तो सरवाइवलेबिलिटी उसमें बहुत पुअर है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वन लगाने से वन कटने से रोकने तक, आप जब तक इसको जनभागीदारी से नहीं जोड़ देंगे तब तक आप इसमें सफलता नहीं पा सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले साल भी माननीय भाभड़ा साहब ने तो कहा कि कहाँ डेजर्ट बढ़ रहा है लेकिन अरावली में कुछ गैप्स हैं और वह गैप्स ऐसे हैं जो नांद विलेज पुष्कर के आगे है, वह तो 21 किलोमीटर तक हमारा वेस्टर्न राजस्थान और रेस्ट ऑफ राजस्थान है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला ही ऐसी है कि वह डेजर्ट राजस्थान से रेस्ट ऑफ राजस्थान को डिवाइड करती है। उस अरावली में पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में तीन गैप्स हैं और सबसे बड़ा गैप नांद विलेज से अरावली एकदम से खत्म हो जाती है और 21-22 किलोमीटर के बाद में अरावली श्रृंखला फिर शुरू होती है, तो वहाँ नागौर से वह एरिया बिल्कुल प्लेन है और वहां से डेजर्ट इतनी मात्रा में बढ़ता है...

श्री अध्यक्ष : पुष्कर तक आ रहा है।

श्री विष्णु मोदी : पुष्कर तक नहीं आ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली तक जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्रिटिश राज में नांद गाँव के पास में फोरेस्ट की चौकी थी, वहाँ घोड़े रहते थे और वहां पर इस बात की चौकसी रहती थी कि कहीं पेड़ों की कटाई नहीं हो, पेड़ों की कमी नहीं हो जिससे कि मिट्टी आ सके लेकिन आज उन गैप्स की हालत, वह जो चौकी थी, जहाँ कभी घोड़े थे, जहाँ फोरेस्ट के लोग थे, वह तो सब खण्डहर में बदल गये और अब जाकर इस सरकार ने यह महसूस किया। अपने बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि वहाँ पर डेजर्ट डवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और गैप्स को भी हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पुष्कर का सरोवर जो सूखा है, पुष्कर की वह सारी एण्टायर बैल्ट डेजर्ट के अन्दर कन्वर्ट हो रही है और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हम फ्रिंज एरिया उसमें डवलप नहीं करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी को बड़ी महारत हासिल है भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाने और भारत

(श्री विष्णु मोदी)

सरकार को यह कहने की कि यह हमारे डवलपमेंट में अवरोध है। उन्होंने जून के महीने में एक पत्र भी लिखा, प्रधान मंत्रीजी से बात भी की कि यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया इको सिस्टम के नाम से एक कानून बनाने जा रही है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ बल्कि मैं तो ऑन रिकार्ड यह भी कहना चाहता हूँ कि जो फोरेस्ट पहले स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट लिस्ट में था, कांस्टीट्यूशन में उसको इमरजेंसी के दौरान कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र भी लिखा कि आप खाली इको सिस्टम ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ऐसा कानून बनने वाला है, पहले फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया उस फ़ोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, हमारे वन विभाग के अधिकारी और वन विभाग के सचिव भी जाते हैं, वह सुपर टाइम आई.ए.एस. होते हैं, लेकिन वन विभाग में जाते ही उनकी टोटल जो लायल्टी है वह राजस्थान से हटकर भारत सरकार से हो जाती है। 1980 से लेकर आज तक उन्होंने रोंग इंटरप्रिटेशन उस फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का किया। इस मामले में तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री भैरोंसिंह जी की सरकार को कि उसने उसकी मूल भावना को समझा लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसके साथ में इको-सिस्टम का विरोध किया। मैं भी उनके विरोध में साथ हूँ और इसमें मैंने रिजोल्यूशन भी पेश कर रखा है लेकिन उसके साथ क्या हुआ? भारत सरकार को गाली निकालनी थी वहाँ तक तो निकाल दी। आपने कह दिया कि आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो, हमारे विकास में आप बाधक बनोगे लेकिन दूसरी तरफ हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अभी मेरा एक प्रश्न था उसमें मुझे उत्तर मिला है कि फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यह कहता है कि कोई भी फोरेस्ट लैण्ड में अदर देन फोरेस्ट का आप काम करेंगे तो भारत सरकार की प्रायर एप्रुवल की आवश्यकता है। मुझे तकलीफ है इस बात की, माननीय मंत्री महोदय, कि आपने जवाब दिया कि हमारे पास 492 एप्लीकेशन्स आयीं और इस सरकार ने एक एप्लीकेशन आउट आफ 492 एप्लीकेशन्स, जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आयीं उनमें से सिर्फ एक आपने भारत सरकार को भेजी। मैं कमलनाथजी से भी मिला था, भारत सरकार के यहाँ प्रतिनिधि भी आए, उनसे भी बात की। वह भी साफ कहकर गये, 'First keep your house in order.'

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है कि चार-चार, पाँच-पाँच साल से फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर प्रायर एप्रुवल के लिए जो एप्लीकेशन्स दी गयी थीं उन पर शायद मिट्टी के ढेर पड़ रहे होंगे। वास्तव में क्या हुआ है कि सारा मिलाकर डी.एफ.ओ. और कंजर्वेटर से चीफ कंजर्वेटर के पास एक प्रपोजल आ गया। चीफ कंजर्वेटर ने उसको सेक्रेटरी के पास भेज दिया। सेक्रेटरी के पास नोटिंग हुई उसमें यह हुआ कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई कमी है तो उन सेक्रेटरी महोदय ने उसको माइंस सेक्रेटरी को भेज दिया। तो प्रपोजल की कुछ कापियाँ सर्टेन लिमिट में जानी चाहिये। पहले तो पी.सी.सी.एफ. ने अपने दफ़्तर में रखी और बाकी की सेक्रेटरी को दे दी। सेक्रेटरी ने इसमें कुछ कमी नजर आती है, यह नहीं कि क्या कमी है, एक कापी अपने पास रख ली और माइन्स सेक्रेटरी को भेज दी। माइन्स सेक्रेटरी ने फिर एक कापी अपने पास रख ली और वापस सेक्रेटरी ने वापस पी.सी.सी.एफ. को भेज दी, पी.सी.सी.एफ. ने वापस कंजर्वेटर को भेज दी, कंजर्वेटर ने वापस डी.एफ.ओ. को भेज दी। डी.एफ.ओ. के स्तर पर जब एक्जामिनेशन हुआ तो उसमें कमी

(श्री विष्णु मोदी)

यह थी कि छह प्रतियों की बजाए दो प्रति बची थी। छह सैट में भेजी उसमें से चार तो विभिन्न दफ्तरों में रह गयीं और जो कमी उसमें निकली, पहले तो ऐसा लिखा था कि इसमें कुछ कमी प्रतीत होती है। मैं यह सिर्फ आरोप के कारण नहीं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि टोटल एप्रोच में चेंज करना होगा। टोटल एप्रोच हमें यह बनानी होगी कि आपको विकास करना है।

आदमी को रोजी-रोटी की आवश्यकता है तो इसके साथ ही पर्यावरण की भी बहुत आवश्यकता है, वन की भी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अलवर में क्या हुआ? यहाँ के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के अन्दर यह लिखकर दिया कि हमारा टाइगर प्रोजेक्ट 1300 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का है। वहाँ के लोग वहां वाइल्ड लाइफ के चक्कर काटते रहे और सब जगह के नक्शे उठाकर लाये तो पता लगा कि गेम्स सैंक्चुरी तो कुछ एरिया में है लेकिन फोरेस्ट एरिया कुल 866 स्क्वायर किलोमीटर में है और टाइगर प्रोजेक्ट नाम का कोई डेफिनेशन नहीं है, न तो फोरेस्ट एक्ट में है, न वाइल्ड लाइफ एक्ट में है, न एन्वायरनमेंट एक्ट में टाइगर प्रोजेक्ट कहीं डिफाइन नहीं है। लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। फिर भारत सरकार को, जब राज्य सरकार को बताया तब उन्होंने कहा कि 866 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एफेडेविट दिया लेकिन उसके बावजूद भी वह अलवर की खानें जो फोरेस्ट लैण्ड में नहीं हैं, जो सैंक्चुरी एरिया में नहीं हैं, जो रिजर्व फोरेस्ट में नहीं हैं वह भी आज की तारीख तक बंद हैं।

अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह कहावत थी कि कुछ जिलों के अन्दर एक खनिज विभाग की रायल्टी होती थी और एक डाकुओं की रायल्टी होती थी लेकिन आज डाकू को भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। हालत यह है कि उस पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और माइन्स डिपार्टमेंट ने नक्शे पर यह खींच दिया कि यह हमारा फोरेस्ट लैंड है। उसके बाद माइन्स डिपार्टमेंट ने उदयपुर के केसरिया जी के एरिया में कुछ खानें आबंटित कर दीं। खानों में लोगों का पैसा लग गया। उसके बाद फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि वहाँ यह जो नक्शा हमने खींचा था वह गलत है। अब हमारा एरिया यहाँ तक का है। उसके पीछे मूल भावना सिर्फ एक थी कि जिस एरिया को उन्होंने कहा कि यह फोरेस्ट में नहीं है उसके अन्दर जब लीजेज मिल गयीं तो उन लीजेज को भी घेरते हुए कहा कि नहीं हमारा तो फोरेस्ट यह है (व्यवधान) अजी कालूलाल जी, आपने कुछ समझा होता तो इतना सत्यानाश ही नहीं होता। यह आपके टाइम में ही हुआ है।

श्री कालूलाल गूजर : आपको भारी नुकसान हुआ है उससे, इसीलिए आप बोल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : मेरी तो चिन्ता मत करिये। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्रीजी, आप कुछ और करें या न करें, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि वन को वाकिंग करना तो रोक दें। The forest which is walking, at least, for God's sake, stop it. अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा के अन्दर क्या हुआ। बांसवाड़ा के अन्दर सरकार ने गजट नोटिफाई किया, एरिया डेलिनिएट किया और एरिया डेलिनिएट करने के बाद उन्होंने लीजेज दीं। इससे लोगों ने एप्लीकेशन नहीं लगायीं, वहाँ

(श्री विष्णु मोदी)

खनिज विभाग ने उसको डेलिनिएट किया, गजट नोटिफाई किया और लोगों से कहा कि यह एरिया हम देना चाहते हैं। वह एरिया अलाट हुआ। एरिया अलाट होने के बाद वहां एक डी.एफ.ओ. पहुँचे और उन्होंने कहा कि यह कैसे हो गया, यह तो हमारे वन विभाग का है। उसके बाद उसमें देखा तो वह जो पर्टिकूलर खसरा नम्बर है जिसमें माइंस विभाग ने माइंस अलाट की है वह इनका नोटिफाइड ही नहीं हुआ। वह नोटिफिकेशन में है ही नहीं। तब उसके ऊपर कहा कि नहीं, यह एरिया तो नोटिफिकेशन में छूट गया था। मतलब उसमें नहीं है, पर्टिकूलर खसरा नम्बर नोटिफिकेशन में नहीं है। लेकिन हम जब डीमार्केशन करते हैं तो यह हमारी सीमा के अन्दर आता है। उसमें किसी और का दोष नहीं था अगर गलती पर थी तो राजस्थान सरकार थी, माइंस डिपार्टमेंट था और उसके बाद उनकी एन.ओ.सी. दी हुई है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने एन.ओ.सी. दी हुई है कि यह फोरेस्ट लैण्ड नहीं है लेकिन उसके बाद में एक डी.एफ.ओ. पहुँचे और उन्होंने कहा कि नहीं, यह फोरेस्ट लैण्ड है। उसके बाद वहाँ पर पचास आदमियों के खिलाफ उन्होंने आज मुकदमें बना दिये। मुकदमें बनाये तो कोई हाई कोर्ट में गया और कोई लोअर कोर्ट में गया। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और अब वहाँ के डी.एफ.ओ. साहब ने यह कहा है कि खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खतम करते हुए इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय श्री शेखावत साहब ने जो एक फैसला किया, जो फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की परिभाषा को समझा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो इको-सिस्टम आने वाला है, जिसके लिए उन्होंने विरोध किया उसके लिए भी मैं उनका स्वागत करता हूँ और साथ ही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो फोरेस्ट के अन्दर वाक कर रहे हैं, फोरेस्ट के अन्दर जितने उच्च अधिकारी ईमानदार हैं, लगन से भी काम करते हैं लेकिन नीचे के लेवल पर जितना भ्रष्टाचार है, कितनी लोगों को कठिनाई है उसको यह सरकार सजगता से देखेगी। धन्यवाद।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वह वाक करने वाली जो आपने नयी बात रखी, यह तो खाली शेक्सपीयर के "मैकबेथ" के अन्दर फोरेस्ट वाक किया है यहाँ राजस्थान में नहीं।

श्री विष्णु मोदी : यहाँ राजस्थान में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, सामुदायिक विकास, वन एवं पर्यावरण पर आज बहस हो रही है। इस बहस की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री शीशराम जी ओला ने की। मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ क्योंकि वह पंचायत के मंत्री भी रहे हैं, वन और पर्यावरण के मंत्री भी रहे हैं, पी.एच.ई.डी. के मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बहुत ही सामंजस्यपूर्ण बात की।

अध्यक्ष महोदय, मूल बात यह है कि पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हो गये और सारी बात जो केन्द्रित हो रही है वह यह है कि पंचायतों को अधिकार दिये जायें। अभी तक सरकार ने पंचायतों को अधिकार नहीं दिये हैं। इसी प्रकार से पंचायतों की और भी दो-तीन समस्याएँ हैं। आज एक प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण था कि पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद् अब यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तीनों अलग-अलग संगठन हो गये और इसलिए चुनाव के समय पर एक बात की गयी कि यह भारतीय जनता पार्टी उल्टी गिनती कर रही है, चुनाव होने चाहिये पहले पंचायतों के और शुरू कर दिये उन्होंने जिला परिषदों से। अध्यक्ष महोदय, जब पंचायतों के चुनाव की बात चली थी उसके पहले 2 दिसम्बर के नवभारत टाइम्स में सम्पादकीय छपा। उस सम्पादकीय में उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के बाद में जो मध्य प्रदेश और हरियाणा में पंचायतों के चुनाव हुए हैं वह चुनाव न होकर चुनाव के नाम पर मखौल हैं। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देकर कहा कि हरियाणा में सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ और दूसरे दिन रात को 2 बजे तक वोट पड़ते रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश के लिये लिखा कि महिलाओं को रिजर्वेशन तो दे दिया लेकिन फार्म भरते समय 38000 महिलाओं की जगह खाली रह गयीं मध्य प्रदेश में। फार्म भरने नहीं आये और इस प्रकार की कार्यवाही वहाँ पर हुई...(व्यवधान) और राजस्थान की...

श्रीमती तारा भण्डारी : महिलाओं को चुनाव क्यों नहीं जितवाये, खड़ी क्यों नहीं किया?

श्री अध्यक्ष : माननीया, आप बिराजें। बिराजें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने बहुत कुछ दिया है। मैं यह मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पंचायत राज के लिये नहीं किया। 1952 में सामुदायिक विकास की जो योजना प्रारम्भ करने की कोशिश की गयी, 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान में जो त्रि-स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी उसमें राजस्थान ने लीड की है। कांग्रेस पार्टी का इसमें योगदान रहा है, इसमें मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। इनमें मना करने की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कांग्रेस पार्टी दूसरी थी, आज दूसरी है।

श्री विष्णु मोदी : कांग्रेस पार्टी आज भी वही है, कल भी वही थी और आगे भी वही रहेगी।

श्री किशनाराम नाई : कांगरा बेचता डांगरा। कांगरा बेच और काम चला था...इन्होंने बाद में दिये हैं अधिकार ही...

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत की, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी ने 13 वर्ष तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये, यह भी ठीक है। वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने पाँच वर्ष के चुनाव को घटाकर तीन वर्ष कर दिये। वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने शिवचरण जी माथुर के टाइम पर, जिसमें श्री शीशराम जी ओला भी मंत्री थे, शिक्षा को पंचायत राज से मिडल तक की, आठवीं तक की शिक्षा को घटाकर पांचवीं तक किया और वही भारतीय जनता पार्टी थी, 1977 में आने पर 25 पैसे जो आप अनुदान देते थे उसको बढ़ाकर ढाई रुपये किया। फिर आप आये, आपने 25 पैसे और बढ़ा दिये और हमने फिर इस बार बढ़ाकर 25 पर्सेण्ट चार रुपये पहुँचा दिया। मेरे कहने का मतलब है कि पंचायतों के संविधान संशोधन के बाद जो चुनाव हुए। उन पंचायतों के चुनावों में हरियाणा में अखबार में लिखा है कि चार रंग के चार पेपर दे दिये। लोग घूमते रहे इसको वोट दें कि उसको वोट दें और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती। वह तो कोर्ट में चले गये इसलिए चुनाव हो गये। कोर्ट में आप कब गये? जब चुनाव की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि एक-एक महीने तक वोट पड़ने के बाद में शेषन ने चुनाव के रिजल्ट नहीं निकाले इस कारण से कि भारत सरकार में भी इसका असर पड़ेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव हो गये। पंचायतों के चुनाव हो रहे थे उस पीरियड में अगर जिला परिषद् के और इनके चुनाव कराते तो इफैक्ट पड़ता लेकिन + + + शांति स्थापित हो रही थी मन में, इसलिए कोर्ट में गये और_

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शेषन ने तो इनकी सलाह से काम किया है। आपने इनकी सलाह से काम थोड़े ही किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमने तो पूर्णतया इनकी सलाह से काम किया।

श्री विष्णु मोदी : आपने और कांग्रेस पार्टी ने पार्टी चिह्न पर चुनाव लड़कर पंचायत राज व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस समय यह बात बोलकर श्री गहलोत का सीधा विरोध कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : मेरा श्री अशोक जी से कोई विरोध नहीं है लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को, श्री भैरोंसिंह जी शेखावत और श्री अशोक जी गहलोत दोनों ही जिम्मेदार हैं, छिन्न-भिन्न करने के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे एक और बता दो क्योंकि आपको राजनीतिक ज्ञान बहुत है, उस समय क्यों चुप रहे? आप उस समय क्यों चुप रहे?

श्री विष्णु मोदी : मैंने पत्र लिखा_

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रधान मंत्री का लिखा, प्रेस में नहीं आया।

श्री विष्णु मोदी : और क्योंकि वह हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं इसलिए और मैंने माननीय श्री अशोक जी गहलोत को भी लिखा कि आप यह निर्णय करके पंचायती राज व्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जैसे विधान सभा में बोल रहे हैं, पब्लिकली बोलते उस समय।

श्री विष्णु मोदी : और मैंने लिखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिखा होगा, बोले नहीं हैं। इस काम में आप बहुत होशियार हैं। इस काम में तो आप होशियार हो लिख देते हो, बोलते नहीं हो_(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : नया फार्मूला आ गया इसलिए अब बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका इशारा किधर है?

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ है। बिराजिये आप। आप बिराजें माननीय, आपकी तरफ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पंचायत चुनाव, नगर पालिका और पंचायतों के जो एक्ट पास हुए, उसमें नगर पालिका एक्ट में प्रावधान था कि दलीय आधार पर चुनाव होगा, लड़ सकते हैं। लेकिन पंचायत के एक्ट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। क्योंकि हम चाहते थे कि पंचायतों के चुनाव निर्दलीय आधार पर भी हो जाएँ तो भी कोई बात नहीं लेकिन जब नगरपालिका के चुनाव हो गये और 44 में से 36 नगर

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(222)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन कारपोरेटर बन गये उसके बाद में श्री अशोक गहलोत ने सोचा...

श्री विष्णु मोदी : पुष्कर में कैसे बना?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह कैसे बना, मैं सारा बता सकता हूँ। उन्होंने सोचा कि चुनाव चिन्ह पर लड़ने पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। इन्होंने बार-बार इस बात की कोशिश की। पत्र लिखा, मीटिंग की कांग्रेस पार्टी की कि चुनाव चिन्ह पर चुनाव होना चाहिये। हमने थोड़े दिन मौन रखा, कि बिल्ली को ट्रेप में आने दो। हमने बार-बार कहा तो उन्होंने सोचा कि यह डर रहे हैं। यह चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से डर रहे हैं फिर आगे बढ़ गये। आज तो श्री विष्णु जी मोदी खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमने श्री अशोक जी गहलोत को पत्र लिखा। हमने तीन बार पूछा कि आप क्यों नहीं लड़ना चाहते? उस समय कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता भी और श्री अशोक जी गहलोत भी बार-बार कर रहे थे कि चुनाव दलीय आधार पर होने चाहिये...

श्री विष्णु मोदी : मुख्य मंत्रीजी ने विपक्ष के नेता से बात की, श्री अशोक जी को ट्रेप में फंसा रहे होंगे। हमारा नेता आपके ट्रेंप में नहीं आने वाला है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। बिराजें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलिये, सारा दोष श्री अशोक जी गहलोत का है, मैं यह मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। न श्री मदेरणा जी का है, न मोदी जी का है, सारा दोष...

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें इन्कार करने की बात ही क्या थी? कांग्रेस पार्टी का निर्णय था दलीय आधार पर उन्होंने चुनाव.....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। बोलने दें माननीय सदस्य। कोई माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हों, जब दूसरों ने डिस्टर्बेंस नहीं किया तो हम भी डिस्टर्बेंस नहीं करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब हमारा राज था तो आप कितनी जिला परिषदें और पंचायत समितियाँ जीतते थे? एक, या दो। आज आपके राज में हम बराबर पर आ गये, यह क्या कम है?

श्री कालीचरण सराफ : इसमें संतुष्ट हो रहे हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बहुत हैं। बहुत संतुष्टि की बात है, उसमें कहाँ दिक्कत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं कराये हैं। हरियाणा में चुनाव नहीं कराये, लेकिन आपने यहाँ पर चुनाव करायें हैं और जब चुनाव हुए चुनाव चिन्ह पर और हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, उसके पहले सरकार ने चुनाव पूरे करा दिये। उस चुनाव का जो परिणाम आया, माननीय श्री शीशराम जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, गम्भीरता की बात है कि चुनाव का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में मैं यह नहीं गिनाऊंगा कि कितनी पंचायत समिति हम जीते, या आप जीते। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह जो चार्ज यहाँ पर लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे का खेल किया, या राज का प्रयोग किया, वह बिलकुल गलत है। पंचायत, जिला परिषद् के 997 में से भारतीय जनता पार्टी ने 750 स्थानों पर टिकट देकर केंडिडेट खड़े किये थे। उसके बाद में हमने कहा था कि हम निर्दलीयों का समर्थन कर रहे हैं डेढ़ सौ सीटों पर। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम किन्हीं निर्दलियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, सीधे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रहे हैं और जितने लोगों को टिकट दी थी उनमें 440 लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते और उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, वह 504 वोट मिले और 65 ऐसे सदस्य थे जो पहले भारतीय जनता पार्टी के मैम्बर थे और निर्दलीय रूप में हमारी पार्टी में जीतकर आये। एक भी आदमी की खरीद-फरोख्त नहीं की और इसी का परिणाम था कि 17 जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। लेकिन आपने क्या किया ? इसी प्रकार पंचायत समिति के चुनाव की बात है। हमने 1904 जीते 5200 में से और 2100 हमको स्थान मिले जिन निर्दलियों का हमने समर्थन किया था। 121 प्रधान और 17 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के जीतकर आए हैं बिना किसी खरीद-फरोख्त के।

श्री विष्णु मोदी : सरपंच कितने हैं यह बता दीजिये आप ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुनते जाओ, इतनी देर हमने भी तो सुना था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तसल्ली से सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : जीत कर आये, 17 जिला परिषद्, 131 पंचायत समितियाँ और 6 हजार सरपंच पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आये। यह रिकार्ड हमने कायम किया है और इसी प्रकार से पंचों में किया है। इसलिए जब पंचायत के सरपंच के चुनाव होने लगे तो, अध्यक्ष महोदय, हमने फिर कहा, श्री अशोक जी गहलोत से कि आपने जिला परिषद के चुनाव तो लड़ लिये, आप कहो तो पंचायतों के चुनाव भी दलीय आधार पर करवा दिये जायं। उन्होंने कहा माफ करो। हमने नगर निगम देख लिया, नगरपालिका देख ली, पंचायत समिति देख ली और जिला परिषद् देख ली। इसलिए आज श्री विष्णु जी मोदी कहते हैं कि पंचायतें कितनी हैं ज़रा बता दो। अगर उस समय पता लग जाता तो आज यह बोली भी आपकी बन्द हो जाती। खैर, आपने यह खाता रख लिया।

श्री विष्णु मोदी : मैं आपको करेक्ट कर दूँ। कम से कम सीकर और अजमेर जिले की स्थिति मैं बता दूँ आपको, 90 से 95 पर्सेण्ट सरपंच कांग्रेस के थे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का निर्णय था कि पंचायत समिति और जिला परिषद् पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ेगी और सरपंच और पंच के चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़ेंगे। यह पार्टी का फैसला था। यदि कोई इसका विरोध करे तो व्यक्तिगत हो सकता है कांग्रेस का नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री नरेन्द्र जी, आप विष्णुजी को समझा देना।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री घनश्यामजी भूल कर रहे हैं। देखिये, कर्नाटक में चुनाव हुए थे, श्री हेगड़े साहब ने करवाये थे। उनकी पार्टी आयी फिर बाद में कांग्रेस आयी तो कांग्रेस की भारी मेजोरिटी आयी, अब जनता दल वापस आया तो फिर जनता दल की मेजोरिटी आयी। यह सरपंच, पंच, प्रधान और प्रमुख, यह चारों ही बहुत कमजोर पालिटिकली हैं।

श्री शीशराम ओला : यह सलाह आप क्यों दे रहे हो?

श्री रामनारायण चौधरी : आज आप अपने फील्ड में लाना चाहते हैं किसी को तो एक बी.डी.ओ. लगा दीजिए उसके खिलाफ, दो महीने बाद ही वह प्रधान का फार्म भर देगा।

मैं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, प्रधान क्या है और सरपंच क्या है और श्री घनश्यामजी यही स्थिति चेयरमैन की है। भई, जिनके हाथ में राज रहेगा वह उससे दो पैसा लेने के लिये कोशिश करेगा। यही हालत प्रधान की है, यही हालत चेयरमैन की है। इसका आप इतना जश्न मत मनाओ, जश्न की कोई बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि पंचायती राज को मुख्य मंत्री जी जिस उद्देश्य से लाना चाहते थे उसमें विफल हो गये। महात्मा गाँधी का स्वप्न था, राजीव गाँधी ने उसको साकार रूप दिया और साकार रूप उनका पूरा नहीं हुआ। वह दिल्ली में पास नहीं हुआ उससे पहले ही मुख्य मंत्रीजी उसको यहाँ राजस्थान में ले आये। यह ड्राफ्टिंग में इनकी होशियारी है कि जितने भी क्लाजेज थे उन्होंने उसमें डाल दिये; बैक वर्ड का डाल दिया, एस.सी. का डाल दिया, एस.टी. का डाल दिया, महिलाओं का डाल दिया...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैकवर्ड का उसमें नहीं था।

श्री रामनारायण चौधरी : हाँ, उसमें नहीं था, सारी बैकवर्ड का नहीं था, महिलाओं का 30 प्रतिशत था। क्योंकि इनको पता था कि सैन्ट्रल एक्ट आने वाला है और उसके अन्दर यह सब चीजें आयेंगी तो क्यों नहीं पहले उसमें अपन वाहवाही ले लें। ठीक है यह सूझबूझ तो इनकी है, लेकिन मूल ड्राफ्ट राजीव गाँधी का, कांग्रेस का है इसको मुख्य मंत्रीजी भी मान लेंगे। यहाँ नहीं मानेंगे तो बाद में यह कह देंगे कि बात तो यही है। सारी दुनिया को मालूम है। उनकी यंग ऐज थी। पहले प्रधान मंत्री थे लेकिन यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने जगह-जगह जाकर सेमीनार और कांफ्रेंस करके देश में एक माहौल बनाया था और माहौल बना कर एक्ट लाये थे। उस एक्ट को लाने का राजीव गाँधी को पालिटिकल डिविडेंड मिला क्या? राजीव गाँधी ने यह कहा कि मैं दिल्ली से लेकर गाँव तक राज आपको दे रहा हूँ, शहर वालों को शहर दे रहा हूँ, गाँव वालों को गाँव दे रहा हूँ। इतना सब कुछ किया, एक्ट लाये, लेकिन वह एक्ट गिर गया और वह आपने गिरा दिया। उसके बाद 1989 के अन्दर लोगों ने राजीव गाँधी की बात को नहीं माना और कांग्रेस को हरा दिया। यदि लोग प्रभावित होते इस सारे से, तो उनको जीतना चाहिये था। इसका आप ज्यादा जश्न मत मनाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अन्तर केवल यही है कि कांग्रेस पार्टी राजीव गाँधी की हार से डरकर इस पंचायत बिल को पास नहीं कराना चाहती थी।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही है, मैं बता रहा हूँ आपको। (व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : गिराया किसने?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो बाद में गिरा है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप लोगों की सहमति से (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको डेटवाइज बता दूँ। यह सही है कि राजीव गाँधी इस प्रकार का विधेयक, जिसमें यह सारे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संशोधन नहीं थे, कुछ संशोधन के साथ ही लाना चाहते थे। चुनाव आये और चुनाव के पहले ही सब लोगों की जानकारी मिल गयी कि पंचायत में इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। वह इश्यू था। उस इश्यू के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी हार गयी उसके बाद कांग्रेस की सरकार जरूर बनी लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कानून रखने की...

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस का बहुमत कहाँ था?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हार गयी ना। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आपकी बात आ गयी रिकार्ड में।

श्री रामनारायण चौधरी : स्पष्ट था, मान्यवर, सबको पता है कि 2/3 मेजोरिटी से यह पास होना था और अगर आप को-आपरेट नहीं करते तो लोक सभा में नहीं निकलता, राज्य सभा में भी नहीं निकलता...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारा तो कोई सवाल ही नहीं था।

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस लायी है लेकिन आप लोगों के सहयोग से लायी है, एक मत से लायी है, सर्वसम्मति से पास कराया है।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं स्वीकार करेंगे कि 1989 में जब लोक सभा के अन्दर इस बिल को लाया गया, उस समय हमारा वहाँ पर बहुमत था, पर राज्य सभा में नहीं था। राज्य सभा में आया तो बी.जे.पी. के माननीय नेता इस समय बिराजमान हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दीजिये लोक सभा में पास हुआ था कि नहीं हुआ था?

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। सब लोगों ने यह बात कही थी, मार्क्सवादियों से कहा था, कम्युनिस्ट पार्टी से कहा था, आपसे भी कहा था कि यह जनहित का एक्ट है इसको पास करवा दीजिये। लेकिन आपने इसके अन्दर कोई मदद नहीं की...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य को बोलने दें। सदन का समय यूँ ही जाया हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, मैं इस बात पर आ रहा हूँ कि हिन्दुस्तान में पार्लियामेंट में बिल पास होने से पहले 140 नगर पालिकाओं के चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का और महिलाओं का आरक्षण किया था और यह बिल भी उस समय पास किया था। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ...

श्री रामनारायण चौधरी : उसी लाइन पर आ गये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं लाइन पर बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दें। आप बिराजिये।

श्री टीकम चन्द कान्त : माननीय सदस्य, आप पूछिये उस कमजोर वर्ग से और महिलाओं से, जिनको इस आरक्षण के कारण अवसर मिला है। आप उनसे पूछें। यह हिन्दुस्तान के अन्दर प्रथम प्रयास साकार स्वरूप खड़ा किया है। राजस्थान के अन्दर माननीय श्री शेखावत साहब उसको नकारने की कोशिश क्यों करते हो आप?

श्री रामनारायण चौधरी : आप इतनी ऊंची बांग मत लगाइये कि इसे भारतीय जनता पार्टी लायी। बिल कांग्रेस का था और मुख्य मंत्रीजी होशियारी से इसको ले आये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय श्री घनश्यामजी को अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लाये और आप ही हार गये...

श्री रामनारायण चौधरी : आप लोग तो सब खिलाफ थे। मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं का 30 पर्सेन्ट किया, शिड्यूल्ड कास्ट का किया, एस.टी. का किया उसमें आप सब लोग खिलाफ थे। बड़ी मुश्किल से पार्टी में आप लोगों को मनाना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : आप अपनी छाती पर हाथ रखिये कि आपने विरोध किया था कि नहीं। क्या कर रहे हो, इनको कहाँ बैठा रहे हो?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में हमने इसको पहले नगर पालिकाओं में लागू किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस संविधान संशोधन के बाद ओ.बी.सी. का क्लॉज उसमें नहीं था वह स्टेट पर छोड़ा गया था। ओ.बी.सी. का पंचायतों में और नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन का काम पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रिजर्वेशन उनको मिल गया। पहले लोग कल्पना करते थे कि प्रधान का, जिला प्रमुख का और सरपंच का, एम.एल.ए. और एम.पी. के मेल नहीं है। वह इसलिए नहीं है अध्यक्ष महोदय, कि सिर्फ सरपंच के चुनाव करवाते थे, ठेकेदार थे, सरपंच उनके चुनाव करवाते थे और वे मिलकर बाड़ाबन्दी करके किसी को प्रधान और जिला प्रमुख बनाते थे इसलिए उन ठेकेदारों का आम जनता पर असर नहीं था और इसलिए पंचायत समिति और जिला परिषद् में फूलने की जरूरत नहीं थी। इस बार पब्लिक से डायरेक्ट चुनाव हुआ है सरपंच का और पंचायत समिति का, इसलिए पब्लिक पर सीधा असर है। आज मैं कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महादेय, कम्प्यूटर अगर आपके पास हो, कम्प्यूटर न भी हो, आंकड़े हों तो आप देख लीजिये, 96 सीट विधान सभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं और नगर पालिका और पंचायतों को वोट मिला है, इसका आंकड़ा अगर निकाला जाय तो आज राजस्थान में 126 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के एम.एल.ए. जीते हुए हैं। यह दर्पण है एक साल में राजस्थान की जनता ने जो हमको स्थायित्व दिया है और इस सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है इसका।

इसलिए मैं कह रहा हूँ यह जो चुनाव है, यह चुनाव दिशा सूचक चुनाव भी है और इन चुनावों के बारे में कुछ समय पहले जब मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने एतराज किया था, जो स्वाभाविक है। लेकिन मेरे भाषण के बाद पार्लियामेंट में और बाद में नवभारत टाइम्स में आया था 4 दिन पहले, सम्पादकीय छपा था दिल्ली वाले में, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ही हिन्दुस्तान के भविष्य की पार्टी है। यह समाचार-पत्रों ने लिखना शुरू कर दिया।

सभापति महोदय, लेकिन आज सवाल यह नहीं है, आज सवाल है कि पंचायतों के द्वारा विकास कैसे हो। आज सवाल यह है कि 30 हजार करोड़ रुपये खर्च हम कर रहे हैं, यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रुपये गाँव के आदमी, गरीब आदमी तक कैसे पहुँचे और पंचायतों को क्या-क्या अधिकार दिये जाएँ। पंचायतों को अधिकार देने की बात की गयी, अनुसूची की भी चर्चा की गयी है, शिड्यूल की भी चर्चा की गई है लेकिन पंचायतों को क्या अधिकार दिये जायें इसके बारे में स्पष्ट चिंतन नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह विवाद का विषय रहा है कि जब शिक्षा को आठवीं तक दिया गया तब लोगों ने कहा शिक्षा को वापस लो और प्राइमरी एजुकेशन छोड़ दी और बाकी को वापस ले ली।

आज हैण्डपम्पों के बारे में बार-बार विवाद उठता है कि इनको पंचायतों के द्वारा कराया जाय या पी.एच.ई.डी. के द्वारा कराया जाय। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के घोषणा-पत्र में कहा था, हम पंचायतों को विकास का केन्द्र बनाना चाहते हैं। हम जिला परिषद् को जिले के सम्पूर्ण ढांचे के विकास के केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बारे में विचार कर वित्त आयोग की रिपोर्ट आने से पहले अप्रोप्रियेशन बिल पर कुछ घोषणाएँ करें। आज पंचायत समिति क्या है, एक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था मात्र है। अगर आज सरकार का अनुदान बन्द हो जाता है तो पंचायतों के पास अपना कोई सोर्स नहीं है। हम कभी कल्पना करते थे कि इंग्लैण्ड की काउन्टी की तरह बना दें और हमने भी हमारे नारे में कहा था कि हम ग्राम स्वराज्य चाहते हैं, ग्राम स्वराज्य महात्मा गाँधी की महान उपज थी और जब तक ग्राम स्वराज्य नहीं आएगा तब तक वास्तविक प्रजातंत्र और विकेन्द्रीकरण नहीं होगा और रामराज्य भी नहीं आएगा। ग्राम स्वराज्य का पर्याय ही रामराज्य है। इसलिए हम ग्राम स्वराज्य चाहते हैं। इसलिए पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कितना कंट्रोल हो, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है, महत्त्वपूर्ण यह है कि विकास के केन्द्र बनने चाहिये इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो विचार करें कि डी.आर.डी.ए. और विकास के काम हैं इनको जिला परिषद् से किस प्रकार से सामंजस्य बैठाया जा सकता है और इनको जिला परिषद् के अन्तर्गत नहीं दिया जाएगा, विकास का मूल आधार जिला परिषद् और पंचायतों के पास नहीं आएगा। इसमें भी कई जगह विरोध हुआ, इसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। इसको कर्नाटक में दिया गया, इसको महाराष्ट्र में दिया गया और जिस प्रकार से देने के बाद हमने उच्च प्राथमिक शिक्षा वापस ली, उसी प्रकार से देने के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में डी.आर.डी.ए. को वापस लिया गया। इसलिए सारे हिन्दुस्तान भर में आज इस बात पर कोई तालमेल नहीं हुआ है कि किस प्रकार के अधिकार उनको दिये जायें। लेकिन मेरी यह निश्चित मान्यता है कि विकास के लिए इनको पूर्ण अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये और इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिये। आज जिला कलक्टर, जो कि एक तरह से इनको खुदा बना दिया, वह विकास का काम भी करता है, लॉ एण्ड आर्डर का भी काम करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी काम करता है, वह सारा काम करता है। हम चाहते हैं कि जिला परिषदों के साथ ही इस प्रकार का सैक्रेटेरिएट कायम किया जाए जो विकास की सारी व्यवस्थाएँ देखे और जिस प्रकार से हम यहाँ पर मांग करते हैं कि भारत सरकार राज्य के आर्थिक क्षेत्र को कम करती जा रही है और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के द्वारा धन भेजा जा रहा है उसी प्रकार से राजस्थान की सरकार भी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अगले बजट से ही इस प्रकार की व्यवस्था करे कि सीधा धन पंचायत और जिला परिषदों को जीरो बजट के आधार पर दिया जाए। जिला परिषद् उस पैसे से अपने विकास का बजट बनाये और अपने जिले की आवश्यकता के अनुसार काम बढ़ाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह श्री भैरोंसिंहजी से ले लो, आप मजा करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो मजे करो इनके राज में।.... (व्यवधान)..

श्री रामनारायण चौधरी : आपका पंचायती राज पर पूरा अध्ययन है और गाँव के ग्राम स्वराज्य की तरफ आपका चिन्तन पहले भी था और अब और बढ़ रहा है। यदि ग्राम पंचायत को हम एक परिवार की तरह से मानकर चलें जिस तरह से परिवार अपने सदस्य के लिए, अपने घर का निर्माण करता हैं वैसे ही ग्राम पंचायत को मानें। हम घर पर अपना मकान बनाते हैं, एक मेशन की उसमें जरूरत पड़ती है और मेशन ही टैक्नीकल आदमी है, मेशन ही जूनियर इंजीनियर है और मेशन ही ओवरसीयर है। ओवरसीयर से हम मकान बनवाते हैं। ग्राम पंचायतों को मुख्य मंत्रीजी, ब्रिज बनाने के लिये और रेल्वे के पुल बनाने का काम नहीं दे रहे, छोटे-छोटे काम दे रहे हैं। क्या श्री घनश्यामजी, आप ऐसा सोच सकते हैं कि ग्राम पंचायत में चुनकर के उसके साथ कोई टैक्नीकल आदमी नहीं हो, ग्राम पंचायत टैक्नीकल हो और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं हो, उसको एक पूरा ग्राम राज बनाइये, जितना पैसा है, वह उसको दे दीजिये। यह जो काम वह करना चाहे करे और जहाँ दूसरे ओवरसीयर काम कर रहे हैं और वह पंचायत काम कर रही है फिर दोनों का आप मिलान करके देखें कि कौनसा काम अच्छा है। अगर ग्राम पंचायत के लोग उस ओवरसीयर से, और जूनियर इंजीनियर से अच्छा काम करते हैं तो इसको बढ़ाया जाना चाहिये कि नहीं, इस पर भी तो थोड़ा-सा प्रकाश डालो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने यह सुझाव बहुत ठीक दिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो बात मैं कह रहा हूँ कि विकास का केन्द्र बनना चाहिये लेकिन यह विकास का केन्द्र केवल अनुदान के आधार पर ही नहीं चल सकता। इसलिए हमको इस बात पर चिन्तन भी करना पड़ेगा कि जिला परिषद् और पंचायत समिति और पंचायत स्वावलम्बी बने। टैक्स लगाने का या स्वयं के साधन पैदा करके, आय के कुछ साधन पैदा करें। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कई बार मांग उठाते हैं एक ग्राम पंचायत में एक ग्रुप सचिव होना चाहिए। यह मांग कांग्रेस पार्टी के राज में उठती थी और भारतीय जनता पार्टी के राज में भी उठती है लेकिन इसकी तनख्वाह 3 हजार, 4 हजार से कम नहीं है और नौ हजार, सवा नौ हजार पंचायतें हैं, क्या मतलब होगा और क्या काम है उसका?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या काम है उसका? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और मांग भी वही हो रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका सुझाव था एस्टेब्लिशमेंट कम करने का....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं इसी पर आ रहा हूँ। इस प्रकार की जो मांग करते हैं, हमको सोचना चाहिए एक तरफ हम बार-बार मांग करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का खर्च कम होना चाहिये और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बढ़ाने की मांग करते हैं। यह कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। अगर कोई एक पार्टी श्रेय लेना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहे कि कौनसे अधिकार दिये जायें या कौनसे अधिकार नहीं दिये जायें इसके लिए सदन का और राजस्थान के सभी राजनैतिक दलों की सहमति पर पहुँचना जरूरी है। पालिटिकल पाइंट नहीं है, गाँव के विकास के माध्यम का पाइंट है। हमको सोच-समझकर करना पड़ेगा कि क्या-क्या अधिकार दिये जायें। सोच सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का एजूकेशन का बोर्ड बनाया जा सकता है, पहले बने हुए थे फिर टूटे, फिर सरकार के पास आए, डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन बोर्ड बनाने की बात सोची जा सकती है। विकेन्द्रीकरण के लिये जो हैण्डपम्पों का मामला है, क्या पानी का जल बोर्ड या हैण्डपम्पों के लिये एक कमेटी बनाकर, जिला परिषद के अन्तर्गत इस काम को संधारित किया जा सकता है? इसी प्रकार से इंस्पेक्टिव एजेंसी के रूप में जिला प्रमुख को बना सकते हैं? ये सारी जो मूलभूत अवधारणाएँ हैं, इन अवधारणाओं को जब तक यह सदन मिलकर एक निश्चित राय के आधार पर काम नहीं करेगा तब तक इस आलोचना का कोई मतलब नहीं है कि पंचायतों को वो अधिकार दिये जायं, वो अधिकार दिये जाएँ, अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं मानता।

श्री परसराम मदेरणा : आप जिस अवधारणा की, जिस अप्रोच की और जिस अनुशंसा की बात कर रहे हैं, हालांकि ओरिजनल आइडिया तो नहीं है लेकिन आप गाँधीजी के अनन्य भक्त हैं। हमको जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली है उसमें तो यह है कि स्कीम ऑफ द एक्ट के अन्दर आपने पंचायत लेवल पर ग्राम सेवक देने की बात कही है जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने कल दी है उसमें इस साल कितनी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं? अगले साल कितनी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी 1268 हैं और 32 सौ और समथिंग हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 9 हजार और कुछ पंचायतों को आप पूरे अधिकार दे रहे हैं, वहाँ एक्जिक्यूटिव हैड रहेगा, चैक्स के पावर उसको दिये गये हैं और फिर आप नये डिसेंट्रलाइजेशन की बात कह रहे हैं। ओरिजनल यही सोचा गया था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एक आर्टिकल ऑफ फेथ होना चाहिये और वह फेथ बना नहीं और अब आपने जिस तरह से यह एक्ट बनाया है, जैसे को-आपरेटिव एक्ट के अन्दर आपने पूरा नियंत्रण रख करके इकोनोमिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनको पंगु बनाया है। मुझे धीरे-धीरे दिख रहा है। अभी आप यह बयानबाजी कर रहे थे कि शिड्यूल्ड कास्ट के आ गये हैं और हमने उनको रिजर्वेशन दे दिया। मैंने कहा कि आपका अगर यह एटीट्यूड रहा और राठौड़ साहब ने कोई ऑफ दी कफ रिमार्क्स पास नहीं किया है। मुख्य मंत्रीजी को आप यह बातें इस सदन में कह रहे हैं, आप लोग बैठ करके कई दिन तक कैम्प लगा करके और पहले सत्ता पार्टी के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाय कि वह डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को किस तरह से स्ट्रेन्थन करना चाहती है, अभी आपके पास प्रोग्राम कुछ नहीं है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना रहे हो। और आज उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। फिर प्रधानों को बुलाओ, फिर लेडीज को बुलाओ और फिर उसके बाद में सदन के माननीय सदस्यों की मुख्य मंत्रीजी के साथ बैठकर ट्रेनिंग होनी चाहिये, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुख्य मंत्रीजी, आपने 1990 में यह बात कही थी और मैं उस दिन भी कहना चाहता था लेकिन बात यह है कि ट्रेनिंग मैं आपसे लेना नहीं चाहता तो आपने कहा था कि मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

आपकी क्लास लगाऊंगा। अब हमारी क्लास लगाओ तो इस डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के मामले में हम तैयार हैं। आप हमारी क्लास लगाइये क्योंकि उसमें आप भी अपनी एप्रोच रखेंगे, आपकी फिलासफी होगी। इस सम्बन्ध में क्योंकि नये कांस्टीट्यूशन के बाद जब संस्थाएँ आयी हैं तो इसमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा और आपका जो सोच है उससे हम सहमत हैं। जब तक इनोवेशन और विजन के साथ में इन संस्थाओं को स्ट्रेन्थन करने की और इनको पावर्स और अधिकार देने की बात नये तरीके से नहीं की तो इनका फेथ बहुत डिस्मल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में कानून बना है और कानून के अन्तर्गत चुनाव हुए हैं। अब चुनाव के बाद में तीसरा प्रोसेस शुरू होता है कि पंचायतें, पंचायत समितियाँ और जिला परिषदों का कार्यक्षेत्र क्या हो, अधिकार क्या हो और उस कार्यक्षेत्र और अधिकारों का सामंजस्य बनाने के लिये साधन किस प्रकार से हों, साधन कैसे जुटाये जायें। आज जब इस सदन में चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की मांग रखी है कि पंचायतों में पी.एल. डब्लयू, नहीं है, ग्राम सेवक नहीं है। कहीं दो पंचायतों पर है तो कहीं तीन पंचायतों पर हैं। मैंने उस समय कई माननीय सदस्य जो बाहर बैठे हुए थे, उनसे कहा था, निवेदन किया था कि पंचायती राज को सही ढंग से चलाने के लिये पंचायतों को सरकारी अनुदान से मुक्त करना पड़ेगा। उसके साथ ही पंचायतें अपने साधन जुटायें, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और यह दोनों व्यवस्था नहीं हों उस समय तक पंचायतों पर एस्टेब्लिशमेंट कास्ट कम से कम हो, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और आज भी मेरी मान्यता है कि पंचायतों पर आपने एस्टेब्लिशमेंट कास्ट डाल दी तो आज एक छोटी सी पंचायत 3400 रुपये ग्राम सेवक को तनख्वाह दे यह सम्भव नहीं है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट कास्ट कम करनी है। अब इसको किस रूप में करें, अपन बैठकर बात कर सकते हैं लेकिन यह बहुत बड़ा, मेजर इश्यू है। आज मान लीजिए कि फाइनेंस कमीशन बैठा है और फाइनेंस कमीशन ने कह भी दिया कि अमुक क्षेत्र में पंचायत स्वतंत्र है टैक्स लगाने के लिये, अमुक राशि पंचायतों को अनुदान के रूप में सरकार को देनी पड़ेगी। फाइनेंस कमीशन की रिकमन्डेशन हुई और राजस्थान के पास साधन हुए तो रिकमण्डेशन के आधार पर साधन जुटाने पड़ेंगे। लेकिन आप यह मानकर चलिये कि पंचायतें जब तक स्वयं अपने साधन अर्जित करने के प्रयत्न करेंगी उस समय तक पंचायतों का विकास पूरा नहीं हो सकता। आज कौन कौन से काम उनको ट्रांसफर किये जायें, यह काम तो ट्रांसफर करने की बात हम कर सकते हैं लेकिन माननीय मदेरणा साहब, सदन पूरी तरह जानता है कि उस काम के साथ जो गवर्नमेंट का एपरेट्स लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट लगा हुआ है उस काम के साथ हम इस एस्टेब्लिशमेन्ट को उधर ट्रांसफर कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे। मैंने जो अब तक अनुभव किया है, हिन्दुस्तान में अलग-अलग पंचायतों की व्यवस्था अलग-अलग रूप में अलग-अलग समय पर हुई हैं। राजस्थान उसमें अग्रणी रहा है, इसमें कोई किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। लोगों ने राजस्थान से प्रेरणा ली है पंचायती राज की। लेकिन उस प्रेरणा के बाद जो अलग-अलग राज्यों का स्वरूप सामने आया,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक बार लोगों ने जोश में आकर सब अधिकार दे दिये और 6 महीने बाद में उसका परिणाम देखते हुए उन सारे अधिकारों को वापिस ले लिया। एक बार खूब साधन ट्रांसफर कर दिये और साधनों के बाद जब स्वयं सरकार के बजट पर घाटा होने लगा तो वह साधन वापिस लिये। आज व्यवस्था करनी है तो आप चाहे शनैःशनैः बढ़ें मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। हम एक वर्ष में, दो वर्ष में धीरे-धीरे अच्छी तरह से सोच-समझकर अधिकार दें, सोच-समझकर साधन दें, सोच-समझकर साधन अर्जित करने की प्रेरणा दें और सोच-समझकर पंचायतों का खर्चा सिवाय विकास के एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा हम कम करें यह चारों बातें हमने नहीं की तो पंचायत की व्यवस्था एक कानून में रह जायेगी, यह धरती पर नहीं उतरेगी और इसलिए आज की चर्चा में मैं समझता था कि इस प्रकार के सुझाव आयेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं लेकिन मैं विपक्ष के नेता से और विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी इच्छा साफ है, मन साफ है और हम पंचायतों के माध्यम से राजस्थान का विकास करना चाहते हैं और मेरी यह मान्यता है मैं आज स्पष्ट हाउस में कहना चाहता हूँ कि गाँवों का विकास सरकार नहीं कर सकती। 40 वर्ष हो गये कितना रुपया लगा होगा इसकी कोई इन्तहा नहीं है। उतना रुपया लगने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिये था विकास नहीं हुआ और यहाँ पर मैं राजीव जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने एक बात कही थी कि 85 पर्सेण्ट रुपया एस्टेब्लिशमेंट पर जाता है और लोग उसको भ्रष्टाचार के नाम से भी कहते हैं और किसी नाम से भी कहते हैं लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह सारा कैलकूलेशन करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि 100 रुपये में 85 रुपया की एस्टेब्लिशमेंट कास्ट है। गाँवों का डवलपमेंट तो 15 रुपये का ही हुआ। गाँवों का विकास नहीं हो पाया और आज इसलिए मैं कहता हूँ कि पंचायतें, पंचायत समितियाँ और जिला परिषदों इन तीनों को अपने पैरों पर खड़े रहने का साधन बनाना पड़ेगा। इनको खड़ा करने के लिये आपको एक बार इनकी सहायता करनी पड़ेगी। उनको वह काम देने पड़ेंगे जो काम यह सहज कर सकें और उस काम को ईमानदारी से, निष्ठा से और साहस के साथ अंजाम दे सकें। यदि आपने काम का बोझ डाल दिया, यदि आपने साधनों का बोझ डाल दिया, आपने एस्टेब्लिशमेंट कास्ट का बोझ डाल दिया तो पंचायत समितियां पनपेंगी नहीं, वह टूट जायेंगी और फिर सरकार को विचार करना पड़ेगा कि इन पंचायतों के काम में या व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाये। इसलिए मैं विपक्ष के नेता महोदय से कहूँगा कि इसके लिए आप अगर एक समिति में सम्मिलित होना चाहें तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। उस समिति में बैठकर खुले दिल से इस बात पर विचार करलें कि इनको क्या साधन दिये जायें। साधनों का काम वैसे फाइनेंस कमीशन को दिया हुआ है लेकिन हम सोच लें कि काम कैसे दिये जायें, इनका एस्टेब्लिशमेंट कास्ट किस तरह से बढ़े। जो कमीशन बैठा है हम उसको सुझाव दें कि हमारी दोनों पार्टियों के यह सुझाव हैं तो कमीशन को भी काम करने में सुविधा होगी और पंचायती राज व्यवस्था में राजस्थान जैसे आज तक अग्रणी रहा यही पंचायती राज व्यवस्था सफल हो। इस दृष्टि से भी हमारा राजस्थान अग्रणी रहे। हम दोनों मिलकर ऐसा प्रयास कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष

232

(श्री परसराम मदेरणा)

महोदय, मुख्य मंत्रीजी की सोच से दो मुद्दे उभरकर सामने आये हैं—एक एस्टेब्लिशमेंट कास्ट और दूसरा डवलपमेंट। लेकिन मुख्य मंत्रीजी इसमें सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन यह आ गया है कि जिस तरह से फाइनेंस कमीशन दो रोलिंग प्लान होने की वजह से आज कोटर्मीनस नहीं है, आपने नीचे से डिस्ट्रिक्ट का प्लान तैयार करने में एक्ट में व्यवस्था की है जिला परिषद् लेवल पर डिस्ट्रिक्ट का प्लान तैयार होगा और आज प्लान के तीन साल निकल गये। अब तीन साल के साथ में डोवटेलिंग कैसे करेंगे उसको और जब तक वह प्लान नहीं बनाते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट मुझे कहने दें। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि यह कानून हमने जनता के लिये बनाया है, जनता कानून के लिये नहीं बनी है। जो कानून जनता के हित को पूरा नहीं करे उस कानून को बदलने का हमको अधिकार है, उसको बदल सकते हैं। आज पंचायत एक्ट में कोई खामी रह गयी, पंचायत एक्ट के लिये हम नहीं बने हैं हमारे लिये पंचायत एक्ट बना है। राजस्थान के विकास के लिये पंचायत एक्ट बना है। उसमें जो परिवर्तन करना चाहें, हम कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं और अगर पंचायत एक्ट में कोई परिवर्तन करने की बात आपस में आती है तो मैं करने को तैयार हूँ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पंचायत एक्ट में परिवर्तन की तो आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वह जनता के लिये है और पंचायती राज संस्थाओं की प्रगति करें और गांव के अन्दर वहाँ की जो समस्या है, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी का मैं भाषण पढ़ रहा था नेशनल डवलपमेंट कौंसिल में 90, और 91 में और 92 में आप बार बार इसको रीइटरेट करते हैं भारत सरकार को कि आप यहां से सैन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम बनाकर भेज रहे हैं और आप यह नहीं देखते हैं कि ग्राउन्ड रियेलिटी क्या है और ग्राउन्ड रियेलिटी को अगर आप नहीं देखेंगे तो जैसा कि कल चर्चा हुई थी और बहुत से माननीय सदस्य डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ संकोच के साथ में उधर वाले तारीफ भी कर रहे थे और उसके बाद में यह भी कह रहे थे कि यह एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा हो रहा है और विकास पर खर्चा नहीं हो रहा है। जनजाति के सम्बन्ध में तो वह चीज रिपीट नहीं हो और पंचायती राज संस्थाओं में जैसा कि कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के इनकनसोनेन्स में हम यहां पर लाकर कानून बनायें और फिर चुनाव करायें। उसमें चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य अभी दर्पण में हमको दिखा रहे थे, क्योंकि दर्पण अपने को एक ही देखना है और वह दर्पण होना चाहिए सच्चाई का। दर्पण भी आजकल बहुत दगा करते हैं इसलिए सच्चाई के दर्पण में अपना मुँह देखलें तो साफ-साफ दिख जायेगा। बाकी दर्पण तो आजकल साइन्स बहुत डवलप हो चुकी है। उसमें डिसेप्शन भी कमी हो जायेगा। इसलिए मैं यह निवदेन करना चाहता हूँ कि आज इसके बारे में बैठकर चिन्तन करने की आवश्यकता है और चिन्तन करने की आवश्यकता इसलिए है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन करना है। डिसेन्ट्रलाइजेशन केवल रिसोर्सेज का फाइनेंस कमीशन से डीवोल्यूशन नहीं करना है लेकिन उनको जो भी शक्ति और अधिकार दिये जायें वह स्वयं ही संस्थाएँ अपने पैरों पर कैसे खड़ी हों...

जब तक आप उस बात पर मौलिक चिन्तन नहीं करेंगे और इन संस्थाओं के लोगों का एप्रोच नहीं बनायेंगे, तब यह फ्रस्ट्रेशन इन लोगों में परकोलेट होना शुरू हो गया। थोड़ा

(श्री परसराम मदेरणा)

चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य से यह कहूँगा। कम्पेन करना और बात है, कम्पेन करली और आते ही पर्सेंटेज में 96 सीटों में जीत गये और फिर 126 में जीत गये। यह तो जनता क्या फैसला करती है आने दो 1998, पहले भी अगर आयेगा तो उस वक्त जनता क्या फैसला करेगी कोई भी आज कुछ नहीं कह सकता। एक जगह एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं दूसरी जगह एस्टेब्लिशमेंट के पैरों में चल गये इसलिए यह जनता सोवरीन है, मतदाता है वह अपना मेण्डेट देता है उस बात को छोड़ दीजिए। अब तो चुनाव हो गये।

जो कुछ आपने करना था कर लिया, अब तो जो संस्थाएँ बन गयी हैं, इन संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए और उन लोगों के सोच के तरीके में कैसे परिवर्तन किया जाए? आज स्थिति यह है मुख्य मंत्रीजी, कि शायद 15-16 मार्च को लास्ट चुनाव हुए, अभी तो आश्चर्य की बात यह है कि आप रेफरेंस करेंगे, सैक्शन 124 का लेकिन राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 के अन्तर्गत जो 370-380 रूल्स बने हुए थे, इनके फंक्शनल के और पंचायत समिति के अन्दर करीब 150 बने हुए थे कुल मिलाकर फंक्शनिंग के जो 500-600 रूल्स थे, अभी तक रूल्स ही आपने नहीं बनाये और रूल्स बनाने के अन्दर आपने किया क्या है कि किसी कलक्टर ने आपको यहाँ रेफरेंस किया कि मैं पंचायत समितियों की अपील सुन सकता हूँ या नहीं सुन सकता हूँ? आप ओल्ड लॉ में सुन सकते हैं। इस प्रकार एक्जीक्यूटिव ने एक परिपत्र निकाला है, बाकी यह पोजीशन आज क्लीयर नहीं है और वह उस पहले वाले रूल को रैफर ही नहीं कर रहे हैं, पहले कम से कम कमेटी बैठाकर इमीजियेटली फंक्शनिंग के रूल्स तो बनाने चाहिए–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तैयार हूँ। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अभी ठहरिये। अभी मुख्य मंत्रीजी ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा है। एक प्रस्ताव तो पहले पास करने की बात थी वह मैंने कह दिया है कि अगर राजस्थान के हित में है तो प्रतिपक्ष तैयार है आल्टरनेटिव स्कीम्स के बारे में, वह थोड़ा फाइनेंशियल एक्जामिन करवा लेना। आल्टरनेटिव स्कीम जो टेन्थ फाइनेंस कमीशन की है, उसमें मैंने आपसे निवेदन कर दिया था कि हम तैयार हैं। राजस्थान के हित में कोई भी बात हो। दूसरा, अगर भारत सरकार कुछ भी सोचती हो लेकिन यहाँ की आब्जेक्टिव कंडीशंस एण्ड ग्राउन्ड रियेलिटी अगर दूसरी हैं और आप सोचते हैं और राजस्थान के इन्टरेस्ट में है, भारत सरकार को भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसमें हम आपके साथ हो सकते हैं लेकिन यह एक सोचने की बात है एक दिन मैंने मुख्य मंत्रीजी से पूछा था वह 100 हैक्टेयर को-ऑपरेटिव सोसायटी जो भेड़ों की बनी थी वह भेड़ों के नाम से इन्टेंशन आपकी खराब नहीं थी लेकिन कल आपका मामला स्लिप हो गया था, और मुख्य मंत्रीजी यों ही गर्म हो रहे थे। वह कोई इनका भी इण्टर इन्टेंशन नहीं था–

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा भी गर्म होने का इन्टेंशन नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : आप गर्म हो रहे हैं मैं आज इसलिए ठंडा हो रहा हूँ। मैं सोच रहा था और श्री खेतसिंहजी को कह रहा था कि शायद आज मुख्य मंत्रीजी को ब्लड प्रेशर हो रहा है ऐसी कोई खास बात होती नहीं है। एक तो आप यह कहते हो कई दफा यहाँ

(234)

(श्री परसराम मदेरणा)

हाउस के सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहिये इसलिए कुछ भी कल कह रहे थे मैं उसको डिफ्यूज करने में था। कई बातें हो जाती हैं और हाउस में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं। अब रहा नयी कमेटी का प्रश्न, प्रतिपक्ष तैयार है उस कमेटी को बनाइये और उस कमेटी के अन्दर जिन माननीय सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं का अनुभव है और जिनका मौलिक चिन्तन है उन्हें बैठकर के निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिये। आप इनकी ट्रेनिंग दिला रहे हैं । ट्रेनिंग देने वाले भी तो अपना विचार रखते हैं तो यह जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए आपको एक्सपर्ट बनाया है। अपन उस तरह से सबजेक्ट मैटर के एक्सपर्ट तो नहीं हैं लेकिन जनता की नब्ज को तो अपन जानते हैं, उनकी क्या आशाएँ हैं और क्या अपेक्षाएँ हैं यह तो अपन जानते हैं। इनको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए वहाँ पर क्या कंस्ट्रेंट है इस बात को तो अपन जानते हैं। इसलिए इस कमेटी के ऊपर, पहले भी, मैं आपसे कहूँ जिस वक्त 1959 में डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन लागू किया था तो भारत सरकार ने भी शिमला के अन्दर भी एक कमेटी बनाकर के इस पर कई दिनों तक चिन्तन किया था। बिल्कुल डेफिनेटली डिनोवो बैठकर के इस पर चिन्तन होना चाहिए इससे मैं आपसे सहमत हूँ और आप कोई कमेटी बनाएँगे और उस कमेटी में अगर हमको आमंत्रित करेंगे तो हमें वह आमंत्रण स्वीकार है।

श्री शीशराम ओला : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं अध्यक्ष जी की मार्फत आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस पंचायती राज अधिनियम के तहत जो चुनाव कराया, जनता में उसका एक मैसेज गया कि यह अधिकार मिलेंगे। एक्ट में आपने प्रावधान किये और यह एक्ट यहाँ इस हाउस से पास करवाया। वह तो तत्काल लागू कर दीजिए उसके बाद जैसे हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने फरमाया, आप कमेटी करके दो महीने, चार महीने, छह महीने, जो भी समय लगे जो अमेंडमेंट आगे करना चाहें वह आगे करें, हम आपके साथ हैं लेकिन जिस अधिनियम के तहत आपने चुनाव कराया वह तत्काल प्रभाव से लागू कर दें, क्योंकि...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : क्या लागू कर दें? वह सारे एक्ट में हैं।

श्री शीशराम ओला : मैं आपसे निवेदन करूं आप एक मिनट सुनें। निवेदन यह है आपके अधिनियम की धारा 13 (ख) में स्पष्ट है कि एक एम.एल.ए., एम.पी., राज्य सभा मैम्बर जिला परिषद के लिए और एम.एल.एज. संबंधित पंचायत समिति के लिये अलावा प्रधान को हटाने, उप प्रधान को हटाने अथवा उनको बनाने, प्रधान और उप प्रधान को, प्रमुख को और उप प्रमुख को बनाने व हटाने के अलावा सभी कमेटियों में वोट देगा...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह हो जाएगा।

श्री शीशराम ओला : कोई ले नहीं रहा है, कहाँ है एक्शन में? कोई हमको घुसने ही नहीं दे रहा है यह बाद की स्थिति है कि वोट नहीं दे रहे हैं। एम.एल.एज. के वोट नहीं पड़ रहे हैं स्टेन्डिंग कमेटीज बन रही हैं। आखिर कानून सम्पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। मैं आपको पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि आपने जिस अधिनियम के तहत चुनाव करवाए वह तो सारी व्यवस्था लागू कर दें और उसके बाद कमेटी बना लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है...(व्यवधान) माननीय श्री ओला जी, मेरी तो सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर अपने आपको सीमित कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रतिपक्ष के नेता की बात को मान रहा हूं कि चुनाव तो हो चुके उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब इन संस्थाओं को स्ट्रेंथन करने के लिये–

श्री परसराम मदेरणा : चुनाव हो गये, उसकी चर्चा आपने बहुत कर ली। आप पहले भी इसी पर बोले हो। गवर्नर एड्रेस पर भी आप इसी पर बोले। आप एक बात में एक्सपर्ट हो, आंकड़े निकालने में, वह बात तो पहले आपने कह दी। अब तो मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही है उस ओरिजन के अन्दर आप जाइये क्योंकि उसमें एक बात की खामी रह गयी है, यह जो आयरन करटेन बीच में आ गया है उस वक्त यह सोचा ही था कि रोस्टर सिस्टम से कुछ सरपंच पंचायत समिति में आवें, सरपंच पंचायत समिति का मैम्बर नहीं है और प्रधान जिला परिषद् का मैम्बर नहीं है। मुझे यह बता रहे थे झुंझुनूं के मामले में परसों कि सरपंच ने कोई प्रस्ताव दिया, विकास अधिकारी ने कहा, पंचायत समिति का आपका मैम्बर कहाँ है, उसके पास जाओ, वह एप्रूव करता है या नहीं करता है। एक सरपंच फिर हो गया बीच में। वह वहाँ फिरता रहे, ग्राम पंचायत का वह मैम्बर नहीं, पंचायत समिति में आप सरपंच को बुलाते नहीं, पंचायत समिति का ढांचा अलग है तो यह भी एक तरह से जो हुआ है, हालांकि जोइंट सलेक्ट कमेटी ने रिकमंडेशन की थी, उसी के आधार पर हमको कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के इन-कन्सोनेन्स करना पड़ा लेकिन अपन अपने लेवल पर उसमें परिवर्तन तो कर सकते थे, उसमें सोचा भी गया था लेकिन सोचा नहीं उस पर। इस पर भी जैसा मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि कानून जनता के लिए है जनता कानून के लिए नहीं है। अगर इसमें भी कोई संशोधन की आवश्यकता पड़े तो इस पाइंट का भी रिएक्जामिनेशन होना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार की चर्चा हुई, मैं स्वयं इस बात से सहमत हूँ कि इस कानून को रिकास्ट करना चाहिए और इसमें जो संशोधन हम कर सकते हैं, आज यह सही बात है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् का मैम्बर और सरपंच हैं, इनके अधिकार व कार्यक्षेत्र परिभाषित नहीं हैं, इनको परिभाषित करके विकास की ओर ले जाएंगे।

दो बातें कह कर मैं समाप्त करूंगा, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान की जनता और राजस्थान के सभी दल इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि जो रिजर्वेशन हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों में वर्ग संघर्ष का कारण बना वही रिजर्वेशन राजस्थान में सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा कारण बनकर आया है, यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हम सब लोग चाहते हैं, परिस्थितियाँ, समय बदला है और जिस प्रकार पहले चार वर्ण होते थे—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमने बदल दिया अजा., जजा., पिछड़ा और अगड़ा। हमने इनको नये चार वर्णों में, नये चार वर्ण परिभाषित कर दिये हैं, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हैं, अब एक अजा. है, एक जजा. है, एक अगड़ा है और एक पिछड़ा है। अब तो और विभेद कर रहे हैं, अगड़ों में पिछड़ा कौन और पिछड़ों में अगड़ा कौन, यह भी विभाजन हम करते जा रहे तो क्रीमी लेयर अलग से देख रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : समाजवादी बन गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस प्रकार यह जो रिजर्वेशन का है, यह हमारे पहले से ही था।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह पंचायत का नाम पड़ा है वह भी रिजर्वेशन के कारण ही पड़ा है। हमारे समाज में पंचायत की व्यवस्था इसलिए आयी कि चार वर्णों के चार लोग और एक बनवासी। ये पाँच मिलते थे इसलिए पंच बने और यह पंचायतों के रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे शुरू से थी।

श्री परसराम मदेरणा : हाँ, मनु महाराज। यह कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट होने के बाद और लोकतंत्र में जब सोवरनिटी है, आज मतदाता चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो और चाहे महारानी और मेहतरानी, सब एक वोट हो गया। मैं एक किस्सा बताता हूँ, एक किसी जिला परिषद् के मैम्बर के यहाँ रिसेप्शन था, मेरी पुत्र वधु जिला परिषद् की मैम्बर है, उनको भोजन कराने लगें तो उसके साथ में एक प्रधान बैठ गयी जो सामान्य महिला थी, साथ में दूसरी प्रधान जो लेडी थी वह शिड्यूल्ड कास्ट की थी, उसकी उस वक्त थाली नहीं आयी तो मेरी पुत्र वधु ने कहा कि हमारे साथ थाली में बैठ जाओ। इसलिए आज ब्राह्मण, ब्राह्मण कुछ नहीं है, यह जनेऊ का ही फर्क रहा है जो जनेऊ हम भी डाल लेंगे और आप भी डाले हुए रहते हो। और कोई ज्यादा नहीं है, अब सबको शामिल रहना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए तो नये वर्ण परिभाषित कर दिये हैं। शांतिपूर्वक हो गये, सामाजिक समरसता से हो गये और हम सब लोगों ने मिलकर इसको वर्ग विभेद के बजाय सामाजिक समरसता में काम किया और महिलाएँ जिस प्रकार से आयीं पंचायत समिति और जिला परिषद् में, किसी भी पार्टी की आयी हों, जिस प्रकार से पढ़ी लिखी महिलाएँ इस काम में आयी हैं और गाँव की महिलाएँ आयी हैं तो सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ है और हिन्दुस्तान में जब से महिलाएँ पर्दे के पीछे गयी थीं, इस समाज का पतन शुरू हुआ और जब महिलाएँ पर्दे से निकलकर बाहर आयेंगी, इस समाज के विकास का श्रीगणेश होगा। वह हमने कर दिये हैं।

सभापति महोदय, अब तो सारे सदन की कन्साइज ओपिनियन बन रही है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके पंचायतों के माध्यम से विकास के लिए हमको नये आयाम बनाने पड़ेंगे। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक है और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आमंत्रण विपक्ष के नेता ने स्वीकार कर लिया है। अब सब मिलकर इस बात को तय करेंगे कि पंचायतों को कौनसे अधिकार दिये जाएँ जिसके आधार पर पंचायत सामाजिक उत्थान का माध्यम बन सकें। इसलिए सारा सदन इस पर एक है और यह सबसे बड़ी उपलब्धि आज विकास के लिए मैं सामुदायिक विकास को मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय पर तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बात कह कर समाप्त करूँगा। मैंने बहुत कम समय लिया है, मेरे समय में बड़े-बड़े दिग्गजों ने समय ले लिया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, एक तो निवेदन करूंगा वन के बारे में। वन के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय श्री रघुवीर सिंह जी कौशल वन मंत्री हैं और मैं एक सब्जेक्ट पर सदन के बहुत से माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ कि वन के बारे में हमारे पूर्वज हमारे से ज्यादा समझदार थे और हम उतने नहीं हैं। हमने किसी भी गाँव में कभी भैंरूजी के नाम से, बालाजी के नाम से बणी बना दी, उसकी एक लकड़ी नहीं तोड़ने देते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी भी बना दो मेरे नाम से, कोई एक भी लकड़ी तोड़ ले तो।

श्री परसराम मदेरणा : वह एक बगीची बन जाती थी पेड़ लगने के बाद में और ब्राह्मण लोग वहाँ चूरमा, घी ठोकते थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो वह भी हम भूल गये। हमने वाटर री-चार्ज का और वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा काम किया है और वह अब धीरे-धीरे सारा खतम हो गया। मैं शीशरामजी की इस बात से सहमत हूँ कि अरावली में जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें बहुत बड़ी खामियाँ हैं और मैंने कुछ उदाहरण माननीय वन मंत्रीजी को बताये थे और मैं वन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सबसे पहले शुरूआत सीकर से की और इन्होंने एक अरावली की स्कीम की जाँच करायी। इस जांच से इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि 60 पर्सेण्ट तो खड्डे खोदे ही नहीं, पेड़ लगाने की बात तो दूर खड्डे खोदे ही नहीं और 12 लोगों को सस्पैण्ड भी कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की पूरी की पूरी जाँच करायी जाए चाहे किसी के ही माध्यम से करायी जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह डी.डी.पी. में भी होगा क्या मूल्यांकन?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब वह मंत्रीजी बतायेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : डी.डी.पी. के मूल्यांकन की बात करेंगे क्या? मैं सुबह से देख रहा हूँ कि अरावली, अरावली, अरावली। यह अरावली तो जापान से आयी थी और माननीय अध्यक्ष महोदय, अरावली तो जापान के सहयोग से हो रही है और मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं आपको बीच में इण्टरवीन कर रहा हूँ इसके लिए माफी चाहते हुए, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूँगा, एक बार इनसे यूँ जनरली बात हो रही थी तो इन्होंने फरमाया कि मरु भूमि जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए इजरायल से कोई टैक्नोलोजी यहाँ पर ला रहा हूँ और उसी के तहत यह अरावली का प्रोजेक्ट यहाँ पर आया। अब बार-बार इसमें अखबारों के माध्यम से अरावली, अरावली। अरावली में इतना भ्रष्टाचार, अरावली में इतना भ्रष्टाचार। यह बाहर की गवर्नमेंट्स आपको पैसा देती हैं, यह आपकी क्रेडिबिलिटी पर देती हैं, जब बाहर के लोगों को यह पता चलेगा कि यहाँ के तो सारे अधिकारी चोर हो गये और सारे राजनेता चोर हो गये तो बाहर से पैसे आपको देगा कौन? इस अरावली पर आपने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली, डी.डी.पी. प्रोजेक्ट पर जो इतना पैसा खर्च होता है, उसका आज तक कभी इवेल्यूशन नहीं हुआ, एक बार उसका मूल्यांकन नहीं हुआ, डी.डी.पी. में जो मूल्यांकन हुआ उसके बारे में कुछ नहीं हुआ तो एक-एक बात पर आप बार-बार बोल रहे हैं, कौन पैसा देगा आपको? करोड़ों रुपये जो आपको दे दिये बाहर की सरकारों ने, इस पर चर्चा बन्द की जानी चाहिए और एक ही नाम पर आप इसको पूरी तरह से आलोचना के रूप में लेते हैं तो इसको बन्द करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुद्दा वृक्ष लगाने का है। ज्यादा वृक्ष लगाएंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है, कुछ पेड़ होते हैं वे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देते हैं। मुख्य मंत्रीजी, यह बात सही है और आपने जो सजेशन दिया है मैं उससे बिल्कुल हंड्रेड पर्सेण्ट सहमत हूँ मैं जब फारेस्ट मिनिस्टर था तब मैंने मालूम किया था जब दो स्क्वायर फीट में एक पेड़ लगा हुआ था, अगर वह टार्गेट आपने फोरेस्ट डिपार्टमेंट को दिये थे, अब शायद एक स्क्वायर फीट में दो पेड़ लगा रहे हैं पूरे राजस्थान में। जो

(श्री परसराम मदेरणा)

बंजर जमीन है, गोचर की जमीन है या फारेस्ट की जमीन है और ये पेड़ नहीं लग रहे हैं, डेजर्ट डवलपमेंट में भी पेड़ लगाने का प्रोग्राम है, डी.पी.ए.पी. में भी पेड़ लगाने का प्रोग्राम है, आपकी स्पेशल स्कीम में भी है, मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह घनश्यामजी को जिस तरह से आपने हाउसिंग बोर्ड में लगाया था, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है और जिस तरह से उन्होंने बहुत ही डिटेल्स में जाकर उसका अध्ययन किया है और रिपोर्ट दी है कि बोर्ड के फंक्शनिंग में, पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद में मुझे यह हुआ कि इसको खतम कर दो। दूसरा कोई खड़ा करो, इसमें इतनी बीमारियाँ आ गयी हैं कि इन्क्योरेबल है। मैं ऐसा समझता हूँ, मुख्य मंत्रीजी के मार्फत और आपसे, वन मंत्रीजी मेरा एक ही निवेदन यह है कि इसके बाद एक ही असेम्बली सबसे बड़ी यही चलती है फिर तो आगे जाकर क्या आयेगी, सेशन। आप इनकी सेवाएँ यह अरावली वाले मामले में जो खड्डे मिले नहीं और खोदे ही नहीं थे, यह इनको काम आप सुपुर्द क्यों नहीं कर देते हो, दूसरी कमेटी बनाने से या फारेस्ट डिपार्टमेंट के भेजने से लीपापोती होगी। खड्डे भरने का नहीं, वे कह रहे हैं खड्डे ही नहीं खोदे, वे तो कागजों में हैं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ मुख्य मंत्रीजी ने आपको फ्री इसलिए कर रखा है कि आप अच्छी तरह से राजस्थान की सेवा कर सकें और आपको सेवा करने के अन्दर अगर पी.ए.सी. के चैयरमेन की पोस्ट भी है वह जरूरी नहीं है, क्योंकि वह केवल पोस्टमार्टम है। खर्चा तो हो चुका है, वह पोस्टमार्टम नहीं करके यह पोस्टमार्टम करेंगे तो एक हम जो बाह्य सहायता ले रहे हैं, हमारे पर जो लोन बढ़ रहा है उसका ठीक तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक बात, पर्यावरण के सम्बन्ध में जो आप करेंगे, जैसा कि मैंने एक पेपर के अन्दर पढ़ा था कि एक ही पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है वह है पीपल...

श्री अध्यक्ष : पीपली है वह।

श्री परसराम मदेरणा : हाँ, "पीपल पूज्यो हरि मैं", उसके पीछे एक धार्मिक भावना लगाई लेकिन पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हिमोग्लोबिन क्या है? हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन पार्ट है आपके ब्लड में, वह कम है। ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है और कार्बन डाई ऑक्साइड जो है, उसके कम्पनसेशन में ऑक्सीजन जाना चाहिये। हम तो रह गये थोड़े दिन शहर में, पापुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। कई अपने सामने कन्स्ट्रेंट होते हुए भी पेड़ लगाने बहुत जरूरी हैं। मेरा यह मत है कि कोई न कोई इस सदन के 2-3 माननीय सदस्यों की, क्योंकि अरावली का इतना बड़ा जो एरिया है उसमें हम कहीं फेल हो गये तो पर्यावरण-वर्यावरण के मामले में कितने भी सुधार की बात करें, वह चलने वाला नहीं है। इसलिए चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें और अगर आपको जिम्मेदारी मिले डिटेल्स में जाने की, कहाँ पर ये लेप्सेज हो रहे हैं, वह लेप्सेज आप निश्चित तौर से सरफेस में लायेंगे और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्रीड।... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहाँ तो मंत्री बना रहे थे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे पर कृपा करें, मुझे तो काम बहुत मिला हुआ है आप लोगों की कृपा से।

श्री शीशराम ओला : आप अपने पाइंट पर धारावाहिक बोलिये और आप बीच में रुकिये नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, आप मेरे शुभ-चिन्तक हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जैसा कि निवेदन कर रहा था कि अरावली प्रोजेक्ट, जिसकी जाँच माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्री महोदय कर रहे हैं, की जानी चाहिये। एक बात की विशेष जाँच भी करें। एक जगह तारबन्दी हुई ग्रामीण जलाऊ लकड़ी कार्यक्रम में, दूसरी दफा तारबन्दी हुई उसी स्थान की सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में, तीसरी बार फिर उसी जगह की तारबन्दी हुई, उसी क्षेत्र की हुई और फिर चौथी बार उसी पहाड़ी की अरावली में तारबन्दी हुई। अगर केवल एक तारबन्दी की जाँच करवा लें तो बहुत बड़ी चोरी इसमें पकड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लगातार चलता हुआ आया होगा काम तो इस एक पाइंट को पकड़कर जाँच की जानी चाहिये वह एक ऐसी जगह है कि अगर कोई पुलिस कांस्टेबल किसी ठेलेवाले को दो मार कर दो रुपये ले लेता है कि यहाँ ठेला खड़ा क्यों किया, सारी दुनिया को पता लग जाता है और ये वन विभाग में इस प्रकार से खड़े हैं कि पता ही नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वन विभाग में इस बात की जाँच की जाए।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन-जिन पेड़ों को, फिर माननीय विपक्ष के नेता महोदय कहेंगे और मुझे और कोई उपाधि मनु की तरह की दे देंगे, जिन-जिन पेड़ों को पूजने के लिए कहा गया था वह पेड़ इसीलिए कहे गये कि वह पेड़ ऑक्सीजन देने वाले और पर्यावरण को शुद्ध करने वाले थे। इसलिए तो तुलसी को कहा गया था, इसीलिए पीपल को कहा गया था, इसीलिए बील के पेड़ को कहा गया था, इसीलिए नीम को भी कहा गया था और इसीलिए खेजड़ी को विश्नोई समाज द्वारा इतना पवित्र और पूजनीय मानकर उसके लिए अपनी जान अर्पित करने की बात कही थी। इसलिए मैं कहता हूँ जो हमारे पूर्वज थे उनका इतना स्पष्ट चिन्तन और विचार था कि इस धुआँ को खाने वाला सबसे बड़ा पेड़ पीपल का पेड़ है। इसलिए यह जो राष्ट्रीय राज मार्ग हैं और राज्य राजमार्ग हैं, उन पर प्रयत्न करके पीपल का पेड़ प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमको हर हालत में लगाने चाहिये। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि...

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी प्राथमिकता नीम को।

श्री रामनारायण चौधरी : यह पीपल का पेड़ घर में क्यों नहीं लगाते? ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और भी माननीय सदस्य बीच में बोलेंगे, इसलिए मैं यह बात निवेदन करना चाहता था।...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक : पीपल के पेड़ की जड़ें उसके मकान को नुकसान पहुँचाती हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो तुलसी का पत्ता है, यह एण्टीबायटिक भी है और पर्यावरण को ठीक करने वाला भी है। और इसीलिए इसके लिए कहा गया था कि:—

"अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम्।"

चरणामृत लेते वक्त यही बात कहते हैं। उनकी हर चीज में वैज्ञानिकता थी और वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आज सारी दुनिया मान रही है। यह पर्यावरण शुद्धि के लिए हवन और यज्ञ भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं और उनका समय भी निर्धारित था कि किस वक्त करने चाहिये। वह आज ओजोन परत की और सारी बात जो की जा रही हैं, उन सब बातों की पूर्णतया सहमति थी, गोबर की भी, गोबर के कण्डों की भी, उस हवन की भी, उस मंत्र की भी, उस पेड़ की भी और जो लकड़ी उसमें दी जाती थी, वह भी उन्हीं पेड़ों की लगती है। लकड़ियाँ मंगाने के लिए विधान लिखा हुआ है, जिससे पर्यावरण की शुद्धि होती है।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर ज्यादा नहीं जाकर मैं कहना चाहूँगा कि पर्यावरण पर और वन पर हमारे पूर्वजों ने बहुत ध्यान दिया था, दुर्भाग्य से हम उसको भूल गये। हमको दुबारा इस बात पर ध्यान देना चाहिये।

एक बात जयपुर शहर के लिए कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जयपुर शहर में अधिकांश का रहना होता है और जब एक पाइंट बार-बार उठता है तो पर्यावरण मंत्रीजी कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, यह यातायात विभाग का काम है। जयपुर में अगर आपने, किसी की भी गाड़ी अजमेर से चलते समय अगर टेम्पो के पीछे आ गयी तो आपका सारा पर्यावरण का काम समाप्त हो गया। इतनी धुआँ जयपुर में छोड़ी जा रही है, उस धुआँ को तो मैं कहता हूँ कि कल से नियंत्रित किया जाना चाहिये अगर जयपुर शहर की जिन्दगी को सुरक्षित और साफ रखनी है तो। इस जमाने में कैसे बड़े वाले टेम्पो को अलाऊ किया जा रहा है यह मेरे समझ में नहीं आता। किसी के रोजगार का सवाल हो सकता है, वैकल्पिक साधन जुटाये जा सकते हैं लेकिन किसी भी कीमत पर इस टेम्पो को नहीं छोड़ना चाहिये। इस सम्बन्ध में मुझे अपने सदन के नेता का भाषण भी याद है वह जब विपक्ष में थे तब भाषण दिया था कि अगर आपकी किसी की भी गाड़ी उसके पीछे आ गयी तो 1-2 किलो धुआँ तो पेट में चला जायेगा, और वह सब के आ रहा है। अजमेरी गेट से लेकर हास्पिटल वाला जो मार्ग है इस मार्ग पर तो आप निकल ही नहीं सकते हैं इस धुआँ के कारण। क्या जयपुर में हमारी नीयति यह होने वाली है कि नाक पर कुछ लगाकर चलना पड़ेगा। इसलिए यातायात मंत्रीजी से और पर्यावरण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि स्टोन क्रेशर जो जयपुर के आस-पास लगे हैं, वह ये टेम्पों, इसको तो जयपुर में खरदूषण कहते हैं हम सब, खरदूषण जो प्रदूषण कर रहा है, इनको टेम्पो नहीं कहते, खरदूषण, राक्षस है नाम, यह प्रदूषण का राक्षस जो जयपुर में चल रहा है, इस राक्षस को नियंत्रित करना अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जगह-जगह कटेमोशंस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जहाँ-जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ-वहाँ के माननीय सदस्यों ने उस क्षेत्र की समस्याएँ लिखी हैं। अभी आपने पाली और बालोतरा की बात सुनी, कोटा के बारे में आया है, जयपुर के बारे में आया है, चित्तौड़ के बारे में आया है, बहरोड़ के बारे में आया है, सांगानेर के बारे में आया है, चारों तरफ से हमारे किसानों की जमीनें खराब हो रही हैं, पानी खराब हो रहा है। खेतड़ी की बात आयी है, उसके कारण उदयपुरवाटी तक सारा पानी खराब हो गया। सारा पानी हमारा प्रदूषित होता जा रहा है। जरूरी है कि औद्योगिक विकास हो, जरूरी है कि फैक्ट्री लगे लेकिन जो हमारा मूलभूत काम है, वह समाप्त हो रहा है। इसलिए प्रदूषण के निवारण और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आपको कुछ कठोरता करनी पड़ेगी और वह खबर चिन्ताजनक थी जो माननीय विधायक श्री मदनमोहनजी ने कहा कि 9 हजार से अधिक फैक्ट्रियाँ हैं जिनको दिल्ली में अलाऊ नहीं किया गया है कि ये खतरनाक हैं, इनको बन्द कर दिया जाय, उनका ट्रांसफर अगर अलवर जिले या राजस्थान में होता है तो सोच-समझकर उनको परमिशन देनी चाहिये कि कौनसी पर्यावरण के लिए ज्यादा खतरनाक है और कौनसी नहीं है।

मैं इन सब बातों पर पुनः, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए और मेरी बात पर विपक्ष के नेता महोदय ने, सदन के नेता महोदय ने, माननीय श्री रामनारायणजी ने, श्री शीशरामजी और सभी माननीय सदस्यों ने जो सहमति व्यक्त की है, अल्पबुद्धि होते हुए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पंचायतों को ग्राम—

श्री परसराम मदेरणा : खरदूषण आपने कहा कि राक्षस और दैत्य है—"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत", यह तो आपने अवतार लिया ही है खरदूषण को ठीक करने का, इसलिए तो मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा था।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : प्रतिपक्ष के नेता आज तो बड़े मूड में हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सर्वांगीण ग्रामीण विकास के लिए, ग्राम स्वराज्य के लिए हम सब प्रयत्न करके, ग्रामीण विकास का केन्द्र पंचायतों को बनाने के लिए हम सब लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा (अनुपस्थित)। श्रीमती इन्दिरा मायाराम। (अनुपस्थित)। श्री हरजीराम बुरडक। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अब हमारी बारी है। दो इधर के और दो उधर के हो गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम जी बुरडक हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : अमरा राम जी, अब बहुत कुछ हो गया है। बहुत चर्चाए हो गयी। अब इसको रहने दें।

श्री अध्यक्ष : आप तो हमेशा कहते ही हैं हरिसिंह जी। यदि आप (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : आप तो मांगें पास करवाओ। सभी मिलकर तय कर लें आज मांग पास हो जाय। (व्यवधान) यह पर्यावरण के हित में होगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो सुझाव हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, सारी बातें आ गयी हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : यह भी पर्यावरण के हित में होगा। (व्यवधान) आज मांग पास करवा लें। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्षजी, व्यवस्था का सवाल है। आपने यह व्यवस्था बना रखी है कि दो इधर से और दो उधर से होने के बाद निर्दलीय को आप मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री टीकमचन्द कांत : बायीं बाजू के राजनीतिक पक्ष के एकमात्र प्रतिनिधि हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी दोनों तरफ के सात-सात माननीय सदस्य बोले हैं, तीन निर्दलीय बोल चुके हैं। बिराजिये आप।

242

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल दो मिनट ही लूँगा। मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : भाषण नहीं देंगे, सुझाव ही देंगे सिर्फ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री कालीचरण सराफ : मांगे पास करवाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अमराराम जी, रहने दो भाई।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो सुझाव देना चाहता हूँ।

श्री टीकमचन्द कांत : लैफ्टिस्ट महोदय, रहने दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। बिराजिये आप। लिस्ट तो बहुत लम्बी है। काफी समय हो चुका है और काफी डिस्कशन हो चुकी है।

श्री टीकमचन्द कांत : रामस्वरूप जी, आप तो सहयोग करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : सबकी मंशा के अनुरूप, सबकी मंशा के अनुरूप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) आपके कहने की जरूरत है नहीं, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : अमराराम जी, बहुत बोल लिये, बैठो तो सही। (व्यवधान) अमरा राम जी, कल सुन लेंगे आपका भाषण।

श्री अध्यक्ष : सवा नौ बज गये हैं। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : मंत्रीजी को थोड़ा सुन लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) बिराजें आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री टीकमचन्द कांत : अमराराम जी, बैठ जाओ। अमरारामजी, हमारा निवेदन मानो। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है तो आप मांग पास कराओ मंत्रीजी से। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : सदन का विचार जान करके मंत्रीजी का नाम पुकार लिया तो अब बिराज जायं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं_।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, नहीं।

श्री टीकमचन्द कांत : परसादीलाल जी, सहयोग करें आप।

श्री अध्यक्ष : उस पर मंत्रीजी की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) बिराजिये। अब इसमें क्या डिस्कशन करना है। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सदन के नेता बोल लिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो हमेशा बोलते ही हैं, भाषण देते ही हैं। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मांग पास कराओ आप।

श्री टीकमचन्द कांत : माननीय सदस्य, बिराज जायं आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : माननीय सदस्य, बिराज जायं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी कौशल। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, जब आप प्रदूषण के बारे में_(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : परसादीलाल जी, बिराजिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : _आप इतने चिन्तित हैं और आप प्रदूषण की डिमांड है और पर्यावरण के_(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : रामस्वरूप जी, बिराज जाओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : एक निवेदन छोटा सा है (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसको तो नियंत्रित कीजिये। (व्यवधान) सदन में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो प्रदूषण फैल रहा है, वह रोकें आप।(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : _और आप हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं बोलने का। तीन करोड़ रुपये वहाँ जमा हुए हैं_

श्री रामस्वरूप : सदन में जो प्रदूषण फैल रहा है, उसको रुकवाइये आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) रामस्वरूप जी, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, वी.पी.सिंह जी खड़े हुए हैं। वे अभी मुझ पर नाराज हो रहे थे, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि आप भले और ईमानदार आदमी हैं, सज्जन हैं। आपने डोनेशन में कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं खाया, इस बात को मैं सदन के बीच में कहना चाहता हूँ। आप मुझ पर नाराज हैं (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : धन्यवाद इसके लिए आपका।

श्री अध्यक्ष : कोई बात अंकित नहीं होगी मंत्रीजी के अलावा।

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बिराज जायं।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं सबको पर्याप्त अवसर देता हूँ, पूरा मौका दे रहा हूँ। आज तो बिराजें आप। अभी दो माननीय मंत्रियों को अपनी बात कहनी है। बिराजें आप। (व्यवधान) बिराजें आप।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री अध्यक्ष : अमरा राम जी, बिराजें आप। आपको और बुलवा देंगे। बालोतरा वाले अमरारामजी, बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वन और पर्यावरण पर अनेक

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

2-4-5

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

माननीय सदस्यों ने बड़े रचनात्मक सुझाव दिये, आलोचना भी की लेकिन मैं जानता हूँ कि आलोचना के पीछे आलोचना करने का भाव नहीं था। उनके मन की जो एक पीड़ा थी वे व्यक्त कर रहे थे प्रदूषण के प्रति, वृक्षों की कटाई के प्रति और यह स्वाभाविक भी है। आज वन और पर्यावरण के महत्त्व को प्रत्येक व्यक्ति जानता है, इसी नाते उन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है और अच्छे सुझाव दिये हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि एक गिलास में आधा पानी है, तो यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ नहीं है, आधा ही पानी है। आधा पानी नहीं है, इतना तो मानना पड़ेगा। लकड़ी की कटाई हो रही है, मैं मानता हूँ और उसको क्या कहा जाय कि आज वनों से जो लकड़ी आती है, वन काटना निषेध है। जो सूखी लकड़ी वन विभाग उपलब्ध कराता है, वह है 1.4 लाख टन और आवश्यकता है 67 लाख टन की। यह जो कमी है, इस कमी के कारण वनों पर भार पड़ रहा है, वनों की कटाई हो रही है। इसके लिए हम रास्ते निकाल रहे हैं। अलग से जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे पेड़ लगा रहे हैं तो इसके कारण यह कहना कि वन विभाग तो राजाओं के जमाने में लकड़ी काटने का एक विभाग था, इसको वृक्ष लगाने के लिए काम सौंपना, यह उचित नहीं है और इसमें तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और इसमें कोई अधिक अच्छे लोग ही नहीं हैं और वृक्ष लग ही नहीं रहे। अब (व्यवधान) आपने बहुत बोल लिया। थोड़ा मुझे भी सुन लो। मैं आपकी बात की ताईद करूंगा। इसलिए...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसी पर एक सुझाव देना चाहता हूँ, एक सुझाव।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य।

श्री रोहिताश्व : लेकिन अमेरिका पर नहीं होना चाहिए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हाँ, एक ही सुझाव है कि लिग्नाइट...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दें।(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : लिग्नाइट जो बाड़मेर और बीकानेर में मिल रहा है और नागौर जिले के अन्दर लिग्नाइट अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उसके आप ब्रिक्स बना सकते हो और वह आप फ्यूअल के लिए सप्लाई कर सकते हो, यदि आप इस पर विचार कर लें। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : बड़ा अच्छा सुझाव है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, काम चालू हो गया है।(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था, राजस्थान में वनों की कटाई-कटाई हो रही है तो सैटेलाइट सर्वे जो भारत सरकार ने करवाया है और जो एक अकाट्य प्रमाण है, 1991 से 93 तक, इसमें उन 6-7 भाग्यशाली प्रदेशों में राजस्थान का नाम है जहाँ 210 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। यदि यहाँ पेड़ कटते ही कटते हैं, कटे भी हैं, इसमें यह क्षेत्र बढ़ा है 278 वर्ग किलोमीटर लेकिन 68 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र हैं उसकी कटाई भी हुई है तो 210 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। यह भारत सरकार के सैटेलाइट सर्वे की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में यह दर्ज है।

मान्यवर, इसी के साथ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जापान हमें मदद कर रहा है,

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

अरावली प्रोजेक्ट जापान के पैसों से चल रहा है, इन्दिरा गाँधी कैनाल में वृक्षारोपण जापान के पैसों से चल रहा है। उनकी टीम 2-3 महीने में आती है और देखकर प्रसन्न होती है और उन्होंने तीसरी योजना के लिए अब 160 करोड़ रुपये इस वर्ष और दे दिये हैं। यदि वृक्षारोपण नहीं हो रहा है, सब कटाई ही कटाई हो रही है और भारत सरकार चाहती थी कि यह पैसा किसी दूसरे प्रदेश को भी दे दिया जाय, किन्तु जापान ने कहा कि नहीं, हम राजस्थान में देंगे, यहाँ वृक्षारोपण का काम अच्छे ढंग से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वृक्ष कट रहे हैं। इस विषय में यह प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें भी बात सच है कि कटाई हो रही है, कहीं गड़बड़-घोटाले भी हो रहे हैं, उससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि अधिकारियों में द्वंद्व चल रहा है, एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्ष से मैंने इस विभाग को देखा है, कुछ लोग हैं, सारे ही लोग बेईमान नहीं है, तो सारे लोग ईमानदार भी नहीं हैं, हमें यह फर्क करना पड़ेगा, जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, कमिटेड है, समर्पित हैं वन विभाग के लिए, और कुछ गड़बड़ भी हैं, जो गड़बड़ लोग हैं वह अच्छे लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं और विभाग को भी बदनाम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जायेगा।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, एक केस पकड़ा, जो मेरे अधिकार में थे उनको मैंने सस्पैण्ड कर दिया। एक आई.एफ.एस. आफिसर था, मैं उसे सस्पैण्ड नहीं कर सकता था, माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास फाईल गयी तो सस्पैण्ड तो किया ही सही, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने हाथ से लिखा कि यह केस राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो में भेज दिया जाय। वहाँ गलती पकड़ी जाती है उसको किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है क्योंकि यह जो वृक्षारोपण का काम हो रहा है, अगला जो सैटेलाइट सर्वे आयेगा, मुझे यह विश्वास है कि उसमें राजस्थान गिने-चुने प्रदेशों में होगा। मान्यवर, जैसे आप लोग प्रकट करते हैं भाव, मैं भी वन विभाग के बारे में ऐसी ही मान्यता रखता था, सोचता था, क्योंकि मैं मेरे शाहबाद में भी जब जाता था सड़क-सड़क तो दोनों तरफ जंगल नहीं थे। और अब जब वन मंत्री बना हूँ, अन्दर गया हूँ तो देखा है कि बहुत ही श्रेष्ठ वन वहाँ मौजूद हैं। (व्यवधान) माननीय परसादीलाल जी, आपकी तो हालत बनी है, जैसा मैंने कहा था न, श्रेष्ठ भोजन रख दिया जाय और पूछा जाय कि भोजन कैसा है तो आप यही कहोगे कि आलू के साग में नमक कम हैं, अच्छाई कोई दिखेगी नहीं आपको।

श्री परसादीलाल मीणा : कटा हुआ सागवान वापस लग गया क्या?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जो सच है उस बात को सच मानना ही पड़ेगा। अभी एक पत्रकारों की टीम रणथम्भौर गयी। जो पत्रकार मुझसे बात करते थे, वह सही कहते थे कि आपका तो वनों की कटाई ही कटाई करने वाला डिपार्टमेंट है। वहाँ देखकर आये तो उनको लगा कि कहीं जंगल है। रेल से जायें तो जंगल नहीं दिखता। उन्होंने आकर मुझसे बात की कि हमने सचमुच जंगल देखा है। जहाँ गलती है, वहाँ गलती स्वीकार करने में मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। इन वनों को

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

केवल सरकार के आधार पर, सरकार के पैसे थे, सरकार की जमीन पर लगाकर वृक्षारोपण का काम पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि जन-सहयोग न हो। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि समितियां फर्जी हैं, फ्राड हैं। मेरी भी मान्यता ऐसी ही थी।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले न?

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब बदल गयी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अब बदल इसलिए गयी, मैं मेरे विभाग से भी कहता हूँ यह, कि जितना काम करते हो उतना लोगों को भी दिखाओ, अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, अच्छा दिखना भी चाहिए और इसीलिए पत्रकारों को भेजा और माननीय सदस्यों से मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो कोई...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वन मंत्रीजी, मैं आपसे बार-बार इसीलिए निवेदन कर रहा था कि आप बहुत बदल गये हैं और आप कहते हैं कि मैं नहीं बदला हूँ। आज पता लग रहा है कि आप बदल गये हैं। यह पद ही ऐसा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे डर लगता है कि यह न बदल जाएँ।

श्री अमराराम (धोद) : आप बदलाओगे तब बदलेंगे न।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि देश के प्रधान मंत्री माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गाँधीजी हमारे सवाईमाधोपुर पधारे थे, उन्होंने अपनी छुटि्टयाँ वहाँ बितायी थीं, जिसके बाद में वहाँ का बहुत विकास हुआ है। मेरा भी आपसे निवदेन है, आप भी कम से कम साल में सात दिन वन में जाकर बितायें। यह मेरा सुझाव है माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य, मैं पाँच बार...

श्री परसादीलाल मीणा : टोडाभीम होते हुए जायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। बोलने दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : गनीमत यह है कि यह वनवास 14 साल का नहीं दिया है, सिर्फ सात दिन का ही दिया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं पांच बार रणथम्भौर हो आया हूँ, गलती यह थी कि मैं आपको साथ नहीं ले गया। अब जब जाऊंगा इधर होकर तो आपको साथ लेकर चला करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजीव गाँधी सात दिन वनवास गये तो सात दिन में ही लोगों ने टेलीफोन का टेपिंग कर लिया। तो उसमें तो...

श्री हरजीराम बुरडक : इसीलिए आप नहीं जा रहे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, अभी जो वन विकास चल रहा है उसमें आपने जो भावना प्रकट की सोसायटीज के बारे में, जैसा मैंने निवेदन किया कि मेरी मान्यता भी थी, मैं उदयपुर गया, मैंने उदयपुर की समितियों को देखा। मैं नहीं कह सकता कि 868 में से 868 ही ऐसी हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि कम से कम 60 प्रतिशत समितियाँ ऐसी हैं जो सक्रिय होकर वन विभाग का साथ दे रही हैं। जैसे पहले यदि किसी भी गाँव में जाकर फेंसिंग की जाती थी तो गाँव के लोग समझते थे कि यह हमारे दुश्मन आ गये, हमारे जानवर कहाँ चरायेंगे। अब हमने उनको भागीदार बना लिया और भागीदार बनाने में

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

स्थिति यह हुई कि सारी घास वह ले जाते हैं, उनकी वन्य उपज वह ले जाते हैं और जब उनका विदोहन होगा तो 60 प्रतिशत लकड़ियाँ गाँव वालों की होगी, 40 प्रतिशत केवल शहर वालों की होगी, सरकार की होगी। इससे इन्वाल्वमेंट उन लोगों का हुआ। अभी मैं यहाँ जयपुर की समितियों को देखने गया, तो वह मूंजा होता है, उसी की इनकम, सोसायटीज के लोगों से मैंने एक-एक से बातचीत की, काफी अच्छी हो गयी। अब जैसे अरावली पर ही बात आ रही थी, अरावली का जो उदयपुर क्षेत्र में वृक्षारोपण हो रहा है, उसमें 30-40 प्रतिशत बाँस पैदा हो रहा है। वहाँ के आदिवासी बन्धु उन समितियों में हैं, यह बाँस जब आदिवासी के पास जाएगा तो आदिवासी की आर्थिक स्थिति ठीक होगी या नहीं होगी। मुझे याद है, एक समिति को वन विभाग के पास एक स्थान पर कलक्टर ने जमीन अलाट कर दी, सारा गाँव उठकर चला गया, आप उसे वन में दीजिये, हम उसकी रखवाली करेंगे। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा में समितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ के आदिवासी तीर कमान लेकर जंगल की रक्षा करते हैं। मध्य प्रदेश के लोग सागवान काटने आते हैं तो उनसे लड़ाई करते हैं, अभी एक के तो पैर में गोली भी लगी है। ऐसा नहीं है कि समितियाँ काम नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही है और मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो-जो इन समितियों को देखने में रुचि रखते हैं, अरावली में जो वृक्षारोपण हुआ है, वह वृक्षारोपण देखने में रुचि रखते हैं, मैं बड़े आदरपूर्वक उनको उन स्थानों को दिखाने के लिए ले जाना चाहता हूँ, जो जहाँ चाहे और इसीलिए मैं मेरे विभाग से भी बार-बार कहता हूँ, मैंने अरावली का वृक्षारोपण देखा है, मुझे वहाँ की रिपोर्ट मिलती है, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपके यहाँ भी वन विभाग में कहीं गड़बड़-घोटाला है तो इन द इन्टरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इन्टरेस्ट ऑफ नेशन आप मुझे सूचना दीजिये, उसे किसी कीमत पर नहीं बख्शा जायेगा। तो मैं...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अभी आपको दे देता हूँ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बाद में दे देना आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जयसमन्द लेक में जो कुलिशजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने होटल बनाया और वहाँ पेड़ काटे, उनकी इन्क्वायरी करवाइये न आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अच्छा, आप बिराजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो टेलीफोन टेपिंग का जवाब है, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप वह इन्क्वायरी करवाइये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूँ कि मंत्रीजी भी चूरू के मोमासर गाँव में पधारे और मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ उन्होंने डाक्टर महावीर प्रसाद को सम्मानित किया जिसने मोमासर में लाखों पेड़ उस अकेले व्यक्ति ने लगाये हैं। लाखों पेड़ लगाये हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं बोल रहा हूँ इस पर।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : तो ऐसे व्यक्ति प्रोत्साहित हों, ऐसे और लोग आगे आयें इसके लिए...(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूँ। एक मिनट बैठ तो जायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री किशनाराम नाई : डॉक्टर ड्यूटी पर जाता है क्या हास्पिटल में।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही, मेरा यह कहना कि इस समय वृक्षारोपण के प्रति गाँव से लेकर शहर तक एक वातावरण बना है। हमारी नर्सरीज पर जयपुर में लाइन लगती है, लाइन से लोग पेड़ ले जाते हैं और यही वातावरण गाँवों में बना है और कई लोग स्वेच्छा से सड़क मार्ग पर पेड़ लगाते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं। मोमासर की जो बात बता रहे हैं, मैं स्वयं वहाँ गया हूं। मोमासर में एक डॉक्टर दम्पति है। डॉक्टर को पागलपन सवार हो गया कि इस रेगिस्तान में वृक्ष लगाऊंगा।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : मेरा चाचा है, साहब, वह पागल नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अच्छा-अच्छा, पागलपन सवार का मतलब यह है...

श्री अध्यक्ष : यह गुड सेंस में है, माननीय सदस्य, समझने की चेष्टा करें कि गुड सेंस में है यह।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पागलपन का मतलब है जुनून, एक धुन सवार हो गयी कि मैं इस रेगिस्तान में...

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अब पागलपन का नाम मत लें।

श्री अध्यक्ष : यह असंसदीय शब्द है, बिराजें आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक भाव है...

श्री अध्यक्ष : किसी चीज के लिए उत्कंठा हो गयी है, यह मतलब है उसका।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हाँ, एक धुन लग गयी कि इस रेगिस्तान में वृक्ष लगाऊंगा।

इस राजस्थान में वृक्ष लगाऊंगा और जब उसने शुरू किया, और कोई उनके पीछे नहीं लगा, सोचा इनका तो कुछ मामला गड़बड़ ही है, यह क्या करेंगे लेकिन एक धुन सवार हो गयी, अकेले ने, जब देखा कि एक धुनी आदमी काम पर चला गया तो उसके पीछे डी.आर.डी.ए. भी लग गया, उसके पीछे वाटर वर्क्स भी लग गया। एक सेठ कलकत्ता से आये उन्होंने एक लाख वृक्ष लगाये, बीच में जमीन आती थी वह खरीदकर उनको दे गये कि पेड़ लगाओ और आज मैं आंखों से देखकर आया हूँ एक लाख जिन्दा वृक्ष खड़े हैं। एक-एक वृक्ष तीन तीन फीट के थे। हमने उनको सम्मानित किया, जयपुर बुलाकर स्टेट अवार्ड दिया और अब उन्होंने अपना निश्चय किया है कि आसपास के गाँवों में चार लाख वृक्ष लगाऊंगा लेकिन...

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अब केन्द्र सरकार से और सम्मानित करवाइये। उसका नाम रिकमण्ड करवाइये राजस्थान सरकार से।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अब वृक्षारोपण के लिए मैं यदि यह कहता, अभी इस समय एक लाख वृक्ष रेगिस्तान में उन्होंने लगाये हैं, शायद कई लोग इसे मजाक समझते पर आप जानते हैं और मैं स्वयं वहाँ आंखों से देखकर आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, उनके पास आसपास के गाँवों में लोग आ रहे हैं कि हम भी वृक्षारोपण करेंगे और मैं आजकल गाँवों में देख रहा हूँ कि गाँव

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

के लोग 2-2, 4-4 पेड़ लगा रहे हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि आज हम नर्सरी को जो पौधे देते हैं, वह श्री माधवसिंह जी दीवान चले गये, वह धन्यवाद के पात्र हैं उन्होंने 10 पैसे उस पेड़ की कीमत रख दी जिससे उसकी गिनती हो जाती है वरना कोई गिनती ही नहीं होती थी। तो आज यह नर्सरी जिस ढंग से कार्य कर रही है, जिस ढंग से सैटेलाइट सर्वे की रिपोर्ट आ रही है। अभी कृषि वित्त निगम से भारत सरकार ने सर्वे कराया हमारे राजस्थान का, जो उनका क्षेत्र है उसका, कि जो पौधे लगाये जा रहे हैं उनका सरवाइवल कितना है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 50 से 60 प्रतिशत तक सरवाइवल है जहाँ पानी नहीं मिलता है। ऐसी जगह के पेड़ यदि 50 से 60 प्रतिशत तक सरवाइवल है तो वह कोई मायने रखता है, क्योंकि उस समय पेड़ वहाँ लगाये भी इसी हिसाब से जाते हैं कि इसमें बीच में कोई एकाध सूख जाय तो कोई बात नहीं। इसलिए यह कहना कि वृक्षारोपण में वन विभाग काम नहीं कर रहा है, गलत है। मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों को प्रोत्साहित किया जाय, जो लोग गड़बड़ करें उनको दण्डित किया जाय और इस विभाग में सुधार आ ही नहीं सकता यह जो राजाओं के राज से एक कल्पना बन गयी है पर मेरी ऐसी मान्यता नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : वन मंत्रीजी को भी सम्मानित करना चाहिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं इसलिए यह निवेदन करता हूँ कि यदि आप लोग समय निकालें और एक बार अरावली का वृक्षारोपण देखें, इन्दिरा गाँधी कैनाल का वृक्षारोपण देखें, आप जन प्रतिनिधि हैं, आप जो कहेंगे आपके एरिया के लोग उन बातों को मानेंगे और ये वृक्षारोपण के प्रति आकर्षित होंगे इसलिए मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप मुझे समय बतायें और यह समितियाँ जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ और यह अरावली का वृक्षारोपण जिसके बारे में यह कहा जा रहा है, वह यदि देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच वृक्षारोपण हो रहा है।

श्री शीशराम ओला : इन्दिरा गाँधी कैनाल में पेड़ लगाये उनको दिखाना चाहते हैं या और कोई लगे हैं उन्हें दिखाना चाहते हैं? एक टेरिटोरियल आर्मी ने लगाये हैं वह हैं या दूसरे इन्दिरा गाँधी कैनाल के हैं?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह आर्मी ने लगाये हैं वह अलग है और हमारे विभाग के ज़ो लग रहे हैं वह अलग लग रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो दोनों ही दिखाएंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, एक बात है कि बहुत पेड़ लगाये इन्होंने अपने उसमें, जो इनका कालेज है वहाँ मैं भी समझता हूँ कि हजारों पेड़ हैं। एक लाख से भी ऊपर हैं, मैंने खुद ने देखे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप देख लीजिये कि पहले खेजड़ी को बहुत काटते थे क्योंकि लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। अब यह कल्चर बदल गया है। मैं मेरे गाँव की बात करता हूँ, बहुत ही छोटी-छोटी खेजड़ियों का, पानी बहुत गहरा है, अब कोई खेजड़ी नहीं काटता और यह मेरे गाँव की ही बात नहीं है, पूरे जिले के अन्दर और बाड़मेर तक यह कल्चर है, इसको सिल्विकल्चर कहते हैं या कौन सा कल्चर कहते हैं लेकिन उन्हें एक ही लकड़ी की आवश्यकता है। कुछ तो बात है कि लकड़ी मिलों के अन्दर आकर उनके दरवाजे आदि बनते हैं, दूसरी चीजें हल्की होती है, इतनी आवश्यकता नहीं थी, बहुत हल्की की भी जरूरत नहीं पड़ रही है और कुछ लोगों

250

(श्री परसराम मदेरणा)

ने यह सोचा कि पेड़ बचाने चाहिए। यह जो लोगों की मनोवृत्ति है इसको मैं देख रहा हूँ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैंने यही निवेदन किया था।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आप उस 40 प्रतिशत जलाऊ लकड़ी की ही बात कर रहे थे। एक जलाऊ लकड़ी की सबसे बड़ी समस्या आपके सामने है। स्टेट ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है? अभी बन्द हो गयी, क्योंकि अब आपके पेड़ इतने पुराने रहे ही नहीं। यह जितने भी श्मशान घाट हैं, वहाँ गीली लकड़ी आ रही है, उसकी कोई व्यवस्था आप, जलाऊ वाली तो लोग अपना कुछ करते हैं, जैसी लाते हैं लेकिन इस सम्बन्ध में भी आप जितने भी श्मशान घाट हैं वहाँ सूखी लकड़ी मिले, क्योंकि बढ़ती हुई पापूलेशन के साथ में पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं और मरेंगे भी ज्यादा, तो यह आपने कोई आगे का सोचा है या नहीं सोचा है, पर्सपेक्टिव, आगे के बारे में?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सोचा है। इसके विषय में मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैंने तो अभी दो दिन पहले ही स्वायत्त शासन मंत्रीजी से बात की है और श्मशान घाट पर भट्टियाँ बनती हैं, यदि वह भट्टियाँ बन जाय, जैसा मैंने कई जगह देखा है, तो आधी लकड़ी जलती है और नगरपालिकाएँ, नगर निगम बनाये और फारेस्ट डिपार्टमेंट भी यह कोशिश कर रहा है, हमने भी कुछ प्रोविजन रखा है कि श्मशान घाट में...

श्री परसराम मदेरणा : ट्रेनिंग की और कई जगह देते थे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जी, हाँ। वह भट्टी हम लगाना चाहते हैं ताकि उससे लकड़ी की आवश्यकता कम पड़े। अभी कुछ यह भी प्रकट किया गया (व्यवधान) देखो, श्री धारीवाल जी, हमारे बीच में मत बोलो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विंध्या हिल्स और अरावली हिल्स तो विंध्या हिल्स तो यह प्लेटो और अरावली है रेंज। आपको इस बारे में जानकारी है क्या कि इसका मीटिंग पाइंट कौन सा है राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर में हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूँ। उप मुख्य मंत्री महोदय, बहुत बड़ी इम्पार्टेंट बात है राजस्थान के लिए। यहां पर वह जगह मौजूद है जहाँ पर दोनों प्लेटो और रेंज का मीटिंग पाइंट है। बूंदी के 8 किलोमीटर दूर नेशनल हाई-वे पर आप चलेंगे तो बड़ोदिया गाँव के लिए एक सड़क फटती है वही इसका मीटिंग पाइंट है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि ऐसे इम्पार्टेंट पाइंट को डवलप करने के लिए भी राजस्थान सरकार कुछ सोचेगी क्या?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : राजस्थान गवर्नमेंट सोच रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सोचेगी?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हाँ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सोचेगी न, धन्यवाद। इसके साथ-साथ बूंदी शहर के आस-पास की जो हिल्स हैं उन पर फुलवारी लगाने के लिए भी सोचेगी?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं उस पाइंट पर आ रहा हूँ।

श्री परसराम मदेरणा : वह आप जो कह रहे हैं कि वह मीटिंग पाइंट है, यह आप किस आधार पर कह रहे हो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रिकार्ड के आधार पर। यह तो फोरेस्ट वाले भी जानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : एक किसान को यह पूछा कि यह जमीन है, धरती है इसका सैंट्रल पाइंट क्या है। वह गैंती लेकर खड़ा हो गया कि यह सैंट्रल पाइंट है। तीन चौथाई समुद्र, एक चौथाई संसार में भूमि। अब जो इन्होंने सैंट्रल पाइंट जो बताया है और आपने कहा है, हाँ है। आपको पहले पता ही नहीं था और कहते ही सैंट्रल पाइंट मालूम हो गया। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : मीटिंग पाइंट एक नवरंग होटल कोटा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने बताया है अगर वह मीटिंग पाइंट न हो तो मैं उस जगह के डवलपमेंट के लिऐ आपसे कुछ नहीं कहूँगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप तो गलत भी बोल जाओगे तो भी मैं सही मानूंगा, आप चिन्ता न करो। आपने एक प्रसंग छेड़ दिया। हमने अब यह तय किया है कि किसी भी शहर के आस-पास की जो पहाड़ियाँ होंगी उन सब को हरा-भरा किया जाएगा। जो शहर हैं उनका एण्ट्री पाइंट एक किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर पर अच्छे पेड़ लगाकर, फूल-फूलवारी सी लगाकर लोचन लाभ मिले उस शहर में जाने वालों को, ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : खनन होता है, उसको कैसे डवलप करेंगे? मंत्रीजी, वहाँ खनन हो रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्रीजी, इस जयपुर शहर के एक तरफ झालाना डूँगरी है और एक तरफ हरमाड़ा घाटी है। यहाँ पर दुनिया भर का खनन कार्य होता है और वह बिलकुल नंगी पहाड़ियाँ हैं। क्या मंत्री महोदय उन खनन कार्यों को बन्द करवाकर उन पर भी वृक्षारोपण करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री महोदय, हरेक पहाड़ी पर पेड़ लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहाँ अगर पहाड़ी है और जहाँ पूरे पत्थर हैं वहाँ पर अगर चेक डेम बनायें या कहीं रेत पड़ती हो तो पेड़ लगेंगे, नहीं तो दूसरे पेड़ जहाँ रेत आ रही है और पकड़ हो रही है बीच में उस पर तो पेड़ लग जाएँगे लेकिन हरेक पहाड़ी पर लगा देंगे, जो यह कह रहे हैं कि बहुत नंगी पहाड़ियाँ हैं और जहां रेत बिलकुल पकड़ी भी नहीं जाती है तो उसके सम्बन्ध में आप क्या चेक डेम बनायेंगे वहाँ रेत लगायेंगे, क्या करेंगे आप?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं पत्थर पर पेड़ नहीं लगा सकता हूँ, मगर आप मेरी भावना समझ रहे होंगे कि हमारा यह निश्चय है। अब हमने यह प्रोविजन किया है कि शहर के आस-पास की पहाड़ियाँ हरी हों ताकि शहर की एण्ट्री हरी-भरी हो, अच्छी लगे। मैंने माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से भी निवेदन किया है कि हरेक टाउन प्लानर को यह कहा जाए कि किसी शहर के विकास की जो प्लानिंग बने उसमें छोटे-छोटे भूखण्ड वनीकरण के लिए छोड़ें जिससे शहर में 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा के छोटे-छोटे कुँज हो जाएँ, जिससे पर्यावरण सुधार हो। ऐसी ही इस बार एक विशेष योजना रखी है, नगरीय वनीकरण की उसके लिए एक करोड़ रुपये रखे हैं। कुछ शहरों में नगर पालिका, यू.टी.आई. लायंस

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

क्लब, रोटरी क्लब के सहयोग से वन विभाग इनको हरा-भरा करने का, उसमें कुछ स्थान होंगे उन पर वृक्ष लगाकर उनको सुन्दर बनायें। यह भी एक योजना रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल से हम यह कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसे वृक्ष जिनके प्रति लोगों का लगाव है, अट्रेक्शन है, ऐसी पौध तैयार की जाए। अब के हमने कुछ चन्दन के बीज मंगाये, उसकी पौध तैयार की है, रूद्राक्ष की पौध तैयार की है, आँवले की की है, जिसके प्रति भावना है जो कोई एक चन्दन का पेड़ ले जाएगा या रुद्राक्ष का पौधा ले जाएगा या आंवले का पौधा ले जाएगा, महिलाएँ आंवले की पूजा करती हैं उनको इसी भाव से रखा जाएगा और इसी प्रकार लोगों की भावना के अनुकूल हम लोग उनको वृक्ष दें ताकि (व्यवधान) ऐसे ही जहाँ यू.टी.आई., नगर-पालिका और नगर परिषद् हैं, उनसे हमारा विभाग, हमारे अधिकारी जाकर बात कर रहे हैं कि यदि वहाँ कहीं पार्क है और वह डवलप नहीं है तो उसमें वन विभाग उनकी क्या सहायता कर सकता है जिससे वह पार्क हरे-भरे हो जाएँ। यह कुछ योजनाएँ हैं। पर्यावरण विभाग भी फैक्टरी मालिकों और अन्य से मिलकर यह प्रयास कर रहा है कि वे अपने यहाँ तो वृक्षारोपण करते ही हैं, यह तो कम्पलसरी है, किन्तु अपने पास की एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर सड़क पर वृक्षारोपण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग धार्मिक दृष्टि से भी इस तरफ आने लगे हैं। अभी खाटू श्यामजी से 15 किलोमीटर इधर से एक उद्योगपति ने मैटेरियल हमको दिया। हमने उस पर पौधे लगाये और आज वह पौधे हरे-भरे है। जैसे बम्बई, कलकत्ता के उद्योगपति धर्मशाला बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं यदि वे वृक्षारोपण के प्रति भी आकर्षित हों, तो एक अच्छी योजना है चाहे वे धार्मिक स्थल पर लगायें या कहीं भी लगायें। ऐसा हमारा प्रयास है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) नयी कालोनियां (व्यवधान)-

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, शहर में जितनी भी नयी कालोनियां आज बनती हैं भले ही वह जे.डी.ए. के माध्यम से या यू.टी.आई. के माध्यम से हों या प्राइवेट हों। क्या सरकार उनमें बिलकुल कम्पलसरी करने का विचार रखती है कि जो भी सड़कें होंगी, उनके किनारे पेड़ लगाकर के उनको डवलप किया जाएगा तभी उन कालोनियों को पास किया जाएगा, ऐसा विचार रखती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि वृक्षारोपण की हमारी योजना अरावली में चल रही है, इन्दिरा गाँधी नहर पर वृक्षारोपण चल रहा है और इस प्रकार से यह तीसरी योजना सामाजिक वानिकी की 145 करोड़ रुपये की है, इस वर्ष और आ गयी है। इसके अलावा मरुस्थलीय जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने अपने कर्मचारियों के लिए भी जो कई बार वनों की सुरक्षा में मारे जाते हैं। उनके लिए भी आग्नेय अस्त्र की व्यवस्था की है।

श्री शीशराम ओला : उनके लिए क्या किया है ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ऐसे ही पुरस्कार की (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : उनके लिए क्या किया है ? क्या व्यवस्था की है जो एक तरह से ड्यूटी पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं ? वनों की रक्षा करते हैं, उनके लिए क्या किया है ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उनके लिए हमने एक सामूहिक बीमा योजना इस साल से शुरू की है। जिसमें कोई हताहत हो जाएगा तो उनको इस योजना के अन्तर्गत पैसा मिलेगा और मृतक के उत्तराधिकारी को हम नौकरी देते हैं। अभी भी मुख्य मंत्री कोष से देते हैं, किन्तु अब यह बीमा योजना के अन्तर्गत मिल जाएँगे। (व्यवधान) प्रोत्साहित करने के लिए हमने हर जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर पुरस्कार योजनाएँ शुरू की हैं। जिसमें भिन्न-भिन्न स्कूल और कोई संस्थाएँ हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। अमृता देवी, खेजड़ली के लिए जिन्होंने बलिदान किया, हमने उनके नाम पर भी, राजस्थान में एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार रखा है, अमृता देवी पुरस्कार, जो खेजड़ली जाकर दिया जाएगा। (व्यवधान)

मांग संख्या 9 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुदान की मांग संख्या-9 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,20,67,94,000/- (एक अरब बीस करोड़ सड़सठ लाख चौरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी।

मांग संख्या 11 का पारण

प्रश्न यह है कि अनुदान की मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएँ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,25,83,000/- (नौ करोड़ पच्चीस लाख तिरयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी।

माननीय मंत्रीजी।

मांग संख्या 41 का पारण

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, एकीकृत ग्रामीण विकास) : माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) दो मिनट सुनिये आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 पर हुए वाद-विवाद में विभिन्न माननीय सदस्यों ने भाग लिया और करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने एक ही प्रकार के सुझाव दिये हैं या एक ही प्रकार की मांग रखी है। सभी माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से पंचायत को विकास का केन्द्र बिन्दु बनाने का सुझाव रखा जिससे राज्य सरकार भी सहमत है और राज्य सरकार भी चाहती है कि पंचायत विकास का केन्द्र बिन्दु बने। पंचायत समिति और जिला परिषद् का अभी जो गठन हुआ, उनके सदस्यों को पंचायत समितियों और जिला प्रमुखों को क्या अधिकार दिए जायं। दूसरा पंचायतें और पंचायत समितियों के अन्दर कुछ पद रिक्त होने के बारे में हैं, लेकिन इसके साथ-साथ पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि पंचायत और पंचायत समितियों पर एस्टेब्लिशमेंट का खर्च भी बहुत अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। ये दोनों विषय ऐसे हैं जिन पर अभी पूरा सदन एक राय है। मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा कि इस सदन की एक समिति का गठन कर दिया जाय और उस समिति द्वारा जो भी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाएगी उस पर राज्य सरकार विचार करेगी। उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो भी अधिकार या

(श्री अनंग कुमार जैन)

दायित्व सौंपे जाने हैं, उनके बारे में सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी।

ऐसी स्थिति में (व्यवधान) मैं बोल रहा हूँ। माननीय शीशरामजी ओला साहब ने एक प्रश्न और रखा था कि स्थायी समितियों के चुनाव के अन्दर विधायकों को वोट देने का अधिकार है। राज्य सरकार द्वारा और विभाग द्वारा इस प्रकार के आदेश 21.4.95 को ही प्रसारित कर दिये गये हैं कि स्थायी समितियों के अन्दर वोट देने का सभी माननीय सदस्यों को अधिकार है। इस स्थिति में जब...(व्यवधान)..

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : जहाँ चुनाव हो गए वहाँ क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : हो गये, वह तो हो गये। वहाँ अगली बार दे देना आप।

ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर और अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि जब पूरा सदन एकमत है और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उससे सहमति व्यक्त की है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मांग संख्या 41 को पास किया जाए।

श्री शीशराम ओला : एक मिनट, मेरा निवेदन यह है कि मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी अध्यक्षजी के मार्फत निवेदन किया है और अध्यक्षजी के मार्फत यह निवेदन आपसे भी करना चाहता हूँ कि आखिर पंचायती-राज को कब तक पंगु रखना चाहते हो, समिति बना बनाकर? आप या तो चुनाव निरस्त कर दीजिये...(व्यवधान)...एक बात कहने दीजिये। या तो आप पंचायत चुनाव जो हुए हैं, उन्हें वापस निरस्त करके और समाप्त कर दीजिये, अन्यथा इसकी तारीख निश्चित करें, महीना निश्चित करें कि कब तक रिपोर्ट दे दी जाएगी और यह लागू कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,69,57,0000/- (चौसठ करोड़ उनहत्तर लाख सत्तावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी।

सदन की कार्यवाही दिनांक 26 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 21.52 बजे बुधवार, दिनांक 26 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राजस्व भूमि पर काश्त

64. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में बिला नाम राजस्व भूमि पर जनजाति के लोगों द्वारा कब्जे पर काश्त की जा रही है ? यदि हां, तो कुल कितने काश्तकारों द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है ? विवरण जिले व तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन कब्जों को नियमित करने का कोई विचार सरकार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक के कब्जों का एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। जिला व तहसीलवार विवरण संलग्न है।

(2) बिला/नाम राजस्व भूमि पर भूमिहीन कृषकों द्वारा 15.7.84 से पूर्व किये गये कब्जों के नियमन हेतु पूर्व से ही आदेश जारी किये हुए हैं।

क्र. जिला	तहसील	अतिक्रमियों की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
1. उदयपुर	1. गिर्वा	2137	1125.620
	2. झाडोल	358	205.000
	3. कोटड़ा	461	373.100
	4. सराड़ा	909	1058.000
	5. सलूम्बर	872	576.070
	6. धरियावाद	2741	1222.134
	7. खैरवाड़ा	739	466.000
	8. गोगुन्दा	305	122.835
	9. मावली	65	64.959
	योग	**8587**	**5213.718**
2. बांसवाड़ा	1. बांसवाड़ा	4181	1732
	2. घाटोल	4823	1960
	3. गढ़ी	664	202
	4. बागीदौरा	3560	1349
	5. कुशलगढ़	1335	560
	योग	**14563**	**5803**
3. चित्तौड़गढ़	1. अरनोद	824	334.01
	2. प्रतापगढ़	327	176.70
	3. देवगढ़ (उप तहसील)	489	334.61
	योग	**1640**	**845.32**
4. डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	4285	883.68
	2. सीमलवाड़ा	2260	782.40
	3. सागवाड़ा	487	103.70
	योग	**7032**	**1769.78**
5. सिरोही	1. आबूरोड़	105	121.10 (बीघा)

कृषि कनेक्शन हेतु खम्भों की कीमत की वसूली

65. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या चालू वर्ष में कृषि कुओं को विद्युत कनेक्शन देने के मामलों में खम्भों की कीमत काश्तकारों से पहले से अधिक वसूल की जा रही है ? यदि हाँ, तो कब से और क्यों ? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) क्या कम या अधिक हॉर्स पावर के अनुसार खम्भों की कीमत कम और अधिक वसूल की जा रही है? यदि हाँ, तो किस प्रकार से और क्यों?

(3) क्या यह सही है कि एक खम्भा और दो खम्भों के लगने वाले कृषि कुओं को विद्युतीकृत करने के सम्बन्ध में चालू वर्ष में आदेश जारी किये हैं? यदि हाँ, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हाँ। एक अप्रेल, 1994 से पोल अनुदान में परिवर्तन के कारण सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं से पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक कीमत ली जा रही है। वर्ष 1993-94 में कृषकों से 10 पोल तक 500/- रुपये प्रति पोल की दर से राशि ली जा रही थी। पोल की कीमत 7000/- रुपये प्रति पोल मानकर 6500/- रुपये प्रति पोल प्रति हार्स पावर का अनुदान दिया जाता था।

इस वर्ष सामान्य श्रेणी के कृषकों के लिये पहले तीन पोल तक 1000/- प्रति पोल लिया जाता है तथा चौथे व पांचवें पोल 1500/- प्रति पोल एवं छठे, सातवें व आठवें पोल के लिये 2000/- प्रति पोल लिया जाता है। पोल की कीमत 7000/- प्रति पोल मानकर शेष राशि अनुदान एक पोल प्रति हार्स पावर दी जा रही है।

एक पोल योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष के बराबर ही 7000/- रुपये की दर से पोल की कीमत ली जा रही है। नई एक पोल/दो पोल व नर्सरी योजना में पोल चार्जेज में थोड़ी वृद्धि की गई है। विद्युत लाइन के लिये काम आने वाले सामान, विशेष रूप से तार की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के कारण लाइन का खर्चा बढ़ गया है। पोल चार्जेज की वास्तविक कीमत करीब 10,500/- रुपये प्रति पोल आ रही है। यह उल्लेखनीय है कि 7000/- रुपये प्रति पोल की कीमत काफी पहले निर्धारित की गई थी। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद पोल की कीमत यथावत रखना संभव नहीं है। वरीयता लांघ कर कनेक्शन लेने वालों से 9000/- रुपये प्रति पोल लिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सभी हार्स पावर के सामान्य श्रेणी के कनेक्शनों पर पोल की समान दर लगाई जाती है। इस वर्ष 1994-95 में पहले तीन पोल की कीमत 1000/- रुपये प्रति पोल के हिसाब से 3000/- रुपये लगाई जाती है, चौथे व पांचवें पोल की कीमत 1500/- प्रति पोल के हिसाब से 3000/- लगाई जाती है एवं छठे, सातवें व आठवें पोल की कीमत 2000/- प्रति पोल के हिसाब से 6000/- लगाई जाती है। पोल की कीमत 7000/- प्रति पोल मानकर बाकी अनुदान दिया जाता है।

कम या अधिक हार्स पावर के अनुसार खंभों की कीमत कम या अधिक नहीं होती है, अपितु जितने ज्यादा खम्भे लगाने होते हैं उतने ही पोल की वसूलने योग्य राशि अधिक हो जाती है, क्योंकि जितने अधिक पोल लगेंगे, पोल अनुदान कम होता चला जाता है।

(3) जी, हाँ। प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है। इन योजनाओं के अन्तर्गत सामान्य वरीयता को लांघकर कनेक्शन दिये जाते हैं। अतः सामान्य वरीयता वालों के मुकाबले इनसे अतिरिक्त राशि ली जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मांडल (भीलवाड़ा) के तालाब का मत्स्य ठेका

66. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या मत्स्य पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडल स्थित तालाब तहसील भीलवाड़ा में मत्स्य पालन हो रहा है?

(2) क्या उक्त तालाब पर मछली पालन हेतु ठेका दिया जाता है? यदि हाँ, तो कब-कब दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि मत्स्य विभाग एवं मांडल के स्थानीय कुछ लोगों की सांठ-गांठ के कारण ठेका नहीं दिया गया बल्कि नाममात्र के पैसे लेकर उन्हीं लोगों को मछली पकड़ने की स्वीकृति दी जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे ठेके पर देने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब से? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हाँ।

(2) जी, नहीं। विभाग द्वारा ठेका नहीं दिया जाता है क्योंकि यह मत्स्य पालक विकास अभिकरण को आबंटित है। तदनुसार अभिकरण के द्वारा मत्स्य कृषकों को वर्ष 1992 से 2002 तक आबंटित है।

(3) जी, नहीं।

उक्त तालाब का ठेका नहीं दिया गया बल्कि आबंटित तालाब को मत्स्य पालक विकास अभिकरण, भीलवाड़ा के द्वारा नियमों में निर्धारित लीज राशि रुपये 400/- प्रति हैक्टेयर/प्रति कृषक की दर पर स्थानीय 12 प्रशिक्षित मत्स्य कृषकों को मत्स्य पालन से रोजगार देने के उद्देश्य से वर्ष 2002 तक आबंटित किया गया है।

तदनुसार विभाग इसे ठेके पर नहीं दे सकता।

गैर लाइसेन्स प्राप्त दुकानों द्वारा मदिरा की बिक्री

67. **श्री आर.पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में लाइसेन्स प्राप्त दुकानों पर ही शराब की बिक्री की जा सकती है?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि गैर लाइसेन्स प्राप्त दुकानों पर भी शहरों व गांवों में शराब की खुले आम बिक्री हो रही है?

(3) क्या सरकार गैर लाइसेन्स प्राप्त दुकानों द्वारा शराब की बिक्री को बन्द करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहती है? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक?

उत्तर

(1) जी, हाँ। प्रदेश में लाईसेन्स प्राप्त दुकानों पर ही शराब की बिक्री की अनुमति दी हुई है।

(2) गैर लाइसेन्स प्राप्त दुकानों पर शहरों व गांवों में शराब की खुले आम बिक्री होने की जानकारी नहीं है। तथापि ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पर गैर लाइसेन्स प्राप्त विक्रय-स्थलों को बन्द करवाया जाता है व दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(3) गैर लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर शराब की बिक्री बाबत अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उन दुकानों अथवा स्थानों पर आबकारी निरीक्षक एवं निरोधक दल द्वारा धावों का आयोजन कर अभियोग पंजीकृत करने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त आबकारी कानूनों के उल्लंघन सम्बन्धी अपराधों के लिए सजा के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन कर अधिक सजा एवं जुर्माने का प्रावधान करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही आबकारी

(258)

(आबकारी मंत्री)

निरोधक दलों को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के जनजाति बाहुल्य ग्राम/मजरे

68. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में कितने गांव व मजरे ऐसे हैं जहाँ जनजाति का बाहुल्य है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य गांवों/मजरों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की मंशा रखती है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में जनजाति बाहुल्य वाले 144 ग्राम/मजरे हैं। सराड़ा तहसील में शामिल जनजाति बाहुल्य वाले ग्रामों की सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जनजाति क्षेत्र में 150 या इससे अधिक की आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का मानदण्ड अपनाया जाता रहा है। राज्य सरकार जनजाति क्षेत्र में 150 या इससे अधिक की आबादी वाले सभी ग्रामों में जब भी प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लेगी उस समय विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार किया जायेगा।

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद, उदयपुर

क्र. सं.	नाम गांव/मजरा
1.	कछोटा
2.	मायर
3.	अम्बाला
4.	छाणी
5.	नाल हलकार
6.	माण्डवा
7.	खेरकी
8.	नठारा
9.	होडी मउडी
10.	झालरदेवी
11.	खरबर ए
12.	खरबर बी
13.	पारई
14.	परशाद
15.	डेलवास
16.	ढेलई
17.	बोरी मलान
18.	बलदर
19.	सिंगटवाड़ा
20.	पिपलदरा
21.	एकलिंगपुरा
22.	ओढ़ा
23.	केवड़ा खुर्द
24.	केवड़ा कलां
25.	नाकोली
26.	बाबरमाल
27.	बगुरवा
28.	मगरा ढोरी
29.	जूना कुआ
30.	पीडला
31.	खाखदरा
32.	देवपुरा
33.	रेला
34.	पलोदड़ा
35.	मउवाड़ा
36.	देवाला

क्रम सं.	नाम गांव/मजरा	क्रम सं.	नाम गांव/मजरा
37.	गिंगाचीखेड़ा	70.	खरड़
38.	नान्दवी	71.	झामबुड़ा
39.	झरीयाना	72.	टोकरे
40.	पलोना	73.	सगतड़ी
41.	पिलादर	74.	कोलर
42.	चन्दाजी का गुडा	75.	मालर
43.	सुरसिया	76.	औढा (राठौड़ा)
44.	मंडला	77.	लोहारिया
45.	रैंहट गुरिया	78.	चन्दोड़ा
46.	लालपुरिया	79.	सगतपुर
47.	करोड़िया	80.	पाल बिम्बड़ी
48.	कन्तोड़ा	81.	गुडियावाड़ा
49.	गातोड़	82.	पाल सराड़ा
50.	गामड़ी	83.	बावड़ी
51.	श्यामपुरा	84.	खड़
52.	झामड़ा	85.	बलवा
53.	बटवांस	86.	भौराई
54.	पादरड़ा	87.	शक्तावतों का गुड़ा
55.	पहाड़ी	88.	घनकावाड़ा
56.	लालपुरिया	89.	गोपालपुरा
57.	केरपुरा	90.	खाकरिया
58.	उदपुरिया जागिर	91.	वली
59.	उदपुरिया खालसा	92.	बोरी
60.	बेहती	93.	इण्टाली
61.	डाकनवावड़ी	94.	बनाप
62.	पाल निम्बोदा	95.	कनकपुरा
63.	पाल सहपुर	96.	गैईखेड़ा
64.	करणपुरिया	97.	नया बीड़ा
65.	घतौड़ा	98.	दैबारियों की ढाणी
66.	जगतपुरिया	99.	सुरगांव
67.	अम्बारा	100.	हेमावतों की भागल
68.	सेन्थल	101.	डेकली
69.	घोड़ासर	102.	भंवरा कलां

(260)

क्रम सं.	नाम गांव/मजरा
103.	मोटी काकर
104.	कुण्डाल
105.	हरी डूंगरी
106.	माताजी खेड़ा
107.	कोटरिया कलां
108.	राणीया दाद
109.	बरोठी
110.	कैवड़ी
111.	खाटी बोर
112.	आमावाला
113.	भैरवा
114.	कालीघाटी
115.	भालडिया
116.	डांगीखेड़ा
117.	बाबामंगरा
118.	डाकनबावड़ी
119.	बलदर
120.	सेकडी
121.	झनपुरिया
122.	उपलागुड़ा
123.	पडतालिया
124.	घींघचीखेड़ा
125.	भटवाड़ा
126.	नाका बाजार
127.	धोलादाता
128.	गुड़ा
129.	मावड़ी
130.	नलाफला
131.	तशीयाकाड
132.	मोरियाकलां
133.	पोलफला
134.	भोजातकलां
135.	भौजियाकलां
136.	नान्दवी
137.	केजड़पाल
138.	चौकड़ा लिमड़ी
139.	ढिमडी
140.	बेड़ा
141.	ऐडा खाबड़ा
142.	कउजा
143.	खेतावतों का बाड़ा
144.	आदिवासी ढाणी

राज्य के न्यायालयों हेतु राजकीय भवन

69. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कितने न्यायालय सहकारी भवन नहीं होने के कारण किराये के भवनों में चल रहे हैं? सरकार को प्रतिवर्ष इनका कितना किराया भुगतान करना पड़ रहा है?

(2) क्या सरकार न्यायालयों के कार्यालय भवन बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य के 24 न्यायालय भवन किराये के भवनों में चल रहे हैं इनमें से 18 न्यायालयों पर सरकार प्रतिवर्ष 6,99,840/- के किराये का वार्षिक भुगतान कर रही है। 6 न्यायालयों का किराया अभी निर्धारित नहीं है। अतः उनका भुगतान अभी नहीं किया जा रहा है।

(2) जी, हाँ। सरकार समय-समय पर उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार नये न्यायालय भवनों का निर्माण करती है।

साहरण खुर्द झील, तहसील तिजारा का विकास

70. श्री मदनमोहन (खैरथल) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ; —

(1) तहसील तिजारा की साहरण खुर्द झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बनाई गयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इसके विकास के लिए जर्मन सरकार द्वारा भी आर्थिक मदद दी गयी है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त झील की भराव वाली जमीन पर "केडिया ग्रुप" द्वारा शराब की फैक्ट्री बनायी जा रही है? यदि हाँ, तो क्या पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होती जा रही यह झील बरबाद हो जाएगी? सरकार इसे रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है?

उत्तर

(1) तहसील तिजारा में साहरण खुर्द नामक कोई झील नहीं है। शायद तात्पर्य ग्राम सारे खुर्द से है। तहसील तिजारा की सारे खुर्द झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं कराई गई है।

(2) जी नहीं।

(3) ग्राम सारे खुर्द में मैसर्स केडिया केसल डिलोन इण्डस्ट्रीज लि. का अनाज से मुख्यतः रेक्टीफाईड स्प्रिट के उत्पादन हेतु डिस्टलरी प्लान्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिस भूमि पर उक्त फैक्ट्री बनाना प्रस्तावित है, वह भूमि सिंचाई विभाग की न होकर निजी काश्तकारों की भूमि है। जिसमें से कुछ भूमि झील के भराव क्षेत्र में सम्भवतः आती है। प्रस्तावित फैक्ट्री बांध में अधिकतम भराव क्षमता (एम.डब्लू.एल) से ऊपर की भूमि में स्थापित की जायेगी। उक्त झील पर्यटन की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखती है। फिर भी ऐहतियात के तौर पर उक्त फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा निम्न शर्तें लगाई गई हैं :—

1—किसी प्रकार के निर्माण से बांध की भराव क्षमता, उसमें पानी की आवक तथा सिंचाई पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

2—बांध के अधिकतम भराव स्तर की परिधि के अन्दर या बाहर आसपास के क्षेत्र में पानी से किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो विभाग इस क्षति के एवं क्षतिपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

3—डिस्टलरी प्लान्ट से निकलने वाले दूषित पानी को बांध के क्षेत्र में न डालें तथा दूषित पानी को बांध से बाहर निकालने की पुख्ता व्यवस्था करें।

जिला उदयपुर में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

71. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में इंदिरा आवास योजना का कार्यक्रम चल रहा है? यदि हाँ, तो वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में कुल कितने आवासों के लिए राशि स्वीकृत की गयी? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत राशि स्वीकृत कराने के लिये कोई प्रक्रिया है? यदि हाँ, तो विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैरवाड़ा ने उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत कितने आवासों हेतु राशि स्वीकृत करवाई?

(262)

(श्री दयाराम परमार)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत जनजाति समुदाय के लिये कोई प्रतिशत निश्चित है ? यदि हाँ, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। उदयपुर जिले में इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 से क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में इस योजनान्तर्गत क्रमशः 4257 एवं 3243 आवास निर्माण हेतु 767.45 लाख राशि की स्वीकृति दी गयी थी। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) जी, हाँ। इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत कराने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है। गरीबी रेखा से नीचे चयनित किए गए परिवारों को पंचायत समिति के प्रस्तावों के आधार पर, जिनके पास आवास की पक्की व्यवस्था नहीं है, आवास निर्माण हेतु निर्धारित इकाई लागत के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जिले हेतु उस साल के लिए निर्धारित वार्षिक भौतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर स्वीकृति दी जाती है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खैरवाड़ा के प्रस्तावों के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उदयपुर द्वारा वर्ष 1993-94 में 512 तथा वर्ष 1994-95 में 240 कुल 752 आवास निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी।

(3) जी हाँ। केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जिले को वार्षिक आबंटित राशि की 10 प्रतिशत राशि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों समुदाय के लिए सम्मिलित रूप से गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों को लाभान्वित करने हेतु 6 प्रतिशत राशि निर्धारित है। केवल अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए कोई प्रतिशत निश्चित नहीं है। बाकी 4 प्रतिशत राशि गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित परिवारों हेतु उपयोग किए जाने का प्रावधान है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील शेरगढ़ के विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

72. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्ष से तहसील शेरगढ़ की सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूलों में 57 पद व्याख्याताओं और वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पड़े हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन रिक्त पड़े पदों के कारण इस तहसील के स्कूलों में 18 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के दरम्यान छात्रों के परीक्षा परिणाम रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पिछले बजट सत्र में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि अगस्त, 1994 तक सभी पद भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। शेरगढ़ तहसील में वर्तमान में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय में 17 व्याख्याताओं एवं 8 वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त हैं।

(2) जी, नहीं। शेरगढ़ तहसील के माध्यमिक विद्यालय के गत दो वर्षों के परीक्षा परिणाम 21.57 से 66.66 प्रतिशत एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा परिणाम 5 से 50 प्रतिशत तक रहे हैं।

(3) जी, हाँ।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय महेसरा कलां (दौसा) के उपवैद्यों का वेतन प्रकरण

73. **श्री राजपाल सिंह** (बनीपार्क), **श्री रामराय शर्मा** (जमवारामगढ़) एवं **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेद औषधालय, महेसरा कलां (दौसा) में कार्यरत उपवैद्यों की माह सितम्बर, 1968, अगस्त 1969 तथा अक्टूबर 1971 से मार्च, 1972 तक का वेतन "अ" क्षेत्र से एवं माह नवम्बर, 1977 का "ब" क्षेत्र से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) अब कब तक इनको वेतन के एरियर का भुगतान कर दिया जावेगा? वेतन भुगतान दीर्घ अवधि तक न होने के क्या कारण रहे तथा इसमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विभाग द्वारा उक्त उप वैद्य को अपने पत्र दिनांक 25 एवं 26 फरवरी, 1994 द्वारा शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया गया था?

(3) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित वैद्य इन्चार्ज द्वारा तीन बार उक्त अवधि की उपस्थिति भिजवा दी गई है? यदि हां, तो विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, महेसराकलां (दौसा) में कार्यरत कम्पाउन्डर (उपवैद्य) श्री रामस्वरूप शर्मा को वेतन भुगतान की सम्बन्धित अवधि अनुसार वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है : —

माह सितम्बर, **1968** एवं अगस्त, **1969**

उक्त दोनों माहों का रिकार्ड के अनुसार जिला आयुर्वेद अधिकारी 'अ' क्षेत्र जयपुर द्वारा वेतन बिल बनाया जाना प्रमाणित होता है। किन्तु कर्मचारी को भुगतान किया गया है अथवा नहीं, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस संदर्भ में अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जांच एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

अक्टूबर, 1971 से मार्च, 1972 एवं नवम्बर, 1977

श्री रामस्वरूप शर्मा का उक्त अवधि के दौरान उपस्थिति एवं अवकाश अवधि का वेतन भुगतान कर दिया गया है।

(2) उपस्थिति एवं अवकाश स्वीकृति के अनुसार वेतन भुगतान किया जा चुका है। उक्त कर्मचारी की उपस्थिति की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण वेतन भुगतान समय पर नहीं हो सका। कर्मचारी के द्वारा समय पर सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण व कर्मचारी स्वयं द्वारा दिनांक 20.3.95 एवं 22.3.95 को शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की गयी।

समय पर भुगतान न करने के बारे में कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उस संदर्भ में जांच हेतु अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

विभाग द्वारा उक्त कर्मचारी को दिनांक 25 व 26 फरवरी, 1994 के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया अपितु राज्य सरकार के पत्र संख्या प.13(13) आयुर्वेद/94 दिनांक 25.2.94 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 26.2.94, जो कि राजस्थान विधान सभा को सम्बोधित है, उसमें परीक्षणोपरान्त भुगतान करने का उल्लेख किया हुआ है।

(3) जी नहीं।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव

74. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़), **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं? इनको कब तक सम्पन्न करवा दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष गत वर्ष अजमेर जिला दुग्ध संघों के चुनाव 3 माह में करवाने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जोधपुर की मार्केटिंग सोसाइटीज के चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सोसायटीज के एवं कब तक?

(4) क्या सरकार जोधपुर जिला सहकारी बैंक के चुनाव भी कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार जिन सहकारी संस्थाओं ने निर्धारित अवधि पूर्ण कर ली है, परन्तु अभी चुनाव नहीं हुए हैं, की अवधि बढ़ाने का भी विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के कारण स्थगित किये गये थे। निर्वाचन अगस्त-सितम्बर में करा दिया जायेगा।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 4 मांह में चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में 3 माह में चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश दिये थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के संबंधित अंश की प्रति एवं आदेशों की अनुपालना सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जोधपुर की ऐसी सभी मार्केटिंग सोसायटीज जिनमें चुनाव ड्यू हो गये हैं, शीघ्र कराये जायेंगे।

(4) जी हां। जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्वाचन शीघ्र कराये जायेंगे।

(5) जी, नहीं।

(6) जी, नहीं। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधान के अन्तर्गत ऐसी अवधि बढ़ाना आवश्यक नहीं है।

(i) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बन्धित अंश की प्रति संलग्न है।	1(अ)
(ii) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की क्रियान्विति।	1(ब)
1. कुल प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां	4759
2. निर्वाचन योग्य प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां	2701
3. निर्वाचन आदेश जारी	2701
4. निर्वाचन सम्पन्न	1884
5. निर्वाचन योग्य समितियों की संख्या जिनमें निर्वाचन नहीं हो सका	817

(सहकारिता मंत्री)

निर्वाचन न हो सकने के कारण

(अ) उपनियमानुसार निर्वाचन हेतु योग्य उम्मीदवारों के अभाव में 813

(ब) रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण 4

राज्य के उदयपुर के अलावा सभी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में भारी हानि को देखते हुए नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड की राज्य सरकार से चल रही समझौता-वार्ता के संदर्भ में इनकी पुर्नस्थापना को मध्यनजर रखते हुए प्रतिवादीगण (राज्य सरकार) की तरफ से उक्त रिट याचिका क्रमांक 3674/94 में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय को उक्त निर्वाचन की समयावधि बढ़ाने का निवेदन किया गया है।

Extract of relevant portion of Order Dt.19.8.94 given by High Court bench in S.B. Civil Petition Laxmi Narain Swami & others V/s The State of Rajasthan & others

Nos. : 3674/94, 3526/94, 3568/94, 3675/94, 3683/94, 3676/94, 3832/94, 3677/94, 3682/94

For the reasons stated above, I am of the considered opinion that the petitioners have failed to make out a prima facie case for invoking extraordinary jurisdiction of this Court and the writ petitions deserve to be dismissed. Consequently, the writ petitions are dismissed in limini with the directions to the respondents No. 1 and 2 to hold elections for Zila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd. in the State of Rajasthan within a period of 3 months from today. The interim orders passed in writ petitions No.3526/94 and 3568/94 stand discharged.

कृषि उपज मण्डी समिति, डीग

75. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डीग की पिछले दो वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़क बनाने के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं एवं स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण हैं? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो मण्डी समिति की कुल आय में से कितनी प्रतिशत राशि उक्त सड़कों पर खर्च करने का विचार है?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डीग की पिछले दो वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़क बनवाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है जो परीक्षणाधीन है। विचाराधीन प्रस्ताव परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

(3) जी हां। मंडी समिति की कुल आय में से प्रशासनिक व्यय निकालने के पश्चात् उपलब्ध राशि में से 60 प्रतिशत राशि सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत पर खर्च करने की नीति है।

(266)

परिशिष्ट 'अ'

मण्डी समिति, डीग की गत दो वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 की मदवार आय व्यय

आय पक्ष

क्रम सं०	मद	वर्ष 1992–93 बजट	वर्ष 1992–93 आय	वर्ष 1993–94 बजट	वर्ष 1993–94 आय
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क नवीन	1800	1245.00	5000	982.00
2.	अनुज्ञापत्र नवीनीकरण	4500	3448.00	5000	8187.00
3.	मण्डी शुल्क	4400000	2753691.58	3500000	3247299.90
4.	जमाधन पर ब्याज	386000	343192.26	300000	213870.55
5.	फार्म एवं पुस्तक बिक्री	11500	4251.00	10000	8289.00
6.	विलम्ब शुल्क	21000	3207.15	5000	3062.40
7.	अन्य आय	200	–	–	358.00
8.	दण्ड एवं जुर्माना	500	–	500	4638.00
9.	आडिट वसूली	3000	44.95	3000	1550.00
10.	आबंटन शुल्क	—	50106.00	600000	544953.00
11.	ठेके से आय	—	—	3000	12627.00
12.	ऋण व अग्रिम	—	—	200000	36775.00
13.	बिजली किराये से	—	—	—	55475.00
14.	लाभांश	—	—	—	0.37
	योग	4828500	3159185.94	4631500	4138067.22
15.	कटौतियां एवं अमानताएं एवं अन्य	3232000	3681440.00	–	396378.00
	कुल योग (आय)	**8060500**	**6840625.94**	**4631500**	**4534445.22**

मण्डी समिति, डीग की गत दो वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 की मदवार आय व्यय

क्रम सं०	मद	वर्ष 1992-93 बजट	वर्ष 1992-93 व्यय	वर्ष 1993-94 बजट	वर्ष 1993-94 व्यय
1.	संस्थापन व्यय	843000	727160.00	908000	851924.00
2.	कार्यालय व्यय (आवर्तक)	76100	56343.85	150800	100737.00
3.	कार्यालय व्यय (अनावर्तक)	60000	59418.00	—	—
4.	बोर्ड अंशदान	404000	283461.00	403500	306587.00
5.	ऋण एवं अग्रिम	36000	29200.00	45000	30700.00
6.	निर्माण कार्य	5675000	5300000.00	—	1500000.00
7.	परियोजना ऋण (वापसी)	500000	500000.00	800000	800000.00
	1. मूल राशि				
	2. ब्याज	463000	463000.00	1100000	1242716.00
8.	मंडी प्रांगण व्यय (आवर्तक)	246856	281862.00	432300	384590.00
9.	कटौतियां/अमानताएं एवं अन्य	—	440831.00	5000	394992.00
	कुल व्यय योग	**8303956**	**8141275.85**	**3844600**	**5612246.05**

268

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, डीग (भरतपुर) राजस्थान

बैठक का स्थान डीग

बैठक कार्यवाही दिनांक 25.11.94

प्रस्ताव संख्या—

मंडी क्षेत्र की ग्रामीण सम्पर्क सड़कों को बनाने बाबत विचार।

सचिव द्वारा प्रशासक महोदय को अवगत कराया गया कि स्थानीय जनता तथा कृषकों द्वारा बार-बार निम्न ग्रामीण नवीन सम्पर्क सड़कों को बनाने की मांग की जा रही है जिसका विवरण निम्न है—

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई
1-	डीग भरतपुर रोड से कठेरा	5.00 कि.मी.
2-	डीग नगर रोड से बेडेसिरा वाया ढवारा तक	4.00
3-	डीग कामा रोड से महमदपुर (खेरिया गुजर)	3.00

उक्त सड़कें वर्ष 1995-96 में निर्मित कराने का विचार-विमर्श किया गया तथा मंडी क्षेत्र की डीग भरतपुर रोड से कठेरा—5.00 कि.मी. डीग नगर रोड से बडेसिरा वाया ढवाया तक 4.00 कि.मी. तक डीग कामा रोड से अहमदपुर (खेरिया गुजर) 3.00 कि.मी. उक्त तीनों, सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया।

सचिव निर्णयानुसार आवश्यक स्वीकृति राज्य सरकार तथा विभाग से प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

बायतू (बाड़मेर) के राजस्व ग्राम

76. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) बाड़मेर जिले की बायतू तहसील में वर्ष 1990 से 1994 तक कुल कितने राजस्व ग्राम बनाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पचपदरा तहसील के 30 नये ग्रामों के प्रस्ताव जून, 1994 से सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो उन प्रस्तावों के अनुसार नये राजस्व ग्राम बनाने के कब तक आदेश सरकार जारी कर देगी?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की बायतू तहसील में सन् 1990 से 1994 तक कुल 117 नये राजस्व गांव घोषित किये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) तहसील पचपदरा के 30 ग्रामों के प्रस्ताव माह जून, 1994 से राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तहसील पचपदरा में नये राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव तहसील पचपदरा में विचाराधीन है। उन प्रस्तावों का तहसीलदार पचपदरा द्वारा परीक्षण किया जाकर प्रस्ताव जिला कलक्टर एवं राजस्व मण्डल, अजमेर के मार्फत राज्य सरकार को प्राप्त होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जाकर नये राजस्व ग्राम घोषित किये जा सकेंगे।

1990 से 1994 तक बाड़मेर जिले की तहसील बायतू के 117 नये राजस्व ग्राम बनाये गये हैं जिनकी सूची निम्न प्रकार है—

क्र.सं. मूल ग्राम	घोषित नया राजस्व ग्राम
1. कोलू	1. डाबलिया
	2. धतरवालों का तला
	3. मौराला
	4. लीलासर

क्र.सं. मूल ग्राम	घोषित नया राजस्व ग्राम
2. कानोड़	5. मेगवालों की बस्ती
	6. इन्द्राणीयों का तला
	7. खरथाणियों का तला
	8. सागोणा तला
	9. भोमताणियों का तला
	10. पीला बाड़ी
3. कसूम्बला भाटीयान	11. सुजाणियों की ढाणी
	12. जोराणियों की ढाणी
4. शहर	13. चौरालिया
	14. दीपाणियों की ढाणी
	15. गंगाजी का मंदिर
5. खींपसर	16. रिधुसर
	17. जादुओं की ढाणी
6. कालानाड़ा	18. खेतरलाई
	19. भायलों की ढाणी
7. हरखाली	20. रेवाली
	21.बैनोणियों की ढाणी
	22. सिगोड़िया
8.बायतु भीमजी	23. सिन्धियों की ढाणी
	24. बनियाधोरा
	25. गेहूंबाला
	26. रेंकूवाला
	27. काकड़ों की ढाणी
10. माडपुरा बरवाला	28. सियागों की ढाणी
	29. भगाणियों की ढाणी
	30. गोदारों की ढाणी
	31. चुतरोणियों की ढाणी
	32. निम्बाणियों की ढाणी
	34. भादुओं की ढाणी
11. कूम्पलिया	35. डुंगरानाडा
	36. जोंगुओं की ढाणी
	37. झीपोणियों की बेरी

क्र.सं. मूल ग्राम	घोषित नया राजस्व
12. परेऊ	38. जसोड़ों की बेरी
	39. महादेवजी का मन्दिर
	40. बेनीवालों की ढाणी
	41. पूनियों की बेरी
	42. जगराम की ढाणी
	43. पीरोणी साईयों की ढाणी
13. निम्बा की ढाणी	44. सुथारों की ढाणी
14. सोहड़ा	45 मेगवालों की ढाणी
15. दानपुरा	46. गोदारों की बस्ती
16. बायतु पनजी	47. पुराना गांव (बायतु पनजी)
	48. लाधाणियों की ढाणी
	49. देरामोणियों की ढाणी
17. लीलाला	50. जान्दुओं की ढाणी
	51. माहिगोणियों मुढों की ढाणी
	52. मिठिया तला
18. पनावड़ा	53. मदरूपोणियों की ढाणी
	54. मीठायासरा
	55. बांडीधोरा
19. चिड़िया	56.केराला
20. धारासर का तला	57. पुराना गांव
	58. नगाणियों धरतवालों की ढाणी
	59. नथोणी जाणियों की ढाणी
	60. दोनाणि मेगवालों की ढाणी
	61. बनियालों की ढाणी
21. लापूदड़ा तरली	62. सुथारों की ढाणी
	63. दर्जियों की बेरी

(270)

क्र.सं. मूल ग्राम	घोषित नया राजस्व ग्राम
22. हीरा की ढाणी	64. सऊओं की ढाणी
	65. खोथों की ढाणी
	66. हदाणियों की ढाणी
	67. सियोलों की ढाणी
23. सवाऊ मूलराज	68. सियागों की ढाणी
	69. चारनेत्र
	70. रामदेरिया
24. अकदड़ा	71. हुडों की ढाणी
	72. हेमजी का पाना
	73. सुजानिया नाडिया
25. भादासर	74. गुलजी का पाना
	75. लाधाणियों की ढाणी (भादासर)
	76. खोथों की ढाणी
26. रतेऊ	77. मदों की ढाणी
27. पटाली नाडी	78. फतुम्बिया नाडी
	79. साईयों की ढाणी
	80. थिरोणीयों की ढाणी
	81. दलोणियों की ढाणी
28. सणपा मानजी	82. भाटियों का डेर
	83. गोदारों का सरा
29. भीमंडा	84. रतनाली नाडी
	85. इसरामों का तला
	86. मुकनोणीयों की ढाणी
	87. मुलोणियों की ढाणी
30. बायतु भोपजी	88. दर्जियों की ढाणी
31. जोगासर	89. बेरड़ों की ढाणी
32. माधासर	90. रोजिया नाडी
33. कोलू	91. नरसाली नाडी
34. कानोड़	92. गोदारों की ढाणी
35. कसुम्बला भाटियान	93. कसुम्बला फांटा
36. शहर	94. उमराणियों की ढाणी

क्र.सं. मूल ग्राम	घोषित नया राजस्व
37. खीपर	95. रामसरिया
38. कालानाडा	96. थलेसों की ढाणी
39. बायतु भीमजी	97. नाईयों की ढाणी
40. माडपुरा बरवाला	98. माडपुरा पुरानागांव
41. मलवा चारणान	99. राजबेरी मलवा
42. होलाणी	100. लेगों की ढाणी
43. लापूदड़ा बारटान	101. डोली नाडी
44. चिनोणियों की ढाणी	102. गोदारों की ढाणी
45. निम्बा की ढाणी	103. लेगो की ढाणी
46. सोहड़ा	104. डेलुओं की ढाणी
47. बायतु पनजी	105. बांक नाडी
48. लीलाला	106. बनाणियों व काकड़ों की ढाणी
49. पनावड़ा	107. साईयों की ढाणी
50. चिड़िया	108. लोपली
51. धारासर का तला	109. पनोणि जोगियों की ढाणी
52. सवाऊ मूलराज	110. धेतासर
53. अकदड़ा	111. थाकड़ों की ढाणी
54. भादासर	112. सऊओं की ढाणी
55. रतेऊ	113. हेराजोणियों की ढाणी
56. सणपा मानजी	114. सणपा फांटा
57. नया खरंटिया	115. धोलाडेर
58. माधासर	116. आहोणियों बणियालों की ढाणी
59. मूलाणियों की ढाणी	117. जांगुओं की ढाणी

ह०

जिला कलक्टर (भू.अ.) बाड़मेर,

विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में 132 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन

77. **श्रीमती मनोरमा सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) डबल पोल योजना चालू होने से वर्ष 1991 से प्रतीक्षारत सिंगल पोल कृषि उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन दिये जाने से वरीयता क्रम में क्या परिवर्तन हुआ है ?

(2) डबल पोल, तात्कालिक कनेक्शन की नवीन योजना के क्रियान्वित होने के पश्चात् क्या प्रतीक्षारत कृषि उपभोक्ताओं को भी नवीन नियमावली का अनुपालन करना होगा ? यदि नहीं, तो कनेक्शन देने में क्या अवरुद्धता है ?

(3) क्या सरकार विद्युत के उचित उपभोग की दृष्टि से छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर्स (10 के.वी.ए.) का प्रयोग करने की योजना रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार राजाखेड़ा में 132 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हाँ तो, कब तक ?

उत्तर

(1) दिसम्बर, 1994 से लागू नयी एक पोल/दो पोल स्वेच्छिक योजना के अन्तर्गत, पूर्व में लम्बित प्रार्थना-पत्रों के प्रार्थी भी कनेक्शन ले सकते हैं। सामान्य वरीयता ग्रामवार होती है। डबल पोल योजना चालू होने से सिंगल पोल कृषि उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन दिये जाने की क्रम वरीयता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(2) जी, नहीं। यह स्वेच्छिक योजना है। शेष प्रतीक्षारत कृषि आवेदकों को उनकी वरीयता के आधार पर सामान्य नियमानुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(3) बड़े ट्रांसफार्मर 100 के.वी/63 के.वी. की खरीद कृषि के लिए बन्द कर दी गई है तथा भविष्य में 40 के.वी/25 के.वी. आदि क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जायेंगे। पूर्व में बड़े ट्रांसफार्मर पर कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जाते थे और यदि उस ट्रांसफार्मर में खराबी आती तो एक साथ कई कृषक प्रभावित होते थे। अब नई योजना में छोटे ट्रांसफार्मर लगाने से उस ट्रांसफार्मर के खराब होने पर दो या तीन कृषक ही प्रभावित होंगे। छोटे ट्रांसफार्मरों (10 के.वी.ए.) के प्रयोग की योजना फिलहाल तकनीकी दृष्टि से चालू नहीं की गयी है।

(4) वर्तमान में राजाखेड़ा पर 132 के.वी.ए. ग्रिड सब स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 1994-96 हेतु अनुमोदित पशु औषधियाँ

78. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा वर्ष 1992-94 में औषधियाँ क्रय करने के लिए 319 औषधियाँ अनुमोदित की गयी थीं ? किन्तु वर्ष 1994-96 के लिए मात्र 16 औषधियाँ ही अनुमोदित करने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि 10 औषधियों में से 8 औषधियाँ एक ही फर्म द्वारा निर्मित की जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार के निर्देशानुसार कम से कम सत्तर प्रतिशत औषधियाँ राज्य लघु उद्योग इकाइयों से क्रय की जानी चाहिए जबकि वर्ष 1994-96 में तीस प्रतिशत से भी कम औषधियाँ लघु उद्योगों से क्रय की गयी हैं ?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(4) क्या उक्त अनुमोदित सूची में दवाइयों का क्रय मूल्य बाजार से भी अधिक है ?

(5) इस समस्त अव्यवस्था एवं अनियमितताओं के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1992-94 के लिए विभाग द्वारा 319 नहीं, बल्कि 65 निर्माताओं की 201 दवाइयाँ अनुमोदित की गयी थीं। वर्ष 1994-96 के लिए 36 निर्माताओं की 130 दवाइयाँ अनुमोदित की गई हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। चूंकि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग- II के नियम 62(3) 1 के तहत दवाइयाँ आरक्षित सूची में नहीं हैं, अतः विभागीय क्रय समिति एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 62(3) II के प्रावधानों को मद्दे नजर रखते हुए गुणवत्ता एवं विभागीय मापदण्डों को पूर्ण करने वाली दवाइयाँ नियमानुसार सक्षम फर्मों की अनुमोदित की गयी हैं।

(4) जी, नहीं। निविदा की शर्तों में फाल-क्लाज सम्बन्धी शर्त विद्यमान है। प्रदायों द्वारा विपत्रों पर इस आशय का प्रमाण-पत्र अंकित किया जाता है कि यह दवाई इन मूल्यों से कम मूल्यों पर कहीं अन्य जगह प्रदाय नहीं की जा रही और इस प्रमाण पत्र के अनियमित पाये जाने पर निविदा की शर्तों के फाल-क्लॉज की शर्त के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(5) प्रकरण में नियमानुसार क्रय हुआ है। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों हेतु कल्याण योजनाएं

79. श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये क्या-क्या लाभकारी योजनाएं कब से चलाई जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों के हितार्थ भविष्य में कोई नयी योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ चार लाभकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। योजनाओं के शुरू किये जाने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

वर्तमान में इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कारण फिलहाल किसी नयी योजना का विचार नहीं है।

पूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं की सूची

पैक्सम योजना--(प्रिपेरिंग एक्स- सर्विसमैन फोर एम्प्लायमेंट)

पैक्सम (स्व-रोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिकों को तैयार करना) योजना दिनांक 1.4.1983 से पाइलट तौर पर झुंझुनू जिले में शुभारम्भ की गई थी। वर्तमान में यह योजना अलवर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनूं एवं नागौर में चलाई जा रही है।

प्रशिक्षण के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को 250/- रुपये स्टाइफण्ड एवं 50/- रुपये यात्रा भत्ता दिया जाता है। संस्थान को कच्चा माल

(सैनिक कल्याण मंत्री)

एवं प्रशिक्षण शुल्क हेतु 120/- रुपये दिया जाता है। डेयरी, पोल्ट्री फार्म, टी.वी./रेडियो रिपेयर, घड़ी मरम्मत, स्कूटर/मोटर मैकेनिक, वेल्डर, जनरल स्टोर, मनियारी/किराना इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षण के पश्चात् भूतपूर्व सैनिकों को अपने निवास स्थान के नजदीक स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु 50,000/- रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तथा राशि 5,000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है।

सैम्फैक्स—प्रथम योजना (भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार योजना) (सेल्फ अम्प्लोय- मेंट स्कीम फोर एक्स-सर्विसमैन : 1) :—

भूतपूर्व सैनिकों को लाभकारी स्व-रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुनर्वास महानिदेशालय से भारतीय विकास बैंक की सहायता से भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार योजना तैयार की है। यह योजना 1.4.87 से लागू की गई है।

इस योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है जिसमें 15 प्रतिशत सुलभ पूँजी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। ब्याज राशि में किसी प्रकार की छूट नहीं है। ब्याज दर परियोजना के आधार पर लगाया जाता है।

सैम्फैक्स-द्वितीय योजना (भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार योजना)

सैम्फैक्स द्वितीय योजना का शुभारम्भ 15 जनवरी, 1988 से किया गया था। यह योजना राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से चलाई जाती है। इस योजना के तहत अकृषि क्षेत्र में 7.50 लाख राशि का ऋण प्रदान किया जाता है एवं कृषि क्षेत्र में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अकृषि क्षेत्र में सुलभ पूँजी सहायता 1.4.93 से आरम्भ की गई है जो कि 5% या अधिकतम राशि 75,000/- रुपये होगी।

सैम्फैक्स-तृतीय योजना (भूतपूर्व सैनिकों को स्व-रोजगार योजना)

सैम्फैक्स तृतीय योजना खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना का शुभारम्भ 15.10.91 से किया गया था, लेकिन कार्यान्वित वर्ष 1992-93 से किया गया था, यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू है, वहाँ 1.4.95 से 25 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जावेगी।

सेवा निवृत्ति आयु

80. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार 55 वर्ष की आयु अथवा 30 वर्ष की सेवा के पूर्व सेवानिवृत्ति को आकर्षक बनाने की कोई योजना रखती है? यदि हाँ, तो क्या?

(2) क्या सरकार शिक्षित नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति 15 वर्ष की सेवा उपरान्त सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को उसके परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने या सेवानिवृत्ति व्यक्ति को अपना स्वयं का व्यवसाय/धन्धा करने हेतु उदार (soft) ऋण आदि वित्तीय सहायता या अन्य साधन देने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या?

उत्तर

(1) राज्य सरकार में वर्तमान में भी अधिवार्षिकी आयु से पूर्व सेवानिवृत्ति के प्रावधान विद्यमान हैं, जिनके अनुसार कोई भी राज्य कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा या 45 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के पूर्ण करने पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले सकता है। राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के प्रोत्साहन-स्वरूप पेंशन योग्य सेवा में 5 वर्ष की बढ़ोतरी कर पेंशन देती है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(274)

सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) महिला बाल विकास के अन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाओं को मानदेय

81. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से महिला स्वास्थ्य मार्गदर्शिका का कार्य लिया जाकर उन्हें मानदेय के भुगतान हेतु राशि परिवार कल्याण विभाग से आबंटित की जाती है? यदि हाँ, तो बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ महिला बाल विकास के अन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाओं को गत पाँच वर्षों से राशि का हस्तान्तरण नहीं किए जाने के क्या कारण है?

उत्तर

जी, हाँ। यह सही है कि विभागीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जहाँ-जहाँ महिला स्वास्थ्य मार्गदर्शिका का अतिरिक्त कार्य सम्पादित कराया जाता है, उनके मानदेय हेतु राशि परिवार कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को पंचायत समितियों के माध्यम से भुगतान करने हेतु आबंटित की जाती है।

बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ पंचायत समिति में महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जो स्वास्थ्य मार्गदर्शिका का अतिरिक्त कार्य सम्पादित कर रही हैं, को भुगतान हेतु 5 वर्ष से राशि का हस्तान्तरण नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा (परिवार कल्याण) विभाग द्वारा अवगत कराया जाता है कि बजट हस्तान्तरण निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की मांग पर मांग-पत्र के आधार पर किया जाता है।

इस विभाग द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा चिकित्सा (परिवार कल्याण) विभाग से सम्पर्क स्थापित कर नियमानुसार देय मानदेय राशि के हस्तान्तरण का प्रयास किया जायेगा।

पंचायत समिति क्षेत्र थानागाजी के एनीकट्स

82. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) थानागाजी पंचायत समिति क्षेत्र में पिछले वर्षों में किन-किन एनीकट्स की बनाने की स्वीकृति जारी की गई? उनमें से कितने एनीकट का कार्य पूर्ण हो चुका है?

(2) क्या यह सही है कि 75 प्रतिशत एनीकट्स का कार्य अधूरा है और पिछले दो वर्ष से उन पर कोई कार्य नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो शिथिलता के लिए दोषी अधिकारियों के बिरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अलवर जिले के थानागाजी पंचायत समिति में वर्ष 1991-92 में कोई एनीकट कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में 4 एनीकट अकाल सहायता अन्तर्गत तथा 15 एनीकट जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत किए गए थे। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

कुल स्वीकृत 19 एनीकट में से 6 एनीकट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) स्वीकृत एनीकट में से 4 एनीकट अधूरे हैं, जिनको पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है। 3 एनीकट की साइट अनुपयुक्त पाए जाने पर यह कार्य निरस्त कर दिये गये तथा 3 एनीकट गांववासियों के बीच स्थल सम्बन्धी विवाद होने के कारण विवादग्रस्त है। तकनीकी समिति द्वारा 3 एनीकट के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाये जाने तथा कार्य से अधिक भुगतान करने के कारण पंचायत राज विभाग को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जाँच प्रस्तावित की गयी है।

पंचायत समिति थानागाजी जिला–अलवर में पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत एनीकटों का विवरण

क्रम सं. नाम एनीकट	स्वीकृत वर्ष	नाम योजना	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि
पूर्ण एनीकट : —				
1. डेरा बामन बास	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	202433
2. डूँगरी (नारायणपुर)	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	192486
3. पीर बाबा (विजयपुर)	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	190260
4. गोमती वाला (नारायणपुर)	1993–94	अकाल सहायता (संवत 2050)	2.00	199901
5. काला लांका (किशोरी)	1993–94	अकाल सहायता (संवत 2050)	1.00	99415
6. काबली गढ़	1993–94	अकाल सहायता (संवत 2050)	0.82	71640
		योग	**9.82**	**956135**
अधूरे एनीकट : —				
1. गढ़ी रामतला	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	161271
2. श्यामपुरा	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	1.50	42430
3. अडीनाला	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	1.50	132756
4. बांदरोल (बाली की ढाणी)	1993–94	अकाल सहायता (संवत 2050)	2.00	139210
		योग	**7.00**	**475687**
निरस्त किये गये एनीकट : —				
1. गवाड़ा सिदरान	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	91126
2. रडा मालुताना	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	—
3. थणी नाथ गढबसई	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	—
		योग	**6.00**	**91126**
विवादग्रस्त एनीकट : —				
1. ढाणी मारडी	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	—
2. बांदरोल	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	—
3. टोडी लुहरान	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	—
		योग	**6.00**	**निल**
जाँच विचाराधीन एनीकट : —				
1. बल्लूवास	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	106839
2. हींसला	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	192419
	1993–94	अकाल सहायता (संवत 2050)	0.65	64519
3. बाढ़ गुजरान	1992–93	जवाहर रोजगार योजना	2.00	124424
		योग	**6.65**	**488301**
	महायोग		**35.47**	**2011229**

राज्य के माध्यमिक विद्यालय

83. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या क्या है? जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में सत्र 1993-94 में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में 0 प्रतिशत से 30 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों की कुल संख्या क्या है? जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) खानपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने माध्यमिक विद्यालय हैं तथा कितने विद्यालयों का परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा को जिला परिषद् को सौंपने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 2876 है। जिलेवार विद्यालयों की संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-1)

(2) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश में सत्र 1993-94 में माध्यमिक परीक्षा में 0 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक परीक्षा परिणाम 388 विद्यालयों का रहा है। जिलेवार संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-2)

(3) खानपुर विधान सभा क्षेत्र में 9 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 04 विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा है : —

क्र.सं.	विद्यालय का नाम		%परीक्षा परिणाम
1.	राबामावि,	खानपुर	77.19
2.	रामावि,	हरिगढ़	54.54
3.	रामावि,	दहीखेड़ा	53.33
4.	रामावि,	पनवाड़	48.78
5.	रामावि,	गोलाना	39.47
6.	रामावि,	रज	28.57
7.	रामावि,	सुमर	21.87
8.	रामावि,	सोजपुर	16.66
9.	रामावि,	गारवाड़ानूरजी	5.88

(4) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रख-रखाव सहित शैक्षणिक क्रिया-कलापों को प्रोन्नत करने का उत्तरदायित्व जिला परिषदों को ऐसी शर्तों के अध्यधीन सौंपा गया है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विर्निदिष्ट की जाएं। इस प्रावधान के अनुसरण में सरकार द्वारा शर्तों के अनुसरण में सरकार द्वारा शर्तों का निर्धारण किया जाता है जिसके लिए अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

राज्य में संस्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूचना

(तिथि 10.10.94)

क्रम संख्या	जिला	माध्यमिक विद्यालय छात्र	छात्रा	योग
अ. जयपुर मण्डल				
1.	जयपुर प्रथम	65	–	65
2.	जयपुर द्वितीय	106	30	136
3.	दौसा	56	08	64
4.	अलवर	122	27	149
5.	धौलपुर	35	5	40
6.	भरतपुर	118	10	128
7.	सीकर	121	17	138
	योग	**623**	**97**	**720**
ब. जोधपुर मण्डल				
8.	जोधपुर	100	9	109
9.	पाली	92	15	107
10.	सिरोही	49	6	55
11.	जैसलमेर	22	0	22
12.	बाड़मेर	63	9	72
13.	जालौर	48	4	52
	योग	**374**	**43**	**417**
स. बीकानेर चूरू मण्डल				
14.	चूरू	86	9	95
15.	बीकानेर	56	13	69
16.	श्रीगंगानगर	140	22	162
17.	झुंझुनू	124	18	142
	योग	**406**	**62**	**468**

(278)

क्रम संख्या	जिला	माध्यमिक विद्यालय छात्र	छात्रा	योग
द. उदयपुर मण्डल				
18.	उदयपुर	127	24	151
19.	चित्तौड़गढ़	80	14	94
20.	राजसमंद	63	8	71
21.	डूंगरपुर	56	6	62
22.	बांसवाड़ा	58	14	72
	योग	**384**	**66**	**450**
य. कोटा मण्डल				
23.	कोटा	57	12	69
24.	बूँदी	46	9	55
25.	झालावाड़	41	7	48
26.	बारां	48	9	57
27.	सवाई माधोपुर	122	11	133
	योग	**314**	**48**	**362**
र. अजमेर मण्डल				
28.	अजमेर	101	16	117
29.	नागौर	124	18	142
30.	भीलवाड़ा	117	17	134
31.	टोंक	59	7	66
	योग	**401**	**58**	**459**
	महायोग	**2502**	**374**	**2876**

नोट—राजस्थान संगीत माध्यमिक विद्यालय, कोटा उक्त सूची के अतिरिक्त विद्यालय है।

परिशिष्ट-2

जिलेवार माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जिसका वर्ष 1994 में परिणाम 0 से 30 प्रतिशत रहा है :—

क्र.सं.	जिला	विद्यालयों की संख्या
1.	अजमेर	11
2.	अलवर	15
3.	बांसवाड़ा	28
4.	बाड़मेर	03
5.	भरतपुर	19
6.	भीलवाड़ा	05
7.	बीकानेर	06
8.	बूंदी	05
9.	चित्तौड़गढ़	—
10.	चूरू	14
11.	डूंगरपुर	13
12.	जयपुर	26
13.	जैसलमेर	02
14.	जालौर	02
15.	झुंझुनूं	02
16.	झालावाड़	12
17.	जोधपुर	23
18.	कोटा	17
19.	नागौर	07
20.	पाली	05
21.	सवाई माधोपुर	54
22.	सीकर	07
23.	सिरोही	—
24.	श्री गंगानगर	12
25.	टोंक	03
26.	उदयपुर	25
27.	धौलपुर	12
28.	दौसा	37
29.	बारां	21
30.	राजसमन्द	02
	योग	**388**

(280)

आयुर्वेद चिकित्सकों की स्थानान्तरण नीति

84. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या वैद्यों के स्थानान्तरण के बारे में सरकार की कोई नीति निर्धारित है एवं निर्धारित नीति की पालना की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? निर्धारित नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम भादवा (जयपुर) में कार्यरत वैद्य कितने वर्षों से पदस्थापित है। इसका कितनी बार स्थानान्तरण किया गया और कितनी बार रद्द किया गया? रद्द करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक: एफ9(5) साप्र/2/89 दिनांक 28.6.90 के द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु एक सामान्य स्थानान्तरण नीति निर्धारित की हुई है। आयुर्वेद चिकित्सकों के स्थानान्तरण भी इसी नीति के तहत किये जाते हैं। स्थानान्तरण नीति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भादवा (जयपुर) में आयुर्वेद चिकित्सक पद पर श्री नागरमल शर्मा जनवरी, 1978 से पदस्थापित है। इनका स्थानान्तरण भादवा (जयपुर) से दो बार किया गया है तथा दोनों ही बार स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आधार पर रद्द किये गये हैं।

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ-9(5) साप्र/2/89 जयपुर, दिनांक 28-6-90.

आदेश

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु राज्य सरकार निम्न सामान्य नीति निर्धारित करती है–

(1) किसी भी राजकीय कर्मचारी को साधारणतया दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण केवल निम्न कारणों से ही किया जा सकेगा–

(क) राजकीय, कर्मचारी के खिलाफ ऐसी गम्भीर शिकायतें हों, जो प्राथमिक जाँच के उपरान्त सही पाई गई हो। ऐसे मामलों में स्थानान्तरण के तुरन्त बाद विभागीय जांच प्रारम्भ की जानी चाहिये।

(ख) कर्मचारी की पदोन्नति होने पर।

(ग) रिक्त स्थानों को भरने हेतु।

(घ) पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में।

यदि कोई राजकीय कर्मचारी स्थानान्तरण होने के बाद या दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अवकाश पर प्रस्थान कर जाता है तो उसे अवकाश से लौटने पर उसी स्थान पर पदस्थापित किया जावेगा और वह वहाँ तब तक पदस्थापित रहेगा, जब तक उसका दो वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जावे।

उपरोक्त नीति के खिलाफ कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा। अनिवार्य हो तो अगले उच्च अधिकारी की सहमति प्राप्त कर ही स्थानानतरण किया जावेगा। जो कर्मचारी विभागाध्यक्ष द्वारा स्थानान्तरित किये जाते हैं, उनके लिये अगला उच्च अधिकारी सम्बन्धित विभाग का सचिवालय में प्रशासनिक विभाग होगा। राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण यदि ऐसे प्रशासनिक विभाग द्वारा किये जाते हैं, जो मुख्य मंत्री महोदय के अधीन नहीं हो, इन मामलों में अगली उच्च अथोरिटी मुख्य मंत्री महोदय होंगे, जिनकी सहमति मुख्य सचिव के माध्यम से पत्रावली भेजकर प्राप्त की जावेगी।

(2) साधारणतया कोई भी अधिकारी एक सम्भाग में पांच वर्ष से अधिक कार्यरत नहीं रखा जावेगा। सम्बन्धित विभाग की परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य सरकार किसी भी विभाग को उनके अधिकारियों हेतु इस प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगी। यह छूट राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त की जावे।

(3) (क) स्थानान्तरण साधारणतया शिक्षा सत्र से पूर्व माह मई एवं जून में किये जावेंगे। इसके बाद सिर्फ अतिविशिष्ट परिस्थितियों में ही स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। स्थानान्तरण पूर्ण रूप से सोच विचार कर ही किये जावेंगे। एक बार स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद कोई भी आदेश किन्हीं भी कारणों से तीन माह से पूर्व निरस्त नहीं किये जायेंगे। इस अवधि के बाद यदि कोई आदेश निरस्त किया जाता है तो बिना लिखित कारणों के एवं अनुच्छेद-1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाये बिना निरस्त नहीं किया जायेगा। यह निर्णय मंत्रीगण, समस्त विभागाध्यक्ष एवं स्थानान्तरण हेतु अन्य अधिकृत अधिकारियों पर पूर्णतः लागू होगा।

(ख) प्रत्येक अधिकारी स्थानान्तरण आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर अपना नया पदभार ग्रहण कर लें। यदि 15 दिन में अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करता है तो ऐसे अधिकारी को निलम्बित करने हेतु मुख्य सचिव अधिकृत होंगे।

(4) यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में यथासंभव एक ही स्थान पर रखा जावेगा।

(5) मरुस्थल एवं जनजाति क्षेत्रों में कोई भी पद एक माह से अधिक रिक्त नहीं रखा जावे, जब तक इसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं हो।

(6) मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को यदि राजकीय सेवा में लिया जाता है तो यथासंभव उसे मृतक कर्मचारी के गृह जिले या उसके नजदीक पदस्थापित किया जावेगा।

(7) प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों के पदस्थापन की नीति इस तरीके से निर्धारित करेगा कि प्रत्येक कर्मचारी क्षेत्र (फील्ड) एवं मुख्यालय (हैडक्वार्टर) के पदों पर एक निश्चत अवधि अवश्य बताये ताकि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी योग्यता दिखाने एवं अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले। इस बिन्दु पर विभाग कार्यवाही कर एक माह में रिपोर्ट सामान्य प्रशासन को देंगे।

(8) उपरोक्त बिन्दु शासकीय दिशा निर्देश है। राज्य सरकार को अधिकार होगा कि किसी भी राजकीय कर्मचारी का स्थानान्तरण आवश्यकता (एक्सीजेन्सी) को ध्यान में रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकेगा।

(9) उपरोक्त स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी दिशा निर्देश समस्त आयोगों (कारपोरेशन्स) एवं मण्डलों (वार्ड्स) पर भी लागू होंगे। वे इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इनके अनुरूप अपने-अपने उपक्रमों हेतु स्थानान्तरण नीति बनाकर राज्य सरकार को सूचित करेंगे व इसकी पालना करेंगे।

यह स्थानान्तरण नीति 1 जुलाई, 1990 से प्रभावी होगी। भविष्य में समस्त राजकीय विभाग, राजकीय उपक्रम, आयोग एवं मण्डल इन दिशा-निर्देशों के तहत ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण करेंगे।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत यदि कोई विभाग स्थानान्तरण करता है तो इसकी सूचना कार्मिक विभाग को मय कारणों के भेजी जायेगी। समस्त निरीक्षण अधिकारी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी अपने सम्बन्धित विभागों का निरीक्षण करते समय इस बात का परीक्षण भी करेंगे कि सम्बन्धित विभाग ने स्थानान्तरण राज्य सरकार की इस नीति के अनुरूप ही किये हैं। जिन मामलों में इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाई जावे, उसकी जानकारी मय सम्बन्धित अधिकारी, जिसने स्थानानतरण किये हैं, उनके नाम से, कार्मिक विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

इन आदेशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जावेगा।

ह०

(वी.बी.एल. माथुर)

मुख्य सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति, रानी व सोजत रोड

85. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, रानी व सोजत रोड़ द्वारा वर्ष 1987 से मार्च, 1995 तक कितना-कितना बजट सड़कों पर खर्च किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कृषि मण्डी समिति, सोजत रोड़ का सब-यार्ड मारवाड़ जंक्शन में बना हुआ है? यह कितने वर्षों से बना हुआ है व आज तक इस यार्ड में कितनी दुकानें चालू की गयी हैं और कितना कितना माल इस कृषि मंडी समिति यार्ड द्वारा खरीदा व बेचा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कृषि मण्डी समिति के अधिकारियों की मिलीभगत से कृषि मण्डी समिति को इन वर्षों में नुकसान हुआ है? यदि हाँ, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति रानी व सोजत रोड़ द्वारा वर्ष 1987 से 1995 तक सड़कों के निर्माण पर खर्च किये बजट का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हाँ। कृषि मंडी समिति, सोजत रोड़ का सब-यार्ड मारवाड़ जंक्शन चार वर्षों से बना हुआ है व आज तक 10 दुकानें चालू की गई हैं। इस यार्ड में निम्न प्रकार कृषि जिन्सों की आवक हुई है–

क्र.सं.	वर्ष	आवक कृषि जिन्स (विवरण)
1.	1991-92	23,755
2.	1992-93	13,908
3.	1993-94	15,418
4.	1994-95 (फरवरी95 तक)	13,239

(राज्य मंत्री, कृषि)

(3) अधिकारियों की मिलीभगत से कृषि मंडी समिति को इन वर्षों में नुकसान होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

परिशिष्ट-'अ'

कृषि उपज मंडी समिति, सोजत रोड़ एवं रानी के अन्तर्गत वर्ष 1987 से मार्च, 1995 तक खर्च किये गये बजट का ब्यौरा

क्र.सं.	मण्डी समिति का नाम	सम्पर्क सड़क	वर्ष 87 से वर्ष 95 तक व्यय की गई राशि की वर्तमान स्थिति
1-	मण्डी समिति, रानी	1. स.स. गुडाठाकुरजी से सिवास	8.53
		2. स.स. खारड़ा से जीवन कल्ला	3.24
2-	मण्डी समिति, सोजत रोड़	1. स.स.सियार से सोजत सिटी	1.37
		2. स.स. सोजत रोड़ से अलावास	3.04
		3. स.स. कुशलजी की प्याऊ से राजोला	6.36
		4. सोजवे स.स. कुशलजी की प्याऊ से राजोला	1.06
		5. स.स. हेमलियावास से मारवाड़ जंक्शन	1.51
		6. स.स. कन्टालिया से हरीयामाली	7.76
		7. स.स.मण्डला	0.85
		8. स.स. बड़ागुड़ा से रामसिंह गुडा	1.59
		9. स.स. धुन्धाड़ा से मेसावास	6.18
		10. स.स. पाचुन्दाकला से बगडी वाली रोड़	1.93
		11. स.स. मैन मण्डी से बगड़ी वाली रोड़	0.46
		12. स.स. राणावास से राणावास गाँव	2.81
		13. स.स. बड़ागुढ़ा से श्यामजी का गुढा	10.36
		14. स.स. दौरानाड़ी से चन्डवाल स्टेशन	3.03
		15. स.स. बड़ागुढ़ा से रामसिंह गुडा (मिसिंग)	0.63
		16. स.स. धून्धाड़ा से मेलावास (मिसिंग लिंक)	3.54
		17. स.स. बगड़ीवाली रोड़ से पाचुन्दा कला (मिसिंग लिंक)	3.51
		18. स.स. बिलाड़ा देसूरी कि.मी. 13 माण्डा	0.98
		19. स.स. चन्डावल गुडा बिजा रोड़ कि.मी. 4 से करमावास	8.95

(284)

गोडावास (मकराना) क्षेत्र के अतिक्रमण

86. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि मकराना में गोडावास से लेकर होटल प्रेसीडेन्ट तक अतिक्रमण द्वारा तीन मंजिले भवन बन चुके हैं जिनका सरकार द्वारा नियमन भी कर दिया गया है ?

(2) क्या सरकार ने अतिक्रमण की उक्त समस्या के समाधान के लिए कोई योजना बनायी है ? यदि हाँ, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। कस्बा मकराना स्थित ख.नं. 599 राजस्व अभिलेख में गै.मु. रास्ता दर्ज है जिस पर अतिक्रमण किये जाकर पक्के भवन, दुकानें एवं प्रेसीडेन्ट होटल का निर्माण किया जा चुका है।

कुल 9 मामलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से नियमन कर उक्त भूमि के पट्टे दिये गये हैं।

उक्त नियमन नियम विरुद्ध होने से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। जिनमें से 4 प्रकरणों के नियमन खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील विचाराधीन है। शेष मामलों में भी कार्यवाही की जा रही है।

(2) राज्य सरकार अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सजग है। अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(6) के अन्तर्गत 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया हुआ है। उक्त मामलों में न्यायालयों द्वारा अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही कोई कार्यवाही की जानी संभव है।

सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना पर व्यय

87. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना की अब तक की प्रगति, इसकी कुल लागत और अब तक खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस परियोजना को निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) इस परियोजना को राज्य विद्युत मण्डल के पास रहने दिया जाए तो प्रति यूनिट बिजली उत्पादन लागत क्या आएगी और निजी क्षेत्र मे देने पर प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या आएगी ?

(4) उक्त परियोजना को बिजली बोर्ड के हाथों से निजी क्षेत्र में देने पर उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट कितना आर्थिक भार बढ़ेगा ?

(5) उक्त परियोजना के निजी क्षेत्र में देने पर उससे विद्युत मण्डल किस दर पर बिजली खरीदेगा ? इस खरीद पर खर्च की जाने वाली रकम कम होगी या मण्डल द्वारा स्वयं उत्पादन करने पर खर्च होने वाली रकम कम होगी ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूरतगढ़ विद्युत परियोजना में 2×250 मेगावाट के दो चरण हैं। इस विद्युत परियोजना के प्रथम चरण को योजना आयोग ने 13 नवम्बर, 1991 में 1253.31 करोड़ रुपये लागत की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस परियोजना पर माह फरवरी, 1995 तक लगभग 246.52 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इस

(ऊर्जा मंत्री)

परियोजना का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। 30 जून, 1994 को बायलर का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जनवरी, 1995 तक बायलर के ड्रम को उठाने का कार्य समाप्त कर दिया है एवं आशा की जाती है कि कन्डेसर एवं टी.जी. का कार्य भी शीघ्र शुरू हो जायेगा। प्रारम्भिक सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है। रेलवे लाइन का बिरदवाल तक का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रथम चरण की प्रथम इकाई को वर्ष 96-97 में सिन्क्रोनोइज करने का लक्ष्य है। इस चरण की द्वितीय इकाई का कार्य प्रारम्भ करने के लिये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को आदेश दे दिया है।

इस परियोजना के द्वितीय चरण को निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किया जायेगा। इस हेतु अन्तरराष्ट्रीय निविदाएँ मंगाकर एक निजी पार्टी का चयन अंतिम चरण में है।

(2) सूरतगढ़ परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा किया जा रहा है। राज्य/मंडल के आर्थिक संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए मंडल ने प्रथम चरण को निजी क्षेत्र में देने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया है। राज्य सरकार ने इस बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। जैसा कि प्रश्न के भाग एक में इंगित किया गया है परियोजना का दूसरा चरण प्रारम्भ से ही निजी क्षेत्र में देने का राज्य सरकार निर्णय ले चुकी है। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि विद्युत उत्पादन की नई परियोजनाओं का निर्माण यथासंभव निजी क्षेत्र में करवाया जावे।

ऊर्जा की मांग तथा आपूर्ति के अन्तर को कम करने हेतु लगभग 4300 मेगावाट क्षमता निजी क्षेत्र में स्थापित करने का अगले 5-6 वर्ष का लक्ष्य है जिसमें लगभग 18000 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा। इतनी बड़ी राशि राज्य सरकार/मंडल के द्वारा निवेश के लिये उपलब्ध कराना अत्यन्त कठिन होगा। यदि यह अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा बिजली उत्पादन के लिए उपलब्ध करा दी जाती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव गरीबी हटाने एवं सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर पड़ेगा क्योंकि इन कार्यक्रमों पर योजना अन्तर्गत विनियोजन कम करना पड़ेगा। अतः न केवल राजस्थान अपितु देश के अन्य राज्यों के लिये ऊर्जा उत्पादन के निजीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(3) योजना के द्वितीय चरण की आखिरी निविदाएँ प्राप्त होने तथा उनका आकलन एवं निर्धारण होने पर ही निजी क्षेत्र में उत्पादन लागत का अनुमान किया जाकर तुलना करना संभव है। जहाँ तक प्रति यूनिट खर्चे का प्रश्न है, वह प्रायः वही आयेगी चाहे विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्र में होता है अथवा सार्वजनिक उपक्रम में।

(4) योजना के द्वितीय चरण की आखिरी निविदाएँ प्राप्त होने तथा उनका आकलन एवं निर्धारण होने पर ही निजी क्षेत्र में उत्पादन लागत का अनुमान किया जाना सम्भव है तथा उपभोक्ताओं को जिस दर पर बिजली मिलेगी वह भी निविदाएँ प्राप्त होने तथा उनका आकलन एवं निर्धारण होने पर ही सम्भव है। ऐसी स्थिति में आर्थिक भार का आकलन करना अभी सम्भव नहीं है।

(5) निविदाएँ खुलने व उनमें से किसी एक पार्टी के चयन के बाद ही यह जानकारी मिल सकेगी कि निजी क्षेत्र से विद्युत मंडल किस दर पर बिजली खरीदेगा। इसलिए मंडल द्वारा उत्पादन व निजी क्षेत्र से खरीद की गयी बिजली का तुलनात्मक विवरण देना अभी सम्भव नहीं है।

जिला बून्दी में देशी व भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानें

88. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) बून्दी जिले में इस समय अधिकृत देशी व भारत निर्मित विदेशी शराब की कितनी दुकानें हैं? ग्राम व स्थान के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शराब की दुकान खोलने के क्या नियम हैं? नियमविरुद्ध विभिन्न स्थानों पर संचालित की जा रही दुकानों के लिए कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों एवं उनके संचालन के लिए कोई शर्तें निर्धारित की हुई हैं? यदि हाँ, तो नियम व शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमविरुद्ध स्थानों पर दुकानें स्वीकृत करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक सक्षम हैं?

(5) क्या आबकारी अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत उपर्युक्त कारणों से शिथिलता देते हुए दुकानें स्वीकृत की हुई हैं? यदि हाँ, तो दुकानवार विवरण मय कारणों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में इस समय देशी मदिरा की 70 मुख्य, 39 उप दुकानें हैं। इस प्रकार कुल 109 दुकानात व भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 7 मुख्य व 4 उप दुकानें, कुल 11 दुकानें हैं। ग्राम व स्थान की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 तथा अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अनुसार मदिरा दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत की जाती है। जिले में दुकानों के स्थान नियमों के अन्तर्गत ही स्वीकृत किये गये हैं। अनुज्ञा-पत्र शर्त संख्या-11 एवं नियम 75 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(3) जी, हाँ। देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानों के अनुज्ञा पत्र की शर्तें संलग्न हैं। (परिशिष्ट "स" व "द")

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हाँ। जिला आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर औचित्य को देखते हुए संलग्न सूची परिशिष्ट "य" के अनुसार देशी मदिरा की 4 और भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 3 कुल 7 दुकानों की अवस्थिति के सम्बन्ध में नियमों में शिथिलता दी गई है जिसके लिए आबकारी आयुक्त राजस्थान आबकारी नियमों के नियम 75 के अन्तर्गत अधिकृत हैं।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में माडा योजनान्तर्गत विकास कार्य

89. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पिछले दो वर्षों से विधान सभा क्षेत्र बेगूं में माडा योजना के तहत किस-किस ग्राम में क्या-क्या विकास कार्य किये गये? प्रत्येक कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(2) वर्ष 1995-96 में विधान सभा क्षेत्र बेगूं के किस-किस गाँव में क्या-क्या विकास कार्य करवाया जाना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) माडा योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र, बेगूं में पिछले 2 वर्षों में 10.60 लाख रूपये के विकास कार्य विभिन्न ग्रामों में कराये गये। कार्यक्रमवार व्यय की गई राशि तथा लाभान्वित ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1995-96 में चित्तौड़गढ़ जिले के माडा लघु खण्डों में जनजाति विकास के कार्यों हेतु 55.46 लाख रु. का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। पंचायत समिति एवं ग्रामवार कार्यक्रमों का निर्धारण बजट स्वीकृति प्राप्त होने पर किया जावेगा। इसी कारण बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कार्यों एवं ग्रामों का चयन होना अभी शेष है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला भरतपुर में निर्बन्ध बजट राशि में से व्यय

90. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में निर्बन्ध बजट राशि में से विधायकों के सुझावों के अनुसार कितनी धनराशि वर्ष 1994-95 में व्यय होनी थी?

(2) उक्त राशि में से दिनांक 28 फरवरी, 1995 तक जिला भरतपुर में कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त मद में धनराशि उपलब्ध न कराने के कारण कोई राशि व्यय नहीं की गई? यदि हाँ, तो क्यों?

उत्तर

(1) निर्बन्ध राशि अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में भरतपुर जिले के नौ (9) विधान सभा क्षेत्रों में विधायकों द्वारा सुझाये गये कार्यों के क्रियान्वयन हेतु 5.00 लाख रुपये प्रति विधायक के हिसाब से कुल 45.00 लाख रुपये की राशि खर्च की जानी थी।

(2) विधायकों से देर से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण 28 फरवरी, 1995 तक रुपये 4.54 लाख व्यय किये गये। विधान सभा क्षेत्रवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। सरकार द्वारा निर्बन्ध राशि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में 31.48 लाख रुपये जिले को उपलब्ध करा दिए गए थे। जिले द्वारा विधायकों के स्वीकृत कार्य जो 40.07 लाख के थे, के विरुद्ध भी 20.035 लाख रुपये कार्यकारी विभागों को उपलब्ध कराये गये। उपलब्ध राशि का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है। अतः योजना में कार्यों हेतु राशि उपलब्ध थी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

91. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में कितने सैकण्डरी एवं सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में कितने-कितने, किन-किन विषयों के अध्यापकों की कमी है और कब से?

(2) मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के कितने स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के स्थान रिक्त हैं तथा क्यों?

(श्री रामनारायण चौधरी)

(3) राज्य में इस वर्ष कितनी सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूलें खोली गईं, उनमें कितने प्रधानाध्यापकों तथा अन्य विषयों के अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने स्थान रिक्त हैं ?

(4) इन स्कूलों में स्टाफ की नियुक्तियों के नहीं होने के क्या कारण रहे हैं तथा अब कब तक सभी स्कूलों में स्टाफ की पूर्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में दो सीनियर सैकण्डरी एवं तीन सैकण्डरी स्कूलों में रिक्त पद निम्नानुसार हैं : —

पदनाम	पदों की सं०	विषय	कब से रिक्त हैं
व्याख्याता	1	हिन्दी	वर्ष 93
"	1	वाणिज्य (व्या.शि.)	गत तीन वर्षों से
"	1	हिन्दी	14.12.93
वरिष्ठ अध्यापक	1	उर्दू	2/95
"	1	सामान्य	2/95
"	1	सामान्य	3/95

(2) मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्ति के कारण माह फरवरी, 1995 से प्रधानाध्यापकों के 2 पद रिक्त हैं।

(3) प्रदेश में वर्ष 1994-95 में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय-165 तथा माध्यमिक विद्यालय, 148 क्रमोन्नत किये गये उनमें निम्नानुसार पद स्वीकृत किये गये हैं–

प्रधानाचार्य सी.उच्च मा.वि.	165 पद
प्रधानाध्यापक मा.विद्यालय	148 पद
व्याख्याता	825 पद
वरिष्ठ अध्यापक	444 पद

1994-95 में नव क्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना संकलित की जा रही है।

(4) सूचना संकलित की जा रही है।

कृषि उपज मण्डी समिति बीकानेर, खाजुवाला एवं लूणकरणसर के चुनाव

92. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कृषि उपज मंडी समिति, बीकानेर खाजूवाला एवं लूणकरणसर के लिये चुनाव कब तक कराये जायेंगे ? इन मंडियों के अब तक चुनाव नहीं कराये जाने के कारण क्या रहे ?

(2) इन मंडियों में कृषक निवास, वेयर हाउस व अन्य सुविधाओं के लिये कब तक, क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रथम मनोनीत कृषि उपज मंडी समिति, खाजूवाला के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव करवाये जाने के निर्देश जिला कलक्टर, बीकानेर को दे दिये गये हैं। कृषि उपज मंडी समिति बीकानेर एवं लूणकरणसर के चुनाव राज्य की अन्य मंडियों के चुनावों के साथ करवाये जायेंगे। स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव नहीं होने के कारण मंडी समितियों के चुनाव अब तक नहीं करवाये जा सके हैं।

(2) इन मंडी समितियों में कृषक विश्राम गृह एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहाँ तक वेयरहाउस सुविधा का प्रश्न है, मुख्य मंडी प्रांगण बीकानेर में 1000 मै. टन का ग्रामीण गोदाम बना हुआ है, जो केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य गोदाम भी उपलब्ध है, जिसमें कृषकों का उत्पादन भण्डार व्यवस्था निगम पैटर्न पर रखे जाने का प्रावधान है। अन्य मंडी समितियों में वेयरहाउसिंग सुविधा, आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कराने के बारे में विचार किया जा सकता है।

बीसलपुर बाँध परियोजना के जलग्रहण क्षेत्रों की डूब की भूमि का मुआवजा

93. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीसलपुर बाँध परियोजना के जलग्रहण क्षेत्रों में डूब में आई सम्पत्तियों के विस्थापित परिवारों को दिये गये मुआवजे में प्रभावशाली व्यक्तियों को अनियमित तरीके से अधिक राशि के भुगतान से राज्य सरकार को करीब 50 लाख रुपये का नुकसान होने सम्बन्धी तथ्य सरकार को प्रेषित जाँच रिपोर्ट में सही पाया गया है? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट की प्रति मय उस पर की गई कार्यवाही के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीसलपुर परियोजना के जलग्रहण क्षेत्रों में डूब में आई सम्पत्तियों के विस्थापित परिवारों को दिये गये मुआवजे के अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में की गयी प्राथमिक जाँच से यह तथ्य प्रकट हुए हैं कि अनियमित मुआवजे के भुगतान से राज्य सरकार को हानि हुई है। कुल राशि की हानि के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच की जा रही है। सम्पूर्ण जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम खेड़लावास (बस्सी) में रोड लाइट्स

94. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की बस्ती ग्राम खेड़लावास, तहसील बस्सी, जयपुर में रोड लाइट लगाने की स्वीकृति दी जा चुकी है? यदि हाँ, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बस्ती में रोड लाइट की व्यवस्था हेतु पोल आदि सामग्री विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है? यदि हाँ, तो कब?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा जारी सामग्री बस्ती में मौके पर आज तक पड़ी हुई है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार उक्त बस्ती में अब जल्दी ही लाइन खिंचवाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

290

(श्री रामेश्वरलाल भाटी)

(4) अब तक लाइन खिंचवाने में हुई देरी के सम्बन्ध में क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम खेड़लावास में रोड लाइट हेतु सरपंच द्वारा नियमानुसार कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रोड लाइट की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हाँ, बस्ती में खम्भे आदि जलदाय विभाग के नलकूप के विद्युतीकरण के लिये पड़े हुए हैं। रोड लाइट लगवाने के लिये जब भी सरपंच महोदय आवेदन करेंगे, नियमानुसार स्वीकृत कर लाइन खड़ी कर दी जावेगी।

(4) जब रोड लाइट खींचने के लिये सरपंच द्वारा आवेदन ही नहीं किया गया तथा उसकी स्वीकृति ही नहीं हुई तो मण्डल का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी होने एवं कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य की "सुनिश्चित रोजगार" योजना

95. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में "सुनिश्चित रोजगार योजना" जिलों के विभिन्न ब्लॉकों में मंजूर है? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन से ब्लॉक हैं?

(2) इस सुनिश्चित रोजगार योजना को किसी ब्लॉक में लागू करने के क्या आधार हैं?

(3) इस योजना के आधार पर कौन-कौनसे कार्य किस-किस एजेन्सी के तहत कराये जायेंगे?

(4) क्या वर्ष 1994-95 में इस योजना के अन्तर्गत जिला टोंक का कोई ब्लॉक मंजूर किया गया?

(5) इस योजना के अन्तर्गत टोंक जिले में कौन-कौनसे कार्य किस-किस विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कर चालू किये गये?

उत्तर

(1) जी हाँ। सुनिश्चित रोजगार योजना जिन-जिन ब्लॉकों में स्वीकृत है उसकी जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) सुनिश्चित रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 से 22 जिलों के 122 ऐसे विकास खण्डों में स्वीकृत की गई थी जो विकास खण्ड सूखाग्रस्त, मरुस्थलीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के अन्तर्गत हैं एवं जहाँ पुर्नगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है। वर्ष 1994-95 में इस योजना के अन्तर्गत 50 और ऐसे विकास खण्ड सम्मिलित किए गए जो मरुस्थलीय क्षेत्र, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र के अन्तर्गत नए सम्मिलित किए गए थे एवं ऐसे विकास खण्ड जो माडा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं व जिनमें अनु.जनजाति की जनसंख्या 15 प्रतिशत से अधिक है।

(3) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जो कार्य करवाए जाते हैं एवं जिन एजेन्सियों के तहत कार्य कराये जाते हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

कार्य का प्रकार	एजेन्सी
(क) वाटरशेड विकास के अन्तर्गत जल संरक्षण, भू-संरक्षण, पेड़ों द्वारा अवरोध, वनरोपण, कृषि बागवानी, वन चरागाह आदि उपचार योजनाओं के आधार पर कार्यों की पहचान की गई है	वन विभाग, उद्यान विभाग, भू-संरक्षण एवं जलग्रहण क्षेत्र विकास विभाग।
(ख) लघु सिंचाई टैंक, परिश्रवण टैंक, ग्रामीण टैंक, नहर का कार्य आदि	सिंचाई विभाग
(ग) मास्टर प्लान के आधार पर चुनी गई सम्पर्क सड़कों का कार्य	सार्वजनिक निर्माण विभाग
(घ) प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण कार्य	जि.ग्रा.वि.अभिकरण/
(ड़) आंगनबाड़ी के भवन	पंचायत समिति के माध्यम से।

(4) जी हाँ। वर्ष 1994-95 में इस योजनान्तर्गत जिला टोंक में "निवाई ब्लॉक" स्वीकृत किया गया है।

(5) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत टोंक जिले में चालू किये गये कार्यों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट–2
(तारांकित प्रश्न संख्या 61 की सूची)
वर्ष 1989–90 से 1994–95 तक जिलेवार स्वीकृत किये गये औषधालयों का विवरण

क्र. जिला	1989–90			1990–91		1991–92				1992–93	1994–95	
	आयुर्वेद	होम्योपैथिक	यूनानी	आयुर्वेद	होम्योपैथिक	आयुर्वेद	होम्योपैथी	यूनानी	प्राकृतिक	आयुर्वेद	आयुर्वेद	होम्योपैथिक
1. अजमेर	8	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
2. अलवर	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. बांसवाड़ा	10	1	—	2	—	1	—	—	—	2	—	1
4. बारां	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5. बाड़मेर	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
6. भरतपुर	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
7. भीलवाड़ा	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
8. बीकानेर	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. बूंदी	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10. चित्तौड़गढ़	7	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—
11. चूरू	5	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
12. दौसा	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
13. धौलपुर	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14. डूँगरपुर	3	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—
15. श्रीगंगानगर	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

क्र. जिला	1989-90			1990-91		1991-92				1992-93	1994-95	
	आयुर्वेद	होम्योपैथिक	यूनानी	आयुर्वेद	होम्योपैथिक	आयुर्वेद	होम्योपैथी	यूनानी	प्राकृतिक	आयुर्वेद	आयुर्वेद	होम्योपैथिक
17. जयपुर	11	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
18. जैसलमेर	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
19. जालौर	4	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
20. झालावाड़	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
21. झुंझुनूं	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. जोधपुर	18	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. कोटा	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
24. नागौर	15	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
25. पाली	8	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—
26. राजसमन्द	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
27. सवाई माधोपुर	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
28. सीकर	7	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
29. सिरोही	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
30. टौंक	9	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
31. उदयपुर	9	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—
योग	186	13	1	20	5	21	2	1	1	7	4	1

वर्ष 1993-94 में राज्य में कोई नवीन औषधालय स्वीकृत नहीं किया गया।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का विवरण)

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 की प्रति

नियम-75 – दुकानों की अवस्थिति : –

(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या भांग (हैम्प ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए अपनी दुकान सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान, महाविद्यालय स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या लोक मनोरंजन के स्थान, किसी कारखाने या मजदूर या हरिजन कालोनी से 200 मीटर की दूरी में अवस्थित नहीं होगी।

(3) कोई खुदरा दुकान, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं की जायेगी।

(4) जिला आबकारी अधिकारी को, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, किसी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी और किसी दुकान के ऐसे स्थानान्तरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकार नहीं दिया जायेगा।

(5) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर या भांग (हैम्प ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान राष्ट्रीय या राजय राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर की दूरी के भीतर अवस्थित नहीं होगी। किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगी।

परन्तु आबकारी आयुक्त मदिरा दुकान की अवस्थिति की उपर्युक्त शर्तों में अपवादित परिस्थितियों में ऐसा करने के लिये लिखित में पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् शिथिलता दे सकेगा।

स्पष्टीकरण : –

(1) नियम 75 के उप नियम (2) के प्रयोजन के लिए एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में "पूजा स्थल" से दुकान की दूरी के सम्बन्ध में निर्वचन केवल उन पूजा स्थलों के बारे में लागू होंगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी गई सूची में दर्ज हैं।

(2) हरिजन कालोनी से ऐसा कोई नगरपालिका वार्ड अभिप्रेत होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की कुल जनसंख्या की पचास प्रतिशत से अधिक है।

(3) महाविद्यालय या किसी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की संस्थान से भिन्न किसी णिक संस्था के पास अवस्थित कोई दुकान उस संस्था के बन्द होने के समय से कम से कम एक घन्टे बाद ही खोली जावेगी।

(4) "लोक मनोरंजन के स्थान" से केवल नाट्यगृह और सिनेमाहाल अभिप्रेत होगा।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 92 की सूची)

राजस्थान सरकार
श्रम तथा नियोजन विभाग

प.एफ. 8(108) श्रनि/76 जयपुर, दिनांक 29-10-76.

समस्त विभागाध्यक्ष।

आदेश

युद्ध में वीरगति प्राप्त अथवा पूर्ण रूप से अपंग हुए जवानों के परिवार के सदस्यों को तुरन्त राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकार की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में उक्त परिवार के दो सदस्यों तक रोजगार देने में प्राथमिकता प्रदान की जावे, बशर्ते कि वे वांछित पद हेतु निर्धारित आयु, शैक्षणिक व अन्य योग्यता रखते हों। इस प्रकार की नियुक्तियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से नाम मंगवाने की शर्त को समाप्त किया जाता है।

आज्ञा से,

ह०

(राजेश्वर तिवारी)

उप शासन सचिव

युद्ध में शहीद सैनिकों एवं स्थायी अपंग सैनिकों के आश्रितों को विगत दो वर्ष में दिलाई गई नियुक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पता	विभाग का नाम
1.	श्री थाना राम भाई, मृतक सैनिक लिखमा राम (आपरेशन पवन श्री लंका)	ग्राम खरवालिया तह. डीडवाना जिला नागौर (राज.)	मंत्रालयिक सेवा (तृतीय श्रेणी)
2.	श्री भंवर पुत्र मृतक सैनिक जुहार मल (भारत-पाक युद्ध 1971)	ग्राम पो. जयपहाड़ी, जिला झुंझूनूं (राज.)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (तहसील कार्यालय)
3.	श्री महीपाल सिंह पुत्र दफेदार विद्याधर सिंह (भारत-पाक युद्ध 1971)	ग्राम पोस्ट सोभाका बास जिला झुंझूनूं (राज.)	अध्यापक तृतीय श्रेणी (शिक्षा विभाग)

परिशिष्ट-5
(अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची)

जिला नागौर

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची (छात्र)

1. राजकीय से. किशनलाल कांकरिया उ.मा वि., नागौर
2. राजकीय श्री जगन्नाथ तापड़िया उ.मा.वि.जसवन्तगढ़, नागौर
3. रा.उ.मा.वि.नावां, नागौर
4. रा.उ.मा.वि., डेगाना
5. रा.उ.मा.वि., रिया बड़ी
6. रा.उ.मा.वि., मकराना
7. रामानन्द शिवनारायण बेगरा उ.मा.वि., मारवाड़ मुण्डवा
8. राजकीय जवाहर रा.उ.मा.वि. कुचामन सिटी, नागौर
9. रा.उ.मा.वि. कुचेरा, नागौर
10. रा.मा.वि. कुकनवाली, नागौर
11. रा.मा.वि. खीवसर, नागौर
12. रा.मा.वि. छोटी खाटू, नागौर
13. रा.मा.वि. जायल, नागौर

14. राआवि. जावला नागौर
15. श्री भीकूलाल साटड़ा राउमावि. निम्बीजोधा, नागौर
16. राउमावि. परबतसर सिटी, नागौर
17. राउमावि. मेड़ता सिटी
18. राजोहरी उमावि. लाडनूं, नागौर
19. सारडा राउमावि. साजू, नागौर
20. राउमावि. हरसीसर, नागौर
21. राउमावि. चावरिड़या, नागौर
22. राउमावि. रिड़, नागौर
23. राउमावि. गुढ़ा साल्ट, नागौर
24. राउमाविमेड़ता रोड, नागौर
25. राबागड़ उमावि. डीडवाना, नागौर
26. राउमावि. अलाय, नागौर
27. राउमावि. तोषीना, नागौर
28. राउमावि. सोमानी, मौलासर
29. राउमावि., खुनखुना
30. राजकीय ऋषभचन्द गोधा उमावि., माटोठ
31. राउमावि., मनाना
32. राउमावि., डेह
33. राउमावि., थावला

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (बालिका) की सूची : —

1. राबाउमावि., नागौर
2. राबाउमावि., डीडवाना
3. राबाउमावि. कुचामन सिटी, नागौर
4. श्री सूरजमल भूलोडिया राबाउमावि. लाडनूं, नागौर
5. राबाउमावि., परबतसर
6. राबाउमावि., मुण्डवा
7. राबाउमावि., नावां
8. राबाउमावि., मेड़ता सिटी
9. राबाउमावि., मकराना

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 108 का विवरण)

दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर

उद्देश्य :

जिन उद्देश्यों हेतु बैंक की स्थापना हुई थी, वे निम्न प्रकार से हैं : —

1. सहकारिता के सिद्धान्तों के अन्तर्गत बैंक के सदस्यों के आर्थिक हितों का संवर्द्धन करना।

2. ग्राहकों से बचत खातों में, चालू खातों में, मियादी अमानत योजना में तथा अन्य खातों में जमायें प्राप्त करना तथा समय-समय पर अपने आदान में वृद्धि करना जो समय-समय पर बैंक के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये आवश्यक हो।

3. पंजीकृत सहकारी संस्थाओं या सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाली संस्थाओं को ऋण स्वीकृत करना।

4. पंजीकृत सहकारी संस्थाओं तथा बैंक के उपनियमों के अन्तर्गत अलग प्रकार के सदस्यों को ऋण स्वीकृत करना।

5. बैंक के अमानतदारों तथा बैंक के परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण देना, अधिविकर्षों की स्वीकृति देना या नकद साख सीमाएँ देना–

(अ) मियादी अमानत

(ब) सरकारी प्रतिभूवियाँ

(स) पंजीयक द्वारा स्वीकृत अन्य प्रतिभूतियाँ

(द) इसके अलावा संचालक मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत नाममात्र के सदस्यों को अधिविकर्ष की सुविधा देना।

(य) राज्य के सभी सहकारी बैंकों एवं समितियों के बीच संतुलन बिन्दु की तरह सेवा करना।

(र) बिलों के संग्रहण एवं हुण्डी और ड्राफ्ट जारी करके बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करना।

(ल) संचालक मंडल द्वारा बनाये गये नियमों के तहत बिलों के डिसकाउन्टिंग की सुविधा के लिये कम से कम बैंक का नाममात्र का सदस्य होना आवश्यक है।

(व) प्रतिभूतियों, गहनों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा लोकर्स के द्वारा

(क) भारत सरकार/राजस्थान सरकार या अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिभूतियों जो इन्डियन टेस्ट एक्ट 1982 की धारा अ, ब, स व द के नियम के तहत वर्णित है, में बैंक के आधिक्य कोषों को विनियोग करना, उनको बेचना और खरीदना और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिये सहकारी संस्थाओं के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना।

(ख) सहकारी विभाग, राजस्थान की पूर्व अनुमति के तहत बैंक के कार्यक्षेत्र में जहाँ आवश्यकता हो, बैंक की शाखा खोलना।

(ग) सामान्यतया उन सभी गतिविधियों का निष्पादन करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे-

(क) मुख्यतः भूमि विकास बैंकों को अधिनियम के अन्तर्गत संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण नीति के आधार पर दीर्घकालीन ऋण देना तथा सदस्य भूमि विकास बैंकों को अन्य बैंकों से कैश क्रेडिट सुविधा हेतु प्रत्याभूति गारंटी देना।

(ख) सदस्यों में बचत, पारस्परिक सहयोग एवं स्वावलम्बन की भावना उन तरीकों से जो समय-समय पर निश्चित किये गये हों, प्रोत्साहित करना।

परिशिष्ट-2

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर में गत तीन वर्षों में लाभ निम्न प्रकार है : —

वर्ष	लाभ जो अर्जित किया गया (राशि लाखों में)
1991-92	389.28
1992-93	393.37
1993-94	255.48

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर में गत तीन वर्षों मे लाभ निम्न प्रकार से है: –

वर्ष	लाभ जो अर्जित किया (लाखों में)
1991-92	28.42
1992-93	73.06
1993-94	157.40

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 109 का विवरण

गत दो वर्षों में अधिकारियों/कर्मचारियों ने दिन दौरे एवं रात्रि विश्राम निम्न प्रकार किया है-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	दिन दौरे	रात्रि विश्राम	किये गये कार्य का विवरण
1.	**रीजनल आडिटर, सहकारी समितियाँ, उदयपुर**			
	(1) अधिकारियों द्वारा	152	63	निरीक्षण/टेस्ट आडिट/विजिट/मीटिंग/ वसूली कार्य एवं ओ.टी.एस. में प्रशिक्षण आदि।
	(2) कर्मचारियों द्वारा	134	70	राजस संघ/अरबन को-आप. बैंक/भूमि विकास बैंक, उदयपुर में आडिट कार्य एवं आडिट सहायक रूप में आफिस कार्य।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	दिन दौरे	रात्रि विश्राम	किये गये कार्य का विवरण
2.	**स्पेशल आडिटर, सहकारी समितियां, उदयपुर**			
(1)	अधिकारी द्वारा	171	65	टेस्ट आडिट/निरीक्षण निरीक्षकों का/कार्यालय द्वारा निरीक्षण एवं धारा 74 के निर्णय।
(2)	कर्मचारियों द्वारा (निरीक्षक (आडिट)	5021	3764	समितियों का आडिट कार्य।
3.	**संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, उदयपुर**	99	52	निरीक्षण कार्य एवं अन्य कार्य।
4	**उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, उदयपुर**			
(1)	अधिकारी द्वारा	148	31	निरीक्षण/विजिट/मीटिंग में भाग लेना एवं वसूली सम्बन्धी कार्य किया।
(2)	कर्मचारियों द्वारा	1217	531	निरीक्षण/बैठकों में भाग लेना एवं वसूली कार्य (राजकीय ऋण एवं धारा 74 (2) के अन्तर्गत)

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची)

वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु तैयार किये जाने वाले प्रमुख पौधों की किस्म/प्रजाति का संभागवार विवरण : —

जयपुर– अरडू, देशी बबूल, शीशम, रोहिटा, छोला, कुमठा, इजरायली बबूल, खेजड़ी, नीम, खैर, बुरैल, बैर; रोंझ, विलायती बबूल, अमलताश, बाबंला, जंगल जलेबी, गुलमोहर, कचनार आदि।

अजमेर– अरडू, बबूल, बेर, कुमठा, खेजड़ी, खैर, जंगल जलेबी, चुरैल, शीशम, इमली, सेमल, गुलमोहर, तेन्दू, अकेसिया टोटलिस आदि।

उदयपुर– बांस, खैर, गुरजन, आंवला, नीम, साकर, सागवान, महुआ, शीशम, बुरैल, बहेड़ा, रोंझ, बैर, विलायती बबूल, खिरनी, गूगल आदि।

कोटा–देशी बबूल, बांस, अरडू, बैर, कुमठा, खैर, जंगल जलेबी, चुरेल, शीशम, इमली, सेपल, तेन्दू कचनार, गुलमोहर, विलायती बबूल, सफेदा, बकायम, गूंदा, करौदा, ढाक, नीम, अर्जुन आदि।

जोधपुर– रोहिडा, खेजड़ी, इजरायली, बबूल, कुमठा, नीम, कैर, बेर, पार्किन, सोनिया, बिलायती बबूल आदि।

बीकानेर–खेजड़ी, इजरायली बबूल, देशी बबूल, सफेदा, रोहिडा, शीशम, अरडू, सूबबूल, बैर, पार्किन सोनिया, केशियास्पोलो, बकायन, विलायती बबूल, नीम, सेवण फरास आदि।

(301)

प्रपत्र 'अ'

परिशिष्ट-9
(अतारांकित प्रश्न संख्या 122 की प्रति)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की टेरिफ में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों के न्यूनतम चार्जेज की सूची : –

श्रेणी	न्यूनतम चार्जेज
(1)	(2)
1. घरेलू सेवा–	
(1) शहरों एवं कस्बों में	20/- रुपये प्रति सेवा प्रति माह
(2) ग्रामीण क्षेत्रों में (गांवों में)	15/- रुपये प्रति सेवा प्रति माह
2. अघरेलू सेवा–	
(क) जहाँ कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड पर बिलिंग ना हो :—	
(i) एक्सरे-प्लान्ट्स	22/- रूपये प्रति कि.वा.स्वीकृत सम्बद्ध भार या उसके भाग पर प्रति माह
(ii) होटल, रेस्तरां, ढाबे, शहर एवं कस्बों में दुकानें, थियेटर, सिनेमा, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन एवं गैरेज, आडिटोरियम, फोटो स्टूडियो, अपंजीकृत शिक्षण संस्थाएं, टेलीफोन एक्सचेंज, निजी लाभ के लिए अस्पताल, नर्सिग गृह, डिस्पेन्सरी एवं डॉक्टर क्लीनिक (एच.टी. एवं एल.टी. सप्लाई)	55/- रुपये प्रति कि.वा. स्वीकृत सम्बद्ध भार या उसके भाग पर प्रति माह।
(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें	22/- रुपये प्रति सेवा प्रति माह
(iv) वेल्डिग सैट	80/- रुपये प्रति कि.वा.स्वीकृत सम्बद्ध भार या उसके भाग पर प्रति माह।
(v) नर्सरी	165/- रुपये प्रति हार्स पावर स्वीकृत सम्बद्ध भार या उसके भाग पर प्रति माह।

302

(1)	(2)
(vi) अन्य–	
(अ) शहरों एवं कस्बों में	50/- रुपये प्रति सेवा प्रति माह
(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में	22/- रुपये प्रति सेवा प्रति माह
(ख) जहाँ कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड पर बिलिंग हो	40 यूनिट प्रति के.वी.ए. कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड पर।
3. सार्वजनिक सड़क प्रकाश–	
(i) बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि	12/- रुपये प्रति लैम्प पाइन्ट प्रति माह
(ii) मरकरी एवं सोडियम वेयर लैम्प	24/- रुपये प्रति लैम्प पाइन्ट प्रति माह
4. कृषि श्रेणी–	
(अ) मीटर सप्लाई	कोई न्यूनतम चार्जेज नहीं।
(ब) फ्लेट दर सप्लाई–	
(i) 3 हार्स पावर सम्बद्ध भार तक	384/- रुपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष
(ii) 3 हार्स पावर से अधिक एवं 5 हा.पा. सम्बद्ध भार तक	444/- रुपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष
(iii) 5 हा.पा. से अधिक एवं 7.5 हा.पा. सम्बद्ध भार तक	492/- रुपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष
(iv) 7.5 हा.पा. से अधिक	516/- रुपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष
5. लघु औद्योगिक श्रेणी–	
(अ) अमौसमी उद्योग	30 यूनिट प्रति हार्स पावर प्रति माह
(ब) मौसमी उद्योग	480 यूनिट प्रति हार्स पावर सम्बद्ध भार या उसके भाग पर प्रति सीजन

(1)	(2)
6. मध्यम औद्योगिक श्रेणी–	
(अ) अमौसमी उद्योग–	
(i) 25 हार्स पावर से अधिक एवं 100 हा.पा. सम्बद्ध भार तक	35 यूनिट प्रति हार्स पावर सम्बद्ध भार या उसके भाग पर
(ii) 100 हा.पा. से अधिक एवं 150 हा.पा. सम्बद्ध भार तक एवं 125 केवीए अधिकतम मांग तक	40 यूनिट प्रति हार्स पावर सम्बद्ध भार या उसके भाग पर।
(ब) मौसमी उद्योग	480 यूनिट प्रति हार्स पावर सम्बद्ध भार या उसके भाग पर प्रति सीजन।
7. वृहत् औद्योगिक श्रेणी–	
(अ) अमौसमी उद्योग–	
(i) 1000 केवीए अधिकतम मांग तक	110 यूनिट प्रति केवीए प्रति माह
(ii) 1000 केवीए से अधिक अधिकतम मांग	130 यूनिट प्रति केवीए प्रति माह
(ब) मौसमी उद्योग	880 यूनिट प्रति केवीए कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड पर प्रति सीजन
8. मिश्रित भार–	
(अ) जहाँ कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड पर बिलिंग ना हो–	
(i) पंजीकृत शिक्षण संस्थाएं	4/- रुपये प्रति कि.वा. स्वीकृत सम्बद्ध भार या उसके भाग पर
(ii) अन्य	20/- रुपये प्रति कि.वा. स्वीकृत सम्बद्ध भार या उसके भाग पर
(ब) जहाँ कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड पर बिलिंग हो–	
(i) पंजीकृत शिक्षण संस्थाएं	10 यूनिट प्रति केवीए कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड पर।
(ii) अन्य	20 यूनिट प्रति केवीए कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड पर।

304

प्रपत्र 'ब'

सेवा में,

श्रीमान् सहायक अभियन्ता (पवस)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल,

लाडनूं।

विषय : न्यूनतम राशि वसूली से मुक्त करने बाबत।

मान्यवर,

श्रीमान् का ध्यान उपरोक्त विषय में आकर्षित करते हुए निवेदन है कि हमारे ग्राम कसुम्बी का ट्रांसफार्मर दिनांक 27-10-92 को जल गया था, फलस्वरूप आज तक पूरा गाँव भयंकर अंधेरे में है। चूंकि पूरे माह आपका विभाग विद्युत आपूर्ति नहीं कर सका है, अतः हमारे गाँव से सभी उपभोक्ताओं को माह नवम्बर, 1992 के न्यूनतम चार्जेज के भुगतान करने से मुक्त रखा जाये। न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्त को ध्यान में रखकर कृपा करके मिनिमम चार्जेज वसूली के इस गाँव के विद्युत उपभोक्ताओं को मुक्त करके राहत प्रदान करावें। ग्राम तनेड़ी से 11 के.वी. की लाइन खड़ी करवाकर एवं 11/4 के.वी.ए. का ट्रान्सफार्मर रखकर करीबन दो माह बाद दिनांक 18-12-92 को विद्युत चालू की।

सधन्यवाद,

हस्ताक्षर,

हम हैं कसुम्बी ग्राम के विद्युत उपभोक्ता

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 125 का विवरण

भौतिक सत्यापन का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	फागी डीजल पम्प	भाखरा रोड डीजल पम्प
1-	1984-85	हुआ	हुआ
2-	1985-86	हुआ	हुआ
3-	1986-87	हुआ	नहीं हुआ
4-	1987-88	नहीं हुआ	नहीं हुआ
5-	1988-89	हुआ	हुआ
6-	1989-90	हुआ	नहीं हुआ
7-	1990-91	हुआ	नहीं हुआ
8-	1991-92	हुआ	नहीं हुआ
9-	1992-93	हुआ	नहीं हुआ
10-	1993-94	नहीं हुआ	हुआ
11-	1994-95	हुआ	नहीं हुआ

कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

फागी डीजल पम्प

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद	कार्यरत अवधि
1-	श्री के.एल.यादव, कनिष्ठ अभियन्ता	मार्च, 1983 से मार्च, 1986 तक
2-	श्री भावदत्त शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	अप्रेल, 1984 से अगस्त, 1984 तक
3-	श्री जोधा राम, हैल्पर	मार्च, 1984 से अगस्त, 1987 तक
4-	श्री रामचन्द्र, हैल्पर	मई, 1984 से जुलाई, 1993 तक
5-	श्री शंकर लाल गुप्ता, वरिष्ठ सहायक	जुलाई, 1985 से दिसम्बर, 1986 तक
6-	श्री अब्दुल अजीज, कनिष्ठ अभियन्ता	दिसम्बर, 1986 से मई, 1989 तक
7-	श्री एस. के. शर्मा, कनिष्ठ अभियंता	मई, 1989 से फरवरी 1992 तक
8-	श्री हरफूल सिंह, कनिष्ठ सहायक	फरवरी, 1992 से लगातार
9-	श्री भंवरलाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मार्च, 1993 से लगातार

भाखरा रोड डीजल पम्प

1-	श्री हेतराम विश्नोई, वरिष्ठ सहायक	दिसम्बर, 1982 से मार्च, 1984 तक एवं अगस्त, 1985 से लगातार।
2-	श्री ए.के.नन्दी, कनिष्ठ अभियन्ता	दिसम्बर, 1983 से नवम्बर, 1987 तक
3-	श्री छट्टू प्रसाद गुप्ता, च.श्रे.क.	फरवरी, 1984 से जून, 1985 तक
4-	श्री किशन सिंह भाटी, कनिष्ठ सहायक	जून, 1985 से लगातार
5-	श्री एस.के.भाटी, च.श्रे.क.	अगस्त, 1985 से लगातार
6-	श्री देवीलाल वर्मा, कनिष्ठ सहायक	जनवरी, 1993 से जुलाई, 1993 तक

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 126 का विवरण

कृषि उपज मंडी समिति इटावा-कोटा

मदवार आय का विवरण

क्रम सं. नाम मद	वर्ष 1991-92	वर्ष 1992-93	वर्ष1993-94
1. (अ) मंडी शुल्क	19,74,304.30	29,14,080.24	32,01,352.08
(ब) विलम्ब शुल्क	1,465.72	10,698.82	2,719.35
(स) वाद शमन शुल्क	2,896.30	8,079.56	27,992.00
2. आबंटन शुल्क से आय	2,28,231.00	2,80,052.80	2,82,250.50
3. अनुज्ञापत्र शुल्क नवीन (नवीनीकरण)	2,788.00	2,220.00	3,004.00
4. विविध	3,22,660.61	2,68,314.90	3,66,523.10
योग	25,32,345.93	34,83,446.32	38,83,841.03

(306)

कृषि उपज मण्डी समिति इटावा-कोटा
वर्षवार व्यय का विवरण मद वाइज : —

क्रम सं. मद का नाम	वर्ष 1991-92	वर्ष 1992-93	वर्ष 1993-94
1 (क) सचिव का वेतन एवं भत्ते	65,877.80	77,980.60	1,07,872.90
(ख) कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	2,40,738.10	2,51,665.40	2,70,913.80
(ग) यात्रा व्यय सचिव व कर्मचारी	8,041.24	7,457.25	21,826.90
(घ) यात्रा व्यय सदस्यगण	—	539.00	—
(ङ) प्रशासक भत्ता	2,727.00	2,359.00	2,760.00
(च) कार्यालय व्यय आवर्तक (अ)	94,635.30	22,369.48	88,487.10
(छ) कार्यालय व्यय अनावर्तक (आ)	—	—	2,725.00
(ज) रा.रा.कृ.वि. बोर्ड अंशदान	1,97,428.29	3,05,503.00	2,75,445.00
(झ) ऋण एवं अग्रिम	23,210.00	50,250.00	92,439.95
(ञ) निर्माण कार्यों पर व्यय			
(क) मंडी विकास कार्यों पर व्यय	8,35,166.20	2,40,394.20	3,79,978.00
(ख) सम्पर्क सड़कों पर व्यय	33,379.56	10,03,634.96	10,56,453.00
(ट) मंडी प्रांगण व्यय आवर्तक	1,15,516.77	89,317.76	1,48,106.05
(ठ) मंडी प्रांगण भूमि क्रम	—	7,433.00	—
कुल योग	16,16,720.56	20,58,905.65	24,47,007.70

परिशिष्ट-12
अतारांकित प्रश्न संख्या 128 की सूचना
राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये निम्न योजनाएँ लागू की गईं : —

1–राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

2–होटल उद्यमियों को होटल बनाने में सहायता करने हेतु स्टेट केपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम एवं जेनरेटर सैट क्रय करने हेतु अनुदान की योजना लागू की गई है।

3–राज्य में पुराने किलों, महलों एवं हवेलियों जो कि निजी सम्पत्ति है, को हैरिटेज होटल में परिवर्तन करने हेतु एक हैरिटेज होटल निर्देशिका का प्रकाशन किया गया, ताकि इच्छुक उद्यमी उन्हें हैरिटेज होटल में परिवर्तन कर सकें।

4–विभिन्न पर्यटक स्थलों का विकास कार्य।

5–विभिन्न मेले त्यौहारों का आयोजन।

6–पर्यटकों की सुविधा के लिये एवं जानकारी के लिये प्रचार सामग्री का प्रकाशन।

7–देश एवं विदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनियों का आयोजन।

8–पेइंग गेस्ट योजना राज्य के 13 शहरों में लागू की गई है।

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 137 की प्रति

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक–प.1(12) आयुर्वेद/85 जयपुर, दिनांक 25 फरवरी, 86.

निदेशक,

ायुर्वेद विभाग,

जमेर

विषय:–राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बाघसूरी (पीसांगन) को ग्राम बनेवड़ा (अजमेर) में स्थानान्तरण बाबत।

संदर्भ:–आपका पत्र क्रमांक सांख्यिकी/2/औ.परि/85/3961 दिनांक 28.1.86

,

र्देशानुसार राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बाघसूरी (पीसांगन) जिला अजमेर को ग्राम ा (पीसांगन) जिला अजमेर में स्थानान्तरण किये जाने की शासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

भवदीय,

ह०

उप शासन सचिव

(308)

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 138 की सूची

राजसमन्द जिले में संचालित विभागीय चिकित्सालयों/औषधालयों में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	औषधालय/चिकित्सालय का नाम	अवधि जब से पद रिक्त हैं
आयुर्वेद चिकित्सक		
1.	जेतगढ़	जुलाई, 1986
2.	दिवेर	जुलाई, 1994
3.	महासिंह का खेड़ा	जनवरी, 1994
4.	जूणदा	अगस्त, 94
5.	समेलिया	जुलाई, 94
6.	गोवल	अगस्त, 92
7.	बडगुल्ला	जुलाई, 94
8.	नेडच	अक्टूबर, 93
9.	घोडच	अगस्त, 94
10.	मूरडा	अगस्त, 91
11.	फरारा	जुलाई, 1994
नर्स/कम्पाउन्डर		
1.	देवगढ़	नवम्बर, 1992
2.	बिलोता	मार्च, 94
3.	सालोर	मार्च, 93
4.	नाथद्वारा (दो पद रिक्त)	अक्टूबर, 94, फरवरी, 94
परिचारक		
1.	बडगुल्ला	मार्च, 93
2.	बरदड़ा	जुलाई, 94
3.	जूणदा	जुलाई, 94